द्वादश माला, खंड 3, अंक 16

सोमवार, 6 जुलाई, 1998

15 आषाढ़, 1920 (शक)

F.C

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सोमवार 6 जुलाई, 1998/15 आषाढ़, 1920 [शक]

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
9	नीचे से 12	लाज	लक्ष्य
157	17	निषेध	निषेध
199	नीचे से 2	श्री फागन सिंह कुलस्ते	श्री फागन सिंह कुलस्ते
338और 475	13 और 10	श्री एम.तम्बी दुरई	डा. एम. तम्बी दुरई
339	10	[ग] और [ङ]	[ग] से [ङ]
342	26	पृथा	पृथम
360	13	श्री आर.ताम्बातिया राय	श्री आर.ताम्बातिया राव
367	5	श्री रामचन्द्र दोरप्पा	श्री रामचन्द्र वीरप्पा
415	नीचे से 15	उत्तर-पूर्व में विभाग	[ख] उत्तर-पूर्व में विभाग
439	20	डा. बयंती रंगपी	डा. बयंत रंगपी
460	नीचे से 2	श्री दादा बाबूराम पराजपे	श्री दादा बाबूराव पराजपे
503	अन्तिम	संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री	श्री मदन लाल खुराना

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला खंड-3 दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)]

अंक-16 सोमवार, 6 जुलाई, 1998/15 आषाढ़ 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	282 से 284	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	285 से 301	33-79
अतारांकित प्रश्न संख्या	2806 से 3035	79-470
सभा पटल पर रखे गए पत्र		470-483
वित्तीय समितियां - एक समीक्षा		483
कृषि सम्बन्धी स्थायी समिति		
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन		483-484
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
पहला प्रतिवेदन		484
रेल संबंधी स्थायी समिति		
पहला प्रतिवेदन		484
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
अड़सठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन		485
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति		
इकतीसवां, बत्तीसवां और तैतीसवां प्रतिवेदन		485
समितियों के लिए निर्वाचन		485-488
नियम 377 के अधीन मामले		512-518
(एक) बुन्देलखंड के चहुमुंखी विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री		512-513
(दो) उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बों में रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता		
डा॰ संजय सिंह		513

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(तीन)	उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने और वहां पर उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री राम पाल सिंह	513
(चार)	चण्डीगढ़ में रह रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगो को, चाहे वे कभी भी वहां आकर बसे हों, जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए जाने की आवश्यकता श्री सत्य पाल जैन	513-514
(पांच)	त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता श्री अशोक नामदेवराव मोहोल	514-515
(छह)	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण की वर्तमान नीति को जारी रखने तथा केरल राज्य को खाद्यान्नों का आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता श्री टी॰ गोविन्दन	515
(सात)	उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र में आमों में पाए गए झुमका रोग के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता श्रीमती रीना चौधरी	515-516
(आठ)	तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री वैको	516
(नौ)	हरियाणा के सिरसा रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता डा॰ सुशील इन्दौरा	517
(दस)	नागपुर क्षेत्र में बुनकरों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए उचित नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता श्री विलास मुत्तेमवार	517-518

विषय	कॉलम
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और	518-533,534-576
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	518-519
श्री राजो सिंह	520-523
श्री श्याम बिहारी मिश्र	523-533
डा० विक्रम सरकार	535-537
श्री सुव्रत मुखर्जी	537-539
श्री मोहन सिंह	539-541
श्री के० एस० राव	541-546
श्री रामानन्द सिंह	547-548
प्रो० ए० के० प्रेमाजम	549-551
श्री अजय चक्रवर्ती	551-552
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	552-554
श्री हीरालाल राय	554-555
श्रीमती जयंती पटनायक	555-557
श्री शैलेन्द्र कुमार	557-558
श्री गिरधारी लाल भार्गव	558-559
श्री प्रभुनाथ सिंह	559-561
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	561-562
श्री एस. मल्किार्जुनय्या	562-563
प्रो० जोगेन्द्र कवाडे	563-565
श्री बी० एम० मेनसिंकाई	565-566
श्री मित्रसेन यादव	566-567
श्री लालू प्रसाद	567-569
प्रो० सैफुद्दीन सोज	569-570
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन	
श्री यशवंत सिन्हा	533-534

लोक सभा

सोमवार, 6 जुलाई 1998/15 आषाढ़ 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

देश में विद्युत स्थिति की समीक्षा

*282. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री स्तर पर देश में विद्युत स्थिति की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत की कमी वाले राज्यों में विद्युत की भीषण समस्या की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 तथा नौंवी योजना अवधि के लिए तैयार की गई राज्य-वार कार्य योजना क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्युत मंत्रालय द्वारा 23.4.98 को प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। समीक्षा बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति की स्थिति विद्युत उपलब्धता का संवर्धन करने की नीति, रा०बि०बो० की वित्तीय स्थिति तथा नौवीं योजना हेतु दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया गया ।

(ग) मई, 1997 की तुलना में मई, 1998 के माह के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध-I में संलग्न है। अखिल भारत स्तर पर कुल ऊर्जा उपलब्धता मई, 1997 में 31968 मिलियन यूनिट की तुलना में मई, 1998 के दौरान 35620 मिलियन यूनिट रही जो 11.2 प्रतिशत अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, ऊर्जा हेतु उच्च मांग के बावजूद ऊर्जा की कमी मई, 1997 में 4390 मिलियन यूनिट की तुलना में मई, 1998 में घटकर 2748 मिलियन यूनिट हो गई है।

(घ) राज्यों में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने हेतु विशिष्ट और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गयी है। वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II में दिये गये हैं। नौवीं योजना के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि यह आशा की जाती है कि इस अवधि के दौरान लगभग 40,000 मेगा वाट की नयी क्षमता जोड़ी जाएगी।

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत की कमियों को कम करने तथा विद्युत क्षेत्र को स्वावलंबन की राह पर लाने के लिए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत कानूनों में संशोधन, राज्य बिजली बोर्डों की पुर्नसंरचना केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं हेतु उच्च बजटीय आबंटन, राज्य क्षेत्र की निर्माणाधीन स्कीमों को त्वरित रूप से पूरा करने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा प्रणाली सुधार, प्रति गारंटी परियोजनाओं को तेज करना, तटवर्ती स्थानों तथा पिट-हैडों पर विशाल परियोजनाओं के लिए एक नीति बनाना, विद्युत का बृहत अन्त:क्षेत्रीय अन्तरण इत्यादि शामिल है।

अनुबंध-I

वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(सभी आंकडे मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	मई, 97				मई, 98			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	83	83	0	0	100	99	1	1.0
दिल्ली	1305	1295	9	07	1505	1439	66	4.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	1110	1005	45	41	1285	1156	127	9.9
हिमाचल प्रदेश	292	292	0	0	239	239	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	425	411	14	33	440	430	10	2.3
पंजाब	1810	1802	8	04	2560	2278	282	11.0
राजस्थान	1630	1501	29	18	1895	1745	150	7.9
उत्तर प्रदेश	3560	3061	499	14	3715	3306	409	11.0
उ० क्षेत्र	10215	9511	604	5.9	11739	10694	1045	8.9
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	3650	3162	488	13.4	4185	3961	224	3.4
मध्य प्रदेश	2850	2320	530	18.6	2810	3738	62	2.9
महाराष्ट्र	5550	5130	420	7.5	5735	5673	61	1.1
गोवा	117	117	0	0	119	119	0	0.0
प० क्षेत्र	12167	3729	1438	11.8	22859	22490	359	2.9
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	3200	2523	577	18	3440	3113	327	9.5
कर्नाटक	2260	1560	700	31	2180	2847	333	15.3
केरल	985	733	252	25.6	1050	937	113	10.8
तमिलनाडु	3370	2818	552	15.4	3178	2670	508	16.0
द० क्षेत्र	9815	7734	2081	21.2	9848	3570	2278	13.0
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	795	638	157	19.7	715	544	71	9.9
डी०वी०सी०	675	663	12	1.8	625	653	-28	-4.5
उड़ीसा	915	904	11	1.2	845	854	-9	-1.1
पश्चिमी बंगाल	1360	1341	19	1.4	1315	1328	-13	-1.0
पू० क्षे०	3745	3546	199	5.3	3500	3479	21	0.6
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	13.0	6.9	6.1	46.9	12.6	10.0	2.6	20.6
असम	238.7	218.7	20.0	8.4	225.9	233.7	22.2	8.7
मणिपुर	45.5	31.6	13.9	30.5	12.5	30.5	4.0	9.4
मेघालय	33.5	33.5	0.0	0	34.0	36.0	-2.0	-5.9
मिजोरम	20.1	12.4	7.7	38.3	17.6	13.6	4.2	23.6
नागालैण्ड	19.4	12.6	6.8	35.1	17.0	13.6	3.4	20.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	45.6	32.3	13.5	20.5	42.2	41.6	0.6	1.4
उ०पू०क्षे०	416.0	348.0	6.8	16.3	422.0	387.0	35.0	0.3
अखिल भारत	34360	31940	435.0	12.1	38368	35620	2748	7.2

अनुबंध-II

1998-99 के लिए योजना

राज्य	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम प्रगति पर (सं०)**	शष्ट कैपिसिटर्स (एमवीएआर)	क्षमता वृद्धि (मे०वा०)	विद्युत (मे०वा०) का अन्त:क्षेत्रीय अन्तरण
1	2	3	4	5
चण्डीगढ़	-	65	-	
दिल्ली	2	634	-	
हरियाणा	2	441	-	
हिमाचल प्रदेश	1	69	-	
जम्मू व कश्मीर	2	160	51.5	
पंजाब	7	209	360	
राजस्थान	1	475	250	
उत्तर प्रदेश	5	421	6	
उत्तरी क्षेत्र	29	2544	667.6	100 (पूर्वी-उत्तरी)
गुजरात	4	2005	645	
मध्य प्रदेश	4	1005	-	
महाराष्ट्र	8	1654	760	
गोवा	-	-	-	
पश्चिमी क्षेत्र	16	4744	1405	150 (पूर्वी-पश्चिमी)
आन्ध्र प्रदेश	4	700	7.5	
कर्नाटक	2	400	400	
केरल	2	200	151.3	
तमिलनाडु	7	700	207.5	
पांडिचेरी	-	-	32.5	
दक्षिण क्षेत्र	15	2000	838.8	500 (पूर्वी-दक्षिणी)
बिहार	3	-	-	
डीवीसी	4	-	-	
उड़ीसा	4	-	6	

1	2	3	4	5
पश्चिमी बंगाल	3	-	265	
पूर्वी क्षेत्र	14	-	271	
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	
असम	5	-	56	
मणिपुर	-	-	36	
मेघालय	1	-	-	
मिजोरम	3	-	-	
नागालैंड	-	-	25	
त्रिपुरा	-	-	-	
उत्तरी क्षेत्र	6	-	117	1000 (पूर्वी-उत्तर पूर्व)
अखिल भारत	71	5288	3299.3	1750

** उच्चतर ऊर्जा उपलब्धता के रूप में लाभ 1998 99 के दौरान और उसके बाद प्राप्त होंगे जैसे ही संबंधित स्कीम पूरी हो जाती है।

* केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं शामिल।

श्री विलास मुत्तेमवार : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बहुत सामान्य-सा उत्तर दिया है। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि देश में विद्युत की स्थिति से हम सब चिन्तित हैं। सच्चाई यह है कि अच्छी कीमत और अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढांचे में निरन्तर गिरावट के बावजूद विद्युत की कमी वाले राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर की चौकाने वाली दर के साथ विद्युत परिदृश्य में सुधार हो रहा है।

उपर्युक्त को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि केन्द्र और राज्य स्तर पर संगठन के लिए बुनियादी तथा प्रणालीगत सुधार क्रियान्वयन की धीमी गति तथा कई मामलों में सुधारों का विरोध, वित्तपोषण की समस्या विशेषकर बाहरी सफलता से जुड़ी परियोजनाओं, बाहरी सहायता का अकुशल और अल्प प्रयोग तथा विद्युत क्षेत्र के नवीनतम उच्च स्तरीय पुनरीक्षा पर आधारित कई अन्य प्रमुख समस्याओं से निपटपने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विद्युत क्षेत्र में स्थिति काफी खराब है। आज हमारे यहां राष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच 11.7 प्रतिशत की कमी है। इस वर्ष के लिए तथा मध्यम अवधि और दीर्घावधि योजनाओं के लिए भी हमारे पास कार्य योजना है, और वास्तव में, आज हमारी ऐसी स्थिति है जहां मैं कुछ निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि यदि हम पिछली मई, अर्थात् मई 1997 और मई 1998 के बीच सृजन आंकड़ों की तुलना करें तो यह देखा जा सकता है कि व्यापक सुधार हुआ है। यह निश्चित तौर पर इस कारण है क्योंकि ट्रासमिशन चरण के दौरान जब तक हम अपेक्षित अतिरिक्त क्षमताएं लाए तब तक विद्युत क्षेत्र में अल्पावधि में पूरी होने वाली परियोजना आ गई। यह रातोरात नहीं होता जैसे बिजली प्राप्त करने के लिए बटन दबाना, विद्युत उत्पादन में समय लगता है। हमने संयंत्र लोड कारक में सुधार पर ध्यान दिया है। हमने कई अल्पावधि में पूरी होने वाली योजनाएं, तरल ईंधन परियोजनाएं भी अपनाई थीं। हम एक नई तरल ईंधन नीति लेकर आए जहां हमने वास्तव में अधिकांश प्रतिबंधों को उदार बना दिया नेफ्था ईंधन के मामले को छोड़कर जोकि मूल्य की दृष्टि से तथा अन्य सभी प्रकार से अधिक थे और विद्युत सृजन के लिए सामान्य ईंधन नहीं है। हमने उसे 12,000 मेघावाट क्षमता की सीमा तक कर दिया।

श्री विलास मुत्तेमवार : यह उत्तर नहीं है।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : उन्होंने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा है जोकि शुरू से ही उठ रहा है।.....(*व्यवधान*) जब आप अल्पावधि तरल ईंधन, अल्पावधि में पूरी होने वाली परियोजनाओं की बात करते हैं तो नेफ्था एक प्रमुख मामला है जिस पर हमने प्रतिबन्ध लगाया है। मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। हम यह सुनिश्चित करने की आशा करते हैं कि केवल प्रणाली में सुधार करके हमने विद्यमान प्रणाली अर्थात् ट्रासमिशन और वितरण से लगभग 5000 मेगावाट विद्युत सृजित की है तथा दूसरी ओर अगले दो वर्षों में भी एल एफ में सुधार कर लेंगे। आज हमारी कमी लगभग 7800 मेगावाट की है। स्थिति यह है कि कुल 16,705 मेगावाट में से आज हमारे पास आबंटित विद्युत परियोजना में 2,276 मेगावाट निजी सृजन क्षमता आयोग है। काउंटर गारंटी परियोजना के बारे

में मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस महीने के अंत तक हम इन परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी जारी कर रहे होंगे।

नौंवी योजना अवधि के लिए हमारी 40,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की योजना है.....*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने मुझसे एक विस्तृत प्रश्न किया है उन्हें विस्तृत उत्तर की आशा होगी। यदि वे विस्तृत उत्तर नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूं।

सुधारों के बारे में, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अधिकांश राज्यों में वास्तव में सभी राज्यों ने इंगित किया है कि वे अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने जा रहे हैं। तीन राज्यों- आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा - ने अपने स्वयं के विधान लागू किये हैं। अन्य राज्यों ने हमें सूचित किया है कि वे अधिसूचित करने जा रहे हैं। यहां तक कि मेरे अपने राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे अधिनियम के अंतर्गत कदम उठाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि सुधार स्वागत योग्य हैं। तथा इन्हें शीघ्र लागू किया जाएगा। मेरा दृढ़ मत है कि इस महासभा के समर्थन से नौंवी योजना के अंत में हमारी स्थिति आज के मुकाबले कहीं अच्छी होगी तथा हम देश में विद्युत मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, मैंने देश में विद्युत की उपलब्धता की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है तथा माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर जानना चाहा हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि माननीय सदस्य इस बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय मंत्री जी ने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इस संबंध में संसद सदस्य श्री कृष्ण लाल शर्मा ने आज घोषणा की है कि वे भूख-हड़ताल करने जा रहे है। हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। प्रत्येक राज्य में स्थिति एक जैसी है। मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर यह है कि नौंवी योजना के लिए अतिरिक्त क्षमता लाख 40,000 मेगावाट है।

परमाणु विस्फोटों के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्म- तथा अमेरिका और अन्य विकसित देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों से ऋण के रूप में बाहरी सहायता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है? यदि हां तो, दूसरी उसका ब्यौरा क्या है और विद्युत क्षेत्र पर प्रतिबंधों के क्या प्रभाव पड़ने की आशा है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री विलास मुत्तेमवार : मंत्री जी ने निजी क्षेत्र का भी उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि कई स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, जिन्हें विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं, ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में गंभीर हुए बिना जनता को रोक दिया है जिससे विलम्ब हुआ। लाभ कमाने की दृष्टि से परियोजना के क्रियान्वयन में रुचि रखने वाली पार्टियों के लिए विद्युत परियोजनाएं बंद हैं। यदि ऐसा है तो मंत्री जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, यदि मैं कहूं कि हमारे परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप लगाए गए प्रतिबंधों का प्रारंभिक चरण में कुछ हद तक बहुत ही समिति हद तक असर पड़ा। क्योंकि सभी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों ने यह फैसला किया कि जो परियोजनाएं पहले स्वीकृत हो चुकी हैं उनके बारे में वे सहायता देना जारी रखेंगे। ऐसी परियोजनाऐं, जो स्वीकृत होने के चरण में नहीं हैं के बारे में वे टालते रहे हैं परन्तु स्पष्ट तौर पर मना नहीं कर रहे हैं। तथापि मेरे लिए यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विद्युत क्षेत्र में हमारे निवेश का 23 प्रतिशत बाहरी, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता से आता है। हम वैकल्पिक संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। इस वर्ष बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बाहरी ऋणों पर आधारित विद्यमान योजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ा है। मुझे इस महासभा को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि बाजार के स्वरूप को देखने की दृष्टि से विद्युत वित निगम ने 100 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त वाणिज्यिक ऋण की मांग की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमें उम्मीद से अधिक सफलता मिली है। हमें यह एल॰ आई॰ बी॰ आर॰ से 1.15 प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर बहुत प्रतिस्पर्धात्मक दर पर प्राप्त हुआ है जो कि वास्तव में सबसे कम ब्याज दर है जो हमें मिल सकती थी। लेकिन इसके साथ ही यह नहीं है कि कोई सन्तुष्ट हो सके। जैसा कि इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई है हमारी संरचनागत बाण्डों की योजना है। हमने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के एस ई बी के देयों की संवीक्षा की है।

हम घरेलू वाणिज्यिक तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों से संसाधन जुटा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह 23 प्रतिशत अंतर पूरा करने में सक्षम होंगे यदि नई परियोजनाएं शुरू होने पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध वास्तव में आते हैं।

स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के संबंध में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि यह सच है कि बहुत से स्वतंत्र विद्युत उत्पादक हैं जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा जिन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है परंतु वित्तीय बंधन नहीं लगे हैं क्योंकि उनका प्रयास इसे अच्छा दस्तावेज बनाने का था।

कोयला आधारित परियोजना के मामले में हमने 18 परियोजनाओं, जिनके लिए डी पी आर प्रस्तुत किये गये हैं, में से केवल 6 परियोजनाओं को प्रभावी पाया है। हमने यह निर्णय किया है कि केवल इन छः परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की जायेगी और अन्य सभी परियोजनाओं के लिए समयावधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अल्पावधि में पूरी होने वाली तरफ ईंधन परियोजना के सम्बन्ध में उन्हें वित्तीय समापन का कार्य पूरा करने के लिए अक्तूबर, 1998

तक का समय दिया गया है। यदि वे वित्तीय समापन का कार्य पूरा नहीं करेंगी तो उन्हें दी गई अनुमति अथवा समझौता ज्ञापन समाप्त हो जायेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं कि क्षेत्र में केवल महत्वपूर्ण पार्टी ही हों।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली, देश की राजधानी में बिजली के बारे में जो समस्याएं हैं, उनका केन्द्र और राज्य के मंत्रियों के बीच तालमेल से जल्दी कुछ हल निकालना चाहिए। वैसे भी यहां जो फीगर्स दी गई हैं, उनमें डिमांड ऐंड सप्लाई में ज्यादा अन्तर नहीं बताया गया है। क्या दिल्ली को पावर जैनरेशन के प्वांइट ऑफ व्यू से सैल्फ सफिशेंट बनाने के लिए, गवर्नमैंट सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर में कोई और प्लांट लगाने की योजना है? दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, के प्राइवेटाइजेशन की जिस योजना के बारे में बताया गया है कि उसमें 40 हफते लगेगें, उसे कम समय में जल्दी से जल्दी पूरा करके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जैनरेशन दिल्ली में एनश्योर करने के लिए मंत्री महोदय का कोई प्लान है?

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में विद्युत के सम्बन्ध में विद्युत की उपलब्धता की उतनी अधिक समस्या नहीं है जितनी समस्या प्रणाली की है जो विद्युत वितस्ति करने में सक्षम नही है और इसी की आवश्यकता है। अधिक गर्मी के कारण इस बार मांग में अचानक वृद्धि हो गई है। वास्तव में दिल्ली द्वारा पिछले वर्ष और इस वर्ष उपयोग में लाई गई विद्युत की खपत में लगभग 14 प्रतिशत से अधिक का अन्तर है। अपेक्षित मात्रा लगभग 13 प्रतिशत है। असलिए हम लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में स्थिति यह है कि खपत की गई विद्युत की कुछ मात्रा का केवल 40 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है। इसमें दिल्ली विद्युत बोर्ड एक गंभीर आर्थिक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली विद्युत बोर्ड हमें उस कड़ी कार्यवाही के बारे में जानकारी देता रहा है जो वह विद्युत की चोरी रोकने के लिए कर रहा है। चूंकि यह प्रश्न विशेष रूप से इससे सम्बन्धित नहीं है अत: मैं आंकड़े नहीं लाया हूं। लेकिन उन्होंने काफी संख्या में मामले लिए हैं इसलिए हम इस स्थिति के बारे में चिन्तित हैं। हमने आज एक बैठक बुलाई है।.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, ममता जी ने कुछ पूछा है और मंत्री जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि अच्छा है..... (*व्यवधान*) आप उनकी बात का उत्तर तो दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : हम बैठकें आयोजित कर रहे हैं। आज शाम भी एक अन्य बैठक आयोजित की जा रही है। दिल्ली सरकार ने आगे बढ़ने और दो सर्किलों अर्थात दक्षिण और पूर्व सर्किल का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सलाहकार आई सी आई सी आई को कदम उठाने के लिए कहा है। सलाहकार द्वारा 40 सप्ताह का समय मांगा गया है। आज शाम हम एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें यह कार्य करने के लिए अपेक्षित समय में कमी करने के माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर विचार किया जायेगा क्योंकि दिल्ली में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु हमें दिल्ली में वितरण प्रणाली के लिए लगभग 1100 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।

इसलिए, एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि दिल्ली विद्युत बोर्ड की वाणिज्यिक स्थिति बहुत खराब है, हमें उस राजस्व जो हमें मिलना चाहिए, के केवल 40 प्रतिशत राजस्व की वसूली हो रही है और दूसरी तरफ इसकी वाणिज्यिक क्षमता नहीं है तथा इसमें निवेश किये जाने की आवश्यकता है तथा मांग में वृद्धि भी हुई है। इसलिए दिल्ली विद्युत बोर्ड में आगे आने और कतिपय क्षेत्रों में कुछ निजीकरण करने और यह देखने का सही निर्णय किया है कि क्या इससे समस्या हल हो सकती है। अथवा क्या कोई अन्य विकल्प ढूंढा जा सकता है। इन मामलों पर विचार करने के लिए आज शाम हम विद्युत मंत्रालय के साथ बैठक आयोजित कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस समस्या पर तत्काल ध्यान दे रहे हैं। मुझे आशा है कि उनकी सहायता से हम इस समस्या को हल कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में रिफार्म्स और एक्शन प्लान का जिक्र किया है। मैं इस प्रश्न से थोड़ा हटकर एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि एक राज्य के एक उद्योगपति ने 40 करोड़ रुपये का बिजली का बिल अभी तक नहीं दिया है लेकिन उसकी बिजली आज भी जारी है। जब आप रिफार्म्स की बात करते हैं, एक तरफ यदि कोई किसान दो महीने बिजली का बिल जमा नहीं करता तो तीसरे महीने उसकी बिजली काट दी जाती है। इस उद्योगपति के ऊपर 40 करोड़ रुपए का बकाया है और उसकी बिजली आज भी चालू है। यह राजस्थान राज्य की बात है जहां से मैं चुनकर आता हूं। इसके अलावा दिल्ली से तीन कि॰मी॰ दूर एक आश्रम है, जिसके ऊपर लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। जब मैं इंटरनल सिक्यूरिटी मिनिस्टर था, तब मेरे पास भी खबर आई थी लेकिन अभी तक उसकी बिजली काटी नहीं है। जब आफ रिफार्म्स और एक्शन प्लान की बात करते हैं तो क्या इस संबंध में कोई एक्शन लेंगे? यदि किसी उद्योगपति द्वारा 40 करोड़ रुपये का बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे?.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता : यह एक विशेष प्रश्न है, अत: हम विशेष उत्तर चाहते हैं।.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : क्या आप बतायेंगे कि 40 करोड़ रुपये का जो बिल पे नहीं हुआ है, वह किन के समय में पे नहीं हुआ है?

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ और अधिक ब्यौरा दे दें तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं सम्बन्धित राज्य सरकार को भुगतान की वसूली करने और आवश्यक हो तो विद्युत का कनैक्शन काटने हेतु भी तत्काल कदम उठाने के लिए पत्र लिख कर कहूंगा। .....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : मैं राजस्थान प्रान्त के एक उद्योगपति द्वारा 40 करोड़ रुपये के बिल अदा न करने के बारे में कह रहा हूं, आप पता करके बताईये।

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं मुख्य मंत्री और राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को ब्यौरा देने और माननीय सदस्य को विशेष रूप से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखूंगा.....(*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट : यह 40 करोड़ रु. का मामला है। माननीय मंत्री को इसका पता लगाना चाहिए।....(*व्यवधान*)

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, आप इस विशेष मामले में कार्यवाही करने में माननीय मंत्री की सहायता कर सकते हैं।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने उन्होंने बताया है कि मैं मुख्य मंत्री और राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को एक पत्र लिखूंगा। तत्पश्चात, ज्योंही मुझे ब्यौरा प्राप्त होगा, मैं माननीय सदस्य को एक पत्र लिख दूंगा।

आश्रम मामले के सम्बन्ध में मैं विवरण का पता लगाऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आश्रम पर बिल देय हैं और यह उस समय की बात है जब मेरे माननीय मित्र मंत्रिमण्डल में थे.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर : उसमें क्या होता है, बिल तो आपको रिकवर करना है।

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु राज्य में 508 मिलियन यूनिट विद्युत की मांग है। तमिलनाडु राज्य की भौगोलिक लाभदायक स्थिति को देखते हुए क्या केन्द्र सरकार बंगाल की खाड़ी में बजरा आधारित विद्युत इकाई की स्थापना करेगी ताकि इसमें 508 मिलियन यूनिट की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यदि हां तो प्रति यूनिट आपूर्ति की लागत क्या है और केन्द्र सरकार ऐसी इकाई कब तक स्थापित कर देगी?

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी क्षेत्र के निगमों-एन टी पी सी अथवा एन एच पी सी का बजरा आधारित परियोजनाओं में कोई अनुभव नहीं है। लेकिन तीन राज्य सरकारें ऐसी है जिन्होंने विशेष रूप से अपने राज्यों में बजरा आधारित परियोजनाओं की मांग की थी। वे राज्य कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गोवा हैं।

लेकिन मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि यदि तमिलनाडु की वास्तव में बजरा आधारित परियोजना में रुचि है तो उन्हें हमें पत्र लिखना चाहिए। हम उन्हें अनुमति देने पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। मेरे विचार से माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि वह पद्धति जिसके द्वारा ऐसा किया जाता है, शुल्क सम्बन्धी प्रतियोगी निविदा आमंत्रित करता है।

प्रो॰ रीता वर्मा : महोदय, कम से कम एक महिला सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : यदि तमिलनाडु राज्य शुल्क सम्बन्धी प्रतियोगी निविदा आमंत्रित करके उचित शुल्क प्राप्त कर लेती है और यदि वह बजरा आधारित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

श्री टी॰ आर॰ बालू : परियोजना की लागत क्या है?

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैं कैसे जान सकता हूं? इसका केवल तभी पता चलेगा। जब आप निविदा प्रस्तुत कर लेगें।

श्री सुधीर गिरि : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह देखा गया है कि विद्युत उत्पादन में मई 1997 की तुलना में मई, 1998 में 11.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा विद्युत सयंत्रों में अधिक विद्युत का उत्पादन करने के लिए नये विद्युत सयंत्र चालू किये गये थे। यदि मौजूदा विद्युत सयंत्रों में सुधार करने के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि होती है तो राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पूरक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके आधार पर मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे बिजली का उत्पादन करने वाली विदेशी फर्मों पर निर्भर करने की बजाय क्षमता उपयोगिता पर निर्भर करेंगे।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई सुधार हुआ है तो दो कारकों की वजह से हुआ है। अप्रैल-मई 1998 के दौरान सयंत्र भार कारक में वर्ष 1997-98 के दौरान 64.7 प्रतिशत की तुलना में 66.9 प्रतिशत तक का

कार्य सचांलनात्मक सुधार हुआ है। इस वर्ष 2 प्रतिशत सयंत्र भार कारक की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, हमें 1996-97 के दौरान 1624 मेगावाट की तुलना में 1997-98 के दौरान 3200 से भी अधिक मेगावाट की क्षमता वृद्धि से भी सहायता प्राप्त हुई है। इसलिए यह बढ़ी हुई अतिरिक्त क्षमता और बेहतर कार्य क्षमता दोनों का मिश्रण है। अत: निर्भरता के संबंध में मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। हम राष्ट्र हित में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में बढ़ाये जा रहे विद्युत उत्पादन पर निर्भर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द खंडूडी, एवीएसएम : अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं, कुछ सूचनाएँ दी हैं। अखिल भारतीय स्तर पर मई 1997-98 में 12.1 प्रतिशत की कमी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश इस देश का बहुत बड़ा प्रदेश है। उसमें 14 प्रतिशत से 11 प्रतिशत की कमी दिखाई गई है, लेकिन साथ ही जब योजना दिखाई गई है तो पूरे साल में केवल छ: मैगावाट वहां पर वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है, जितना लक्ष्य था, उसमें दोगुने या तिगुने गांवों में वास्तव में विद्युतीकरण हो रहा है, ऐसा आपने प्रश्न 288 के जवाब में कहा है। उदाहरण के लिए, एक साल 480 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जबकि 1358 गांवों में विद्युतीकरण हुआ बताया गया है।

मेरे प्रश्न का भाग 'क' है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अगर सिर्फ साल में छ: मैगावाट की वृद्धि हो रही है तो वह किन कारणों से है? क्या आपने इन कारणों का पता लगाया है और इसको बढ़ाने के लिए आपने क्या कार्रवाई की है?

भाग 'ख' में मैं उत्तरांचल की समस्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हर साल आपके मुताबिक हमारे यहा 120 गांवों के विद्युतीकरण का टार्गेट होता है लेकिन साल के बीच में उसको घटाकर 60 कर दिया जाता है और साल के अंत में पांच से 15-20 गांव तक रह जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कौन से गांव है जहां टार्गेट से दुगने-तिगुने गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है ? क्या माननीय मंत्री जी उत्तरांचल के बारे में आंकड़े देंगे? अगर अभी नहीं है तो उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही इस बात की जांच करांएगे कि क्यों पिछले पांच सालों से टार्गेट बराबर घटता जा रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : ग्रामीण विद्युतीकरण के समय में आज की प्रश्न सूची में एक विशेष प्रश्न अर्थात् प्रश्न सं. 7 है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खन्डूडी, एवीएसएम : कृपया प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दें।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैं निश्चित रूप से प्रश्न के उस भाग का उत्तर दे सकता हूं।

मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि वे चाहें तो मैं उत्तर प्रदेश और प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य की पहाड़ियों में उन गांवों, की जिनका विद्युतीकरण किया गया है, की संख्या के संबंध में ब्यौरा प्राप्त करके उन्हें दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति, अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के संबंध में थोड़ी कमी हुई है। परंतु मैं इस सभा को यह अवश्य बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने केवल केन्द्रीय क्षेत्र की ही नहीं वरन् राज्य क्षेत्र की भी अतिरिक्त विद्युत बेहतर करने हेतु आकस्मिक उपाय किए हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि वे अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के लिए नौंवी योजना में बड़े साझेदारों में से एक होंगे।

श्री कमल नाथ : माननीय मंत्री ने हमें भविष्य की आशावादी तस्वीर दी है। परंतु यह कहना कि बहुत सारे पी॰ पी॰ ए॰ तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, पर्याप्त नहीं है। इन सभी पी॰ पी॰ ए॰ तथा समझौता ज्ञापनों के क्रियान्वयन का वित्त पोषण प्रतिबंधक कारक के अध्याधीन होगा, जो 'एस्क्रो' द्वारा उस राशि तक सीमित किया जाएगा जो वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय संस्थानों ने 'एस्क्रो' द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आधार पर विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण पर सीमा निर्धारित की है। जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य के पास सी॰ ई॰ ए॰ द्वारा स्वीकृत अनेक परियोजनाएं हो सकती हैं, सी॰ ई॰ ए॰ ने मध्य प्रदेश के लिए हजारों मेगावाट बिजली की पैरियोजनाओं हेतु स्वीकृति दी है। परंतु वित्तीय संस्थान गलत उद्देश्यों से कार्य कर रहे हैं और इस पर लगभग 25 प्रतिशत तक प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या विद्युत मंत्रालय इस बारे में वित्तीय संस्थानों से बात कर रहा है कि 'एस्क्रो' द्वारा यहां प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? क्योंकि यदि हम इस भ्रम में रहेंगे कि सभी पी॰ पी॰ ए॰ और समझौता ज्ञापनों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा तो हमारे सामने दस वर्ष के बाद भी यही परिदृश्य होगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात इसे सुनिश्चित करना है। हमें विश्व के वित्तीय संस्थानों के बारे में चिंतित हैं परंतु यहां हमारे वित्तीय संस्थान प्रतिबंध लगा रहे हैं तो क्या नई विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही पिट-हैड स्टेशनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अत:, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है : क्या मंत्री जी वित्तीय संस्थानों के साथ मामले पर विचार करेंगे? और प्रश्न का दूसरा भाग है: क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि पिट-हैड स्टेशनों को बाकी सभी की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाए?

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मेरे विचार से मुझे इस बात को स्पष्ट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर संक्षेप में चाहता हूं।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैं बहुत संक्षेप में उत्तर दूंगा।

'एस्क्रो' पर सीमा लगाने के संबंध में कहना चाहता हूं कि वित्तीय संस्थान ने 'एस्क्रो' पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है वस्तुत:, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा राजस्व धारा के कारण प्रतिबंध स्वत: लग गया है। माननीय मंत्री जी के गृह राज्य मध्य प्रदेश में विद्युत क्षमता स्पष्टत: 2000 मेगावाट है क्योंकि संभव क्षमता उस राजस्व पर निर्भर करती है जो राज्य बिजली बोर्ड को प्राप्त हुआ है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने मामले पर 'एस्क्रो' के साथ बातचीत की है, जो संभव है और प्रतिभूति के अन्य तरीकों का पता लगाए और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं परंतु पिट-हैड विद्युत स्टेशनों के संबंध में, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री को लिखा है कि यह उपयुक्त होगा कि वे पिट-हैड विद्युत स्टेशनों को प्राथमिकता दें क्योंकि ईंधन के परिवहन की लागत वहां न होने से विद्युत लागत निरंतर काफी कम आती है।

श्री वी॰ सत्यमूर्ति : विद्युत आपूर्ति के मामले में तमिलनाडु में वितरण बहुत खराब है। विद्युत आपूर्ति की मौजूदा कमी तमिलनाडु में पहले कभी भी महसूस नहीं की गई थी। हमारे माननीय विद्युत मंत्री तमिलनाडु के हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री वी॰ सत्यमूर्ति : सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण के मामले में पक्षपात कर रही है। विशेषरूप से तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में न तो दिन में और न ही रात को बिजली आती है। कम वोल्टेज के कारण लगभग 99 प्रतिशत कृषि विद्युत पंप जल गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यमूर्ति, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री वी॰ सत्यमूर्ति : किसान बहुत पीड़ित है। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में व्याप्त स्थिति बहुत खराब है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने किसी समाधान का सुझाव दिया है और क्या राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति की बदतर स्थिति को कम करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई उपाय करने के लिए कहा है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : तमिलनाडु में स्थिति गंभीर है परंतु जब हम तुलना करते हैं तो उतनी गंभीर नहीं है जितनी अन्य राज्यों में है। परंतु यह सच है कि विद्युत के बारे में थोड़ा पक्षपात दिखाई देता है, अर्थात् .....*(व्यवधान)*

श्री टी॰ आर॰ बालू : माननीय मंत्री जी यह बताएं कि किस तरह का भेदभाव है। उन्हें मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। प्रश्नकाल में मामले को राजनीति का रंग देना मूर्खतापूर्ण है। माननीय मंत्री मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह आवश्यक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : हम कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ऑन पावर ने बताया है कि नाईन्थ प्लान में 57,000 मैगावाट का शार्टफाल आने वाला है। आपने पालिसी बनाई। नाफ्था के बारे में शुरू में आपने कहा कि नाफ्था से पावर जनरेशन को हम सहयोग दे रहे हैं। लेकिन दो महीने पहले आपने नाफ्था की एक पालिसी बनाई, डीसैंट्रलाईज किया और अभी आप सैंट्रलाईज कर रहे हैं। जब तक मिनिस्ट्री क्लीयरैंस नहीं देती तब तक नाफ्था की कोई यूनिट नहीं देनी, इस तरह की पालिसी का एक सर्कुलर हमारे पास है। यदि आप चाहें तो मैं कल लाकर बताऊंगा। न्यूक्लियर टैस्ट पोखरन-II होने से पहले, दिल्ली का पावर जनरेशन ज्यादा मिलने के लिए भारत की एक हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी की पाकिस्तान से बात हो रही थी कि भारत के लिए पावर जनरेशन के लिए एम॰ ओ॰ यू॰ हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, यह अति महत्वपूर्ण है। पोखरण-दो के पश्चात् स्थिति क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत कर रही है अथवा कि कोई विशेष दल पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है अथवा संपर्क कर रहा है यदि नहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश को गंभीर खतरा है। हम पड़ोसी देशों से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। इस विस्फोट के कारण इसे पूर्णत: रोक दिया गया है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : पहली बात, 57,000 मेगावाट अनुमानित आंकड़ा था। नौवीं योजना में उत्पादन आंकड़ों, मांग उत्पादन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के परामर्श से 40,000 मेगावाट का प्रस्ताव किया है।

मैं नैफ्था के बारे में एक बात और बता दूं कि दो माह पहले पूर्व तरल ईंधन नीति को बदलने के लिए किसी नई नीति की घोषणा नहीं हुई थी। ईंधन नीति की घोषणा करने से कुछ दिन पहले ही यह परिवर्तन हुआ है। हम इसका क्रेन्द्रीयकरण कर रहे हैं। इसके विपरीत, नैफ्था को छोड़कर अन्य सभी ईंधनों को तरल ईंधन नीति में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार तरल ईंधन एककों को अपना विकल्प चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। हम के अस्थिर मूल्य तथा अन्य रूपों में वाष्पशीलता के कारण केवल एक ही ईंधन अर्थात् 'नैफ्था' तक सीमित हैं। इसे वास्तव में विश्वभर में उत्पादन परियोजनाओं के लिए अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है। इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। परंतु क्योंकि विगत में वायदे किए गए थे इसलिए हम अनुमति दे रहे हैं। वस्तुत: हमने इसे नैफ्था के लिए थोड़ा बढ़ाया है - 3,000 मेगावाट।

अन्य ईंधनों के संबंध में, चाहे वह एल॰ एस॰ एच॰ एस॰ है, संघनित गैस अथवा मिश्रण अथवा एफ॰ ओ॰ है, हमने कहा है कि ये वह सब है जो बिना किसी प्रतिबंध के बाहर से आते हैं और इस प्रकार इस संबंध में वास्तव में उदारीकरण का बड़ा कार्य कर रहे हैं।

पाकिस्तान से विद्युत के संबंध में मैं कार्यवाही वृतांत में उल्लेख करने के लिए यह कहना चाहता हूं कि विगत में कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें कुछ बहुआयामी एजेंसियों से कुछ जानकारी मिली है कि इसकी संभावना है। मैं आपको यह बता हूं कि विस्फोट के बाद यह बात आई है। हमने दिलचस्पी दिखाई है परंतु कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया है। इसके विपरीत, हमें जो भी जानकारी मिली हैं उसके अनुसार पाकिस्तान इस समय अपनी फालतू विद्युत बेचना नहीं चाहता क्योंकि वे स्वयं विश्वास करते हैं कि उनके पास फालतू विद्युत नहीं है। उन्होंने यह निर्णय लिया है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि परमाणु परीक्षणों से इस संबंध में किसी भी तरह कुछ नहीं बदला है।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि विशाखापट्नम में हिन्दुजा विद्युत परियोजना की आधारशिला रखे जाने के बाद तीन प्रधानमंत्री और दो मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गयी थी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे अभ्यावेदन के जवाब में मंत्री हम लोगों से कह रहे हैं कि उन्होंने बैठक की है, उन्होंने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं और वे इसे आरंभ करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक सुनिश्चित प्रतिबद्धता तथा उत्तर चाहता हूं कि अपनी संपूर्ण सक्रियता के साथ वे आंध्र प्रदेश की जनता को कब तक 500 मे.वा. का हिन्दुजा विद्युत परियोजना दे रहे हैं। सभी स्थायी समस्याओं का निराकरण करते हुए वे कब तक इसे आरंभ करने जा रहे हैं।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जापान द्वारा प्रतिबंध लगाने से क्या विशाखापट्नम की सिमाद्री परियोजना भी प्रभावित होने जा रही है? मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें देश में संचरण पद्धति के आधुनिकीकरण के लिए 2,00,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्हें यह रुपया कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सम्माननीय सभा में मेरे प्रश्न के इन दोनों भाग का उत्तर दें।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, सिमाद्री परियोजना के संबंध में, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ... .(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : बिहार भी भारत के अंदर है और विद्युत की समस्या बिहार में भी है.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि और हम इस पर पूरी चर्चा करना चाहते हैं.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आधा घंटा चर्चा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, यदि वे इस पर चर्चा करना चाहते है तो मैं सबसे ज्यादा इच्छुक हूं.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 283।

(*व्यवधान*)

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, क्या मै अपना उत्तर पूरा कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, मेरी बातें रिकार्ड में आनी चाहिए....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, बिहार पर भी आया जाये.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर सदस्यगण इच्छुक हैं, मैं इस विषय वर आधा घंटा चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करते हुए, यदि इस विषय पर आधा घंटा चर्चा करने या पूरी चर्चा की अनुमति दी जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 283 लिया जाए।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सिमाद्री परियोजना के बारे में यह बताना चाहता हूं कि उस परियोजना के संबंध में सभी कुछ तैयार है और सिमाद्री परियोजना समय पर तैयार हो जाएगा।

दूसरी परियोजना के बारे में इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से काउंटर-गारंटी जारी कर दी जाएगी और परियोजना शुरू हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं॰ 283 लिया जाये।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : मैं यह कह रहा हूं कि बिहार के पिछड़ा

होने के कई कारणों में विद्युत भी है और वहां की बात नहीं हो रही है. ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अल्प अवधि चर्चा। अल्प अवधि चर्चा के लिए मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष जी, बिहार का मामला रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी : महोदय, यह क्या है? हर समय आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप मेरे साथ भेद-भाव कर रहे हैं।.... (*व्यवधान*) प्रश्न की तुलना में उत्तर बड़ा था.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : बिहार भी भारत में है, वहां पर बिजली की बहुत कमी है .....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 283। श्री जंग बहादुर सिंह पटेल। जो श्री पटेल ने जो कहा है उसके सिवाय कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, इसीलिए मैंने अल्प अवधि चर्चा की अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री जनार्दन रेड्डी : हर समय....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अल्प अवधि चर्चा की अनुमति दी है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : हमारी बात भी सुनी जाए, मैंने बहुत देर से हाथ उठा रखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल ने जो कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं पहले ही अल्प अवधि चर्चा की अनुमति दे चुका हूं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, यह ज्यादती है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल ने जो कुछ बोला है उसके अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह अच्छा नहीं है, आप अनावश्यक ही समय व्यर्थ कर रहे हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास अठावले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसके लिए समय निर्धारित करे दें।

अध्यक्ष महोदय : कर देंगे। श्री जंग बहादुर पटेल।

[अनुवाद]

शिक्षण कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटन

+

***283. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :**
श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998-99 के केन्द्रीय बजट में 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटन कम कर दिया गया है;

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में उक्त कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ग) इस अवधि के दौरान आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया;

(घ) इसके राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 8 जून, 1998 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'कृशियल एजूकेशन प्रोग्राम्स सफर रिडक्शन इन बजटरी एलोकेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(च) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मामले के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

(क) से (घ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के लिए वर्ष 1998-99 का आबंटन पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत किया गया व्यय तथा आबंटन निम्न रूप में है :

वर्ष	आबंटन	व्यय
	(करोड़ रुपयों में आंकड़े)	
1996-97	279.00	291.47
1997-98	304.00	299.00

वर्ष 1996-97 के दौरान खर्च 12.47 करोड़ रुयये था जो बजट अनुमान से अधिक था और वर्ष 1997-98 का खर्च 5.00 करोड़ रुपये था जो बजट अनुमान से कम था। वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों में 301 करोड़ रुपये तक कमी की गई है। जिनमें से 2 करोड़ रुपये मीडिया और प्रचार कर उपयोग नहीं किए जा सके।

वर्ष 1998-99 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटन 93.97 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष से 33.03 करोड़ रुपये कम है।

बजट	अनुमान	उपयोग
1996-97	224.50	103.12
1997-98	127.00	79.74

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के संशोधित अनुमानों में क्रमश: 112.16 करोड़ रुपये और 81.42 करोड़ रुपये तक कमी की गई थी। पूर्ण साक्षरता अभियान के विस्तार के स्थान पर समेकन पर जोर देने, सतत् शिक्षा की योजना के संबंध में राज्य सराकर की वचनबद्धता की अनुपलब्धता और राज्य सरकारों की प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाने की योजना के स्थानान्तरण से संबंधित निणर्य के कारण इस राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) यद्यपि आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत राज्यों के पास व्यय न की गई राशि और कक्षा कमरों के निर्माण के संबंध में स्थिति आंशिक रूप से सही है, तथापि वर्ष 1997-98 में खर्च के संबंध में आंकड़े सही नहीं हैं। इस संबंध में किए गए उपचारी उपायों में शामिल है; कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की नियमित समीक्षा, शिक्षण अध्ययन उपस्कर की प्राप्ति प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण और उसे लचीला बनाना और कक्षा के कमरों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना की निधियों को गतिशील बनाने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के साथ अच्छा सहयोग। इस विभाग द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर 22 जून, 1998 के समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग और वर्ष 1998-99 में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के लिए बजटीय आबंटन के संबंध में वास्तविक स्थिति दर्शायी गई है।

जबकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटन से संबंधित तथ्य सही है, इसमें शामिल किए गए जिलों और प्रशिक्षुओं से संबंधित सूचना पुरानी हो गई है। इस समय साक्षरता अभियानों के अंतर्गत 447 जिले शामिल किए गए हैं तथा 68.57 मिलियन व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं। लेखानुसार 401 जिलों तथा 53.19 मिलियन व्यक्तियों का जो उल्लेख है वह नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा के उपचारी उपायों में, साक्षरता अभियान की अनुश्रवण पद्धति में कड़ाई बरतना, साक्षरता कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देना और खरा और अधिक प्रभावशाली मूल्यांकन और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण शामिल है।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने वर्ष 1998-99 के बजट एलोकेशन का विवरण नहीं दिया है। वर्ष 1997-98 में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के लिए 304 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिसमें से 299 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन वर्ष 1998-99 में केवल 60 लाख रुपये इसके लिए एलाट किए गए हैं। लेकिन यह सूचना 1998-99 के बजट में नहीं दी गई है। बजट में कमी के जो कारण बताए गए हैं उनमें एक कारण यह भी बताया गया है कि कुछ राज्यों ने पिछली आबंटित राशि का खर्च नहीं किया। इसलिए उनके पास पैसा पड़ा है और काफी पैसा पढ़ाई-लिखाई के मैटीरियल का राज्यों के पास

पड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों के पास पिछला पैसा पड़ा हुआ है क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और इस योजना को सफल बनाने के लिए कुछ और कार्यक्रम बनाएंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, क्या पिछले दो वर्षों में एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में जो धनराशि आवंटित की गई है, वह घटा दी गई है। इसका उत्तर भी प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट है। वर्ष 1998-99 में एडल्ट एजूकेशन के लिए 93.97 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : मैं आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पूछ रहा हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी का एक हिस्सा है। आपका सवाल आपरेशन ब्लैक बोर्ड और एडल्ट एजूकेशन कार्यक्रम दोनों के बारे में है।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : मैं एडल्ट एजूकेशन के बारे में बाद में पूछूंगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आपने सवाल किया है कि पैसा कहां घटा है और इसका उत्तर भी आपने स्वयं दे दिया है कि बहुत से राज्यों ने उस धन का पूरा उपयोग नहीं किया है। लेकिन आप आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में देखेंगे....

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : आपने कहा है कि 22 जून का अखबार पढ़ लीजिएगा, हम 22 जून का अखबार कहां से लायेंगे।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 22 जून के अखबार में जो खबरें निकली है, वे सही है और 8 जून के अखबार में जो खबरें निकली हैं, वे गलत हैं। 22 जून के अखबार में हमने स्पष्ट किया है -

[अनुवाद]

"सरकार का वर्ष 1999 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण विचारित योजना भी पिछड़ रही है। इसके लिए 1997-98 के बजट में कुल 135 करोड़ रुपये निर्धारित किए गये थे, लेकिन एक करोड़ से भी कम खर्च किए गये। फलस्वरूप वर्ष 1998-99 के प्रस्तावों में इस योजना के लिए सिर्फ 60 लाख रुपये ही बजट में रखे गये हैं।"

इसी अखबार में आगे लिखा है -

"पिछले दस साल से चलते आ रहे इस कार्यक्रम के लिए लगभग 1.5 लाख एकल कमरा वाले स्कूलों को दो कमरे वाले और एक कमरे के लिए दो शिक्षक में परिवर्तित करने के लिए काफी धन अर्थात् 2100 करोड़ रुपये दिया गया है, साथ ही लगभग 5.2 लाख स्कूलों को शिक्षक और पठन सामग्री भी दी गई है।

राज्य सरकारों द्वारा अधिक मात्रा में धन का उपयोग अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक का उपयोग करने से इस कार्यक्रम ने राजकोष को भी प्रभावित किया है क्योंकि चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 में यह धनराशि 300 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गयी है जोकि पिछले वर्ष के प्रावधान से अधिक है।"

[हिन्दी]

इन सारी चीजों के लिए-एडल्ट एजुकेशन, आपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा कन्टिन्युइंग शिक्षा के लिए हमने बजट में पर्याप्त व्यवस्था की है। किसी-किसी राज्य में जहां इस राशि का उपयोग नहीं हो पाया है, उनको हिदायत दी गई है कि वे इसका ठीक उपयोग करें। इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इवेल्यूशन की व्यवस्था की गई है और यह कार्य भी ऐसी एजेंसियों के द्वारा करवा रहे है, जो कि जिले के बाहर की हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से जो आंकड़े आते हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों से इवेल्यूएट कर रहे हैं। इस तरह से इन कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। लिट्रेसी कार्यक्रम को किसी भी हालत में और उसके किसी भी कम्पोनेंट को डाइल्यूट नहीं करेंगे।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : महोदय, कुछ राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु और वैस्ट बंगाल आदि राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा योजना सफलता पूर्वक चली है।.....(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : कुछ नहीं हुआ है।....(*व्यवधान*)

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : लेकिन खासतौर से हिन्दी भाषी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, यह योजना बहुत ही असफल रही है, बल्कि पूरी तरह से फेल-सी रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इन राज्यों के कोई विशेष अभियान चलाकर या अलग से ज्यादा फन्ड की व्यवस्था करके, उन्हें अन्य राज्यों के समकक्ष लाने की कोई कोशिश करेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की तरफ ध्यान दिलाया है। ये राज्य ऐसे हैं, जहां पहले ही साक्षरता की दर बहुत कम थी और विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम थी। इसलिए इन राज्यों में विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार ने महिलाओं में शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए और साक्षरता को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब धीरे-धीरे देश में महिलाओं की शिक्षा दर बढ़ती जा रही है। सरकार ने इस बार महिला शिक्षा को ग्रेजएट कक्षा तक नि:शुल्क करने का प्रावधान किया है। इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। मैं यह भी बताना चाहता हूं, कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें नि:शुल्क देने का प्रावधान है, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने की जो दर है, वह बढ़े। बिहार,

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश - इन क्षेत्रों में इसका अभाव है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार ने इस बारे में विशेष कदम उठाए हैं। वहां शिक्षा की दर बढ़ रही है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के कदम अन्य राज्यों में भी उठेंगे। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक अगस्त के महीने में होने वाली है, उस बैठक में इस प्रश्न को हम गंभीरता से लेंगे।

श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इस योजना के अनुसार प्रत्येक स्कूल में पांचवी कक्षा तक पांच कमरे और आठवीं कक्षा तक हर क्लास के कमरे होने चाहिए। क्या यह सही है कि राजस्थान के कोटा जिले में हुडला, जटवारा और खुरी जैसे गांवों में स्कूल के नाम पर मात्र एक कमरा है, बच्चों को बैठने के लिए कमरे नहीं हैं, उनके पास पढ़ाई के साधन नहीं हैं, पट्टियाँ फटी हुई हैं, छतें टूटी हुई हैं? महोदय, आठ साल से आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत मिली राशि का कहां ठीक ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय इन पिछड़े हुए क्षेत्रों का सर्वे करायेंगे? हुडला जैसे गांव में बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं है जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में सर्वे कराकर क्या आप संसाधन उपलब्ध करायेंगे? आपकी घोषणा में रिमोट क्षेत्रों के विकास के लिए स्पष्ट लिखा है कि वहां सर्वे कराकर संसाधन उपलब्ध करायेंगे, बच्चों के बैठने के लिए प्रति क्लास एक कमरा उपलब्ध करायेंगे। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इन तरह की योजनाओं को साकार करने के लिए क्या आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करायेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत जहां किसी स्कूल में एक कमरा है, वहां दूसरा कमरा बनाने के लिए हमारी तरफ से सहायता दी जाती है। उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, जिसे आप इक्विपमेंट कहते हैं, टोटल लिट्रेसी की बात है, उसके लिए भी प्रावधान है। जहां एक अध्यापक है, वहां बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने के लिए, दूसरा अध्यापक देने के लिए हमारी तरफ से पैसा दिया जाता है। यदि वे तीसरे अध्यापक के लिए आगे आते हैं, तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। आपने जिन गांवों का उल्लेख किया है, यदि आप निश्चित रूप से लिख कर देंगे कि वहां क्या-क्या कमी मिली है, तो राजस्थान सरकार से उसकी जांच कराके आवश्यक तथ्य आपको भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, समय बहुत कम है। जहां तक हमारे साक्षरता कार्यक्रम का संबंध है, माननीय मंत्रीजी द्वारा दिया गया उत्तर धूमिल छवि प्रस्तुत करता है। उत्तर दर्शाता है कि दो वर्षों अर्थात् 1996-97 और 1997-98 में 175 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गये। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा उत्तर चाहता हूं। कौन से राज्य इसके लिए जिम्मेवार हैं और 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' के लिए 5 करोड़ रुपये *तथा 'वयस्क शिक्षा' के लिए 170 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस* संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं। देश की स्थिति यह है कि 50 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। क्या आप शीघ्र उत्तर देंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, किन-किन राज्यों द्वारा धनराशि खर्च नहीं की गई है इस बारे में राज्यवार सही जानकारी भी आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानकारी एकत्रित करके आपको दूंगा। लेकिन आप देखते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, आपरेशन ब्लैकबोर्ड और सतत् शिक्षा कार्यक्रम ने काफी उत्साह और प्रगति का प्रदर्शन किया है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह कार्यक्रम पूरी तरह असफल रहा है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : कुछ राज्यों या कुछ क्षेत्रों में यह पूरी तरह असफल हो सकता है। लेकिन इस योजना की कुछ बहुत अच्छी विशेषताएं भी हैं। अब तक 5.23 लाख प्राथमिक स्कूलों को इसके अंतर्गत लिया जा चुका है और 1.49 लाख एकल-शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूल में परिवर्तित किया जा चुका है।

श्री अजित कुमार पांजा : माननीय मंत्री जी, मैं खेद व्यक्त करता हूं। कृपया बताएं कि कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं। हमारी शिक्षा और हमारे गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए करदाताओं का 1.75 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : यह योजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इन क्षेत्रों में, राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कोई अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहा है तो मैं इस मामले की जांच कराऊंगा। अन्यथा, यह जानकारी एकत्रित की जाएगी....(*व्यवधान*)

श्री अजित कुमार पांजा : मैं आपके विभाग में कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों किसी संबंधित अधिकारी के बारे में जानकारी दूं। पहले, उत्तर दिया जाना चाहिए। यह अत्यंत ही गंभीर है....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

(*व्यवधान*)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : श्री पांजा जी, यह योजना पिछले कई वर्षों से चल रही है। पिछले तीन महीनों और कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है। मैं सिर्फ उसके लिए जिम्मेवार हूं.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी द्वारा दिये गये विवरण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : इन तीन महीनें और कुछ दिनों में

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार ने इस बारे में काफी गंभीर कदम उठाए हैं मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दस वर्षों में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेवारी विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों की है।

श्री अजित कुमार पांजा : धन्यवाद, मंत्री महोदय।

सार्वजनिक टेलीफोन

*284. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक ग्राम में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करवानें के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों की तुलना में क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग ने देश के सभी ग्रामों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1994-95 से 1997-98 तक राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। 1998-99 के लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दर्शाये गये हैं।

विवरण-I

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का कार्यक्रम

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यक्रम का लक्ष्य तथा उपलब्धियां

1994-95 से 1997-98 तक

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 तैयार होने से लेकर

दूरसंचार सर्किल	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के बाद 1994-95 से 1997-98 तक कुल लक्ष्य	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के बाद 1994-95 से 1997-98 तक कुल उपलब्धियां
1	2	3
अंडमान और निकोबार	634	196
आंध्र प्रदेश	13400	8806
असम	12900	8250
बिहार	39964	10069
गुजरात	9000	5182
हरियाणा	4220	3244
हिमाचल प्रदेश	7000	4285
जम्मू और कश्मीर	4700	1926
कर्नाटक	16200	15833
केरल	18	18
मध्य प्रदेश	32949	21128
+ महाराष्ट्र	21700	16213
* उत्तर पूर्व	6300	2036
उड़ीसा	27719	13344
पंजाब	9140	5776
राजस्थान	23840	14537
तमिलनाडु	8869	7793
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	61500	22637
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	29800	6969
*पश्चिम बंगाल	27700	10680
दिल्ली	47	22
कलकत्ता	400	421
जोड़	358000	179365

* उत्तर पूर्व सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड राज्य सम्मिलित हैं।

+ महाराष्ट्र सर्किल में महाराष्ट्र और गोवा राज्य सम्मिलित हैं।

* पश्चिम बंगाल सर्किल में पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं।

विवरण-II

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का कार्यक्रम 1998-99 के लिए कम किया गया संशोधित लक्ष्य

क्रम सं.	सर्किल	1.7.98 को निर्धारित संशोधित लक्ष्य
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	53
2.	आंध्र प्रदेश	400
3.	असम	2900
4.	बिहार	6000
5.	गुजरात	0
6.	हरियाणा	20

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	1000
8.	जम्मू व कश्मीर	1000
9.	कर्नाटक	2500
10.	केरल	0
11.	मध्य प्रदेश	4000
12.	+महाराष्ट्र	2700
13.	*उत्तर पूर्व	1000
14.	उड़ीसा	2400
15.	पंजाब	345
16.	राजस्थान	2540
17.	तमिलनाडु	142
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7500
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5500
20.	* पश्चिम बंगाल	5000
21.	कलकत्ता	0
	जोड़	45000

* उत्तर पूर्व सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्य सम्मिलित हैं।

+ महाराष्ट्र सर्किल में महाराष्ट्र और गोवा राज्य सम्मिलित हैं।

* पश्चिम बंगाल सर्किल में पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं।

श्री चमन लाल गुप्त : मेरा यह प्रश्न यह है कि जो टारगेट पहली टेलीकाम पालिसी के तहत रखे गए थे, जो पालिसी 1994 में बनी थी, उसके मुताबिक 1997 तक सारे गांवों में टेलीफोन देने थे परंतु मैं समझता हूं कि आज तक आधे से भी कम लोगों को टेलीफोन दे पाए हैं। अब जो रिवाइज टारगेट रखा है कि नौवें प्लान तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि नौंवे प्लान तक आपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई है, काया कार्यवाही की है? दूसरी बात यह है, खासकर जम्मू कश्मीर में टारगेट 4700 गांवों तक टेलीफोन पहुंचाना था लेकिन अभी तक लगभग डेढ़ हजार गांवों तक ही टेलीफोन पहुंचा पाए। वहां इमरजेंसी की वजह से बाकी जितने साधन है वे सारे कटआफ हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इंसरजेंसी को देखते हुए क्या मंत्री जी हमारे डोडा जिले में दक्षिण, मडवा, बाडवन और बार्डर के जिलों में टाप प्रियोरिटी देकर तुरंत टेलीफोन पहुंचाने का आश्वासन देंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगी कि पुरानी सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसकी प्राप्ति उन्होंने नहीं की।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उस्मानी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह अच्छी बात नहीं है। यह चर्चा नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है। उसी का जवाब दे रही हूं। माननीय सदस्य ने हमसे जानना चाहा है कि क्या नौंवी योजना तक हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे। मैं सदन में आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहती हूं कि नौंवी योजना पूरी होने तक हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और सभी गांवों में टेलीफोन दे देंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता देने का सवाल है, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि वहां इंसरजेंसी और मिलिटेंसी की स्थिति को देखते हुए हम जम्मू-कश्मीर में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन देगें और उसमें डोडा जिले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री चमन लाल गुप्त : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पिछली बार जिस तरह से टेलीकॉम कमीशन ने एक फैसला लिया था, जिसके अनुसार 60 प्रतिशत टेलीफोन बिल्कुल नये सिस्टम के मुताबिक देने थे, उसे इन्होंने क्यों रिवर्स किया है? इस समय 40 प्रतिशत एमएआरआर के अंडर और बाकी एएआर सिस्टम के तहत आप टेलीफोन दे रहे हैं, नये सिस्टम के तहत दे रहे हैं। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पालिसी को रिवाइज क्यों किया?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि उस फैसले को हमने किन परिस्थितियों के तहत रिवर्स किया है, वे परिस्थितियां हमें विरासत में मिली है। जो परिस्थितियां हमें विरासत में मिली है उनके अनुसार पहले एमएआरआर सिस्टम से टेलीफोन दिए जाते थे।

एक नवम्बर 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला हुआ कि 'मार टैक्नालाजी' को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाए और नयी टैक्नालाजी देखी जाए। जब हमने टेक-ओवर किया तब यह पाया कि एक नवम्बर से उस फैसले के तहत 'मार-टैलीकाम' के लिए जितने भी आर्डर तय किये जाने थे वे आर्डर बंद कर दिये गये और नयी टैक्नालोजी की खोज की जाने लगी। अभी तक क्योंकि नयी टैक्नालोजी उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए हमने बजाए कागजों पर आंकड़े बनाए रखने के जो टार्गेट रखे हैं और उन्हें अचीव भी कर सकें, उसको रिअलिस्टिक बनाने के लिए हमने फैसले को रिवर्स किया।

श्री राजो सिंह : मैं कह रहा था कि ....*(व्यवधान)* उसको आप डी॰ आर॰ से कराइये....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : हाईकोर्ट का स्टे आ गया है .... *(व्यवधान)* मैं आपको बता दूंगी।....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए राज्यों को दूरदर्शन का दूसरा चैनल उपलब्ध कराया जाना

*285. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए राज्य सरकारों को दूरदर्शन का दूसरा चैनल उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) श्रीमन्, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रारंभिक शिक्षा पर अनुमानित व्यय

*286. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :**

श्री चिंता मोहन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व में किये गये वायदे के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यय की जाने वाली राशि का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्यवार इस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान की गईं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर कार्यकारी समूह ने केन्द्रीय क्षेत्र में 79,260 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 46,393 करोड़ रुपये अंतरिम परिव्यय की सिफारिश की है। योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है जो कि निम्नलिखित है :-

	1992-93	1996-97
कक्षा I-V	84.60	90.5
कक्षा VI-VIII	61.35	62.3

योजना अवधि के दौरान सकल नामांकन अनुपात (स॰ ना॰ अ॰) की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्राथमिक (I-V) और अपर प्राथमिक (VI-VIII) कक्षाओं में वर्ष 1992-93 और 1996-97 में सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992-93		1996-97	
		कक्षा I-V	कक्षा VI-VIII	कक्षा I-V	कक्षा VI-VIII
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	74.48	45.60	82.2	45.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	96.20	55.77	96.5	64.9
3.	असम	95.91	69.67	108.9	71.8
4.	बिहार	66.32	41.02	70.7	35.5
5.	गोआ	109.80	102.12	87.1	82.2
6.	गुजरात	115.29	64.67	114.9	67.2
7.	हरियाणा	80.84	65.01	79.9	60.7
8.	हिमाचल प्रदेश	105.42	91.25	95.0	79.3
9.	जम्मू व कश्मीर	70.18	66.28	67.6	65.5
10.	कर्नाटक	101.42	63.75	106.1	61.1

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	102.41	104.12	90.7	93.9
12.	मध्य प्रदेश	89.73	59.95	97.0	61.8
13.	महाराष्ट्र	106.33	79.48	111.4	81.6
14.	मणिपुर	99.70	81.64	78.8	71.1
15.	मेघालय	98.39	57.58	92.8	53.2
16.	मिजोरम	124.33	70.74	113.4	67.9
17.	नागालैंड	87.24	72.87	128.8	62.8
18.	उड़ीसा	93.90	58.93	89.3	54.9
19.	पंजाब	82.89	66.25	80.8	62.9
20.	राजस्थान	75.39	49.21	94.0	56.2
21.	सिक्किम	128.00	56.62	120.8	56.2
22.	तमिलनाडु	125.05	96.11	106.2	91.2
23.	त्रिपुरा	98.53	62.72	87.5	54.8
24.	उत्तर प्रदेश	60.12	48.73	73.4	49.0
25.	पश्चिम बंगाल	84.86	53.76	103.6	87.1
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	114.26	89.24	91.2	91.6
27.	चंडीगढ़	74.02	75.18	69.7	72.5
28.	दादरा व नगर हवेली	88.47	53.84	98.1	53.2
29.	दमन व दीव	101.29	85.35	96.8	68.3
30.	दिल्ली	80.90	89.36	80.8	75.0
31.	लक्षद्वीप	128.72	92.86	112.6	119.9
32.	पांडिचेरी	113.86	106.76	93.8	96.4
	भारत	84.60	61.35	90.5	62.3

निरक्षरता उन्मूलन

*287. **श्री सोनाराम चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में साक्षरता की दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिमी राजस्थान के बाडमेर, जालौर और जैसलमेर जिलों में साक्षरता दर देश में सबसे कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े इन जिलों को शत-प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान के इन जिलों में निरक्षरता को दूर करने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान कोई नई योजनाएं शुरू करने का है ताकि सन् 2005 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता की राज्यवार प्रतिशतता विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। तथापि, इन जिलों में आरंभ किए गए साक्षरता अभियान की लगभग लागत प्रति शिक्षार्थी 100/- रु. की राशि स्वीकृत की गई है जो प्रति शिक्षार्थी 65/- रु. की सामान्य लागत से काफी अधिक है।

(घ) और (ङ.) निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में सरकार का विचार पृथक-पृथक दृष्टिकोण के बजाय एक समन्वित दृष्टिकोण को शुरू करना है। अत: सतत रूप से त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इनमें (1) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रयासों (2) प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने तथा (3) अनौपचारिक शिक्षा को शामिल किया गया है।

यही दृष्टिकोण राजस्थान के तीनों जिलों अर्थात् बाड़मेर, जालौर तथा जैसलमेर सहित संपूर्ण देश में व्याप्त है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (प्रतिशत)		
	राज्य	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69
3.	असम	52.89	61.87	43.03
4.	बिहार	38.48	52.49	22.89
5.	गोवा	75.51	83.64	67.09
6.	गुजरात	61.29	73.13	48.64
7.	हरियाणा	55.85	69.10	40.47
8.	हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.13
9.	कर्नाटक	56.04	67.26	44.34
10.	केरल	89.81	93.62	86.13
11.	मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85
12.	महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32
13.	मणिपुर	59.89	71.63	47.60
14.	मेघालय	49.10	53.12	44.85
15.	मिजोरम	82.27	85.61	78.60
16.	नागालैंड	61.65	67.62	54.75
17.	उड़ीसा	49.09	63.09	34.68
18.	पंजाब	58.51	65.66	50.41
19.	राजस्थान	38.55	54.99	20.44
20.	सिक्किम	56.94	65.74	46.69
21.	तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33
22.	त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65
23.	उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31
24.	पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंड. निको. द्वीप समूह	73.02	78.99	65.46
2.	चंडीगढ़	77.81	82.04	72.34
3.	दादरा और नगर हवेली	40.71	53.56	26.98
4.	दमन और दीव	71.20	82.66	56.40
5.	दिल्ली	75.29	82.01	66.99
6.	लक्षद्वीप	81.78	90.18	72.89
7.	पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63

इसमें जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है क्योंकि वहां वर्ष 1991 में जनगणना नहीं कराई गई थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

*288. **श्री जी॰ गंगा रेड्डी :**

श्री वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली का निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की स्कीमों के अंतर्गत किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण का राज्यवार और वर्षवार संबंधी आंकड़ात्मक प्रगति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान आरईसी कार्यक्रम के अंतर्गत

ग्रामीण विद्युतीकरण का राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिये गया है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणालियां राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन और नियंत्रण में होती है और निजीकरण संबंधी प्रश्न पर निर्णय लेना उनका कार्य है।

(च) ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणालियां की योजना नियंत्रण एवं प्रचालन राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष के आरंभ में विभिन्न राज्यों के लिए पंपसेटों और गांवों के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इन लक्ष्यों पर निर्णय संसाधनों की उपलब्धता राज्यों के प्रस्ताव, राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों की इच्छा और प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थितियों और विगत के कार्य निष्पादन ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के आधार पर किये जाते हैं।

राज्य बिजली बोर्डों (एस०ई०बी०) और राज्य सरकारों के प्रयासों को आर० ई० सी० के जरिए वित्तीय सहायता द्वारा सम्पूरित किया जाता है। आर० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान 2800 गांवों का विद्युतीकरण और 2.51 लाख पम्पसेटों का ऊर्जीकरण शामिल करने का प्रस्ताव है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.45 लाख एकल कनैक्शन समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु 40 करोड़ रु. के अनुदान के जरिए उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आरईसी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीम हेतु राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 1998-99 के दौरान समग्र आर ई सी कार्यक्रम के लिए परिव्यय 1.230 करोड़ रु. है।

विवरण-I

1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

क्र.सं.	राज्य	1995-96				1996-97				1997-98			
		ग्रामीण विद्युतीकरण		पंपसेट का उर्जीकरण		ग्रामीण विद्युतीकरण		पंपसेट का उर्जीकरण		ग्रामीण विद्युतीकरण		पंपसेट का उर्जीकरण	
		वार्षिक लक्ष्य	उप-लब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उप-लब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उप-लब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उप-लब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उप-लब्धियां	वार्षिक लक्ष्य	उप-लब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	0		53000	37145	0	0	22500	44914	0	0	26000	3341
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	121	0	0	95	95	0	0	100	100	0	0
3.	असम	510	222	0	0	280	130	0	0	230	20	0	0
4.	बिहार	400	42	1000	610	325	22	1300	1689	330	2	1700	809
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	28000	15084	0	0	17450	20370	0	3	18000	20146
8.	हरियाणा	0	0	6000	2501	0	0	4000	1849	0	0	4000	943
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	150	201	0	0	150	254	0	0	150	285
10.	जम्मू व कश्मीर	3	43	150	1012	30	12	150	305	30	14	150	503
11.	कर्नाटक	0	0	55000	38601	0	0	35000	30516	0	0	37400	28000
12.	केरल	0	0	15000	12517	0	0	9000	11029	0	0	11000	10348
13.	मध्य प्रदेश	350	503	12800	41855	470	400	32500	44882	500	463	25000	52699
14.	महाराष्ट्र	0	0	47000	92395	0	0	53500	62655	0	0	49000	50758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	मणिपुर	73	163	0	0	74	140	0	0	80	59	0	0
16.	मेघालय	60	0	0	0	41	60	0	0	50	27	0	0
17.	मिजोरम	45	45	0	0	15	9	0	0	15	10	0	0
18.	नागालैंड	Ø	0	0	0	Ø	Ø	0	0	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	220	732	3500	2260	250	350	1600	702	250	800	2200	1524
20.	पंजाब	Ø	0	5000	11004	Ø	Ø	7500	7552	Ø	0	6500	6521
21.	राजस्थान	750	655	17530	17616	550	641	15650	20779	480	680	16000	16000
22.	सिक्किम	Ø	0	0	0	Ø	Ø	0	0	Ø	0	0	0
23.	तमिलनाडु	Ø	0	40000	40649	Ø	Ø	32000	37113	Ø	0	27100	40000
24.	त्रिपुरा	20	15	100	26	20	16	0	0	35	15	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	491	1104	14239	20963	480	1358	16500	15846	500	812	14100	9909
26.	पश्चिमी बंगाल	490	83	1910	1007	370	41	1200	337	400	5	1700	33
	कुल	3562	3728	300379	335446	3000	3274	250000	300792	3000	3010	240000	241819

Ø 100 प्रतिशत विद्युतीकरण उन भागों को छोड़कर जिनका तकनीकी दृष्टि से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता।

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के लिए आरईसी कार्यक्रम के अंतर्गत गांव विद्युतीकरण और पंपसेट उर्जीकरण के राज्य-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	गांवों का विद्युतीकरण	पंपसेटों का ऊर्जन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	20000
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	0
3.	असम	50	0
4.	बिहार	500	2000
5.	दिल्ली *	0	0
6.	गोवा *	0	0
7.	गुजरात *	0	23000
8.	हरियाणा *	0.	1000
9.	हिमाचल प्रदेश *	0	250
10.	जम्मू व कश्मीर	10	250
11.	कर्नाटक	0	25000
12.	केरल *	0	9000
13.	मध्य प्रदेश	350	40000
14.	महाराष्ट्र *	0	61000
15.	मणिपुर	40	0
16.	मेघालय	40	0
17.	मिजोरम	15	0
18.	नागालैंड *	0	0
19.	उड़ीसा	500	2500
20.	पंजाब *	0	5000
21.	राजस्थान	500	16000
22.	सिक्किम *	0	0
23.	तमिलनाडु *	0	30000
24.	त्रिपुरा	20	0
25.	उत्तर प्रदेश	500	15000
26.	पश्चिमी बंगाल	175	1500
	कुल (राज्य)	2800	251500

* जिन राज्यों ने शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण स्तर को घोषित किया है।

यमुना नदी में प्रदूषण

*289. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपए व्यय करने के बावजूद यमुना नदी अभी भी अत्यधिक प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वीकार किया है कि दिल्ली (वजीराबाद) और उत्तर प्रदेश में इटावा के बीच यमुना अत्यधिक प्रदूषित है और इसके पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो यमुना नदी के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत घरेलू प्रदूषण से होने वाले यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 479.56 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में से 31.3.1998 तक 251.74 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली के अलावा हरियाणा के 12 शहरों, उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में शुरू किए गए कार्यों की 31.3.98 तक वास्तविक प्रगति 57 प्रतिशत थी। सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सामूहिक बहिस्राव संयंत्रों के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में से निर्माण कार्यों के लिए 22.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इस परियोजना के लिए निविदाएं मंगवाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने 13 सीवेज उपचार संयंत्रों और सम्बद्ध कार्यों के लिए अपनी निजी योजना के अन्तर्गत 471.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में से 31.3.1998 तक 326.25 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। इनमें से तीन सीवेज उपचार संयंत्र पूरे हो चुके हैं और शेष 10 का कार्य पूरा होने के अंतिम चरणों में है। इनमें से एक यूनिट के जुलाई, 1998, दूसरी अन्य का सितम्बर, 1998, अन्य छह यूनिटों का दिसम्बर, 1998 और शेष दो यूनिटों का क्रमश: जून, 1999 और दिसम्बर, 1999 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नदी से अपना बहिस्राव निस्तारित करने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध भी कार्यवाई शुरू कर दी है। यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार उपर्युक्त सभी कार्य पूरे हो जाने और दोषी उद्योग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने तथा नदी में उपचारित सीवेज के निस्तारण और अन्य बहिस्रावों के प्रभाव के तनुकरण के लिए नदी में स्वच्छ जल के आवश्यक न्यूनतम बहाव होने पर भी सुधार होगा।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाना

*290 **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के चुनाव आयुक्त ने हाल ही में टिप्पणी की है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) निर्वाचन आयोग ने अपने 16 दिसम्बर, 1977 के पत्र द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की पुन:संरचना और उसे सशक्त बनाने के लिए कतिपय प्रस्ताव किए थे जिसमें उस धारा में सूचीबद्ध अपराधों की दोषसिद्धि पर किसी व्यक्ति को निरर्हित करने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि जो कोई किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष होता है तथा 6 मास या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडित किया जाता है, उसे दोषसिद्धि की तारीख से उस पर अधिरोपित दंड की अवधि और 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।

(ख) यदि राजनैतिक दलों के मध्य, निर्वाचन आयोग द्वारा यथासुझाए गई विधि में परिवर्तन करने पर सर्वसम्मति हो जाती है तो सरकार ऐसे प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने पर विचार करेगी।

दूरदर्शन को हानि

*291. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री अजीत जोगी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-1996 के दौरान कतिपय 'कमीशंड' और समाचार कार्यक्रमों को प्रायोजित कार्यक्रमों में परिवर्तित करने और इनमें से कुछ कार्यक्रमों का पुनर्वर्गीकरण करने के कारण दूरदर्शन को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण दूरदर्शन को कुल कितनी हानि हुई और इसमें कौन-कौन सी टी॰वी॰ कंपनियां अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) प्रत्येक टी॰ वी॰ कंपनी पर कुल कितनी धनराशि बकाया है और इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) दिनांक 31.3.95 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया था कि 'दा वर्ल्ड दिस वीक' नामक एक कार्यक्रम के पुन: श्रेणी-निर्धारण के कारण दूरदर्शन को 352.30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इस कार्यक्रम का निर्माण मैसर्स न्यू दिल्ली टेलीविजन ने किया था।

इस मामले पर लोक लेखा समिति ने भी विचार किया है और उन्होंने अपनी 12वीं रिपोर्ट में सरकार की उपयुक्त जांच एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने का निदेश दिया है तदनुसार, इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

त्वरित न्याय के लिए उठाए गए कदम

*292. **डा. उल्हास वासुदेव पाटील** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जनता के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) सरकार ने विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। विधि मंत्री, मुख्य मंत्री और मुख्य न्यायमूर्तियों तथा न्याय प्रशासन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन, आवधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं तथा ऐसे विचार विनिमय और परामर्शों से उद्भूत सिफारिशों और निश्चयों को कार्यान्वित किया जाता है और उनकी प्रगति निकटत: मानीटर की जाती है। त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास की दिशा में, सरकार न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि करने, न्यायालय भवनों और निवास सुविधाओं के सनिर्माण के लिए अतिरिक्त विधि का और उपबंध करके विद्यमान संरचना को सशक्त बनाने, लोक अदालतों तथा माध्यस्थम्, मध्यस्थता और बातचीत जैसी विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाने का आशय रखती है।

[अनुवाद]

महिला साक्षरता

*293. **श्री एम॰ डेनिस** :

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला साक्षरता का राज्य वार प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में महिला साक्षरता कम होने के कारणों के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता का राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला साक्षरता का प्रतिशत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.69
3.	असम	43.03
4.	बिहार	22.89
5.	गोवा	67.09
6.	गुजरात	48.64
7.	हरियाणा	40.47
8.	हिमाचल प्रदेश	52.13
9.	कर्नाटक	44.34
10.	केरल	86.13
11.	मध्य प्रदेश	28.85
12.	महाराष्ट्र	52.32
13.	मणिपुर	47.60
14.	मेघालय	44.85

1	2	3
15.	मिजोरम	78.60
16.	नागालैंड	54.75
17.	उड़ीसा	34.68
18.	पंजाब	50.41
19.	राजस्थान	20.44
20.	सिक्किम	46.69
21.	तमिलनाडु	51.33
22.	त्रिपुरा	49.65
23.	उत्तर प्रदेश	25.31
24.	पश्चिम बंगाल	46.56
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	65.46
2.	चंडीगढ़	72.34
3.	दादरा और नगर हवेली	26.98
4.	दमन और दीव	59.40
5.	दिल्ली	66.99
6.	लक्षद्वीप	72.89
7.	पांडिचेरी	65.63

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर

परियोजनाओं की स्वीकृति

*294. **श्री ए॰ वेंकटेश नायक :**

श्री गिरिधर गमांग :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, उड़ीसा और अन्य राज्यों में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित बड़ी संख्या में परियोजनाएं वन/पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें, विशेषत: कर्नाटक और उड़ीसा की परियोजनाएं कितनी अवधि से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने का कार्य राज्य स्तर के निकायों को सौंपने की नीति बनाई गई है ताकि परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब न हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास कुल 133 प्रस्ताव लंबित हैं जिनमें से 8 प्रस्ताव कर्नाटक और 16 उड़ीसा से संबंधित हैं। मंत्रालय के पास पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 81 प्रस्ताव लंबित हैं जिसमें से 7 कर्नाटक और 7 उड़ीसा से संबंधित हैं।

(ख) कर्नाटक और उड़ीसा के प्रस्तावों की लंबित अवधि ज्यादातर 1 मास से 18 मास के बीच है। लंबित होने के कारण मुख्य रूप से प्रस्तावों और/या संबंधित क्षेत्र की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में पूर्ण सूचना की अनुपलब्धता है।

(ग) प्रस्तावों के संबंध में जब भी संबंधित राज्य सरकार/परियोजना प्रस्तावक से पूरा ब्यौरा मिलने पर जाता है, अंतिम निर्णय के लिए इन प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का खराब कार्यकरण

*295. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को आंबटित की गई काफी बड़ी धनराशि हाल ही में रोक ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इससे कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति ने हाल ही में मंत्रालय पर इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय के कार्यों और खराब कार्यकरण की स्वयं जांच की है अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से इस बारे में जांच करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति और इसकी स्वायत्तता बहाल करने के लिए उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी हानि हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान स्तर पर निर्धारित 22.00 करोड़ रुपये के योजनागत प्रावधान में से शिक्षा विभाग ने 10.69 करोड़ रुपये जारी किये थे। शेष राशि जारी करने पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय से विस्तृत उपयोगिता योजना (डिटेल्ड यूटिलाइजेशन प्लान) तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह उपलब्ध नहीं कराया गया था। मार्च, 1998 में विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया था कि प्रदान की गई 10.69 करोड़ की राशि में से विश्वविद्यालय ने फरवरी, 1998 के अंत तक केवल 3.30 करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग किया था। योजनेत्तर के अंतर्गत संशोधित अनुमानों के अनुसार 5.83 करोड़ रुपये के प्रावधान के स्थान पर 5.83 करोड़ रुपये की ही राशि जारी की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति तथा अन्य लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें भेजी थीं जिसमें कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद आदि के संबंध में कुछ वित्तीय अनियमितताएं होने का आरोप लगाया गया था।

(च) और (छ) एक नए कुलपति ने हाल ही में कार्यभार संभाल लिया है उन्होंने जारी की गई राशि के उपयोग में सुधार करने तथा निधियां जारी करने के लिए कार्यप्रणाली संबंधी आवश्यकताओं को अपनाने के बारे में कदम उठाया है। विश्वविद्यालय को इस प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। हां, सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार अनुदान जारी करते वक्त समय-समय पर उपयोग में न लाई गई निधियों का समायोजन होता रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता

***296. श्री भगवान शंकर रावत :**

श्री भेरू लाल मीणा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों को राज्यवार और विश्वविद्यालय-वार कुल कितना सहायतानुदान/सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या इस प्रकार उपलब्ध कराया गया सहायतानुदान/सहायता विश्वविद्यालयों और कालेजों के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायतानुदान/सहायता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सहायतानुदान/सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र विद्यमान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान दिए गए अनुदानों को बताने वाले विवरण क्रमश: I तथा II में संलग्न है।

(ख) से (च) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किये जाते है तथा उनके अनुरक्षण तथा विकास का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वि॰ अ॰ आ॰ के माध्यम से वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते हैं तथा उनका अनुरक्षण तथा विकास व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। वि.अ.आ. पात्र राज्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार केवल विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी उनकी आवश्कयताओं के मात्र एक भाग के रूप में। यह मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों का उत्तरदायित्व है कि अपने द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों/कालेजों को उचित स्तर तक योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदान प्रदान करें। वि॰ अ॰ आ॰ ने आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों को योजनागत सहायता प्रदान करने के मानदंड को उदार बनाया है। सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को वितरित करने के लिए वि॰ अ॰ आ॰ को दिये जाने वाले योजनेत्तर अनुदान में भी पिछले वर्षों से वृद्धि हो रही है।

वि॰ अ॰ आ॰ द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों की जांच वि॰ अ॰ आ॰ द्वारा विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा भेजी गई व्यय की प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र द्वारा की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

		1995-96	1996-97
1		2	3
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	7733.79	7796.21
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	11608.91	8974.29
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	4910.53	5051.00
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1549.16	1405.84
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	0.27	3.44
6.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	1637.21	1869.08
7.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	2811.11	2913.35
8.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1785.81	2121.22
9.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	784.38	692.32
10.	विश्व भारती विश्वविद्यालय	2150.83	2074.30
11.	असम विश्वविद्यालय	544.07	502.53
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय	269.52	269.32
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय	668.25	663.03
14.	डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर विश्वविद्यालय	100.00	352.00
	सम-विश्वविद्यालय		
1.	बनस्थली विद्यापीठ	138.13	31.81
2.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरसा, रांची	77.46	68.62
3.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा	-	41.60
4.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी	57.18	83.07
5.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	423.54	459.08
6.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान	0.60	2.84
7.	दयालबाग शैक्षणिक संस्थान	168.40	168.93
8.	डक्कन कालेज स्नातकोत्तर एवं शोध संस्थान	18.97	28.84
9.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	0.40	-
10.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु	385.98	360.11
11.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	11.15	73.05

1		2	3
12.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	354.47	361.05
13.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	220.86	219.25
14.	भारतीय कृषि शोध संस्थान, नई दिल्ली	2.54	3.45
15.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	245.06	261.92
16.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	820.22	790.88
17.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	-	1.00
18.	जे० वी० भारती संस्थान	44.48	22.50
19.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	372.73	429.05
20.	कला संरक्षण व संग्रह विज्ञान संबंधी इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	4.23	4.87
21.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर	4.50	4.00
22.	राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान	0.35	-
23.	राजस्थान विद्यापीठ	20.65	12.57
24.	आर० संस्कृत विद्यापीठ	136.17	139.68
25.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय	-	1.95
26.	श्री लाल बहादुर शास्त्री आर० संस्कृत विद्यापीठ	210.25	205.26
27.	श्री चन्द्रशेखर सरस्वती न्याय शास्त्र महाविद्यालय कांचीपुरम	22.00	6.83
28.	श्री अविनाशलिंगम गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा महिला संस्थान	222.00	242.10
29.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	29.97	0.30
30.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	453.53	380.35
31.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	8.70	21.35
32.	थापड़ इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	79.05	53.10
	राज्य विश्वविद्यालय		
	आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	-	0.05
2.	आंध्र विश्वविद्यालय	353.84	366.23
3.	डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय	0.14	-
4.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	37.78	56.91
5.	काकतिया विश्वविद्यालय	80.16	110.32
6.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	34.50	55.47
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	447.21	460.57
8.	श्रीकृष्ण देवरिया विश्वविद्यालय	89.45	107.79
9.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	231.72	244.98

1	2	3
10. श्री पदमावथिस महिला विश्वविद्यालय	85.53	17.15
11. तेलुगू विश्वविद्यालय	9.61	21.48
अरुणाचल प्रदेश		
1. अरुणाचल विश्वविद्यालय	16.50	53.74
असम		
1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	37.75	60.62
2. गुवाहाटी विश्वविद्यालय	108.20	65.71
बिहार		
1. तिलक मघई भागलपुर विश्वविद्यालय	24.39	1.61
2. बाबा साहेब बी॰ आर॰ अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय	52.36	26.10
3. के॰ एस॰ दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	0.53	0.44
4. मगध विश्वविद्यालय	56.18	11.59
5. एल॰ एन॰ मिथिला विश्वविद्यालय	18.06	54.04
6. पटना विश्वविद्यालय	71.82	112.85
7. रांची विश्वविद्यालय	21.83	27.46
हरियाणा		
1. सी॰ सी॰ एस॰ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	1.57	2.87
2. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	173.02	63.67
3. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	47.62	51.50
गुजरात		
1. भावनगर विश्वविद्यालय	32.23	72.60
2. गुजरात विश्वविद्यालय	49.21	82.34
3. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय	-	0.96
4. एम॰ एस॰ विश्वविद्यालय बड़ौदा	147.34	251.31
5. उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	13.07	46.00
6. सरदार पटेल विश्वविद्यालय	76.74	88.53
7. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	107.39	81.58
8. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	40.58	46.58
9. डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेदकर खुला विश्वविद्यालय	-	1.60
गोवा		
1. गोवा विश्वविद्यालय	30.80	74.43

1		2	3
	हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	54.94	87.36
	जम्मू एवं कश्मीर		
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	71.68	139.78
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	68.41	67.07
	कर्नाटक		
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय	63.95	186.68
2.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय	49.25	81.76
3.	कन्नड़ विश्वविद्यालय	0.10	-
4.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	51.80	140.49
5.	कोवम्पू विश्वविद्यालय	6.88	78.65
6.	मंगलूर विश्वविद्यालय	35.27	88.13
7.	मैसूर विश्वविद्यालय	211.98	95.83
8.	भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, बंगलूर	33.35	22.78
9.	कृषि वैज्ञानिक विश्वविद्यालय, बंगलूर	1.28	0.03
10.	एस॰ एस॰ सी॰ संस्कृत विश्वविद्यालय	1.00	-
	केरल		
1.	कालीकट विश्वविद्यालय	131.34	85.85
2.	वैज्ञानिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कोचीन	78.46	134.16
3.	केरल विश्वविद्यालय	127.31	103.30
4.	कृषि विश्वविद्यालय केरल	-	0.22
5.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कट्टायम	37.10	29.29
	मणिपुर		
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	93.18	109.42
	मध्य प्रदेश		
1.	अवधेश पी॰ सिंह विश्वविद्यालय	33.24	14.72
2.	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय	78.99	84.25
3.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	38.52	22.47
4.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	5.26	1.00
5.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	121.35	134.91
6.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	95.88	48.27
7.	जीवजी विश्वविद्यालय	155.73	68.13

1		2	3
8.	पं॰ रवि शंकर शुल्क विश्वविद्यालय	11.33	35.90
9.	डा॰ एच॰ एस॰ गौड़ विश्वविद्यालय	86.77	184.05
10.	विक्रम विश्वविद्यालय	44.71	55.54
11.	महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय	-	28.00
	महाराष्ट्र		
1.	अमरावती विश्वविद्यालय	30.71	18.22
2.	बम्बई विश्वविद्यालय	465.80	378.85
3.	डा॰ बी॰ ए॰ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	58.07	81.03
4.	नागपुर विश्वविद्यालय	66.23	55.51
5.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	27.25	44.42
6.	पूना विश्वविद्यालय	196.67	220.48
7.	एस॰ एन॰ डी॰ टी॰ विश्वविद्यालय	89.08	113.11
8.	शिवाजी विश्वविद्यालय	87.56	71.63
	उड़ीसा		
1.	बरहामपुर विश्वविद्यालय	51.51	58.84
2.	कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उड़ीसा	0.17	0.14
3.	संबालपुर विश्वविद्यालय	82.11	52.88
4.	श्री जगनाथ संस्कृत विद्यापीठ	12.00	1.00
5.	उत्कल विश्वविद्यालय	110.69	128.22
	पंजाब		
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	127.07	131.19
2.	पंजाब विश्वविद्यालय	344.90	258.45
3.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	3.25	1.88
4.	पंजाबी विश्वविद्यालय	61.03	84.02
	राजस्थान		
1.	जे॰ एन॰ व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	119.20	173.76
2.	कोटा खुला विश्वविद्यालय	3.60	0.95
3.	एम॰ डी॰ एस॰ विश्वविद्यालय अजमेर	18.25	47.51
4.	एम॰ एल॰ सुखाडिया विश्वविद्यालय	40.75	66.60
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय	203.88	226.88
	तमिलनाडु		
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	43.02	60.23

1		2	3
2.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	83.49	22.76
3.	अन्ना विश्वविद्यालय	252.05	248.15
4.	भारतीय विश्वविद्यालय कोयम्बतूर	59.58	82.93
5.	भारतीडेसन विश्वविद्यालय	82.80	70.17
6.	डा० एम० जी० आर० मेडिकल विश्वविद्यालय	0.40	0.59
7.	मद्रास विश्वविद्यालय	208.06	195.62
8.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	139.52	111.29
9.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	19.70	37.32
10.	एम० सुन्दरनर विश्वविद्यालय	50.61	34.58
11.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	0.06	0.58
12.	तमिल विश्वविद्यालय	22.21	72.63
	त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	22.43	63.92
	उत्तर प्रदेश		
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	245.07	227.62
2.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	0.19	0.35
3.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	50.25	17.42
4.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.10	-
5.	डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	29.99	32.51
6.	डा० राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय	13.88	49.62
7.	जी० बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	4.44	3.40
8.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	84.46	103.14
9.	एच० एन० बी० (गढ़वाल) विश्वविद्यालय	50.38	40.51
10.	कानुपर विश्वविद्यालय	28.30	18.06
11.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	28.51	111.30
12.	लखनऊ विश्वविद्यालय	132.84	139.19
13.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	63.13	19.20
14.	एम० जे० पी० रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	113.83	36.53
15.	रूड़की विश्वविद्यालय	281.91	388.23
16.	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	26.48	31.12
	पश्चिम बंगाल		
1.	वर्धमान विश्वविद्यालय	177.26	82.22

1		2	3
2.	बी॰ सी॰ कृषि विश्वविद्यालय	0.40	0.40
3.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	262.53	260.93
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय	34.54	39.08
5.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	27.62	60.85
6.	रविन्द्र भारती	8.59	18.78
7.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	18.97	65.22

विवरण-II

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए गये अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1995-96	1996-97
1	2	3	4
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	186.95	137.25
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	9117.05	10785.12
3.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	22.87	49.40
4.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	18.72	-
	राज्य विश्वविद्यालय		
	आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	121.30	212.55
2.	जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय	-	4.12
3.	काकटिया विश्वविद्यालय	30.24	36.98
4.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	46.66	130.78
5.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	56.58	81.88
6.	श्रीकृष्ण देवरिया विश्वविद्यालय	40.74	43.96
7.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	7.19	52.61
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	अरुणाचल विश्वविद्यालय	4.74	14.15
	असम		
1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	165.38	106.43
2.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	55.86	110.73

1	2	3	4
	बिहार		
1.	तिलक मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय	27.48	17.68
2.	बाबा साहेब बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय	20.31	40.20
3.	के॰ एस॰ दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	-	1.00
4.	मगध विश्वविद्यालय	71.17	68.94
5.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	-	0.55
6.	एल॰ एन॰ मिथिला विश्वविद्यालय	29.55	58.17
7.	पटना विश्वविद्यालय	1.92	13.72
8.	रांची विश्वविद्यालय	87.68	81.10
9.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	-	15.52
10.	बी॰ एन॰ मंडल विश्वविद्यालय	-	6.60
11.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय	-	1.00
	हरियाणा		
1.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	100.28	135.22
2.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	36.85	108.41
	गुजरात		
1.	भावनगर विश्वविद्यालय	10.95	32.26
2.	गुजरात विश्वविद्यालय	73.87	145.93
3.	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	18.52	66.92
4.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	24.87	35.33
5.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	18.67	51.06
6.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	15.10	56.26
	गोवा		
1.	गोवा विश्वविद्यालय	15.23	18.94
	हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	64.77	91.79
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	-	0.09
	जम्मू एवं कश्मीर		
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	-	41.00
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	-	64.86
	कर्नाटक		
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय	-	120.43

1	2	3	4
2.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय	-	32.57
3.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	-	148.50
4.	कोचम्मू विश्वविद्यालय	-	30.28
5.	मंगलूर विश्वविद्यालय	-	63.18
6.	मैसूर विश्वविद्यालय	-	51.83
	केरल		
1.	कालीकट विश्वविद्यालय	31.38	65.13
3.	केरल विश्वविद्यालय	14.16	38.15
3.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम	55.50	127.52
	मणिपुर		
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	24.49	80.63
	मध्य प्रदेश		
1.	अवधेश पी॰ सिंह विश्वविद्यालय	17.53	97.99
2.	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय	63.23	113.98
3.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	2.30	5.57
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	62.84	78.17
5.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	71.95	86.44
6.	जिवाजी विश्वविद्यालय	42.18	121.75
7.	पं॰ रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	21.09	59.86
8.	डा॰ एच॰ एस॰ गौड़ विश्वविद्यालय	34.39	40.05
9.	विक्रम विश्वविद्यालय	35.39	69.40
10.	गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, विलासपुर	46.97	124.85
	महाराष्ट्र		
1.	अमरावती विश्वविद्यालय	24.81	131.34
2.	बम्बई विश्वविद्यालय	103.55	146.46
3.	डा॰ बी॰ ए॰ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	107.80	161.37
4.	नागपुर विश्वविद्यालय	47.56	114.30
5.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	28.05	81.27
6.	पूना विश्वविद्यालय	145.38	226.04
7.	एस॰ एन॰ डी॰ टी॰ वूमेन्स विश्वविद्यालय	15.79	45.46
8.	शिवाजी विश्वविद्यालय	74.16	134.56
9.	एस॰ आर॰ टी॰ मराठवाडा विश्वविद्यालय	3.07	47.72

1	2	3	4
	उड़ीसा		
1.	बरहामपुर विश्वविद्यालय	12.40	31.87
2.	संबालपुर विश्वविद्यालय	17.05	74.70
3.	उत्कल विश्वविद्यालय	119.84	147.17
	पंजाब		
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	108.67	114.36
2.	पंजाब विश्वविद्यालय	107.09	148.08
3.	पंजाबी विश्वविद्यालय	13.67	49.78
	राजस्थान		
1.	जे० एन० व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	3.34	6.04
2.	एम० डी० एस० विश्वविद्यालय अजमेर	126.07	193.52
3.	एम० एल० सुखडिया विश्वविद्यालय	11.33	42.13
4.	राजस्थान विश्वविद्यालय	94.35	158.81
	तमिलनाडु		
1.	भारथियर विश्वविद्यालय कोयम्बटूर	15.76	99.03
2.	भारतीदेशन विश्वविद्यालय	74.95	93.41
3.	मद्रास विश्वविद्यालय	88.56	171.42
4.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	115.41	138.23
5.	एम० सुन्दरनर विश्वविद्यालय	29.37	100.37
	त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	8.81	18.66
	उत्तर प्रदेश		
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	15.14	33.70
2.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	17.10	15.83
3.	चौधरी चरण सिंह (मेरठ) विश्वविद्यालय	97.68	139.04
4.	डा० भीम राव अम्बेडकर (आगरा) विश्वविद्यालय	32.85	127.52
5.	डा० राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय	48.80	61.56
6.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	67.11	80.37
7.	एच० एन० बी० (गढ़वाल) विश्वविद्यालय	22.00	57.31
8.	कानुपर विश्वविद्यालय	83.11	134.21
9.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	0.85	14.53
10.	लखनऊ विश्वविद्यालय	22.52	33.25

1	2	3	4
11.	एम. जे. पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	90.60	73.87
12.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	0.06	38.37
	पश्चिम बंगाल		
1.	बर्द्धमान विश्वविद्यालय	52.49	104.60
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	272.47	259.73
3.	जादवपुर विश्वविद्यालय	-	3.30
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय	2.20	7.29
5.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	28.88	79.34
6.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	26.73	69.83

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा कवरेज

***297. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के प्रसारण क्षेत्र से बाहर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के संपूर्ण क्षेत्र को प्रसारण क्षेत्र में शामिल करने के लिए देश में कुछ टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कवर न किए गए क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार का अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में रेडियो/टेलीविजन कवरेज प्रदान करने एवं इसे बढ़ाने का सतत् प्रयास रहा है। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन विभिन्न नए रेडियो/टेलीविजन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इनसे कवर न किए क्षेत्रों में रेडियो/टेलीविजन कवरेज में सुधार होने की संभावना है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दूरदर्शन क्षेत्र (%)	आकाशवाणी क्षेत्र (%)
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	21.5	2.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	86.1	2.0
3.	असम	26.0	17.0
4.	बिहार	5.6	*
5.	गोवा	0.1	*
6.	गुजरात	28.7	*
7.	हरियाणा	3.4	*
8.	हिमाचल प्रदेश	59.0	45.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	66.3	68.0
10.	कर्नाटक	31.8	5.0
11.	केरल	13.1	4.0
12.	मध्य प्रदेश	33.2	4.0
13.	महाराष्ट्र	24.3	2.0
14.	मणिपुर	67.9	*
15.	मेघालय	5.4	4.0
16.	मिजोरम	32.4	11.0
17.	नागालैंड	31.5	4.0
18.	उड़ीसा	20.4	3.0
19.	पंजाब	0.1	*
20.	राजस्थान	43.7	8.0
21.	सिक्किम	22.6	30.0
22.	तमिलनाडु	8.8	*
23.	त्रिपुरा	6.5	*

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	19.6	10.5
25.	पश्चिम बंगाल	4.6	*
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंड० एवं निको० द्वीपसमूह	73.8	20.0
2.	चंडीगढ़	0.1	*
3.	दादरा और नगर हवेली	34.8	*
4.	दिल्ली	0.1	*
5.	दमन और दीव	0.1	*
6.	लक्षद्वीप	1.0	*
7.	पांडिचेरी	0.1	*

टिप्पणी- 1. भूभाग संबंधी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया है। * अनुकूल वातावरण संबंधी परिस्थितियों आदि जैसी कुछ स्थितियों की विशेष अपेक्षा पर विचार किए बिना इन राज्य में कवरेज को सामान्यतया 100% माना जा सकता है। जम्मू तथा कश्मीर और सिक्किम में जनसंख्यावार कवरेज क्रमश: 98% और 95% है। यह इन पहाड़ी इलाकों में संकेन्द्रित जनसंख्या पाकेटों के कारण है।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दूरदर्शन	आकाशवाणी
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	27	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	-
3.	असम	4	3
4.	बिहार	11	-
5.	गोवा	0	-
6.	गुजरात	20	-
7.	हरियाणा	5	-
8.	हिमाचल प्रदेश	20	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	15	1
10.	कर्नाटक	22	1
11.	केरल	10	-
12.	मध्य प्रदेश	27	-
13.	महाराष्ट्र	36	-
14.	मणिपुर	3	-
15.	मेघालय	2	1
16.	मिजोरम	2	-
17.	नागालैंड	3	1
18.	उड़ीसा	28	3
19.	पंजाब	2	-
20.	राजस्थान	28	1
21.	सिक्किम	1	-
22.	तमिलनाडु	16	-
23.	त्रिपुरा	6	-
24.	उत्तर प्रदेश	44	2
25.	पश्चिम बंगाल	10	-
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंड० एवं निको० द्वीप समूह	0	1
2.	चंडीगढ़	0	-
3.	दादरा और नगर हवेली	0	-
4.	दिल्ली	0	-
5.	दमन और दीव	0	-
6.	लक्षद्वीप	0	-
7.	पांडिचेरी	1	-
	जोड़	350	14

अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत

*298. **श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पारेषण और वितरण के कारण विद्युत की क्षति

*299. **प्रो. प्रेमसिंह चंदूमाजरा :**

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पारेषण और वितरण के कारण हुई विद्युत क्षति की मात्रा का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत के कुल उत्पादन की तुलना में कितनी विद्युत की क्षति हुई;

(ग) क्या विद्युत की क्षति राज्य वार भिन्न-भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पारेषण के दौरान होने वाली क्षति को कम करने/समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) जी, हां। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर पारेषण एवं वितरण के कारण होने वाली विद्युत हानि की मात्रा का अनुमान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाया जाता है। वर्ष 1995-96 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की पारेषण एवं वितरण की हानि संलग्न विवरण में दी गई है।

पारेषण एवं वितरण हानियां अधिकांशत: पारेषण एवं वितरण लाइनों पर लोडिंग के तरीके, लाइनों की डिजाईन, वितरण चरणों की संख्या, कैपेसिटरों की अधिष्ठापना, मीटर रीडिंग संबंधी अशुद्धियों, खराब मीटर तथा ऊर्जा की चोरी आदि पर निर्भर करती है। ये परिस्थितियां प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए पारेषण एवं वितरण हानियां प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(ङ) विद्युत वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों की होती है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिसमें निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है :-

- प्रचालन वोल्टता का उच्चीकरण।
- एल टी लाइनों की लम्बाई में कमी।
- भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मर की स्थापना।
- उपभोक्ता परिसरों में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को अपनाना।
- शेड कैपेसिटरों की अधिष्ठापना।
- निर्माण एवं प्रचालन तकनीकी में सुधार और
- दीर्घकालीन आधार पर वितरण प्रणाली की डिजाईन और आयोजना के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण।

ऊर्जा लेखा परीक्षा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी अध्ययन कार्य करने के लिए पद्धति निर्धारित की गई है और तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करने के लिए पद्धति का प्रावधान किया गया है।

बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं।

दिसंबर, 1996 में घोषित विद्युत संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्य योजना में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है।

(i) सभी मुख्य फीडरों पर सब-स्टेशनों में आवश्यक मीटरिंग।

(ii) सभी नये विद्युत कनैक्शनों की अनिवार्य मीटरिंग 110 एचपी से ऊपर वाले कृषि क्षेत्र के लिए भी कनैक्शन दो वर्ष की अवधि में पूरे हो जाने चाहिए।

(iii) सभी विद्युत आपूर्तियों का सन् 2002 तक मान लिया जाए।

(iv) 100 केवीए भार से ऊपर वाले बड़े उपभोक्ताओं के संबंध में अनिवार्य वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जाए।

(v) बेहतर मांग प्रबंध हेतु बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए दिन में समय मीटरिंग लागू की जाएगी।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान रा. बि. बो./विद्युत विभागों का प्रतिशत रूपांतरण पारेषण एवं वितरण हानियां वाणिज्यिक हानियां जैसे चोरी इत्यादि सहित

क्षेत्र	रा.बि.बो./विद्युत विभाग	1995-96
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	हरियाणा	32.39
2.	हिमाचल प्रदेश	16.09
3.	जम्मू और कश्मीर	47.52
4.	पंजाब	18.49
5.	राजस्थान	29.27
6.	उत्तर प्रदेश	21.84
7.	चण्डीगढ़	33.72
8.	डेसू	48.57

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र		
1.	गुजरात	20.08
2.	मध्य प्रदेश	17.84
3.	महाराष्ट्र	16.95
4.	दादरा एवं नगर हवेली	9.31
5.	गोवा	26.06
6.	दमन एवं दीव	12.80
दक्षिणी क्षेत्र		
1.	आंध्र प्रदेश	19.34
2.	कर्नाटक	19.06
3.	केरल	21.12
4.	तमिलनाडु	16.19
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	17.23
6.	पांडिचेरी	16.54
पूर्वी क्षेत्र		
1.	बिहार	15.91
2.	उड़ीसा	24.17
3.	सिक्किम	16.47
4.	पश्चिम बंगाल	19.26
5.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19.25
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
1.	असम	26.91
2.	मणिपुर	24.85
3.	मेघालय	12.55
4.	नागालैंड	35.17
5.	त्रिपुरा	30.86
6.	अरुणाचल प्रदेश	37.12
7.	मिजोरम	25.18
अखिल भारत (यूटिलिटीज)		22.27

[अनुवाद]

दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा

*300. **श्री रंजीव बिस्वाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक कितने मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में इस उद्देश्य से की गई थी कि अन्य बातों के साथ-साथ देश के शैक्षिक ढांचे में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 1992 में इ॰ गा॰ रा॰ मु॰ वि॰ (इग्नू) अधिनियम के अंतर्गत एक दूरस्थ शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई। दूरस्थ शिक्षा परिषद् इग्नू तथा सभी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को कार्यक्रमों, सुविधाओं तथा सामग्री के आदान-प्रदान के माध्यम से जोड़कर देश में मुक्त विश्वविद्यालय नेटवर्क की स्थापना तथा विकास में लगी हुई है। दूरस्थ शिक्षा परिषद् ऐसे राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता भी तब प्रदान करती है जब वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस सहायता के लिए यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा उपयुक्त घोषित कर दिए जाते हैं।

(ख) राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अब तक मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों में सीटें बढ़ाना

*301. **श्री के॰ येरननायडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बंताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों में सीटों की संख्या को दो गुना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्रबंध कार्मिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार का और अधिक प्रबंध संस्थान स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से सरकार का विचार बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबंध संस्थानों में छात्रों के दाखिले को बढ़ाने का है। हां, इसमें कितनी वृद्धि

की जानी है। इसका निर्णय संगत बातों पर विचार करने के बाद ही लिया जा सकता है।

(ग) फिलहाल देश में और भारतीय प्रबंध संस्थान खोलने का कोई विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ए॰ पी॰ एस॰ ई॰ बी॰ तथा एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ द्वारा बिजली परियोजना की स्थापना

2806. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्ड तथा एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ द्वारा विशाखापट्नम में संयुक्त रूप से 500 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके पूरा किए जाने की समय सीमा इस पर आने वाले खर्च तथा परियोजना की प्रगति दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना प्रारंभिक अवस्था में है और लागत तथा समापन कार्यक्रम जैसे ब्यौरों को सुनिश्चित किया जाना सभी आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र

2807. **श्रीमती कमल रानी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलन्दशहर स्थित नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र से निकलने वाली धूल के कारण आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे संयंत्रों के कारण प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

2808. **डा॰ जयन्त रंगपी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को असम के पर्वतीय जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के संबंध में कदम उठाने की मांग से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम के करबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पर्वतीय जिलों में स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) जानकारी असम सरकार से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा चलाए गए अभियान

2809. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, पणजी, गोवा द्वारा अब तक कुल कितने अभियान चलाये गये हैं;

(ख) प्रत्येक अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं तथा प्रत्येक अभियान द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में विदेशी सहायता अथवा बिना विदेशी सहायता के चलाये जाने वाले अभियानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने वर्ष 1981 में अंटार्कटिका के लिए प्रथम भारतीय अभियान का आयोजन किया। उसके बाद महासागर विकास विभग अंटार्कटिका के लिए अभियान आयोजित कर रहा है।

(ख) प्रथम अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे : अंटार्कटिका के आसपास महासागर की खोज - भारतीय महासागर क्षेत्र के 40 डिग्री दक्षिण - दक्षिण; यदि जलवायु अनुकूल हो और जहाज सघन बर्फ (पैक आइस) में पहुंचने का स्थान खोज सकता हो तो बर्फीले महाद्वीप पर पहुंचने की संभावना की खोज करना; बर्फीली शैल्फ पर ग्रीष्म केन्द्र की स्थापना करना; और अंटार्कटिका महाद्वीप पर जलवायु, हिमानिकी, जीवविज्ञान, आयन मंडल और भूचुम्बकत्व पर वैज्ञानिक कार्य आरंभ करना।

प्रथम अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत् से संबंधित

थी : 'दक्षिण गंगोत्री' नामक स्वचालित केन्द्र की अधिष्ठापना करना; चुम्बकीय टेपों पर आंकड़े रिकार्ड करने के लिए देशी सौर पैनलों वाली स्वचालित मौसम अनुवीक्षण प्रणाली की स्थापना करना; इस क्षेत्र के समुद्रविज्ञान, मौसमविज्ञान, भूविज्ञान, भूचुम्बकत्व और हिमानिकी पर कार्य करना; दृश्यांशों से चट्टानों के नमूने एकत्र करना और सतत् प्रतिध्वनिक चुम्बकीय क्षेत्र सघनता और अन्य भूभौतिकीय अध्ययन करना। यह संपूर्ण कार्य 'आपरेशन गंगोत्री' के तहत किया गया।

(ग) इस समय एन॰ आई॰ ओ॰ द्वारा विदेशी सहायता से अथवा विदेशी सहायता के बिना कोई भी अभियान आरंभ किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कोरबा में एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ की स्थापना

2810. डा॰ महंत चरण दास : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की स्थापना हेतु निजी भूमि के कितने क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया गया;

(ख) भूमि के अधिग्रहण के परिणास्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए 2392.90 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।

(ख) 907 परिवार प्रभावित हुए थे।

(ग) और (घ) कोरबा के प्रभावित परिवारों से 318 व्यक्तियों को एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ में रोजगार दिया गया है।

विद्युत संयंत्रों में सीमित परोक्ष नियुक्ति के अवसर होते हैं। वे अनुप्रवाह रोजगार और उत्पादकता का सृजन करते हैं। एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ भूमि विस्थापित सहकारिताओ/दलों को छोटे ठेके, एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ ठेकेदारों के पास नौकरियां और भू-विस्थापितों द्वारा प्रचालनार्थ राख ईट संयंत्रों की स्थापना, किराए पर चार पहिया वाहनों (जीप/एम्बूलेंस/ट्रैक्टर ट्राली के लिए निधि प्रदान करने और उन्हें संलग्न करने डेरी उद्योग और दुकान के आबंटन के माध्यम से परियोजना से प्रभावित जनता के लिए स्व-आय अर्जन योजनाओं को चलाता आ रहा है।

शिक्षा में समानता

2811. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में एक समान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रणाली लागू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विद्यमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की संकल्पना स्वीकार की है जिसके अनुसार एक दिए गए स्तर तक जाति, धर्म, क्षेत्र का लिंग को ध्यान में न रखते हुए सभी छात्रों को समकक्ष कोटि की शिक्षा सुलभग होगी। इस सामान्य शैक्षिक संरचना के अंतर्गत, संपूर्ण देश में 10+2+3 की पद्धति स्वीकार की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में अन्य लचीले संघटकों के साथ-साथ एक सामान्य कोर संघटक भी है।

इस नीति में प्रत्येक भारतीय के मूल स्थान को ध्यान में रखे बिना अपेक्षित योग्यता वालों के लिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से समान अवसर उपलब्ध कराते हुए अंत:क्षेत्रीय गतिशीलता की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

टिश्यू कल्चर

2812. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में टिश्यू कल्चर का प्रयोग किस सीमा तक शुरू किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप कृषि उपज में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) कौन-कौन सी प्रयोगशालाएं, अनुसंधान केन्द्र तथा कृषि विश्वविद्यालय टिश्यू कल्चर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) खेती करने की सामान्य तकनीकों की अपेक्षा टिश्यू कल्चर के क्या लाभ हैं तथा इसकी तुलनात्मक लागत कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विभिन्न फसल पादपों जैसे आयल सीड ब्रैसिकास, बंगाल चना, मूंगबीन और मूंगफली आदि में नई किस्मों को सृजित करने के लिए पादप उत्तक संवर्धन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। गेंहू ही किस्मों और इंडिका चावल के लिए पुनर्सृजन प्रोटोकोल भी उपलब्ध है। परिणामस्वरूप उच्च उपज वाले, बेहतर पोषक, रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता के पादप प्राप्त हुए हैं। बागवानी और रोपण फसलों जैसे केला, साइट्रस, आलू, गन्ना, काफी

और मिर्च के उत्पादन के लिए पूर्ण पुनर्सृजन प्रोटोकोल पूरा हो गया है। बायोटेक्नोलाजी विभाग ने कृषि वन्य सहित उत्कृष्ट वृक्ष प्रजातियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दो उत्तक संवर्धन प्रायोगिक संयंत्र इकाइयों को स्थापित किया है। लगभग 40 लाख पादपकों को उत्पादित कर 3,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगाया गया है। परंपरागत ढंग से उगाये गये पादपों की तुलना में उत्तक संवर्धन से उगाये गये पादपों में उपज और प्राप्ति में पांच गुणा वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) देश में कई विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान पादप उत्तक संवर्धन क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। बायोटैक्नालाजी विभाग ने 3 विश्वविद्यालयों नामत: असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर और जी० बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, पंतनगर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम को सहायता प्रदान की है। विद्यार्थियों को पादप उत्तक संवर्धन तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 30 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है। अब तक लगभग 300 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त डी० बी० टी० द्वारा स्थापित पादप आण्विक जीवविज्ञान केन्द्रों और सूक्ष्मप्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्कों में भी पादप उत्तक संवर्धन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) पादप उत्तक संवर्धन तकनीकें बड़े पैमाने पर सर्वोत्कृष्ट रोपण सामग्री उत्पादित करने में सहायता प्रदान करती है, जो उपयुक्त हैं। परंपरागत तकनीक के मुकाबले बहुगुणन दर काफी तेज है। इसके अतिरिक्त, रोगमुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाता है और इससे कायिक संकरण और भ्रूण बचाव तकनीकों के द्वारा उर्वरण बाधाओं को पार करने में सहायता मिलती है। पादप उत्तक संवर्धन प्रौद्योगिकी परंपरागत तकनीकों के लिए अच्छी पूरक है।

कर्नाटक में वानिकी विकास

2813. श्री विजय संकेश्वर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान वानिकी विकास के लिए परियोजनावार कितना-कितना वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया;

(ख) क्या अनुदान राशि का उपयोग संतोषजनक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) वनीकरण की मुख्य योजनाओं, जिनमें राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है, के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि में जारी केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :

स्कीम	जारी केन्द्रीय सहायता (रुपये लाख में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम	372.90	229.98	143.72
क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	214.98	245.39	195.31
औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज का संरक्षण और विकास	35.02	30.00	43.00
वनोपज से उत्पन्न लाभ के बटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जन-जातियों और निर्धन ग्रामवासियों का सहयोग	24.88	11.41	5.70

आठवीं योजना अवधि की परियोजनाओं का अब तक किए गए मूल्यांकन से अनुदान राशि के संतोषजनक उपयोग का पता चलता है।

टेलीफोन टावरों की स्थापना

2814. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार से राज्य में टेलीफोन टावरों की स्थापित करने से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2815. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही और इन प्रत्येक परियोजनाओं को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में ऐसी शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं, अब तक की उपलब्धियों और इस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चलाई जा रही सभी परियोजनाओं को निकट भविष्य में इस प्रदेश में जारी रखे जाने की संभावना है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रमुख उद्देश्य	स्थिति	पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1995-96, 96-97 और 1997-98 के दौरान उपलब्धियां	
				वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6
1.	पर्यावरण वाहिनी योजना	जनता की सक्रिय सहभागिता से पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करना	चल रही है।	11.68	14 जिलों में संस्थापित
2.	जीवमंडल रिजर्वस	जीवमंडल रिजर्वस की स्थापना करना	-वही-	113.72	1 जीवमंडल रिजर्व को सम्मिलित किया गया।
3.	वानस्पतिक उद्यानों को सहायता	वानस्पतिक उद्यान क्षेत्रीय केन्द्रों को समुन्नत करना	-वही-	22.05	5 वानस्पतिक क्षेत्रीय केन्द्रों को सम्मिलित किया गया।
4.	सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विश्व बैंक परियोजना	सीईटीपी प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना।	-वही-	95.75	2 सीईटीपी को पूरा करके चालू किया गया।
5.	प्रदूषण की रोकथाम	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/पर्यावरण विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता	-वही-	166.00	राज्य में प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु।
6.	पारि कार्य बल	बुरी तरह से अवक्रमित और	-वही-	431.48	3000 है. क्षेत्र को सम्मिलित

1	2	3	4	5	6
		कमजोर क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार करना।			किया गया।
7.	गंगा कार्य योजना-I	नदी जल प्रदूषण की रोकथाम	-वही-	1417.00	उत्तर प्रदेश की कुल 166 उप-योजनाओं में से 1.3.98 तक 105 योजनाओं को पूरा किया गया।
8.	गंगा कार्य योजना-II	तदैव	-वही-	498.17	686 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 15 उप-योजनाओं/ डीपीआर को अनुमोदित किया गया।
9.	गोमती कार्य योजना	नदी जल प्रदूषण की रोकथाम	-वही-	525.50	1410.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 16 उप-योजनाओं को अनुमोदित किया गया।
10.	यमुना कार्य योजना	नदी जल प्रदूषण की रोकथाम	-वही-	7072.50	15569.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 31 उप-योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

[अनुवाद]

देश में यूथ हॉस्टल

2816. श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

श्री डी॰ एस॰ अहिरे :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने यूथ हॉस्टल कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में तीन यूथ हॉस्टल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो ये हॉस्टल कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विशाखापट्टनम में 'यूथ हास्टल' के लिए 30 लाख रुपये की सहायता राशि जारी की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) इस समय, 53 युवा छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से, पद्म मापुसा (गोवा) जबलपुर (मध्य प्रदेश) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) को छोड़कर जिनका निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है, सभी अन्य छात्रावास कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने अभी तक आंध्र प्रदेश राज्य के छः स्थानों में युवा छात्रावास स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव क्लीयर कर दिए हैं। नामतः सिंकदराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल, नागार्जुनसागर। इनमें से, सिंकदराबाद तथा तिरूपति स्थित दो छात्रावास कार्यरत हैं। विजयवाड़ा स्थित युवा छात्रावास हाल ही में पूरा हुआ है और राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है। शेष तीन युवा छात्रावास निर्माण कार्य की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) विशाखापट्टनम स्थित युवा छात्रावास के लिए अब तक 39,86,034/- रुपये की रकम जारी की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मित तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में लिए गए युवा छात्रावासों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	3
4.	बिहार	1

1	2	3
5.	गुजरात	1
6.	हरियाणा	3
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू व कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	3
10.	केरल	3
11.	महाराष्ट्र	1
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	2
14.	मध्य प्रदेश	2
15.	नागालैंड	1
16.	मिजोरम	1
17.	पंजाब	3
18.	राजस्थान	2
19.	तमिलनाडु	4
20.	उत्तर प्रदेश	3
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
22.	पश्चिम बंगाल	1
23.	पांडिचेरी	1
24.	त्रिपुरा	1
25.	उड़ीसा	4
26.	गोवा	2
27.	सिक्किम	1
	कुल	53

जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में सी० एल० बी० का निर्णय

2817. श्री के० पी० नायडू : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी ला बोर्ड बैंच, पूर्वी क्षेत्र शाखा, कलकत्ता ने मैसर्स हेलीओस कारपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा सावधि जमा के रूप में ली गई मूल राशि और उस पर ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में 16 फरवरी, 1998 को कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ग) कंपनी विधि बोर्ड (सी एल बी) पूर्वी क्षेत्र शाखा, कलकत्ता ने मैसर्स हैलिओस कारपोरेशन लि. पटना को सावधि जमा के रूप में ली गई मूल राशि और उस पर ब्याज के गैर भुगतान के आरोप के बारे में 16.2.98 को इसके समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था। तथापि, कंपनी की ओर से इसके समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। अब बोर्ड कंपनी रजिस्ट्रार, पटना से सभी निदेशकों के नाम व पते अभिनिश्चित करने के बाद जमा राशि का भुगतान न करने के आरोप पर उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए सभी निदेशकों तथा कंपनी को नोटिस जारी करने का विचार कर रही है।

साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, पर्यवेक्षण विभाग (वित्तीय कंपनीज) कलकत्ता को भी सूचित कर रखा है।

बिहार में सुपर ताप विद्युत संयंत्र का स्थापित किया जाना

2818. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नवी नगर, बिहार में सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संभाव्यता अध्ययन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने नबीनगर मेगा विद्युत परियोजना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है और ईआईए संबंध अध्ययन पैकेज के लिए निविदा का ठेका दे दिया गया है। भू-तकनीकी अन्वेषण और स्थालाकृति सर्वेक्षण नामक अन्य पैकेजों के लिए निविदाएं ठेकों को अंतिम रूप देने के लिए अग्रिम चरण में है।

(ग) पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया ने दिनांक 18 अगस्त, 1997 के इस परियोजना के लिए निविदा मांग पत्र संबंधी सूचना जारी की थी और अपर्याप्त अनुक्रिया के फलस्वरूप निविदा दस्तावेज के विक्रय की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1997 कर दिया गया था। तारीख बढ़ाने के बावजूद भी अनुक्रिया अक्षुण्ण रही। अत: इस निविदा पर कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क कोष से गुजरात को आवंटित धनराशि

2819. श्री महेश कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष में से गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस संबंध में गुजरात द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) से गुजरात को आबंटित की गई राशि इस प्रकार है:

क्रम सं.	वर्ष	आबंटित राशि (लाख रुपये)
1.	1995-96	139.00
2.	1996-97	114.00
3.	1997-98	116.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 340 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर और 329.70 लाख रुपये के के० स० नि० हिस्से के कुल चार निर्माण कार्य गुजरात राज्य को संस्वीकृत किए गए हैं। के० स० नि० के तहत संस्वीकृत किए गए विभिन्न कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

स्पीड पोस्ट सुविधा

2820. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन शहरों/नगरों के नाम क्या हैं जहां स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) उन शहरों/कस्बों के नाम जहां देश में राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है, विवरण-I में दिए गए हैं तथा जिन शहरों/कस्बों में प्वाइंट टू प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है उनके नामों का उल्लेख विवरण-II में किया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय नेटवर्क पर उपलब्ध स्पीड पोस्ट सेवा

1. अगरतला
2. आगरा
3. अहमदाबाद
4. अजमेर
5. इलाहाबाद
6. अमृतसर
7. अलुवा (अलवाये)
8. बेंगलूर
9. भोपाल
10. भुवनेश्वर
11. कलकत्ता
12. कालीकट (कोजीकोड)
13. चंडीगढ़
14. कोयम्बतूर
15. कटक
16. देहरादून
17. दिल्ली
18. धनबाद
19. फरीदाबाद
20. गांधीनगर
21. गंगटोक
22. गांधीनगर
23. गुडगांव
24. गुवाहाटी
25. ग्वालियर
26. हैदराबाद
27. हुबली-धारवाड़
28. हावड़ा
29. होसुर
30. इम्फाल
31. इंदौर
32. जयपुर
33. जालंधर
34. जम्मू
35. जमशेदपुर
36. जोधपुर
37. कांचीपुरम
38. कानपुर
39. कोच्चि
40. कोवलम
41. कोट्टायम
42. लखनऊ
43. लुधियाना
44. मद्रास
45. मदुरै
46. मेंगलूर
47. मेरठ
48. मुरादाबाद
49. मुंबई
50. मैसूर
51. नागपुर
52. नासिक
53. पटना
54. पंणजी
55. पांडिचेरी
56. पुणे
57. रायपुर
58. राजपुर
59. रांची
60. सलेम
61. शिलांग
62. शिमला
63. सिल्चर
64. सिलीगुड़ी
65. श्रीनगर
66. सूरत
67. तिरूपति
68. तिरूपुर
69. तिरूवनन्तपुरम
70. त्रिची
71. त्रिशूर
72. उदयपुर
73. उडुपी
74. वडोदरा
75. वाराणसी
76. विजयवाड़ा
77. विशाखापट्टनम
78. 56 एपीओ
79. 99 एपीओ

विवरण-II

प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा निम्नलिखित शहरों और कस्बों में सुलभ

क्र.सं.	सर्किल/राज्य		शहर
1	2		3
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अनन्तपुर
		2.	कुडप्पा
		3.	इलुरू
		4.	गुंटूर
		5.	कुरनूल
		6.	काकीनाडा
		7.	खम्माम
		8.	कोठा गुदेम
		9.	करीमनगर
		10.	मछलीपत्तनम
		11.	महबूबनगर
		12.	मायेरियल
		13.	नेल्लोर
		14.	निजामाबाद
		15.	नालगोंडा
		16.	ओंगोल
		17.	प्रशांतिलयम
		18.	राजामुंद्री
		19.	टांकु
		20.	तेनाली
		21.	वारंगल
2.	असम	1.	बोंगईगांव
		2.	डीफू
		3.	धुब्री
		4.	डिब्रूगढ़
		5.	परगटा
		6.	गोलाघाट
		7.	हेलाखांडी
		8.	हाफलांग
		9.	जोरहाट
		10.	कोकराझार
		11.	करीमगंज
		12.	मंगलदोई
		13.	नालबाड़ी
		14.	उत्तर लखीमपुर
		15.	नौगांव
		16.	तिनसुखिया
		17.	शिवसागर
3.	बिहार	1.	आरा
		2.	बेगुसराय
		3.	बेतिया
		4.	भागलपुर
		5.	बोकारो स्टील सिटी
		6.	बिहार सरीफ
		7.	दरभंगा
		8.	गिरिडीह
		9.	गया
		10.	कटिहार
		11.	जहानाबाद
		12.	मोतीहारी
		13.	मुंगेर
		14.	मुजफ्फरपुर
		15.	पुर्णिया
		16.	सीवान
4.	दिल्ली	शून्य	
5.	गुजरात	1.	आनन्द
		2.	मोरबी
		3.	सिलवासा और दमन
		4.	वी० वी० नगर
		5.	वी० यू० नगर

1	2	3
6.	हरियाणा	1. अम्बाला कैंट
		2. अम्बाला शहर
		3. भिवानी
		4. हिसार
		5. जींद
		6. करनाल
		7. कुरूक्षेत्र
		8. कैथल
		9. पंचकुला
		10. पानीपत
		11. रोहतक
		12. सोनीपत
7.	हिमाचल प्रदेश	1. बाड्डी
		2. बिलासपुर
		3. चम्बा
		4. डलहौजी
		5. धर्मशाला
		6. हमीरपुर
		7. कसौली
		8. कुल्लू
		9. मंडी
		10. मनाली
		11. नाहन
		12. पालमपुर
		13. परवानू
		14. रामपुर बुशहर
		15. रिकांग पियो
		16. सोलन
		17. सुन्दरनगर
		18. दियोग
		19. ऊना
8.	जम्मू व कश्मीर	1. ऊधमपुर

1	2	3
9.	कर्नाटक	1. अनन्तपुर
		2. बेलगांव
		3. बेल्लारी
		4. बीदर
		5. बीजापुर
		6. चिकमंगलूर
		7. चित्रदुर्गा
		8. देवनगेरे
		9. गुलबर्गा
		10. हसन
		11. कारवाड़
		12. कोलार
		13. मेदीकेरी
		14. मांड्या
		15. मणिपाल
		16. पुत्तूर
		17. रायचूर
		18. शिमोगा
		19. तुमकुर
		20. शांतिनिकेतन
10.	केरल	1. अगाथी (लक्षद्वीप)
		2. सलेप्पी
		3. चलाकुडी
		4. कन्नूर
		5. सचेरी
		6. पल्लाकाड
		7. पतनमथिट्टा
		8. तिरूवल्ला
		9. इटिंजलकुडा
11.	मध्य प्रदेश	1. जबलपुर
		2. दुर्ग
		3. भिलाई

1	2	3
		4. बिलासपुर
		5. रायगढ़
		6. जगदलपुर
		7. सागर
		8. उज्जैन
		9. खजुराहो
		10. देवास
		11. मऊ
		12. धार
		13. पीतमपुर
		14. खांडवा
		15. अम्बिकापुर
		16. विदिशा
		17. कटनी
		18. राजनन्दगांव
		19. रीवा
		20. सतना
		21. सियोनी
		22. मांडला
		23. बालाघाट
		24. शेहडोल
		25. सिधी
		26. छिंदवाडा
		27. बेतूल
		28. बिरलाग्राम नागदा
		29. जाओरा
		30. खरगोन
		31. मंदसौर
		32. नेफानगर
		33. नीमच
		34. रतलाम
		35. मंगालिया
12.	महाराष्ट्र	1. अलीबाग
		2. अहमदनगर
		3. अमरावती
		4. औरंगाबाद
		5. अकोला
		6. भंयडर
		7. भंडारा
		8. बीड
		9. भुसावल
		10. चंन्द्रपुर
		11. चिपलुन
		12. चाकन
		13. देहू रोड कैंट
		14. धुले
		15. इच्छलकरंजी
		16. जेजूरी
		17. जालना
		18. जलगांव
		19. खंडाला
		20. कराड़
		21. कोपरगांव
		22. कोल्हापुर
		23. लातूर
		24. लोटे
		25. लोनावाला
		26. महाड
		27. मीरा रोड
		28. महाबलेश्वर
		29. मालागांव
		30. मिराज
		31. नांदेड
		32. ओसमानाबाद

1	2	3	
		33.	पनवेल
		34.	पेन
		35.	पंचगनी
		36.	पंडारपुर
		37.	परभनी
		38.	रोहा
		39.	रत्नागिरी
		40.	सतारा
		41.	सिरडि
		42.	शोलापुर
		43.	सांगली
		44.	थाणे
		45.	वसी
		46.	वसाय
		47.	किरार
		48.	वर्धा
		49.	यवतमाल
13.	उत्तर पूर्व		
	अरुणाचल प्रदेश	1.	ईटानगर
		2.	नहरलागांव
	मेघालय	3.	तुरा
	मिजोरम	4.	एजबाल
		5.	लंगलेई
		6.	कोलासीव
	नागालैंड	7.	कोहिमा
		8.	दीमापुर
14.	उड़ीसा	1.	अंगुल
		2.	बारगढ़
		3.	बरला
		4.	भवानीपटना
		5.	बोलनगीर
		6.	बेंलपहाड़

1	2	3	
		7.	भद्रक
		8.	बेरहापुर
		9.	बालासौर
		10.	बारीपाड़ा
		11.	छत्तरपुर
		12.	दामोनजोड़ा
		13.	धेनकनाल
		14.	गोपालपुर
		15.	झारसुगुडा
		16.	जयपोर
		17.	जतनी
		18.	जे. के. पुर
		19.	कोरापुट
		20.	खुर्दा
		21.	कनिहा
		22.	फुलबनी
		23.	पारादीप
		24.	पुरी
		25.	रायगढ़
		26.	राउरकेला
		27.	संबलपुर
		28.	सुनावेदा
15.	पंजाब	1.	भटिंडा
		2.	होशियारपुर
		3.	कपूरथला
		4.	पठानकोट
		5.	पटियाला
		6.	राजपुरा
16.	राजस्थान	1.	अलवर
		2.	भरतपुर
		3.	बीकानेर
		4.	जैसलमेर

1	2	3
		5. कोटा
		6. माउंटआबू
		7. पिलानी
		8. पाली
		9. श्रीगंगानगर
17.	तमिलनाडु	1. अन्नामलाई नगर
		2. बोदीनायकननूर
		3. कुड्डालूर
		4. डिंडीगुल
		5. धर्मापुरी
		6. इरोड
		7. क्रूर
		8. कराईकुड्डी
		9. कुम्बाकोनम
		10. कोबिलपट्टी
		11. मइलादुदुई
		12. नायवेली
		13. नागापटनम
		14. नागरकोयल
		15. पुडुकोट्टई
		16. परमाकुडी
		17. पौल्लची
		18. पट्टूकोट्टई
		19. राजापलायम
		20. रामनाथपुरम
		21. सिवाकाशी
		22. सिवगंगा
		23. तिरूवन्नमलई
		24. थंजावुर
		25. तिरूनेलवेली
		26. टूटीकुरीन
		27. थेनी
		28. वैल्लौर
		29. विल्लुपुरम
		30. विरूदूनगर
18.	उत्तर प्रदेश	1. अलीगढ़
		2. आजमगढ़
		3. महराइच
		4. बलरामपुर
		5. बलिया
		6. बाराबंकी
		7. बरेली
		8. बरहनी
		9. भदोही
		10. बस्ती
		11. देवरिया
		12. फैजाबाद
		13. फिरोजाबाद
		14. गोंडा
		15. गाजियाबाद
		16. हरिद्वार
		17. हरदोई
		18. हल्द्वानी
		19. झांसी
		20. खीरी
		21. खलिलाबाद
		22. कोटद्वार
		23. मथुरा
		24. मोदीनगर
		25. मऊ
		26. मानकपुर
		27. मसूरी
		28. मुजफ्फरनगर
		29. नैनीताल

1	2	3
		30. नोएडा
		31. पौढ़ी
		32. पीलीभीत
		33. प्रतापगढ़
		34. रायबरेली
		35. रामपुर
		36. रूड़की
		37. सहारनपुर
		38. शाहजहांपुर
		39. सीतापुर
19.	पश्चिम बंगाल	1. आसनसोल
		2. बेरहामपुर
		3. वर्दवान
		4. छिनसुराह
		5. दार्जिलिंग
		6. दुर्गापुर
		7. हल्दिया
		8. ईछापुर-नबाबगंज
		9. जलपाईगुड़ी
		10. खड़गपुर
		11. पोर्ट ब्लेयर
		(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)
		12. शांति निकेतन

[अनुवाद]

दूरदर्शन की क्षेत्रीय सेवा के प्रसारण समय में वृद्धि

2821. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की क्षेत्रीय सेवा के प्रसारण समय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने 1 अप्रैल 1988 से क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए समय बढ़ाने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इस संबंध में केन्द्रों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब क्षेत्रीय केन्द्र अपनी भाषा में सायं 4.30 बजे के बजाय अपराह्न 2.30 बजे से कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर चार लेनों वाली सड़क तथा उपमार्ग का निर्माण

2822. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र में गोवा को मुंबई से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चार लेनों वाली सड़क में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य शहरों जैसे पनवेल, कोलाड, मनगांव की सुविधा के लिए मुंबई-गोवा राजमार्ग पर किसी उपमार्ग का निर्माण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर किस समय तक अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों को सुविधाएं

2823. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में भिन्न-भिन्न स्थलों पर कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में सेवा संबंधी शर्तों में सुधार लाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए सेवा संबंधी नियमों में संशोधन करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की मुख्यालय तथा इसकी विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों के संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सीएसआइआर अपने वैज्ञानिकों के लिए कैरियर प्रगति योजनाओं को तैयार करने में अग्रणी रहा है। चूंकि कैरियर प्रगति लचीली परिपूरक प्रणाली पर आधारित है। अत: जब कोई व्यक्ति प्रवेश स्तर अर्थात् समूह IV (1) वेतनमान 8000-12500 रुपये में सेवारम्भ करता है तो उसके लिए पर्याप्त अवसर होते हैं बशर्ते वह समूह IV (7) अर्थात् निदेशक अथवा उसके समकक्ष वेतनमान 18400-22400 रुपये में पहुंचने के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी करता हो। सीएसआइआर में कैरियर प्रगति रिक्तियों की उपलब्धता से जुड़ी हुई नहीं है, अत: प्रगति के अवसर सीमित नहीं है।

विवरण

	प्रयोगशाला/संस्थान का नाम	कार्यरत वैज्ञानिको की संख्या
	1	2
1.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की	147
2.	जीव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, दिल्ली	039
3.	कोशकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद	073
4.	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	172
5.	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुडी	190
6.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी	176
7.	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	148
8.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर	252
9.	केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	116
10.	केन्द्रीय औषधीय एवं संगध पौधा संस्थान, लखनऊ	106
11.	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	127
12.	केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	144
13.	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	132
14.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	128
15.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़	121
16.	सीएसआइआर मद्रास काम्प्लेक्स, चेन्नई	00
17.	केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर	102
18.	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कलकत्ता	117
19.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	222
20.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	146
21.	भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली	044
22.	औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ	101
23.	हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर	023

1		2
24.	सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़	044
25.	राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बंगलूर	328
26.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	092
27.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	327
28.	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	166
29.	राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	195
30.	राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा	208
31.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान, नई दिल्ली	083
32.	राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	054
33.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	174
34.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	269
35	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नई दिल्ली	049
36.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल	128
37.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	113
38.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू	102
39.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, थिरूवनन्तपुरम	083
40.	संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद	036
41.	संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, चैन्नई	085
42.	सीएसआइआर मुख्यालय, नई दिल्ली	075
	कुल	5437

मुख्य पत्तनों के लिए पूंजी तथा प्रौद्योगिकी

2824. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मुख्य पत्तनों को अधिक पूंजी तथा बेहतर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसमें महापत्तन न्यासों को इस मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विदेशी सरकारों के साथ गैर-निविदाओं के सहयोग करार करने की अनुमति दी गई हैं।

केरल में विद्युत परियोजनाएं

2825. श्री एस० अजय कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किन-किन विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है और इनको प्रस्तुत करने की तिथि एवं वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : वर्तमान में केरल में निजी क्षेत्र की दो परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टी० ई० सी०) प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में जांच की जा रही है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गये हैं।

क्रम सं॰	परियोजनाओं का नाम	क्षमता मे॰वा॰	के॰ वि॰ प्रा॰ में प्राप्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	विप्पीन सीसीटीजी (एलएनजी)			
	मै॰ सियासिन एनर्जी लि॰	679	फरवरी, 1997	आई॰पी॰पी॰ को 150 करोड़ रुपये से लागत कम करने को कहा गया है। इसे आई॰पी॰पी॰ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
2.	कन्नूर सीसीजीटी			
	मै॰ कन्नूर पावर प्रोजेक्टस लि॰	513	जनवरी, 1997	आई॰पी॰पी॰ द्वारा लागत में 35 करोड़ रुपये की कमी करने की शर्त पर टी॰ई॰जी॰ हेतु स्कीम की सिफारिश की गई।

के॰ वि॰ प्रा॰ की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु अपेक्षित विभिन्न निवेशों/स्वीकृतियों के संबंध में इन तिथियों पर प्राप्त डी॰ पी॰ आर॰ पूर्ण नहीं थी।

संस्कृत विश्वविद्यालय

2826. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय संस्कृत विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से कितनी सहायता की मांग की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय देश में निम्नलिखित संस्कृत विश्वविद्यालय हैं :

राज्य विश्वविद्यालय

1. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)
2. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)
3. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी (उड़ीसा)
4. श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडि (केरल)

सम-विश्वविद्यालय

1. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
2. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
3. श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम (तमिलनाडु)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

टेलीफोन बिलों के वितरण के लिए निविदाएं

2827. श्री एस॰ एस॰ ओवेसी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं को टेलीफोन के बिल वितरित करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पश्चात् सरकार द्वारा पहले से ही दूरसंचार विभाग की सूची में दर्ज चुनींदा और सीमित संख्या में ठेकेदारों से सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पहले खुली निविदाओं और बाद में सीमित निविदाओं के मांगने के क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में टेलीफोन बिलों के त्वरित वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। आंध्र प्रदेश सर्किल के एक टेलीफोन जिले द्वारा एक खुला टेन्डर आमंत्रित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डाक प्राधिकारियों को सौंपने से पूर्व, शीघ्र वितरण हेतु बिलों को पिन कोड-वार तैयार किया जाता है।

कालीकट में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

2828. श्री टी० गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कालीकट, केरल में दूरदर्शन का एक पूर्ण कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। सिविल निर्माण कार्य सौंपने के बाद परियोजना को पूरा होने में लगभग दो से तीन वर्ष का समय लगेगा जो संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं अपेक्षित जनशक्ति की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बिहार में वन भूमि

2829. मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वन भूमि के क्षेत्र का जिलाबार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन भूमि का मौजूदा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन भूमि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1997 के अनुसार बिहार में रिकार्डिड वन क्षेत्र 29.226 वर्ग कि०मी० है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.81 प्रतिशत है और वन-आवरण 26,524 कि०मी० है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.3 प्रतिशत है। बिहार में वन आवरण का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वन भूमि की सीमा के संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई भू-भाग वन/वृक्ष आवरण के तहत होना चाहिए।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन आवरण में वृद्धि के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :-

(i) राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए गए।

(ii) ग्रामीण समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अवक्रमित वनों की सुरक्षा और उनके पुन: स्थापन के कार्य में शामिल किया गया।

(iii) वन भूमि के 'डाइवर्शन' को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार ने वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर 86145 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौध रोपण आरंभ किया है जिसमें निजी भूमियों पर लगाने के लिए 642 लाख पौध वितरित की है। राज्य सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार अवक्रमित वनों में वन-उत्पाद और पुन: स्थापन के लिए 1652 ग्रामीण समुदायों का गठन किया है। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 5191.62 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को शामिल किया गया है।

विवरण

जिला	भौगोलिक वन क्षेत्र	वन आवरण
1	2	3
औरंगाबाद	3305	126
बेगूसराय	1918	-
भागलपुर	5589	202
भोजपुर	4098	-
चम्पारण पश्चिम	5228	806
चम्पारण पूर्व	3968	-
दरभंगा	2279	-
धनबाद	2996	102
गया	6545	623
गिरीडीह	6892	1457
गोपालगंज	2033	-
हजारीबाग	11165	4792
कटिहार	3057	-
मधुबनी	3501	-
मुंगेर	7908	974
मुजफ्फरपुर	3172	-
नालंदा	2367	28
नवादा	2494	470

1	2	3
पलामू	12,749	4803
पटना	3202	-
पूर्णियां	7943	19
रांची	18,266	4511
रोहताश	7213	1584
सहरसा	5900	-
समस्तीपुर	2904	-
संथाल परगना	14,206	1469
सारण	2641	-
सिंहभूम	13440	4558
सिवान	2219	-
सितामढ़ी	2643	-
वैशाली	2036	-
कुल	173,877	26,524

वाहनों का रंग-रोगन इत्यादि करने से प्रदूषण

2830. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री दिलीप संघाणी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री डेटिंग और पेटिंग जनित प्रदूषण के बारे में 6.5.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4858 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी अनेक मोटर मार्केटों की जानकारी है जहां वाहनों को रंग-रोगन इत्यादि करने से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की वर्कशापों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन अवैध वर्कशापों को हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाने के बारे में सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) इन वर्कशापों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्य योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) मोटर मार्केटों की स्थापना स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आती है। वाहनो की डेटिंग और पेटिंग से प्रदूषण हो सकता है यदि इसकी रोकथाम के पर्याप्त उपाय न किए जाएं।

(ग) से (ङ) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संबंधित अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बिजली की कमी

2831. श्री जुआल उराम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के आदिवासी जनसंख्या वाले गांवों में बिजली की आपूर्ति हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) आदिवासी जनसंख्या वाले गांवों सहित गांवों में विद्युत की आपूर्ति के लिए स्कीमें राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई तथा क्रियान्वित की जाती हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है।

उड़ीसा में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा उड़िया भाषा में तैयार किए गए कार्यक्रम

2832. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जिनमें उड़िया भाषा में मूल कार्यक्रम तैयार करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध है;

(ख) राज्य में कार्यान्वयनाधीन ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के चैनलों पर उड़िया भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) उड़ीसा राज्य में कटक, जैपोर, सम्बलपुर, कियोंझर, बारीपाडा, बरहामपुर, बोलंगीर, भवानीपटना, राऊरकेला तथा जोरांडा में आकाशवाणी केन्द्र मौलिक रूप से उड़िया में मूल कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। तथापि, आकाशवाणी, पुरी आकाशवाणी, कटक के कार्यक्रमों को रिले करता है। दूरदर्शन की कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं वर्तमान में भुवनेश्वर तथा सम्बलपुर में स्थित स्टूडियों केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

(ख) राज्य में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं ये हैं : 1. सोरो में 1 कि॰वा॰मी॰वे॰ स्थानीय रेडियो स्टेशन, 2. रायरंगपुर में 1 कि॰वा॰ मी॰ वे॰ स्थानीय रेडियो स्टेशन, 3. कटक में अतिरिक्त स्टूडियो सुविधा, 4. सम्बलपुर में 100 कि॰वा॰ मी॰ वे. ट्रांसमीटर (प्रतिस्थापन), 5. कटक में 2 x 3 कि॰वा॰ एफ॰ एम॰ स्टीरियो, 6. जैपोर में 15 कि॰वा॰ शा॰ वे॰, 7. सम्बलपुर में दूरदर्शन की मौजूदा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का उन्नयन 8. भवानीपटना में दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माण केन्द्र।

(ग) से (ङ) उड़िया सहित क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित नहीं किया जाता है, तथापि, उड़िया कार्यक्रम क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। प्रतिदिन दो घंटे उड़िया कार्यक्रम क्षेत्रीय उपग्रह चैनल डी॰ डी॰-6 से भी प्रसारित किए जाते हैं।

बिल्लीमोरिया समिति

2833. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिल्लीमोरिया समिति ने धोखाधड़ी करने वाले कंपनियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन पहचान की गई कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जलभूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) कंपनी कार्य विभाग में केन्द्रीय सरकार को बिल्लीमोरिया समिति तथा धोखाधड़ी करने वाली कतिपय कंपनियों की पहचाल करने की इसकी रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंगला देश में भारतीय एन्कलेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मताधिकार

2834. श्री अमर रायप्रधान : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में भारतीय एन्कलेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने का मामला सरकर के पास लंबित था;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित पड़ा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जलभूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ङ) भारत का, इस समय बंगला देश में भारतीय विदेशी अंत:क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण या अभिगम नहीं है, और इसलिए, वहां के निवासियों को मत देने के अधिकार का विस्तार कर पाना संभव नहीं है। इन विदेशी अंत:क्षेत्रों का परस्पर परिवर्तन, प्रत्यक्ष रूप से भारत और बंगला देश के बीच सीमाओं से संबद्ध है और इसमें सीमाओं का पुन:सीमांकन करना होगा। सरकार को बंगला देश के साथ सभी सीमा संबंधी विवादकों को शीघ्र सुलझा पाने की आशा है।

दूरसंचार मंडल की स्थापना

2835. श्री उपेन्द्र नाथ नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिला मुख्यालय में दूरसंचार मंडल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंझर, दूरसंचार जिला प्रबंधक के अंतर्गत धेनकनाल गौण स्विचन क्षेत्र का एक हिस्सा है और इसलिए विभाग की नीति के अनुसार क्योंझर जिला मुख्यालय में पृथक दूरसंचार जिले का औचित्य नहीं बनता है।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 1998-99 की योजना इस प्रकार है :-

जिले का नाम	राज्य	किस्म	क्षमता
मयूरभंज	बारीपाड़ा	सी-डाट मैक्सएल	2000 (विस्तार)
"	रैरंगपुर	सी-डाट एसबीएम	400 वही
"	उदाला	सी-डाट एसबीएम	400 वही
क्योंझर	क्योंझर	सी-डाट मैक्सएल	3000 (परिवर्तित करना)
"	जोड़ा	सी-डाट एसबीएम	400 (विस्तार)
"	चंपुआ	सी-डाट एसबीएम	400 (परिवर्तित करना)

पेजिंग आपरेटरों की शिकायतें

2836. श्री के॰ एस॰ राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेजिंग आपरेटर्स की ओर से पेजिंग उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक बनाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों के पेजिंग आपरेटर्स को भारी घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पेजिंग आपरेटर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां। ज्ञापन में, उन लोगों ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान को स्थगित करने लाइसेंस अवधि को बढ़ाने की मांग की है।

(ग) पेजिंग सेवा उद्योग ने परियोजनाओं की अलाभकारी वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में अभ्यावेदन दिया है।

(घ) ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइसेज (बीआईसीपी) से पेजिंग सेवा उद्योग का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कराने के लिए अनुरोध किया गया है। बीआईसीपी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा आयात

2837. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा आयातित सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयात करने से पहले केन्द्र सरकार और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा उपकरणों के आयात में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयातित सामानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पावरग्रिड कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निगम है। तकनीकी आर्थिक विचार हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰वि॰प्रा॰) द्वारा परियोजनाओं की जांच की जा रही है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए उपस्करों का प्रापण भारत सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित एजेंसियों द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1995-96, 96-97 और 97-98 के दौरान आयातित विद्युत उपस्करों की सूची

क्र.सं.	संस्थान/विद्युत केन्द्र	उपस्कर	सीआईएफ वैल्यू		वित्त पोषण के स्रोत	देश जहां से आयात किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	
1995-96							
1.	पावरग्रिड/किशनपुर-मोगा 800(एस/सी) पारेषण लाईन	आप्टीकल ग्राउंड वायर (ओपीजी डब्ल्यू) 30.905 कि॰मी॰	यू॰एस॰ डालर	259.780.01	विश्व बैंक ऋण सं. 3237-इन	दक्षिण कोरिया	
2.	पावरग्रिड/किशनपुर-मोगा 800 (एस/सी) पारेषण लाईन	210 के एन डिस्क इंसुलेटर 217,025	यू॰एस॰ डालर	7,802,048.75	विश्व बैंक ऋण सं. 3237-इन	सेडीवर, फ्रांस	
		120 के एन डिस्क इंसुलेटर 97,600	यू॰एस॰ डालर	1,490,644.80			

1	2	3	4	5	6	7
3.	पावरग्रिड/किशनपुर-मोगा 800 (एस/सी) पारेषण लाईन	210 के एन डिस्क इंसुलेटर 217.025	यू॰एस॰ डालर	7,925,753.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3237-इन	मित्सुई, जापान
		120 के एन डिस्क इंसुलेटर 97,600	यू॰एस॰ डालर	1,514,752.00		
4.	पावरग्रिड/उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली	थर्मोविजन कैमेरा-4	पीएस	192,395.50	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3237-इन	एजीमा, यू॰के॰
5.	पावरग्रिड/रिहन्द-दिल्ली एचवीडीसी बाइपोल	दीर्घकालीन	सीएचएफ	1,607,838.00	एसईबी ऋण स्वीडन	स्वीडन
6.	पावरग्रिड/उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र पारेषण प्रणाली	टॉड मीटर्स	पीएस	99,213.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	यू॰के॰
1996-97						
1.	पावरग्रिड/2 x 500 मे.वा. एचबीडीसी परियोजना चन्द्रपुर	एचवीडीसी टर्मिनल उपस्कर	पीएस	21,000,000.00	ओडीए सहायता +डब्ल्यूएमबी ऋण	यू॰के॰
			एफएफ	9,000,000.00	फ्रेंच प्रोटोकोल + निर्यात क्रेडिट	फ्रांस
2.	पावरग्रिड/500 मे॰वा॰	एचवीडीसी टर्मिनल उपस्कर	पीएस	1c,400,000.00	डब्ल्यूएमबी ऋण	यू॰के॰
3.	पावरग्रिड/400 के॰वी॰ विन्ध्याचल-जबलपुर एवं जबलपुर-इटारसी पारेषण लाईन	(i) आप्टीकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू)	यू.एस. डालर	4,023,648.10	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	कनाडा
		(ii) उपस्कर परीक्षण मापन यंत्र तथा ओपीजी डब्ल्यू हेतु स्ट्रीनिंग टूल्स	यू.एस. डालर	2,809,622.60	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	आस्ट्रेलिया एवं यू॰के॰
4.	पावरग्रिड/400 के॰वी॰डी॰ सी इटारसी-धुले एवं रामागुंडम-हैदराबाद पारेषण लाईन	(i) आप्टीकल फाइबर ग्रांउड वायर (ओपीजीडब्ल्यू)	पी.एस.	3,390,120.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	यू॰के॰

1	2	3	4	5	6	7
		(iii) उपस्कर परीक्षण एवं मापन यंत्र तथा ओपीजी डब्ल्यू हेतु स्ट्रीनिंग टूल्स	पीएस	653,957.00	विश्व बैंक	यू॰के॰ ऋण सं॰ 3577-इन
1996-97						
5.	पावरग्रिड/जैपोर-गजुवाका बी/एल	(i) सभी एल्यूमिनियम एलाय कंडक्टर (एएएसी)	यू॰एस॰ डालर	9,598,740.00	एडीबी	चीन
		(ii) अर्थवायर	यू॰एस॰ डालर	82,402.17	एडीबी	चीन
6.	पावरग्रिड/पारेषण योजना हेतु परामर्शी सेवाएं	सल्फोर्ड कम्पलियर	यू॰एस॰ डालर	4,120.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	यू॰एस॰ए॰
7.	पावरग्रिड/800 के॰वी॰ किशनपुर मोगा पारेषण लाईन	आप्टीकल फाइबर ग्रांउड वायर-166 कि॰मी॰ (ओपीजीडब्ल्यू)	यू॰एस॰ डालर	1,395,356.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3237-इन	गोल्डस्टार कोरिया
8.	पावरग्रिड/उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली	हाट लाईन अनुरक्षण उपस्कर	यू॰एस॰ डालर	384,632.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3237-इन	एबी चांस, यू॰एस॰ए॰
9.	पावरग्रिड/उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली	परीक्षण उपस्कर	यू॰एस॰ डालर + पीएस	188,917.00 + 60,825.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3237-इन	एबीओ इंटरनेशनल यू॰के॰
1997-98						
1.	पावरग्रिड/400 के॰वी॰ डी/सी विन्ध्याचल जबलपुर एवं जबलपुर इटारसी पारेषण	(i) आप्टीकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू)	यू॰एस॰ डालर	863,572.80	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	कनाडा
		(ii) पोर्टेबल डीजी सेट समेत वातानुकूल यंत्र स्काफफोल्डिंग और सभी मौसमों का टैंट	यू॰एस॰ डालर	31,600.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	
2.	पावरग्रिड/400 के॰वी॰ डी/सी इटारसी धुले एवं रामागुंडम-हैदराबाद पारेषण लाईन	पोर्टेबल डीजी सेट समेत वातानुकूल यंत्र स्काफफोल्डिंग और सभी मौसमों का टेंट	पी॰एस॰	11,732.00	विश्व बैंक ऋण सं॰ 3577-इन	

1	2	3	4	5	6	7
3.	पावरग्रिड/जैपोर-गजुवाका टी/एल	(i) सभी एल्युमिनियम कंडक्टर (एएएसी)	एलाय यू०एस० डालर	3,600.465.34	एडीबी	चीन
		(ii) अर्थवायर.	यू०एस० डालर	38,133.27	एडीबी	चीन
4.	पावरग्रिड/कायम कुलम में 245 के०वी० जीआईएस स्विचयार्ड	जी आई एस उप-केन्द्र उपस्कर	यू०एस० डालर	10,082,435.00	विश्व बैंक ऋण सं०	कोरिया, टर्की एवं स्विटजरलैंड
5.	पावरग्रिड/2 x 500 मे०वा० बीटीपी परियोजना चन्द्रपुर	एच बीडीसी टर्मिनल उपस्कर	पीएस	1,000,000.00	डब्ल्यूएमबी ऋण	यू०के०
6.	पावरग्रिड/विआग में 1x500 मे०वा० एचवीडीसी बीटीबी परियोजना	एचबीडीसी टर्मिनल उपस्कर	पीजी	11,800,000.00	डब्ल्यू एमबी	यू०के०
7.	पावरग्रिड/800 के०वी० किशनपुर-भोगा पारेषण लाईन	(i) आप्टीकल फाइबर ग्राउंड वायर 115 कि०मी० (ओपीजीडब्ल्यू)	यू०एस० डालर	966,652.00	विश्व बैंक ऋण सं० 3237-इन	गोल्डस्टार कोरिया
		(ii) ओपीजीडब्ल्यू उपस्कर	यू०एस० डालर	650,056.00	विश्व बैंक ऋण सं० 3237-इन	गोल्डस्टार कोरिया
8.	पावरग्रिड/उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली	210 के एन डिस्क इंसुलेटर 398,266	यू०एस० डालर	9,272,195.00	विश्व बैंक ऋण सं० 3237-इन	लिमिक, चीन

ओलिव रिडले कछुए

2838. श्री खारवेल स्वाईन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्लभ प्रजाति के ओलिव-रिडले कछुए पिछले दो वर्षों से अंडे देने के लिए उड़ीसा के भितारकनिका समुद्र तटों पर आ रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इनके न आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को अंडे देने के लिए इनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

1. उड़ीसा सरकार ने "गिल नेट" वाली यांत्रिक नावों को "गहीरमाथा सैंक्यूएरी" के रूप में अधिसूचित किए गए क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य न करने देने का निर्णय लिया है।

2. वन विभाग ने, भूमि वाले भाग की तरफ से क्षेत्र में प्रभावी गश्त के लिए यांत्रिक नाव किराए पर ली है।

एक सहायक वन संरक्षक और पुलिस का एक दल विशेष तौर पर गश्त कार्य के लिए लगाया जा रहा है।

3. तटरक्षकों को सागर वाले भाग की तरफ से सैंक्युएरी की गश्त बढ़ाए जाने के संबंध में निवेश दिए गए है।

[हिन्दी]

शिक्षा के उद्देश्य

2839. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आजीवन शिक्षा को अपने आदर्श तथा उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिए आयु सीमा समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा संसाधनों के विकास हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) संसद के दोनों सदनों में रखे गए 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शैक्षिक प्रक्रिया के वांछित लक्ष्य के रूप में जीवनपर्यन्त शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इस नीति के अनुसरण में, समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी स्थिति के अनुरूप शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से मुक्त अध्ययन पद्धति, स्कूल बीच में छोड़ देने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किए गए हैं।

(घ) वर्ष 1998-99 के बजट प्रस्तावों में शिक्षा विभाग (केन्द्रीय क्षेत्र) के लिए 4245.14 करोड़ रुपये का प्रावधान (योजनागत) किया गया है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय परियोजनाएं

2840. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक इन परियोजनाओं के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई पर्यावरणीय परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के तहत प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

क्र॰सं॰	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य लक्ष्य	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में व्यय
1	2	3	4
1.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं तथा केन्द्रीय बहिस्राव शोधन परियोजनाओं की स्थापना	औद्योगिक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय गिरावट को रोकना और पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ाना	71.61
2.	पर्यावरणीय लेखा परीक्षा	प्रदूषण में कमी के लिए पर्यावरणीय लेखा परीक्षा को प्रबंधन टूल के रूप में बढ़ावा देना।	0.32
3.	पर्यावरणीय सांख्यिकी और मानचित्रण	प्रदूषण के प्रभावों की निगरानी के लिए पर्यावरणीय आंकड़ों को एकत्र करना और एकीकृत करना।	0.23
4.	लघु स्तर के उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाना	लघु स्तर के उद्योगों के लिए अपशिष्ट पुन: प्रयोग और पुन: चक्रण सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना और उसे अपनाना।	0.18

1	2	3	4
5.	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन	पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाली विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुझाव देना। विकास के प्रभावी मूल्यांकन संबंधी अध्ययन शुरू करना स्वच्छ प्रौद्योगिकीयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास और उन्हें बढ़ावा देना।	
6.	जैव-मंडल आरक्षित क्षेत्र	प्रतिनिधिक पारि-प्रणालियों का संरक्षण करना तथा पौधों, जीव जन्तुओं तथा माइक्रो आर्गेनिजम का स्वस्थान संरक्षण करना।	
7.	कच्छ वनस्पतियों का संरक्षण	राज्य सरकारों को उनकी कच्छ वनस्पतियों तथा प्रवाल भितियों की सुरक्षा करने और उन्हें पुन: उगाने हेतु सहायता देना तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्य योजनाएं बनाना।	2.75
8.	वन भूमि का संरक्षण	राज्य सरकारों को उनकी नम भूमियों की सुरक्षा करने तथा उनका पुनर्विकास करने के लिए सहायता प्रदान करना और उनके लिए प्रबंधन कार्य योजनाएं बनाना।	4.83
9.	वनस्पति बागानों तथा स्थानीय, दुर्लभ तथा संकटापन्न पौधों के संरक्षण तथा प्रोपेगेशन केन्द्रों की सहायता	जैव विविधता के संरक्षण और पौद उत्पति स्त्रोतों के प्रोपेगेशन, जिनकी देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में दुर्लभ और संकटापन्न के तौर पर पहचान की गई है, के लिए देश के विभिन्न भागों में वनस्पतिक बागानों और फील्ड केन्द्रों की गतिविधियों को बढ़ावा देना।	1.42
10.	जैव विविध संरक्षण	देश में विभिन्न संगठनों द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रमों का समन्वय समीक्षा और निगरानी करना।	0.48
11.	पारि-कार्यबल	पर्यावरणीय रूप से अत्यधिक अवक्रमित चुनिंदा क्षेत्रों में पारिस्थितकीय पुन: स्थापन	11.86

1	2	3	4
		कार्य को शुरू करने के लिए यह स्कीम पर्यावरण और वन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों का मिला-जुला उद्यम है।	
12.	अनुसंधान और विकास	सारे देश के संस्थानों विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विनिर्धारित क्षेत्रों में बहुविषयी पहलुओं में अनुसंधान कार्यों को बढ़ाना।	10.89
13.	हिमालयी क्षेत्रों की एकीकृत कार्यमूलक परियोजनाएं	हिमालयी क्षेत्रों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्यओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार करना।	1.24
14.	पर्यावरण सुधार परियोजना पर्यावरण वाहिनी	लोगों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के के साथ-साथ वनों, वन्य जीवों के प्रदूषण और पर्यावरणीय अवक्रमण संबंधी अवैध कार्यों की सूचना देना।	0.68
15.	पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण	औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक/अध्ययन सामग्री तथा सहायता विकसित करना। लोगों में हर स्तर पर पर्यावरण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, प्रचार माध्यमों और अन्य संबंधित संगठनों को प्रोत्साहित करना मौजूदा शैक्षिक/वैज्ञानिक/अनुसंधान संस्थाओं में पर्यावरणीय शिक्षा का उन्नयन करना। पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानव शक्ति का विकास पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोगों की जागरूकता संचारित करना।	9.74
16.	सेमिनार/विचारगोष्ठियां/कार्यशालाएं	मौजूदा वैज्ञानिक हित से जुड़े पर्यावरणीय विषयों पर सेमिनार/विचारगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं व्यावसायिक निकायों को वित्तीय सहायता देना ताकि विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों/पर्यावरण विदों	0.63

1	2	3	4
		के साथ जानकारी और अनुभव हेतु एक आम मंच उपलब्ध कराया जा सके।	
17.	व्यावसायिक सोसायटियों और संस्थाओं को सहायता अनुदान	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यकलाप और परियोजनाएं विकसित करने के साथ-साथ पारिस्थितिकी, वन्यजीव एवं पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी गैलरियों और शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना।	0.8
18.	पर्यावरणीय सूचना केन्द्र	इसका उद्देश्य डाटा -बेस के डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की विचारधारा पर आधारित एक विकेन्द्रिकृत सूचना प्रणाली का विकास करना है ताकि व्यापक स्तर पर प्रयोगकर्ताओं के लिए पर्यावरण संबंधी सूचना एकत्र करने उनका मिलान, संग्रह, वितरण करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को एकीकृत किया जा सके।	4.37
19.	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली	देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को मानीटरिंग में दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग।	1.61
20.	उत्कृष्टता केन्द्र	स्कीम के अंतर्गत, पर्यावरण के मुख्य क्षेत्रों में गहन अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना है।	11.67
21.	प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता	प्रदूषण उपशमन संबंधी योजना विवरण के कार्य-बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राज्य पर्यावरणीय विभागों और अनुसंधान संस्थानों को उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान दिए जा रहे हैं।	4.73
22.	पारिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन	पारिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन अवसंरचनाओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा रासायनिक एमरजेंसी के प्रबंध को सुदृढ़ बनाना।	7.17
23.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	(क) यू एन ई पी तथा एस ए सी ई पी के लिए देश में नोडल एजेंसी के तौर पर	

1	2	3	4
		कार्य करना और यू एन सी ई डी, सी एस डी, जी ई एफ आदि पर अनुवर्ती कार्यवाही की देखरेख करना।	
		(ख) पर्यावरणीय कार्यक्रमों तथा विभिन्न द्विपक्षीय अनुवर्ती उपायों पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग करना।	2.44
		(ग) भारत-कनाडा-भारत पर्यावरण सुविधा कार्यक्रम, जिसमें कनाडा सरकार से वस्तुओं का अनुदान शामिल है, का समन्वय करना।	60.71
		(घ) भारतीय पर्यावरण प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता संबंधी वर्ल्ड बैंक की परियोजना का समन्वय करना।	9.08
24.	गंगा परियोजना चरण-I	गंगा नदी के प्रदूषण को उपशमित करना तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने लायक जल के रूप में बनाना।	30.78
25.	गंगा कार्य योजना चरण-II	(i) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गंगा की मुख्य प्रदूषित उप नदियों अर्थात् यमुना, गोमती और दामोदर, (ii) गंगा तट पर बसे शहरों जिन्हे चरण-I में शामिल नहीं किया जा सका था, में निर्माण कार्य। (iii) गंगा में अन्य शहरों, जिन्हें चरण-I में शामिल नहीं किया जा सकता था और जहां नदी का जल प्रदूषित पाया गया है, में निर्माण कार्य, और (iv) गंगा नदी पर बसे अन्य शहरों में प्रदूषण दूर करना।	191.81
26.	राष्ट्रीय नदी कार्य योजना	समस्त देश में फैली प्रमुख नदियों में प्रदूषण को करना।	40.45

[हिन्दी]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2841. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक की सहायता से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य-स्तर को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से आठ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों उदाहरणत: उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उनकी निगरानी तथा प्रर्वतन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ किए जाने हेतु निर्धारित किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

(i) विश्लेषणात्मक एवं निगरानी उपकरणों और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का अर्जन।

(ii) प्रयोगशालाओं के भीतर उपयुक्त पर्यावरणीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा सिविल कार्यों तथा उपकरणों सहित प्रयोगशाला सुविधाओं को पुन: सुसज्जित करने संबंधी प्रावधान हेतु सहायता।

(iii) पर्यावरण और इसके प्रबंधन से संबंधित विभिन्न आयामों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली में सुधार

2842. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूल के छात्रों पर पाठ्यक्रम और किताबों का भारी बोझ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रो॰ यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने स्कूल के बच्चों पर शैक्षिक बोझ को कम करने के संबंध में बहुत-सी सिफारिशें की। 2.3.1994 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में, राज्य सरकारों ने यशपाल समिति की सिफारिशों के साथ अपनी व्यापक सहमति व्यक्त की। चूंकि केन्द्रीय सरकार की भूमिका का स्वरूप सिफारिशी हैं, इस समिति की सिफारिशों को अपनाने और लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पहले से ही पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनके मुख्य विषयों में एक, स्कूल के छात्रों के पाठ्यक्रम और पुस्तकों के बोझ को कम करना है।

केरल में मॉडल हायर सैकेण्डरी स्कूल

2843. श्री बी॰ एम॰ सुधीरन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य के ग्यारह जिलों में 11 मॉडल आवासीय सेंकेण्डरी स्कूलों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

देश में आंगनवाड़ियां

2844. श्री वासवराज पाटील सेंडाम : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी आंगनवाड़ियां कार्यरत हैं, इनमें विभिन्न श्रेणी के कितने कर्मचारी और पर्यवेक्षक कार्यरत हैं और राज्यवार उनको कुल कितनी परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है;

(ख) इन आंगनवाड़ियों को आरंभ करने से पीछे सरकार की क्या नीति है और क्या इसके वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनमें सुधार करने हेतु सरकार की कोई नई नीति है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई॰ सी॰ डी॰ एल॰) कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय देश में 5,92,571 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों की संख्या तथा उनको दी जाने वाली परिलब्धियों की जानकारी राज्यों से एकत्र की जा रही है।

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवाएं, यथा पूरक पोषाहार स्कूल-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षा, सदर्भ

सेवाएं तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सेवाएं छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों से युक्त क्षेत्रों में बच्चों का पोषण-स्तर तथा विद्यालयों में नामांकन उन क्षेत्रों से अधिक हुआ है, जहां आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फिलहाल कोई नया कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है, तथापित सरकार बेहतर निवेश, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वर्तमान स्कीम को बेहतर बनाने के लिए सतत् प्रयास करती रहती है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	237	34764
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	3341
3.	असम	83	12795
4.	बिहार	323	42975
5.	गोवा	11	1334
6.	गुजरात	227	38897
7.	हरियाणा	114	13977
8.	हिमाचल प्रदेश	72	8935
9.	जम्मू एवं कश्मीर	113	12116
10.	कर्नाटक	185	39100
11.	केरल	120	20123
12.	मध्य प्रदेश	335	41879
13.	महाराष्ट्र	274	49571
14.	मणिपुर	32	4015
15.	मेघालय	30	2438
16.	मिजोरम	21	1487
17.	नागालैंड	35	3066
18.	उड़ीसा	279	31364
19.	पंजाब	90	11971
20.	राजस्थान	194	29006
21.	सिक्किम	5	620
22.	तमिलनाडु	432	55263
23.	त्रिपुरा	23	3429
24.	उत्तर प्रदेश	580	76236
25.	पश्चिम बंगाल	294	47861
26.	अंड. निको. द्वीप समूह	5	429
27.	चंडीगढ़	3	341
28.	दिल्ली	29	4099
29.	दादरा और नगर हवेली	1	152
30.	दमन और दीव	2	95
31.	लक्षद्वीप	1	73
32.	पांडिचेरी	5	819
	जोड़	4200	592571

[अनुवाद]

मतदाताओं को पहचान पत्र

2845. श्री ए॰ सिदराजू :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री जयसिंह जी चौहान :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में, अब तक राज्यवार कितने मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में मतदाताओं को पहचान पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार कितने मतदाताओं को पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(ङ) मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में चुनावों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जलभूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) चूंकि प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किए जाने के लिए नए मतदाता पात्र हो जाते हैं, अत: फोटो पहचान पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया बनी रहनी है ताकि नए मतदाताओं को सम्मिलित किया जा सके और इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

(च) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

15-6-98 को मतदाता फोटो पहचान पत्रों की प्रगति के संबंध में प्रास्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998 के साधारण निर्वाचन के अनुसार मतदाता	जारी किए गए त्रुटि रहित पहचान पत्रों की संख्या	स्तंभ (3) का प्रतिशत	ऐसे मतदाता जिन्हें अभी पहचान पत्र जारी किए जाने हैं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश !	49133135	32291515	65.72	16841620
2.	अरुणाचल प्रदेश	565621	359730	63.60	205891
3.	असम $	14277806	67479	0.47	14210327
4.	बिहार !	58766472	21681836	36.89	37084636
5.	गोवा	880746	523789	59.47	356957
6.	गुजरात !	28770306	23133904	80.41	5636402
7.	हरियाणा ^	11078895	9445947	85.26	1632948
8.	हिमाचल प्रदेश	3625295	2627892	72.49	997403
9.	जम्मू कश्मीर *	5021316		0.00	5021316
10.	कर्नाटक	33098338	23911833	72.24	9186505
11.	केरल	21188712	6539493	30.86	14649219
12.	मध्य प्रदेश !	44607368	27282132	61.16	17325236
13.	महाराष्ट्र	56205250	44217300	78.67	11987950
14.	मणिपुर	1330209	1027748	77.26	302461
15.	मेघालय #	1157482	641459	55.42	516023
16.	मिजोरम	442457		0.00	442457
17.	नागालैंड !	926569	566325	61.12	360244
18.	उड़ीसा !	23393600	18257438	78.04	5136162
19.	पंजाब ^	15344540	10760904	70.13	4583636
20.	राजस्थान	29751400	18689036	62.82	11062364
21.	सिक्किम	236494	200077	84.60	36417

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु $	45577788	5183442	11.37	40394346
23.	त्रिपुरा !	1727463	1164545	67.41	562918
24.	उत्तर प्रदेश ^	101982480	51995000	50.98	49987480
25.	पश्चिमी बंगाल $	46880362	33587563	71.65	13292799
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह ^	232013	177000	76.29	55013
27.	चंडीगढ़ +	531146	307181	57.83	223965
28.	दादरा और नागर हवेली +	95832	57933	60.45	37899
29.	दमन और दीव ^	71934	45645	53.45	26289
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	8297622	5545000	66.83	2752622
31.	लक्षद्वीप ^	36738	31032	84.47	5706
32.	पांडिचेरी ^	665486	555675	83.60	109811
	संपूर्ण भारत	605900875	340875853	56.26	265025022

@ अनंतिम आंकड़े & 30.11.97 + 15.12.97 ! 15.4.98
# 30.4.98 $ 15.5.98 ^ 31.5.98

* जम्मू-कश्मीर में स्कीम अभी आरंभ की जानी है।

महाराष्ट्र में पन बिजली परियोजनाएं

2846. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी पन बिजली परियोजनाएं पूरा होने के अंतिम चरण में हैं और इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं से कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं की लागत, यदि कोई हो, में वृद्धि के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं की संख्या व नाम, मेगावाट में उनकी अधिष्ठापित क्षमता, मूल/अद्यतन लागत, अब तक का व्यय, चालू करने की संभावित तिथि और लागत अभिवृद्धि में कारण आदि ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	मूल/अद्यतन लागत (करोड़ रु० में)	अब तक का व्यय (करोड़ रुपयों में)	चालू करने की संभावित तिथि	लागत अभिवृद्धि के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोयना (एचईपी चरण-IV)	4x250 =1000	378.76 1140	898.50 (12/97)	1999-2001	टीजीसेटों का आदेश देने में विलम्ब। निर्माण कार्य में धीमी प्रगति।
2.	वारना	2x8	15.10	25.66	यूनिट-1 सितम्बर	पी.एच. निर्माण कार्य में

1	2	3	4	5	6	7
		=16	= 28.48	(6/97)	में चालू की गई और यूनिट 2 अप्रैल, 1998 में चालू की,	विलम्ब
3.	दुधगंगा	2x12	28.80	40.63	1998-2000	पीएच निर्माण कार्य में
		=24	49.108	(6/97)		विलम्ब
4.	घाटघर	2x125	485.96	28.75	2002-03	राज्य सरकार द्वारा कम
		= 250	620.78	(6/97)		प्राथमिकता प्रदान करना जिसमें कारण सामान्य मूल्य अभिवृद्धि हुई है।
5.	बिंबपुरी (प्राइवेट)	1x90	89.97	-	2001.02	कोई अभिवृद्धि नहीं
		= 90	89.97			

हल्के प्रशिक्षक विमान का निर्यात

2847. **श्री चंदूलाल अजमीरा :**

श्री के० पी० नायडू :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्के प्रशिक्षक विमान हंस-3 का निर्यात करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एनएएल), बंगलूर द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया दो सीटों वाला हल्का प्रशिक्षक विमान हंस-3 अपने वाणिज्यिक उत्पादन से पूर्व इस समय प्रमाणन उड़ान परीक्षणाधीन है। हंस-3 के निर्यात के लिए आवश्यक कदम उचित समय पर उठाये जायेंगे।

इन्टरनेट कनेक्शन

2848. **श्री एम० राजैया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और इनकी क्षमता क्या है;

(ख) हैदराबाद टेलीकाम सर्कल के हरेक एक्सचेंज में विभिन्न श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद में नए इन्टरनेशनल कनैक्शन्स और इन्टरनेट कनैक्शन्स के लिए छात्र खाते को वर्तमान में बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक बहाल कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इन्टरनेट शुल्क को कम किए जाने की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में क्षमता सहित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) हैदराबाद दूरसंचार जिले के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत प्रत्येक एक्सचेंजों में 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। निकट भविष्य में उपस्करों के विस्तार के पश्चात् प्रतीक्षा सूची के निपटान की संभावना है। इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित उपस्करों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जी हां। उपस्करों के विस्तार के पश्चात् स्टुडेंट एकाउन्ट रिलीज किए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) दिनांक 29.4.98 का गजट अधिसूचना के द्वारा टी० आर० ए० आई०, लीज्ड लाइनों के लिए इन्टरनेट शुल्क तथा पोर्ट चार्जिज़ में कमी करने के लिए पहले से ही मान गया है ताकि इन्टरनेट सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। 1.1.98 से उपयोग सेवा शुल्क (यूजेज चार्जिज़) को 15,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

विवरण-I

30.4.98 की स्थिति के अनुसार हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति

क्र.सं.	एक्सचेंज की संख्या	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3	4
1.	1	आदर्शनगर	4000
2.	1ए	आदर्शनगर	8000
3.	2	अमीरपेट	7000
4.	2 ए	अमीरपेट	8600
5.	3	बीएचईएल	5000
6.	1	बरकतपुरा	5100
7.	5	बालानगर	3000
8.	6	बोवीनपल्ली	5550
9.	7	कैंटोनमेंट	6100
10.	8	चंद्रामानागुट्टा	6000
11.	9	चारमिनार	10000
12.	9 ए	चारमिनार	7000
13.	9 बी	चारमिनार	23700
14.	10	दूरसंचार भवन	4600
15.	11	द्वारकापुरी	4500
16.	12	ऐरागड्डा	12500
17.	12 ए	ऐरागड्डा	5250
18.	13	गचीबोवली	1500
19.	14	गोलकोंडा	9500
20.	15	गोवलीगुडा	8000
21.	15 ए	गोवलीगुडा	4000
22.	15 बी	गोवलीगुडा	22000
23.	15 सी	गोवलीगुडा	6000
24.	16	हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी	1000
25.	17	जुबली हिल्स	9000
26.	17 ए	जुबली हिल्स	1000
27.	18	जीडिमेटला	5850
28.	19	कुकाटपल्ली	4200
29.	20	कुकाटपल्ली हाउसिंग बोर्ड	6000
30.	21	कुशाईगुडा	8560
31.	22	कवाईगुडा	6650
32.	23	एल बी नगर	4400
33.	24	लिंगामपल्ली	3300
34.	25	मुशीराबाद	19500
35.	25 ए	मुशीराबाद	12000
36.	25 बी	मुशीराबाद	8100
37.	26	महेन्द्र हिल्स	3500
38.	27	मलकाजगिरी	7000
39.	28	मालकपेट	5000
40.	29	मेहटीयेटनम	6000
41.	30	मसाबिआंक	4400
42.	31	मिथापुर	1000
43.	32	नचाराम	3000
44.	32 ए	नचाराम	6000
45.	33	प्रकाशनगर	4750
46.	34	राजेन्द्रनगर	4500
47.	35	रामकोटी	9000
48.	36	रामांथापुर	5000
49.	37	सिकंदराबाद	10000
50.	38	सिंकदराबाद	6000
51.	39	सिंकदराबाद	21400
52.	40	सिंकदराबाद	4500
53.	40 ए	सिंकदराबाद	4000
54.	41	साइदाबाद	9000
55.	42	साइफाबाद	13800
56.	43	सैफाबाद	8400
57.	44	सैफाबाद	32050
58.	44 ए	सैफाबाद	4000
59.	45	संतोषनगर	5200
60.	46	सैनिकपुरी	4000

1	2	3	4
61.	47	सरूरनगर	10700
62.	47 ए	सरूरनगर	9000
63.	48	तारनाका	3000
64.	49	वनासियालीपुरम	8000
65.	50	वसावीनगर	4050
66.	51	विवेकानंद नगर	5000
		कुल	487710

विवरण-II

30.4.98 की स्थित के अनुसार हैदराबाद दूरसंचार जिले में हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज संख्या	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची ओवाईटी	प्रतीक्षा स्पेशल	प्रतीक्षा सूची सामान्य	कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	आदर्शनगर	0	0	0	0
2.	1 ए	आदर्शनगर	0	0	0	0
3.	2	अमीरपेट	0	0	212	212
4.	2 ए	अमीरपेट	0	0	0	0
5.	3	बीएचईएल	0	6	704	710
6.	4	बरकाथुपुरा	0	0	53	53
7.	5	बालानगर	0	6	81	87
8.	6	बोवनिपल्ली	7	2	180	189
9.	कनि	केन्टोनमेंट	0	0	186	186
10.	8	चन्द्रनगुटा	0	2	398	400
11.	9	चारमिनार	0	4	3796	9800
12.	9 ए	चारमिनार	0	0	0	0
13.	9 बी	चारमिनार	0	0	0	0
14.	10	दूरसंचार भवन	0	0	0	0
15.	11	द्वारकापुरी	0	0	0	0
16.	12	ऐर्रागड्डा	0	12	416	428
17.	12 ए	ऐर्रागड्डा	0	0	0	0
18.	13	गाचीबोबली	0	2	106	105
19.	14	गोलकुंडा	0	52	4	1490
20.	15	गोलीगुड्डा	0	3	210	213
21.	15 ए	गोलीगुड्डा	0	0	0	0
22.	15 बी	गोलइगुड्डा	0	0	0	0
23.	15 सी	गरेलइगुड्डा	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
24.	16	हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी	0	2	334	336
25.	17	जुबली हिल्स	0	0	158	158
26.	17 ए	जुबली हिल्स	0	0	0	0
27.	18	जीडीमेटला	0	83	1352	1435
28.	19	कुकतपल्ली	0	38	399	437
29.	20	कुकतपल्ली हाउसिंग बोर्ड	0	65	248	2525
30.	21	कुशीगुड्डा	0	7	2580	2587
31.	22	कवेडीगुडडा	0	2	79	81
32.	23	एल बी नगर	0	3	109	112
33.	24	लिंगापल्ली	0	9	632	641
34.	25	मुसीराबाद	0	18	1591	1609
35.	25 ए	मुसीराबाद	0	0	0	0
36.	25 बी	मुसीराबाद	0	0	0	0
37.	26	महेन्द्रा हिल्स	0	0	30	30
38.	27	मलकाजगिरी	8	15	2613	2636
39.	28	मलाकपेट	0	2	103	105
40.	29	मेहदीरातराम	0	3	268	272
41.	30	मासाबिनी	0	0	0	0
42.	31	माधापुरी	0	9	876	883
43.	32	माचाराम	8	25	2066	2099
44.	32 ए	माचाराम	0	0	0	0
45.	33	प्रकाशनगर	3	1	58	62
46.	34	राजेन्द्रनगर	0	5	1052	1057
47.	35	रामकोटी	0	4	54	58
48.	36	रामनार्थपुर	4	4	484	492
49.	37	सिकंदराबाद	10	1	183	194
50.	38	सिकंदराबाद	0	0	0	0
51.	39	सिकंदराबाद	12	6	1884	1902
52.	40	सिकंदराबाद	0	3	69	72
53.	40 ए	सिंकदराबाद	0	0	0	0
54.	41	सैदाबाद	0	6	401	407

1	2	3	4	5	6	7
55.	42	सैफाबाद	0	0	101	101
56.	43	सैफाबाद	0	0	0	0
57.	44	सैफाबाद	0	0	225	225
58.	44 ए	सैफाबाद	0	0	0	0
59.	45	संतोषनगर	0	0	80	80
60.	46	सैनिकपुरी	0	0	70	70
61.	47	स्वरूपनगर	0	7	293	300
62.	47 ए	स्वरूपनगर	0	0	0	0
63.	48	तारनाका	2	2	265	269
64.	49	वनास्तलीपुरम	0	8	2683	2691
65.	50	वसावीनग्र	0	0	73	73
66.	51	विवेकानगर	0	23	1120	1143
		कुल	54	439	32431	32924

30.4.98 की स्थिति के अनुसार हैदराबाद दूरसंचार जिले के रंगारेड्डी जिले के एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे।

क्र.सं.	एक्सचेंज संख्या	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची ओवाईटी	प्रतीक्षा स्पेशल	प्रतीक्षा सूची सामान्य	कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7
1.		अब्दुलापुरमेत	0	0	210	210
2.		अजीज नगर	0	0	46	46
3.		बर्दागीपेट	0	0	155	155
4.		बसीराबाद	0	0	72	72
5.		वासूपल्ली	0	0	77	77
6.		चीवीला	0	0	115	115
7.		चीन्नागोलकोंडा	0	0	73	73
8.		दंदूमैलाराम	0	0	18	18
9.		देवारापामराल	0	0	52	52
10.		धारूर	0	0	3	3
11.		दीमा	0	0	11	11
12.		दुब्बाचेरला	0	0	22	22
13.		दुंदीजाल	0	0	383	383

1	2	3	4	5	6	7
14.		एन्नाराम	0	0	0	0
15.		गाडीसिंगापुर	0	0	7	7
16.		घाटकेसर	0	0	372	372
17.		इब्राहिमपटट्नम	0	0	446	446
17.	ए	इब्राहिमपटट्नम	0	0	0	0
18.		जग्गामगुड्डा	0	0	84	84
19.		कानेकाल	0	0	30	30
20.		कासानकोटे	0	0	67	67
21.		किसारागुटा	0	0	96	96
22.		खानापुर	0	0	7	7
23.		कोमपल्ली	0	0	93	93
24.		कोगारावीरायल	0	0	31	31
25.		कुलाकाचरेला	0	0	48	48
26.		माडीरेड्डीपल्ली	0	0	0	0
27.		महाराजपेट	0	0	0	0
28.		महेश्वाराम	0	0	153	153
29.		मैलवार	0	0	0	0
30.		माल वी॰ नगर	0	0	45	45
31.		मामीदीपल्ली	0	0	18	18
32.		मंचोला	0	0	87	87
33.		मंकाल	0	0	118	118
34.		मन्नीगुड्डा	0	0	0	0
35.		मारपल्ली	0	0	1	1
36.		मारीपल्ली	0	0	14	14
37.		मेडचाल	0	0	493	493
38.		मेडीसिटि	0	0	33	33
39.		मीरखानपेट	0	0	21	21
40.		मोहम्मदाबाद	0	0	12	12
41.		मोइनाबाद	0	0	121	121
42.	ए	मोइनाबाद	0	0	0	0
42.		मोमीनपेट	0	0	15	15
43.		नारापल्ली	0	0	46	46

1	2	3	4	5	6	7
44.		नरसिंघी	0	0	288	288
44. ए		नरसिंघी	0	0	0	0
45.		नेदुनूर	0	0	79	79
46.		पालगुट्टा	0	0	14	14
47.		पारगी	0	0	228	228
48.		पटेलगुडा	0	0	36	36
49.		पेद्दाअमुल	0	0	34	34
50.		पोन्नाला	0	0	12	12
51.		रचालूरू	0	0	19	19
52.		रायपोले	0	0	0	0
53.		सांघीनगर	0	0	335	335
54.		सरदारनगर	0	0	4	4
55.		साबाद	0	0	1	1
56.		समीरपेट	0	0	177	177
57.		समसाबाद	0	0	495	495
58.		शंकरपल्ली	0	0	171	171
59.		सापुर	0	0	87	87
60.		तंदुरे	0	0	1304	1304
61.		तुरकापल्ली	0	0	48	48
62.		तुरकापाममाल	0	0	95	95
63.		तुरमामीडी	0	0	14	14
64.		वेंकटपुर	0	0	1	1
65.		विकाराबाद	0	0	236	236
66.		वेचाराम	0	0	90	90
67.		यलाल	0	0	26	26
68.		येलीमिड	0	0	12	12
69.		येल्लामपेटा	0	0	21	21
		जोड़	0	0	7522	7522

टिकटों और पोस्टल आर्डर की कमी

2849. डा॰ संजय सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेठी, उत्तर प्रदेश तथा इसके आसपास स्थित डाकघरों में डाक टिकटें, राजस्व टिकटें और पोस्टल आर्डर बहुत कम मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। अमेठी और गौरीगंज डाकघरों में 7 रुपये मूल्यवर्ग के, बशेशरगंज डाकघर में 1, 2 और 7 रुपये मूल्यवर्ग के, शाहगढ़ डाकघर में 2 और 7 रुपये मूल्यवर्ग के तथा टिकेरमाफी डाकघर में 1 और 7 रुपये मूल्यवर्ग के भारतीय पोस्टल आर्डरों की कमी थी। अमेठी डाकघर में 10 पैसे और 25 पैसे की सार्वजनिक डाक-टिकटों की कमी थी।

(ख) यह कमी इसलिए हुई क्योंकि सुलतानपुर प्रधान डाकघर से भारतीय पोस्टल आर्डरों और सार्वजनिक डाक-टिकटों की सप्लाई लाइन में व्यवधान गया था।

(ग) आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की गई है और आवश्यक मूल्यवर्ग के भारतीय पोस्टल आर्डरों तथा सार्वजनिक डाक टिकटों की पूर्ण सप्लाई इन डाकघरों में कर दी गई है।

लोक सभा का कार्यकाल

2850. श्री ए॰ सी॰ जोस : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रत्येक लोक सभा की अवधि को अनिवार्य रूप से 5 वर्ष करने के लिए नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निषेध

2851. श्री फ्रांसिस्को सरदीना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम, 1959) की धारा 2 और 11 में संशोधन का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सांडों के बीच शक्ति परीक्षण के लिए गोवा में आयोजित पारम्परिक खेल धीरियो के लिए अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। जीव जन्तु क्रूरता अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के कुछ उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गोवा राज्य में धीरियो को रोकने के लिए जीवजन्तु क्रूरता अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अंतर्गत माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 1996 का 347 दायर की गई थी। न्यायालय की पणजी पीठ ने दिनांक 20.12.96 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार को गोवा राज्य में आयोजित धीरियो सहित पशुओं की सभी प्रकार की लड़ाई पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे।

विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करना

2852. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री भीम दाहाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने स्कूलों में विशेष आवश्यकताओं सहित बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे स्कूलों में इस संबंध में अपेक्षित अध्यापक तथा उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) कक्षा-1 में ऐसे अधिकतम तीन बच्चों के प्रवेश के लिए 19 क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र के दो-दो विद्यालयों को अभिनिर्धारित करके 1997-98 से शुरूआत की गई है जो सुनने/देखने में अक्षम हैं या शारीरिक दृष्टि से विकलांग हैं।

(ग) से (ङ) इन चुनिन्दा केन्द्रीय विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को मई, 1998 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है। संसाधन कक्ष के लिए भी व्यवस्था है।

[हिन्दी]

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

2853. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो चूरू और नागौर जिलों में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की स्कीमों के अंतर्गत राजस्थान के लिए क्रमशः 550 और 480 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, हां। लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था, वर्ष 1996-97 के दौरान 654 गांवों (आर ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत 641 गांव समेत) को विद्युतीकृत किया गया था और 724 गांवों (आर ई सी

कार्यक्रम के तहत 680 गांव समेत) को वर्ष 1997-98 में विद्युतीकृत किया गया था।

(ग) जिला चूरू के राजस्व वाले 965 बसे गांवों में से 887 गांवों के मार्च, 1998 तक विद्युतीकृत होने की सूचना मिली है और शेष 78 गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। इसी प्रकार जिला नागौर में राजस्व वाले 1396 बसे गांवों में से 1384 गांवों के मार्च, 1998 तक विद्युतीकृत होने की सूचना मिली है और शेष 12 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है।

(घ) गांवों के विद्युतीकरण के जिलेवार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा आबंटित किये जाते हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) की सहायता से राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गांवों का विद्युतीकरण चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाया जाना

2854. श्री रामपाल सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री थावर चन्द गेहलोत :

श्री वी. एम. मेनसिंकाई :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और 'कालिजों' में खेलकूद को एक अनिवार्य विषय बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्कूल और कालेजों में खेलकूद की शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने के लिए पूर्व में गठित आयोगों ने भी सरकार को ऐसी ही सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो उन आयोगों के नाम क्या-क्या हैं तथा उन्होंने किस-किस तारीख को इस प्रकार की सिफारिश की थी और इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इसी सिफारिश के अनुसरण में सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में खेलकूद विद्यालय स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को अधिगम प्रक्रिया के साथ जोड़ने हेतु उपायों और साधनों का सुझाव देने के लिए श्री के० पी० सिंह देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अक्तूबर, 1993 में यह सिफारिश की कि खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य विषय बनाया जाए। युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग ने तदुनसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों और कालेजों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने का सुझाव दिया है। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा पर केब उप-समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए श्री ए० के० पंडया, सेवानिवृत्त सचिव और महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, की अध्यक्षता में 2 जून, 1995 को एक मानीटरिंग समिति का गठन किया गया है। अभी तक इस मानीटरिंग समिति की 12 बैठकें आयोजित हो चुकी है।

(ङ) से (छ) विभिन्न राज्यों में खेल-कूद विद्यालयों को खोले जाने पर विचार करने के लिए अपर सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों का दल गठित किया गया है जिसके सचिव नवोदय विद्यालय समिति के निदेशक होंगे।

उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करना

2855. श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरांचल क्षेत्र के किन-किन स्थानों पर नये टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ नए स्थानों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) हालांकि उत्तरांचल की सीमा का कोई सरकारी विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में टी०वी० ट्रांसमीटर निम्नानुसार है :

जिला	मौजूदा	कार्यान्वयनाधीन
1	2	3
देहरादून	उ०श०ट्रां० मसूरी	अ०श०ट्रां० डाक पत्थर *
	ट्रांसपोजर मसूरी	उ०श०ट्रां० मसूरी (डी०डी०-2)-
	अ०अ०श०ट्रां० साहिया	
गढ़वाल	अ०श०ट्रां० पौढ़ी	अ०अ०श०ट्रां० दुगड्डा-
	अ०श०ट्रां० कोटद्वार	अ०अ०श०ट्रां० नौगांवखाल-
	ट्रांसपोजर, श्रीनगर	अ०अ०श०ट्रां० रूद्रप्रयाग-
	अ०अ०श०ट्रां० कलजीखाल	अ०श०ट्रां० कालागढ़ *
	अ०अ०श०ट्रां० घन्दयाल	

1	2	3
	अ०श०ट्रां० नैनी डांडा	
टिहरी गढ़वाल	अ०श०ट्रां० न्यू टिहरी	अ०अ०श०ट्रां० खेत पर्वत=
	अ०अ०श०ट्रां० देवप्रयाग	
	अ०अ०श०ट्रां० गज्जा	
	अ०अ०श०ट्रां० प्रतापनगर	
चमोली	अ०अ०श०ट्रां० गोपेश्वर	अ०श०ट्रां० गोपेश्वर *
	अ०अ०श०ट्रां० कर्णप्रयाग	अ०अ०श०ट्रां० गौरीकुंड=
	अ०अ०श०ट्रां० जोशीमठ	अ०अ०श०ट्रां० पोखरी=
	अ०अ०श०ट्रां० थराली	अ०अ०श०ट्रां० चमोली=
		अ०अ.श०ट्रां० नन्दप्रयाग=
		अ०अ०श०ट्रां० केदारनाथ=
		अ०अ०श०ट्रां० बद्रीनाथ=
उत्तरकाशी	अ०अ०श०ट्रां० उत्तरकाशी	अ०अ०श०ट्रां० राजगढ़ी (आर०)
	अ०अ०श०ट्रां० भटियारी	अ०अ०श०ट्रां० फतेह पर्वत=
नैनीताल	अ०श०ट्रां० नैनीताल	अ०श०ट्रां० हल्द्वानी (आर०)
	अ०श०ट्रां० काशीपुर	
	अ०श०ट्रां० टनकपुर	
	अ०अ०श०ट्रां० हल्द्वानी	
अल्मोड़ा	अ०अ०श०ट्रां० अल्मोड़ा	अ०श०ट्रां० अल्मोड़ा=
	अ०अ०श०ट्रां० कौसानी	अ०अ०श०ट्रां० बिनसर=
	अ०अ०श०ट्रां० रानीखेत	अ०अ०श०ट्रां० सिरकोटा (वैकुंठधाम)=
	अ०अ०श०ट्रां० बागेश्वर	अ०अ०श०ट्रां० मनीला=
	अ०अ०श०ट्रां० चौखटिया	
	अ०अ०श०ट्रां० बसोट	
पिथौरागढ़	अ०श०ट्रां० पिथौरागढ़	अ०श०ट्रां० धूनाघाट=
	अ०श०ट्रां० चम्पावत	अ०श०ट्रां० बाराकोट=
	अ०अ०श०ट्रां० धारचूला	अ०श०ट्रां० खेतीखान=
	अ०अ०श०ट्रां० मुंसियारी	अ०अ०श०ट्रां० मानेश्वर=
	अ०अ०श०ट्रां० डीडीहाट	

आर - तकनीकी रूप से तैयार

हाल ही में गोपेश्वर, डाक पत्थर एवं कालागढ़ में अ०श०ट्रां० की स्कीम स्वीकृत कर दी गयी है।

- 1998-99 के दौरान पूरा किए जाने की आशा है।

* 1999-2000 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

उपरोक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, अपेक्षित जनशक्ति की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

टेलीफोन किराया

2856. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय कॉलों और टेलीफोन किरायों में वृद्धि करने तथा स्थानीय मुफ्त कॉलों की संख्या को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में सैटेलाइट टेलीफोन

2857. श्री रामानन्द सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सतना जिले के कौन-कौन से गांवों में सैटेलाइट प्रणाली से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या किसी तकनीकी खराबी या बैटरी बंद होने के कारण कई सैटेलाईट फोन काम नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सैटेलाइट फोन सुविधा के अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जिला सतना में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना

2858. श्री बीर सिंह महतो :

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा में अत्यधिक प्रदूषण होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1989-90 में की गई समीक्षा में यह चेतावनी दी गई थी कि लोगों की भागीदारी जो कि 'महत्वपूर्ण है' की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया;

(घ) यदि हा, तो क्या इसके बावजूद भी 'सफाई कार्यक्रम' में लोगों को शामिल करने के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस नदी के जल को पीने योग्य बनाने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) गंगा कार्य योजना को दो चरणों में लिया गया। जून, 1985 में आरंभ किए गए प्रथम चरण के अंतर्गत अब तक लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त गंगा नदी की मुख्य धारा से सम्बद्ध दूसरे चरण के कार्यों पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत, जो अब पूरा होने वाला है, नदी किनारे स्थित शहरों से होने वाले वर्तमान प्रदूषण के केवल लगभग 35% से ही निपटा गया है। शेष बचे प्रदूषण निवाराण कार्यों को दूसरे चरण के अंतर्गत लिया गया है। जहां पर यह कार्य पूरे हो चुके हैं वहां नदी जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नदी जल गुणवत्ता में और अधिक सुधार की आशा केवल कार्य योजना का दूसरा चरण पूरा होने के बाद ही की जा सकती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत जन-भागीदारी और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसमें जन सूचना और जन-जागरूकता अभियान शामिल है। अभियानों में इलैक्ट्रानिक मिडिया और श्रमदान, पदयात्रा, वृक्षारोपण, नदी घाट की सफाई, प्रदर्शनियां, नारे और निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा विद्यार्थियों द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से सीधे जन-भागीदारी शामिल है।

(च) और (छ) जी, हां। गंगा कार्य योजना के दो चरणों में गंगा के किनारे स्थित 74 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्यों को शामिल किया गया जिससे नदी जल गुणवत्ता में सुधार लाकर इसे मानव प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाया जाए।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2859. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :

श्री रामदास आठवले :

श्री भास्कर राव पाटील :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्कों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले वर्षों में और अधिक जिलों को सम्मिलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियां जैसे, विश्व बैंक, यूरोपीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (पूर्व में ओवरसीज विकास एजेंसी) यू॰के॰ यूनिसेफ और नीदरलैंड सरकार वर्तमान समय में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी॰ पी॰ ई॰ पी॰) के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान कर रही हैं। तथापि, यूनेस्को डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर रहा है। डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के लिए विभिन्न एजेंसियों से जुड़ी विदेशी सहायता की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (च) वर्तमान समय में 14 राज्यों के 149 जिले डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अंतर्गत शामिल हैं। इनके महाराष्ट्र के 9 जिले - औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, परभनी, वीड, धुले, गडचिरोली और जालना शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसी और जिले को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि उत्तर प्रदेश के 3 अतिरिक्त जिलों में और राजस्थान के 19 जिलों में (10 जिलों को प्रथम चरण में तथा 9 जिलों को बाद के चरण) में कार्यक्रम का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। इन अतिरिक्त जिलों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

निधियन एजेंसी	राशि	अवधि	शामिल किए गए राज्य और जिलों की संख्या
विश्व बैंक (आई॰ डी॰ ए॰) (उदार ऋण)	260.3 मिलियन अमरीकी डालर (806 करोड़ रुपये)	1994-95 से 2001-02 तक	डी॰पी॰ई॰पी॰ चरण-I असम, (4) हरियाणा (4) कर्नाटक (4) केरल (3) महाराष्ट्र (5) तमिलनाडु (3)
यूरोपीय आयोग (ई॰सी॰) (अनुदान)	150 मिनियन ई॰ सी॰ यू॰ (585 करोड़ रुपये)	1994-1995 से 1998-99 तक	डी॰पी॰ई॰पी॰ मध्य प्रदेश (19)
विश्व बैंक (उदार ऋण) + नीदरलैंड सरकार द्वारा सह निधियन (अनुदान)	425.2 मिलियन अमरीकी डालर (1480 करोड़ रुपये) 25.8 मिलियन अमरीकी डालर (90 करोड़ रुपये)	1996-1997 से 2001-02 तक	डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ चरण-II गुजरात (3) - डच निधिकरण हिमाचल प्रदेश (4) उड़ीसा (5) डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ राज्यों में विस्तार के अंतर्गत पहले से शामिल (43) उत्तर प्रदेश (15)
डी॰ एफ॰ आई॰ डी॰ (पूर्व में ओ॰ डी॰ ए॰) यू॰ के॰ (अनुदान)	42.5 मिलियन पौंड (220 करोड़ रुपये) 37.71 मिलियन पौंड (207 करोड़ रुपये)	1996-1997 से 2002-03 तक	डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ चरण-II आन्ध्र प्रदेश (5) पश्चिम बंगाल (5)
विश्व बैंक (उदार ऋण) + यूनिसेफ (अनुदान)	152.4 मिलियन अमरीकी डालर (530 करोड़ रुपये) + 10 मिलियन अमरीकी डालर (36 करोड़ रुपये)	1997-98 से 2001-02	डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ चरण-III बिहार के 27 जिले
			कुल : 149 जिले

विवरण-II

डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख अतिरिक्त जिलों के नाम

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1.	उत्तर प्रदेश	(1) बहराइच (2) बाराबंकी और (3) रामपुर
2.	राजस्थान	चरण-I जिले : (1) अलवर, (2) भीलवाड़ा, (3) झालवार, (4) झुनझुनू (5) कोटा, (6) नागौर (7) सीकर (8) सिरोही, (9) श्रीगंगानगर, (10) टोंक
		चरण-II जिले (11) भरतपुर (12) बूंदी (13) चूरू (14) दौसा (15) धौलपुर (16) हनुमानगढ़ (17) जयपुर (18) करौली (19) सवाई माधोपुर

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत

2860 श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 के लिये मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को आपूर्ति किये गये मुफ्त चावल का स्वीकृत कोटा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अभी तक कितना चावल भेजा गया और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य सरकार ने कितना चावल उठाया;

(ग) क्या राज्य सरकार उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर महीने का पूरा कोटा उठाने में विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को चावल का आबंटन वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए क्रमश: 1.29 लाख मीट्रिक टन तथा 2.52 लाख मीट्रिक टन था।

(ख) से (घ) वर्ष 1998-99 के लिए खाद्यान्न दुलाई के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जुलाई से दिसम्बर, 1997 की अवधि के लिए 1.51 लाख मीट्रिक टन आबंटित चावल की तुलना में राज्य सरकार ने 1.28 लाख मीट्रिक टन की दुलाई की सूचना दी है। यह कुल आबंटन का 85% है जो राष्ट्रीय औसत 70% से अधिक है। आबंटित चावल के पूर्ण कोटे के दुलाई न होने के कारणों में खाद्यान्न के संवितरण के लिए बच्चों की उपस्थिति की 80% योग्यता कसौटी तथा अन्य कार्यान्वयन संबंधी कठिनाईयां सम्मिलित हैं।

पार्वती जल विद्युत परियोजना

2861. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश पार्वती जल विद्युत परियोजना के लिए 20 अक्तूबर, 1992 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से पीछे हट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार की इस परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में अपनाने संबंधी कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (च) पार्वती जल विद्युत परियोजना के तीन चरणों में अन्वेषण कार्य करने और क्रियान्वित किए जाने के लिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के बीच दिनांक 20.10.1992 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया था। परियोजना हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी (कुल्लू जिला) में अवस्थित है। राज्य सरकारों के बीच हुए आपसी समझौतों के अनुसार इक्विटी अंशदान निम्नवत होगा :

1.	राजस्थान	40%
2.	हरियाणा	25%
3.	गुजरात	15%
4.	दिल्ली	15%
5.	हिमाचल प्रदेश	5%

समझौता ज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि परियोजना से उत्पादित 12% ऊर्जा हिमाचल प्रदेश को नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। परियोजना से शेष उत्पादित 88% ऊर्जा हिमाचल प्रदेश समेत राज्यों के बीच अनुपातिक रूप से उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि अन्य भागीदार राज्यों के हिस्से में कटौती करके उनकी इक्विटी भागीदारी को 5% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। तथापि, राजस्थान सरकार को यह स्वीकार नहीं है और मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि समझौता ज्ञापन में निहित विद्युत आबंटन के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब सुझाव दिया है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन एच॰ पी॰ सी॰) अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। परियोजना वित्तपोषण, क्रियान्वयन और लागत एवं लाभ की भागीदारी के लिए रुपात्मकताओं को लाभभोगी राज्यों के साथ परामर्श करके सुनिश्चित किया जाना होगा।

[हिन्दी]

एन॰ बी॰ टी॰ के अध्यक्ष तथा निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

2862. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष तथा निदेशक के विरुद्ध उनके कार्य करने के तरीके के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक

न्यास के अध्यक्ष तथा निदेशक के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1997 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जबकि बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतें सामान्य प्रकृति की थीं और संगठन के अंदर की शिकायतों में आक्षेप तथा प्रत्यारोप लगाए गए थे। संबंधित अधिकारियों को नियंत्रण रखने का परामर्श दिया गया था। निदेशक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था और एक नये अधिकारी को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तब से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष अथवा निदेशक के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

जूनागढ़, गुजरात में एफ.एम. रेडियो स्टेशन और उच्च शक्ति के दूरदर्शन केन्द्र

2863. डा॰ वल्लभभाई कथीरिया :

श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़ में एक एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशन और उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के गुजरात सरकार के अनुरोध पर अब तक कोई निर्णय लिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जूनागढ़ में बहुद्देशीय स्टूडियों, स्टॉफ क्वार्टरों आदि सहित उच्च शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर और 5 कि॰वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रान्समीटर की स्थापना संबंधी स्कीमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में शामिल किया गया है।

पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

2864. श्री नृपेन गोस्वामी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री आदित्यनाथ :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार केन्द्रीय सहायता से राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यवार कितने राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का निर्माण किए जाने का विचार है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है, और

(ङ) इन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) राज्यवार ब्यौरे विवरण-I पर उल्लिखित विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ) राज्यवार ब्यौरे विवरण-II पर उल्लिखित विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाली राज्यवार सूची

		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या			
क्र॰सं॰	राज्य का नाम	97-98	96-97	95-96	जोड़	97-98	96-97	95-96	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	41	17	37	95	41	17	37	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	81	23	23	127	41	21	7	69
4.	बिहार	48	34	47	129	43	27	34	104
5.	चंडीगढ़	3	2	1	6	2	-	-	2
6.	दिल्ली	3	2	16	21	2	-	9	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गोवा	17	-	1	18	17	-	1	18
8.	गुजरात	76	52	73	201	38	13	27	78
9.	हरियाणा	39	12	19	70	17	10	11	38
10.	हिमाचल प्रदेश	21	36	31	88	19	12	25	56
11.	जम्मू तथा कश्मीर	2	2	3	7	2	1	3	6
12.	कर्नाटक	19	11	19	49	19	11	19	49
13.	केरल	29	11	13	53	29	11	13	53
14.	मध्य प्रदेश	45	27	21	93	45	27	21	93
15.	महाराष्ट्र	84	37	53	174	84	37	53	174
16.	मणिपुर	44	23	37	104	41	23	6	70
17.	मेघालय	31	37	338	106	27	12	15	54
18.	नागालैंड	4	3	4	11	4	3	3	10
19.	उड़ीसा	49	9	21	79	44	9	21	74
20.	पांडिचेरी	1	-	1	2	1	-	1	2
21.	पंजाब	36	21	30	87	26	9	14	49
22.	राजस्थान	72	36	38	146	39	9	23	71
23.	तमिलनाडु	22	-	35	57	22	-	35	57
24.	उत्तर प्रदेश	59	25	61	145	30	15	26	71
25.	पश्चिम बंगाल	38	1	12	51	38	1	12	51

विवरण-II

मरम्मत किए जा रहे पुलों की संख्या और उन पर संभावित व्यय दर्शाने वाली राज्यवार सूची

क्र॰सं॰	राज्य	संख्या	संभावित व्यय (लाख रु॰)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	जब भी आवश्यक होता है, मरम्मत कार्य किए जाते हैं।	
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	14	92
4.	बिहार	1	26
5.	चंडीगढ़	-	-
6.	दिल्ली	-	-
7.	गोवा	4	90
8.	गुजरात	5	86
9.	हरियाणा	-	-

1	2	3	4	
10.	हिमाचल प्रदेश	8	400	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	
12.	कर्नाटक	जब भी आवश्यक होता है, मरम्मत कार्य किए जाते हैं।		
13.	केरल	1	-	मरम्मत कार्य अभी शुरू किया जाना है।
14.	मध्य प्रदेश	8	48	
15.	महाराष्ट्र	2	45	
16.	मणिपुर	1	4	
17.	मेघालय	1	500	
18.	नागालैंड़	-	-	
19.	उड़ीसा	10	500	
20.	पांडिचेरी	जब भी आवश्यक होता है, मरम्मत कार्य किए जाते हैं।		
21.	पंजाब	4	60	
22.	राजस्थान	1	13	
23.	तमिलनाडु	जब भी आवश्यक होता है, मरम्मत कार्य किए जाते हैं।		
24.	उत्तर प्रदेश	जब भी आवश्यक होता है, मरम्मत कार्य किए जाते हैं।		
25.	पश्चिम बंगाल	1	1800	

[हिन्दी]

राजस्थान में वन विकास

2865. श्री रामनारायण मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करके वन विकास का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान योजनावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए दल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) वनीकरण की मुख्य योजनाएं, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है, इस प्रकार हैं :-

1. एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम;
2. क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम ;
3. औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज का संरक्षण और विकास; और
4. वनोपज से उत्पन्न लाभ के बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जन-जातियों और निर्धन ग्रामवासियों की भागीदारी।

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को जारी केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है:-

स्कीम	जारी केन्द्रीय सहायता (रुपए लाख में)
एकीकृत वनीकरण और परि-विकास परियोजना स्कीम	938.51
क्षेत्रोन्मुख जलावन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	781.56
औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज का संरक्षण और विकास	222.79

वनोपज से उत्पन्न लाभ के बंटवारे के आधार

पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित

जन-जातियों और निर्धन ग्रामवासियों का सहयोग 5.93

इन स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन राज्य/केन्द्रीय सरकारों दोनों तथा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

ध्वनि प्रदूषण

2866. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री :

श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में शोर का स्वीकार्य स्तर क्या है और भारत के बड़े कस्बों और शहरों में यह स्तर कितना मापा गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या दीवाली के त्यौहार पर ध्वनि प्रदूषण में कई गुणा वृद्धि हो जाती है;

(च) क्या इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया था; और

(छ) यदि हां, तो देश में पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू॰ एच॰ ओ॰) द्वारा सिफारिश किए गए शहरी शोर के स्तरों के बारे में नीचे दिया गया है:

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश की गई शोर की सीमाएं

पर्यावरण	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर
औद्योगिक/व्यावसायिक	75 डेसिबल
समुदाय/शहरी	
दिन के समय	55 डेसिबल
रात के समय	45 डेसिबल
भीतरी/घरेलू	
दिन के समय	45 डेसिबल
रात के समय	35 डेसिबल

भारत के मुख्य शहरों और नगरों में शोर के जो स्तर देखे गए हैं उन्हें निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

शहरों में परिवेशी शोर स्तर (सभी स्तर डेसिबल में दिए गए हैं)

शहर	आवासीय		वाणिज्यिक		संवेदनशील		औद्योगिक	
	दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भोपाल	60	44	75	57	73	42	68	47
बैंगलौर	59-75	37-59	68-81	46-64	58-74	-	63-86	42-65
कलकत्ता	76-86	58-76	70-90	57-78	69-89	65-70	75-82	53-70
चेन्नई	57-84	45-50	74-80	69-71	46-70	47-50	69-76	63-69
दिल्ली	53-71	-	63-75	-	62-68	-	65-81	-
देहरादून	50	38	70	50	58	42	50	45
हैदराबाद	56-73	40-50	67-84	58-73	62-78	51-67	44-77	42-70
जयपुर	46-82	43-78	64-88	51-80	60-75	55-66	59-81	48-78
कानपुर	49-69	39-59	68-82	57-76	47-61	35-57	63-78	57-63
कोची	70	51	85	56	72	51	70	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लखनऊ	55	50	70	58	50	40	60	58
मुम्बई	45-81	45-68	63-81	60-75	58-77	46-66	73-79	56-72
वाराणसी	50	40	70	50	55	40	50	50
विज़ाग	74	59	85	70	75	57	75	51

(स्रोत: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण)

(ख) इन शहरों में देखी गई शोर की बढ़ती प्रवृति का कारण वाणिज्यिक गतिविधियों और मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि हो सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां, दीपावली में पटाखे और आतिशाबाजी छोड़ने से शोर के स्तर में कभी-कभी वृद्धि हो जाती है।

(च) जी, हां। बड़ा बाजार फायर डीलर्स ऐसोसिएशन और अन्य ने पुलिस आयुक्त, कलकत्ता एवं अन्य के खिलाफ कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।

(छ) पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम नीचे दिए गए हैं :

1. राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे उन पटाखों के प्रयोग पर पाबंदी लगाए जो चार मीटर की दूरी पर 100 डेसिबल से अधिक शोर उत्पन्न करते हों।
2. रात के समय पटाखे छोड़ने पर पाबंदी लगाना।
3. पटाखे छोड़ने की अनुमति केवल सार्वजनिक त्यौहारों के दौरान तथा निर्दिष्ट स्थानों पर दी जानी चाहिए।
4. पटाखों के निर्माण और उन्हें छोड़ने पर पाबंदी लगाना।

समुद्र तटीय विनियमन क्षेत्र विनियम

2867. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बनाये गये समुद्र तटीय विनियमन क्षेत्र विनियम, 1991 को समाप्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फादर सलदानहा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया देय राशि वसूल करने संबंधी प्रक्रिया

2868. श्री वी० वी० राघवन :

श्री संदीपान थोरात :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों से मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राज्यवार प्रमुख उपभोक्ताओं और खेतिहर किसानों से विद्युत शुल्क के प्रति बकाया देय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया देय राशि को वसूल करने के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) 31 दिसंबर, 1997 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) 31 मार्च, 1997 (संचयी) की स्थिति के अनुसार रा० वि० बो० द्वारा प्राप्तियों का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ग) विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियों की प्रति वर्ष राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय योजना सहायता के अधिकतम 15% तक कटौती की जा

रही है। समय-समय पर राज्य सरकारों/रा.बि.बो. से भी नियमों के साथ किए जाने का अनुरोध किया जाता है।
अप्रवर्तनीय साख-पत्र खोले जाने तथा बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान

विवरण-I

31.12.1997 की स्थितिनुसार विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा।

क्र॰सं॰	रा॰वि॰बो॰/ राज्य	आर॰ई॰सी॰ 12/97	एनटीपीसी 12/97	नीप्पको 12/97	डीवीसी 12/97	एनएचपीसी 12/97	पीएफसी 12/97	पीजी 12/97
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	214.87	232.68	0.00	0.00	0.00	119.02	36.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	3.65	0.00	0.40	0.00	0.56
3.	असम	79.37	1.59	149.52	1.70	31.29	0.00	15.84
4.	बिहार	313.97	1018.82	0.00	344.45	29.66	0.67	12.91
5.	गुजरात	0.00	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
6.	गोवा	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
7.	हरियाणा	40.70	246.88	0.00	0.00	659.62	0.00	20.10
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	28.93	0.00	0.00	64.26	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	373.98	0.00	0.00	125.80	0.00	16.41
10.	कर्नाटक	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00	0.01	15.86
11.	केरल	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
12.	मध्य प्रदेश	429.21	405.22	0.00	0.00	0.00	15.25	1.80
13.	महाराष्ट्र	0.00	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
14.	मणिपुर	0.00	0.00	18.77	0.00	13.92	0.65	2.74
15.	मेघालय	8.32	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.71
16.	मिजोरम	0.00	0.00	3.33	0.00	0.63	3.59	1.27
17.	नागालैंड	0.00	0.00	12.18	0.00	2.23	4.68	1.64
18.	उड़ीसा (ग्रिडको)	92.27	243.72	0.00	0.00	12.00	15.65	3.66
19.	पंजाब	0.00	33.62	0.00	0.00	179.27	0.00	9.31
20.	राजस्थान	0.00	84.82	0.00	0.00	36.08	0.00	24.74
21.	सिक्किम	0.00	7.43	0.00	0.00	0.17	0.00	2.86
22.	तमिलनाडु	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.44	0.00	1.26	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	556.18	1295.32	0.00	0.00	576.60	0.00	250.32
25.	पश्चिम बंगाल	297.06	411.06	0.00	167.24	16.92	21.50	26.95
26.	डीवीबी (डेसू)	0.00	1267.25	0.00	0.00	246.18	0.00	35.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	यूटीसी	0.00	1.36	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00
28.	दमन एवं दीव	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
29.	पांडिचेरी	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
30.	डी एन एच	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2032.95	6312.98	188.92	513.39	2000.00	181.02	500.37

31 दिसंबर, 1997 की स्थितिनुसार संचयी : 11728.74 करोड़ रुपये ।

विवरण-II

31.3.1997 की स्थितिनुसार रा० वि० बोर्डों द्वारा प्राप्तों का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य विद्युत बोर्डों के नाम		राशि
1.	एपीएसईबी	(ए)	999.90
2.	एएसईबी	(यू)	403.54
3.	बीएसईबी	(पी)	1209.44
4.	जीईबी	(ए)	1065.25
5.	एचएसईबी	(ए)	514.38
6.	एचपीएसईबी	(ए)	59.47
7.	केईबी	(यू)	1090.13
8.	केएसईबी	(यू)	301.75
9.	एमपीईबी	(यू)	1778.54
10.	एमएसईबी	(ए)	2534.50
11.	एमईएसईबी	(ए)	79.87
12.	ओएसईबी	(पी)	301.04
13.	पीएसईबी	(ए)	418.92
14.	आरएसईबी	(ए)	794.51
15.	टीएनईबी	(ए)	746.32
16.	यूपीएसईबी	(ए)	3956.04
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	(ए)	828.44
	कुल		17082.04

ए - लेखा परीक्षित

यू - गैर-लेखा परीक्षित

पी - अनंतिम

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वन भूमि के लिए स्वामित्व अधिकार

2869. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद जिनके पास वन की भूमि कब्जे में हैं उन्हें स्वामित्व अधिकार देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस तारीख को भेजा गया था तथा इस अधिनियम द्वारा कितनी राशि की भूमि मुक्त रखने की कोशिश की गई;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर कर लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) अब तक, आठ विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों, नामत: अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के संबंध में 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है :

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,367	हैक्टयेर
गुजरात	10,900.47	हैक्टेयर
कर्नाटक	17,848.83	हैक्टेयर
केरल	28,588.159	हैक्टेयर
मध्य प्रदेश	1.03	हैक्टेयर (लगभग)

(ग) से (च) मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 23.5.1989 के पत्र के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध कब्जों को नियमित करने हेतु लगभग 2073 लाख हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु पहले प्रस्ताव किए थे। उपरोक्त भूमि में से लगभग 1.03 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में मंत्रालय जुलाई, 1990 में पहले ही औपचारिक सहमति प्रदान कर चुका है। तत्पश्चात राज्य सरकार ने दिनांक 5 दिसंबर, 1995 के पत्र के माध्यम से 1.81 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य सरकार को जुलाई, 1990 में अवैध कब्जों को नियमित करने के संबंध में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों के समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। हाल ही में इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के स्तर पर उठाया गया है। राज्य सरकार से इस प्रकार के ब्यौरे के अभाव में मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

मध्य प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2870. श्री मोतीलाल वोरा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में राष्ट्रीय परिवहन समिति द्वारा वर्ष 1984 में सिफारिश की गई थी और किन-किन राजमार्गों पर कार्य आरंभ कर दिया गया है; और

(ख) शेष राजमार्गों के संबंध में यह कार्य कब तक आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए शेष प्रस्तावों पर उत्तरवर्ती योजनाओं में विचार किया जाएगा बशर्ते कि पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों।

विवरण

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा प्रस्तावित रूट

क्र.सं.	रूट	मध्य प्रदेश में लगभग लंबाई (कि.मी.)	अभ्युक्तियां
1.	ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-रीवा	285	अभी घोषित किया जाना है।
2.	नागपुर-ओबैदुल्लागंज	295	रा॰ रा॰ घोषित किया जा चुका है।
3.	जबलपुर-शाहदोल-अम्बिकापुर-गुमला	512	अभी घोषित किया जाना है।
4.	रायपुर-वाराणसी	425	अभी घोषित किया जाना है।
5.	अहमदाबाद-इंदौर-देवास-भोपाल	299	इंदौर अहमदाबाद रा॰रा॰ घोषित किया जा चुका है। देवास-भोपाल को रा॰रा॰ घोषित कियां जाना है।
6.	निजामाबाद-जगदलपुर	210	रा॰रा॰ घोषित किया जा चुका है।
7.	राजामुंदरी-जगदलपुर	180	अभी घोषित किया जाना है।
8.	बहरामपुर-रायपुर	90	अभी घोषित किया जाना है।
9.	जयपुर-कोटा-बायोरा	66	रा॰रा॰ घोषित किया जा चुका है।
		2362	

[अनुवाद]

मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सोलर सिस्टम

2871. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर (उड़ीसा) में टी॰ डी॰ एम॰ के अंतर्गत गांवों में स्थापित लगभग सभी मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सोलर सिस्टम टेलीफोन खराब पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) बालासोर में टी॰ डी॰ एम॰ के अंतर्गत कुल कितने ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं/कार्य कर रहे हैं, और

(घ) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे टेलीफोन लगाने पर कुल कितनी राशि व्यय की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ) :

(क) जी, नहीं। 30.6.98 की स्थिति के अनुसार, 880 एम० ए० आर० आर० पी० टी० एस० में से केवल 125 खराब हैं।

(ख) 125 में से, अधिकांश इसलिए खराब है क्योंकि बेस स्टेशन यूनिटों में हार्डवेयर दोषपूर्ण है। वार्षिक अनुरक्षण ठेके के अंतर्गत विनिर्माताओं द्वारा खराब बेस स्टेशन यूनिटों को ठीक किया जा रहा है।

(ग)

	अधिष्ठापित	कार्यरत
एम ए आर आर पी टी	880	755
ओ एच पी टी	705	582
कुल	1585	1337

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में ऐसे अधिष्ठापनों के लिए खर्च की गई कुल राशि रुपये 6,73,60,400/- है।

[हिन्दी]

बालिका विद्यालयों का उन्नयन

2872. डा० प्रभा ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालिकाओं को और अधिक शिक्षित बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का देश में बालिका विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश अपने मानकों के अनुसार लड़कियों के लिए स्कूलों का उन्नयन करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को समुचित महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला सहायता जैसी कई और योजनाएं भी हैं जो लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देती हैं। वर्ष 1998-99 के बजट प्रस्ताव में लड़कियों की शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन प्रणाली में सुधार

2873. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटील :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सामान की आवाजाही के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों को तीन राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सन् 2000 तक अनेक सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों के कम से कम पांच प्रतिशत सामान ही ढुलाई जलमार्ग के द्वारा करने का भी निर्णय लिया है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनेक मंत्रालयों और विभागों के अगले दो वर्षों के लिए उनके माल की वार्षिक आवाजाही की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी० आई० आई०) ने भी सरकार से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली में सुधार करने का आग्रह किया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) जी, हां।

(ङ) रेल, इस्पात, भारी उद्योग, उर्वरक और कोयला मंत्रालय ने अपने-अपने कार्यदल गठित कर लिए हैं जो यह पता लगाएगा कि आई० डब्ल्यू० टी० द्वारा कितना कार्गो ढोया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, आई डब्ल्यू टी नीति, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना और जलयानों के प्रचालन के मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन शामिल है, भी प्रतिज्ञापित की जा रही है।

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

2874. डा. सुगुण कुमारी चलामेला :

श्री भीम दाहाल :

श्री टी० गोविन्दन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1997 के दौरान और इस वर्ष पर्यावरण समितियों की बैठकें हुई थीं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) 30 जून, 1988 के अनुसार पांच हाइड्रो इलेक्ट्रिक और 12 थर्मल पावर परियोजनाओं को पर्यावरणीय निकासी प्रदान की जानी थी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) नदी घाटी और हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति की वर्ष 1997 के दौरान 6 बैठकें और वर्ष 1998 के दौरान एक बैठक आयोजित की गई थी।

(च) मामलों में अंतिम निर्णय सामान्यत: परियोजना प्राधिकारियों से पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर लिया जाता है। तत्काल निर्णय सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

(ख) लम्बित हाइडिल एंड थर्मल पावर परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :

1. हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित
1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
1.	थामवारी सुन्डा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना	जनवरी, 1998
2.	बैलापुर इंडस्ट्रीज लि. का यू एच एल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (2x50 मेगावाट)	जून, 1998
महाराष्ट्र		
3.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कार्पो. की मालशेजघाट पम्पड स्टोरेज स्कीम (600 मेगावाट)	मई, 1998
सिक्किम		
4.	तिस्ता एच॰ ई॰ प्रोजेक्ट चरण-V नेशनल हाइड्रो- इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन	मार्च, 1998
तमिलनाडु		
5.	मोयर अल्टीमेट स्टेज हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रासिकी बोर्ड (50 मेगावाट)	नवंबर, 1996

2. थर्मल पावर परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश		
1.	मैसर्स गौतमी पावर लि॰ द्वारा पेड्डापुरम, 330 मेगावाट नाफ्था आधारित सी सी पी	नवंबर, 1997
2.	मैसर्स स्नेह लता पावर लि॰ द्वारा सामलकोट ईस्ट गोदावरी में 220 मेगावाट सीसीपीपी	दिसम्बर, 1997
बिहार		
3.	निरसा एवं चिरकोन्डा सी डी बैंक आफ धनबाद में बार्कर नदी में दामोदर वैली कार्पो॰ की मैथान राइट बैंक टी पी एस (4x250 मेगावाट)	जून,1997

1	2	3
दिल्ली		
4.	मैसर्स अपोलो एनर्जी कंपनी लि॰ द्वारा नरेला, दिल्ली में 330 मेगावाट कोल आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट	अप्रैल, 1997
हरियाणा		
5.	मैसर्स इंडियन आयल कार्पो॰ लि॰ द्वारा पानीपत के बलजातन गांव के निकट 300 मेगावाट वैक्यूम रेजीड्यू पर आधारित थर्मल पावर परियोजना	जून, 1998
कर्नाटक		
6.	मैसर्स मैसूर पावर जेनेरेशन लि॰ द्वारा चामलपुरा मैसूर जिले में 4x250 मेगावाट मैसूर टी पी एस	अगस्त, 1997
7.	मैसर्स तनीर बावी पावर प्रोजेक्ट द्वारा मंगलोर के निकट तनीर बावी जिला दक्षिण कांडा में 170 मेगावाट सी सी पी पी	अप्रैल, 1997
8.	मैसर्स श्री रयालसीमा अल्कालीज एंड एलायड कैमिकल्स लि. द्वारा बैलारी के निकट 65 मेगावाट डी जी आधारित पावर संयंत्र	जून, 1998
मध्य प्रदेश		
9.	मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो॰ लि॰ (एन टी पी सी) द्वारा विलासपुर में सीपत थर्मल पावर परियोजना चरण-I (2000 मेगावाट)	जून, 1998
राजस्थान		
10.	मैसर्स एन टी पी सी द्वारा अन्ता जिला सारण राजस्थान में 650 मेगावाट अन्ता गैस आधारित सी सी पी पी चरण-II	दिसंबर, 1997
तमिलनाडु		
11.	मैसर्स मद्रास एल्युमिनियम कं॰ लि॰ द्वारा जिला सलेम, मेट्टूर डैम में 3x25 मेगावाट एम ए एल सी ओ केप्टीव पावर प्लांट	जून, 1998
उत्तर प्रदेश		
12.	मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो॰ लि॰ द्वारा औरिया जिला में 650 मेगावाट सी सी पी पी चरण-II	जनवरी, 1998

[हिन्दी]

प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2875. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के संबंध में कोई निर्णय सुनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में उद्योगों के संबंध में दिए अपने आदेशों में निम्नलिखित सहित अनेक निर्देश दिए हैं :

- महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में स्थित एक औद्योगिक ईकाई को बंद करना;
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 351 उद्योगों को निरीक्षण करने के संबंध में निर्देश;
- दहानू क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित करने अथवा उनके संचालन के लिए अगले आदेशों तक आगे कोई अनुमति/ स्वीकृति प्रदान न किए जाने के बारे में महाराष्ट्र राज्य को निर्देश;
- जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी सी॰ आर॰ जैड॰ अधिसूचना के अंतर्गत अपेक्षित है 500 मीटर की हाईटाइड लाइन के भीतर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति न दिए जाने के संबंध में निर्देश;
- जहां तक आर्द्रभूमि/खजान क्षेत्र का संबंध है अगले आदेश होने तक किसी प्रकार के निर्माण अथवा रद्दोबदल न करने के संबंध में निर्देश;
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेषकर प्रदूषण नियंत्रण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से रेत के उत्खनन/ खनन कार्य का निरीक्षण करेगा;
- दो अधिसूचनाओं दिनांक 19 जनवरी, 1991 और 20 जनवरी, 1991 का अनुपालन किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश;
- न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से अनुरोध किया है कि वह दो अधिसूचनाओं के अनुरूप मास्टर प्लान की जांच कर ले;
- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में दहानू और थाणे के लिए क्रमश: एक प्राधिकरण गठित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को निर्देश;

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्रवाही में निम्नलिखित शामिल हैं :

- उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में स्थित एक औद्योगिक इकाई को बंद कर दिया गया है;
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगभग 12 औद्योगिक इकाईयों को बंद कर दिया है और लगभग 414 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं;
- सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत दहानू क्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर लिया है;
- सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत थाणे के लिए एक प्राधिकरण गठित कर लिया था। प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे माननीय उच्चतम न्यायलय में फाइल कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास का विकास

2876. श्री पी॰ सी॰ गढ़वी : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास ने पत्तन पर पानी की कमी तथा वहां और अधिक मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए उसका निकास करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) गुजरात जल आपूर्ति बोर्ड कांडला पत्तन को जल उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि, जल आपूर्ति बोर्ड पत्तन को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहा है, अत: पत्तन न्यास ने पत्तन क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु अवसंरचना की स्थापना के लिए गोपालपुरी और गांधीधाम में क्रमश: 58.52 लाख रु॰ और 67.08 लाख रुपये लागत वाली एक-एक स्कीम शुरू की है।

[हिन्दी]

ग्लोबल टाइगर पेट्रोल

2877. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोबल टाइगर पेट्रोल नामक एक विदेशी एजेन्सी अभयारण्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इसे कब अनुमति दी और इसने कितनी सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो ग्लोबल टाइगर पेट्रोल के क्रियाकलापों के बारे में कोई जानकारी न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस एजेन्सी के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के रायपुर वन क्षेत्र में ठहरे थे; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) ग्लोबल टाइगर पेट्रोल द्वारा किसी भी अभयारण्य के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, कई अभयारण्यों को वस्तु के रूप में सहायता प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। ग्लोबल टाइगर पेट्रोल के प्रतिनिधि ने 7.5.98 को रायपुर फारेस्ट रेस्ट हाउस का दौरा किया था और 8.5.98 को वहां से वापस आए थे।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2878. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग का विचार दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) मौजूदा नीति के कारण निजी टेलीफोन आपरेटरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) वर्तमान में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में किसी प्रमुख परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर विकास संबंधी अंतर-मंत्रालयीन राष्ट्रीय कार्य बल एक व्यापक पैकेज पर विचार कर रहा है, जिसमें दूरसंचार भी एक घटक है।

(ग) निजी दूरसंचार प्रचालकों के सामने आ रही कठिनाइयां मौजूदा नीति के कारण नहीं हैं। अपनी नेटवर्क रॉल-आउट योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान वास्तविक और वित्तीय, दोनों अर्थों में उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

[हिन्दी]

गुजरात में बिजली की कमी

2879. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1996 से 15 मई, 1998 के दौरान राज्यवार, विशेषरूप से गुजरात में किन-किन स्थानों पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गईं;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र में पृथकत: कितनी परियोजनाएं हैं; और

(ग) देश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए वर्ष 1998, 1999 और 2000 के लिए तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) देश में 1.1.96 से 15.5.98 की अवधि के दौरान जो विद्युत परियोजना स्थापित की गई हैं उनका राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है। विवरण में बताई गईं विद्युत परियोजनाओं की 71 जल विद्युत और ताप विद्युत ईकाईयों को केन्द्र और राज्य क्षेत्र में जोड़ा गया था। 22 ताप विद्युत इकाईयों को निजी क्षेत्र में जोड़ा गया था।

(ग) नौंवी योजना अवधि के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। तथापि वर्ष 1998-99 के लिए 31 परियोजनाओं, जो कि पहले से ही निर्माणाधीन है, से 3299.3 मे॰वा॰ क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है। ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

परियोजना	यूनिट	प्रकार	क्षेत्र	क्षमता (मे॰वा॰)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
जेगुल्पाडु	4	ताप	निजी	234.4
कोठागुडम	2	ताप	राज्य	500
विजेश्वरम	1	ताप	निजी	59.8
गोदावरी	4	ताप	निजी	208
अरुणाचल प्रदेश				
नूरांग	3	जल	राज्य	6

1	2	3	4	5
असम				
आदमटीला	3	ताप	निजी	9
कथालगुड़ी	4	ताप	केन्द्रीय	127
बनासखांडी	3	ताप	निजी	10.5
कोपिली विस्तार	2	जल	केन्द्रीय	100
बिहार				
तेनुघाट	1	ताप	राज्य	210
पूर्वी गंडक नहर	2	जल	राज्य	10
सोन-पश्चिमी नहर	2	जल	राज्य	3.3
कहलगांव	1	ताप	केन्द्रीय	210
दिल्ली				
डेसू डब्लयूएचआरयू	1	ताप	राज्य	34
गुजरात				
कच्छ लिग्नाइट	1	ताप	राज्य	75
गांधीनगर	1	ताप	राज्य	210
हजीरा	1	ताप	निजी	185
कदाना	1	जल	राज्य	60
पगुथन	3	ताप	निजी	405
बड़ौदा	2	ताप	निजी	167
हिमाचल प्रदेश				
बनेर	3	जल	राज्य	12
गज	3	जल	राज्य	10.5
जम्मू और कश्मीर				
उड़ी	4	जल	केन्द्रीय	480
कर्नाटक				
कालीनदी	1	जल	राज्य	50
भद्रा आरबीसी	1	जल	राज्य	6
केरल				
ब्रह्मपुरम	4	ताप	राज्य	80
लोअर पेरियार	3	जल	राज्य	180
महाराष्ट्र				
भंडारधारा	1	जल	राज्य	34
चन्दपुर	1	ताप	राज्य	500
वारना	2	जल	राज्य	16
सूर्या	1	जल	राज्य	6
डिम्बे	1	जल	राज्य	5
उड़ीसा				
तलचेर	1	ताप	केन्द्रीय	500
पंजाब				
भटिंडा	1	ताप	राज्य	210
राजस्थान				
सूरतगढ़	1	ताप	राज्य	250
रामगढ़ जीटी	1	ताप	राज्य	33.5
तमिलनाडु				
बेसिनब्रिज	4	ताप	राज्य	120
उत्तरी मद्रास	1	ताप	राज्य	210
लोअर भवानी	2	जल	राज्य	8
त्रिपुरा				
रोखिया	2	ताप	राज्य	16
अगरतला	3	ताप	केन्द्रीय	63
उत्तर प्रदेश				
टांडा	1	ताप	राज्य	110
पश्चिम बंगाल				
मेजिया	2	ताप	केन्द्रीय	420
बज-बज	1	ताप	निजी	250
रम्मम चरण-II	2	जल	राज्य	25
तीस्ता कैनाल प्रपात	4	जल	राज्य	30
जोड़	93			

विवरण-II

परियोजना	प्रकार	राज्य	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3	4
कथालगुड़ी एसटी	ताप	असम/नीपको	30
अगरतला जीटी 4	ताप	त्रिपुरा/नीपको	21
कायमकुलम जीटी-1	ताप	केरल/एनटीपीसी	115.3

1	2	3	4
जीएचटीपी भटिंडा	ताप	पंजाब	210
बनाकजोरी यू-7	ताप	गुजरात	210
ब्रहमपुरम यू-5	ताप	केरल	20
सूरतगढ़ टीपीएस यू-9	ताप	राजस्थान	250
लीमाखोंग यू-1	ताप	मणिपुर	36
कराईकल सीसीजीटी	ताप	पॉडिचेरी	32.5
पगुथन एसटी	ताप	गुजरात/निजी	250
सूरत लिग्नाइट यू-1	ताप	गुजरात/निजी	125
डामोल चरण-1	ताप	महाराष्ट्र/निजी	740
तोरांग्लू यूनिट-1 व 2	ताप	कर्नाटक/निजी	260
बेसिन ब्रिज डीजी-1-4	ताप	तमिलनाडु/निजी	200
बज-बज यू-2	ताप	पश्चिम बंगाल/सीएसइसी	250
बनासखांडी	ताप	असम/निजी	5
दोयांग यू-1	जल	नागालैंड/नीपको	25
सोबला	जल	उत्तर प्रदेश	6
ऊपरी सिंध-2	जल	जम्मू और कश्मीर	35
सेवा चरण-3	जल	जम्मू और कश्मीर	9
चिनानी चरण-3	जल	जम्मू और कश्मीर	7.5
रंजीत सागर यू-4	जल	पंजाब	150
वारना यू-2	जल	महाराष्ट्र	8
दूधगंगा यू-1	जल	महाराष्ट्र	12
कदाना विस्तार	जल	गुजरात	12
सिंगुर	जल	आंध्र प्रदेश	7.5
कालीनदी यू-2 व 3 और कदरा	जल	कर्नाटक	180
पोरिलंगलकुथू	जल	केरल	16
सतनूर बांध	जल	तमिलनाडु	7.5
पोत्तेरु	जल	उड़ीसा	6
तीस्ता नहर प्रपात	जल	पश्चिम बंगाल	15
जोड़			3299.3

[अनुवाद]

गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कार्यदशा

2880. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कार्यदशा का अध्ययन करने हेतु नियुक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) की गई सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. शिक्षकों को उच्च पदों पर प्रोन्नति के लिए अथवा अगले उच्च वेतनमान में स्थान के लिए भर्ती नियमावली में अनिवार्य रूप से पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए। आन्तरिक अभ्यर्थियों की प्रोन्नति योग्यता सह-वरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिए। तथापि, 12 वर्षों की सेवा के बाद शिक्षक को उच्च वेतनमान अवश्य दिया जाना चाहिए और उसी पद पर पुन: 12 वर्षों तक रहने की स्थिति में पुन: उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए।
2. कोई शिक्षक यदि एक शैक्षिक सत्र में छह महीने तक कार्य कर चुका है तो उसे ग्रीष्मावकाश की अवधि के लिए वेतन किया जाना चाहिए, चाहे उसकी सेवा ग्रीष्मावकाश के पहले ही समाप्त क्यों न कर दी गई हो।
3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मान्यता-प्राप्त स्कूल के शिक्षकों के लिए वेतनमान, भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन उपदान, भविष्य निधि और अन्य भत्ते, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में उसी श्रेणी के कर्मचारियों से कम न हों।
4. प्रोन्नति अथवा/और वरिष्ठ एवं सेलेक्शन वेतनमानों के लिए उपयुक्त अवधि के सेवा-कालीन शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य शर्त होनी चाहिए।
5. शिक्षकों को उनके सेवा काल में एक बार पूर्ण वेतन के साथ दो वर्षों का अध्ययन अवकाश दिया जाना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा रियायातें भी दी जानी चाहिए।

(ग) कार्य दल की सिफारिशें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

2881. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भंग कर दिया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की समग्र शक्तियां राज्य सरकारों को प्रदान कर दी जायेंगी, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर विज्ञापन की नीति

2882. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्राईम टाइम स्लॉटों में विज्ञापन के प्रसारण के संबंध में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) इस तरह के विज्ञापनों के प्रसारण की औसत संख्या तथा बारम्बारता प्रतिदिन कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन पर मुख्य समय (प्राइम टाइम) तथा अन्य समय स्लाटों पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन "दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों हेतु संहिता" द्वारा विनियंत्रित किया जाता है और उनकी अवधि/आवर्तिता किसी कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित न्यूनतम गारंटी, वाणिज्यिक राजस्व की हिस्सेदारी संबंधी पद्धति, कार्यक्रम की लोकप्रियता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है।

(ख) डीडी-1 पर प्रतिदिन औसतन 2600-3400 सैकेंड के वाणिज्यिक समय में 130 से 180 विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। डीडी-2 के मामले में ये आंकड़े 3000-4600 सैकेंड वाणिज्यिक समय में 150 से 230 विज्ञापन हैं। विज्ञापनों की आवर्तिता के संबंध में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है/कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

नर्मदा घाटी पर विद्युत परियोजना का निर्माण

2883. श्री फग्गन सिंह कुलहस्ते : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के मांडला जिले के राधोपुर में नर्मदा घाटी के ऊपर विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक शुरू की जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के मंडला जिले में राधोपुर में नर्मदा घाटी पर विद्युत परियोजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नर्मदा नदी के ऊपरी तट पर राघवपुर जल विद्युत परियोजना (1x20 मे॰वा॰) नामक एक जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक जलाशय का निर्माण करके 5 मे॰वा॰ सुनिश्चित विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इस स्कीम की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

2884. श्री पकंज चौधरी :

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश करने की अनुमति न देकर सरकार का विचार किस प्रकार से मानव संसाधन का विकास करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) निजी विश्वविद्यालयों की स्थाना करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है तथा उसकी कानूनी रूप से जांच की जा रही है।

(ग) यह आशा की जाती है कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

2885. श्री विजय कुमार 'विजय' : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई और वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है; और

(ग) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए भावी कार्यक्रम क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) 2547 कि॰मी॰

(ख)

क्रम सं॰	वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रु॰)
1.	1995-96	17.64
2.	1996-97	21.94
3.	1997-98	34.11
4.	1998-99	अनुदान मांगों के लिए संसद के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ग)

क्रम सं॰	कार्य का नाम	अभ्युक्तियां
1.	निम्नलिखित को 4-लेन का बनाने के लिए सर्वेक्षण/जांच	वार्षिक योजना 1998-99 में
	(क) रा॰ रा॰ -28 पर उत्तर प्रदेश सीमा-मुज्जफरपुर खंड	शामिल कर लिया गया है।
	(ख) रा॰ रा॰ -31 पर पुरनिया-डलकोला खंड।	
2.	रा॰ रा॰ -2 पर कर्मनासा-औरंगाबाद खंड को चार-लेन का बनाने के लिए सर्वेक्षण/जांच।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

तकनीकी शब्दावली

2886. श्री रामचन्द्र बैंदा :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री आदित्य नाथ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूली शिक्षा प्रदान करने के कार्य में जुटे दो शीर्ष संस्थान अर्थात् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली अपनी पाठ्य पुस्तकों, प्रकाशनों और प्रश्न पत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई और अनुमोदित शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मानक शब्दावली को उपयोग में लाने के संबंध में सरकार की नीति का अनुपालन और सरकारी अनुदान सहायता का समुचित रूप में उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकारी नीतियों का उल्लघंन करने के मामले में यह दोनों संस्थान किस विभाग के प्रति जवाबदेह हैं;

(घ) क्या सरकार को किसी हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा इस नीति का उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायत अथवा जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। सामान्य नीति के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पाठ्यपुस्तकों, प्रकाशनों और प्रश्न पत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावली का प्रयोग करती है। जहां तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संबंध है, इसके प्रकाशन अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों, हिन्दी व्याकरण और पंजाबी पुस्तकों तक सीमित होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ये दोनों संस्थाएं शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत स्वायत्त संगठन हैं।

(घ) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है;

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में टी॰ वी॰ रिले केन्द्र

2887. श्री सी॰ डी॰ गामीत :

श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरदर्शन टावर स्थापित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में कुछ और टी॰ वी॰ रिले स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं की स्थापना हेतु मोटे तौर पर मानदंडों में अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों विशेष रूप से पहाड़ी, पिछड़े जनजातीय, दूरदराज, संवेदनशील एवं सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करने; आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा परिणामी कवरेज की सीमा जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। गुजरात राज्य में 300 मी॰ टावर पर भुज उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (स्थायी प्रतिष्ठापन) के अलावा 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों एवं 17 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना संबंधी स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

खराब डाक और दूरसंचार सेवाएं

2888. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में दूरसंचार, डाक और तार सेवाएं पर्याप्त रूप से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के खरगौन जिले सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में दूरसंचार, डाक और तार सेवाएं सुचारु रूप से काम कर रही हैं।

तथापि, दूरसंचार सेवाओं में और अधिक सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. केबलों को नली (डक्ट) में बिछाना।
2. पुराने और घिस चुके उपस्करों को बदल कर बाह्य संयंत्र का उन्नयन।
3. दोष मरम्मत और व्यावसायिक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।
4. इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों की चरणबद्ध तरीके से इलैक्ट्रानिक टाइप एक्सचेजों में बदलना।
5. लम्बी लम्बी ड्राप वायरों को भूमिगत केबलों से बदलना।

[अनुवाद]

बंगलौर और तुमकुर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 का विकास

2889. श्री सी॰ पी॰ एम॰ गिरियप्पा :

श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और तुमकुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 कर्नाटक में अत्यधिक भीड़भाड़ वाला मार्ग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के दोहरीकरण/चाल लेन का बनाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) सूचित की गई दुर्घटनाओं की संख्या 239 से लगभग 580 तक भिन्न-भिन्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) बंगलौर-तुमकुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की कुल 70 कि॰मी॰ लम्बाई में से 30 कि॰मी॰ में पहले ही चार लेन है।

नीलमंगल से तुमकुर तक के शेष खंड के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए 10.76 करोड़ रुपये का एक प्राक्कलन स्वीकृत किया है।

कटक रेडियो स्टेशन की रेंज बढ़ाना

2890. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम उड़ीसा के अनेक तटीय जिलों में नहीं सुने जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो कटक रेडियो स्टेशन की रेंज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजना

2891. श्री सुरेश चन्देल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाएं हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ग) इन परियोजनाओं से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होगा;

(घ) इस समय कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हो रहा है; और

(ङ) पनबिजली उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) इस समय हिमाचल प्रदेश में आठ जल विद्युत परियोजनाएं नामश: धानवी एचईपी (22.5 मे॰वा॰), लारजी एचईपी (126 मे॰वा॰), गुम्मा एचईपी (3 मे॰वा॰), पद्मश्री कैलाश चन्द्र महाजन एचईपी (2 मे॰वा॰), होली एचईपी, (3 मे॰वा॰), भाबा विस्तार विद्युत गृह (3 मे॰वा॰), बास्पा चरण-II एचईपी (1500 मे॰वा॰), निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का समयानुसार पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सघन रूप से मानीटरिंग की जाती है।

(ग) परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 1959.5 मे॰वा॰ है।

(घ) इस समय लगभग 220 मे॰वा॰ विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

(ङ) जल विद्युत स्कीमों के गहन सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक संदर्शी योजना तैयार की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् इन परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र में लिया जाएगा।

दामोदर घाटी निगम में रिक्त पद

2892. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में कुल कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या के अनुसार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार रिक्त पदों को भरने का है;

(ग) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने स्वीकृत पद रिक्त हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के रिक्त पदों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्य सभी रिक्त पद भर लिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ङ) दामोदर घाटी निगम में, इसके विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में मानव मेगावाट अनुपात राष्ट्रीय मानदंड से अधिक है। डीवीसी ने जनशक्ति और आर्थिक नीति को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक समीक्षा कार्रवाई आरंभ की है।

विद्युत केन्द्रों में प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित पद भरे जा रहे हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां भर्ती/पदोन्नति के संबंध में न्यायालय निषेधाज्ञा दी गई है। अन्य मामलों में, पदों की जनशक्ति युक्तिसंगत समीक्षा के पूरा होने के पश्चात् भरा जाएगा।

(ग) और (घ) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार खाली पड़े अनुमोदित पदों की कुल संख्या निम्नवत् है :

वर्ग 'क'	:	357
वर्ग 'ख'	:	1074
वर्ग 'ग' और 'घ'	:	1013

(च) और (छ) उपरोक्त (ख) और (ङ) में दी गई जानकारी को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

साक्षरता की निम्न दर

2893. श्री मुकुल वासनिक : *क्या मानव संसाधन विकास* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में किन-किन राज्यों में साक्षरता की निम्न दर है;

(ख) क्या सरकार ने साक्षरता की निम्न दर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निम्न साक्षरता के कलंक से ग्रस्त राज्यों में साक्षरता का तेजी से प्रसार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 52.21 प्रतिशत की राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम साक्षरता दर वाले राज्य/संघ शासित प्रदेश बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और दादरा और नागर हवेली हैं।

(ख) और (ग) साक्षरता की निम्न दर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए उठाये गये कदमों में पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सहभागिता, साक्षरता कार्यक्रमों और उच्च विकास कार्यक्रमों के मध्य संपर्कों पर बल, राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक प्रदत्त शक्तियों के साथ बृहदत्तर विकेन्द्रीयकरण, मानिटरिंग और मूल्यांकन तन्त्र इत्यादि को सुदृढ़ करना सम्मिलित है।

टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

2894. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अनेक टेलीफोन एक्सचेंज संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार में सामान्य तौर से टेलीफोन एक्सचेंज असंतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि कभी-कभी लंबे समय तक विद्युत के न रहने और बिजली गिरने के कारण एक्सचेंज कार्य करना बंद कर देते हैं।

(ग) (i) सभी एक्सचेंजों की इंजन आल्टरनेटर प्रदान किया जा रहा है तथा इन्हें चालू हालत में रखा जा रहा है।

(ii) एक्सचेंजों के दोषपूर्ण कार्डों की शीघ्रता से मरम्मत की जाती है।

(घ) जी, हां। बिहार दूरसंचार सर्किल के सभी एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रानिक हैं। नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग के अनुसार इन एक्सचेंजों का उत्तरोत्तर रूप से विस्तार किये जाने की योजना है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(च) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰सं॰	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	ऐसे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की संख्या जिनका विस्तार किया जाना है।
1	2	3	4
1.	अराह	भौजपुर	17
2.		बक्सर	12
3.	भागलपुर	भागलपुर	26
4.		बांका	11
5.	छपरा	छपरा	23
6.		सिवान	20
7.		गोपालगंज	05
8.	दरभंगा	दरभंगा	37
9.		समस्तीपुर	22
10.		बेगुसराय	23
11.		मधुबनी	28
12.		खगारिया	16
13.	डाल्टनगंज	पलामू	15
14.		गरवा	09
15.	डुमका	डुमका	14
16.		देवगढ़	08

1	2	3	4
17.		गौडा	11
18.		साहिबगंज	09
19.		पाकुर	03
20.	धनबाद	धनबाद	20
21.		बोकारो	14
22.	गया	गया	19
23.		नवादा	08
24.		जेहानाबाद	08
25.		औरंगाबाद	17
26.	हजारीबाग	हजारीबाग	28
27.		गिरिडीह	15
28.		छत्रा	03
29.		कोडर्मा	10
30	जमशेदपुर	पूर्वी सिंघभूम	18
31.		पश्चिम सिंघभूम	20
32.	कटिहार	कटिहार	12
33.		पूर्णिया	15
34.		अरारिया	09
35.		किशनगंज	08
36.	मोतीहारी	पूर्वी चंपारन	30
37.		पश्चिमी चंपारन	14
38.	मुंगेर	मुंगेर	13
39.		लखीसराय	07
40.		शेखपुरा	04
41.		जमुई	08
42.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फपुर	21
43.		वैशाली	17
44.		सीतामढ़ी	13
45.		श्योहर	10
46.	पटना	पटना	32
47.		नालन्दा	29
48.	रांची	रांची	28
49.		लोहारदग्गा	07
50.		जुमला	10
51.	सहरसा	सहरसा	22
52.		सुपोल	15
53.		मधेपुरा	10
54.	ससाराम	रोहतास	19
55.		कैमूर (भभुवा)	09
		कुल	851

[हिन्दी]

हिन्दी माध्यम में पाठ्यक्रम

2895. श्री आदित्यनाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी माध्यम से शिक्षा न देकर केवल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए चलाए जा रहे पाठ्यक्रम अभी भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन पाठ्यक्रमों का हिन्दी संस्करण कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत व्यापार निगम की स्थापना

2896. श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत का व्यापार करने हेतु विद्युत व्यापार निगम स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ)

पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना से पहिये अनेक जटिल संगठनात्मक संस्थागत, विधिक, वाणिज्यिक और संविदात्मक संबंधी मुद्दों का निराकरण करना होगा। इस समय अंतर-क्षेत्रीय और अंतराक्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है पृथक पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन का सृजन आवश्यक है अथवा नहीं से संबंधित मुद्दा केवल तभी उत्पन्न हो सकता है, जब इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाए।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विद्युत की कमी

2897. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या :

श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत की कमी से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की इन समस्याओं के समाधान हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय ग्रिड से 2 मिलियन यूनिटों की अतिरिक्त विद्युत की प्रार्थना की है जिससे राज्य की गम्भीर विद्युत कमी से छुटकारा पाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड का होता है। कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को राज्य में विद्युत आपूर्ति विनियमन का निर्णय प्राथमिकताओं तथा विद्युत की मांग और उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी जाती है। जनवरी, 1998 से मार्च, 1998 के दौरान कर्नाटक में कृषि क्षेत्र की औसत विद्युत आपूर्ति निम्नानुसार है:

महीना	घंटे प्रतिदिन	
जनवरी, 98	14	
फरवरी, 98	14	
मार्च, 98	14	(11.3.98 तक)
	10	(12.3.98 से प्रभावी)
अप्रैल, 98	10	
मई, 98	14	

(ङ) और (च) अप्रैल, 98 के महीने के दौरान राज्य में विद्युत की कमी को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अनार्बटित कोटे से 2 मि॰यू॰ प्रतिदिन अतिरिक्त विद्युत का अनुरोध किया था। दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की मांग और उपलब्धता की समीक्षा करने के पश्चात कर्नाटक के हिस्से को दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों के अनार्बटित कोटे से दिनांक 1.4.98 को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य अभ्यस्ततम कालीन घंटों के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र से लगभग 85 मे॰वा॰ की सहायता भी प्राप्त कर रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

2898. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में प्रत्येक विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता में वर्षवार कितनी बढ़ोतरी हुई है;

(ख) क्या बिहार में कहलगावं में बृहद विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत 2800 मेगावाट बिजली के उत्पादन हेतु औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त परियोजना को एक छोटी परियोजना में बदलने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या 840 मेगावाट की चार इकाइयों को आरंभ करने के बाद बंद कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता निम्नवत् है।

स्टेशन	एजेंसी	प्रकार	31.3.96 की स्थितिनुसार क्षमता	31.3.97 की स्थितिनुसार क्षमता	31.3.98 की स्थितिनुसार क्षमता
1	2	3	4	5	6
सुबेरनखा	बीएसईबी	जल	130	130	130
कोसी	बीएसईबी	ताप	20	20	20
सोन	बीएसईबी	ताप	6.6	6.6	6.6

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी कैनाल					
सोन	बीएसईबी	जल	3.3	3.3	3.3
पूर्वी कैनाल					
पू॰गंडक कैनाल	बीएसईबी	जल	5	10	15
पटना	बीएसईबी	भाप	13.5	13.5	13.5
बरौनी	बीएसईबी	भाप	320	320	320
पत्रातु	बीएसईबी	भाप	840	840	840
मुज्जफरपुर	बीएसईबी	भाप	220	220	220
पनचेट हिल	डी वी सी	जल	80	80	80
तिल्लैया	डी वी सी	जल	4	4	4
तेनुघाट	टीवीएनएल	भाप	210	420	420
बोकारो	डी वी सी	भाप	877.5	877.5	877.5
चन्द्रपुर	डी वी सी	भाप	780	780	780
कहलगांव	एनटीपीसी	भाप	840	840	840
मैथोन	डी वी सी	गैस	90	90	90
कुल			4439.90	4654.90	4659.90

(ख) से (छ) 840 मे॰वा॰ अधिष्ठापित क्षमता के साथ एनटीपीसी की कहलगांव ताप विद्युत परियोजना को वर्ष 1995-96 में चालू कर दिया गया था और यह तब से बिजली का उत्पादन कर रही है। वर्तमान में इसकी क्षमता को 2800 मे॰वा॰ तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विज्ञान तथा संचार संस्थान में अनियमितताएं

2899. श्री सुरेश कुरूप :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संघटक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय विज्ञान तथा संचार संस्थान में हुई विभिन्न अनियमितताओं की जांच के लिए फरवरी, 1997 में एक सदस्यीय जांच समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और इन पर सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट को शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति (ओएम एफएफसी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संबंधित अधिकारियों के बयान जोड़े जाने आवश्यक हैं और चूंकि उन कर्मचारियों के बयान प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है, अत: इसके बाद ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट टी॰ वी॰ नेटवर्क

2900. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिले सैटेलाइट टेलीविजन रिले नेटवर्क से जोड़ दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कब तक इस नेटवर्क से जोड़ दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन के कार्यक्रम उपयुक्त डिश एन्टिना प्रणाली का उपयोग करके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय बाल कोष

2901. श्री कांति लाल भूरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस कोष से अनुदान मांगने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 में की गयी थी। इसका उद्देश्य समुदाय से संसाधनों में वृद्धि करना और उससे प्राप्त ब्याज का इस्तेमाल बाल कल्याण/विकास के क्षेत्र में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने के लिए करना था, ताकि ये संगठन पिछड़े क्षेत्रों में निर्धन परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्कताओं को पूरा करने के लिये विशेष रूप से तैयार नयी परियोजनाएं शुरू कर सकें।

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो फैशन डिजाइन तथा सिलाई, टी॰ वी॰ मरम्मत, टंकण और आशुलिपि, कम्प्यूटर में प्रशिक्षण देने तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिये दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। जैसे ही संशोधित दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

पंजीकृत समाचार पत्र

2902. श्री संदीपान थोरात : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1998 तक राज्य-वार और श्रेणीवार कितने समाचार-पत्र और पत्रिकाओं ने समाचार-पत्र रजिस्ट्रार में पंजीकरण कराया जो वास्तव में प्रकाशित हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पंजीकृत अनेक समाचार-पत्र वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं/नियमित रूप से समाचारपत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में प्रिंट मीडिया के स्वस्थ विकास संबंधी समस्या की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या क्रमश: विवरण-I और II में दी गयी है।

(ख) और (ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय यह सूचना नहीं रखता है क्योंकि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशकों को समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के बंद होने के बारे में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय को सूचित करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार प्रिंट मीडिया हेतु स्वस्थ विकास के सहायक नीतिगत माहौल बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रामाणिक समाचारपत्रों एवं समाचार-पत्र संस्थाओं को दी गई डाक एवं संचार की रियायत, दृश्य मीडिया उपकरण एवं कंप्यूटरों का आयात करने के लिए दी गई शुल्क छूट, सरकारी स्रोतों से सूचना एकत्रित करने की पहुंच उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली में मीडिया प्रतिनिधियों/संस्थाओं को प्रत्यायन देने, अखबारी कागज के आयात के लिए हाल के बजट में दी गयी शुल्क रियायत आदि शामिल है।

विवरण-I

दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या (राज्यवार)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पंजीकृत समाचारपत्र/पत्रिकाओं की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	43
2.	आन्ध्र प्रदेश	2029
3.	अरुणाचल प्रदेश	15
4.	असम	404
5.	बिहार	1612
6.	चंडीगढ़	327
7.	दिल्ली	6367
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	गोवा	84
11.	गुजरात	1425
12.	हरियाणा	957
13.	हिमाचल प्रदेश	157

1	2	3
14.	जम्मू और कश्मीर	333
15.	कर्नाटक	2076
16.	केरल	1726
17.	लक्षद्वीप	3
18.	मध्य प्रदेश	3390
19.	महाराष्ट्र	4970
20.	मणिपुर	167
21.	मेघालय	72
22.	मिजोरम	108
23.	नागालैंड	14
24.	उड़ीसा	891
25.	पांडिचेरी	65
26.	पंजाब	1228
27.	राजस्थान	3027
28.	सिक्किम	16
29.	तमिलनाडु	2492
30.	त्रिपुरा	99
31.	उत्तर प्रदेश	7867
32.	पं. बंगाल	3686

विवरण-II

दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की श्रेणीवार संख्या

आवर्तिता	समाचारपत्रों की संख्या
दैनिक	4895
साप्ताहिक	15221
अर्ध-साप्ताहिक आदि	421
पाक्षिक	5863
मासिक	12788
अर्ध-मासिक आदि	1722
त्रैमासिक	3509
वार्षिक	1230
अन्य	3

गुजरात में डाक सुविधाएं

2903. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 30, 1998 तक देश में, विशेषकर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के गांव एवं शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों की संख्या कितनी है जहां डाक सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या गुजरात में वर्तमान डाक सेवाओं में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश भर में ऐसे गांवों की संख्या 146861 है जहां डाकघर हैं। तथापि, जहां तक डाक के वितरण का संबंध है, देश के सभी गांवों और क्षेत्रों को डाक नेटवर्क कवर करता है। देश के शहरी क्षेत्रों में 16240 डाकघर हैं। जे०जे० कालोनियों को, जहां कहीं भी वे मौजूद हैं, शहरी क्षेत्रों के डाकघरों द्वारा डाक सेवा प्रदान की जाती है।

गुजरात में ऐसे गांवों की संख्या 7899 है जहां डाकघर हैं। गुजरात में कोई जे० जे० कालोनी निर्धारित नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात सर्किल में डाक सेवाओं की मौजूदा गुणवत्ता तथा डाक की मात्रा में सुधार का ब्यौरा।

सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए गए हैं :

1. आधुनिकीकृत किए गए डाकघरों की संख्या - 97
2. स्थापित किए गए वैरी स्माल अपरचर टर्मिनलों (वीएसएटी)/ विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर (ईएसएमओ) की संख्या - 24
3. स्थापित की गई बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संख्या - 231
4. स्थापित बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क - 7
5. कम्प्यूटरीकृत किए गए बचत बैंक नियंत्रण संगठन - 8
6. कम्प्यूटरीकृत की गई पे रोल बचत योजना - 13
7. स्थापना की आवधिक पुनरीक्षा नियमित रूप से की जा रही है ताकि सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके और जहां औचित्य सम्मत पाया जाता है। वहां अतिरिक्त स्टाफ भी मुहैया करा जाता है।

8. वर्ष 1997-98 के दौरान 18 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 3 विभागीय उपडाकघर खोले गए। वर्ष 1998-99 के लिए 2 और विभागीय उपडाकघर तथा 40 और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

9. वर्ष 1997-98 के दौरान 330 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चरल उपस्कर सप्लाई किए गए हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान 120 और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में इंफ्रास्ट्रक्चरल उपस्कर सप्लाई किए जायेंगे, बशर्ते कि फंड उपलब्ध रहें।

बहुमूल्य डाटा-बेस का अन्तरण

2904. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पौधे, पशु और खनिज संसाधनों पर राष्ट्रीय विज्ञान और संचार संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा संग्रहीत और संकलित बहुमूल्य सूचना वाले डाटा बेस को एशियन हैल्थ एंड एनवायरनमेंट एलाईड डाटाबेस नामक सोसायटी को अंतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और डाटा अन्तरण के लिए क्या मार्गनिर्देष निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) एशियन हैल्थ एंड एनवायरनमेंट एलाईड डाटाबेस के सदस्य कौन-कौन से हैं और इसके नियम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) एशियन हैल्थ एंड एलाइड डाटा (अहेड) 9 संगठनों का एक सहायता संघ है जिसमें से 8 संगठन सरकारी हैं तथा 1 गैर-सरकारी (एनजीओ)। ये संगठन 7 एशियाई देशों यथा सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, बंगलादेश, भारत, मलेशिया तथा मंगोलिया से संबंधित हैं। अहेड भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह सहायता संघ प्रतिभागी सदस्यों से प्राप्त निवेश पर आधारित आधुनिक इलैक्ट्रानिक फॉर्मेट में एशियन हैल्थ तथा उससे संबंधित अन्य सूचना का प्रकाशन तथा विपणन करना चाहता है। सदस्य संगठन अहेड को सूचना तथा आंकड़ा धार निवेश उपलब्ध कराते हैं जिन पर उनका कॉपीराइट है। अहेड आंकड़ा सीडी-रोम तैयार करता है तथा उसके कॉपीराइट पर इसका मालिकाना हक होता है, जिसके लिए यह योगदान देने वाले संगठन को रॉयल्टी का भुगतान करता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) ने अहेड को दो आंकड़ाधार अर्थात् 'वेल्थ आफ इंडिया' तथा 'मेडिसनल ऐरोमैटिक प्लांटस एब्सट्रेक्ट्स' उपलब्ध कराए हैं। अहेड को वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आइडीआरसी) कनाडा तथा निस्कॉम द्वारा दी जाती हैं क्योंकि ये अग्रणी संगठन सदस्य आधारभूत संरचनात्मक और सीमित रूप में तकनीकी जनशक्ति सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

एक्सचेंज भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

2905. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश एक्सचेंज किराए के निजी भवनों में काम कर रही हैं जो भविष्य में विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक्सचेंज भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) अधिकांश ग्रामीण एक्सचेंज किराए के निजी भवनों में कार्य कर रहे हैं। अधिकतर मामलों में यह भविष्य में विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए उपयुक्त है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय, समस्त देश में विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से 1254 एक्सचेंज भवन और 9311 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन बूथों का बिना बारी आबंटन

2906. श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में एस टी डी/आई एस डी टेलीफोन बूथों का बिना बारी कोई आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिना बारी आबंटन करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995, 1996 तथा 1997 के दौरान 3117 सार्वजनिक टेलीफोन बिना बारी के मंजूर किए गए हैं। वर्ष 1997 के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से केवल सेना प्राधिकारियों को ही बिना बारी के 16 पी सी ओ आंबटित किए गए थे।

(ग) 18.7.96 से पहले बिना बारी आधार पर पी सी ओ मंजूर करने के विवेकाधिकार माननीय संचार मंत्री के पास थे। 18.7.96

के बाद से सरकार ने मंत्रियों द्वारा लाभ उठाए जाने वाले विवेकाधिकार कोटा को समाप्त करने का निर्णय लिया था। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में कम संख्या में बिना बारी के आबंटन करना पूर्णत: आवश्यक समझा जाए, तो स्पष्ट नियमों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऐसे आबंटन करने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। सरकार के इस निर्णय के अनुसरण में दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो संचार मंत्री के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ एस टी डी/पी सी ओ के आबंटन के लिए निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार और संस्तुति करेगा। तथापि, ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों में से एक व्यक्ति।

(ख) दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांग।

(ग) पूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं।

(घ) दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।

(ङ) धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल।

(च) सेना छावनियां और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थान।

(छ) विशेष अथवा अति साधारण परिस्थितियों वाले व्यक्ति, जो अनुकंपा आधार पर विचार के पात्र हैं और समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

2907. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने विद्युत उत्पादन की संभावना है;

(घ) सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि के निवेश का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त द्वारा उत्पादन कब से आरंभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में 1997-98 के दौरान उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा 11157 मिलियन यूनिट है।

(ख) और (ग) 1991 में घोषित की गई विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किए जाने की नीति को देश के सभी राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए जारी रखा गया है। अभी तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दो स्वतंत्र ताप विद्युत परियोजनाओं -702.7 मे॰वा॰ की धौलपुर विद्युत परियोजना तथा 500 मे॰वा॰ की बरसिंगसर लिग्नाइट विद्युत परियोजना को तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार का सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना में किसी भी प्रकार का निवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो एक राज्य क्षेत्र परियोजना है। परियोजना के चरण-I द्वारा 1998-99 में उत्पादन शुरू करने की आशा है तथा परियोजना को पूरी तरह से 1999-2000 में चालू किए जाने की आशा है।

शहतूश शालें

2908. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1998 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित समाचार 'वाइल्ड लाइफ एक्ट फेल्स टू कर्ब ट्रेड इन शहतूश' की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या भारत में प्रतिबंध के बावजूद देश भर के निजी एवं सरकारी बिक्री केन्द्रों में शहतूश शालें अभी भी उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके व्यापार को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल भंडारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, शहतूश शालों का कुछ मात्रा में गुप्त व्यापार हो रहा है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रवर्तन एजेंसियां व्यापारियों पर नियमित रूप से छापे मारती हैं और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 27 पर बाईपास योजना

2909. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रीवा शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 27 पर बाईपास योजना को मंजूरी दी थी;

(ख) उक्त योजना को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था;

(ग) भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् भी योजना को चालू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रथम उपाय के रूप में, बाइपास हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए 154.39 लाख रुपये की राशि की प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया है। तकनीकी कारणों से पूर्व अनुमोदित सरेखण के बावजूद पुनसरेखण की आवश्यकता पड़ी। बाइपास का निर्माण उसके लिए भूमि का अधिग्रहण पूरा होने के बाद अन्य प्रस्तावों की तुलना में इसकी पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जा सकता है। विकल्प के रूप में, इसे इसकी व्यवहार्यता के आधार पर निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण परियोजना के रूप में शुरू किया जा सकता है।

टेलीफोन मैकेनिकों की नियुक्ति

2910. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

श्री रामदास आठवले :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और महाराष्ट्र सर्किलों में कार्यरत उन कर्मचारियों की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है जिन्होंने टेलीफोन मैकेनिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सभी कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) यह बताया जाता है कि टेलीफोन मैकेनिक के पदों के लिए योग्य और प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से महाराष्ट्र और बिहार सर्किलों में क्रमश: 5559 और 2294 उम्मीदवारों को टेलीफोन मैकेनिक के रूप में पहले ही तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र और बिहार सर्किल के शेष क्रमश: 2801 और 293 कर्मचारी, जिनकी भर्ती की रिक्तियों की कमी के कारण रोक दिया गया है, उन्हें इस ग्रेड में मानकों के अनुसार अपेक्षित संख्या में पद सृजित किए जाने के बाद टेलीफोन मैकेनिक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर लकड़ी तथा इस्पात के पुल

2911. श्री था॰ चौबा सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिरीबाम से इम्फाल तथा मोरेह (म्यांमार सीमा) तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर कई स्थानों पर लकड़ी तथा इस्पात के कई पुल बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन्हें पक्का पुल में परिवर्तित कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। रा॰ रा॰-53 (जिरीबाम से इम्फाल) और रा॰ रा॰ 39 (इम्फाल से मोरेह) पर जिरीबाम और मोरेह के बीच ऐसे 33 पुल हैं।

(ख) ये श्रेणी 12 से 40 आर तक के भार वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार के बेले और हैम्लिटन पुल हैं।

(ग) इन्हें निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

फतेहपुर-इलाहाबाद के बीच जी॰ टी॰ रोड पर बाईपास

2912. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, में फतेहपुर-इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (जी॰टी॰ रोड) पर ट्रैफिक जाम होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या इस राजमार्ग पर महत्वपूर्ण बाईपास के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े राज्यवार रखे जाते हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। इलाहाबाद में बाईपास का निर्माण कार्य व्यवहार्यता अध्ययन के स्तर पर है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

2913. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित कंप्यूटर साक्षरता एवम् स्कूली शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्कूलों में पर्यावरणोन्मुखी शिक्षा तथा विज्ञान के उन्नयन संबंधी योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष धनराशि के कब तक उपयोग कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आठवीं योजनावधि (1992-97) के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 25 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों को दिए गए अनुदान विवरण तथा उपयोगिता विवरण नीचे दिए गए हैं :

योजना	दी गई राशि	प्रयुक्त राशि (रुपये लाख में)
स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन	9027.89	3491.42
शैक्षिक प्रौद्योगिकी	5448.87	1285.53
पर्यावरणीय प्रबोधन	201.95	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित नहीं किया गया है।
विज्ञान का सुधार	10567.77	4771.31

उपर्युक्त अनुदानों का अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा हार्डवेयर एवं उपस्करों सहित वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति पर लगा है जो एक जटिल और समयसाध्य प्रक्रिया है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुदानों का उपयोग विभिन्न स्तरों पर हुआ है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र इस राशि को आगे उपयोग करने की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर रहे हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत नया अनुदान देने को सुकर बनाने के लिए खर्च न की गई शेष राशि का शीघ्र उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर प्रेरित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

2914. श्री कीर्तिवर्धन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जिला-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) इन विद्यालयों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ग) इन स्कूलों को खोलते समय विद्यार्थियों को किस आधार पर दाखिला दिया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 121 है संलग्न विवरण-I में दिया गया है। निश्चित सीमा निर्धारण के अभाव में उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का निश्चित रूप से पहचान करना संभव नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कूलों के रख-रखाव पर किया गया व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रवेश परीक्षा में जहां आवश्यक समझा जाता है, बच्चे के उत्तीर्ण हो जाने पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदण्डों तथा वरीयता के अनुसार प्रवेश दिये जाते हैं। वस्तुतः स्थानान्तरणीय आधार पर रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अन्य कोटियां भी पात्र हैं परंतु उन्हें निम्न वरीयता दी जाती है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की जिलावार संख्या

1	2
आगरा	4
इलाहाबाद	7
अलीगढ़	1
अल्मोड़ा	2
सुल्तानपुर	1
बरेली	6
आजमगढ़	1
मथुरा	3
झांसी	5
गाजियाबाद	7
बलिया	1
नैनीताल	5
बाराबंकी	1
मेरठ	4
फतेहपुर	1
बाथी	1
बुलन्दशहर	1
चोपन	1
देहरादून	13
इटावा	1
फैजाबाद	1

1	2
फतेहगढ़	1
गाजीपुर	1
गोंडा	2
गोरखपुर	1
हरिद्वार	3
जगदीशपुर	1
चमोली	1
कानपुर	9
सोनभद्र	1
पौढ़ी गढ़वाल	1
लखनऊ	9
माऊ	1
मुरादाबाद	1
वाराणसी	4
मसूरी	1
टिहरी गढ़वाल	1
पिथौरागढ़	1
राय बरेली	2
रामपुर	1
मिर्जापुर	2
रूड़की	1
सहारनपुर	1
शाहजहांपुर	2
सीतापुर	1
गढ़वाल	1
ललितपुर	1
उन्नाव	1
उत्तरकाशी	2
गौतम बुद्ध नगर	1
	121

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में स्कूल भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए के०वि०सं० द्वारा संस्वीकृत राशि

क्र०सं०	के०वि० का नाम	के दौरान संस्वीकृत राशि		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	शाहजहांपुर (ओ० सी० एफ०)	-	1,1,56,500	-
2.	एएफएस मेमोरा	-	1,36,100	1,28,100
3.	अलीगंज लखनऊ	91,750	1,01,200	1,63,000
4.	एएमजी लखनऊ	-	1,74,900	5,28,000
5.	गामटी नगर लखनऊ	-	1,01,200	1,46,400
6.	एएफ मनौरी, इलाहाबाद	-	1,67,700	93,200
7.	एयरपोर्ट सुल्तानपुर	2,23,000	8,000	1,18,400
8.	नं० 1 रायबरेली	-	1,01,200	1,18,400
9.	एएफएस बमरौली, इलाहाबाद	-	1,11,700	1,46,500
10.	नं० 1 चकरी, कानपुर	-	1,99,300	1,87,300
11.	नं० 1 अरमापुर, कानपुर	-	1,11,700	-
12.	कानुपर कैंट	-	1,74,900	1,87,300
13.	गोरखपुर	1,99,900	12,000	1,76,100
14.	आजमगढ़	-	3,26,100	1,18,400
15.	एमएयू नार्थ भंजन	-	1,43,300	1,33,400
16.	फतेहगढ़	-	1,43,300	-
17.	शाहजहांपुर कैंट	-	-	1,57,700
18.	देहरादून, बीरपुर	-	1,43,300	1,57,700
19.	देहरादून कैंट (एम०टी० लाइंस)	-	1,11,700	1,03,700
20.	नं० 1 एच०बी०के० देहरादून	70,450	1,85,200	4,17,800
21.	आईएमए देहरादून	-	1,11,700	1,03,700
22.	देहरादून रायपुर	-	1,11,700	1,57,700
23.	रलवाला देहरादून	-	1,24,900	1,16,900
24.	लैंडसडाउन	-	1,99,300	1,54,354
25.	रूड़की	-	1,67,700	1,57,700
26.	रानीखेत	-	1,36,100	1,57,700
27.	पिथौरागढ़	-	1,67,700	1,57,700

1	2	3	4	5
28.	एसएल मेरठ	1,65,000	8,000	1,76,100
29.	डीएल मेरठ	-	1,11,700	2,68,200
30.	पीएल मेरठ	1,84,410	1,11,700	1,76,100
31.	एएफएस बरेली	-	1,67,700	1,57,700
32.	एएससी बरेली	-	1,11,700	1,33,300
33.	बाबीना कैंट	-	1,67,700	1,57,700
34.	नं॰ 1 झांसी	-	8,87,500	1,46,500
35.	नं॰ 1 आगरा	-	1,11,700	6,00,900
36.	नं॰ 2 आगरा	3,86,100	1,11,700	2,23,100
37.	नं॰ मथुरा	-	1,99,300	1,87,700
38.	तालभाट	93,000	-	1,03,700
39.	वीकेवी गाजियाबाद	1,50,181	3,03,913	4,29,653
40.	नं॰ 1 हिंडन	78,727	1,01,200	93,200
41.	मुराद नगर	-	1,31,000	93,000
42.	नोएडा	3,24,324	1,83,000	1,71,600
43.	नं॰ 1 हिण्डन	17,000	-	-
44.	एएफएस दादरी	-	16,000	-
45.	बुलन्दशहर	-	2,53,000	-
46.	आईआईटी, कानपुर	-	-	54,750
47.	मसूरी	-	-	39,800

[अनुवाद]

गुजरात में विद्युत की कमी

2915. श्री हरिन पाठक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात में विद्युत की वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस राज्य में वास्तविक रूप से विद्युत का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त राज्य में विद्युत की अधिकतम मांग और आपूर्ति कितनी है; और

(ग) उक्त राज्य में विद्युत की कमी को किस प्रकार से पूरा किये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) 31 मार्च, 1998 की स्थितिनुसार अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता और गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में अवस्थित सभी विद्युत स्टेशनों में वास्तविक विद्युत उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

श्रेणी	अधिष्ठापित क्षमता राज्य/निजी	विद्युत उत्पादन (मे॰वा॰) केन्द्रीय क्षेत्र	कुल	ऊर्जा उत्पादन (मि॰यू॰) 95-96	96-97	97-98
ताप विद्युत	6010	1292	7302	30715	31815	36301
न्यूनतीय	-	440	440	2251	3147	2119
जल विद्युत	487	-	487	738	840	1291
जोड़	6497	1732	8229	33706	35802	39711

गुजरात का विद्युत का हिस्सा पश्चिमी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों में 1290 मे॰वा॰ तथा पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों में अनाबंटित हिस्से में से 29.5% (व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान 198 मे॰वा॰ और गैर-व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान 169 मे॰वा॰) है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात राज्य की व्यस्ततम कालीन मांग 6367 मे॰वा॰ है जिसमें 5961 मे॰वा॰ की पूर्ति कर दी गई है। 6.4% की कमी हुई है।

(ग) कमी को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान 916 मे॰वा॰ नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने की आयोजना बनाई है। गुजरात को पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों में इसके हिस्से के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से 60 मे॰वा॰ विद्युत का आबंटन किया गया है। जब भी आवश्यक हो, उत्तरी क्षेत्र से भी सहायता प्रदान की जा रही है।

चंडीगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र

2916. श्री सत्य पाल जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव चंडीगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का चंडीगढ़ के आकाशवाणी भवन से दूरदर्शन केन्द्र का आरंभ करने का तब तक विचार है जब तक कि वहां से नियमित दूरदर्शन केन्द्र आरंभ नहीं हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। सिविल निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के कंधमाला जिले में अभयारण्य

2917. श्री पद्मानाबा बेहेरा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा कंधमाला जिले में अभयारण्य को मंजूरी दिए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षु अधिनियम

2918. श्री माधवराव पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने +2 व्यावसायिक कोर्सों से संबंधित शिक्षु अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का हस्तांतरण राज्य सरकार को करने के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अनुरोध कब से लंबित पड़ा है; और

(घ) इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद् की दिनांक17.12.1996 को आयोजित 27वीं बैठक की सिफारिश के अनुसरण में, स्नातक इंजीनियर, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के बारे में, नई आर्थिक नीति के मद्देनजर प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिवर्तनों को सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है। यह गठित कार्यदल स्नातक इंजीनियर, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के बारे में कार्यदल को सुझाए गए विचारार्थ विषय और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है।

कांडला पत्तन में क्षति

2919. श्री नरेश पुगलीया :

डा॰ संजय सिंह :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में हाल में आए चक्रवात से कांडला पत्तन को हुई क्षति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षतिग्रस्त उपस्करों का ब्यौरा क्या है और इस आपदा में मारे गए लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कांडला पत्तन पर पुन: कार्य शुरू करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। चक्रवात के कारण पत्तन की अवसंरचनात्मक सुविधाओं को कुल 132.25 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। 9 जून से 24 जून, 1998 (पत्तन प्रचालन आंशिक रूप से बहाल होने तक) की अवधि के दौरान लगभग 6.00 करोड़ रुपये की प्रचालन आय का घाटा हुआ। पत्तन के सिविल, यांत्रिक और विद्युत ढांचे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। पांच व्हार्फ क्रेनों और मरीन अनलोडर को अत्यधिक क्षति पहुंची। दुर्घटना में पत्तन के पांच कर्मचारियों की मृत्यु हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। पत्तन प्रचालन पुन: शुरू हो गए हैं। क्रूड और पी ओ एल की हैंडलिंग जून के तीसरे सप्ताह में शुरू हुई और सामान्य कार्गो प्रचालन 24 जून, 1998 से शुरू हो गए हैं। पत्तन ने विभिन्न पत्तन सुविधाओं को पुन: प्रचालित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीकॉम सुविधा

2920. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अक्तूबर, 1996 में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में दूरसंचार की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ग) इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में अब तक दूरसंचार सुविधा प्रदान कर गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्षेत्र के अन्य सभी राज्यों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सुविधा की कवरेज

31.5.98 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों (राज्य/सर्किल वार) में दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति

क्र॰सं॰	मद	ए पी	एम एन पी	एम ई जी	एम जेड आर	एन एल डी	टी आर पी	कुल उत्तर पूर्व सर्किल	असम	कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	72	30	45	41	35	50	273	319	592
2.	टेलीफोन कनेक्शन	15678	18097	24214	20524	14650	25832	118995	164152	283147
3.	टेलीफोन सुविधा युक्त गांव (निम्नलिखित) में से	557 (3599)	592 (2394)	842 (5629)	575 (770)	516 (1192)	547 (862)	3629 (14446)	10524 (22224)	14153 (36670)
4.	एस टी डी कवरेज									
	1. जिला मुख्यालय	13	8	7	3	7	4	42	23	65
	(निम्नलिखित में से)	(13)	(8)	(7)	(3)	(7)	(4)	(42)	(23)	(65)
	2. उप मंडल मुख्यालय	18	13	15	9	5	11	71	48	119
	(निम्नलिखित में से)	(28)	(30)	(15)	(9)	(22)	(11)	(115)	(48)	(163)

ए पी - अरुणाचल प्रदेश
एम एन पी - मणिपुर
एम ई जी - मेघालय
एम जेड आर - मिजोरम
एन एल डी - नागालैंड
टी आर पी - त्रिपुरा

यू॰ एन॰ आई॰ के उर्दू प्रभाग द्वारा रिपोर्टिंग

2921. श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू॰ एन॰ आई॰ के उर्दू प्रभाग को अपने समाचार स्वयं संकलित न करने और अंग्रेजी व हिन्दी प्रभागों की रिपोर्टों पर निर्भर रहने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्देश कब दिया गया था;

(ग) क्या यह महसूस किया गया कि ऐसा कोई निर्देश यू॰ एन॰ आई॰ प्रभाग के उद्देश्यों और कार्यकरण के विरुद्ध है जिसकी शुरूआत मूल रूप से कम से कम 60 प्रतिशत रिपोर्टिंग करने के आश्वासन के साथ की गई थी; और

(घ) यू॰ एन॰ आई॰ के उर्दू प्रेस तथा इसके पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों तथा हितों के बारे में पर्याप्त रूप से रिपोर्ट देने में सक्षम बनाने हेतु अनुचित निषेधों को समाप्त करने के लिए किन कदमों का उठाया जाना प्रस्तावित है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सरकार ने यू॰ एन॰ आई॰ को इस प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

2922. श्री सतनाम सिंह कैंथ :

श्री मगन्ती वेंकटेश्वर राव :

श्री के॰ एस॰ राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में टेलीफोन प्रणाली काफी शोचनीय अवस्था में है तथा कई वर्षों से आवेदन करने के बावजूद आवेदक को टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में इस समय टेलीफोन एक्सचेंजों की एक्सचेंज क्षमता क्या है;

(घ) क्या इन राज्यों में चालू एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने तथा नए एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी नहीं, पंजाब में दूरसंचार सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। नियमित रूप से नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं और सिवाय ऐसे कुछ क्षेत्रों के जहां तकनीकी दृष्टि से टेलीफोन लगाने में देरी हो रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश और पंजाब सर्किल के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) (i) 1998-99 के दौरान आंध्र प्रदेश के मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में 379418 लाइनों और पंजाब के मौजूदा एक्सचेजों की क्षमता में 324500 लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ii) 1998-99 के दौरान आंध्र प्रदेश में 30 नए टेलीफोन एक्सचेंज और पंजाब में 73 नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में एक्सचेंज-वार टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता।

क्र॰सं॰	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
	अदिलाबाद	
1.	अदिलाबाद	4040
2.	असीफाबाद	488
3.	बसर	96
4.	बजरथनूर	96
5.	मीराबल्ली	56
6.	बेला	96
7.	बेलतपल्ली	1400
8.	भैंसा	1112
9.	भीमराव	25
10.	बोथ	184
11.	बोपाराम	152
12.	सीसी काम्पलैक्स	1400
12. ए	सीसीकाम्पलैक्स (न्यूश्रीरामपुर)	360
13.	चिन्नूर	544
14.	दानेगोन	56
15.	दनदेपल्ल	152
16.	देवपुर	456
17.	देवापुर (टी)	56
18.	दिलावरपुर	56
19.	दिवादपल्ली	80
20.	इछो	328
21.	गोलेटी	304
22.	गुड्डीहाथनूर	56
23.	हाजीपुर	56
24.	इंद्रावेली	152
25.	जैनान	96
26.	जैनूर	152
27.	जैयपुर	56
28.	जनाराम	456
29.	कल्यानीखानी	384
30.	एकल्याणीखानी	1032
30. ए	कपराला	56
31.	करन्जी	56
32.	कौताला	56
33.	केरमेरी	56
34.	खानपुर	456
35.	कोरीटिक्कल	88
36.	कुबीर	88
37.	कुन्ताला	80
38.	लक्षमणचन्द	80
39.	लोहेश्वरा	80
40.	लक्सीटीपेट	400
40. ए	-वही-	96
41.	मडाराम	368
42.	मडहापुर	56
43.	मनचेरीला	3512

1	2	3
44.	मधोले	184
45.	नारनूर	96
46.	नरसापुर	152
47.	नरेडीगोंडा	96
48.	निकोवा	56
49.	निरमल	2504
50.	पिड्डूरे	96
51.	पिपरावाड़ा	56
52.	रामाकृष्णापुर	1000
53.	रेबेना	80
54.	रेलेवादा	96
55.	सारंगपुर	88
56.	सिरपुर	80
57.	सिरपुरखागजनगर	1512
57. ए	-वही-	152
58.	सुनकिड्डी	152
59.	तालपेटा	152
60.	पुटनूर	536
61.	वानकिरडी	96
	अनन्तपुर	
62.	ए कोन्डापुरम	56
63.	अगली	88
64.	अमादागुरू	56
65.	अमरपुरम	184
66.	अमीदयाल	88
67.	अननियापुर	11000
68.	अइमाकुर	88
69.	बी०एम०के० पल्ली	56
70.	बथलापल्ली	152
71.	बिलोगोप्पा	184
72.	बोम्मानहाल	152
73.	बुदली	56

1	2	3
74.	बुग्गा	336
75.	बुक्कापाटनम	184
76.	छालकुर	56
77.	छालापल्ली	56
78.	चिकटिपप्टीपल्ली	56
79.	चेनेकाथापल्ली	56
80.	चिग्गीचेरला	56
81.	चिल्लमूछेर	56
82.	चिनयाकोलूर	56
83.	डि-चेलोपल्ली	56
84.	डि-हीरेहल	56
85.	धर्मावरम्	2400
86.	गड्डेकल	56
87.	गोड्डला	88
88.	गंगावरम्	56
89.	गंजीवारीपल्ली	56
90.	गरलाडीने	304
91.	गूटी	1000
92.	गोरन्टला	384
93.	गोबनीपल्ली	56
94.	गुड्डीपेलापल्ली	56
95.	गुड्डू	56
96.	गुनीपल्ली	56
97.	गुंटाकल	2500
98.	गुदूर	88
99.	हिंदूपुर	1500
99. ए	हिंदूपुर	2000
99. बी	हिंदूपुर	1000
100.	होनूरू	56
101.	जालीपल्ली	56
102.	कदमलकुंडा	25
103.	काडिरी	1200

1	2	3
103. ए	काडिरी	368
104.	कल्याणदुर्ग	600
105.	कमदापुर	56
106.	कगनपल्ली	88
107.	कनेलकल	152
108.		56
109.	कोडीकोंडा	56
110.	कोगिरा	56
111.	कोकनटी	56
112.	कोनकोइला	56
113.	कोंडकमेरला	56
114.	कोंटका	88
115.	कोथाचेरूला	304
116.	कृष्णापुरम	88
117.	कुचीवरीपल्ली	56
118.	कुडेरू	152
119.	कुडुरपी	56
120.	लेपकशी	152
121.	एम॰पी॰आर॰ डेम	56
122.	मडकासिरा	448
123.	मडलापल्ली	88
124.	मलमीलेडपल्ली	56
125.	मालेपल्ली	56
126.	मालुगुरू	56
127.	ममिलापल्ली	56
128.	मन्डलाहल्ली	56
129.	हरीमाकुल्लापल्ली	88
130.	मेदापुरम	56
131.	मोहम्मदाबाद	56
132.	मुदीगुब्बा	304
133.	नागासमूदरम	56
134.	नल्लाचेरगू	56
135.	नल्लामाडा	56
136.	नलूरू	88
137.	नम्बुल्लीपुल्लीकुंटा	56
138.	नारपाला	320
139.	नीलकंठपुरम	88
140.	नुतथीमाडाग्गू	56
141.	ओबुलूडेवाचेरू	88
142.	पालसमूदरम	56
143.	पामेडी	552
144.	पामूडुरखी	56
145.	परीगी	184
146.	परनापल्ली	98
147.	पथाकाटताचेखू	56
148.	पटनम	56
149.	पैछाबल्ली	56
150.	पेडापप्पूरू	56
151.	पेडवाडुगुरू	56
152.	पेनुकोंडा	384
153.	पेरूर	56
154.	प्रसन्नानीलायम	1000
155.	पुलागमपल्ली	56
156.	पुल्ललेखू	56
157.	पटलूर	56
158.	आर. चेंकटापुरम	56
159.	रामागिरि	88
160.	रामलिंगपापल्ली	56
161.	रपथाडू	56
162.	रतनालपल्ली	56
163.	रादुर्ग	1000
164.	रयाललेख	184
165.	रेडडीपल्ली	56
166.	रोडम	88

1	2	3
167.	रोला	88
168.	रोटरीपुरम	56
169.	एव॰वी॰ पुरम	184
170.	सालकामचेरू	56
171.	सेतूर	56
172.	सिंगनामाल	56
173.	मसोमलपुरम	56
174.	सुमनडेपल्ली	152
175.	टडीमारी	184
176.	टडपैरी	3000
177.	टलमरला	56
178.	टलुपुल्ला	88
179.	टनकाल्लू	152
180.	तारीमाला	56
181.	थिम्मामपल्ली	56
182.	तुमकुटा	184
183.	उरवाकोंडा	152
183. ए	उरवाकोंडा	192
184.	बजराकपूर	184
185.	वनवोलू	56
186.	वेंकटपरम्	56
187.	विडपनाकल	56
188.	यछिकि	184
189.	येडुलापल्ली	56
190.	येलानूर	184
191.	येरागुंटला	56
	त्रिचूर	
192.	अल्लथूर	56
193.	अन्नूर	56
194.	अरगोंडा	336
195.	अवन्ती	56
196.	बीकोथाकोटा	520
197.	बी॰ एन॰ कांडरीगा	152
198.	बाईरेड्डीपल्ली	184
199.	बकरापेट	56
200.	बालीजकनद्रिगा	56
201.	बंगरूपलेम	336
202.	बथलाबलाम	56
203.	बराकुप्पम	56
204.	बोमासमुद्रम	336
205.	बंहमणपले	56
206.	बुगा अगराहराम	152
207.	बुराकयलकोटा	56
208.	सी. टीप्पासमुद्रम	152
209.	चन्द्रगिरी	320
210.	चेमवांकुर	56
211.	चेरलोपल्ली	56
212.	चिगरूकुटा	56
213.	चिल्लाकुरू	56
214.	चिनागोटीगल्लू	152
215.	चिंतलप लेम	56
216.	चिन्तापारथी	152
217.	चितूर	4000
217. ए	चितूर	3500
218.	चौव डासमुद्रम	56
219.	चोवडेपल्ली	184
220.	डमलचेरबू	152
221.	डेवलपेटा	56
222.	दुर्गासमुद्रम	152
223.	इकमवड़ाकुप्पम	1200
223. ए	-वही-	152
224.	इमपेडू	56
225.	गजलवारियल्लह	56
226.	गंगाधारनेलोरे	184

1	2	3
227.	गंडलाकटमांची	152
228.	गुरमकोंडा	152
229.	होरसेली हिल्स	56
230.	इराला	152
231.	के० बी० बी० पुरम	56
232.	कलकाडा	184
233.	कलचाकोर	56
234.	कालीचिरला	152
235.	कालीकिरी	184
235. ए	करलीकिरी	88
236.	कालूपल्ली	236
237.	कल्लूर	56
238.	कलरूपल्ली	152
239.	कमधामवरीपल्ली	56
240.	कामपल्ली	160
241.	कन्डूडवारीपल्ली	152
242.	कन्डूर	56
243.	कानीपक्कम	336
244.	करनी	56
245.	कावेटीनगरम	152
246.	कायम	56
247.	काना	456
248.	कृष्णापुरम	56
249.	कुपम	808
250.	कप्पमवादुर	56
251.	पुराक्लकुट्टा	184
252.	पदनपल्ली	1632
252. ए	-वही-	1200
253.	मट्टीलेडू	56
254.	महल	88
255.	मंगलमपेट	152
256.	माकासी	152
257.	मेडीकुटटी	56
258.	मोलाकलाचेरगू	152
259.	मुच्चीगोलू	25
260.	मुत्थुपुर	256
261.	नगलापुरम	336
262.	नल्लावेगनपल्ली	56
263.	नहारीपेट	263
264.	नरसिंहवयानी पेटा	56
265.	नेफाकुप्पम	56
266.	निमनापल्ली	56
267.	नुत्थाना कलवा	56
268.	पी-ओथाकोटा	56
269.	पच्छीकप्पालेम	56
270.	पाकला	1000
270. ए	पाकला	336
271.	पालमनेव	1400
272.	पालमंगलम	88
273.	पंडूरू	88
274.	पन्नानाईपेटट्म	160
275.	पाथीकुंडा	184
276.	पद्दारापारापल्ली	88
277.	पेनुमुरू	184
278.	पिछातुर	336
279.	पिटर	768
280.	पुलाकला	152
281.	पुदी	56
282.	पुलछरला	56
283.	पंगानूर	384
283. ए	पंगानूर	452
284.	पुथालापुट्टी	152
285.	पुट्टूर	1048
285. ए	पुट्टूर	384

1	2	3
286.	आर० आर० पुरम	152
287.	रामाकुप्पम	96
288.	रामासमुदरम	152
289.	रेनीगुंडा	1000
290.	रोन्तीचेवला	152
291.	रोयपेटटा	152
292.	एसवन्डापल्ली	56
293.	एफ० एफ० एफ० पोंडा	56
294.	शंखावेलोर	56
295.	सत्यवेदो	336
296.	शान्तीपुरम	152
297.	सितमपल्ली	56
298.	सोडम	152
299.	सोमिला	88
300.	सोराकयालपेटटा	56
301.	श्रीपलाहस्ती	1312
301. ए	-वही-	184
302.	डड्डू कुपेटा	56
303.	डल्लुपुल्ला	56
304.	पेरीगोडा	88
305.	थम्बालापल्ली	152
306.	थोमडमलड्डू	88
307.	थोम्बाकोट्टम	88
308.	थुनगुन्द्रम	56
309.	सी०आर० तिस्माला	2000
310.	सी० आर० पी० तिरूपथी	5000
310. ए	-वही-	1000
311.	उग्रहनमपल्ली	56
312.	बडमालापेटा	152
313.	बड्डीवेल्लापट्टी	56
314.	वनमालाडीने	56
315.	बाराडईपलेम	152
316.	यायलपट्टू	520
317.	वेंगलराजाकुप्पम	56
318.	वेकटागिरीकोट्टा	344
319.	विजयपुरम	56
320.	वाई संथागेट	152
321.	यादमारी	336
322.	यालमन्डा	56
323.	यारपेड्डू	152
324.	येराबरीपलेम	56
	कुडप्पा	
325.	आगौड्डूर	56
326.	अन्नवरम्	88
327.	अल्लूर	88
328.	बी० कोडर	40
329.	बाडवेल	152
329. ए	-वही-	208
330.	विडनामचेतला	56
331.	ब्राममनगरीनट्टम	56
332.	चकरेपेट	56
333.	चापट्टू	120
334.	चून्नूर	256
335.	चयरू पोजेक्ट	56
336.	चिल्लमपुर	344
337.	चिन्नाओमेरला	32
338.	चिन्नामंडेम	96
339.	चिन्तागोंडीमे	96
340.	चिन्ताकोंटा	88
341.	चितवेल	120
342.	चावोड्डूरू	88
343.	सी० के० पेट	56
344.	कोडप्पा	8000
345.	डुबूर	168

1	2	3
346.	इरगापलेन	88
347.	जी॰ बी॰ सतराम	98
348.	गलबेड्डू	88
349.	गुट्टापल्ली	25
350.	इंडलूरू	168
351.	जमलामुडगू	384
351. ए	-वही-	192
352.	कलामाला	192
353.	कलसापडडे	56
354.	कमलापुरम	256
355.	कानागड्डूर	56
356.	काजीपेटा	184
357.	कुड्डूर	192
357. ए	-वही-	808
358.	गोडापूरम	163
359.	कोरागुंटापल्ली	56
360.	कुकलागोडे	56
361.	लक्कीरेड्डीपल्ली	152
362.	लिंजाला	56
363.	मंगमपेट	56
364.	गोडानोट	216
365.	मुदुपुर	56
366.	मिदुपुर	432
367.	मिलावरम्	56
368.	नल्लापुरेडीपल्ली	56
369.	नन्दालू	344
370.	नन्दीमंडलम	56
371.	नरसापुरम्	40
372.	न्यूमाधावरम	264
373.	नोसाम	32
374.	नल्लीविड्डू	88
375.	ओबुलावलीपल्ली	80
376.	ओनीपेनिया	56
377.	पारलापाड्डू	48
378.	पायसमपल्ली	48
379.	पेडाचपल्ली	48
380.	पेडामूदीन	56
381.	पेडापासूपुलर	40
382.	पोरूमाबिला	336
383.	पोरादातूर	5000
384.	पुलपेन्डुला	384
384. क	-वही-	192
385.	कुल्लमपट्ट	48
386.	रछायापट्ट	332
387.	राजमपट्ट	1400
387. क	-वही-	232
388.	रामापूरम (ए॰के॰पटट)	32
389.	रायाचोटी	768
389. क	-वही-	152
389. ख	-वही-	88
390.	रायावरम्	25
391.	साम्वेपल्ली	56
392.	सेटटीगुंटा	56
393.	सेतीपल्ली	56
394.	चिदागंटम	88
395.	चिमादरीपूरम	168
396.	सेबीबांद	25
397.	टीसुन्दुपल्ली	152
398.	टीवेरामवरीपल्ली	88
399.	दल्लारोदातूर	56
400.	दल्लापक्का	56
401.	थोन्डूर	56
402.	उपाल्लूर	56
403.	वी॰आर॰पल्ली	56

1	2	3
404.	वडीराला	32
405.	वचमपल्ली	344
406.	वल्लूर	56
407.	विरावल्ली	56
408.	विरापनायनीपल्ली	80
409.	रेमुलाएपीऐट	88
410.	वोन्तीमिटटा	88
411.	येल्लातूर	56
412.	येरागुनिला	29.6
	पूर्वी गोदावरी	
413.	एमल्लावरम्	184
414.	अडडातिगाला	184
415.	अल्लामूरू	368
416.	अल्लावरम्	366
417.	अमालापूरम	3048
418.	अम्बीजीपेट	1000
419.	अन्नापरथी	1472
420.	अन्नाथावरम्	184
420. क	-वही-	88
421.	अंगारा	344
422.	अं-अन्नावरम	368
423.	एनथिरवेदी	107
424.	एमियूतापूरम	112
425.	अतरेयपूरम	200
426.	बिकाबुल्लू	200
427.	सी.एस.केपुडी	56
428.	चिल्लापल्ली	184
429.	छेबरोलू	184
430.	डिगन्नावरम्	328
431.	डागेरू	152
432.	डेवीपट्टनम	56
433.	डिक्किली	184

1	2	3
434.	डाउलावरम	1000
435.	डाक्षरम	368
436.	दुला	184
437.	गडाला	184
438.	गेड्डेपल्ली	184
439.	गन्नीपेड़ापुरी	112
440.	बोकावरम	184
441.	गोललमिडाडा	376
442.	गोलापलम्	184
443.	गोपालपुरम	184
444.	ग्रुराजनपल्ली	112
445.	गुटीनाडिवी	184
446.	हमसवरम	112
447.	हाईपोलावरम	160
448.	जगन्नाथगिरी	112
449.	जग्गूजूमपेटा	336
449. ए	-वही-	184
450.	काडियम	184
451.	काजूलूरू	184
452.	कालीजात	7500
452. क	-वही-	8000
452. ख	-वही-	9000
453.	कामराजूपिता	184
454.	काडीकोप्पा	160
454. क	-वही-	88
455.	कारापा	184
456.	काथीपुरी	184
457.	केरापुलापल्ली	184
458.	कटनेरीकोना	184
459.	केसनाकुरूपलम	168
459. क	-वही-	64
460.	केसवरम्	184

1	2	3
461.	किरलामपल्ली	344
462.	कुमार गिरीपट्टनम	184
463.	कोककुंडा	336
464.	कोटनअडुरू	112
465.	कोटापिट्टा	384
465. क	-वही-	328
466.	कोटीपल्ली	184
467.	माधावरम	328
468.	मल्लिकीपूरम	1384
469.	मल्लम	152
470.	मलीसाला	152
471.	मंडीपेटटा	2000
472.	मारीवुमिली	56
473.	मिरीपाडू	184
474.	मुक्कामाला	336
475.	मुक्तेश्वरम	60
476.	मम्मदीदिवरम	768
477.	मुरामल्ला	176
477. क	-वही-	88
478.	नागुल्लापल्ली	184
479.	नन्दराडा	184
480.	नरेन्द्रपूरम	160
481.	नामाक	184
482.	नालारलापुरी	352
483.	नेडापूरम	1400
484.	नेरावरम	112
485.	नेल्लापूरम	1400
486.	पोडागांडा	352
487.	पुक्कलोत्तापटनम	112
488.	रघुदेवपूरम	336
489.	राजामुन्दरी	9500
489. क	-वही-	80
489. ख	-वही-	3500
489. ग	-वही-	4000
489. घ	-वही-	1000
490.	राजानगरम	336
491.	राजावोभंगी	88
492.	रामाचन्द्रापूरम	1400
493.	रामसावरम	336
494.	रंगमपेट्टा	184
495.	राउलाकलम	1464
496.	रायनावरम	1408
497.	राजोल	704
498.	राथोलापुरी	56
499.	साकीनेतीपल्ली	720
500.	सावनकोट	1000
501.	सांकावरम	112
502.	सांवरापेलम	112
503.	श्रीकृष्णपट्टनम	112
504.	श्रीरामपूरम	56
505.	यालारेबू	184
506.	यामाराधा	152
507.	ताटीपाटा	1064
508.	थोन्हांगी	112
509.	यामापूरम	184
510.	टुन्नी	1698
510. क	-वही-	88
511.	कोपाड़ा	336
512.	पुट्नम	181
513.	बंडापल्ली	112
514.	बेलांगी	184
515.	बेतलापेलम	184
516.	वोमांगी	56
517.	यानम	768

1	2	3
517. क	-वही-	184
518.	शेलेष्वरम	768
519.	येरावरम	184
	गुंटूर	
520.	एजीपेलम	160
521.	अदावूलदीवी	184
522.	अदीगोपूला	128
523.	अमरावती	344
524.	अमरूयालूर	336
525.	अनन्तवरम	184
526.	अप्पीकातुला	184
527.	अच्छमपेट	184
528.	बादलामोदू	184
529.	बपाटला	1384
530.	बट्टीपुरूलू	368
531.	पेलम्कोड्डा	88
532.	बोप्रिगूवाद	58
533.	गोदीपेलम	184
534.	ब्राहमपल्ली	56
535.	चन्दोलू	186
536.	छिबरोलू	352
537.	चिरगूपल्ली	3868
538.	चिलाकालूपेट	2288
539.	चिनालीगानायपेलम्	120
540.	राछावरम	80
541.	दाछेपरलिली	1000
542.	दूलीपुड़ी	160
543.	डोडलेरू	88
544.	डोनीपुरी	184
545.	डुगीसला	384
546.	दुर्गी	184
547.	एलडापाडू	344
548.	एडलाकुल्ली	176
549.	एपूरीलांका	88
550.	गानापावरम	88
551.	दिरएनगर	6000
551. ए	-वही-	7500
551. ख	-वही-	5500
552.	गिरेपेटा	2500
552. क	-वही-	1000
553.	गिरेपेटा	4600
553. ए	-वही-	3000
554.	गिर/पी०बाजार	2000
554. क	-वही-	4100
555.	गुडावल्ली	184
556.	गुराजाला	368
557.	इंटूर	88
558.	अइपुर	88
559.	के०एन० बारीपेलम	88
560.	काकूमानू	184
561.	संकटापेलम	184
562.	कारमपुडी	272
563.	कारलापेलम	208
564.	कारूमांछी	64
565.	कोरीपला	352
566.	कल्लू	336
567.	कोमिलकुडी	88
568.	कोन्दुरूपाडू	84
569.	करासरू	336
570.	कुचीनाकुड़ी	184
571.	कुचीपुड़ी	184
572.	कुंचनपल्ली	336
573.	कोपालगुंटा	88
574.	लमेला	200

1	2	3
575.	मावावरम	184
576.	मचेरला	832
577.	मंदादम	304
578.	मंदापाड	336
579.	मंगलागिरी	1600
580.	मेडीकोंडरू	184
581.	मोपाला बीकेडी	136
582.	मोपाला सैफ	160
583.	मुरूकीपुड़ी	56
584.	नगरम	184
585.	नागुलावरम	88
586.	नांदूर	368
587.	नांदीवेलगू	336
588.	नरकादुरी	336
589.	नारासायापेलम	232
590.	नसरारावपेट	4512
591.	निकरीकल्लू	184
592.	निजामपटट्नम	240
593.	नोताकी	384
594.	पालापाडू	88
595.	पामीड़ीपाडू	88
596.	पाटीचांदला	88
597.	पीडकोडमकुंडला	184
598.	पीड़ाकुरापाडू	184
599.	पीडाननदीपाडू	368
600.	पीड़ापेलम	184
601.	पीड़ापिल्लूवरली	184
602.	इरावली	184
603.	पेरीचेरला	352
604.	पिरन्जीपूरम	192
605.	पिडुगुराला	1272
606.	पिप्लवानीपेल्लू	336
607.	पानीपल्लू	184
608.	कोनूरू	1400
609.	पराठीपाडू	344
610.	पोलाड़ीगुंटा	304
611.	पेनियाचिन्ताला	364
612.	रिपोले	1400
613.	रितुरू	88
614.	रोमटीचेरला	152
615.	एस. हेमुदी	184
616.	सान्तमगलूरू	56
617.	सैतपल्लह	1250
618.	सतलूरू	184
619.	सिलयपुरम	184
620.	सिंगरूपेलम	120
621.	श्रीनगर	184
622.	सतवारीपुरम	176
623.	सीसुन्दुरी	184
624.	टाडीकोंडा	368
625.	केनाली	7560
626.	तुलूर	336
627.	तुर्गावारीपेलम	88
628.	तुपालापाडूसी के टी	56
629.	कोपालापाडू जी टी	352
630.	वल्भपूरम	336
631.	वल्लीचारू	240
632.	वलदूरथी	88
633.	वमूरू	336
634.	विजयपुरी (दक्षिण)	184
635.	विनकोंडा	1400
	हैदराबाद	
636.	है./एडीसन	8000
637.	है./एआर /29	7000

1	2	3
637. क	है./एएआर/374	8600
638.	है./बीएचईएल/302	5000
639.	है./वीकेपी/756	5100
639. क	है./वीकेपी/756	3000
640.	है./बीएलएन/377	5550
641.	है./बीडब्ल्यूएनपी/775	6100
642.	है./कै./860 तथा 863	6000
643.	है./सीजीटी/444	10000
644.	है./सीएमआर/52	7000
644. क	है./सीएमआर/441	23700
644. ख	है./सीएमपी/456/457	4600
645.	है./डीएसवी/320	4500
646.	है./डीडब्ल्यूपी/335	12500
647.	है./इंजीवी/27/371	5200
647. क	है./इजीडी/381	250
648.	है./जीसीबीएल/300	1500
649.	है./गोल./351	9500
650.	है./जीडब्ल्यूडी/473	8000
650. क	है./-वही-/	4000
650. ख	है./-वही-/461-465	2200
650. ग	है./-वही-/59-651	6000
651.	है./एचसीयू/301	1000
652.	है./जेएच/238/248	9000
652. क	है./-वही-	1000
653.	है./जीडीएमएल/309	5850
654.	है./केकेपी/307	4200
655.	है./केपीएचवी/88	7000
656.	है./केएफजी/712	8560
657.	है./केबीडीजी/753	6650
658.	है./एलबीएन/403	4400
659.	है./एलजीपीएल/303	3300
660.	है./एलबीडी/760/761	19500
660. क	है./-वही-/763/764	12000
660. ख	है./-वही-/766/661	8000
661.	है./एमएच/773	3500
662.	है./एमएलकेजे/705	9000
663.	है./एमएलकेपी/548	5000
664.	है./एमपीएम/353	6000
665.	है./एमएफवी/334	4400
666.	है./एमवाईपीआर/304	2000
667.	है./एनपीएच/715	6000
667. क	है./एनसीएच/717	3000
668.	है./पीआरकेएन/776	4750
669.	है./आरकेएन/401	4500
670.	है./आरएमजेटी/475	9000
671.	है./आरएमपीआर/703	5000
672.	है./एचडी/770/771	10000
673.	है./एचडी/780	6000
674.	है./एचडी/81, 84	21400
675.	है./एचडी/82	3300
675. क	है./एचडी/83	2800
676.	है./एचडीबी/406	9000
677.	है./एफएफडी/21,23,24	13800
678.	है./एफएफडी/22	5000
679.	है./एफएफडी/331, 339	32050
679. क	है./एफएफडी/596	4000
680.	है./एफटीएनआर/453	5200
681.	है./एफएनकेपी/711	4000
682.	है./एफआरएन/404	10700
682. क	है./एफआरएन/81	9000
683.	है./टीएनके/701	3000
684.	है./बीएसटीएम/402	8000
685.	है./बीएसवी/774	4050
686.	है./बीबीके/306	6500

1	2	3
	करीमनगर	
687.	आसिफनगर	152
688.	बसंतनगर	424
689.	बेगमपेट	25
690.	बेजानकी	152
691.	बोपनपल्ली	152
692.	सेल्टेनेरीकालोनी	336
693.	बिरलावांचा	25
694.	चेगाम	25
695.	चौपाडांडी	368
696.	धरमापुरी	336
697.	धरमारंभ	304
698.	दोंगादुरही	25
699.	दोंटापुर	25
700.	दुरछेद	152
701.	इगिनइंकलेव	1000
702.	इलाकाथुरूही	56
703.	एलीगेट	56
704.	एलेन्थाकुंटा	152
705.	फरटेलाइजर सीटी	1000
705. ए	फरटेलाइजर सीटी	384
706.	गेम्बीरावपेट	184
707.	गंगाधारा	304
708.	गंगाराम	25
709.	गांगीपल्ली	152
710.	गारेपल्ली	56
711.	गोदावरीखानी	2500
712.	गोलापल्ली	152
713.	गोपालारावपेट	184
714.	गोकुलापुर	25
715.	गुंडमपल्ली	25
716.	गुंजापाडुगू	50
717.	गुसनाबाद	336
718.	हजुराबाद	1000
719.	इब्राहिमनगर	25
720.	इब्राहिमपट्टनम	152
721.	जगत्याल	3700
722.	जम्मीगुंटा	1000
723.	जुलापल्ली	152
724.	जोथीनगर	2000
725.	काचापुर	56
726.	कालवासरीरामपुर	152
727.	कमालपुर	152
728.	कमानपुर	152
729.	करीमनगर	10000
730.	कार्शापमेट	80
731.	कातारात	152
732.	कथालापुर	56
733.	केशवापट्टनम	152
734.	कोडीनियल	152
735.	कोहेडा	88
736.	कोलानूर	56
737.	कोनारावपेट	25
738.	कोरत्ला	768
738. ए	कोरत्ला	152
739.	कोथापल्ली	304
740.	एल॰ एम॰ डी॰ कालोनी	304
741.	लक्ष्मीपुर	25
742.	महादेवपुर	152
743.	मालापुर	56
744.	मालाराम	25
745.	मलियल	336
746.	मामिडालापल्ली	152
747.	मानाकोनदूर	152

1	2	3
748.	मानेगुडेम	25
749.	मानथानी	192
749. ए	मानथानी	152
750.	मारीगडा	45
751.	मेडेपल्ली	152
752.	मेडपल्ली	1000
753.	मुल्कानूर	184
754.	मुस्ताबाद	336
755.	मुत्थाराम	25
756.	मुत्यमपेट (एनएमएफ)	56
757.	नागनूर	152
758.	नरसिंगापुर	25
759.	नरेला	56
760.	निमापल्ली	25
761.	निज़ामाबाद	25
762.	नस्तुलापुर	56
763.	पैडीमाडुगू	25
764.	परलापल्ली	152
765.	पैडापल्ली	1200
765. ए	पैडापल्ल्ली	768
766.	पैगाडापल्ली	152
767.	पोडूर	152
768.	पोथाकापल्ली	152
769.	पोटेयल	25
770.	रायकल	336
771.	रामाडूगू	152
772.	रामागुंडम	336
773.	रेनीकुंठा	56
774.	रूद्रांगी	50
775.	सैदापुर	56
776.	सानीगरम	56
777.	सारंगपुर	56
778.	सिरसिला	1400
779.	सुल्तानाबाद	304
780.	टाडीचेरला	25
781.	थकापल्ली	25
782.	थडियल	25
783.	थिमापुर	50
784.	थोगाराव	56
785.	उप्पल	56
786.	वी॰ वेंकटापेट	45
787.	वंगारा	56
788.	वरछाकोंडा	25
789.	वावीलाला	56
790.	वीनवंका	56
791.	वेल्गाटूर	56
792.	वेंमूलावाडा	384
792. ए	वेंमूलावाडा	56
793.	वेंकटापुर	25
794.	वेंनमपल्ली	56
795.	वेल्लापल्लीपेट	184
796.	अन्नापुररेड्डीपेल्ली	56
797.	आश्वापुरम	392
798.	आश्वाराव पेट	344
799.	चचोडा	56
800.	चानीगेंडलापल्लू	56
801.	चायाराम (एम)	56
802.	चायाराम (जाई)	184
803.	धीरापल्ली	56
804.	भद्राचलम	2500
805.	धोनाकल	152
806.	धरगामपहाड़	184
807.	चन्दूगोंडा	184
808.	चारला	184

1	2	3
809.	चेन्नूरू	56
810.	चिन्ताकानी	152
811.	चिन्तूर	152
812.	रामाबेटा	184
813.	डोरनाकल	336
814.	येनकूर	152
815.	येरागुंटा	56
816.	गंगावरम	152
817.	बारला	184
818.	गोलापुडी	184
819.	जगन्नाथपुरम	56
820.	जालेपल्ली	56
821.	जनमबेटा	88
822.	जुलूरपहाड़	184
823.	कालूरू	336
824.	कांडूपुर	56
825.	कारेपल्ली	152
826.	खम्मम	9800
827.	कोथागुदम	1392
827. ए	कोथागुदम	1400
828.	कोयाचिलाका	56
829.	कोगावरम	184
830.	कुसीमांची	184
831.	लांकीपल्ली	56
832.	लक्ष्मीनगरम	184
833.	एम पी बंजारा	56
834.	एम बी पालिम	56
835.	माधाराम	184
836.	माधीरा	384
836. ए	माधीरा	184
837.	मानेगुडम	56
838.	मानुगुरू	384

1	2	3
838. ए	मानुगुरू	1000
839.	मारीपेटा	336
840.	मोडीकुठा	56
841.	मुडीगोंडा	184
842.	मुलाकलापल्ली	56
843.	नाबुलावांचा	152
844.	नागूपल्ली	56
845.	नैकनगुडम	56
846.	नेलागोंडापल्ली	336
847.	नेमाली	184
848.	पलओंचा	1400
849.	पंडीथापुरम	384
850.	पैडागोपाथी	352
851.	पेनूबल्ली	184
852.	पेनूगोलामू	56
853.	पुरोदोतुल	56
854.	राजेश्वापुरम	56
855.	रूद्रामपुर	424
856.	एस एन पुरम	152
857.	साथूपल्ली	768
857. ए	साथूपल्ली	328
858.	श्रीपुरम	56
859.	सुजातनगर	184
860.	तालादा	336
861.	तालामपाडू	56
862.	तानीकेला	152
863.	टेकुलापल्ली	56
864.	थिमारावपेटा	56
865.	होटापल्ली	152
866.	थिरूमलयापालीम	152
867.	बी॰ आर॰ पुरम	152
868.	वल्भी	56

1	2	3
869.	वनमाताकिस्थापुरम	56
870.	वंमसूर	184
871.	वेंकटापुरम	184
872.	गुट्टपुर	56
873.	वायरा	1000
874.	येलांडू	788
875.	येरूकल्लम	152
	कृष्णा	
876.	अगरिपल्ली	336
877.	एक्कीरेडीगुड्डम	152
878.	अनुगुलरू	160
879.	अरूगोलानू	56
880.	अवनीगडा	768
881.	बंदीपालेम	152
882.	बन्दुमिली	520
883.	भावकरोपेट	152
884.	भूजगलपेनाम	336
885.	चल्लापल्ली	768
886.	चंन्द्रलापडु	152
887.	चौराय	168
888.	चेन्नूर (काडी)	56
889.	चेवरूकलू	152
890.	चिमलापडु	88
891.	चिनापुरम	152
892.	चिनीलापडु	96
893.	देवरापल्ली	184
894.	डोन्डापडु	152
895.	एडाडु	152
896.	एलामारू	160
897.	इटीमोगा	56
898.	जी कुण्डूर	384
899.	गमपालागुडेन	336

1	2	3
900.	गडराई	152
901.	गानावरम्	1750
902.	गरिकापडु	152
903.	धंडाशाला	304
904.	गोपावरम्	152
905.	गोशाविडु	56
906.	गुड्डीपडु	88
907.	गुडीवाडा	4000
908.	गुडल्लावलूर	520
909.	गुडुरू	152
910.	हनुमाजंक्शन	768
911.	इब्राहिमपट्टनम	1400
912.	जग्गीपूट्टा	1432
913.	जयंती	152
914.	जुजूरू	152
915.	कंटीपल्ली	320
916.	केकालूरू	1000
916. ए	-वही-	768
917.	कालीडिन्डी	552
918.	कांचीकछेरला	425
919.	कांकीपडु	1400
920.	कनुमुरू	152
921.	कटुरू	344
922.	खामझामपडु	168
923.	कोडली	168
924.	कोडुर	304
925.	कोलटीकोटा	56
926.	कोडापल्ली	520
927.	कोरूकोल्लू	168
928.	कोसुरू	168
929.	करूथीवेन्नू	152
930.	कुचीपुडी	768

1	2	3
931.	लंकापल्ली	88
932.	लक्ष्मीपुरम	152
933.	लीलानगर	56
934.	मचिलीपटनम	6000
935.	मकापट	336
936.	मंडावल्ली	336
937.	मणिकोंडा	345
938.	मिर्जापुरम	88
939.	मोपीदेवी	152
940.	मोतुरू	152
941.	मुडीनेपल्ली	656
942.	मुकोलु	56
943.	मुसापडु	384
944.	मधुकुरू	152
945.	मस्तबाद	320
946.	मईलावरम	736
947.	नगयालंका	368
948.	नंदीगाम	832
949.	नंदीवाडा	56
950.	निडुमोलु	80
951.	निमकुर	152
952.	नुन्ना	424
953.	निझविड	2000
954.	पलेरलमुडी	56
955.	पमारू	952
956.	पेडागोनुरू	56
957.	पेडाकल्लेपल्ली	152
958.	पेडना	352
959.	पंडयाला	152
960.	पेनुगंचीपरोलु	356
961.	पेनुपल्ली	56
962.	पेरीसेपल्ली	152
963.	पोलवाराम (एमपीएम)	152
964.	पोलावरम (एमजेडवी)	56
965.	पोरंकी	1340
966.	पोतुगोडा	56
967.	पुतरेला	168
968.	रामवारापडु	1500
969.	रामीरेड्डीपल्ली	88
970.	रेड्डीगुडेम	168
971.	रूदपका	168
972.	श्रीकाकुलम	152
973.	टी सानुबंडा	152
974.	बडीनडा	176
975.	कल्लापलेम	88
976.	तमिरिसा	152
977.	तेलापरोलु	304
978.	थोलाबलुरू	152
978. ए	थोलावलुरू	88
979.	तिरूवुरू	766
980.	उंगुतुरू	168
981.	बडलमन्नाडु	56
982.	बाईसवाई	168
983.	वीरंकोलोक	344
984.	वेलंकी	88
985.	वेल्लतूर	184
986.	वेंटप्रगडा	152
987.	विश्वानधापल्ली	56
988.	विसानपेट	368
989.	बीजे॰ आटोनगर (एस॰एम॰एन॰एस॰)	5444
990.	बीजे॰ बंदर रोड	14800
990. ए	बीजे॰ बंदर रोड (इ॰स्टे॰)	2000
991.	वीजे॰ सीट्टी एक्स आर एल यू	10000
992.	एमसीएम आर एल यू	9000

1	2	3
993.	वी॰ जे॰ सत्यना सायणपुरम	4728
994.	वी॰जे॰ विजयवाड़ा (जीओवी पेट)	14000
994. ए	वी॰जे॰ कृष्णलंका	2000
995.	वूयूरू	600
995. ए	वूयूरू	1000
996.	जमोंगोलवेपल्ली	152
	कुरनूल	
997. ए	कोडर	
998.	अहोनी	3640
999.	अभोबोलम	56
1000.	अकुमल्ला	56
1001.	आलमपुर	56
1002.	अल्लागोडा	1896
1003.	अल्लूर	256
1004.	असपारी	80
1005.	अटमकुर	368
1006.	बानागनापल्ली	192
1006. ए	बानागनापल्ली	152
1007.	बंडी अटमकुर	184
1008.	बन्नूर	56
1009.	बापूराम	56
1010.	बसराकोडर	56
1011.	केटहमचेरला	848
1012.	ब्रह्मगिरि	368
1013.	ब्रह्मानाकोटपुर	152
1014.	सी॰ बेलेगल	88
1015.	सीमेंट नगर	184
1016.	चगल्लमारी	336
1017.	चिन्नाटेकुर	56
1018.	चिप्पोगिरि	56
1019.	देवनाकोंडा	56
1020.	दिगुंवापडु	56
1021.	दिनेंडेवरापडु	184
1022.	डोरनीपडु	184
1023.	द्रोणाचलम	768
1023. ए	द्रोणाचलम	296
1024.	इरीगैरी	56
1025.	जी॰ सिंगावरम	56
1026.	गडीगरेवूला	56
1027.	गडीवेमुला	56
1028.	गुनी	56
1029.	गजुलापल्ली	184
1030.	गोनेगंडला	56
1031.	गोसपडु	184
1032.	गुडुर के॰	192
1033.	गुलयाम	56
1034.	हलाहारवी	56
1035.	हलवी	56
1036.	हरिवनम 25	39
1037.	हरिवराम 37	56
1038.	होलागोंडा 56	56
1039.	हुसैना पुरम 38	56
1040.	इंगला धाहल 56	56
1041.	जलदुर्गम 39	56
1042.	जोनारपुरम 56	56
1043.	जोन्नागिरि 40	56
1044.	कालूगोटला 56	40
1045.	कमबलापडु 41	56
1046.	कनकद्रीपल्ली 56	56
1047.	कानला	184
1048.	कंडुकुर	56
1049.	केएनएलकृष्णानगर	4000
1050.	केएनएल कुरनूल	9000
1050. ए	केएनएल कुरनूल (डीटीओ)	2500

1	2	3
1051.	कोडुमर	336
1052.	कोईलकुंटला	200
1052. ए	कोईलबुंटला	152
1053.	कोलीमीगुंडला	56
1054.	कोनीडेला	56
1055.	कोसिगी	184
1056.	कोथकोटा	56
1057.	कोवथालम	56
1058.	कुंथानटल	56
1059.	लड्डागिरि	184
1060.	कडीकेरा	
1061.	मडुर	152
1062.	महानंदी	152
1063.	मलकापुरम	88
1064.	मल्लापल्ली	56
1065.	मंत्रालयम	184
1066.	मिडथूर	88
1067.	मोलागावल्ली	56
1068.	मुथथालपडु	56
1069.	नगलाडीने	56
1070.	नागलपुरम के	56
1071.	नागरादोरन	56
1072.	नागरूर	56
1073.	नंदावरम	56
1074.	नंदीकोटकुर	688
1075.	नंदीवरगम	56
1076.	नांदयाल	5500
1077.	नारनूर	88
1078.	ओरवाकल	56
1079.	ओक	184
1080.	पी॰ आर॰ पल्ली	56
1081.	पागीडयाल	152
1082.	पालकुर	56
1083.	पामुलापडु	56
1084.	पनियाम	184
1085.	पट्टीकुडा	368
1086.	पीपुली	336
1087.	पेड्डाकागूर	56
1088.	पेडापड्डू	56
1089.	पेडवयूबलम	56
1090.	पेडेकालू	56
1091.	पेडावली	56
1092.	पेसूमला	56
1093.	पेसवार्द	56
1094.	कोलकाल	56
1095.	कोलू	56
1096.	कोकेलाकुशी	56
1097.	पेयालकुथी	56
1098.	पचेरला	56
1099.	रामलाकोडा	56
1100.	रामापुरम	56
1101.	रामपुरम	184
1102.	रंगपुरम	184
1103.	रूददावरम	152
1104.	साच्माला	56
1105.	सिवेला	336
1106.	श्रीशाईलम (डी)	168
1107.	श्रीशाईलम (पी)	384
1107. ए	श्रीशाईलम (पी)	304
1108.	तीगुतूर	56
1109.	थिमापुरम	56
1110.	थुगाली	56
1111.	कुलिन्दाकोंडा	88
1112.	उपालापाड्डू	56

1	2	3
1113.	यूपालावाडा	56
1114.	वील्दुरथी	184
1115.	वेलकोड	336
1116.	वेलपानुरू	56
1117.	वेपेन्डा	56
1118.	वेयालावाडु	56
1119.	वेल्लूर	336
1120.	एमिलानूर	1128
1121.	येरागुटला	184
	महबूबनगर	
1122.	अचमपेत	520
1123.	अड्डाकल	88
1124.	आलमपुर	184
1125.	अमनागल्लू	336
1126.	अमरचिंता	184
1127.	अमराबाद	56
1128.	अप्पाराला	56
1129.	अटमाकुर	336
1130.	अबंचा	56
1131.	बालामूर	56
1132.	बालानगर	184
1133.	बीचपल्ली	56
1134.	भुतपुर	80
1135.	बीजवार	56
1136.	बोमरासपेट	56
1137.	चाराकोडा	56
1138.	चिन्नाचितिकुंता	88
1139.	दमरागिड्डा	56
1140.	देवराकादरा	352
1141.	धनवाड़ा	152
1142.	गडवाल	1400
1143.	घट्टू	56

1	2	3
1144.	गोपालपेत	88
1145.	हनवाड़ा	56
1146.	ईजा	368
1147.	इर्विन	25
1148.	जडचेरला	1400
1149.	कडताल	160
1150.	कलवाकुर्ती	520
1151.	केशैमपेत	184
1152.	केठेपल्ली	56
1153.	खिल्लधनापुर	56
1154.	कोदड़ापुर	56
1155.	कोदगंल	304
1156.	कोइलकोंडा	88
1157.	कोल्लापुर	336
1158.	कोल्लूर	56
1159.	कोदुर्ग	120
1160.	कोसगी	192
1161.	कोटाकादरा	56
1162.	कोटाकोंडा	56
1163.	कोछाकोटा	296
1164.	कोठलाबाद	56
1165.	कोठापल्ली	56
1166.	कोदुरईदा	360
1167.	कोउकुतला	56
1168.	कृष्णा	88
1169.	लालकोटा	56
1170.	लिंगल	152
1171.	लिंगमपेट	56
1172.	मदनापुरम	96
1173.	मददूर	56
1174.	मदगुल	56
1175.	मगनूर	56

1	2	3
1176.	महबूबनगर	5500
1177.	मकथाल	336
1178.	मल्दाकल	88
1179.	मानोपाड	88
1180.	मरिकाल	184
1181.	मिदजिल	152
1182.	मोगलीगिड्डा	56
1183.	मूसापेत	152
1184.	नागरकुरनूल	768
1185.	नागरकुरनूल	184
1186.	नवाबपेत	1000/152
1187.	पडकाल	56
1188.	पलेम	768
1189.	पनागल	88
1190.	पेब्बेचर	184
1191.	पेडाकोठापल्ली	152
1192.	पेडडामनडाडी	56
1193.	पेंटलावल्ली	152
1194.	पोलीपल्ली	56
1195.	पुलीममीदी	56
1196.	रघुपतिपेत	25
1197.	राचकाल	56
1198.	राजापुर	152
1199.	राजोली	184
1200.	रघुलापल्ली	80
1201.	शादनगर	1600
1202.	शांतिनगर	184
1203.	सिरसावाड़ा	56
1204.	श्रीनगर	88
1205.	तादूर	80
1206.	तालाकोडापल्ली	56
1207.	तेल्कापल्ली	200
1208.	थिम्माजीपेत	56
1209.	थडकुर्ती	56
1210.	उदित्यात्व	56
1211.	उंदावल्ली	56
1212.	उप्पुनुतला	88
1213.	उरूकोंडा	56
1214.	उतकुर	184
1215.	बंगूर	56
1216.	वरना	88
1217.	वीपनगांदला	56
1218.	वेल्दांदा	56
1219.	वेल्जाल	56
1220.	वानापर्ती	1400
1221.	वेदुला	25
	मेडक	
1222.	अल्लादुर्ग	152
1223.	अंताराम	56
1224.	अतमाकुर	56
1225.	बचेपल्ली	56
1226.	भनूर	192
1227.	बोल्लाराम	384
1228.	बुधेराक्रास रोड	152
1229.	चेंगुटा	192
1230.	चिनाकोदूर	152
1231.	चिरागपल्ली	152
1232.	दिगवाल	184
1233.	दोम्माता	25
1234.	दौलताबाद-I	184
1235.	दौलताबाद-II	152
1236.	दुब्बक	336
1237.	बुडेउडा	88
1238.	मडीपेड्डापुर	56

1	2	3
1239.	गजवेल	1088
1240.	गजेशपल्ली	56
1241.	गौराराम	184
1242.	गुम्मदीदाला	184
1243.	हदनूर	56
1244.	हटनूरा	88
1245.	इस्माइलखानपेत	152
1246.	इसनापुर	640
1247.	जगदेवपुर	336
1248.	जरासंगम	56
1249.	जिन्नाराम	152
1250.	जोगीपेत	384
1251.	कल्हेर	56
1252.	कांदी	184
1253.	कांगती	56
1254.	खांजीपल्ली	152
1255.	कोहाकांदला	184
1256.	कोहीर	336
1257.	कोल्लूर	56
1258.	कोंडापुर	152
1259.	कोठापल्ली	184
1260.	कोथूर बी	56
1261.	कोडीपल्ली	152
1262.	कुल्थाराम	56
1263.	मल्लेपल्ली	56
1264.	मनयारफल्ली	56
1265.	मनोहराबाद	152
1266.	मनूर	56
1267.	मसाईपेत	152
1268.	मेडक	1248
1269.	मीरडोह्डी	88
1270.	मोगादम्पल्ली	56
1271.	मुनीपल्ली	56
1272.	नारायणखोड़	456
1273.	नरसापुर	440
1274.	नरसिंगी	152
1275.	निजामपेट-I	45
1276.	निजामपेट-II	56
1277.	न्यालकल	56
1278.	औटीममीदी	152
1279.	पपन्नापेत	184
1280.	पटनचेरू	3512
1281.	पेडाकन्जेरला	88
1282.	पुल्काल	56
1283.	रायकोडे	56
1284.	रमयमपेत	424
1285.	रमयापल्ली	56
1286.	रंगमपेत	152
1287.	रिगोड़े	56
1288.	रूद्राम	184
1289.	साबशपल्ली	56
1290.	सदाशिवपेत	384
1290. ए	सदाशिवपेत	184
1291.	संगारेड्डी	2840
1292.	संजीवारापेट	56
1293.	संरधाना	56
1294.	शंकरापेत-I	336
1295.	शंकरापेत-II	184
1296.	शिवामपेत	152
1297.	सिडडीपेत	3512
1298.	सिरगापुर	56
1299.	सुराराम	56
1300.	टेकमल	184
1301.	तोगुटटा	88

1	2	3
1302.	टूपरान	352
1302. ए	टूपरान	192
1303.	तुकीखालसा	56
1304.	वडेगोपल्ली	56
1305.	वेलमाला	56
1306.	येद्दूमलराम	1128
1307.	येल्दूर्ती	184
1308.	जहीराबाद	1400
1308. ए	जहीराबाद	184
	नालगोंडा	
1309.	अदबुलादीतुलापल्ली	80
1310.	अलैर	336
1311.	अप्पाजीपेत	56
1312.	अरावापल्ली	56
1313.	अतामाकुर	112
1314.	बी वेल्लुमाला	80
1315.	बेथावोलु	184
1316.	भवानीपुर	184
1317.	भुवानीगिरी	1200
1318.	बी बी नगर	424
1318. ए	बी बी नगर	152
1319.	बोम्मलारामाराम	184
1320.	चाडा	25
1321.	चंदमपेत	56
1322.	चंदूर	384
1323.	चेरूकुपल्ली	56
1324.	चिंतापल्ली	180
1325.	चितयाल	424
1326.	चौतुप्पल	808
1327.	दमरचेरला	184
1328.	देवराकोंडा	1000
1329.	डिंडी	112

1	2	3
1330.	एडुलूर	80
1331.	गड्डीपल्ली	152
1332.	गाराकुतिलापलेम	56
1333.	गुड्डीपल्ली	56
1334.	गुडरमपल्ली	56
1335.	गुरंगपोड	80
1336.	हलिया	368
1337.	हिल कालोनी	360
1337. ए	हिल कालोनी	160
1338.	हुजूरनगर	1000
1339.	कनागल	80
1340.	कलंगूर	184
1341.	केठेपल्ली	56
1342.	कोदद	1400
1343.	कोयलागुडेम	184
1344.	लेंकलापल्ली	80
1345.	एम दुरकापल्ली	80
1346.	माधापुर	56
1347.	मधवाराम	56
1348.	मल्लेपल्ली	360
1349.	मरींगुडडा	180
1350.	मटमपल्ली	88
1351.	मटटापल्ली	112
1352.	मेल्लाचेरूवु	184
1353.	मिरयालगुडा	4000
1354.	मोठकुर	368
1355.	मुनागला	184
1356.	मुनुगोड	180
1357.	नदीगुडेम	56
1358.	नागीरेड्डीपल्ली	184
1359.	नकरेकल	992
1360.	नालगोंडा	2800

1	2	3
1360. ए	नालगोंडा	2500
1361.	नमावरम	56
1362.	नामपल्ली	184
1363.	नारायणपुर	152
1364.	नारायणापुरम	56
1365.	नरकेतपल्ली	304
1366.	निमिकल	56
1367.	नेरेडचेरला	368
1368.	निदमनूर	336
1369.	नुथलाकल	80
1370.	पदमतापल्ली	56
1371.	पेडावुरा	56
1372.	पेन्पहाड़	56
1373.	पोचमपल्ली	424
1373. ए	पोचमपल्ली	152
1374.	पुट्टापाका	360
1375.	रघुनाधापुरम	50
1376.	राजापेट	96
1377.	रमनापेट	184
1377. ए	रमनापेट	80
1378.	रामापुरम क्रासरोड	184
1379.	शालीऔराराम	56
1380.	सूर्यापेत	2400
1381.	टोडकमल्ला	80
1382.	थिप्पारथी	184
1383.	त्रिपुराराम	160
1384.	तुगातुर्थी	112
1385.	तिरूमलागिरि (एम०वाई०जी०)	56
1386.	तिरूमलागिरि (एसआरटी)	304
1387.	वी के पहाड़	56
1388.	वालीगोंडा	368
1389.	वेलिसाला	56
1390.	वेमुलापल्ली	88
1391.	विष्णुपुरम	360
1392.	वर्धमानकोटा	56
1393.	यादगिरिगुटटा	184
1393. ए	यादगिरिगुटटा	88
1394.	येल्लंकी	152
1395.	येर्रावरम्	56
	नेल्लौर	
1396.	ए० एस० पेटा	152
1397.	अल्लूर	368
1398.	अनन्तासागरम	56
1399.	अनिकपल्ली(कालूरप्लेले)	184
1400.	अन्नामेदू	56
1401.	अरमेनीपाडू	56
1402.	एमाकुर	336
1402. क	रमाकूर	88
1403.	बी वी पालेम	56
1404.	बाला	152
1405.	बालीहेडीपल्लम	56
1406.	बालावोलू	56
1407.	वितरांगुता	336
1408.	बूच्चीरेड्डीपल्लम	1000
1409.	छगन्नम	56
1410.	चेजरता	152
1411.	चेनबूर	184
1412.	चिन्नाचेरूकुरू	184
1413.	चिन्नालाविदी	56
1414.	चेन्नतावरम	56
1415.	चिन्नवामर	80
1416.	डी सी पल्ली	56
1417.	दाचूर	56
1418.	डागरारथी	56

1	2	3
1419.	डाकिल्ली	184
1420.	दमारमाड्गु	152
1421.	दत्तालूर	184
1422.	जी वी पलेम	56
1423.	गांधीपल्लेम	56
1424.	गुड्डूर	1400
1425.	इन्दुकुरपेट	152
1425. ए	इन्दुकुरपेट	80
1426.	इसकापल्लेम	56
1427.	इसकापाली	56
1428.	जल्लादांकी	56
1429.	जयाम्बु	56
1430.	कादीवड्डू	56
1431.	कालीगिरि	152
1432.	कालूरू	56
1433.	कालूवाया	88
1434.	कंदालेरू	56
1435.	कावाली	2400
1436.	कोदावल्लूर	336
1437.	कोटा	352
1438.	कोबूर	424
1438. ए	कोबूर	184
1439.	कृष्णापुरम	56
1440.	कुरूगोडा	56
1441.	लेपूर	152
1442.	मेदीराजागुदूर	152
1443.	मन्नुरोलु	184
1444.	मरोवाड्डू	56
1445.	मोहम्मदपुरम	56
1446.	मोढिदी	56
1447.	मुदीवारिनी	56
1448.	मु॰ नमागरूर	56
1449.	माइपाड	184
1450.	नाड्डूपेट	808
1451.	नर्वदा	56
1452.	निदीगल्लू	56
1453.	एन एल नेलूर	13688
1454.	एन एल नेल्लूर (मिलट्री कालोनी)	2900
1454. ए	एन एल नैल्लूर	80
1455.	ओजीली	56
1456.	पुदालाकूर	338
1457.	पोटलापुडी	88
1458.	पुदीयार्थी	184
1459.	रापुर	184
1460.	एस आर पुरम	56
1461.	सैपेंट	56
1462.	संगम	56
1463.	शारो (सिरीहरीकेटा)	424
1464.	सिद्धनाकुंदूर	184
1465.	सिदिपुरम	56
1466.	सोमासिला	56
1467.	दक्षिणीमीपूर	56
1468.	सुल्लूरपेट	1000
1468. ए	सुल्लूरपेट	768
1469.	साइदापुरम	56
1470.	आई पी गुड्डूर	184
1471.	टाडा	184
1472.	लालामंची	56
1473.	तरलपुर	56
1474.	टिक्काबरम्	80
1475.	तुरीमेरला	104
1476.	उदयागिरि	336
1477.	वी॰ सी॰ सतराम	152
1478.	वादीचेरला	56

1	2	3
1479.	बाकायू	184
1480.	वल्लूर	336
1481.	वरीकुतामाडू	56
1482.	वाथिला	56
1483.	वीरामयल्ली	56
1484.	वेंकतारिगरी	1000
1485.	विचानल्लूर	184
1486.	विंजामपुर	336
1487.	यैल्यापल्लेम	56
	निजामाबाद	
1488.	वल्लूर	368
1489.	अंधरानगर	152
1490.	अर्रमूर	1500
1490. ए	अर्रमूर	1000
1491.	एमाकर	56
1492.	बंदायलै	25
1493.	बांसवाडा	152
1493. ए	बांसवाडा	360
1494.	बदीपुर	56
1495.	भावनीपेटा	152
1496.	भीलीमगढ़	360
1497.	बिच्चकनूर	304
1498.	बिबीपेर	152
1499.	बिचकोडा	208
1500.	बिरकदूर	56
1501.	बोदान	768
1501. ए	बोदान	64
1502.	बुसापुर	134
1503.	चंदूर	25
1504.	चौटपल्ली	25
1505.	धर्माराम	304
1506.	धर्मपल्ली	368

1	2	3
1507.	दिच्चपल्ली	160
1508.	दोमाबुग	200
1509.	दोगली	25
1510.	कुकेश्वर	152
1511.	दुब्बैकस	25
1512.	एर्रापहाड़	56
1513.	गांधाती	88
1514.	गांधीवेत	25
1515.	मेधवुली	56
1516.	इंदालवी	45
1517.	जकरानयल्ली	368
1518.	जंगामपल्ली	184
1519.	जानेपल्ली	152
1520.	जुक्कल	56
1521.	काम्मारेडी	2400
1522.	कामारापल्ली	45
1523.	किसननगर	352
1524.	कांडापुर	25
1525.	कोआएगिरि	336
1526.	कोहमाबाद	25
1527.	कोथापल्ली	56
1528.	लिंगमपेट	152
1529.	मचारेड्डी	25
1530.	मदाकपल्ली	25
1531.	मदनूर	304
1532.	मकलूर	184
1533.	ममीडियाली	25
1534.	मेनडोरा	45
1535.	मोरयाड	336
1536.	मोसरा	88
1537.	नागीरेड्डीपेट	336
1538.	नंदीपेट	25

1	2	3
1539.	नसरूलाबाद	336
1540.	नवीपेट	56
1541.	नीला	10500
1542.	निजमाबाद	2500
1542. ऐ	निजमाबाद	56
1543.	निजामसागर	25
1544.	पंचलाडीकुडा	25
1545.	पडीगल	336
1546.	पिटलाम	336
1547.	पोचममाड	200
1548.	पोथन्नाल	184
1549.	राजमपेट	45
1550.	रामागुंडु	25
1551.	रामारेड्डी	152
1552.	रमजल	152
1553.	रमजेरला	25
1554.	रेड्डीपेट	336
1555.	रूडरूर	45
1556.	सदाभिवासागर	56
1557.	सलूरा	336
1558.	सारंगपुर	56
1559.	सिरीकोंडा	152
1560.	सुरविरवाल	56
1561.	थानाकलां	184
1562.	वनेल-जी	184
1563.	वनेल-के	184
1564.	वारनी	180
1565.	वेलपुर	90
1566.	थैडापल्ली	152
1567.	वेल्लारेड्डी	330
1568.	वेल्लरगेडा	45

1	2	3
	प्रकाशम	
1569.	ए॰ बी॰ पलेम	56
1570.	अडनकी	1000
1570. ए	अडनकी	384
1571.	अममनबोलू	160
1572.	अरथावीडू	56
1573.	बालीकुरवा	56
1574.	सी॰ एस॰ पुरम	56
1575.	चिमाकुरोटी	366
1576.	चिनागंजम	336
1577.	चिराला	5000
1578.	कुमबम	336
1578. ए	"	272
1579.	दारसी	368
1580.	डोनाकोंडा	184
1581.	इडनापुडी	56
1582.	इथामुकला	184
1583.	गिडालूर	384
1583. ए	"	184
1584.	गोलापल्ली	56
1585.	गुडलूरू	56
1586.	इडुपुलापडु	368
1587.	इंकोलू	368
1588.	के॰ उप्पलपडु	184
1589.	कालूजूवलपुड	56
1590.	कांडुकरू	800
1591.	कनीगिरी	368
1592.	करमचेडु	336
1593.	कराविडी	56
1594.	करेडु	56
1595.	करूमंची	56
1596.	कोमारोले	152

1	2	3
1597.	कोनडेपी	184
1598.	कोथापटनम	184
1599.	कुनडुरू	2184
1600.	कुनकलमारू	184
1601.	कुरीचेडू	184
1602.	लिंगासेमुडराम	184
1603.	मचावरम	56
1604.	मड्डीपडु	336
1605.	मड्डीरालपुड	184
1606.	मांडुवरीपलेम	184
1607.	मरेल्ला	56
1608.	मरकापुर	1200
1608. ए	"	184
1609.	मरतुरू	336
1610.	मेडारामेतला	200
1611.	मुंडलामुरू	56
1612.	मुप्पवरम	56
1613.	नागुलुपालपडु	184
1614.	अंगोले	7005
1615.	पालका (प० पलेम)	56
1616.	पामरू	336
1617.	पामीडीपडु	56
1618.	पंगुलुरू	56
1619.	परचूर	368
1620.	पेड्डाडोरनाला	192
1621.	पेरनामीट्टा	184
1622.	पोडिली	1000
1623.	पोकुरू	56
1624.	पोन्नालुरू	56
1625.	पोथलापडु	56
1626.	पुनूरू	56
1627.	रामयापटनम	56

1	2	3
1628.	रवीनुथाला	184
1629.	एस० एन० पडु	184
1630.	सिंगारयाकोंडा	424
1631.	स्वर्णा	184
1632.	आई० नाईडुपलेम	56
1633.	इल्लूर	184
1634.	तंबुकुरू	800
1635.	तरलुपड	56
1636.	थिम्मासमुद्रम	184
1637.	थोटावरीपलेम	56
1638.	त्रिपुरांथकम	152
1639.	तुरीमेल्ला	56
1640.	उलावापडु	184
1641.	उधुग्रंडुरू	336
1642.	वेतगगंडला (मोगालूरू)	184
1643.	वेंटापलेम	56
1644.	वेटापलेम	520
1645.	बोडारलवू	56
1646.	ओलेटीवरीपलेम	56
1647.	मेरागोंडापलम	336
	रंगारेड्डी	
1648.	अबुदुल्लापुरमेट	336
1649.	अजीजनगर	336
1650.	बाडंगीपेट	384
1651.	बशीराबाद	336
1652.	बासुगल्ली	152
1653.	चितेल्ला	184
1654.	चिन्नागोलकुण्डा	152
1655.	डंडूमेलारम	56
1656.	देवारयुमजल	232
1657.	धरूर	152
1658.	डोमा	56

1	2	3
1659.	डुब्बाचेरला	160
1660.	डुंडीगल	181
1661.	एन्नारम	152
1662.	गढ़ीसिंहपुर	56
1663.	घाटकेसर	1000
1664.	इब्राहिमपट्नम	612
1665.	जग्गमगुडा	384
1666.	कनेकल	152
1667.	करनकोटे	56
1668.	केसरगुट्टा	474
1669.	खानापुर	356
1670.	कोमपल्ली	152
1671.	कोंगरविरयाल	384
1672.	कुलकचेरला	56
1673.	मदीरेड्डीपल्ली	152
1674.	महाराजापेट	152
1675.	महेश्वरम	336
1676.	मेलवार	56
1677.	माल वी॰ नगर	152
1678.	ममिदीपल्ली	336
1679.	मनचला	152
1680.	मंखाल	336
1681.	मन्नेगुडा	152
1682.	मारपल्ली	184
1683.	मर्रीपल्ली	152
1684.	मेडचाल	900
1685.	मेडीसिटी	56
1686.	मीरखानपेट	56
1687.	मोहम्मदाबाद	160
1688.	मोयनाबाद	336
1688. ए	मोयनाबाद	152
1689.	मोमिनपेट	384
1690.	नारापल्ली	184
1691.	नरसिंधी	192
1692.	एनरसिंधी	160
1693.	पालगट्टा	80
1694.	पारगी	184
1695.	पटेलगुडा	152
1696.	पेड्डामल	152
1697.	पोन्नाला	56
1698.	रचालुरू	56
1699.	रायपोले	56
1700.	सांगीनगर	184
1701.	सरदारनगर	56
1702.	शाहबाद	152
1703.	शमीरपेट	336
1704.	शमशाबाद	1000
1705.	शंकरपल्ली	432
1706.	शाहपुर	336
1707.	टंडुर	1400
1708.	तुरकापल्ली	152
1709.	टुरबमजाल	384
1710.	दुरममीदी	56
1711.	वेंकटपुर	56
1712.	विकाराबाद	1400
1713.	यादरम	152
1714.	येलाल	56
1715.	येलोमिनेडु	56
1716.	येल्लमपेटा	152
	श्रीकाकुलम	
1717.	अल्लादा	56
1718.	अल्लीसगरम	192
1719.	अमादालवालसा	768
1720.	डामल नगरम	152

1	2	3
1721.	बी. एस. पुरम	152
1722.	बरूवा	160
1723.	बथिली	56
1724.	भमिनी	56
1725.	बिटीबाडा	56
1726.	दुदीथि	184
1727.	दुरजा	56
1728.	कलिंगापटनम	368
1729.	दुसिपेटा	56
1730.	जी॰ सिगादम	56
1731.	गारा	152
1732.	हीरामंडलम	336
1733.	ईचापुरम	352
1733. ए	ईचापुरम	304
1734.	के॰ एम॰ वलासा	56
1735.	कविती	336
1736.	कोटाबोम्मली	184
1737.	कोठापल्ली	56
1738.	कोतुरू	184
1739.	कुरीगम	56
1740.	मंडासा	192
1741.	मेलियपुट्टी	184
1742.	मोबगम	56
1743.	नंदीगाम	56
1744.	नरसन्नापेटा	368
1745.	नौपाडा	152
1746.	निम्माडा	184
1747.	पलाकोण्डा	336
1748.	पलासा	1000
1748. ए	पलासा	152
1749.	पठापटनम	336
1750.	पठाटेककली	152
1751.	पिन्नीनीपेट	184
1752.	पोलकी	184
1753.	पोंडुरू	336
1754.	पुंडीगल्ली	56
1755.	पुरूषोतमपुरम	56
1756.	पिडीभीमावरम	184
1757.	राजम	344
1758.	रनस्तलम	336
1759.	सांताकविती	152
1760.	सर्वाकोटा	184
1761.	सीथमपेटा	152
1762.	सोमपेटा	56
1763.	श्रीकाकुलम	360
1764.	श्रीकुरमभ	184
1765.	टेक्कली	3750
1765. ए	टेक्कली	152
1766.	उरलम	336
1767.	वीराघट्टनम	184
	विशाखापट्टनम	
1768. ए	कोडूर	152
1769.	अदिवीवरम	512
1770.	अनाकापल्ले	3500
1771.	आनन्दपुरम	328
1772.	अननथागिरी	56
1773.	अराकु	160
1774.	भिमिली (8 पटनम)	602
1775.	चिन्तापल्ली	160
1776.	चोडावरम	384
1776. ए	चोडावरम	376
1777.	डी॰ येरावरम	56
1778.	देवारापल्ली	88
1779.	दुम्बरीगुडा	56

1	2	3
1780.	इटीकोप्पाका	168
1781.	जी॰ मदुगुला	56
1782.	गोलूगोण्डा	56
1783.	गुडीवाडा	56
1784.	हुकुमपेटा	56
1785.	जमादेवपेटा	56
1786.	के॰ डी॰ पेटा	160
1787.	के॰ जे॰ पुरम	56
1788.	कोटावरटला	160
1789.	कोठाकुटा	160
1790.	कोययुरू	56
1791.	एल॰ कोडुर	56
1792.	लंकेपायलम	240
1793.	लोथुगड्डा जे॰ एन॰	56
1794.	मधुरावाडा	1096
1795.	मदुगुला	160
1796.	माकावरीपलम	160
1797.	मुनागापाका	160
1798.	मुनचिंगेरपुर	56
1799.	नक्कापल्ली	176
1800.	नरसीपटनम	384
1800. ए	नरसीपटनम	248
1800. बी	नरसीपटनम	120
1801.	नठावरम	160
1802.	पडेरू	336
1803.	परावाडा	160
1804.	पेडाबील	56
1805.	येन्दुरिही	1128
1806.	आर॰ वी॰ नगर	56
1807.	रामबिल्ली	160
1808.	रविकामाठम	160
1809.	रेड्डीपल्ली	80
1810.	रेविदी	56
1811.	एस॰ रयावरम	184
1812.	सब्बावरम	168
1813.	सागरनगर	416
1814.	सीथायापेटा	56
1815.	तगरापुवलासा	320
1816.	तल्लापलेम	152
1817.	वडाचेपुरूपल्ली	56
1818.	वड्डाडी	160
1819.	वराहापुरम	160
1820.	वेमुलायुडी	56
1821.	वी॰ एम॰ बालाचेरूवू	2000
1822.	वी॰ एम॰ स्टीप्लांट	1008
1823.	वी एम सी आर आर नगर	3578
1823. ए	-वही-	2832
1823. बी	-वही-	1968
1824.	वी एम डावागार्डनस्	3672
1824. ए	वी एम डावागार्डनस्	3516
1824. बी	वी एम डावागार्डनस्	2128
1825.	वी एम. गोपालापटनम	1288
1826.	वी एम इंडा एस्टेट	3896
1826. ए	वी एम इंडा एस्टेट	1752
1827.	वी एम कुरमन्नपलम	384
1828.	वी एम वी पी कालोनी	1020
1828. ए	वी एम एम वी पी कालोनी	4912
1829.	वी एम मल्कापुरम	2848
1830.	वी एम मिन्डी	5906
1830. ए	वी एम मिन्डी	992
1830. बी	वी एम मिन्डी	1008
1831.	वी एम पंडुरंगापुरम	1024
1831. ए	वीएम पंडुरंगापुरम	1514
1832.	वी एम सीथममधारा	5436

1	2	3
1832 ए	-वही-	1275
1833.	वी एम वेलपमेटा	6000
1833. ए	-वही-	2760
1833. बी	-वही-	4895
1834.	येलामनचिली	240
1834. ए	-वही-	5012
1834.	विजयानगरम	
1835.	अलायांदा	56
1836.	बादंगी	184
1837.	बालीजीपेटा	184
1838.	भीगापुरम	152
1839.	बेब्बिली	768
1839. ए	बेब्बिली	152
1840.	चिन्तलावालासा	336
1841.	चिन्तापल्ली	56
1842.	चिनिहाडा	152
1843.	चिपुस्पल्लि	520
1844.	देनकाडा	56
1845.	देवाड़ा	56
1846.	धर्मावरम	152
1847.	दोंकीनावालसा	56
1848.	जी. एल. पुरम	192
1849.	जी. आर. वालसा	96
1850.	गजापचीनगरम	488
1851.	गंतयाड़ा	152
1852.	गरभम	152
1853.	गरिवीड़ि	384
1853. ए	गरिवीड़ि	304
1854.	जामी	56
1855.	जोनहावालसा	56
1856.	काशीपटनम	56
1857.	कुमारध	56

1	2	3
1858.	कोनपाड़ा	56
1859.	कोरकोंडा	152
1860.	कोनाड़ा	56
1861.	कोठावालसा	488
1862.	कुरूपम	304
1863.	एल कोटा	152
1864.	मक्कुवा	152
1865.	भामिदीपल्ली	56
1866.	मेटाड़ा	56
1867.	नेल्लिमारला	152
1868.	पचिपेंटा	56
1869.	पर्वतीपुरम	1000
1869. ए	पर्वतीपुरम	768
1870.	पेडमानापुरम	152
1871.	पेरूमलि	56
1872.	पिनापेंकी	56
1873.	पिरिद्री	184
1874.	पेतिपल्ली	152
1875.	पशुपलिरेगा	152
1876.	रामाभद्रापुरम	184
1877.	रविवालसा	152
1878.	सलूर	808
1879.	सीतानगरम	184
1880.	श्रीरामपुर	56
1881.	शुंगवरापुकोटा	520
1882.	थेरलम	184
1883.	वेपाड़ा	56
1884.	विजयानगरम	6000
	वारंगल	
1885.	अमगल	56
1886.	अप्पराजूपल्लि	56
1887.	अरेपल्लि	25

1	2	3
1888.	अशोकनगर	25
1889.	अतमकूर	50
1890.	बच्चनापेह	184
1891.	भूपलापल्लि	336
1892.	चेलपुर	25
1893.	चेन्नारावणे	56
1894.	चेरियल	336
1895.	चिन्नगुडूर	56
1896.	चिटयाल	184
1897.	दंतहलपल्लि	152
1898.	देवरूप्पला	56
1899.	धर्मासागर	184
1900.	एतूरनगरम	152
1901.	गीसूकोंडा	184
1902.	धनपुर एम	80
1903.	धनपुर एसटीएन	176
1904.	गिरनीबाई	25
1905.	गोविन्दरावपेंट	88
1906.	गुडूर	152
1907.	हरिपराला	56
1908.	दसनपार्थी	336
1909.	इंगूरवी	56
1910.	जानागांव	1452
1911.	कमलापुर	336
1912.	कम्वालापल्लि	56
1913.	करूणापुरम	88
1914.	कासिमदेवपेट	56
1915.	केसमूदराम	336
1916.	कोडाकांडला	184
1917.	कोकाराका	56
1918.	कुर्थी	184
1919.	लेबर्थी	25
1920.	लक्ष्मीदेवपेट	25
1921.	मुड्डूर	56
1922.	मादीकोंडा	100
1923.	मादीपल्लि	25
1924.	महबूबाबाद	1400
1925.	मुलुगू	336
1926.	मुंगलावीडू	56
1927.	नल्लबल्लि	96
1928.	नेदनम	25
1929.	नरमेट्टा	56
1930.	नरसेमपेट	1000
1931.	नरसीमडुलपेट	56
1932.	नेक्कोंडा	184
1933.	नेल्लीकुछरू	184
1934.	पालाकुर्थी	184
1935.	पंथीनी	184
1936.	पारकल	424
1936. ए	पारकल	56
1937.	पर्वथागिरी	184
1938.	पेडुपिडयाल	25
1939.	पेगडापल्लि	56
1940.	पेलुगोंडा	56
1941.	पोगल्लापल्लि	56
1942.	रघुनाथापल्लि	88
1943.	रायपार्थी	25
1944.	रेड्डीपुरम	56
1945.	संगम	184
1946.	टीगलावेणी	25
1947.	थीम्मापुर (एच)	184
1948.	थोररूर	336
1949.	अप्परेगुडेम	56
1950.	वावीलाला	25

1	2	3
1951.	वावीलाला	25
1952.	वर्धनापेई	336
1953.	डब्ल्यू एल हनामकोंडा	11200
1954.	डब्ल्यू एल काजीपेट	1600
1955.	डब्ल्यू एल वारंगल	4000
1955. ए	डब्ल्यू एल वारंगल	6000
1956.	यलिजेरिया	56
1957.	येलकूर्थी (एच)	25
1958.	जफारगढ़	25
	पश्चिम गोदावरी	
1959.	आचंटा	424
1960.	अगदलालंका	152
1961.	आकीवीडू	1400
1962.	आलमपुरम	336
1963.	आलममुरू	152
1964.	अंकोदेरू	152
1965.	एंथापल्ली	336
1966.	अरावल्ली	152
1966. ए	अरावल्ली	80
1967.	अट्टिली	900
1968.	बदामपुड़ी	152
1969.	बखयानांगुडेम	152
1970.	भीमाडोली	392
1971.	भीवरम	7000
1972.	बोंदाडा	152
1972. ए	बोंदाडा	88
1973.	बुररामपेलम	152
1974.	बुटयागुडेम	184
1975.	चौ चिंतलपुड़ी	152
1976.	चौ पुथेपल्लि	56
1977.	चगल्लू	304
1978.	चेबरोलू	368
1979.	चिंगोलापलेम	184
1980.	चिन्यागुडेम	168
1981.	चिलिमालापुडी	168
1982.	चिन्तापल्लि	152
1983.	डगुलूरू	304
1984.	दरभागुडेम	88
1985.	देंदुलूरू	200
1986.	देवरापल्लि	312
1987.	धर्माजीगुडेम	184
1988.	डेडीपाटला	152
1988. ए	डोडिपाटला	88
1989.	दोरमामिडी	88
1990.	दुबाचेरला	152
1991.	दुव्वा	336
1992.	द्वारकातीरूमाला	336
1993.	ईस्टवीप्परू	152
1994.	एलूरू	6000
1994. ए	एलूरू	11000
1995.	एरागुटापल्लि	88
1996.	एररामपल्लि	88
1997.	गनपावरम	1400
1998.	गोगुटा	56
1999.	गोल्लवणिथिप्पा	336
2000.	गोपालापुरम	304
2001.	गौरीपट्टनम	160
2002.	गुढ़ीवाकालंका	184
2003.	गुम्मुलुरू	160
2004.	गुंडुगोलनु	512
2005.	हुक्कुमपेट	88
2006.	जंगारेड्डीगुडेम	768
2006. ए	जंगारेड्डीगुडेम	1500
2007.	जीलूगुमिल्ली	152

1	2	3
2008.	जेट्टीपलेम	152
2009.	जवालापलेम	336
2010.	कडिमाडा	152
2011.	कलवालापल्लि	152
2012.	कालावापुडी	152
2013.	कालीपटनम	152
2014.	कामावारापुकोटा	184
2015.	कमयापलेम	88
2016.	कन्नापुरम	184
2017.	कनुरू	152
2018.	खंडावल्लि	152
2018. ए	खंडावल्लि	80
2019.	कोक्कारपड्डू	56
2020.	कोलामुरू	152
2021.	कोम्यूचिकाला	160
2022.	कोडालारावपलेम	88
2023.	कोनीथिवाडा	152
2023. ए	कोनीथिवाडा	88
2024.	कोप्पका (पिनाका)	184
2025.	कोप्परू	152
2026.	कोथपड्डू	336
2027.	कोव्वली	200
2028.	कोव्वूरू	1400
2028. ए	कोव्वूरू	304
2029.	कोयलागुडेम	680
2030.	लाक्कावरम	152
2031.	लक्ष्मीपुरम	152
2032.	माधावरम	152
2033.	महादेवापटनम	152
2034.	माक्कीनावरीगुडेम	88
2035.	मालाकप्पलि	168
2036.	माल्लावरम	152
2037.	मोगलटूर	336
2038.	मुंडूरू	152
2039.	नागिदीपलेम	152
2040.	नल्लाजेरला	336
2041.	नंदामुरू	56
2042.	नरसापुर	1400
2042. ए	नरसापुर	768
2043.	निदादावली	1688
2044.	पालाकोली	3000
2045.	पारीमेल्ला	152
2046.	पटटेमपलेम	152
2047.	पवुलूरीवसिगुडेम	184
2048.	पेडानिन्दराकोलनू	336
2049.	पेडापाड्डू	336
2050.	पेडावेगी	184
2051.	पेनूगोडा	1384
2052.	पेनूमंत्रा	336
2053.	पेरीवल्ली	336
2054.	पेरूपेलम	152
2054. ए	पेरूपेलम	88
2055.	पिप्परा	368
2056.	पोपूरू	152
2056. ए	पोपूरू	88
2057.	पोलासागुडेम	56
2058.	पोलावरम	336
2059.	पोथवरम	152
2060.	परगादावरम	152
2061.	पुचीकपड्डू	56
2062.	पूल्ला	336
2063.	पिदीचिनियापदू	56
2064.	आर. गनपावरम	152
2065.	रचूरा	88

1	2	3
2066.	राघवापुरम	152
2067.	राजावरम	152
2068.	रंगापुरम	152
2069.	रायाकुडूरू	152
2070.	सीतानगरम	88
2071.	सिद्धान्तनम	152
2072.	सिंघागुडेम	88
2073.	श्रीपररू	88
2074.	टी. नरसापुरम	152
2075.	ताडीपल्लिगुडेम	4256
2076.	ताडीकालापुडी	184
2077.	ताडीमेल्ला	152
2078.	ताडूवई	152
2079.	तनुकू	3500
2080.	तडलाम	88
2081.	ऊंदी	336
2082.	उंदाराजावरम	384
2083.	वी॰ आर॰ गुडेम	152
2084.	वाडापल्लि	152
2085.	वेल्लूरू	304
2086.	वतलूरू	152
2087.	वीतरावासरम	184
2087. ए	वीतरावासरम	96
2088.	योगेश्वरापुरम	360
2089.	येलीवेन्नू	184
2090.	येलपुर	336
2091.	येम्पा	184
2092.	येन्द्रा	336
2093.	विजयाराय	184
2094.	येलमनचिली	336
2095.	येंदागांडी	152
2095. ए	येंदागांडी	88
2096.	येरनागुडेम	152

विवरण-II

गौण स्विचन क्षेत्र अमृतसर में एक्सचेंज और उनकी क्षमता

रिकार्ड सं.	एक्सचेंज	क्षमता
1	2	3
1.	अजनाला	1200
2.	अलगौन कोठी	152
3.	अमरकोट	152
4.	ए आर ए एल रोड (डी-टैक्स)	2000
5.	एआर बटाला रोड	8000
6.	ए आर छहरता	5000
7.	एआर रंजित ऐवी	7000
8.	एआर तरनतारन रोड	5000
9.	एआर बरका	2000
10.	एआर एल रोड	4800
11.	एआर एल रोउ	13120
12.	एआर भगतनवाला	5000
13.	एआर इएम नगर	9000
14.	एआर केएसएसआई	23000
15.	एआर केएसएस-2	3000
16.	अटारी	844
17.	बाबा बकला	152
18.	ब्यास	384
19.	भिखिविन्ड	1000
20.	भिलाईपुरम	88
21.	भीरसी राजपूताना	152
22.	बुंडाला	152
23.	बटाला	152
24.	बटरसेवियन	152
25.	चाबल	1000
26.	चबिंडादेवी	152
27.	चोगावन-I	192
28.	चोगावन-II	152
29.	चालोसाहिब	152

1	2	3
30.	डिबिजे सिंह	1000
31.	दाबूर्जि-I	80
32.	दाबूर्जि-II	152
33.	दक्षमेस नगर	80
34.	दयालपुर	152
35.	डेहरीवाल	88
36.	ढंडकेसल	56
37.	धोता	152
38.	दोतियान	152
39.	फतेहबाद	424
40.	गागोमहल	80
41.	गहरी मंडी	152
42.	घडयाला	152
43.	गॉइडवाल	1000
44.	हरीके पतन	152
45.	होशियार नगर	88
46.	इबनकालॉन	152
47.	जागोवाल	80
48.	जगदेनकाला	96
49.	जहांगीर	152
50.	जलालबाद	56
51.	जंडियालागुरू	2000
52.	जनतीपुर	96
53.	कच्चा पक्का	152
54.	कैरोन	192
55.	कल्ला	56
56.	कटुनांगल	336
57.	खडोरसाहिब	384
58.	खालरा	180
59.	खासा	152
60.	खेमकरण	152
61.	खैरदिन	56
62.	खिलचियान	152
63.	किर्तोवाल	56
64.	कोटबुड्ढा	80
65.	मजिट्ठा	1032
66.	मनावल	160
67.	मेरीमेघा	56
68.	मेहता चौक	296
69.	नौशैरापन्नू-I	96
70.	नौशैरापन्नू-II	160
71.	नवापिंड-I	80
72.	नवापिंड-II	160
73.	पंडोरीशिंदवान	152
74.	पट्टी	1470
75.	राजासासी	336
76.	रामदास	152
77.	रईया	1000
78.	सईदपुर	152
79.	सरायअमानतखां	56
80.	सखियाला	152
81.	सेरोन	192
82.	सोहियांखुर्द	152
83.	सुभरांव	88
84.	सुरसिंह	152
85.	टगड़ा	152
86.	तरसिक्का	384
87.	तरनतारन	4000
88.	बेरपाल	152
89.	बराइच	152
90.	के के खंड-2	56
91.	खासा 2	56
92.	मनवाला	72
93.	चियोवाला	152

1	2	3
94.	चिमा	56
95.	कलेके	88
96.	बग्गा	0
97.	मटेवाल	0
	भटिंडा	
1.	बाँबिया	256
2.	मंडी	152
3.	बेहमनदिवाना	176
4.	बूच्चू	1296
5.	बिटी ई-10 बी मेन	9000
6.	बी टी आर एल यू-कैरियर	2000
7.	बीटी आरएलयू-गोलडिगी	11000
8.	बीटी आरएलयू रोजगरडे	3000
9.	बुराज मेहमा	304
10.	चकरूल्डु सिंह	152
11.	गंगा आबलू	80
12.	घुद्दा	176
13.	गुनियाना	1400
14.	जिदा	184
15.	कल्याणसुखा	152
16.	करमगढ़ सतरां	176
17.	कोटपट्टा	152
18.	कोटसमीर	208
19.	लेहरा मोहब्बत	328
20.	मेहमा सरजा	176
21.	मेहता	152
22.	नथाना	304
23.	संगत	184
24.	तुमवाली	88
25.	अतला [illegible]	88
26.	बरेला	1200
27.	मैनीगा	208
28.	भिखी	1000
29.	बोहा	512
30.	बुधलाडा	1640
31.	बुरजहरिके	88
32.	दातेवास	152
33.	जोगा	3444
34.	खयालाकलां	88
35.	कोटलीकलां	88
36.	मनसा-I	2600
37.	मनसा-II	2000
38.	मोहरसिंगवाला	184
39.	मूसा	208
40.	नांगलकलां	240
41.	नरेन्द्रपुरा	152
42.	फफरेभाइकी	152
43.	बालावाली	152
44.	मंगता	1200
45.	बहिरूपा	1000
46.	भीदीपुरा	88
47.	चौक	208
48.	ढपली	152
49.	धिंगार	80
50.	दयालपुर भिर्जा	96
51.	जलाल	208
52.	जेठके	176
53.	कांगड़	152
54.	मलूकां	184
55.	मंडीकलां	264
56.	मेहराज	152
57.	फूलमंडी	2400
58.	फूलभिलेज	264
59.	तिरकोट	56

1	2	3
60.	बंगीकलां	208
61.	जोधपुरपायर	176
62.	कुटिवालकलां	88
63.	ललियाना	176
64.	माइसेरखाना	184
65.	मउर	1400
66.	बकाकलां	152
67.	राजगढ़ खूबे	152
68.	रमन	1000
69.	सेखू	152
70.	शेखपुरा	208
71.	तलवंडीसाबो	768
72.	तियानापजराई	152
73.	भगवानपुरा हिंग	176
74.	जटनाकलां	88
75.	झंडेकलां	88
76.	झंडूके	88
77.	झुनिर	240
78.	सरदूलगढ़	1000
79.	संघा	88
	चंडीगढ़	
1.	बेहलाना	152
2.	चंडीगढ़-1 एरिया	2000
3.	चंडीगढ़-1 एरिया	8480
4.	सेक्टर-4 चंडीगढ़	4000
5.	ई-10 सैक्टर 17 चंडीगढ़	21000
6.	ई-एफ-1 50 से. 17 चंडीगढ़	16800
7.	ई-10 से. 34 चंडीगढ़	12000
8.	ईएफ-1 50 से॰ 34 चंडीगढ़	16800
9.	से॰ 37 चंडीगढ़	4000
10.	से॰ 37 चंडीगढ़	5000
11.	डेराबस्सी	2896

1	2	3
12.	खरड़	4000
13.	खुदाअलीशेर	456
14.	खुदालाहोरा	312
15.	बट्टा तथा लांदरां	152
16.	मलोया	320
17.	मनौली	320
18.	मनीमाजरा	5000
19.	मोहाली	10000
20.	मोहाली	5000
21.	मोहाली	4000
22.	मुल्लापुर	3004
23.	पंचकुला	5000
24.	पंचकुला	18000
25.	सोहना	1000
26.	जिरकपुर	1256
	फिरोजपुर	
1.	अबोहर	9000
2.	अचरिकी	56
3.	अजितवाल	184
4.	अकूमस्तेके	152
5.	आलमगढ़	96
6.	आलमवाला	152
7.	अरनीवाला	152
8.	अस्पा	56
9.	बादल	192
10.	बढनीकलां	1000
11.	बापापुरना	1400
12.	बाघेवाला	152
13.	बहादुरखेंडा	152
14.	बाहरवाली	56
15.	बाजाखाना	184
16.	बजेके	88

1	2	3
17.	बाकेंवाला	56
18.	बालखंडी	56
19.	बलुवाना	96
20.	बंदीवाला	152
21.	बरगाड़ी	272
22.	बरीवाला	284
23.	बजिदपुरभीमा	112
24.	बेगनवाली	56
25.	बेहकपछाराई	112
26.	भगोके	80
27.	भागसर	152
28.	भाईकाखेडा	192
29.	भलईना	56
30.	भंगचढ़ी	152
31.	भराना	88
32.	भिडेरकलां	152
33.	भायनपुर	152
34.	बिलासपुर	184
35.	बिसन्डी	56
36.	बोदीवाला	184
37.	चक्कगिजेवाला	56
38.	चक्कपक्की	56
39.	चक्कशेरवाला	184
40.	चक्कदामल	152
41.	चमेली	56
42.	चांदनवां	88
43.	चरिक	184
44.	छतियाना	56
45.	छोगावान	184
46.	छुगतेवाला	152
47.	डाबरीखाना	56
48.	डबवालीढाब	56
49.	डाला	384
50.	धरोलीभाई	184
51.	दोधार	152
52.	देवीवाला	56
53.	धाइपाई	152
54.	धरमकोट	1000
55.	धरंगवाला	152
56.	धीक	56
57.	ढोलेवाला	56
58.	दुधिके	272
59.	डोडा	184
60.	दोतारनवाली	184
61.	फकरसर	192
62.	फरीदकोट	5000
63.	फतेहगढ़ करोताना	96
64.	फतेहगढ़ पंजतूर	152
65.	फतेहपुर मनिवां	88
66.	फटनवाला	152
67.	फाजिल्का	2000
68.	फिरोजपुर कैंट	4756
69.	फिरोजपुर सिटी	1496
70.	घालकलां	152
71.	घालखुर्द	56
72.	घड़ियाना	96
73.	घालियान खुर्द	152
74.	गिदरबाहा	1500
75.	गोलेवाला	152
76.	गुदरधंडी	88
77.	गुरूहरसहाय	1448
78.	गुरूसर	88
79.	हरिके कलां	152
80.	हिम्मतपुरा	88

1	2	3
81.	इन्जातवाला	56
82.	जैतू	1800
83.	जलालाबाद	3000
84.	जनेर	96
85.	झनियान (पश्चिम)	56
86.	झनियाना सरकी	184
87.	झोकसरकारी	56
88.	झोकहरियर	112
89.	झोकतेहालसिंह	152
90.	झेमियनवाली	184
91.	जीवनवाला	152
92.	कहानसिंहवाला	88
93.	कलेर	152
94.	कल्याणवाला	188
95.	कड़वालाअमरकोट	88
96.	कनियावाली	56
97.	करमूवाला	88
98.	कसूना	152
99.	कटेहरा	96
100.	कौनी	56
101.	खाईफेमेकी	152
102.	खेंडकेउत्तर	56
103.	खनवाला	56
104.	खपीयनवाली	88
105.	खारा	56
106.	खंतवां	96
107.	खेओवालीढाब	184
108.	खिंपनवाली	184
109.	खिड़कीयनवाली	56
110.	खुंबन	56
111.	खुननकलां	88
112.	खुंडेलाल	88
113.	किलियनवाली	152
114.	किशनपुरा	152
115.	कोकरीबुरान	152
116.	कोटभाई	88
117.	कोटइसेखा	384
118.	कोटकपुरा	5000
119.	कोटलीसंघेर	56
120.	कुलर	56
121.	लधुका	184
122.	लखवाली	184
123.	लखीकेबेहराम	280
124.	लालभाई	192
125.	लम्बी	384
126.	लम्बीढाब	152
127.	लमोचरकलां	56
128.	लोंगोदेवा	32
129.	लोपोन	184
130.	लुबालियनवाली	152
131.	मचाकीकलां	152
132.	मचाकीमालसिंह	56
133.	महाबदर	88
134.	महोनाखेडला	96
135.	माखू	1000
136.	मालकटोरा	88
137.	मल्लन	152
138.	मल्लनवाला	400
139.	मलेवाला	56
140.	मलियनवाला	56
141.	मलुकपुर	112
142.	मलाउत	3000
143.	मालवार	56
144.	ममदोव	270

1	2	3
145.	मनावन	56
146.	मंडीअमीनगंज	184
147.	मनुके	88
148.	मरिमुश्तफा	184
149.	मौजगढ़	184
150.	मौर्य	56
151.	मेहना	152
152.	मेहराजवाला	56
153.	मोगा	11920
154.	मोगादानामंडी	1200
155.	मोहलम	88
156.	मोरनवाला	56
157.	मुडकी	152
158.	मुकतसर	3512
159.	नाथुवाला	56
160.	नेहलसिंहवाला	1200
161.	नेहालखोड़ा	152
162.	पक्की	88
163.	पक्कीकालेवाला	88
164.	पंजकेउत्तर	152
165.	पंजगरायनकाला	184
166.	बनीकोसी	152
167.	पेवरी	56
168.	पिंडीबलोचन	56
169.	कुदारवाला	56
170.	रामगढ़	88
171.	रामगढ़ सुगन	152
172.	रमियना	88
173.	रामनगर	184
174.	रामसर	96
175.	रताखोड़ा	232
176.	रोमानाअजित सिंह	56
177.	रूपाना	184
178.	सादिक	152
179.	सइदेका रोहेल्ला	56
180.	सइदोके	56
181.	समधमाई	152
182.	संधेहसम	152
183.	सप्पनवाली	152
184.	सरावां	56
185.	सरावां बोदला	192
186.	साइयांवाला	56
187.	सहरादी	152
188.	शेरखानवाला	152
189.	सिबियान	88
190.	सिखनवाला	56
191.	सिखवाला	184
192.	सिमेरावाला	56
193.	सिंघनवाला	152
194.	सितोगुनो	96
195.	स्मालसर	184
196.	सुखानानन्द	80
197.	सुखनवाला	56
198.	तहलीवाला बोदला	56
199.	तहलीवाला जट्टां	184
200.	तलवंडीभाई	1000
201.	तलवंडी भगेरियन	152
202.	टप्पखेंड़ा	272
203.	तरखनवाला	240
204.	तरमाला	56
205.	थाथा	152
206.	थेहकलंद	56
207.	टिब्बीखुर्द	88
208.	उरंग	56

1	2	3
209.	उस्मानखेड़ा	56
210.	बिर्कखेड़ा	88
211.	वकीलनवाला	56
212.	बंदर बट्टां	152
213.	वरयमखेड़ा	184
214.	जिरा	1400
	होशियारपुर	
1.	अमरोह	56
2.	बचौरी	184
3.	बदों	304
4.	बादला	80
5.	बागपुर सतौर	304
6.	बजाचाक	152
7.	बालाचौर	1400
8.	बरियांकलां	304
9.	बसीकलां	1000
10.	भांबोतर	96
11.	भंगला	176
12.	भनोवल	80
13.	घुंगा	152
14.	बिनेवाल	152
15.	बोहन	304
16.	बोरा	152
17.	बुधवार	80
18.	बलोवल	384
19.	चकबोमोन	184
20.	चोलांग	160
21.	दसूइया	2400
22.	दातारपुर	56
23.	घड़जीवाला	440
24.	गढ़शंकर	1400
25.	गरनासाहिब	184

1	2	3
26.	घुगरा	152
27.	हरियाणा	704
28.	हाजिपुर	304
29.	होशियारपुर	17000
30.	जहाखेलां	160
31.	जैजोनदोआब	80
32.	जलालपुर	304
33.	जलोवाल	152
34.	जनवरी	96
35.	जोहाल	152
36.	कमाहीदेवी	56
37.	कांगलाजंटा	176
38.	काटगढ़	184
39.	खुड्डा	96
40.	कोटफटुहि	304
41.	कोटलानोडसिंह	152
42.	माखुपुर	80
43.	माहिलपुर	1000
44.	मंसूरपुर	304
45.	मेहमोवल	88
46.	मेहटीयाना	160
47.	मेहातपुर ओलाडनी	152
48.	मियानी	568
49.	मोनाकलां दबिदा	80
50.	मोरनवाली	88
51.	मोकेरीयान	1136
52.	नांगनकलां	152
53.	नसराला	1000
54.	नवशेरपतन	152
55.	पानम	184
56.	पाजजोड़िता	96
57.	पोजेवल	152

1	2	3
58.	राजपुर भंइया	160
59.	रकड़ढाहा	304
60.	रामपुर बिलरों	80
61.	रामपुर झंजोवाला	152
62.	साहिबा	304
63.	सइलाखुर्द	232
64.	सकराला	152
65.	सांधरा	152
66.	सरहालाकलां	304
67.	सरोया	448
68.	सामचौरासी	232
69.	टकारला	80
70.	तलवंडीजट्टा	96
71.	तलवंडीसलां	304
72.	तलवाड़ा	1400
73.	टंडारामसहाय	176
74.	उरमरटंडा	2500
	जालंधर	
1.	आदमपुर	1000
2.	अलावपुर	296
3.	अपरा	424
4.	अथोला	98
5.	अउर	1000
6.	बल	384
7.	बलेरखानपुर	152
8.	बंगा	1400
9.	डेगोवाल	88
10.	बेहराम	240
11.	भंडालवेट	88
12.	भुरा	88
13.	भोगपुर	1400
14.	भौलाथ	192
15.	बिलगा	96
16.	बुलपुर	88
17.	बुबला	293
18.	चकदाना	96
19.	चानियां	96
20.	ढिलवन	176
21.	ढोगरी	88
22.	दोसांझकलां	298
23.	दयालपुर	88
24.	फतुधिंगा	88
25.	गुमन	88
26.	गुराया	1260
27.	हरिपुर	88
28.	हरिपुरखालसा	176
29.	हजारा	178
30.	हेलेर	178
31.	जाडला	98
32.	जंडियाला	1000
33.	जंडुसिंह	192
34.	जीएलजीपीओ आरएलयू	5000
35.	जे एल जीपीओ एक्सआईइएम	5000
36.	जे एल जीपीओ नगर एक्सआईइएम-I	5000
37.	जे एल जीपीओ नगर एक्सआईइएम-II	9000
38.	जे एलजेपी नगर आरएलयू	4900
39.	जेएलएमटीएस नगर एसआईईएम	10000
40.	जेएलएमटीएसनगर ई-10बी-II	8000
41.	जेएलएमटीएसनगर ई-10बी-5	5000
42.	जेएलआईडी एरिया	8000
43.	जेएलमॉडल टाउन आरएलयू	8000
44.	जेएलमॉडल टाउन आरएसयू	0
45.	जेएल कैंट	0
46.	गहमा	96

1	2	3
47.	कालाबकरा	96
48.	कालासाधिंया	296
49.	कालरा	176
50.	कंगखुर्द	96
51.	कंगजागिर	184
52.	कपूरथला	8000
53.	कारनामा	96
54.	करतारपुर	1000
55.	कटहर	176
56.	खोडादोला	88
57.	खोजेवाला	88
58.	कोटबिखान	96
59.	उका	88
60.	कुलार	96
61.	लाखपुर	88
62.	लामरा	1000
63.	लंगरोया	96
64.	लसारा	152
65.	लोधीपुर	88
66.	लोहियानखास	384
67.	मलियांकलां	152
68.	कलसियां	176
69.	मेहतापुर	1000
70.	मोठनवाला	88
71.	मुकंदपुर	1000
72.	मोतीदाखुर्द	152
73.	नदाला	1000
74.	नगर	184
75.	नकोदर	4000
76.	नागलफिदा	176
77.	नवांशहर	5000
78.	नूरमहल	1400
79.	पंचांट	88
80.	परजियां	96
81.	पटारा	288
82.	पतरकलां	176
83.	फगवाड़ा	9000
84.	फिलौर	1060
85.	पुनियान	88
86.	रहिमपुर	176
87.	रहोन	1000
88.	रायपुर	176
89.	रामगढ़	152
90.	रानीपुर	96
91.	रसूलपुर	96
92.	रेहानाजट्टां	96
93.	रोडकाकलां	88
94.	सुल्तानपुर लोदी	1000
95.	सरहाली	88
96.	सरीह	152
97.	साहकोट	1400
98.	साहपुर	96
99.	समीपुर	176
100.	शंकर	384
101.	सिंधवादोना	88
102.	सोहलजागीर	96
103.	तालवां	96
104.	तलवंडीचुरियां	88
105.	उग्गी	152
106.	उस्मानपुर	88
107.	जमशेर	0
108.	दादविंडी	0
109.	परमजीतपुर	0
110.	कंगसाबू	0

1	2	3
111.	बाजिदपुर	0
	लुधियाना	
1.	अचरवाल	240
2.	अलामगीर	384
3.	अंडलू	240
4.	अयारीकलां	232
5.	अयालीपुर खुर्द	184
6.	बदोवाल	1000
7.	बलियावाल	176
8.	बुरूंदी	88
9.	बसिगुजरन	88
10.	बसियां	184
11.	भाडला	96
12.	भैनीसाहब	1000
13.	भारी	384
14.	भुंदरी	96
15.	बुटा	296
16.	बीजा	458
17.	बिरंक	96
18.	बिरनी	96
19.	बोपराईकलां	192
20.	बुतरेही	88
21.	चौंटा	96
22.	चौकीमान	96
23.	दाद	184
24.	देहलों	192
25.	धामोत	284
26.	नूर	88
27.	दोरहा	1528
28.	गालिबकलां	248
29.	गिल	3000
30.	गुजरवाल	1400
31.	गुरसरसुधार	1000
32.	हलवारा	240
33.	हंसकलां	192
34.	हथूर	184
35.	हूमरान	1000
36.	इसेवाल	284
37.	इसरू	376
38.	जगरावं	5800
39.	जर्ग	170
40.	जसपालन	184
41.	जसियां	1000
42.	झंडे	88
43.	जोधन	1000
44.	कालख	96
45.	कसाबाद	88
46.	कौनकेकलां	96
47.	कमानी	472
48.	खन्ना	6865
49.	खानपुर	272
50.	खोड़ीनंदसिंह	272
51.	खिरनीयान	96
52.	किलाराइपुर	184
53.	कोहरा	2000
54.	कुमकलां	384
55.	लालतोकलां	1000
56.	लालतोंखुर्द	88
57.	लटाला	184
58.	लेहल	184
59.	लुधियाना	10000
60.	लुधियाना बीएन	14000
61.	लुधियाना बीएन	10000
62.	लुधियाना बीएन	10000

1	2	3
63.	लुधियाना बीएन	14000
64.	लुधियाना बीआरएल	15000
65.	लुधियाना डीडब्ल्यूएल	15000
66.	लुधियाना एफपी	8000
67.	लुधियाना जुगियाना	2000
68.	लुधियाना एमआर	20000
69.	लुधियाना एमआर-I	9000
70.	लुधियाना एमडब्ल्यू	11000
71.	लुधियाना आरबीएन	10000
72.	लुधियाना एसबीएस	5000
73.	लुधियाना इपीटी	10000
74.	लुधियाना टीपीटी मेन	11000
75.	लुधियाना टीपीटीआरएसयू	5000
76.	मछीवाड़ा	1400
77.	मदपुर	1000
78.	मालमाजरा	152
79.	मलौद	1000
80.	मल्ला	96
81.	मनकी	184
82.	मनूके	336
83.	मनूपुर	152
84.	माटेवारा	192
85.	मेहरबान	2000
86.	मोहनपुर	184
87.	मोही	192
88.	मुलनपुर	3512
89.	नारंगवाल	96
90.	नौलारी	152
91.	नूरपुर बेट	88
92.	पाखीवाल	1000
93.	पायल	1000
94.	पोवट	152
95.	रायकोट	2128
96.	राजेवाल	96
97.	रामगढ़ बुलर	152
98.	राड़ासाहेब	1528
99.	रौनी	96
100.	राजूर	176
101.	रूर्मी	184
102.	सहनेवाल	3000
103.	समराला	1400
104.	संघील	240
105.	सराभा	96
106.	सरीन	176
107.	सेहरूवा	160
108.	सिधवान बैट	272
109.	सिधवान कंला	96
110.	सिहार	1000
111.	सवाड़ी	184
112.	तापुर	96
113.	थिरिके	160
114.	तिहारा	88
	पटियाला	
1.	अजनौदाकंला	56
2.	आरनी	88
3.	अजरावर	184
4.	अमलोहा	1400
5.	बदालीआलासिंह	184
6.	बासापुर	56
7.	बक्सीवाला	152
8.	बलबेरा	184
9.	बानोर	1000
10.	बंसतपुरा	376
11.	बीएसएसपी	1528

1	2	3
12.	बाबरपुर	152
13.	बथोसिया	184
14.	भादसोन	1000
15.	भामारसी	184
16.	बंकर	184
17.	बुनरहेरी	184
18.	चेहल	88
19.	चिनारथाल	88
20.	चोरवाला	184
21.	चिंतावाला	56
22.	डबलान	352
23.	टकाला	184
24.	डेनथाल	152
25.	देवीगढ़	336
26.	थानेथा	88
27.	दितूपुर	384
28.	धीनकलां	184
29.	फतेगढ़ साहब	296
30.	फतेपुर राजपुतान	184
31.	गजूखेडा	184
32.	गजेवास	152
33.	गलवाती	152
34.	घागा	88
35.	गनौर	184
36.	गंदाखेड़ी	88
37.	हुसैनपुरा	184
38.	हरपालपुर	88
39.	जखवाली	152
40.	जोगीपुर	184
41.	कैदीपुर	184
42.	कौलगढ़	56
43.	कौली	184
44.	खानेवाल	56
45.	मंडीगोबिन्दगढ़	1000
46.	नाभा	4744
47.	नरमाना	88
48.	नाबीपुर	88
49.	नोगावान	88
50.	नैनाखुर्द	184
51.	नंदपुर कलौर	88
52.	नंदपुर केसो	152
53.	पटियाला	4000
54.	पटियाला	0
55.	पतरीपरी	0
56.	पासीयाना	184
57.	पतरान	1000
58.	पकीखनोरी	336
59.	पिपल मंगोली	88
60.	राजपुरा	7250
61.	रखरा	184
62.	रामपरोर नोबाद	184
63.	सालना	88
64.	सतराना	88
65.	सामना	2800
66.	सनौर	152
67.	सम्भू	184
68.	सेहरा सेहरी	56
69.	सरहिन्द	2800
70.	थसका	88
71.	थुआ	384
72.	अरबन एस्टेट	3000
73.	बिबीपुर	184
74.	बुदेनपुर	184
75.	छपर	88

1	2	3
76.	हरिनाखेरकी	152
77.	हुलबुरचा	152
78.	नालास	184
79.	राजगढ़	56
80.	मालेवाल	184
81.	पावरी	152
82.	पारम	184
	पठानकोट	
1.	बेमियल	56
2.	काला अफगाना	56
3.	सरूपवाली	184
4.	दयालगढ़	88
5.	बटाला	12500
6.	फतेगढ़चुड़ियां	480
7.	भागोवाल	184
8.	बडालाबंगर	56
9.	पंजगरांया	88
10.	बडाला ग्रंथियां	56
11.	पारोवाल	88
12.	शिंकार	88
13.	जैतोसरजा	56
14.	कोटलीसूरतमलही	88
15.	आलिवाल	152
16.	डेराबाबा नानक	1000
17.	दीनानगर	1400
18.	कैरामपुर	184
19.	गरोटा	184
20.	तारागढ़	368
21.	बेचानपुर	88
22.	लाहरीगुजरान	88
23.	गुरदासनांगल	184
24.	गुरदासपुर	2800
25.	दोरांगला	184
26.	धारीवाल	1400
27.	जौराचितरान	88
28.	गाजिकोट	56
29.	कलानौर	184
30.	नवानसाला	184
31.	सहारी	88
32.	एलोवाल	88
33.	साहोवाल	184
34.	सेखवान	56
35.	पुरानाशाला	56
36.	टिबर	184
37.	भौरोंरामाजासिंह	384
38.	करोली	56
39.	हरयाल	152
40.	माधीपुर	184
41.	धारकलां	88
42.	दुसेरा	152
43.	जुगीयल	1400
44.	घी	88
45.	कंदरोरी	132
46.	नरोतमेहरा	160
47.	मिरथल	152
48.	पठानकोट	1600
49.	कोटले	160
50.	नरोट जे सिंह	88
51.	सुजानपुर	1000
52.	सुंदरचक	152
53.	डोगरा	88
54.	कोदियां	1400
55.	जोगीचिमा	184
56.	कदीला	56

1	2	3
57.	गुमन	480
58.	श्रीहर गोबिन्दपुर	336
59.	कानूवान	384
60.	हरछोवाल	184
61.	मैनी मियां खान	56
62.	घुम्बली	184
63.	बरसोला	88
64.	उडानवाल	184
65.	मालेवाल	152
66.	मरारा	184
67.	निकोसराय	88
68.	शेरपुर	184
69.	चौन	184
70.	धोरेवाह	88
71.	कालीसपुर	152
72.	गुमनकलां	184
	रोपड़	
1.	अबियाना	152
2.	आनंदपुर साहिब	1000
3.	असरोन	88
4.	बाना	88
5.	बैरामपुर बेट	152
6.	बेला	184
7.	भानूपालो	152
8.	भारतगढ़	232
9.	चमकौरसाहिब	1000
10.	चाउंटा झलियां	208
11.	चुनीकलां	208
12.	गंगुवाल	80
13.	घनौली	296
14.	घरौन	56
15.	झलियां कलां	208
16.	कायनौर	208
17.	कलवान	80
18.	किरतपुर साहिब	184
19.	कुराली	920
20.	लुधेरी	304
21.	मियांपुर	56
22.	मोरिंडा	1400
23.	नांगल	1528
24.	नयानांगल	1400
25.	नानगरान	108
26.	नूरपुर बेदी	1000
27.	पुरखाली	152
28.	रोपड़	2888
29.	आरटीपी	1000
30.	सैयालबा माजरी	240
31.	सुकसाल	208
32.	टखतगढ़ बेन्स	384
	संगरूर	
1.	अहमदगढ़	3104
2.	अमरगढ़	1400
3.	अकबरपुर	56
4.	बदबार	240
5.	बदरूखान	264
6.	बलियां	168
7.	बनबौरा	192
8.	बरनाला	8344
9.	भदनौड	304
10.	भादौर	825
11.	भासौर	240
12.	भवानीगढ़	1528
13.	भोटना	240
14.	भूदन	184

1	2	3
15.	भुलेहेरी	240
16.	भूतलकलां	56
17.	बलियानखूट्	208
18.	सी॰ नानहेरा	248
19.	चानहोन	152
20.	चनालवाल	304
21.	चौंदा	208
22.	चेनाम	360
23.	सी॰ जोधपुर	368
24.	छाजली	192
25.	छापा	240
26.	धौला	240
27.	धंडूला	952
28.	दुग्गण	176
29.	धुंरी	4000
30.	धोरीकोट	56
31.	दीरबा	1400
32.	डीएल वाला	240
33.	फतेहगढ़	148
34.	एफ॰ पी॰ गिरियन	152
35.	गेहल	56
36.	घंदूरी	336
37.	घरचोंद	240
38.	हंडिया	536
39.	हरकिशनपुरा	176
40.	हथन	184
41.	जब्बो माजरा	208
42.	जखेंरपल	184
43.	जलालदिवाल	248
44.	जालौर	56
45.	कमलपुर	56
46.	कंगनवाल	312
47.	कंजला	208
48.	कट्टू	56
49.	खेंरी	240
50.	कोटदुना	248
51.	कूप कलां	840
52.	कलेके	240
53.	कोहरियान	152
54.	लेहरागागा	1528
55.	लोंगावाल	1000
56.	मलेरकोटला	6664
57.	मांडियान	184
58.	माजी	56
59.	मेनसा	240
60.	मेहलकलां	336
61.	मोहाली खुर्द	184
62.	मोनक	360
63.	मुल्लोवाल	208
64.	मोर नाभा	240
65.	नधमपुर	176
66.	नारीखे	184
67.	नाथु माजरा	200
68.	नैवाला	152
69.	पंखीकलां	184
70.	कालासौर	240
71.	पंदूदरी	240
72.	रायसोर	56
73.	राजोमाजरा	336
74.	रोहिरा	200
75.	रूढ़की	648
76.	सतरोडी	152
77.	संधौर	336
78.	संगाला	152

1	2	3
79.	संगरूर	8003
80.	सेहाना	288
81.	सेखा	240
82.	एस० जी० चीमा	360
83.	सेरोन	184
84.	शेरपुर	376
85.	सुलाद्यराटा	320
86.	सुनाम	3048
87.	सहोके	88
88.	तापा	1400
89.	टिब्बा	112
90.	थिकारीवाल	304
91.	थुलीवाल	240
92.	उभेवाल	176
93.	उप्पाली	176
94.	चोटीयान	56
95.	हेरीके	112
96.	कनकवाल	152
97.	कालिया	88
98.	लबानजारा	56
99.	लोहाट बड्डी	152
100.	मेहलान	152
101.	मांडवी	184
102.	राताखेंरा	56
103.	धनर	152
104.	नारायणगढ़	56
105.	रामगढ़	88
106.	जंगीयाना	56
107.	संधुकलां	152
108.	खीखरं	152
109.	रायधराना	56

[अनुवाद]

टाटा द्वारा स्थापित चुनाव कोष

2923. श्री मोहन रावले : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनीतिक दलों को पैसा देने के लिए टाटा द्वारा स्थापित चुनाव कोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना को औपचारिक मंजूरी देने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई) : (क) सरकार को इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अरुणाचल प्रदेश में पनविद्युत उत्पादन

2924. श्री राजकुमार धंग्वा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अरुणाचल प्रदेश में पनबिजली का उत्पादन करने के लिए (50,000 मेगावाट) और उससे अधिक की असीमित क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समस्त पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए इस क्षमता को उपयोग में लाने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1978-87 के बीच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा चलाई गई बृहत एवं मध्यम योजनाओं की जल-विद्युत शक्यता के पुन: मूल्यांकन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत शक्यता का मूल्यांकन कुल 102 निर्धारित योजनाओं के लिए 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 26756 मे०वा० किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की मूल्यांकित शक्यता के सब-बेसिन वार ब्यौरे निम्नलिखित है:-

क्रमांक	सब-बेसिन	योजनाओं की संख्या	60% भार अनुपात (मे०वा०) पर शक्यता
1.	दिहांग दिबांग	28	13615.33
2.	लूहित	11	4152.00
3.	सुबंसरी	25	6892.49
4.	ऊपरी ब्रह्मपुत्र	4	113.50
5.	कामेंग	34	1982.33
	कुल	102	26755.65

(ग) और (ङ) अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत शक्यता के दोहन से संपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को लाभ होगा। इस समय 60% भार अनुपात पर 124.83 मे०वा० की शक्यता वाली परियोजनाओं, जो कि अरुणाचल प्रदेश की मूल्यांकित शक्यता का 0.46% है, का या तो दोहन किया जा चुका है अथवा वे निर्माणाधीन है। 405 मे०वा० की अधिष्ठापित क्षमता वाली रंगानदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। इस योजना को सितम्बर, 2002 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

कामेंग (600 मे०वा०) और रंगानदी चरण-II (180 मे०वा०) नामक दो परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं। अन्य प्रमुख परियोजनाओं को आरंभ करने के परिणामस्वरूप जलमग्नता के कारणवश विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाले जटिल पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं। इन परियोजनाओं में दिहांग परियोजना (20,000 मे०वा०) सुबंसरी (4800 मे०वा०) और देमवे परियोजना (520 मे०वा०) शामिल है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन राज्य सरकार और केन्द्रीय जल आयोग जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा 15 योजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य भी आरंभ किया गया है।

बंदरगाहों पर कामगारों के लिए सुरक्षोपाय

2925. श्री तथागत सत्पथी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंदरगाहों पर कामगारों के लिए किए गए अपर्याप्त सुरक्षोपायों की जानकारी है;

(ख) क्या बंदरगाह कामगारों, विशेषकर जो जोखिमपूर्ण कार्गो की हैंडलिंग में लगे हुए हैं कि लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाने की जरूरत है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) पारादीप बंदरगाह पर कौन से विशेष सुरक्षोपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार महापत्तनों में कामगारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। खतरनाक कार्गो हैंडल करते समय उचित ध्यान रखा जाता है और सुरक्षा के पूर्वोपाय किए जाते हैं तथा जब भी कोई खामी नजर आती है, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) पारादीप पत्तन में अपनाए गए विशिष्ट सुरक्षा उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(i) सड़कों का आवधिक रख-रखाव, कार्य स्थल पर प्रकाश की उचित व्यवस्था, जल छिड़क कर धूल को दबाना, डलकन (स्पिलेज) कि नियमित सफाई, परिवहन उपस्करों की प्रचालन योग्यता के जांच, अग्निशमन उपस्करों की तैनाती, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्करों की आपूर्ति आदि।

(ii) पत्तन और गोदी कामगारों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(iii) सुरक्षा बोध उत्पन्न करना और सुरक्षा संबंधी प्रेरणाप्रद कार्यक्रम शुरू करना।

(iv) सभी घातक और बड़ी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(v) सुरक्षा संबंधी अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाते हैं।

इस समय, वर्तमान सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी स्थिति के स्तर में और सुधार के लिए उनके मूल्यांकन हेतु महानिदेशालय, फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान, मुम्बई के विशेषज्ञों द्वारा पारादीप पत्तन में एक सुरक्षा संपरीक्षा भी की जा रही है।

चेन्नई-त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए चार लेनों वाली परियोजना

2926. श्री टी० आर० बालू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास चेन्नई-त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाली बनाने के संबंध में कोई परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना वास्तविक कार्य पूरा किया गया है;

(ग) क्या मदुरान्तगम-विलुपुरम-त्रिची सेक्शन में उक्त परियोजना के अंतर्गत कार्य शुरू करने में अनावश्यक देरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की त्रिची से चार लेनों वाली परियोजना कार्य साथ-साथ शुरू करने की कोई योजना है ताकि परियोजना को शीघ्रता से पूरा किया जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के चेन्नई बाइपास से टिंडीवनम खंड, 68 से 122 कि॰मी॰ में चार लेन बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर किया जाना है रा॰रा॰ 45 के टिंडीवनम से त्रिची बाइपास छोर तक अर्थात् 122 से 325 कि॰मी॰ खंड से चार लेन बनाने के लिए परियोजना तैयारी संबंधी कार्य विश्व बैंक की सहायता से किया जाएगा। इस खंड में व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी होने के बाद वास्तविक कार्य, पैकेजों की सुविधाजनक संख्या में चरणबद्ध रूप में शुरू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

मोहन सराय और मुगल सराय के बीच जी॰ टी॰ रोड के निर्माण कार्य प्रगति

2927. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहन सराय और मुगल सराय के बीच तथा वाराणसी (उ॰प्र॰) में गंगा नदी के ऊपर जी॰ टी॰ रोड के निर्माण में अब तक कुल कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह परियोजना किस तारीख को शुरू की गई थी तथा इसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित लक्षित तिथि क्या थी;

(ग) इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत कुल कितनी थी और उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इसके निर्माण कार्य पर कुल कितना धन खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए अंतिम रूप से निर्धारित की गई लक्षित तिथि क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) वाराणसी-रामनगर-मुगलसराय बाइपास की कुल 30.14 कि॰मी॰ लम्बाई में से मोहन सराय और मुगलसराय के बीच गंगा नदी पर बड़े पुल (1470 मीटर लम्बा) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 28.67 कि॰मी॰ लम्बाई में लगभग 80% प्रगति हुई है।

(ख) कार्य प्रारंभ होने की तारीख - 1.11.87

कार्य पूरा करने के लिए नियत तारीख - 30.12.94

(ग) मूल अनुमानित लागत 49.92 करोड़ रुपये थी, जो संशोधित की जा रही है। मार्च, 1998 तक 123.39 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(घ) लगभग 136.39 करोड़ रुपये।

(ङ) फरवरी, 1999

पांडुलिपियों को प्रकाशित नहीं किया जाना

2928. **श्री कड़िया मुंडा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पांडुलिपियां नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशन हेतु लंबित हैं तथा ये कितनी अवधि से लंबित हैं तथा इसके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन पांडुलिपियों में से कितनी खोलकूद तथा साहसिक अभियानों से संबंधित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में नवंबर, 1996 को प्राप्त हुई 10 पांडुलिपियां जो हिन्दी में प्रकाशित होनी थी, प्रकाशन के लिए लंबित पड़ी हैं। ये तैयारी के विभिन्न स्तरों पर हैं जैसे कि लेखक के साथ समझौते को अन्तिम रूप देना, दृष्टांतों की तैयारी, कापीराईट से मंजूरी लेना, तथा प्रथा या द्वितीय प्रूफ की स्थिति/ इन लंबित पांडुलिपियों में से एक पांडुलिपि खोलकूद तथा रोमांचक अभियानों से संबंधित है।

पांडुलिपियों का विस्तृत ब्यौरा, प्राप्ति की तारीख तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र॰सं॰	शीर्षक	लेखक	अधिकृत या अप्रार्थित	पांडुलिपि प्राप्ति की तारीख	प्रकाशन हेतु अनुमोदन की तारीख	किस तिथि को प्रैस को भेजा	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जैनेन्द्र कुमार की चुनी हुई कहानियां	प्रदीप कुमार (संकलनकर्ता)	अधिकृत	22.11.96	18.5.97	28.5.97	द्वितीय प्रूफ की स्थिति

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	खेल-खेल में	बी.बी. अग्रवाल और बिन्दू अग्रवाल	अप्रार्थित	मई, 1997	सितम्बर 1997	-	दृष्टांत अभी तैयार किए जाने हैं।
3.	बाल गीता	शशि पाल शर्मा 'बालमित्र'	अप्रार्थित	अगस्त, 1997	नवम्बर, 1997	-	पांडुलिपि संपादन में हैं। दृष्टांत तैयार किए जाने हैं।
4.	मनोरोग: गलत धारणायें और सही पहलू	डा. मनजीत सिंह भाटिया	अप्रार्थित	फरवरी, 1998	मई, 1998	-	लेखक के साथ अभी संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
5.	आनंद पंछी मिहारा का	विश्व मोहन तिवारी	अप्रार्थित	2.4.96	23.12.97	28.1.98	द्वितीय प्रूफ की स्थिति।
6.	रामावतार शर्मा प्रतिनिधि संकलन	नंद किशोर नवल (संकलनकर्ता)	अधिकृत	18.2.98	9.3.98	31.3.98	द्वितीय प्रूफ की स्थिति।
7.	तोफो आजाद है	कमलेश मोहिन्द्र	कार्यशाला उत्पाद	मार्च, 1997	मई, 1998	-	संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
8.	कौन बड़ा कौन छोटा	रेखा जैन	अप्रार्थित	नवेम्बर, 1996	मई, 1998	-	पांडुलिपि का संपादन किया जाना है। दृष्टांत तैयार किये जाने हैं। संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
9.	मेरी बहन नेहा खेल क्षेत्र	मधु बी. जोशी	कार्यशाला उत्पाद	मार्च, 1997	मई, 1998	-	-वही-
10.	आजाद भारत में क्रिकेट	सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी	अप्रार्थित	नवंबर, 1997	जून, 1998	-	पांडुलिपि कुछ सुझाए गए संशोधन के लिए लेखक को भेजी गई है।

दूरदर्शन धारावाहिक 'शक्तिमान'

2929. श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक 'शक्तिमान' मनोरंजन से पूर्ण कार्यक्रम है और बच्चों को प्रभावशाली ढंग से समझाता है कि पान चबाने, तम्बाकू और गुटके के सेवन जैसी बुरी आदतों से कैसे स्वयं को दूर रखें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धारावाहिक का प्रसारण देश में दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस धारावाहिक के प्रसारण के लिए कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। शक्तिमान धारावाहिक विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाया गया एक मनोरंजक धारावाहिक है। इसके एक प्रकरण में, धारावाहिक बच्चों को तम्बाकू, पान और गुटका चबाना छोड़ने की शिक्षा देता है।

(ग) और (घ) धारावाहिक को बाल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और दूरदर्शन इस मामले में 50% प्रसारण शुल्क ही ले रहा है। इसके अलावा, दूरदर्शन ने और नि:शुल्क वाणिज्यिक समय आबंटित कर के इस धारावाहिक को और छूट दी है।

[अनुवाद]

नीलमंगला और तुमकुर सड़क हेतु अनुदान

2930. श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में नीलमंगला और तुमकुर के बीच दोहरी सड़कें बनाने के लिए कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 10.70 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाघ परियोजना

2931. श्री एच॰ जी॰ रामुलू : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या विश्व वन्यजीव कोष द्वारा 'टाइगर सैल' गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो बाघों के संरक्षण के लिए उपर्युक्त कोष से कर्नाटक को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) कर्नाटक में अद्यतन गणना के अनुसार कुल कितने बाघ हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। कर्नाटक में बांदीपुर बाघ रिजर्व में बाघ परियोजना 1973 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बांदीपुर बाघ रिजर्व पर अब तक 458.18 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) द्वारा बाघ संरक्षण कार्यक्रम (टीसीपी) की एक इकाई स्थापित की गई है।

(घ) विश्व वन्यजीव कोष बाघ संरक्षण कार्यक्रम ने कर्नाटक में बिलीगिरी रंगायन टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंच्यूरी में बाघों की संख्या सहित इसके वन्यजीव के संरक्षण के लिए 13.87 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव किया है।

(ङ) अखिल भारतीय बाघ अनुमान 1993 के अनुसार कर्नाटक में बाघों की संख्या 305 है।

[हिन्दी]

पूर्ण साक्षरता लक्ष्य की प्राप्ति

2932. श्री विठठ्ल तुपे :

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण साक्षरता के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इनके अंतर्गत राज्यवार कितना आबंटन किया गया है;

(ख) साक्षरता योजनाओं पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ग) देश में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का

उद्देश्य निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है:

1. साक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजनाएं
2. स्वैच्छिक एजेंसियां
3. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
4. श्रमिक विद्यापीठ
5. प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना
6. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना
7. उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा
8. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

(ख) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार आबंटन का विवरण संलग्न है।

(रुपये करोड़ों में)

1995-96	1996-97	1997-98
143.936	103.12	79.74

(ग) सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम में किसी प्रकार की विशेष समय-सूची निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों को प्रदान की गई निधियां।

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	839.64	1846.70	1370.68	884.21	1081.06	6022.29
अरुणाचल प्रदेश	8.59	28.73	71.56	25.63	20.72	155.23
असम	111.50	125.21	1159.04	361.09	194.29	1951.13
बिहार	299.67	1109.93	1628.87	1977.84	1062.52	6078.83
गोवा	5.29	15.37	11.59	5.95	3.32	41.52
गुजरात	659.44	1079.70	884.50	262.98	458.78	3345.40
हरियाणा	126.79	181.05	243.01	175.31	57.12	1083.28
हिमाचल प्रदेश	214.69	80.07	109.15	26.43	49.18	479.52
जम्मू और कश्मीर	-	84.47	190.40	132.70	50.47	458.04
कर्नाटक	698.32	1683.64	1041.84	319.58	350.16	4093.54
केरल	21.46	122.71	57.32	7.00	537.97	746.46
मध्य प्रदेश	289.45	1455.12	2821.52	977.67	548.58	6092.34
महाराष्ट्र	838.71	1453.16	1024.55	1153.63	432.83	4902.88
मणिपुर	7.55	28.18	72.67	17.62	20.63	146.65
मेघालय	14.16	19.47	29.08	127.74	112.45	302.90
मिजोरम	1.66	2.66	16.42	2.29	0.57	23.60
नागालैंड	16.37	26.31	39.73	47.81	56.90	187.12
उड़ीसा	589.90	614.12	606.36	801.36	310.13	2921.48

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	5.29	25.00	277.61	370.34	135.00	813.24
राजस्थान	301.90	784.58	1745.00	1681.76	1304.62	6017.86
सिक्किम	-	5.25	11.22	-	11.22	27.69
तमिलनाडु	1232.01	1200.00	1594.58	1212.48	261.21	5500.28
त्रिपुरा	-	224.18	6.77	0.10	4.73	235.78
उत्तर प्रदेश	897.09	2555.48	2805.58	1888.01	943.27	9089.43
पश्चिम बंगाल	1094.58	719.86	1583.69	308.40	728.11	4434.64
चंडीगढ़	28.11	28.66	25.62	20.12	41.37	143.88
दिल्ली	50.42	117.17	120.77	322.58	158.57	769.51
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-
दमन व दीव	-	1.96	0.56	0.50	-	3.02
अं० व नि० द्वीपसमूह	5.82	9.81	12.15	8.12	12.56	48.46
दादरा व नगर हवेली	0.58	0.84	0.83	-	-	2.25
लक्षद्वीप	2.57	1.57	7.41	1.62	4.32	17.49
योग	8861.17	15630.96	19570.08	13120.87	8952.66	66135.74

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में टी० वी० स्टूडियो का निर्माण

2933. श्री पी० उपेन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में टी० वी० स्टूडियो का कार्य निर्माणाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने और टी० वी० स्टूडियो के कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। विजयवाड़ा में टी० वी० स्टूडियो की स्थापना संबंधी कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। तथापि, इस परियोजना को चालू करना इसके संचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती पर निर्भर करेगा जिसे प्रसार भारती द्वारा सितम्बर के अंत तक तैनात करने का आश्वासन दिया गया है।

[हिन्दी]

बरेली बाइपास

2934. श्री राजवीर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बरेली बाइपास (उत्तर प्रदेश) को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) इस बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। तथापि, निधियों के अभाव के कारण यह कार्य शुरू कर पाना संभव नहीं हुआ है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां

2935. श्री दत्ता मेघे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : विगत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ये उपलब्धियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी महासागर विज्ञान, औद्योगिक अनुसंधान तथा अन्य क्षेत्रों जैसे जैव चिकित्सकीय अनुसंधान, कृषि कम्प्यूटर

विज्ञान आदि से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कतिपय प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

– खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2 सी (इनसेट-2सी) तथा इनसेट 2 डी उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारतीय दूरदर्शन तथा भारतीय संचार माध्यमों तथा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह । सी (आई आर एस 1–सी) तथा आई आर एस । डी की भी पहुंच राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर मध्यपूर्व से दक्षिणपूर्व एशिया तक बढ़ गई है। एक अन्य प्रमुख उपलब्धि पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का प्रचालीकरण है जिसके द्वारा आई आर एस-1 डी का प्रक्षेपण किया गया।

समानांतर संगणन प्रणाली (पेस प्लस) तथा जी ए ए वैफर्स एवं 0.7 माइक्रोमीटर आप्टीकल लिथोग्राफी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 1-12 जी एच जेड एम एम आई सी के प्रसंस्करण के लिए पायलट संयंत्र सुविधा।

नाभिकीय प्रणालियों एवं वितरण व्यवस्थाओं के परीक्षण के अतिरिक्त दाबीकृत गुरु जल प्रौद्योगिकी की स्थापना सहित नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण अनुप्रयोग, फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन तथा थोरियम का उपयोग, यूरेनियम-233 का प्रयोग करते हुए स्वदेश में अभिकल्पित मिनिरिएक्टर (कामिनी) तथा जायंट मीटर - वेव रेडियो टेलिस्कोप (जी एम आर टी) की स्थापना।

प्लांट टिशुकल्चर उद्योगों, एक्वाकल्चर, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा इम्यूनोडाइग्नोस्टिक्स उद्योग की स्थापना हुई है तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक नया केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

अनुसंधान के नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए अन्टार्कटिका के लिए वार्षिक वैज्ञानिक अभियान जारी है तथा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है।

औद्योगिक उत्प्रेरकों, रसायनों, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण एवं उत्पादों, निर्माण सामग्रियों, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा जैव-चिकित्सकीय प्रणालियों, देश का सर्वप्रथम समग्र रूप से एकीकृत प्रशिक्षक वायुयान (हंस) के क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकियों का विकास और वाणिज्यीकरण। शर्करा उत्पादन, एडवान्सड कांपोजिट्स, उडनराख अनुप्रयोग तथा चमड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है।

सभी कोटि के शोध कार्मिकों के लिए अध्येतावृति की राशि को दुगुना कर दिया गया है; प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग में संवृद्धि के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना; 30 से 40 वर्ष आयुवर्ग के मेधावी युवा वैज्ञानिकों के लिए आधारभूत अनुसंधान में स्वर्ण जयंती अध्येतावृतियों का संस्थापना विश्व- विद्यालयों और संबंधित संस्थानों में एक नई योजना 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंत: सरंचना के विकास हेतु निधि (एफ आई एस टी), पैटेंटिंग के पहलुओं पर सभी वैज्ञानिकों को सहयोग उपलब्ध कराने के लिए एक पेटेन्ट सरलीकरण तंत्र प्रौद्योगिकी विज्ञान 2020 संदर्श का प्रकाशन तथा देश में परिष्कृत मौसम वैज्ञानिक एवं भूकंप वैज्ञानिक सुविधाओं की स्थापना।

अमरावती आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता

2936. श्री आर० एस० गवई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) अमरावती आकाशवाणी केन्द्र के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) इस केन्द्र को केवल प्रसारण केन्द्र बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस केन्द्र में आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ विविध भारती और अन्य कार्यक्रमों को प्रसारित करने के उपकरण भी उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस केन्द्र को पूर्ण आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोई आकाशवाणी केन्द्र नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग के लिए वित्तीय संस्था

2937. श्री गुरूदास कामत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए वित्तीय संस्था गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खरीद नीति

2938. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980-81 में सरकारी विभागों को इस बात के आदेश जारी किए थे कि वे लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को केवल केन्द्रीय भंडार सुपर बाजार/एन॰ सी॰ सी॰ एफ॰ से ही खरीदें;

(ख) यदि हां, तो क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड केवल केन्द्रीय भंडार आदि से खरीद करें क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। जहां तक संभव हो लेखन सामग्री की खरीद केन्द्रीय भंडार/अपना बाजार/एन सी सी एफ से की जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

आंध्र प्रदेश की कोयला आधारित विद्युत परियोजना

2939. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवीके ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कृष्णपत्तनम स्थित 500 मेगावाट वाली कोयला आधारित विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए 670.60 करोड़ रुपये की विदेशी इक्विटी का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की पूंजीगत लागत क्या है;

(ग) क्या जीवीके प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 500 मेगावाट वाली कोयला आधारित विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कोई आशय पत्र भेजा है;

(घ) इस परियोजना से विद्युत संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में किस सीमा तक सहायता प्राप्त होगी; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक उत्पादन शुरू कर देने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) मै॰ जीवीके (कृष्णापट्टनम) लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी 500 मे॰वा॰ की कृष्णापट्टनम परियोजना में 670.62 करोड़ रुपये की विदेशी इक्विटी लाने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) के॰ वि॰ प्रा॰ द्वारा परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात् ही अनुमानित परियोजना लागत का पता चल सकता है।

(ग) जुलाई, 1994 में आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने कृष्णापट्टनम परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज को आशय-पत्र जारी किया है।

(घ) और (ङ) परियोजना को चालू करना कंपनी द्वारा सभी आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समापन करने पर निर्भर करता है। जब और जैसे भी यह परियोजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी, इसके राज्य की अधिष्ठापित क्षमता में 500 मे॰वा॰ तक की वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कम शक्ति के ट्रांसमीटर

2940. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फिलहाल दूरदर्शन के कम शक्ति के जो प्रसारण केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता और कवरेज एरिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दूरदर्शन के इन प्रसारण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) उत्तर प्रदेश में सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के सामान्य रूप से कार्य करने की सूचना मिली है। तथापि, इन ट्रांसमीटरों में समय-समय पर तकनीकी खराबी/विद्युत आपूर्ति व्यवधान होते रहते हैं तथा उनको तत्परता से ठीक किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली उच्च न्यायालय के मामलों में निर्णय सुरक्षित रखना

2941. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुनवाई होने के बाद निर्णयों को सुरक्षित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें निर्णय सुनवाई पूरी होने के छः महीनें, एक वर्ष, दो वर्ष और इससे भी अधिक अवधि बीतने के बाद भी नहीं दिया गया है; और

(ग) इन मामलों में शीघ्र निर्णय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मुक्त विद्यालयों का चलाया जाना

2942. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अनेक केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों के केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन द्वारा इन केन्द्रीय विद्यालयों को विद्यालय-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) संबंधित विद्यालयों द्वारा इन धनराशियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ङ) क्या इस बारे में विद्यालयों में अनियमिततायें होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा अपने अध्ययन केन्द्रों के रूप में जुड़े दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों के नामों और विगत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को प्रदान की गई राशि के संबंध में प्रस्तुत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अध्ययन केन्द्रों द्वारा उन्हें प्रदान की गई राशि का उपयोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा विहित मानदंडों और दरों के अनुसार किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा अपने अध्ययन केन्द्रों के रूप में जुड़े दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों और विगत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को प्रदान की गई राशि के संबंध में सूची।

क्र॰सं॰	केन्द्रीय विद्यालय के नाम	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा प्रदान की गई राशि (रुपये में)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	ए॰ आई॰ संख्या-2768 केन्द्रीय विद्यालय, टी॰ पी॰ ब्लाक, पीतमपुरा	39,270	59,500	96,400
2.	ए॰ आई॰ संख्या-2769 केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-4, आर॰के॰पुरम	29,580	32,810	45,000
3.	ए॰आई॰ संख्या-2771 केन्द्रीय विद्यालय, ए एन ब्लाक, शालीमारबाग	30,600	59,160	31,000
4.	ए॰आई॰ संख्या-2772 केन्द्रीय विद्यालय-3, रिंग रोड (नारायणा), दिल्ली कैंट	46,410	84,320	84,600
5.	ए॰ आई॰ संख्या-2773 केन्द्रीय विद्यालय, ए॰ एफ॰ एस॰, तुगलकाबाद	85,000	77,350	1,00,000
6.	ए॰ आई॰ संख्या-2774 केन्द्रीय विद्यालय, ए॰जी॰सी॰आर॰ कालोनी, कड़कड़डूमा	57,970	54,060	68,400
7.	ए॰ आई॰ संख्या-2775 केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2, गुड़गांव रोड, दिल्ली कैंट	26,180	77,010	1,00,000
8.	ए॰ आई॰ संख्या-7707 केन्द्रीय विद्यालय-1, सदर बाजार रोड, दिल्ली कैंट	39,780	49,810	49,000

1	2	3	4	5
9.	ए०आई० संख्या-7708 केन्द्रीय विद्यालय, सी-2 एरिया, जनकपुरी	80,240	71,910	94,600
10.	ए०आई० संख्या-7725 केन्द्रीय विद्यालय, न्यू फ्रैंडस सेन्टर, विज्ञान विहार	8,500	40,970	11,200
11.	ए०आई० संख्या-7728 केन्द्रीय विद्यालय, विकास पुरी, ग्राम-हस्तशाल	शून्य	27,540	57,800

(वर्ष - 1996-97 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्यकरण-दाखिला की शुरूआत)

भारतीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद्

2943. श्री गिरिधर गमांग : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद् की स्थापना राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए वन उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए वन अनुसंधान संस्थान/केन्द्र खोलने के संबंध में परिषद् की क्या नीति है;

(घ) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) क्या सरकार उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में संस्थान शुरू करने के संबंध में सभी मुद्दों की जांच करने के लिए एक जांच समिति स्थापित करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की स्थापना भारत में वानिकी तथा संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा संबंधी गतिविधियां चलाने, उनका निर्देशन तथा प्रबंधन करने हेतु की गई थी। वन उत्पादकता में वृद्धि करना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की मुख्य गतिविधियों में से एक है।

(ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् वन उत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी मामले पर 'प्लांटिंग स्टाक इम्प्रूवमेंट' कार्यक्रम के जरिए व्यवस्थित रूप से ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके अंतर्गत, भा० वा० अनु० एवं शिक्षा परिषद् के वैज्ञानिक सीड प्रोडक्शन एरियाज, क्लोनल आर्चड्ज, सीडलिंग सीड प्रोडक्शन एरियाज तथा वैजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन गार्डन्स की स्थापना के लिए राज्य वन विभागों के साथ समन्वय कर रहे हैं। इसके अलावा, भा० वा० अनु० एवं शिक्षा परि० के विभिन्न संस्थानों में 5 माडल रिसर्च नर्सरीज भी विकसित की जा रही हैं।

(ग) विभिन्न पारि-क्षेत्रों की वानिकी सैक्टर की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में 11 संस्थान/केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(घ) वानिकी संबंधी विभिन्न अनुसंधान विषयों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा 1997 में वन अनुसंधान संस्थान के कार्य का मूल्यांकन किया गया था। समीक्षा दल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक वन एवं पारि-प्रणाली डायनामिक, प्रबंधन, वननीति, इतिहास और वानिकी संबंधी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने की सिफारिश भी गई।

(ङ) उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से संबंधित वानिकी क्षेत्र की अनुसंधान आवश्यकताओं को उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा पूरा किया जा रहा है और गुजरात राज्य की आवश्यकताओं को एरिड वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा पूरा किया जा रहा है।

पृथक शैक्षणिक टी० वी० चैनल प्रारंभ करना

2944. श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री अशोक अर्गल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक पृथक शैक्षणिक टी० वी० चैनल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) शैक्षिक उपग्रह टी० वी० चैनल को चालू करने संबंधी उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास में एक कार्य दल का गठन किया गया है। प्रसार भारती ने भी इस प्रयोजनार्थ एक उप-समिति गठित की है। समिति/कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तथापि, इस अवस्था में इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

मंदिरों को तोड़ना और इनका पुर्ननिर्माण करना

2945. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ मंदिरों, जो जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं और जिनकी

मरम्मत नहीं की जा सकती है, को तोड़कर इनके पुर्ननिर्माण का कार्य सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। स्मारकों एवं मंदिरों को गिराकर उनका पुर्ननिर्माण केवल तभी किया जाता है जब मरम्मत के दूसरे साधन संभव नहीं होते।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विगत में संलग्न विवरण में दिए गए उन अनेक संरक्षित स्मारकों को गिराकर उनकी पुनर्स्थापना का कार्य शुरू किया है जिनकी दशा या तो अत्यंत दयनीय थी एवं मरम्मत संभव नहीं थी अथवा जो बांधों आदि के निर्माण से संकट में पड़ गये थे।

विवरण

राज्यवार उन मंदिरों के नाम जहां उन्हें गिराकर उनके पुनर्स्थापन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

राज्य का नाम	मंदिरों के नाम
1. गुजरात	1. गोकंश्वर महादेव महादेव मंदिर, लोराली
	2. नौ लखा मंदिर, सेजकपुर
	3. वेणी महोदव मंदिर, द्वारका
2. कर्नाटक	1. अनंथ सयाना मंदिर का कल्याण मंडप-अनंथ सयाना गुडी
	2. वेनियर गुडी (मंदिर समूह-एहोल)
3. मध्य प्रदेश	1. लक्ष्मण मंदिर की उत्तर पश्चिम स्थित लघुप्रतिमा वेदिका, खजुराहो
4. उड़ीसा	1. महाकाल मंदिर, रत्नागिरि
5. उत्तर प्रदेश	1. बानदेव मंदिर, द्वारहाट

सड़कों की दशा

2946. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सड़क निर्माण के स्तर में गिरावट आई है क्योंकि राज्यों के लोक निर्माण विभागों ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए सड़क अनुसंधानों का उपयोग नहीं किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों सहित भारतीय सड़कें अपेक्षित स्तर की नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में सड़कों की दशा में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) और (घ) सुधार कार्यक्रम, अपर्याप्त बजटगत निधियों के कारण यातायात में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हो पाए हैं। तथापि, सरकार ने निजी क्षेत्र को अपनी स्वयं की निधियों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण करने तथा ऐसे निवेशों को प्रयोक्ताओं से वसूले गए पथकर के जरिए पूरा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

आंध्र प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए धनराशि

2947. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सड़कों के निर्माण हेतु अनेक प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार और विश्व बैंक से धनराशि प्रदान करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई कुल धनराशि कितनी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कों का विकास-कार्य संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। वार्षिक योजना 1998-99 में आंध्र प्रदेश में 79.90 करोड़ रुपये की लागत पर मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का प्रावधान है।

(ग) और (घ) (i) आंध्र प्रदेश में लगभग 1400 कि॰मी॰ राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 485.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का एक विश्व बैंक ऋण राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन है।

(ii) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को वर्ष 1997-98 के लिए क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल निर्माण कार्य) हेतु 2943.83 लाख रुपये और अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 3898.00 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

सुन्दरगढ़, उड़ीसा स्थित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

2948. श्री जुआल उराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सुन्दरगढ़ क्षेत्र में कम शक्ति

वाला नया ट्रांसमीटर स्थापित करने के संबंध में उड़ीसा सरकार का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में किंजिरकेला, सागबहल (बालीसंकरा ब्लॉक) कनिका (हेमगिर ब्लॉक) तथा हेमगिर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कल्याण राज्य मंत्री, उड़ीसा सरकार से वर्ष 1995 में अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) वर्तमान में, उपर्युक्त स्थानों पर अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां

2949. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्तर के दशक में और उसके बाद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मरम्मत काम के दौरान जैन तीर्थंकरों की बीसियों मूर्तियां पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका विवरण तैयार करके इन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय या कहीं और प्रदर्शन के लिए रख दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) 1965 में कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र के आस-पास तीर्थंकरों की खड़ी प्रतिमा के मध्य में तथा दोनों ओर से रक्षा करते हुए विराजमान आदिनाथ प्रतिमा को चित्रित करने वाला सरदल का एक वास्तुशिल्पीय टुकड़ा पाया गया था। इस वास्तुशिल्पीय टुकड़े का दस्तावेजीकरण कर लिया गया है और अभिरक्षा में रख दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंज

2950. श्री एस॰ एस॰ ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गढ़ी हरसरू जिला गुड़गांव, हरियाणा में एक नए इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) राज्य में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंज की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या राज्य के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) इस समय 160 लाइनों की सज्जित क्षमतायुक्त सी-डाट आर ए एक्स की 2 इकाइयां गढ़ी हरसरू में कार्यरत हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान सी-डॉट आरएएक्स की इन 2 इकाइयों के स्थान पर 1000 लाइनों के नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की योजना है, ताकि अधिक कनैक्शन दिए जा सकें।

(घ) विवरण में दिए गए अनुसार।

(ङ) जी, हां।

(च) 792 एक्सचेंजों में से 443 एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शेष 349 एक्सचेंजों में मार्च, 2000 तक यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान करने की योजना है।

(छ) पिछले 3 वर्षों के दौरान हरियाणा सर्किल द्वारा अर्जित कुल राजस्व इस प्रकार हैं :

वर्ष	राजस्व हजार रुपए में
1995-96	2134395
1996-97	2676094
1997-98	3237416

विवरण

इस समय हरियाणा में काम कर रहे जिला-वार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

जिले का नाम	आज की तारीख तक काम कर रहे एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अम्बाला	67
यमुना नगर	45

1	2
पंचकुला	21
फरीदाबाद	35
गुड़गांव	40
करनाल	42
पानीपत	21
कुरूक्षेत्र	45
कैथल	36
हिसार	48
सिरसा	63
फतेहबाद	40
रोहतक	35
झज्झर	20
भिवानी	62
जिंद	77
सोनीपत	43
रिवाड़ी	28
नारनौल	24
कुल	792

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

2951. श्री चिन्ता मोहन :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1998 तक देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ख) क्या इस क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता का अनुमानत: कितने प्रतिशत: उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग विश्व में औसत विद्युत उत्पादन क्षमता से कितना कम है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में कुल अधिष्ठापित क्षमता 89090 मे॰वा॰ थी।

(ख) से (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 64.7% था। विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन विभिन्न घटकों जैसे कि भार मांग, जल ताप मिश्रण, अधिक्य वाले राज्य/क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता, जल विद्युत केन्द्रों के लिए जल की उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर करता है। अत: अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं उपयुक्त नहीं हैं। तथापि, नवीकरण और आधुनिकीकरण, जल विद्युत भागीदारी में सुधार, मांग प्रबंधन उपायों इत्यादि जैसे श्रंखलाबद्ध उपायों के द्वारा संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पावर ग्रिड कारपोरेशन

2952. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में पावर ग्रिड कारपोरेशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अमरीका, जापान और आस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से पावर ग्रिड कार्पोरेशन के कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कार्पोरेशन के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, जो राज्य बिजली बोर्डों को वृहत् विद्युत की आपूर्ति करते हैं, से सम्बद्ध पारेषण लाइनों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। यह पूरे देश में प्रचालन करता है।

(ख) से (घ) इन स्वीकृतियों का निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पावरग्रिड कार्यक्रम के अनुसार अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनैक्शनों का अंतरण

2953. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान टेलीफोन कनैक्शनों के अंतरण हेतु भोपाल शहर में कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

(ख) इनमें से कितने आवेदनों पर विचार किया गया तथा कितने आवेदन लंबित हैं।

(ग) क्या टेलीफोन के अंतरण में काफी समय लगता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैं;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 1997-98 के दौरान भोपाल शहर में टेलीफोन कनैक्शनों के अंतरण के लिए 616 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) अंतरण संबंधी कार्यवाही 611 आवेदन पत्रों पर कर ली गई है तथा केवल 5 आवेदन पत्र उपभोक्ता संबंधी कारणों से लंबित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

2954. श्री के. एस. राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल फोरम फार एकेडेमिक वैल्यूज' ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰ बी॰ एस॰ ई॰) से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के यथार्थ मामले में अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो फोरम द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंग्रेजी प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन के संबंध में छात्र समुदाय में अत्यधिक रोष व्याप्त है और कुछ छात्रों ने न्यायालयों से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रधानाचार्यों ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग का समर्थन किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त मांग पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) 'नेशनल फोरम फार एकेडेमिक वैल्यूज' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभी तक कक्षा 12 के उम्मीदवारों की अंग्रेजी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि वकीलों के एक समूह ने छात्रों की मांग पर उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध करते हुए दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

(ङ) जी, हां।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शिकायतों के प्राप्त होने के पश्चात् की गई छानबीन में अंग्रेजी भाषा के पेपर के अंकन में किसी तरह का व्यतिक्रम नहीं मिला।

एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ के अधिकारियों की विदेश यात्राएं

2955. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विदेश यात्राएं की तथा उनकी यात्राओं का प्रयोजन क्या था और सरकार ने इनकी विदेश यात्राओं पर कितना व्यय किया;

(ख) क्या इन यात्राओं के कोई निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अधिकारियों को विदेश भेजकर फिजूल खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के जिन अधिकारियों ने विदेशों का दौरान किया है उनका तथा एनटीपीसी द्वारा उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है।

वर्ष	अधिकारियों की संख्या	व्यय (लाख रुपये में)
1995-96	81	99.86
1996-97	84	100.18
1997-98	60	77.92

जिन उद्देश्यों के लिये ये दौरे किए गये हैं उनमें निम्न शामिल हैं:

1. बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ विचार विमर्श
2. एनटीपीसी परियोजनाओं में अधिष्ठापित किये जाने वाले उपस्करों का निरीक्षण।
3. व्यापार विकास परामर्शी।
4. प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/अध्ययन कार्य संबंधी दौरा/दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण।

एनटीपीसी ने यह पुष्टि की है कि इन दौरों से परिकल्पित उद्देश्यों को पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया था।

एनटीपीसी अधिकारियों के ये दौरे आवश्यकता पर आधारित थे और कम से कम थे, ताकि फालतू खर्चों से बचा जा सके और ये दौरे सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन पर सम्पादित किये गये थे।

कर्नाटक में मूलभूत दूरसंचार सेवाएं

2956. श्री रामचन्द्र दोरप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर होने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु आवेदन-पत्र जमा कराने वाली निजी कर्पनियों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, दोनों सर्किलों में बुनियादी सेवा का लाइसेंस प्राप्त करने में सफल बोलीदाता, मैसर्ज ह्यूजेज इस्पात लि॰ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि कर्नाटक सर्किल के लिए लाइसेंस, एक अन्य कानूनी निकाय अर्थात् मैसर्ज ह्यूजेज इस्पात कम्यूनिकेशन्ज लि॰ नाम से जारी किया जाए क्योंकि यदि उक्त सर्किल में परियोजना निष्पादन हेतु कोई अलग से कानूनी निकाय बनाया जाता है तो उनके लिए कर्नाटक सर्किल के लिए वित्त जुटाना आसान होगा। सरकार उक्त कंपनी के अनुरोध पर विचार कर रही है और उसने कंपनी को इस आशय की गारंटी देने के लिए कहा है कि ह्यूजेज इस्पात कम्यूनिकेशन्ज लि॰ द्वारा लाइसेंस करार की शर्तों का अनुपालन कराए जाने की गारंटी मैसर्ज ह्यूजेज इस्पात लि॰ जो मूल बोलीदाता है, की होगी और यदि ह्यूजेज इस्पात कम्यूनिकेशन्ज लि॰ उक्त शर्तों के पालन में चूक करती है तो समग्र जिम्मेदारी मैसर्ज ह्यूजेज इस्पात लि॰ की होगी। कंपनी के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) इस सर्किल के लिए आठ कंपनियों ने बोलियां प्रस्तुत की थीं।

ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसीलिटी

2957. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसीलिटी की तीन दिवसीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कौन-कौन सी मुख्य टिप्पणियां की गई और सुझाव दिए गए और जीईएफ बैठक में क्या निर्णय लिए गए और नीतियां, यदि कोई हों, अपनाई गई;

(ग) सरकार ने इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) के अंतर्गत परियोजनाएं आरंभ करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को कोई धनराशि उपलब्ध करायी गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या सरकार ने देश की समग्र नीति के संदर्भ में 1998-99 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। 3 अप्रैल, 1998 को अंगीकृत प्रथम जीईएफ असेम्बली की नई दिल्ली स्टेटमैंट की एक प्रति विवरण-I पर दी गई है।

(ग) जीईएफ बैठक में अंगीकृत नई दिल्ली स्टेटमैंट, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले किन्हीं विशिष्ट कदमों का आधार नहीं है। तथापि, इस निधिकरण सुविधा का अधिकतम फायदा उठाने के लिए और परियोजनाओं को तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ.) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही जीईएफ परियोजनाओं, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में की गई प्रगति और गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई धनराशि का विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। जीईएफ में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और अन्तर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों तथा ओजोन परत के केन्द्रीय क्षेत्रों में विश्व व्यापी समस्याओं के प्रबन्धन का समाधान बताया गया है। वर्ष 1993 में प्रकाशित इस मंत्रालय के पर्यावरण कार्यवाही कार्यक्रम में निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, उद्योग एसोसिएशनों और निजी क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों नामत: यूएनईपी, यूएनडीपी और विश्व बैंक के परामर्श से जो परियोजनाएं उपयुक्त पाई जाती हैं, उन्हें जीईएफ के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाता है। अत: जीईएफ हेतु परियोजनाओं को मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है।

विवरण-I

प्रथम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एसैम्बली का नई दिल्ली वक्तव्य

ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की सभा

1-3 अप्रैल, 98 तक पहली बार नई दिल्ली में होकर,

सभा की मेजबानी उदारता, अतिथि सत्कार तथा सभी प्रतिभागियों के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए भारत की सरकार तथा लोगों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए,

इस सभा में प्रतिभागी देशों के ग्लोबल इनवायरमेंट फैसिलिटी के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए,

यह मानते हुए कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी नए तथा अतिरिक्त अनुदान तथा छूट राशि प्रदान करवाकर सतत् विकास के ढाचें के भीतर, विश्व पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने वाली, बहुपक्षीय निधिकरण यांत्रिकी है,

यह भी मानते हुए कि विश्व के सभी लोग इसके लाभ प्राप्तकर्ता हैं तथा जी॰ ई॰ एफ॰ की आवश्यकता और भी ज्यादा है चूंकि हम इस बात पर जोर देते हुए कि जी॰ ई॰ एफ॰ अंर्तराष्ट्रीय सहयोग का एकमात्र तथा एफल उदाहरण है जो अन्य प्रयत्नों के लिए शिक्षाप्रद है,

स्वीकृत विश्व पर्यावरणीय सभाओं और प्रोटोकोलों, जैसे कि जैव-विविधता पर सभा, जलवायु बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वैंशन और क्योटो प्रोटोकोल, वियना कनवैंशन तथा ओजोर लेवर को कमजोर करने वाले तत्वों पर मानट्रियल प्रोटोकोल तथा मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु यू॰ एन॰ कनवैंशन के उद्देश्यों के समर्थन में जी॰ ई॰ एफ॰ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए,

जी॰ ई॰ एफ॰ इसकी क्रियान्वयन संबंधी एजेंसियों (यू॰ एन॰ डी॰ पी॰) यू॰ एन॰ ई॰ पी॰ तथा विश्व बैंक) और सचिवालय, इसकी इस संगठन तथा प्रबंधन में पुन: संरचना के चार वर्ष में, इसके संस्थानिक तथा आपरेशनल फ्रेमवर्क की स्थापना करने में तथा विकासशील देशों तथा संक्रमणाधीन अर्थव्यवस्था वाले देशों के विश्व पर्यावरणीय सुधारों तथा रियो-कनवैंशनों को लागू करने में उनके प्रयत्नों में सहायता के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करते हुए,

इससे आगे कार्य नीति संबंधी सलाह देने में तथा परियोजनाओं की समीक्षा करने में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सलाहकारी पैनल (एस॰ टी॰ ए॰ सी॰) के उत्कृष्ट कार्य को स्वीकार करते हुए, जी॰ ई॰ एफ॰ ट्रस्ट फंड की 2.75 डालर बिलियन की दूसरी आपूर्ति जो जी॰ ई॰ एफ॰ को विश्व पर्यावरणीय लक्ष्यों तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने में इसके सफल प्रयत्नों को जारी रखने योग्य बनाएगी, का स्वागत करते हुए,

जी॰ ई॰ एफ॰ के समस्त कार्य निष्पादन, जी॰ ई॰ एफ॰ परियोजना पाठों के अध्ययन, जी॰ ई॰ एफ॰ परियोजना क्रियान्वयन पुनरीक्षण, तथा नीतियों पर सी॰ ई॰ ओ॰ की रिपोर्ट जी॰ ई॰ एफ॰ का संचालन तथा भविष्य में विकास के संबंध में विश्लेषण तथा अनुशंसाओं पर निर्णयों तथा चित्रांकन को उपयुक्त मानते हुए,

इस बात पर सहमति प्रदान करती है कि जी॰ ई॰ एफ॰ की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति तथा इसके बहुप्रयोजन मिशनों को पूरा करने के लिए:

1. जी॰ ई॰ एफ॰ 'कटिंग ऐज' पर अभिनवकर्ता, तथा इसके प्राप्तक देशों की आवश्यकताओं के लिए लचीली तथा जवाबदेह और उसी प्रकार से दूसरे संस्थानों तथा प्रयत्नों के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक सुविधा रहनी चाहिए।

2. जी॰ ई॰ एफ॰ की गतिविधियां देश -चालित होनी चाहिए तथा जी॰ ई॰ एफ॰ परियोजनाओं के देशी स्वामित्व के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसकी प्राप्ति के लिए,

(क) जी॰ ई॰ एफ॰ गतिविधियां सतत् विकास तथा विश्वव्यापी पर्यावरण की सहायता के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित होनी चाहिए,

(ख) जी॰ ई॰ एफ॰ को और लम्बी पहुंच तथा संचार के लिए एक कार्यनीति का विकास तथा क्रियान्वयन करना चाहिए जो विश्व पर्यावरण तथा जी॰ ई॰ एफ॰ की विश्वव्यापी चेतना को बढ़ावा देने की दृष्टि से जी॰ ई॰ एफ॰ के बहु-क्षेत्रों पर ध्यान रखें तथा जी॰ ई॰ एफ॰ की गतिविधियों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदायों से प्राप्त परामर्श को बढ़ावा दे,

(ग) जी॰ ई॰ एफ॰ को देश-स्तरीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा जी॰ ई॰ एफ॰ द्वारा वित्तपोषित गतिविधियों के परियोजना ढांचा तैयार तथा उसे क्रियान्वित करने में स्थानीय तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों और सुदाय समूहों की क्रियात्मक भागीदारी सहित असली देशी स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना का विकास करना तथा इसे लागू करना चाहिए,

3. जी॰ ई॰ एफ॰ को जी॰ ई॰ एफ॰ को वित्त पोषण द्वारा हुए, विश्व-पर्यावरण की सततता को सुनिश्चित करने वाले लाभों की तरफ प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए तथा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए दूसरे के समन्वय हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए।

4. जी॰ ई॰ एफ॰ को परियोजना की तैयारियों को और अधिक साधारण, पारदर्शी तथा अधिक राष्ट्र-चालित बनाने की दृष्टि से इसके परियोजना चक्र को और अधिक सरल करना चाहिए।

5. जी॰ ई॰ एफ॰ को विश्व पर्यावरणीय लाभों को अधिकता प्रदान करने की दृष्टि से लम्बी अवधि वाली योजना तथा बहु-वर्षीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहिए।

6. जी॰ ई॰ एफ॰ के लिए बढ़ती हुई लागतों के सिद्धांत की महत्ता को पहचानते हुए, इसकी परिभाषा को अधिक स्वाभाविक बनाया जाना चाहिए जी॰ ई॰ एफ॰ को, बढ़ती हुई लागतों के निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा इसके उपयोग को और अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए।

7. जी॰ ई॰ एफ॰ एक ज्ञान हस्ती बनी रहनी चाहिए और इसकी मानीटारिंग तथा मूल्यांकन कार्यों को सुदृढ़ किया

जाना चाहिए तथा प्रापक देशों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. यू॰ एन॰ कन्वैंशन के सचिवालय के परामर्श से मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जी॰ ई॰ एफ॰ को भूमि के अवक्रमण विशेष कर मरुस्थलीकरण तथा वन कटाव और इसके मुख्य क्षेत्रों तथा भूमि के अवक्रमण संबंधी गतिविधियों के लिए जी॰ ई॰ एफ॰ की सहायता को बढ़ाने चूंकि वे जी॰ ई॰ एफ॰ के मुख्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, के बीच अनुबंधों को और अधिक अच्छे ढंग से परिभाषित करना चाहिए।

9. जी॰ ई॰ एफ॰ क्रियान्वयन एजेंसियों को विश्व पर्यावरणीय कन्वैंशन के साथ क्रियान्वयन एजेंसियों के शासी निकायों के प्राधिकरण का पालन करते हुए उनके नियमित कार्यों और समनुरूप की परिस्थितियों के भीतर विश्वव्यापी पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

10. जी॰ ई॰ एफ॰ को विश्वव्यापी वैज्ञानिक समुदाय विशेषकर प्राप्तक देशों में राष्ट्रीय वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के साथ प्रगाढ़ संबंध तथा नेटवर्क स्थापित करने चाहिए।

11. जी॰ ई॰ एफ॰ को द्विपक्षीय विधिकरण संगठनों सहित दूसरे स्रोतों के द्वारा इसकी गतिविधियों के समन्वय तथा सह-वित्त प्रबंध को बढ़ावा देना चाहिए तथा दस्तावेज के पैरा 28 में उल्लिखित तत्वों विशेषकर क्षेत्रीय विकास बैंकों तथा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन के अवसरों को विस्तृत करना चाहिए।

12. जी॰ ई॰ एफ॰ को सार्वजनिक तथा निजी दोनों की स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन लाभ बंद करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी॰ ई॰ एफ॰ को एक प्रायोगिक बदलाव के लिए मंच के रूप में निजी क्षेत्र के लिए भागेदारी तथा उसी प्रकार से निजी-सार्वजनिक संयुक्त उद्यमों के लिए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आरंभ की गई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परियोजनाओं तथा उन्हें जारी की गई निधियों का ब्यौरा :

1. उपर्युक्त परियोजना में निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठन संबद्ध रहे हैं :

– टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान को सर्वेक्षण और मूल्यांकन तथा वाटरमिल्स कार्य में उनकी भागीदारी के लिए कन्ट्रैक्ट वेन्यू 45,558 अमरीकी डालर।

– 'हिमालय इकोलाजी एंड ट्रीटमेंट, आफ नेचुरल एग्रीकल्चर समिति' को लोड डेवलपमेंट तथा लोगों को प्रेरित करने के कार्य में उनकी भागीदारी के लिए कान्ट्रेक्ट वैन्यू - 3,226 अमरीकी डालर, अभी तक 80,900/- रुपये जारी किए जा चुके हैं।

– लद्दाख इकोलाजिकल डेवलपमेंट ग्रुप, लेह को लोड डेवलपमेंट और लोगों को अधिकाधिक प्रेरित करने के कार्य में उनकी भागीदारी के लिए कान्ट्रैक्ट वैन्यू-3191 अमरीकी डालर अभी तक 45953 रुपये जारी किए जा चुके हैं।

– सोसायटी फोर इंडस्ट्रीयलाइजेशन, रांची को लोड डेवलपमेंट तथा लोगों को अधिकाधिक प्रेरित करने के कार्य में उनकी भागीदारी के लिए। कान्ट्रैक्ट वैल्यू 33.5 अमरीकी डालर अभी तक 47,600 रुपये जारी किए जा चुके हैं।

कार्यान्वयन की स्थिति :

इन परियोजना के अंतर्गत 20 प्रदर्शन प्रोजेक्ट स्थापित करने 100 वाटरमिल्स (50 उत्तरी राज्यों में तथा 50 पूर्वोत्तर राज्यों में) को अपग्रेड करने तथा एक राष्ट्रीय कार्यनीति और मास्टर प्लान, जोनल प्लान तैयार करने के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में हाडोप्रोजेक्ट्स चालू करने तथा मिनी माइक्रो हाईडल सैक्टर के सतत् विकास के लिए स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत और मानव संसाधन समताओं के विकास को ध्यान में रखा गया है।

लघु अनुदान कार्यक्रम चरण-II जी ई एफ से 50,000 अमरीकी डालर तथा सी सी एफ-I संसाधनों से 700,000 डालर के परिव्यय से 1998 में शुरू किया गया है।

प्रगति : प्रारम्भिक कार्यकलापों को पूरा करने के पश्चात् प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए सभी 20 क्षेत्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उत्तरी राज्यों में 20 वाटर मिलों का पहले ही उन्नयन/स्थापन किया जा चुका है तथा शेष 30 वाटरमिलों को 1998 के अंत तक अपग्रेड किया जाएगा।

(ii) हालांकि जोनल प्लान तैयार हैं, तथापि, राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अंतिम रूप से 20 प्रदर्शन क्षेत्रों को पूरा तथा 100 वाटर मिलों को स्थापित करने के बाद दिया जाएगा।

(iii) चूंकि आरंभिक क्रियाकलापों में निर्धारित समय से ज्यादा समय लगता है, अत: परियोजना की 42 महीने की अवधि को बढ़ाकर दिसम्बर 1999 में 60 महीने किया जा रहा है।

2. ग्रीनहाउस गैस बहिस्रावों को कम करने के एक साधन के रूप में हाईरेट बायोमिथानेशन प्रक्रियाओं का विकास करना।

गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी संबंधी विवरण :

इस परियोजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की अभी तक की भागीदारी मुख्यत: एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करने में रही है। बायो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए 1,471 अमरीकी डालर की फीस लागत पर टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क किया गया है। परियोजना से संबंधित कार्यशालाओं में उनकी भागीदारी के अलावा, अपशिष्टों को सब्जी मार्किट, चमड़ा उद्योग, नगरीय अपशिष्ट, पशु-खाद और कागज तथा पल्व उद्योगों में रूपान्तरित करने संबंधी 16 उप परियोजनाओं के पूरा होते ही अनेक गैर-सरकारी संगठनों को सूचना के प्रसार के कार्य में शामिल किए जाने की संभावना है ताकि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकें।

कार्यान्वयन की स्थिति

उपर्युक्त 16 उप परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति 4 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। शेष उप परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है अर्थात् उनमें से कुछ के लिए कान्ट्रेक्ट दिए जा रहे हैं जबकि अन्य मामलों में मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है और डी पी आर तैयार किए जा रहे हैं। समझौता ज्ञापनों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की प्रीक्वलिफिकेशन हेतु अंतर्राष्ट्रीय बिड्स के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। परामर्शदाताओं को जुलाई, 1998 तक कार्य पर लगाए जाने की संभावना है।

(iii) क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, 59 अधिकारी अब तक प्रशिक्षण/फैलोशिप/अध्ययन दौरा कर चुके हैं।

(iv) सूचना प्रसार कार्य का लक्ष्य देश में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करके तथा बायोएनर्जी डेवलपमेंट पर त्रैमासिक न्यूजलैटर प्रकाशित करके पूरा किया जा रहा है।

गैर सरकारी संगठनों को जारी की गई राशि

टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को भारत में बायोमिथानेशन टैक्नालाजी पर परामर्शी कार्यों के लिए 50,000/- रुपये जारी किए गए।

टैक्नालाजी इंफोरमैटिक्स डिजाइन एनडीवर, बंगलौर के (1) त्रैमासिक आधार पर बायो एनर्जी न्यूज लैटर के प्रकाशन के लिए अब तक 5 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। जारी की गई राशि : 12,10,000/- रुपये।

2. 'वेस्ट टू एनर्जी' डायरेक्टरी तैयार करने के लिए जारी की गई राशि : 75,000/- रुपये ।

3. 'वेस्ट एनर्जी' को परिवर्तित करने में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी पर 15 नवम्बर, 1996 को बंगलौर में आयोजित बैठक। जारी की गई राशि : 85,535/- रुपये।

कन्सल्टैंसी डेवलपमेंट सैंट, नई दिल्ली को, 'वेस्ट टु एनर्जी एन एन इंडस्ट्री इन इंडिया' पर 25 फरवरी, 1998 को आयोजित कार्यशाला के लिए। जारी की गई राशि : 8550 रुपये।

3. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट :

कन्वेंशन आन बायोडाइवर्सिटी के लिए राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहायता करने के प्रयोजन से 10,000 अमरीकी डालर की फीस पर एम एस स्वामिनाथन रिसर्च फाउडेंशन को 3750 अमरीकी डालर के बराबर राशि (लगभग 1,42,500 रुपये) जारी की जा चुकी है।

अंतरिम 'राष्ट्रीय रिपोर्ट' पहले ही तैयार की जा चुकी है और इसे सी बी डी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. क्षेत्रीय परियोजना : एशिया लीस्ट कोस्ट ग्रीन हाउस गैस अबेटमैंट स्ट्रेटेजी :

इस क्षेत्रीय परियोजना के तहत 'टेरी' को जी एच जी न्यूनीकरण विकल्पों का पता लगाने तथा जी एच जी लीस्ट कोस्ट-अबेटमैंट स्ट्रेटेजी विकसित करने के लिए 3,26,000 अमरीकी डालर का एक सब कान्ट्रैक्ट दिया गया था।

परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।

5. गल्फ आफ मन्नार मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना :

पी डी एफ बी की परियोजना : चेन्नई स्थित एक गैर-सरकारी संगठन एम एस स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस प्रारंभिक चरण की परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है : 194,000 अमरीकी डालर।

कार्यान्वयन की स्थिति : पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की है। राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों, भागीदार संस्थाओं तथा सहयोगी पार्टनरों के सदस्य शामिल होते हैं, द्वारा बजट तथा कार्य योजना अनुमोदित करने, परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा फील्ड कार्यकलापों की समीक्षा, करने के लिए 2 बार बैठकें की गई हैं। परियोजना टीम का गठन किया गया है तथा इस परियोजना के तहत फील्ड कार्यकलापों, जैसे खतरों के बारे में सूचना एकत्र करना, स्टेक हल्डरों और समुदायों के साथ परामर्श करना तथा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परामर्शियों का दौरा आदि को पूरा कर लिया गया है। पी डी एफ चरण सितम्बर, 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

6. यू एन डी पी/जी ई एफ - लघु अनुदान कार्यक्रम चरण-I के अंतर्गत 24 परियोजनाओं को 300,000 अमरीकी डालर वित्त

पोषण की वचनबद्धता के साथ अनुमोदित किया गया था। थीमैटिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में इन परियोजनाओं के अंतर्गत, 20 परियोजनाएं बायोडायवर्सिटी में और 4 जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित थी, जिनमें भारत के 12 राज्य शामिल हैं। विकासात्मक विकल्पों के रूप में, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय स्तर का एक गैर-सरकारी संगठन, क्षेत्र में परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाले विभिन्न अन्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए राष्ट्रीय होस्ट के रूप में कार्य करता है।

क्र॰सं॰	संगठन का नाम	परियोजना का नाम/शीर्षक	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	वूमेन फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार्फत एडीएटएस कैम्पस, बागेपल्ली - 561207 जिला-कोलार (कर्नाटक)	"लैंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन आफ इण्डिको"	4,06,260.00
2.	सलीम अली सैंटर फार आन्थिालोजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कलमपलायम कोयम्बटूर - 641010 तमिलनाडु	पीपुल्स पार्टिसिपेटरी अप्रोच फार कंसर्वेशन आफ वाइल्ड लाईफ कोरिडोर्स सुजकलुटई-बन्नारी कोरीडोर इन नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व, सदर्न इंडिया	4,25,270.00
3.	पर्यावरणीय संसाधन अनुसंधान केन्द्र सी॰पी॰ 9, 434, पूमल्ली ऊरकोनम पेरूरकाडा, तिरूवनंतपुरम-695005 केरल (डा॰ पी॰ के॰ के॰ नायर, निदेशक)	टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन आफ वुड एंड एन्वायरमेंटल अवेयरनैस एजुकेशन फार बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन आफ कोकोनट फ्राम रूट बिल्ट डिलीज	4,05,490.00

परियोजना के अंतर्गत नारियल के वृक्षों की बीमारी (रूट बिल्ट बीमारी) को आपरेट करने और राज्य में नारियल काष्ट उद्योग की बुनियाद रखने पर बल दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना पर भी विचार किया गया है तथा चालू परियोजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अतिक्ति धनराशि की आवश्यकता होगी।

4.	करूणया ट्रस्ट सेंटर फार सोशल एक्सन, 5/49, अम्बादुरई कालोनी अम्बादुरई आर एस पोस्ट -624309 डिंडीगुल (एमटी) जिला, तमिलनाडु	अवेयरनैस कैम्पेन्स प्रिसर्विंग बायोडाइवर्सिटी आफ लोअर पलानी हिल्ज, केपेसिटीज आफ लोकल, कम्युनिटी	3,79,000.00

जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, इस परियोजना द्वारा इस क्षेत्र की जैव-विविधता की सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में चेतना जगाई गयी।

5.	सेंटर फार रिसर्च आन न्यू इन्टरनेशनल इकनामिक आर्डर, 1 फर्स्ट स्ट्रीट, हेडोज रोड, मद्रास-600006 तमिलनाडु	आर्टिफिशियल रीफ टू सस्टेन फिशिंग एंड रिजेनरेट कोस्टल बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया	3,66,850.00

1	2	3	4
6.	प्रोजेक्ट स्वराज्य, मोती भवन, कैसरपुर रोड, बक्सी बाजार, कट्टक 753001 (उड़ीसा)	प्रोटेक्शन आफ आलिव रिडले सी टर्टल्ज बाय यूस आफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) आफ उड़ीसा सी कोस्ट	4,19,395.00

टर्टल एगपिट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन और फिशिंग के कारण रिडले टर्टल संकटग्रस्त हो रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) के उपयोग द्वारा टर्टलों की सुरक्षा करना है।

स्थानीय लोगों में चेतना उत्पन्न करने के लिए टर्टलों की सुरक्षा, टर्टल एग-पिट्स का सर्वेक्षण, वन विभाग के अधिकारियों के साक्षात्कार से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए और आम बैठकें भी आयोजित की गई।

टर्टलों की सुरक्षा की आवश्यकता का प्रभाव देश में खासकर टर्टल प्रेमियों में सुग्राही हुआ है इस परियोजना के कारण संपूर्ण देश के लिए टीईडी हेतु विधि निर्माण के पक्ष में विचार जागृत हुआ है।

समुद्री टर्टलों के लिए संघटित की जाने वाली शक्तिशाली राष्ट्रीय नेटवर्किंग, प्रमुख तटों वनस्पतिजात और प्राणिजात संसाधनों की भूआकृतिक प्रोफाइल का पूर्ण वैज्ञानिक आंकड़ा आधार तैयार करने सहित कई कार्यों को अभी पूरा किया जाता है और उन (संसाधनों) को क्षीण करने के जिम्मेदार कारकों का पता लगाना है ताकि संरक्षण का प्रयास करने वाले तटीय पारि-विज्ञानी का मार्गदर्शन किया जा सके।

7.	वास्को रीच आउट डॉन वास्को गुवाहाटी-781001 असम	रिस्टोरेशन आफ बायोडाइवर्सिटी, उम्देन एरिया	4,66,600.00

जुन (झुन) कृषि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा, जिसके बिना जंगलों का विनाश हो सकता है, उसके बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता के आधार पर यह परियोजना विकसित की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उपयोगी वृक्षों की नर्सरी संख्या को बढ़ाने, औषधीय और जडी-बूटी पादप रोपण तथा नर्सरियों की देखभाल के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु स्कूलों की संख्या को 20 तक बढ़ाना है। चेतना अभियानों में, जुन (झुन) कृषि द्वारा अवक्रमण के संबंध में जनजातिय लोगों को शिक्षित करने हेतु ग्राम स्तर की बैठकें शामिल थीं।

8.	एन बी इंस्टीट्यूट फार रूरल टेक्नालाजी 52, शकुन्तला रोड, अगरतला-799001 त्रिपुरा	रिन्यू एबल एनर्जी बेस्ड माइक्रो-लेवल एन्टरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम	4,02,000.00

इस परियोजना के अंतर्गत यूएनडीपी/जीईएफ कार्यक्रम के अंतर्गत अधिष्ठापित सौर होम लाइटिंग सिस्टम के तकनीकी मूल्यांकन पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का महत्व और पर्यावरण से उसके संबंध के बारे में चेतना उत्पन्न करना और होम लाइटिंग सिस्टम के अधिष्ठापन और रख-रखाव के बारे में स्थानीय ग्रामीणों से उद्यमियों का प्रशिक्षण शामिल है।

इस परियोजना के तहत देश के अन्य भागों में ड्यूप्लिकेशन की संभावना है।

9.	नेशनल यंग सर्विस एक्शन एण्ड सोशल डेंवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट, डाकघर सांथापुर-747016 बायो गोंडिया, जिला धेंकानल, उड़ीसा	कंसर्वेशन आफ रेयर स्पीशीज ऑफ इण्डीजीनस मेडिसिनल प्लांटस थ्रू कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन फॉर बैटर हैल्थ एण्ड एन्वायरनमेंट	4,19,450.00

1	2	3	4

औषधीय पादपों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए नर्सरियों की स्थापना की गई, पाउपों की वृद्धि की गई और नर्सरियों की देख-रेख तथा ग्रामीण वनों के संरक्षण के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई।

10.	सोसायटी फॉर एनर्जी एन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्लाट-30, रोड-5, जुबली हिल्ज सोसायटी हैदराबाद-500033, आं.प्र.	सौलर ड्राइंग आफ फारेस्ट प्रोड्यूस इन ट्राइबल एरिया आफ आन्ध्र प्रदेश	4,05,950.00

इस परियोजना में "कराया" वन उत्पाद को सौर (ऊर्जा) द्वारा सुखाना शामिल है। जिन आदि प्रारूपों का निर्माण किया गया उन्हें धूप रहित दिनों में गोंद (गम) को सुखाने के लिए उपयोग में लाया जाना था। इसके द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान भी जनजातीय लोगों द्वारा संग्रहण में सुविधा मिलेगी।

11.	रूरल एंड एन्वायरनमेंटल/ डेवलपमेंट सेंटर, 280 वालुवट नगर, ओडापट्टी कोलेक्टोरेट पोस्ट-धर्मपुरी-636705 तमिलनाडु	पार्टिसिपेटरी एंड ब्रूमैन बायोडाइवर्सिटी कंसर्वेशन प्रोग्राम	3,545,00.00

इस परियोजना के स्थानीय लोगों को जड़ी बूटी औषधीय पादप वितरित करने हेतु नर्सरी स्कीम की स्थापना पर विचार किया गया है।

12.	विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति, ग्राम व डाकखाना चामतागरा जिला बांकुरा - 722137 पश्चिम बंगाल	इन्वाल्विग द पीपुल इन रेंजिंग देयर ओन फारेस्टस	4,40,360.00

इस कार्यक्रम में, इस क्षेत्र की जैव विविधता सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में ग्रामीण लोगों और छात्रों को शिक्षित करना तथा नर्सरियों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

13.	इरूला ट्राइबल वूमेन्स वेलफैयर सोसायटी, पी॰ बा॰ 23, टंडारई-603001 (चिंगलपेट) तमिलनाडु	कंसर्वेशन आफ ट्रेडिशनल नालेज आफ मेडिसिनल प्लांट्स वाय इरूलाज	4,72,490.00

इस परियोजना के अंतर्गत नर्सरियों की स्थापना की गई, पौध विवरण किया गया और स्थानीय लोगों में औषधीय पादपों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में आम चेतना उत्पन्न की गई।

14.	पीरमेड डेवलपमेंट सोसायटी पो॰ बा॰ नं॰ 11 पीरमेड - 685531 जिला इदुक्की, केरल	सीमांत कृषकों के विकास के लिए तेल निकालने हेतु नीम्बू घास की खेती को सतत् रूप से बढ़ावा देना	4,00,000.00

इस परियोजना में बीजों की खरीद, नर्सरियों की स्थापना, अभिनिर्धारित किसानों को बीजांकुर का वितरण शामिल है। नीम्बू घास की कटाई किए जाने पर तेल निकालने के लिए इसे दबाया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य नीम्बू घास की खेती से होने वाले लाभों की निगरानी के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करना है।

1	2	3	4
15.	जिला विकास सोसायटी अजमेर, एम-7 अन्ना सागर लिंक रोड, अजमेर-305001 राजस्थान	वितरण आचरण संकटापन्न गांगेय डाल्फिन का संरक्षण तथा इसके संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000.00

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य डाल्फिन प्रोफाइल क्षेत्र तथा वासस्थल उपयोग का अध्ययन तथा खतरे में पड़े वासस्थल की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना है। इस परियोजना का उद्देश्य संकटापन्न प्रजातियों के रूप में गांगेय डाल्फिन की सुरक्षा की आवश्यकता पर जनजागरूकता पैदा करना भी है। जल संचयन ढांचे के विकास के लिए भी इस परियोजना में पौध रोपण कार्य भी शामिल है। इन कृषि विकास उपायों से आर्द्रता बनाई रखनी सुनिश्चित होगी जिससे वासस्थल की सुरक्षा होगी।

16.	वेस्ट वाइज, मैत्री सर्वा सेवा समिति, 373, सौ फुटा मार्ग, हाल-11 स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलौर-560008 कर्नाटक	बंगलौर शहर के म्यूनिस्पिल वार्ड लेवल में विकेन्द्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए एक स्थानीय सूचना केन्द्र तैयार करना।	4,10,000.00

इस परियोजना का उद्देश्य वार्ड की भौगोलिक सूचना प्रणाली तैयार करना है ताकि ठोस अपशिष्टों की योजना बनाने और उनके प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जा सके। इस प्रणाली में कैम्पस तथा सड़कों संगत सड़क एलीकेन्ट्स के आंकड़े होंगे। यह प्रणाली उपयोग होगी क्योंकि इसका प्रयोग अन्य शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

17.	ग्राम नियोजन केन्द्र आध्यात्मिक नगर, डासना, गाजियाबाद 201302, उत्तर प्रदेश	सुधरा ईंधन क्षम शवदाहगृह को लोकप्रिय बनाना तथा निर्माण	4,19,000.00

इस परियोजना का उद्देश्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के 10 क्षेत्रों के सुधरे ईंधन क्षम शवदाहगृहों के निर्माण को लोकप्रिय बनाना है। परियोजना प्रस्तावकों ने बनाने के लिए कैम्प लगाए और नए सुधरे शवदाहगृहों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सीमेंट की लागत में वृद्धि, लोहे की छड़ों की परिवहन लागत में वृद्धि, उ.प्र. में राजनैतिक अस्थिरता, भारत पुर में स्थानीय धार्मिक ट्रस्ट ग्रुप द्वारा ब्याज की हानि के कारण इस परियोजना की लागत में वृद्धि हुई।

18.	डीआईपीएस कम्युनिकेशन सेंटर 142, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007, उड़ीसा	वन प्रबंधन के लिए भागीदारी एप्रोच को बढ़ावा देना	3,90,000.00

इस परियोजना के तहत स्थानीय ग्राम समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें संयुक्त वन प्रबंधन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

19.	दक्कम डेवलेपमेंट सोसायटी, ए-6, मीरा अपार्टमेंट्स, बशीरबाग, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान और ग्रामरूट एनजीओ के साथ वर्ष भर नेट वर्किंग	3,99,000.00

1	2	3	4

इस परियोजना में पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने के लिए कर्नाटक के ग्रासरूट एनजीओ के साथ नेट वर्किंग शामिल है। जागरूकता शिविरों में जैव-विविधता, संयुक्त वन प्रबंधन तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सामूहिक भागीदारी के लिए ग्राम समुदाय बनाए गए हैं।

20.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, दक्षिणी क्षेत्र सेल कमला मेंशन, 143, इन्फेंटरी रोड, बंगलौर-560001, कर्नाटक	देशी पद्धतियों में सतत जैव- विविधता संरक्षण	3,48,900,00

इस परियोजना का उद्देश्य समाज के सामाजिक पैटर्न का पता लगाने के लिए उपयुक्त बस्तियों एवं ग्रामों का पता लगाना और क्षेत्र के वासस्थलों, विविधता तथा जैवविविधता का अध्ययन करना है। प्राप्त लाभ के लोगों को क्षेत्र के और अधिक सतत् विकास अपनाई जाने वाली पद्धतियों के बारे में शिक्षित करने में सहायता मिलेगी।

21.	भारती विद्यापीठ पर्यावरण, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कालेज आफ आर्किटेचर बिल्डिंग भारती विद्यापीठ शिक्षा परिसर, कटराज, धनकावाडी, पुणे, महाराष्ट्र	स्कूलों में स्थानीय पहलों के जरिए पश्चिमी घाटों की देशी पौध प्रजातियों की नर्सरी	3,90,500.00

यह परियोजना का संबंध स्कूली बच्चों को पौधरोपण कार्यों में शामिल करना तथा विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करने में अध्यापकों की भूमिका से संबंधित है। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाटों की वनस्पतियों की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। अध्यापकों द्वारा अपने-अपने स्कूलों में नर्सरियां तैयार कराई गईं। इस परियोजना का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

22.	गंगोत्री संरक्षण परियोजना "लीजेन्ड इन" ई-4 ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-65 प्रचार-प्रसार के लिए भोजपत्र के पौध-रोपण करने के लिए नर्सरियां तैयार करना	देशी प्रजातियों का संरक्षण विश्वव्यापी तापमान में कमी और भोजपत्र का प्रचार प्रसार	4,58,243.000
23.	कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान वक्तपुरा, पोस्ट ऑफिस सिलिसेरा लेक, जिला-अलवर, राजस्थान	राजस्थान के अलवर जिले में उत्तरी अरावली पहाड़ियों में वक्तपुरा गांव में नेचुरल कम्युनिटी पार्टिसिरोशन की सतत् पद्धति की पुर्नस्थापना	3,92,550.00

इस परियोजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों का सुधार करना है जो अत्यधिक चिराई के कारण और भूमि कटाव के कारण अवक्रमित हुए थे। संरक्षण कार्य और सुरक्षा कार्य शुरू किया गया था, जिसमें जल संचयन ढांचे, खेत बनाना, गली की प्लानिंग तथा चारागाह विकास का निर्माण कार्य शामिल था। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति स्थापित की गई थी, जिसके माध्यम से सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

1	2	3	4
24.	बैंक डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन बैंक भवन, डा. मणिभाई देसाई रोड, वार्जे, पुणे, महाराष्ट्र	कृषि वानिकी इकाइयों की स्थापना करके छोटे किसानों में कृषि वानिकी को बढ़ावा।	3,95,000.00

इस परियोजना में कृषि वानिकी के लिए इकाइयों की स्थापना करने का कार्य शामिल है ताकि चयनित लाभभोगी कृषि वानिकी के महत्व को जान सकें। और अन्य विभागों के लिए प्रदर्शन के रूप में दृष्टान्त प्रस्तुत कर सकें।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा

2958. श्री भेरूलाल मीणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे अपनी दयनीय आर्थिक हालत के कारण देश के अन्य भागों के बच्चों के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में कहीं बहुत पीछे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर जो कि 52.21 प्रतिशत थी, की तुलना में राजस्थान राज्य की साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत थी। सरकार ने राजस्थान राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आरम्भ की गई कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रमों को भी राजस्थान सरकार चला रही है। लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजनाएं जो विशेष रूप से समुदाय पर आधारित अनौपचारिक शिक्षा परियोजना है, उनका केन्द्र बिन्दु राजस्थान राज्य है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान राज्य को 343 करोड़ रु॰ की धनराशि तथा वर्ष 1997-98 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत 58 करोड़ रु॰ की राशि जारी की गई है।

टेलीफोन कनेक्शन में अनियमितताएं

2959. श्री अजीत जोगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने में अनियमितताएं बरतने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, टेलीफोन उपलब्ध कराने में विलंब/रिश्वत मांगने जैसी लगभग 550 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रारम्भिक जांच करने के बाद 42 राजपत्रित अधिकारियों और 55 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। 23 कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गई है। तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

(ग) इस प्रकार की सभी शिकायतों की जांच करने के लिए चार महानगरों में सी बी आई यूनिटें स्थापित करने के अतिरिक्त, प्रत्येक एस एस ए में विशेष दस्ते स्थापित किए गए हैं। ऐसे मामलों/शिकायतों का पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए दूरसंचार सर्किलों के सतर्कता दलों द्वारा भी आकस्मिक जांच की जाती है।

टेलीफोन काटे जाने के विरुद्ध शिकायत

2960. श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन बिल का भुगतान करने के बाद भी बिना कोई कारण बताए महानगर टेलीफोन निगम द्वारा उपभोक्ताओं के टेलीफोन कनैक्शन काट दिए जाते हैं और यह कार्यवाही कई महीनों तक चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस गलत रवैये को रोकने के लिए कोई, प्रभावकारी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं। सामान्यत: टेलीफोन कनेक्शन, देय राशि का भुगतान न किए जाने के कारण काटे जाते हैं। तथापि, भुगतान के बारे

में देर से सूचना प्राप्त होने के कारण अथवा उपभोक्ता को प्रदत्त अन्य सेवाओं/टेलीफोनों पर देय राशि को भुगतान न होने के कारण, देय राशि का भुगतान करने के बावजूद टेलीफोन काट दिया जाता है।

[अनुवाद]

वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि

2961. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वनेतर प्रयोजनों के लिए कुल कितनी वन भूमि का अपवर्तन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने इसके बदले में वैकल्पिक वन विकसित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 86,810 हैक्टेयर वन भूमि को वनेतर कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया है;

(ख) वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय मंत्रालय गैर वन भूमि क्षेत्र या अपक्षीण वन भूमि पर परियोजना प्रस्ताव की लागत पर क्षतिपूर्ति वनीकरण की शर्त डायवर्जन के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए लगाती है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद अब तक 5,35,227 हेक्टयर पर क्षतिपूर्ति वनीकरण की शर्त लगाई है जिसमें से 3,10,079 हैक्टेयर पर कार्य हो चुका है।

कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

2962. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर के निकट प्रस्तावित 1000 मेगावाट क्षमता वाली कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को केन्द्र सरकार से काउंटर गारंटी मिल गई; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) मैसर्स कोजेंट्रिक्स द्वारा प्रवर्तित 1000 मे॰वा॰ मंगलौर विद्युत परियोजना ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति सहित अधिकांश अपेक्षित निवेश स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। इस परियोजना को अभी भारत सरकार की प्रति गारंटी प्राप्त नहीं हुई है। जनहित याचिका संख्या 10696/97 पर कर्नाटक के उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा दर्ज अपील पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के बाद इस मुद्दे तथा प्रति गारंटी के बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी।

जैसलमेर का किला

2963. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जैसलमेर के 850 वर्ष पुराने किले का संरक्षण करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैसलमेर किले में अनधिकृत निर्माण हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जैसलमेर किले को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उत्तर एवं पूर्व में स्थित निचली किला दीवार की मरम्मत, उत्तर में स्थित निचली किला दीवार के ढह गये भाग का पुनर्निर्माण, बुर्जों, प्रकार एवं ऊपरी किला दीवार के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत, तथा सूरजप्रोल एवं गणेशप्रोल के बीच की किला दीवार की मरम्मत करने की योजनाएं हैं।

(ग) और (घ) किला क्षेत्र के भीतर आधुनिक आवास हैं। स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से जनता द्वारा मौजूदा संरचनाओं में किए जा रहे अनधिकृत नवीन निर्माणों एवं परिवर्धनों तथा परिवर्तनों को रोकने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उन लोगों के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं इसके अधीन बनाए नियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इनमें से कुछ लोगों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्रवाई को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अत: यही मामला न्यायाधीन है।

(ङ) जैसलमेर किला की ऊपरी तथा निचली किला दीवार राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गयी हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा कार्य योजना

2964. श्री अमर राय प्रधान : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1998 के 'टेलीग्राफ'

में प्रकाशित समाचार 'सेंटर ग्राउंड्स गंगा प्लान इन स्टेट' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गंगा की सफाई योजना को बीच में ही छोड़ देने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय का विपरीत प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार इससे प्रभावित नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पश्चिम बंगाल में गंगा, गंगा कार्य योजना को बीच में नहीं छोड़ा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी

2965. श्री ए॰ सी॰ जोस : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना के लिए प्रति-गारंटी की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी नियामक प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए मानक दिशानिर्देश अपेक्षाएं और शर्तें भी स्वीकृत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में मैसर्स एसटी सीएमएस इलैक्ट्रिक कंपनी की 250 मे॰वा॰ एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप आधारित परियोजना के मामले में एक संशोधित प्रक्रिया के जरिए प्रति-गारंटी बढ़ाए जाने को स्वीकार कर लिया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रति गारंटी केवल रद्द होने की स्थिति में ही प्रदान की जाएगी तथा केवल बकाया विदेशी ऋण तक की सीमित होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विनियामक प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए पूर्वापेक्षाएं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें एवं निबंधन तथा संबंधित मामले संबंधी नीति

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 29 जनवरी, 1998 के ओ॰ एम॰ संख्या 3.6.97 स्थापना (पे-2) के जरिए विनियामक प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए शर्तों एवं निबंधनों को शामिल करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जो निम्नवत हैं :

(क) **कार्यकाल** : पांच वर्ष की एकरूप अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष के मामले में अथवा 62 वर्ष (सदस्यों के मामले में) जो भी पहले हो।

(ख) **पुन: नियुक्ति हेतु पात्रता** : अध्यक्ष अथवा सदस्य कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकरण के अंतर्गत पुन: नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि सदस्य उसी प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र होगा।

(ग) **वेतन** : अध्यक्ष अधिकतम 26,000 रुपये प्रति माह (निर्धारित) तथा सदस्य-अधिकतक 22400-525-24500 रुपये।

(घ) **सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि** :

अध्यक्ष एवं सदस्य अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित होंगे। सामान्य भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत अंशदान करने का कोई विकल्प नहीं है।

(ङ) **डीए एवं सीसीए** : सरकार में समकक्ष वेतन वाले अधिकारियों के लिए लागू दर पर।

(च) **एलटीसी, टीए एवं डीए** : जैसाकि वही मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है।

(छ) **विदेशों में दौरा** : भारत सरकार में समकक्ष ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू सरकारी आदेशों के अनुसार विदेश में सरकारी प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विनियामक प्राधिकरण के प्रशासनिक सचिव और अध्यक्ष और या सदस्य दोनों शामिल हैं, के संबंध में सचिव प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। स्वदेशी दौरों के लिए अध्यक्ष प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को अवगत करेगा।

(ज) **आवास** : दिल्ली सेटेलाइट नगरों में से किसी भी नगर में स्थित प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को मूल वेतन का 30% की दर से एच॰आर॰ए॰ का दावा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। दिल्ली से बाहर सदस्य और अध्यक्ष, सदस्य हेतु 300 वर्ग मीटर और अध्यक्ष हेतु 350 वर्ग मीटर का बिल्ट-अप एरिया समेत बिना फर्नीचर का आवास किराये पर लेने के लिए अधिकृत है।

(झ) **व्यय संबंधी भत्ता** : प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य व्यय संबंधी भत्ते के हकदार नहीं होंगे (जो कि केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य है)।

(ञ) **चिकित्सा सुविधा** : चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं की हकदारी जैसा कि सीजीएचएस स्कीम में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान है। जहां सी जी एच एस स्कीम

उपलब्ध नहीं है वहां अध्यक्ष और सदस्यगण, जो सरकारी नौकर नहीं है, ये सुविधाएं पाने के हकदार है जैसा कि सीएस (चिकित्सा परिचर्चा) नियमों में प्रावधान है।

(ट) **परिवहन** : कोई भी विनियामक प्राधिकरण किसी यात्री गाड़ी की खरीद नहीं करेगा, उसके स्थान पर अध्यक्ष और सदस्य 3000 रुपये और 5000 रुपये प्रतिमाह के बीच निर्धारित प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। इसमें उस वाहन चालक का वेतन भी शामिल होगा जो कि सरकारी नौकर नहीं है।

(ठ) **स्तर** : किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को सरकारी स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा और नियुक्त व्यक्ति के पूर्व स्तर को अध्यक्ष/सदस्य को प्रदान किए जाने वाले उसके स्तर का निर्धारण करने के लिए मिसाल नहीं समझा जाएगा।

(ड) **अवकाश** : सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश। वे किसी भी समय अपनी जमा छुट्टियों के 50% के नकदीकरण के हकदार होंगे।

(ढ) विनियामक प्राधिकरण के प्रचालन से संबंधित प्रशासनिक और अन्य अवशिष्ट मामले जिनके संबंध में इन निर्देशों में कोई निश्चित प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे जिसका निर्णय विनियामक प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

राष्ट्रीय मीडिया नीति

2966. **श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन** :

श्री अजित जोगी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय मीडिया नीति बनाने और उसकी घोषणा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा और कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार का विचार है कि हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में नई जानकारियों को एकीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय मीडिया नीति बनाई जानी आवश्यक है ताकि इस क्षेत्र में उद्देश्यमूलक संबद्धता लाई जा सके।

इस संबंध में इस मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति ने राष्ट्रीय मीडिया नीति पर एक सैद्धांतिक दस्तावेज तैयार किया था। इस विषय में निर्णय करने के लिए उक्त दस्तावेज परामर्शदात्री समिति के विचाराधीन था।

यह मामला विचाराधीन होने के कारण निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विद्युत उत्पादन विकास निधि से ऋण

2967. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में संलग्न निजी क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक घरानों को विद्युत उत्पादन विकास निधि से ऋण दिए गए;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1998 के अंत तक बकाया ऋणों का ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण की अदायगी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए विद्युत उत्पादन विकास निधि से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण की राशि कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) विद्युत उत्पादन विकास निधि नामक कोई निधि विद्यमान नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (आई॰ सी॰ एच॰ आर॰) को अनुदान

2968. **श्री जी॰ गंगा रेड्डी** :

डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (आई सी एच आर) को वर्षवार कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ख) उक्त अवधि में परिषद् की गतिविधियों तथा इस के द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों/अध्ययन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परिषद् द्वारा नियोजित परिषद् प्रशासनिक तथा शोध अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या हाल ही में परिषद् में कुछ इतिहासकारों की नियुक्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम, योग्यताएं क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को दिया गया कुल अनुदान निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	रुपये लाख में
1993-94	173.99
1994-95	180.37
1995-96	186.53
1996-97	194.55
1997-98	218.69

(ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को प्रायोजित करती है तथा ऐतिहासिक अनुसंधान में लगी हुई संस्थाओं को सहायता देती है। यह अध्येतावृतियां भी प्रदान करती है तथा अध्येताओं को उनके कार्य प्रकाशित करवाने के लिए प्रकाशन सहायता भी देती है। यह परिषद् भारत तथा अन्य देशों में इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करती है। परिषद् ने 1993-94 से 1997-98 की अवधि के दौरान पत्रिकाओं सहित 44 प्रकाशन निकाले हैं।

(ग) परिषद् में इस समय वरिष्ठ प्रशासनिक तथा शोध अधिकारियों की संख्या 19 हैं जिसमें सदस्य सचिव, निदेशक, उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक शामिल हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के नियमों में से नियम 3 सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ परिषद् में 18 इतिहासकारों को नामित करने का अधिकार देता है। पूर्व परिषद् की अवधि की समाप्ति पर उक्त नियम के अंतर्गत परिषद् में निम्नलिखित इतिहासकारों को मनोनीत किया गया है :-

1. प्रो॰ अमिताभ मुखर्जी
2. प्रो॰ धर्मपाल
3. प्रो॰ बी॰ आर॰ काम्बले
4. प्रो॰ चन्द्रशेखर
5. प्रो॰ एम॰ जी॰ एस॰ नारायणन
6. प्रो॰ बी॰ बी॰ लाल
7. प्रो॰ के॰ एस॰ लाल
8. प्रो॰ बी॰ पी॰ सिन्हा
9. प्रो॰ ए॰ आर॰ खान
10. प्रो॰ बी॰ बार॰ ग्रोवर
11. प्रो॰ सतीश मित्तल
12. प्रो॰ (श्रीमती) मणि कामेरकर
13. डा॰ एम॰ एल॰ के॰ मूर्ति
14. प्रो॰ एस॰ एस॰ हंस
15. प्रो॰ हरि ओम
16. प्रो॰ एच॰ के॰ बड़ा पुजारी
17. प्रो॰ प्रितपाल भाटिया
18. प्रो॰ डी॰ एन॰ त्रिपाठी

इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

2969. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री राजो सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत मानव-चालित और इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों में बदले जाने के लिए प्रस्तावित मानव-चालित दूरभाष केन्द्रों की राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ग) इन दूरभाष केन्द्रों को बदलने में कितना खर्च अने का अनुमान है; और

(घ) सभी दूरभाष केन्द्रों को कब तक इलैक्ट्रानिक बनाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश में कोई मैनुअल एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है। इस समय, देश में कार्यरत इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) उपस्कर, धनराशि तथा अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर मार्च, 2000 तक सभी इलैक्ट्रो-मेकेनिकल टेलीफोन एक्सचेजों को इलेक्ट्रानिक बना दिए जाने की संभावना है।

विवरण

देश में कार्यरत इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र॰सं॰	राज्य	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज	मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2004	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	70	शून्य
3.	असम	319	शून्य
4.	बिहार	851	शून्य
5.	गुजरात	1692	शून्य
6.	हरियाणा	788	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	611	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	246	शून्य
9.	केरल	800	शून्य
10.	कर्नाटक	2164	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	2725	शून्य
12.	महाराष्ट्र	2763	शून्य
13.	मणिपुर	30	शून्य
14.	मेघालय	45	शून्य
15.	मिजोरम	41	शून्य
16.	नागालैंड	35	शून्य
17.	उड़ीसा	759	शून्य
18.	पंजाब	1001	शून्य
19.	राजस्थान	1623	शून्य
20.	सिक्किम	25	शून्य
21.	तमिलनाडु	1487	शून्य
22.	त्रिपुरा	50	शून्य
23.	उत्तर प्रदेश	2083	शून्य
24.	पश्चिम बंगाल	832	शून्य
25.	गोवा	69	शून्य
26.	दिल्ली	148	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंड॰ तथा निको॰ द्वीप समूह	26	-
2.	चंडीगढ़	8	-
3.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	12	-
4.	लक्षद्वीप	10	-
5.	पांडिचेरी	19	-

अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली

2970. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली विकसित करने की कोई नीति है;

(ख) क्या सरकार की बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली विकसित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) अंतर्देशीय जल परिवहन की नीति तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰-1 (गंगा) बिहार में बहती है और बक्सर तथा ऊपर की ओर फरक्का के बीच इसका लगभग 575 कि॰ मी॰ लम्बा खंड बिहार में पड़ता है। रा॰ ज॰-1 के अन्य भागों के साथ-साथ इस खंड को नौवहन और नौचालन के लिए बंडालिंग और निकर्षण द्वारा नौचालन चैनल के उथले भागों को गहरा करने, चैनल दर्शक चिह्नों को लगाने और रख-रखाव करने, कारागोला, मुंगेर, भागलपुर और पटना में फ्लोटिंग टर्मिनलों की स्थापना और रख-रखाव करने जैसे निर्माण कार्य करके विकसित किया जा रहा है। पटना में स्थायी आर सी सी टर्मिनल के निर्माण की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

रा॰ ज॰-1 के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 15.85 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से लगभग 9.00 करोड़ रुपये बिहार में विकास कार्यों के लिए हैं।

सैनिकों के परिजनों को मताधिकार

2971. श्री माधव राव सिंधिया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेनाध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया है कि चुनाव के दौरान सैनिकों के परिवार के सदस्यों को प्रौक्सी वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद तथा विधान सभा दोनों के निर्वाचन के दौरान सशस्त्र सैन्य कर्मी अपने मताधिकारों को प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कानून में संशोधन करने और सशस्त्र सेनाओं को उनके परिवार सहित डाक मत-पत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत 4,32,518 व्यक्तियों में से 3,23,985 ने डाक मतपत्र द्वारा 1998 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 'सेवा मतदाता' प्रवर्ग के अंतर्गत सशस्त्र बल कार्मिक भी हैं परंतु कितने सशस्त्र बल कार्मिकों ने किसी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग किया इस बाबत पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विद्यमान विधि के अधीन सशस्त्र बलों के सदस्य डाक मतपत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात है। किंतु सशस्त्र बल के सदस्यों के लिए डाक मतपत्र की विद्यमान पद्धति को 'परोक्षी मतदान' की पद्धति से प्रतिस्थापित करने के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(घ) यह समय उपदर्शित कर पाना संभव नहीं है जिस तक इस विषय में कोई विनिश्चय किए जाने की संभावना है।

सतपुड़ा क्षेत्र में वनों की कटाई

2972. **डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे सतपुड़ा रेंज में वन काटे गए हैं और जनजातियों एवं आदिवासियों का जीवन दयनीय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास सतपुड़ा रेंज में वनरोपण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जनजाति एवं आदिवासियों के हालत सुधारने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मंराडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग

2973. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्बाध यातायात हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : यद्यपि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात निरंतर बढ़ रहा है फिर भी उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। सरकार, गैर-सरकारी क्षेत्र की निधियों से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के आधार पर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

प्रतिभा पलायन

2974. **श्री वसुदेव आचार्य** :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

श्री रूपचन्द पाल :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान हुए प्रतिभा पलायन का वर्षवार, विषयवार और देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिभा पलायन के लिए आर्थिक कारण को छोड़कर अन्य कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ग) इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) विशेषज्ञ को प्रशिक्षित करने में कितनी लागत आती है और इसके कारण देश को कितनी वार्षिक हानि हो रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और डाक्टर नौकरियों और उच्च अध्ययन के लिए अन्य देशों में जाते ही हैं। किंतु इस संबंध में उनकी संख्या के बारे में कोई निश्चित रिकार्ड नहीं रखा जाता है। विश्वजनीन अन्तरनिर्भरता की वर्तमान स्थिति में एक देश में संस्थाओं की अन्य देश में संस्थाओं तथा अकादमियों के साथ पारस्परिक तालमेल होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा बहिर्गमन को कम से कम करने और विदेशों में बसे वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों के भारत वापस लौटने को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर कतिपय कदम उठाए गये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन करना;
- विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता/उच्च अध्ययन के अधिक केन्द्र स्थापित करना;
- विज्ञान के नए तथा अग्रणी क्षेत्रों में शोध करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के कोर समूहों को बनाना;
- उद्यमता विकास बोर्ड (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग) के लिए अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण;
- एसोसियेटशिप/अध्येतावृत्तियों/पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- वैज्ञानिक पूल योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों के अस्थाई स्थानन का प्रावधान;
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के ख्याति-प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं को अल्पकालिक तकनीकी कार्यों के लिए आमंत्रित करना।

प्रशिक्षित विशेषज्ञों की श्रृंखला बहुत व्यापक होने के कारण, प्रशिक्षण की लागत एक संस्थान से दूसरे संस्थान और एक विषय से दूसरे विषय में भिन्न-भिन्न होती है। सभी संस्थानों अथवा विषयों के बारे में कोई विशेष अध्ययन उपलब्ध नहीं है। किंतु वर्ष 1989-90 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संबंध में किए गए विश्लेषण के अनुसार प्रति छात्र प्रति वर्ष लागत बी॰ टेक के लिए 52,000 रुपए, स्नातकोत्तर के लिए 77,000 रुपए और पी॰ एच॰ डी॰ के लिए 98000 रुपए के लगभग है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन संवाददाता की नियुक्ति

2975. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कम से कम एक संवाददाता की नियुक्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन अब एक स्वायत्तशासी निगम, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) का भाग हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध

2976. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध के निर्माण पर अप्रैल, 1998 तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है;

(ख) इस परियोजना को आरंभ करते समय कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया था;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) इस पर कार्य पूरा होने की निर्धारित समय सीमा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा कर पाना संभव नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (च) सरकार द्वारा टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे॰वा॰ को 2963.66 करोड़ रुपये मार्च, 1993 मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत पर टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए मार्च, 1994 में अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसमें सम्बद्ध पारेषण प्रणाली शामिल नहीं है। अप्रैल, 1998 के अंत तक परियोजना पर 1664.79 करोड़ रुपये (अंनतिम) खर्च किए जा चुके हैं।

दिसम्बर, 1997 के मूल्य स्तर पर परियोजना का संशोधित लागत अनुमान 4657 करोड़ रुपये है। परियोजना स्थल पर निर्माण संबंधी गतिविधियां संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं तथा परियोजना को मार्च, 2002 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना

2977. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री चिन्ता मोहन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजनीतिक दलों के क्या नाम हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर के दलों के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) क्या इन दलों में वे दल भी शामिल हैं जिन्हें लोक सभा के पिछले दो आम चुनावों के दौरान ऐसी मान्यता दिए जाने के लिए अपेक्षित कुल, मतों की न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत भी प्राप्त नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राजनीतिक दलों के क्या नाम हैं; और

(घ) ऐसे दलों की मान्यता समाप्त न करने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल और समता पार्टी वे सात दल हैं तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) से (घ) राजनैतिक दलों को मान्यता आयोग की अधिसूचना संख्या 56/97 जे॰ एस॰ III तारीख 15.12.1997 द्वारा यथा संशोधित निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1965 के पैरा 6 और पैरा 7 के उपबंधों द्वारा शासित होती है। पूर्वोक्त सभी सातों दल को 1996 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर मान्यता दी गई थी जब कि वे दल ऐसी मान्यता के लिए शर्तों को पूर्ण कर लेने वाले पाए गए थे। 1998 के साधारण निर्वाचन में विभिन्न दलों के मतदान निष्पादन का पुनर्विलोकन, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की सूची में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

2978. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में वर्तमान समय में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्किल के अंतर्गत कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ग) राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर स्वतंत्र टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) ये एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में एक जिला सर्किल कार्यालय स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 31.5.98 की स्थिति के अनुसार कार्यकर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :

1.	देश में	: 23641
2.	महाराष्ट्र राज्य (मुम्बई सहित)	: 2896

(ख) एम॰ टी॰ एन॰ एल॰ तथा महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नलिखित हैं :

एम टी एन एल दिल्ली	-	157
एम टी एन एल मुम्बई	-	132
कुल	-	289
महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (गोवा सहित)	-	2832

(ग) शून्य

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

2979. श्री के॰ येरननायडु :
श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री सोहनवीर सिंह :
श्री इन्द्रजीत सिंह :
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
श्री सतनाम सिंह कैंथ :
श्री राजबीर सिंह :
श्री विजय संकेश्वर :
डा॰ संजय सिंह :
श्री रामदास आठवले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राज्यवार और स्थल वार केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कितने मामले अनुमोदन हेतु लम्बित हैं; और

(ख) उन्हें कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विद्यालयों को खोलने के लिए प्रायोजक अभिकरणों से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राप्त प्रस्तावों

का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय भौतिक सुविधाओं के उपलब्ध होने, प्रायोजक अधिकरणों द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों को पूरा करने और निधियां उपलब्ध होने को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। वित्तीय कमी के कारण इस समय नए केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं।

विवरण

नए केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने हेतु लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार सूची

1	2	3
1.	**असम**	2
	1. डिब्रूगढ़	
	2. शिवसागर	
2.	**आंध्र प्रदेश**	1
	3. सी आई एस एफ हकीमपेट	
3.	**अरुणाचल प्रदेश**	कोई नहीं
4.	**बिहार**	3
	4. बी आर सी दानापुर	
	5. फोरबासगंज, अरोरया	
	6. साहेब गंज	
5.	**गुजरात**	कोई नहीं
6.	**गोवा**	कोई नहीं
7.	**हरियाणा**	1
	7. कोसली	
8.	**हिमाचल प्रदेश**	कोई नहीं
9.	**जम्मू और कश्मीर**	2
	8. साम्बा	
	9. गढ़ी विद्यानगर	
10.	**केरल**	2
	10. कनहनगढ़	
	11. बड्डाक्कामचेरी	
11.	**कर्नाटक**	2
	12. गंडक	
	13. उत्तर कन्नड	
12.	**मध्य प्रदेश**	कोई नहीं
13.	**महाराष्ट्र**	1
	14. भटकपेड	
14.	**मणिपुर**	कोई नहीं
15.	**मेघालय**	कोई नहीं
16.	**मिजोरम**	कोई नहीं
17.	**उड़ीसा**	1
	15. कुतरा	
18.	**नागालैंड**	कोई नहीं
19.	**पंजाब**	1
	16. भिकीविन्ड	
20.	**राजस्थान**	कोई नहीं
21.	**सिक्किम**	कोई नहीं
22.	**तमिलनाड**	कोई नहीं
23.	**त्रिपुरा**	2
	17. अम्बासा	
	18. सलबागम	
24.	**उत्तर प्रदेश**	3
	19. रूड़की	
	20. आई टी बी पी गोचर	
	21. मुजफ्फरनगर	
25.	**पश्चिम बंगाल**	3
	22. बोलपुर	
	23. दुर्गापुर	
	24. नादिया	
26.	**संघ राज्य क्षेत्र**	1
	25. बंसत कुंज (दिल्ली)	
	कुल	25

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजना

2980. श्री रामपाल सिंह :

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में समेकित बाल विकास योजनाओं का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन-कौन से आंगनवाडी केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(घ) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे आंगनवाडी स्कूलों/परियोजनाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में समेकित बाल विकास योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खंडों तथा प्रमुख शहरी झोपड़-पट्टियों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत 4200 परियोजनाएं चालू की हैं।

(ख) और (ग) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र 700 से 1000 तक जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। जबकि पहाड़ी और मरुस्थली क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या वाले छोटे-छोटे गांवों और बस्तियों में भी आंगनवाडी केन्द्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(च) कार्यान्वयन की कारगर प्रबोधन प्रणाली आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ स्कीम के अन्दर ही निहित है। केन्द्रीय स्तर पर आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ का प्रबोधन कक्ष परियोजनाओं से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ स्कीम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से प्रबोधन करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला कक्ष तथा मुख्यालय कक्ष नियमित रूप से आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ स्कीम के कार्यान्वयन का प्रबोधन करते हैं। इसके अलावा, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रबोधन हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा नियमित दौरे भी किये जाते हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू आई॰सी॰डी॰एस॰ परियोजनाओं की संख्या	आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	237	34764
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	3341
3.	असम	83	12795
4.	बिहार	323	42975
5.	गोवा	11	1334
6.	गुजरात	227	38897
7.	हरियाणा	114	13977
8.	हिमाचल प्रदेश	72	8935
9.	जम्मू कश्मीर	113	12116
10.	कर्नाटक	185	39100
11.	केरल	120	20123
12.	मध्य प्रदेश	335	41879
13.	महाराष्ट्र	274	49571
14.	मणिपुर	32	4015
15.	मेघालय	30	2438
16.	मिजोरम	21	1487
17.	नागालैंड	35	3066
18.	उड़ीसा	279	31364
19.	पंजाब	90	11971
20.	राजस्थान	194	29006
21.	सिक्किम	5	620
22.	तमिलनाडु	432	55263
23.	त्रिपुरा	23	3429
24.	उत्तर प्रदेश	580	76236
25.	पश्चिम बंगाल	294	47861
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	429
27.	चंडीगढ़	3	341
28.	दिल्ली	29	4099
29.	दादरा नगर हवेली	1	152
30.	दमन दीव	2	95
31.	लक्षद्वीप	1	73
32.	पांडिचेरी	5	819
	योग	4200	592571

निजी शैक्षिक संस्थान

2981. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी व्यक्तियों/संस्थानों को देश के अनेक राज्यों में रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा संस्थान (तकनीकी/गैर तकनीकी) खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और विषयवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर सरकारी व्यक्तियों को कतिपय स्थानों पर वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इंजीनियरिंग और मेडीकल कालेज खोलने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम और भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अधीन योजनाओं, नियमों तथा विनियमों के अनुसार प्राइवेट व्यक्तियों को देश में इंजीनियरी अथवा चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, न्यासों, सोसाइटियों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, इत्यादि से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय की गई राशि

2982. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-98 के दौरान वर्षवार गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई और व्यय की गई;

(ख) क्या उक्त राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल आबंटित राशि नीचे दर्शाई गई है :

(लाख रुपये)

वर्ष	रा० रा० (ओ०)	रख-रखाव
1996-97	700.00	325.36
1997-98	900.00	450.39

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास के लिए कोष

2983. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कोष कब तक स्थापित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा शोध तथा विकास के लिए जारी सामान्य अनुदान के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में शोध तथा विकास को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कुछ चुने हुए कालेजों तथा 'विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करने की योजना' प्रारंभ करने का सरकार का प्रस्ताव है। वर्ष 1998-99 के दौरान इस योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

[अनुवाद]

चिड़ियाघरों में जानवरों की दशा

2984. श्री बीरसिंह महतो :

श्री कमलनाथ :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में जानवरों की दशा के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) सरकार ने चिड़ियाघरों में जानवरों की दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु आबंटित की गई धनराशि और उसके उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक प्राणी उद्यानों में दुर्लभ प्रजातियों के अनेक पशु और पक्षी मरे हैं;

(ङ) यदि हां, तो चिड़ियाघर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर प्रबंध के सुविज्ञ व्यक्तियों के माध्यम से देश के विभिन्न चिड़ियाघरों के जानवरों के रहने की दशाओं का मूल्यांकन प्रारंभ किया है।

(ख) चिड़ियाघरों में जानवरों की दशा में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

1. चिड़ियाघरों से, निर्धारित समय सीमा के भीतर जानवरों के आवास, अनुरक्षण और स्वास्थ्य परिचर्चा में सुधार लाने को कहा गया है।
2. जानवरों के आवास, अनुरक्षण और स्वास्थ्य परिचर्चा के लिए केन्द्रीय सरकार ने अधिदेशात्मक मानदंड और प्रतिमान (नार्म) निर्धारित किये हैं।
3. प्राधिकरण की सिफारिशों को लागू करने हेतु चिड़ियाघरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं ये कार्य केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों द्वारा 50 : 50 की साझेदारी के आधार पर किये जाने हैं।
4. जिन चिड़ियाघरों में निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था की संभावना नहीं होती है उन्हें बन्द करने को कह दिया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए चिड़ियाघरों को आबंटित धनराशि तथा उसके उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	रिलीज की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1995-96	248.96 लाख	123.88 लाख
1996-97	220.08 लाख	85.15 लाख
1997-98	321.98 लाख	

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्राणि उद्यानों में मरे दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चिड़ियाघर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण जानवरों के मरने का कोई भी मामला केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सूचित नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्राणी उद्यानों में मरे दुर्लभ प्रजाति के जानवरों और पक्षियों का ब्यौरा

बिडाल-वंशी

(क) लमचित्ता (नियोफेलिस नेबुलोरा)

1. असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी 2(1:1)

(ख) तेन्दुआ-बिल्ली (फेली बेंगालेंसिस)

1. असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी 9(5:4)
2. इटानगर प्राणि उद्यान, इटानगर 2(1:1)
3. नन्दनकानन जीव उद्यान, भुवनेश्वर 2(2:0)

(ग) एशियाटिक लॉयन (पेंथेरा लिओ पर्सिका)

1. शकूरबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़ 23(10:13)
2. वीरमाता जीजाबाई उद्यान चिड़ियाघर, मुंबई 5(2:3)
3. नेहरू प्राणि उद्यान, हैदराबाद 3(1:2)

(घ) बंगाल टाइगर (पेंथेरा टिगरिस टिगरिस)

1. राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली 5(3:2)
2. भगवान बिरसा जीव उद्यान, रांची 3(1:2)
3. श्री चामाराजेन्द्रा प्राणि उद्यान, कर्नाटक 5(4:1)
4. नन्दनकानन जीव उद्यान, कर्नाटक 11(5:5:1)
5. मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई 6(5:0:1)

(ङ) तेंदुआ (पेंथेरा पारडुस)

1. शक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़ 7(5:2)
2. नन्दनकानन जीव उद्यान 7(2:5)
3. प्रिंस आफ वेल्स प्राणि उद्यान, लखनऊ 6(2:4)
4. मैत्रीबाग चिड़ियाघर, भिलाई 4(2:2)
5. जवाहर लाल नेहरू जीव उद्यान, बोकारो 3(2:1)
6. वन विहार, भोपाल 3(0:3)

नर-वानरगण

(क) स्लो लॉरिस (निक्टीसीबस कोकेंज)

1. असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी 11(5:6)
2. इटानगर प्राणि उद्यान, इटानगर 3(0:3)

(ख) गोल्डन लंगूर (प्रेसबाइटिस जी)

1. नन्दनकानन जीव उद्यान, भुवनेश्वर 2(1:1)

2. सिओपाहीजाला जीव उद्यान, त्रिपुरा 2(1:1)

(ग) लॉयन टेल्ड (लघु पुच्छ) वानर (मकाका सिलेनस)

1. राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली 2(1:1)
2. सायाजी बाग चिड़ियाघर, बड़ौदा 2(1:1)

(घ) नीलगिरि लंगूर (प्रेसबाइटिस जोहनिल)

1. नन्दनकानन जीव उद्यान, भुवनेश्वर 2(0:2)

खुरदार प्राणि

(क) चिंकारा (गोरिल्ला गजला बेनेटी)

1. प्राणि उद्यान, बीकानेर, राजस्थान 13(5:8)
2. एम सी प्राणि उद्यान चतवीर, पंजाब 5(3:2)
3. राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली 8(0:1:7)
4. गांधी प्राणि उद्यान, ग्वालियर 8(2:3:3)

(ख) माउस डीयर (ट्रेंगुलस मेमिना)

1. कमला नेहरू प्राणि उद्यान, अहमदाबाद 4(2:1:1)
2. नेहरू प्राणि उद्यान, हैदराबाद 3(2:1)

(ग) चार सींग वाला हिरण (टेट्रासीरस क्वाड्रीकार्निस)

1. नन्दनकानन जीव उद्यान भुवनेश्वर 4(2:2)
2. वीरमाताजीजाबाई उद्यान चिड़ियाघर, बम्बई 4(3:1)

(घ) इंडियन वन हार्नड रीनो (रीनोसीरोस यूनीकार्निस)

1. असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी 2(2:0)

(ङ) ब्रो एन्टीयर्ड डीयर-सेंगाई (सीरवस अल्दी-अल्दी)

1. अलीपुर प्राणी उद्यान, पं॰ बंगाल 11(8:3)
2. तिरूवनंतपुरम उद्यान, केरल 3(1:2)
3. एम॰ सी॰ प्राणि उद्यान, चतबीर 3(1:1:1)

(च) स्वैम्प डीयर (सीरवस डुवोसली डुबोसेली)

1. कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर 3(1:2)
2. प्रिंस आफ वेल्ज प्राणि उद्यान, लखनऊ 7(1:3:3)
3. राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली 2(0:2)

अन्य

(क) स्लोथ बीयर (मेलुरसस उर्सिनस)

1. बैनखट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंगलौर 4(3:1)
2. गांधी प्राणि उद्यान, ग्वालियर 2(1:1)
3. नन्दनकानन जीव उद्यान 2(2:0)

(ख) इंडियन वुल्फ (केनिस ल्यूपस पेलीपीस)

1. अरिगनार अन्ना प्राणि उद्यान, वंडालूर, तमिलनाडु 2(0:2)
2. कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर 2(0:2)
3. शक्करबाग प्राणि उद्यान, जूनागढ़ 3(2:1)

(ग) क्रिजलेड सीयान स्क्विरल (गिलहरी) रेटुफा मक्रोना

1. इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापतनम 4(0:2:2)

(घ) जंगली कुता (कुअन एल्पिनस)

1. अरिगनार अन्ना प्राणि उद्यान, तमिलनाडु 10(3:0:7)

पक्षी

(क) कबतूर, निकोबार (केलोनस निकोबेरिका पेलिवेंसिस)

1. सायाजी बाग चिड़ियाघर, बडोदरा, गुजरात 1(0:0:1)

(ख) हार्नबिल इंडियन पाईड (एन्थ्राकोसिरॉस मालाबेरिकस)

1. इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश 1(0:0:1)
2. प्राणी उद्यान, अलीपुर, पं॰ बंगाल 1(0:0:1)

(ग) हार्नबिल, ग्रेट इंडियन (ब्यूसीरस वाइकार्निस)

1. प्राणि उद्यान, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश 1(1:0)
2. आइजोल चिड़ियाघर, आइजोल, मिजोरम 1(0:1)
3. प्राणि उद्यान, अलीपुर, पं॰ बंगाल 1(0:1)

(घ) फीसेंट, बीयर (केटरियस वालिची)

1. अरिनानार अन्ना प्राणि उद्यान, वेंडालूर 1(0:0:1)

विद्युत केन्द्रों के साथ अन्तर क्षेत्रीय पारेषण संपर्क

2985. श्रीमती रानी चित्रलेखा भोंसले :
डा॰ सरोजा वी॰ :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड वे अन्तर क्षेत्रीय पारेषण संपर्क को सुदृढ़ करने और अपनी डाटाबेस प्रणाली के उन्नयन करने के लिए विश्व बैंक के 450 मिलियन डालर ऋण का सफलतापूर्वक उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें विश्व बैंक की सहायता से ये विद्युत परियोजनायें स्थापित करने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल, 1998 में विश्व बैंक से 450 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण पर बातचीत हुई थी। विश्व बैंक द्वारा इस ऋण के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एच० वी० डी० सी० अंत:संयोजन के क्रियान्वयन, पूर्वी दक्षिणी एच० वी० डी० सी० अन्त:संयोजन के निर्माण, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के लिए एकीकृत भार प्रेषण और संचार सुविधाओं तथा हिरमा ताप विद्युत केन्द्र के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली की व्यवस्था हेतु इस ऋण का समुपयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस निवेश के माध्यम से विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

टी० वी० स्टूडियो

2986. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और स्थान-वार इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टी० वी० स्टूडियो का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये स्टूडियो कब से कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ग) इनके कार्यान्वयन में सामान्यत: कितना समय लगेगा और इनके कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) राज्यवार एवं स्थानवार कार्यान्वयनाधीन टी० वी० स्टूडियो, शुरू किए जाने के समय तथा प्रत्येक परियोजना को पूरा करने की प्रत्याशित तारीख के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। स्कीम के मंजूर होने के बाद स्टूडियो परियोजना को पूरा करने में 3-4 वर्ष का समय लगता है बशर्ते आधारभूत सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध हों तथा बिना किसी अधिक्रमण के स्थल उपलब्ध हों और सिविल निर्माण कार्य को समय पर पूरा किया जाए। कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में विलंब।
2. मूलत: उपलब्ध करवाई गई राशि से अधिक व्यय, जिससे लागत अनुमानों को संशोधित करने की आवश्यकता होना।
3. जलवायु अवस्थाओं एवं कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण कुछ क्षेत्रों में दुष्कर कार्य अवस्था।
4. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्थलों की उपलब्धता तथा भवन निर्माण योजना के अनुमोदन में विलंब।
5. सिविल ठेकेदारों की समस्याओं के कारण विलम्ब।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन टीवी स्टूडियो

राज्य	स्टूडियो का स्थान	स्वीकृति की तारीख	पूरा करने की प्रत्याशित तारीख
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सितंबर, 94	1998-99
बिहार	रांची (संवर्धन)	नंवबर, 94	1998-99
गुजरात	राजकोट (संवर्धन)	नवंबर, 90	1998-99
केरल	त्रिचूर	अगस्त, 94	1998-99
महाराष्ट्र	मुंबई (विस्तार)	मार्च, 89	1998-99
	पुणे	सितंबर, 94	1998-99
उड़ीसा	संबलपुर (स्थाई)	अक्तूबर, 93	1998-99
	भवानीपटना	अगस्त, 94	1998-99
पंजाब	पटियाला	जनवरी, 95	1998-99
सिक्किम	गंगटोक	जनवरी, 87	1999-2000
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	अगस्त, 94	1998-99
	मथुरा	मई, 95	1998-99
	वाराणसी	अगस्त, 94	1998-99
पश्चिम बंगाल	शांतिनिकेतन (स्थाई)	अप्रैल, 95	1998-99
दिल्ली	मंडी हाउस (संवर्धन)	अप्रैल, 87	1999-2000
	फेस-2		
चंडीगढ़	चंडीगढ़	मार्च, 86	1999-2000

[हिन्दी]

हिन्दी ग्रंथ अकादमी

2987. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी ग्रंथ अकादमी स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं तथा इसकी वर्तमान कार्य प्रणाली क्या है;

(ख) क्या बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी के अनेक हिन्दी लेखकों को कई वर्षों से न तो पारिश्रमिक ही दिया गया है और ना ही उनकी संशोधित पांडुलिपियां प्रकाशित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन करने संबंधी निर्णय के अनुसरण में, कुछ हिन्दी भाषी राज्यों ने ग्रंथ अकादमियों स्थापित की हैं। ये स्वायत्त निकाय हैं तथा संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

(ख) इस मामले में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बिहार सरकार को इस संबंध में लिखा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपग्रह मनीआर्डर और हाईब्रिड डाक सेवा

2988. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने देश में 'वैरी स्माल एपरचर टर्मिनल (वीएसएटी) के माध्यम से उपग्रह मनीआर्डर सेवा, हाईब्रिड डाक सेवा और निगम मनीआर्डर सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन सेवाओं को शुरू किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों विशेष रूप से असम में दूर-दराज वाले क्षेत्रों में, इन सेवाओं को शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

उत्तर-पूर्व में विभाग ने गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रुगढ़, सिलचर, शिलांग, अगरतला, एजवाल और कोहिमा नामक आठ स्थानों पर उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से मनीआर्डरों, हाईब्रिड मेल और कारपोरेट मनीआर्डरों के पारेषण के लिए वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल स्थापित किए हैं। इसके अलावा 14 और डाकघरों अर्थात् तिनसुखिया प्रधान डाकघर, जोरहाट प्रधान डाकघर, शिवसागर प्रधान डाकघर, गोलाघाट प्रधान डाकघर, सिलचर मेडिकल कालेज उपडाकघर, नालबाड़ी प्रधान डाकघर, नौगांव प्रधान डाकघर, धुब्री प्रधान डाकघर, बोगाईगांव उपडाकघर, करीमगंज प्रधान डाकघर, हेलाकंडी उपडाकघर, हाफलांग उपडाकघर, मंगलदोई प्रधान डाकघर तथा पंचग्राम डाकघर, को उपग्रह मनीआर्डरो, हाइब्रिड मेल तथा कारपोरेट मनीआर्डरों के पारषण/प्राप्ति के लिए असम सर्किल के चार वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों (वीएसएटी) से जोड़ा गया है। उत्तर-पूर्व सर्किल में चार डाकघरों अर्थात् इम्फाल प्रधान डाकघर, लेतमुखरा उपडाकघर (शिलांग) तुरा प्रधान डाकघर तथा दीमापुर प्रधान डाकघर को वीएसएटी नेटवर्क से जोड़ा गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वी एस ए टी नेटवर्क के आगे और विस्तार के एक भाग के रूप में विभाग ने गुवाहाटी वी एस ए टी के अंतर्गत 10 अतिरिक्त डाकघरों में उपस्कर सप्लाई किए हैं। इन डाकघरों के नाम इस प्रकार हैं- बारपेटा प्रधान डाकघर, गोलपाडा उपडाकघर, मरीगांव उपडाकघर डिफू उपडाकघर, हौजाई उपडाकघर, लमडींग उपडाकघर गोसाईगांव उपडाकघर, दुधमोई उपडाकघर, बेइहाता उपडाकघर तथा जकलाभांडा उपडाकघर।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल प्रदूषण

2989. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी के किनारे स्थित उद्योग पेयजल को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) क्या उद्योगों द्वारा स्थापित किए गए जल शोधन संयंत्र समुचित रूप से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या अनेक उच्च न्यायालयों में ऐसे उद्योगों के विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे पेयजल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ताकि जल शोधन संयंत्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे सभी उद्योगों को बन्द किया जा सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेय जल स्रोतों के साथ ही साथ पर्यावरण बचाव और मानदण्डों के अनुपालन के लिए नालों और नदी सहित जल निकायों में अपना बहिस्राव निस्तारित करने वाले स्वरूप से घोर प्रदूषणकारी समझे गए उद्योगों की 17 श्रेणियों की निगरानी कर रहे हैं। उद्योगों को ऐसे जल निकायों में अपना बहि:स्राव निस्तारित करने से पूर्व निर्धारित मानदण्डों को पूरा करना अपेक्षित है।

(ग) जी, हां।

(घ) संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अन्तर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए है कि दोषी उद्योग निर्धारित समय के भीतर निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक

कार्रवाई करे ऐसा न करने पर दोषी उद्योगों के विरुद्ध उन्हें बन्द करने का नोटिस जारी किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन निर्देशों के अनुपालन के लिए क्षेत्रीय समितियां नियुक्त की हैं।

सी॰ आर॰ जेड॰ II में नई मुम्बई को शामिल करना

2990. श्री रवि सीताराम नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई मुम्बई समेत समस्त बृहन मुम्बई को तटीय विनियमन क्षेत्र के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र-II (सी॰ आर॰ जेड॰) में शामिल किया गया है तथा इसे तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्र के किनारे बनी विद्यमान सड़क जैसे जुहू आदि सी॰ आर॰ जेड॰ II के तहत आती है तथा वहां पर निर्माण कार्यों की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र की तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को कुछ शर्तों के साथ 27.9.96 को अनुमोदित किया है। अनुमोदन पत्र की शर्त संख्या बी-20 के अनुसार महाराष्ट्र की राज्य सरकार को तटीय विनियमन क्षेत्र-II क्षेत्रों के वर्गीकरण की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करनी होगी और अन्तिम रूप से किए गए वर्गीकरण की एक प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजनी होगी। राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहे थे।

(ग) से (ङ) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 के मार्ग निर्देशों के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र-II को तटीय रेखा तक अथवा उसके निकट तक पहले से ही विकसित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

भवनों के निर्माण की अनुमति केवल वर्तमान सड़कों (अथवा क्षेत्र की अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में प्रस्तावित सड़कों) की तरफ भूमि की ओर अथवा वर्तमान प्राधिकृत भवनों की तरफ भूमि की ओर होगी।

[हिन्दी]

संचार नेटवर्क के विकास हेतु लक्ष्य

2991. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक के लिए संचार तंत्र संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु धनराशि निर्धारित की गई है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) योजना आयोग को अनुमोदित प्रस्तुत महानगर टेलीफोन निगम लि॰ सहित दूरसंचार विभाग के नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के प्रस्तावों में 230 लाख निवल स्विचन क्षमता बढ़ाने, 185 लाख नए टेलीफोन कनेक्शनों, 18 लाख लंबी दूरी स्विचन लाइनों, 2,30,000 रूट कि॰मी॰ लंबी दूरी पारेषण माध्यम की परिकल्पना की गई है। योजना प्रस्तावों में नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए निजी भागीदारिता की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) और (घ) योजना आयोग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों के लिए प्रत्याशित योजना परिव्यय 83250 करोड़ रुपए है, इसमें महानगर टेलीफोन निगम लि॰ भी शामिल है।

धनराशि जारी करने में विलंब

2992. श्री मोतीलाल वोरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के राजनंदगांव जिले के लिए पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से इस संबंध में प्राप्त की जाने वाली वित्तीय सहायता अभी तक जारी नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो यह वित्तीय सहायता कब तक दे दी जाएगी और इसमें विलंब यदि कोई हुआ है, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने राजनंदगाव जिले के लिए प्राथमिकता शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 2,27,00,000 रुपये मंजूर किए हैं लेकिन अभी तक केवल 50,00,000 रुपये की राशि ही उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो बकाया राशि कब तक दिए जाने की संभावना है और राशि उपलब्ध कराने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के लिए राजनंदगांव जिले को 107.51 लाख रु॰ की राशि स्वीकृत की गई। 2 ब्लाकों के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान के पहले

चरण के लिए 20 लाख रु॰ संदर्भ अनुदान संस्वीकृत तथा जारी किया गया। शेष 10 ब्लाकों में संपूर्ण साक्षरता अभियान का दूसरा चरण संस्वीकृत किया गया जिसके लिए 140.54 लाख रु॰ की कुल राशि संस्वीकृत की गई, जिसमें से 87.51 लाख रु॰ की राशि जारी कर दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने संपूर्ण साक्षरता अभियान (चरण-II) के लिए 93.69 लाख रुपये के अपने हिस्से में से 87.51 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की है। राजनंदगांव जिले के वर्ष 1997-98 तक संपूर्ण साक्षरता अभियान के पहले और दूसरे चरण के परीक्षित लेखों के प्राप्त होने तथा अभियान की प्रगति को मद्देनजर रखते हुए जिला साक्षरता समिति राजनंदगांव द्वारा निधियों की अपेक्षा करने पर शेष अनुदान राशि जारी की जा सकती है।

(ग) भाग (ख) में बताई गई स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) बेसिक शिक्षा कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता अभियान का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने राजनंदगांव में उत्तर साक्षरता अभियान आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए 226.27 लाख रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में से, परियोजना लागत राशि का 2/3 हिस्सा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को दिया गया जो कि 150.85 लाख रुपये की राशि थी। राजनंदगांव को 26.3.97 को 50 लाख रुपये की तदर्थ अनुदान राशि जारी की गई। जिला साक्षरता समिति ने मार्च, 1998 तक 36.19 लाख रुपये खर्च किए। राज्य सरकार ने मार्च, 1998 तक अपना हिस्सा जारी नहीं किया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा शेष राशि जारी करवाने के लिए जिला साक्षरता समिति से अनुरोध किया गया है कि वह प्रतीक्षित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करे।

(ङ) जिला साक्षरता समिति से उपयुक्त सूचना प्राप्त होने पर, जो कि इसके बजट को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए आवश्यक है, उत्तर साक्षरता अभियान के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के और आगे अंशदान जारी करने के लिए जांच करके जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जाएगी।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंज

2993. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में विशेष रूप से राजनीलगिरि क्षेत्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इस समय उड़ीसा में 761 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1998-99 के दौरान उड़ीसा में खोले जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंज।

मयूर भंज जिला

1. मेरदा-ओनला-हरीपुर
2. भंजाकिया
3. बदामतालिया

सुन्दरगढ़ जिला

1. राउरकेला (एफ॰सी॰आई॰)
2. महुलपली

सम्बलपुर जिला

1. सम्बलपुर डी॰टी॰ओ॰

पुरी जिला

1. भोगासाल्दा
2. टाडास

खुर्दा जिला

1. केरंगा
2. केन्दुपटना
3. सत्यानगर

गंजम जिला

1. सिंदुरपुर
2. पलुरू
3. बरीदा

बालासौर जिला

1. खप्परपाडा
2. नम्पु

3. बरपुर
4. संतगढिया
5. राजबहरामपुर
6. अयौध्या

(ये तीन स्थल राजनीलगिरी प्रदेश में आते हैं।

बाघ की हड्डियों की तस्करी

2994. डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला :
श्री बाला साहिब विखे पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 1998 के "सन्डे टाइम्स" (मुंबई संस्करण) में "टाईगर बोन्स आर बीइंग स्मग्लड आउट" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों/चोरी करने वाले शिकारियों को गिरफ्तार किया गया तथा सजा दी गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने तेंदुए तथा चीते मारे गए हैं, और

(घ) सरकार द्वारा तेंदुओं तथा चीतों को बचाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों और तेन्दुओं को मारने, पता लगाई गई घटनाओं की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	बाघ	तेन्दुआ
1995	5	29
1996	6	31
1997	4	27

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघ और तेंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I से 4 में शामिल वन्य जीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।

(2) बाघों, तेंदुओं तथा उनके वास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

(3) वन्य प्राणिजात एवं वनस्पति जात के संरक्षण के लिए 441 वन्य जीव अभयारण्यों एवं 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत 1,48,000 वर्ग किमी क्षेत्र आता है।

(4) वन्य जीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(5) पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणि-जात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है। हाथी दांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(6) वन्य जीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(7) पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, आई टी बी पी, तटरक्षकों आदि जैसी अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। 1995 के दौरान नई दिल्ली और देहरादून में इन सभी संगठनों के लिए वन्य जीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

(8) देश के बाघ वाले क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए मंत्रालय में "बाघ संकट प्रकोष्ठ" की स्थापना की गई है।

(9) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि ये सतर्कता बढ़ाएं और गश्त में तेजी लाएं।

(10) बाघ परियोजना क्षेत्रों में "विशेष स्ट्राइक फोर्स" की स्थापना करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(11) बाघ संरक्षण से संबंधित द्विपक्षीय मामलों और बाघों की हड्डियों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने तथा साथ ही बाघ के अंगों के अन्य हिस्सों की तस्करी को रोकने के लिए तीन गणतंत्र की सरकार के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(12) बाघ के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए "विश्व बाघ मंच" की स्थापना करने हेतु तथा बाघ रेंज देशों में बाघों के वास-स्थल के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

पथकर से प्राप्त राजस्व

2995. श्री रामदास आठवले : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों से पथकर से राज्यवार और वर्षवार कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	वसूल किया गया शुल्क 1995-96	वसूल किया गया शुल्क 1996-97	वसूल किया गया शुल्क 1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	726.76	587.36	505.00
2.	असम	51.03	39.80	61.10
3.	बिहार	26.93	0.00	12.04
4.	गोवा	165.91	71.56	0.00
5.	गुजरात	593.40	647.42	1281.58
6.	हरियाणा	304.61	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	171.03	136.78	209.01
8.	केरल	251.93	282.47	335.70
9.	मध्य प्रदेश	563.91	657.06	624.73
10.	महाराष्ट्र	868.50	812.43	571.00
11.	मणिपुर	2.65	2.19	0.30
12.	मेघालय	77.08	59.50	60.50
13.	उड़ीसा	187.62	225.20	226.82
14.	पंजाब	92.95	178.87	79.23
15.	राजस्थान	455.96	495.83	605.81
16.	तमिलनाडु	124.94	67.92	147.44
17.	उत्तर प्रदेश	539.65	597.27	721.21
	जोड:	5204.86	4861.66	5441.47

[अनुवाद]

जवाहर नवोदय विद्यालय

2996. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन विद्यालयों में अप्रैल, 1998 तक कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में राज्यवार ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है और ये विद्यालय कहां-कहां खोले जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या और जहां अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, उन जिलों की संख्या राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है। अगले पांच वर्षों के दौरान, समिति का प्रस्ताव प्रत्येक जिले में औसतन एक जवाहर नवोदय विद्यालय निधियां उपलब्ध होने और सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नि:शुल्क उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने तथा नवोदय विद्यालय समिति के स्वयं के भवन निर्माण होने तक विद्यालय चलाने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराने की शर्त के अधीन खोलने का है जैसी कि योजना में परिकल्पना की गई है।

अप्रैल, 1998 तक इन विद्यालयों में कुल 1,16,063 छात्र नामांकित किए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण की लागत को छोड़कर औसतन प्रति छात्र व्यय को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

1995-96 - 11,278.00 रुपए

1996-97 - 12,237.00 रुपए

1997-98 - 14,879.00 रुपए

विवरण

स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों और जिन जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए उनका राज्यवार ब्यौरा अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत ज॰न॰वि॰	जिले जहां ज॰न॰वि॰ नहीं खोले गए
1	2	3	4
01.	आन्ध्र प्रदेश	22	01
02.	अरुणाचल प्रदेश	08	03
03.	बिहार	48	03
04.	गुजरात	12	07
05.	हरियाणा	14	02
06.	हिमाचल प्रदेश	10	02
07.	केरल	12	02
08.	महाराष्ट्र	28	05

1	2	3	4
09.	सिक्किम	03	01
10.	नागालैंड	04	03
11.	उत्तर प्रदेश	47	16
12.	दिल्ली	02	02
13.	असम	18	05
14.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	02	
15.	चंडीगढ़	01	
16.	दादरा व नगर हवेली	01	
17.	दमन व दीव	02	
18.	गोवा	02	
19.	जम्मू व कश्मीर	14	
20.	कर्नाटक	20	
21.	लक्षद्वीप	01	
22.	मध्य प्रदेश	45	
23.	मणिपुर	08	
24.	मेघालय	06	
25.	मिजोरम	03	
26.	उड़ीसा	16	
27.	पांडिचेरी	04	
28.	पंजाब	12	
29.	राजस्थान	29	
30.	त्रिपुरा	03	
	कुल	397*	52*

* 8वीं योजना शुरू होने पर जिलों की संख्या के अनुसार लक्ष्य

केरल में नए टेलीफोन कनेक्शन

2997. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला :

श्री ए॰ सी॰ जोस :

श्री एस॰ अजय कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1998-99 के दौरान केरल में कोई नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है;

(घ) एर्णाकुलम जिले में वागमन टेलीफोन एक्सचेंज और केरल के पोन्नानी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) 1998-99 के दौरान केरल में 56 नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधियां, उपस्कर एवं अवसंरचना उपलब्ध हों। ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में 1129 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया।

(घ) एर्नाकुलम एसएसए में वागमन टेलीफोन एक्सचेंज का दिनांक 9.2.98 को 56 लाइन एम आई एल टी से 88 लाइन सी डॉट आर ए एक्स तक विस्तार किया गया था। 1997-98 के दौरान केरल के पोन्नानी प्रदेश में विस्तार किये गये एक्सचेंजों के ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान अनेक स्थानों पर मौजूदा टेलीफोन प्रणालियों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधियां, उपस्कर तथा अवसंरचना उप-उपलब्ध हो ब्यौरे विवरण-III में दिये गये हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1998-99 के दौरान केरल में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये एक्सचेंज

क्र॰सं॰	एसएसए का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	अल्लेप्पी	1	552
2.	कालीकट	20	8994
3.	कन्नानूर	5	920

1	2	3	4
4.	कसाराजेड	4	920
5.	एर्नाकुलम	12	3312
6.	कोट्टायम	1	2500
7.	पलाक्काड	2	368
8.	पथानामथीट्टा	2	552
9.	क्विलोन	4	1472
10.	त्रिचूर	2	368
11.	त्रिवेन्द्रम	3	3152
		56	23110

विवरण-II

1997-98 के दौरान केरल के पोन्नानी प्रदेश में विस्तार किये गये टेलीफोन एक्सचेंज

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	31.3.97 की स्थिति के अनुसार क्षमता	97-98 के दौरान किया गया विस्तार
1.	अनागानगाड	256	64
2.	चेलारी	1400	100
3.	एडेपाल	652	848
4.	एलामकुलम	272	48
5.	कलपकानाचेरी	1080	60
6.	मनकाडा	1100	128
7.	मरानचेरी	444	1056
8.	मालाथूर	272	1128
9.	मोरकनाड (सीएलटी)	88	72
10.	पुलानानथोले	272	228
11.	तिरूरेगाडी	2528	250
12.	तनालूर	240	760
13.	तनूर	1200	300

विवरण-III

चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल में मौजूदा टेलीफोन प्रणालियों में प्रस्तावित विस्तार

क्र०सं०	एसएसए का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	अल्लेप्पी	19	17444 •
2.	कालीकट	91	134836
3.	कन्नानूर	60	64036
4.	एर्नाकुलम	67	76524
5.	कोट्टायम	31	38646
6.	लक्षद्वीप	2	1176
7.	पलाक्काड	29	25064
8.	पथानामथीट्टा	14	13316
9.	क्विलोन	22	34889
10.	त्रिचूर	30	55730
11.	त्रिवेन्द्रम	29	46940
		394	508601

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना

2998. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इग्नू' के नई दिल्ली क्षेत्रीय केन्द्र में सहायक क्षेत्रीय निदेशकों के अधीन कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र एक क्षेत्रीय निदेशक के अधीन होता है। उनकी सहायता कम से कम तीन सहायक क्षेत्रीय निदेशकों, एक सहायक रजिस्ट्रार/अनुभाग अधिकारी और कुछ सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है। सहायक स्टाफ की सेवाएं क्षेत्रीय निदेशकों/सहायक क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा ली जाती है। दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	पद का नाम	अनुमोदित	भरे गए
1	2	3	4
1.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1
2.	अनुभाग अधिकारी	1	रिक्त
3.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	1	1
4.	वरिष्ठ सहायक	1	3

1	2	3	4
5.	सहायक	2	1
6.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-II	1	1
7.	आशुलिपिक	1	1
8.	तकनीकी सहायक	1	रिक्त
9.	सेमी प्रोफेशनल सहायक	1	1
10.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-I	1	1 सहायक प्रोग्रामर
11.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-II	1	1
12.	कनिष्ठ सहायक-व-टंकक	3	4
13.	ड्राइवर	1	1
14.	ग्रुप-डी	2	2

गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन

2999. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन के आबंटन हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आबंटित क्षमता राज्य की मांग के मुकाबले कम थी; और

(घ) यदि हां, तो मांग की पूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) निकट भविष्य में ऊर्जा कमी को समाप्त करने के लिए समग्र देश के लिए लगभग 12000 मे॰वा॰ की तरल ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की, उसकी अल्प निर्माणावधि तथा वैकल्पिक ईंधनों की कमी को देखते हुए भूतपूर्व उपाय के रूप में आयोजना की गई। इसमें से गुजरात को 1230 मे॰वा॰ की क्षमता तथा आगे चलकर 520 मे॰वा॰ की एक बार्ज माउंटेड क्षमता आबंटित की गई। गुजरात सरकार की सिफारिशों के आधार पर अभी तक 567.70 मे॰वा॰ क्षमता की 13 परियोजनाओं के लिए लिंकेज जारी किए गए हैं।

तरल ईंधन नीति के संशोधनों के अनुसार 12000 मे॰वा॰ की सीमा केवल नापथा पर ही लागू होगी तथा राज्य एफओ, कंडेनसेट और ओरिमल्शन के आधार पर नई विद्युत परियोजनाओं का ठेका इत्यादि ले सकेंगे।

डी॰ डी॰ - 3

3000. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीडी-3 से प्रसारण बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इसे दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक पुन: शुरू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन के डी डी-3 चैनल को विशिष्ट, लक्ष्य दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के लिए आरंभ किया गया था। इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में विविध गंभीर मनोरंजन वाले कार्यक्रम, टेलीफिल्में, नाटक, चर्चाएं आदि शामिल किए जाने थे। धीरे-धीरे यह चैनल एक फिल्म चैनल बन गया जिस पर प्रतिदिन 3 फिल्में दिखाई जाती थीं। इस प्रकार इसे आरंभ करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। इसके अलावा, चैनल को वित्तीय हानि भी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए उक्त चैनल को बंद करने का निर्णय लिया गया।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिए कारणों को ध्यान में रखते हुए डीडी-3 चैनल को पुन: चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से कार्यक्रमों का प्रसारण

3001. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंडला जिले के आकाशवाणी केन्द्र से कार्यक्रमों को कब तक प्रसारित किये जाने की संभावना है; और

(ख) उस केन्द्र से कार्यक्रमों को प्रसारित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दिसम्बर, 1999 तक केन्द्र के तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की आशा है। इसके तुरंत बाद प्रसारण शुरू हो जाएगा।

(ख) सिविल निर्माण कार्यों में सांविधिक कठिनाइयों के कारण उक्त परियोजना में विलंब हुआ है।

[अनुवाद]

निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के अवैध निर्माण

3002. श्री खारबेल स्वाईं : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व स्थल संबंधी केन्द्रीय अधिनियम का उल्लंघन करते हुए राजरानी मंदिर, सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बोइतास

मंदिर और उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर जैसे प्रसिद्ध संरक्षित स्थानों के इर्द-गिर्द निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अनेक इमारतों और बहु-मंजिलें भवनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने उन भवनों के मालिकों को अनुमति देने से पूर्व पुरातत्व विभाग की मंजूरी प्राप्त की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो नियमों को उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं इसके/कुछेक नवीन निर्माण किए गए हैं जिनमें सूर्य मंदिर, कोणार्क के निकट स्थित बाजार परिसर, शौचालय खंड एवं खुला प्रेक्षागृह और मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर के निकट स्थित आवासीय परिसर भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने कुछ मामलों में आवेदकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया है। उड़ीसा सरकार से उन अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए संपर्क किया गया है जिन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है।

हरियाणा और राजस्थान में सड़कों/पुलों का निर्माण

3003. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और राजस्थान सरकारों द्वारा इन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्ताव कौन-कौन से हैं;

(ख) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है; और

(ग) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व (ई एंड आई) की स्कीम के तहत नौवीं योजना में हरियाणा और राजस्थान सरकारों से क्रमश: एक और तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अन्य प्रस्तावों के साथ इन प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस प्रयोजनार्थ निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इन पर विचार किया जाएगा।

सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेक्टर

3004. श्री सी॰ डी॰ गामीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन के प्रचालन के लिए सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितनी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस उद्यम से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संसाधनों को जुटाने में सफल रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अपेक्षित राजस्व अर्जित न कर पाने के क्या कारण हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के फ्रेंचाइज के लिए गैर विशिष्ट लाइसेंस आधार पर दो चरणों में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं प्रथम चरण में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई चार महानगरों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। दूसरे चरण में देश के शेष भागों को शामिल करते हुए 20 दूरसंचार क्षेत्रीय सर्किलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। विस्तृत शर्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) लाइसेंस धारी कंपनियों के नाम तथा उनके सेवा क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) वर्षवार प्रक्षेपण तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	प्रक्षेपण	वसूली
	(रुपये करोड़ में)	
1995-96	1829.54	1326.84
1996-97	1348.76	1054.56
1997-98	1509.79	1280.79

भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में कहा गया है कि मौजूदा शर्तों के संदर्भ में अधिकांश परियोजनाएं आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हैं। क्योंकि मांग, उपभोक्ताओं की संख्या आदि के संबंध में उनका मूल प्रक्षेपण सही सिद्ध नहीं हुआ है। संघ ने लाइसेंस अवधि को बढ़ाने तथा लाइसेंस शुल्क के भुगतान को दो वर्षों तक स्थगित रखने की मांग की है। कुछ मामलों में न्यायालय/टी आर ए आई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) के स्थगन आदेश के कारण, बकाया

लाइसेंस शुल्क के भुगतान की वसूली के लिए बैंक गारंटी को भुनाया नहीं जा सका।

उपरोक्त सेल्यूलर प्रचालकों तथा भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ (सी ओ ए आई) द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों कं मद्दे नजर सेल्यूलर उद्योग का विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने का कार्य ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेज (बी आई सी पी) को सौंपा गया है। बी आई सी पी के अध्ययन के लंबित रहते हुए आई सी आई सी आई (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) से सेल्यूलर सेवा उद्योग के प्रचालानात्मक निष्पादन के संबंध में शीघ्र अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था।

विवरण-I

मुख्य प्रचालानात्मक तथा वित्तीय निवेश शर्तें :

1. लाइसेंस धारी कंपनी की आवश्यक रूप से भारतीय पंजीकृत कंपनी होना चाहिए।
2. लाइसेंस की आंरभिक अवधि 10 वर्ष की होगी जिसे सरकार द्वारा और बढ़ाया जा सकता है।
3. लाइसेंस की प्रभावी तिथि के 12 महीने के अंदर लाइसेंसधारी द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।
4. यह सेवा ग्लोबल सिस्टम्स फार मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) मानक के अनुरूप होगी।
5. यह सेवा लाइसेंस करार में निर्धारित सीलिंग टैरिफ के भीतर प्रदान की जाएगी।
6. लाइसेंसधारी, एक्सेस तथा जंक्शन प्रभारों, जो भी लागू हों, के अतिरिक्त दूरंसचार प्राधिकारी को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
7. लाइसेंसधारी द्वारा बेतार लाइसेंस शुल्क, डब्लयू पी सी रायल्टी, जी एस एस एम ओ यू (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन समझौता ज्ञापन) प्रभारों आदि का भी भुगतान किया जाएगा।
8. लाइसेंस गैर विशिष्ट आधार पर जारी किये जाते हैं।
9. लाइसेंस धारी द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कॉल अनुश्रवण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
10. लाइसेंस धारी कंपनियों में सीधी विदेशी भागीदारी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. स्थानीय तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार को वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाएगा।

विवरण-II

सेवा क्षेत्रों (महानगरों तथा दूरसंचार सर्किलों) तथा लाइसेंसधारी कंपनियों का ब्यौरा

सेवा क्षेत्र		कंपनी का नाम
(क) महानगर		
मुम्बई	1.	बी॰पी॰एल॰ मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि॰
	2.	हुचिसन मैक्स टेलीकॉम लि॰
कलकत्ता	1.	मोदी टेलस्ट्रा प्रा॰ लि॰
	2.	उषा मार्टिन टेलीकॉम लि॰
दिल्ली	1.	भारती सेल्यूलर लि॰
	2.	स्टरलिंग सेल्यूलर लि॰
मद्रास	1.	आरपीजी सेल्यूलर लि॰
	2.	स्काइसेल कम्यूनिकेशन्स प्रा॰ लि॰
(ख)		क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल
सर्किल		कंपनी का नाम
1		2
असम	1.	रिलायन्स टेलीकॉम लि॰
आंध्र प्रदेश	1.	जे॰ टी॰ मोबाइल्स लि॰
	2.	टाटा कम्यूनिकेशन्स प्रा॰ लि॰
बिहार	1.	रिलायन्स टेलीकाम लि॰
	2.	कोशिका टेलीकाम प्रा॰ लि॰
गुजरात	1.	बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन्स लि॰
	2.	फैसेल लि॰
हरियाणा	1.	इस्कोटेल मोबाइल कॉम॰ प्रा॰ लि॰
	2.	एयर सेल डिसिलिंक इंडिया लि॰
हिमाचल प्रदेश	1.	भारती टेलीनेट लि॰
	2.	रिलायंस टेलीकॉम लि॰
कर्नाटक	1.	मोदीकॉम नेटवर्क प्रा॰ लि॰
	2.	जे॰ टी॰ मोबाइल्स लि॰
केरल	1.	एस्कोटेल मोबाइल्स कॉम प्रा॰ लि॰
	2.	बी॰ पी॰ एल॰ यू॰ एस॰ वेस्ट सेल्यूलर टेलीकॉम सर्विसेज प्रा॰ लि॰
मध्य प्रदेश	1.	आर पी जी सेलकाम लि॰
	2.	रिलायंस टेलीकाम लि.

1	2
महाराष्ट्र	1. बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन्स लि॰
	2. बीपीएल यूएस वेस्ट सेल्यूलर टेलीकाम सर्विसेज प्रा॰ लि॰
नार्थ ईस्ट	1. रिलायंस टेलीकाम लि॰
	2. हेक्साकॉम इंडिया लि॰
उड़ीसा	1. कोशिका टेलीकॉम प्रा॰ लि॰
	2. रिलायंस टेलीकॉम लि॰
पंजाब	1. जेटी मोबाइल्स लि॰
	2. मोदीकॉम नेटवर्क प्रा॰ लि॰
राजस्थान	1. हेक्साकॉम इंडिया लि॰
	2. एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि॰
तमिलनाडु	1. बीपीएल यूएस वेस्ट सेल्यूलर टेलीकॉम सर्विसेज प्रा॰ लि॰
	2. श्री निवास सेलकॉम लि॰
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	1. एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि॰
	2. कोशिका टेलीकॉम प्रा॰ लि॰
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	1. कोशिका टेलीकॉम प्रा॰ लि॰
	2. एयरसेल डिजिसिंक इंडिया लि॰
पश्चिम बंगाल	1. रिलायंस टेलीकॉम लि॰

टिप्पणी : कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्य तौर से दूरसंचार सर्किलों तथा राज्यों की सीमाएं समान हैं।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम

3005. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्यक्रम की कालावधि क्या है तथा इसके रोक दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य उड़ीसा में प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सफल था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987-88 में प्रारंभ की गई थी तथा 1993-94 में इसे संशोधित किया गया। वर्तमान संकेतों के अनुसार नौवीं योजना के दौरान भी इस योजना के जारी रहने की संभावना है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा के सभी लक्षित 34,178 प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है तथा सभी 14,112 एकल शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत दो-दो शिक्षक उपलब्ध कराए गये हैं।

इसी प्रकार विस्तारित आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत राज्य के 100 से अधिक नामांकन वाले सभी 5,258 प्राइमरी स्कूलों में एक तीसरा शिक्षक उपलब्ध कराया गया है तथापि, कक्षा कमरों का निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है।

(ग) और (घ) योजना का जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में विस्तार कर दिया गया है। तथापि, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में योजना का अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

शिमला दूरदर्शन केन्द्र

3006. श्री सुरेश चन्देल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना किस तिथि को की गई थी तथा सरकार ने अब तक इसके भवन तथा मशीन पर कुल कितना धन खर्च किया है;

(ख) इस केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए कितने अधिकारियों/स्टाफ की आवश्यकता है तथा यहां कुल कितने लोग किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस केन्द्र द्वारा स्वयं तैयार किए गए कार्यक्रमों की कुल अवधि तथा प्रतिदिन प्रसारण समय की अवधि क्या है; और

(घ) उक्त केन्द्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) शिमला में स्थापित स्टूडियो को 7.6.95 में चालू किया गया था तथा इसके भवन तथा मशीनरी पर अब तक 1637.81 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) स्थापित स्टूडियो में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 284 का प्रस्ताव था जबकि स्टूडियो के लिए 17 पद (एक सहायक स्टेशन इंजीनियर, तीन सहायक इंजीनियर, चार वरिष्ठ इंजीनियर सहायक, छः इंजीनियर सहायक, एक वरिष्ठ तकनीशियन तथा दो

तकनीशियन) स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रसारण की अब तक कुल अवधि 9178 मिनट हैं तथा केन्द्र सप्ताह में पांच दिन सायं 6.30 बजे से सायं 7.00 बजे तक अपने स्वयं के कार्यक्रमों का 30 मिनट प्रसारण कर रहा है।

(घ) प्रसार भारती को अब केन्द्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों को सरकारी आवास

3007. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक एवं तार विभाग के सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराये हैं;

(ख) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के क्वार्टरों की संख्या अत्यधिक है जबकि कर्मचारियों की संख्या आनुपातिक दृष्टि से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या डाक एवं तार विभाग में श्रेणी-I के अधिकारियों को आवास संपदा निदेशालय और डाक एवं तार पूल से मिलते हैं जबकि साधारण कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दोहरी नीति को हटाने का है और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार क्वार्टर निर्मित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) **डाक विभाग**। जी, हां।

दूरसंचार विभाग। जी, हां।

डाक विभाग

(ख) और (ग) कुछ स्थानों पर अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को समायोजित किया जाता है क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारियों की तुलना में उनकी संख्या गौण होती है।

दूरसंचार विभाग जी, नहीं।

(ग) **डाक विभाग** उपरोक्त (ख) के अनुसार

दूरसंचार विभाग उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) **डाक विभाग** जी, नहीं। लेकिन जिन स्थानों पर अधिकारी के लिए डाक पूल में अधिकृत आवास उपलब्ध नहीं होता, वहां आवास संपदा निदेशालय की ओर से मुहैया कराया जाता है।

दूरसंचार विभाग जी, नहीं।

(ङ) **डाक विभाग** उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि क्वार्टरों का निर्माण चरणबद्ध ढंग से समूचे देश में किया जा रहा है जो फंड की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दूरसंचार विभाग उपर्युक्त (ख) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

इरीडियम प्रणाली

3008. श्री मुकुल वासनिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान केन्द्र स्थित जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को इरीडियम प्रणाली से खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो खगोलीय रेडियो तरंगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने की योजना बनाई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

नेशनल सेंटर फार रेडियो एस्ट्रोनोमी के जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी) तथा इरीडियम प्रणाली द्वारा प्रचालन हेतु प्रयोग की आने वाली आवृति बैंड क्रमश: 1610.6 - 1613.8 मेगाहर्ज तथा 1621.35 - 1626.5 मेगाहर्ज हैं जो परस्पर व्यापी नहीं है तथा अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियम के अनुकूल हैं। जहां तक इरीडियम प्रणाली के स्पूरियस इमीशन से जीएमआरटी को होने वाले संभावित हानिकारक हस्तक्षेप का प्रश्न है तो इस मुद्दे को भारतीय प्रशासन द्वारा इरीडियम एलएल सी के समक्ष उठाया गया था तथा एन सी आर ए और इरीडियम एलएलसी के बीच हुए समन्वयन समझौते में समुचित प्रचालानात्मक प्रावधान शामिल किये गये हैं ताकि इरीडियम प्रणाली के स्पुरियस इमीशन का जी एम आर टी पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े।

[हिन्दी]

विज्ञान पुस्तकों का हिन्दी संस्करण

3009. श्री आदित्यनाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰) द्वारा पुस्तकों का अंग्रेजी संस्करण समय पर उपलब्ध हो जाने मगर हिन्दी संस्करण, सत्र आरंभ हो जाने के बाद भी उपलब्ध न हो पाने के कारण हिन्दी माध्यम से विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की शिकायतें किन-किन क्षेत्रों

से तथा कब प्राप्त हुई और स्थिति में सुधार करने के क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इस वर्ष यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि विज्ञान संबंधी विषयों की हिन्दी पुस्तकें एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ द्वारा सत्र के आरंभ होने से पहले या समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हिन्दी में प्रकाशित सभी विज्ञान पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी माध्यम से इन विषयों की पढ़ाई कर रहे तथा III से XI के छात्रों के प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, चालू शैक्षिक सत्र में चार पुस्तकें या तो मुद्रणाधीन हैं अथवा प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को हिन्दी में विज्ञान पुस्तकों की अनुपलब्धता के किसी भी क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ऊपर भाग (क) में बताई स्थिति के अनुसार केवल चार पुस्तकों को छोड़कर सभी विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के हिन्दी संस्करण छात्रों के प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

3010. डा॰ जयंती रंगपी :

श्री अब्दुल हमीद :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नवोदय विद्यालयों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यवार ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जहां ऐसे विद्यालय अभी तक नहीं खोले गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर कार्य योजना 1992 में यह प्रस्तावित है कि देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना और समेकन किए जाने के बाद नवोदय विद्यालय योजना की व्यापक समीक्षा अपेक्षित होगी। विद्यालयों की स्थापना और समेकन की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गयी है। नवोदय विद्यालयों को खोलना निधियों की उपलब्धता तथा राज्य/संघ राज्य प्रशासन द्वारा नि:शुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि तथा समिति द्वारा स्थाई स्थान पर अपना भवन निर्माण किए जाने तक किराया मुक्त उपयुक्त आवास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर है। जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं बनाए गए हैं उनका राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

8वीं योजना के आरंभ में विद्यमान राज्यवार जिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण जहां अभी नवोदय विद्यालय नहीं है

क्र॰सं॰	राज्य का नाम तथा जिले जहां ज॰न॰वि॰ नहीं हैं	शेष जहां बनाए जाने वाले हैं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
	हैदराबाद	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
	पूर्वी सियांग	
	पश्चिम कामेंग	
	पश्चिम सियांग	
3.	असम	5
	बोंगायगांव	
	धुर्ब्री	
	धेमाजी	
	नौगांव	
	नार्थकेचर हिल्स	
4.	बिहार	3
	धनबाद	
	पूर्वी सिंहभूम	
	रोहतास	
5.	दिल्ली	2
	दक्षिण दिल्ली	
	पूर्वी दिल्ली	
6.	गुजरात	2

1	2	3
	अहमदनगर	
	भावनगर	
	बनासकंठा	
	गांधी नगर	
	दि डांग्स	
	वलसाद	
7.	हरियाणा	2
	यमुनानगर	
	पानीपत	
8.	हिमाचल प्रदेश	2
	कुल्लू	
	लाहौल और स्पीति	
9.	केरल	2
	तिरूवंतपुरम	
	वायनाद	
10.	महाराष्ट्र	5
	बंबई	
	बंबई	
	बंबई	
	ग्रेटर बंबई	
	पूणे	
11.	नागालैंड	3
	मोन	
	मोकोकछंग	
	जुनेबतो	
12.	सिक्किम	
	पूर्वी सिक्किम	
13.	उत्तर प्रदेश	16
	बांदा	
	देहरादून	
	फतेहपुर	
	जालौन	
	लखीमपुर खेडी	
	लखनऊ	
	मुरादाबाद	
	पौढ़ी गढ़वाल	
	प्रतापगढ़	
	पीलीभीत	
	रामपुर	
	सहारनपुर	
	शाहजहांनपुर	
	सोनभद्र	
	कानपुर देहात	
	महाराजगंज	

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

3011. श्री के० पी० नायडू : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास ने अपने कंटेनर कार्गो के लिए पत्तन को एक आकर्षक गंतव्य स्थल बनाने के लिए कोई तीव्र अभियान चलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्गो तथा कंटेनर यातायात संचालन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में बाहरी गोदी में बहुउद्देश्यीय लंगरगाह के निर्माण संबंधी प्रगति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए पत्तन के पास योजनाएं हैं।

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए 36.00 मिलियन टन कार्गो ट्रैरिफ का लक्ष्य नियत किया गया है जिसमें 1.50 लाख टन कंटेनर कार्गो शामिल है।

(ग) बाह्य बन्दरगाह में बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है और वर्ष 1999-2000 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ कार्यक्रम

3012. श्री के० सी० कोंडय्या : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रम निर्माताओं, कलाकारों और तकनीशियनों ने बंगलौर दूरदर्शन पर 'प्राइम टाइम' के दौरान कन्नड़

कार्यक्रमों के लिए उन्हें और अधिक समय दिये जाने हेतु सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कन्नड़ कार्यक्रमों का समय बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या 'प्राइम टाइम' पर कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए दिया गया समय कम किया जा रहा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन के कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे तक दो घंटे की अवधि बढ़ा दी है। इस प्रकार, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर का क्षेत्रीय समय अब अपराह्न 2.30 बजे से सायं 8.30 बजे हैं। (पहले यह सायं 4.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक था)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दलबदल निरोधक कानून की समीक्षा

3013. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री पी॰ उपेन्द्र :

श्री ए॰ सी॰ जोस :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विशेषज्ञों ने दलबदल निरोधक कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने अथवा दलबदल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) संविधान की दसवीं अनुसूची के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव, जो दल परिवर्तन विरोधी विधि के नाम से सर्वविदित है, तारीख 22 मई, 1998 को हुई राजनैतिक दलों की बैठक में कार्यसूची की मदों में से एक था, किंतु इस विषय पर विचार-विमर्श आस्थागित कर दिया गया था। संविधान की दसवीं अनुसूची में किए जाने वाले संशोधनों पर राजनैतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति हो जाने की दशा में, सरकार विधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

3014. श्री सुरेश कुरूप : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा शुरू किए गए कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती बोर्ड ने अभियांत्रिकी एवं कार्यक्रम स्टाफ की कुछ श्रेणियों के वेतन में संशोधन करने प्रस्ताव किया था। प्रसार भारती के पास अपने कार्मिकों के पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा शर्तें, जो प्रसार भारती अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के असंगत न हों, की व्यवस्था करने के लिए विनियम बनाने की शक्तियां हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों पर ऐसे विनियम उनके द्वारा इस संबंध में अपेक्षित विकल्प का प्रयोग करने के बाद निगम को उनकी सेवाओं के अंतरण के बाद ही लागू होंगे। ये प्रस्ताव प्रसार भारती के अधीनस्थ अभियांत्रिकी स्टाफ एवं कार्यक्रम स्टाफ के वेतनमानों में समानता लाने के प्रश्न से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

छोटे शेयर धारकों के हितों की रक्षा

3015. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन उपबंधों के विरुद्ध किन्हीं मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे मामलों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) छोटे शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 113,

81, 84(3), 205 तथा 73 के अंतर्गत उपबंध बनाए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शिकायत का विवरण	1995-96		1996-97		1997-98	
	शिकायतों की संख्या		शिकायतों की संख्या		शिकायतों की संख्या	
	प्राप्त	समाधान किया	प्राप्त	समाधान किया	प्राप्त	समाधान किया
1	2	3	4	5	6	7
1. डुप्लीकेट शेयर सर्टीफिकेट की गैर-प्राप्ति (धारा 84(3)/उसके नियमों के अंतर्गत	0706	0454	0370	0309	0395	0196
2. शेयरों के अंतरण का गैर-पंजीकरण (धारा 113 के अंतर्गत)	8693	5422	5456	3245	4476	1829
3. शेयर सर्टिफिकेट का जारी न किया जाना (धारा 113 के अंतर्गत)	2489	2019	1349	1274	1174	544
4. आवेदन राशि की गैर वापसी (धारा 73 के अंतर्गत)	9115	7901	1550	2628	863	581
5. ऋण पत्र सर्टीफिकेटों की गैर-प्राप्ति (धारा 113 के अंतर्गत)	389	389	162	178	127	60
6. राइट आवेदनों, राइट/बोनस शेयरों की गैर प्राप्ति (धारा 81 के अंतर्गत)	490	439	254	219	125	87
7. लाभांश की गैर प्राप्ति (धारा 205 के अंतर्गत)	1877	1474	2480	1377	3093	1443
8. ऋण पत्रों के संपरिवर्तन पर शेयरों की गैर प्राप्ति (धारा 113 के अंतर्गत)	524	530	175	214	86	75
9. पृष्ठांकन : स्टीकर्स के बाद शेयर सर्टीफिकेट की गैर-प्राप्ति (धारा 113 के अंतर्गत)	2750	2331	491	701	346	282
10. आंबटन/मांग राशि सूचना (कॉल मनी नोटिस) की गैर प्राप्ति (धारा 73 के अंतर्गत)	341	134	148	132	110	76
कुल	27374	21093	12435	10277	10795	5173

नोट : ऊपर दिए अनुसार शिकायतों के समाधान के अतिरिक्त क्रमशः वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 16, 114 तथा 64 मामलों में चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन के भी आदेश दिए गए।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी

3016. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में राज्य में विद्युत की कुल कितनी मांग और आपूर्ति है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को अतिरिक्त विद्युत आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) राज्य को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कितना समय लगने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 और मई, 1998 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :-

आंकड़े मि॰ यू॰ में

ऊर्जा	1997-98	(मई, 1998)
आवश्यकता	41157	3715
उपलब्धता	36105	3306
कमी	5052	409
प्रतिशत कमी	12.3%	11.0%

मई, 1998 की स्थितिनुसार उत्तर प्रदेश में उद्योगों में विद्युत की अधिसूचित कटौती निम्नवत् है :-

(1) आर्क/इंडक्टशन फर्नेश और रोलिंग/ट्रिरोलिंग मिलों के लिए रात्रि 10 बजे से अगले दिन सायं 6 बजे तक 20 घंटे की आपूर्ति।

(2) गैर-सतत् प्रक्रिया वाले उद्योगों में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश और व्यस्ततम कालीन प्रतिबन्ध (सायं 6 बजे से अगले दिन रात्रि 10 बजे तक)।

(ग) उत्तर प्रदेश को उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों से 2670 मे॰वा॰ और इन केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों के आबंटित हिस्से से अतिरिक्त 17 प्रतिशत (138 मे.वा.) विद्युत आबंटित की गई है। तथापि, उ॰ प्र॰ रा॰ बि॰ बो॰ वित्तीय समस्याओं के कारण वर्तमान में अपने हिस्से में से 554 मे॰वा॰ विद्युत का समुपयोजन करने की स्थिति में नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसमें विद्यमान क्षमता से उत्पादन अधिकतम करना, विद्युत स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना, बेहतर मांग प्रबंधन, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय/राज्य/निजी क्षेत्र में 3264 मे॰वा॰ क्षमता के नये विद्युत संयंत्र क्रियान्वयनाधीन हैं। आयोजन की गई है इससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार आएगा।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में समयबद्ध सुधार

3017. श्री संदीपान थोरात : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए जाने वाले समयबद्ध सुधारों के बारे में सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो हाल में विश्व बैंक द्वारा राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य को भेजे गए अद्यतन संदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा की गई मुख्य सुधार कार्यक्रम की समीक्षा संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक की अपेक्षाएं इससे किस हद तक पूरी हुई?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत परियोजना ऋण 3498 इनके संबंध में महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र सरकार से अपने सुधार पैकेज में विस्तार करने तथा उपाय करने को कहा है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा गठित राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना सम्मिलित है।

(ग) और (घ) उड़ीसा बिजली सुधार अधिनियम 1995 लागू करके उड़ीसा ने विद्युत क्षेत्र की पुर्नसंरचना और इसमें सुधार करने के लिए कदम उठाये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत विनियामक आयोग का गठन, राज्य बिजली बोर्ड का विकेन्द्रीयकरण करना आदि शामिल है। हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के जरिये हरियाणा ने अपने विद्युत क्षेत्र की पुर्नसंरचना और इसमें सुधार करने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का भी गठन किया जा रहा है। ये सुधार संबंधी उपाय विश्व बैंक और इन दोनों राज्यों द्वारा निष्पन्न किए गये समझौते के अनुरूप हैं। यह सुधार बिल आंध्र प्रदेश विधान-सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। जिसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग-अलग किए जाने की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का शीघ्र ही एक विनियामक आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक सरकार ने भी पारेषण में निजी क्षेत्र भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विधेयक लागू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पारेषण में निजी क्षेत्र भागीदारी को सुविधाजनक बनाने तथा विद्युत क्षेत्र में अन्य सुधारों के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है।

वन क्षेत्र

3018. श्री जयसिंह जी चौहान :

श्री दत्ता मेघे :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन क्षेत्र घट गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और

इसमें कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1997 के अनुसार देश का वनावरण 1995 के मूल्यांकन की तुलना में घटकर 638,879 वर्ग कि॰ मी॰ से 633,397 वर्ग कि॰ मी॰ हो गया है जो 5482 वर्ग कि॰ मी॰ वन आवरण के नेट नुकसान को दर्शाता है।

(ख) 1997 के मूल्यांकन के अनुसार, वन-आवरण संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में वन-आवरण में कमी आने के मुख्य कारणों में मानव और पशुओं की बढ़ती जनसंख्या के लिए वन उत्पादों की मांग में तेजी आना, खेती में शिफटिंग होना, आग, चराई, अवैध कटाई, अतिक्रमण तथा वानिकी क्षेत्र में अपेक्षित निवेश में कमी होना है।

(ग) मंत्रालय ने संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे वन-आवरण की समाप्ति को गंभीरता से लें तथा वन-आवरण में होने वाली कमी के लिए उत्तरदायी कारकों का गहराई से विश्लेषण करें ताकि उक्त प्रवृति को रोकने के लिए एक प्रभावी कार्यनीति तथा कार्य योजना तैयार की जा सके और जिससे आने वाले वर्षों में वन-आवरण क्षेत्र में वृद्धि की जा सके। मंत्रालय ने योजना आयोग तथा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे वानिकी क्षेत्र के लिए आबंटनों में वृद्धि करें। सरकार द्वारा मुख्य रूप से उठाये गए कदम निम्न लिखित हैं :

(1) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की मदद से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(2) वनों के विकास और उनके संरक्षण के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(3) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुन:स्थापन के कार्य में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) वन भूमियों के डायवर्शन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(5) संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

विवरण

स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 1997 के अनुसार विभिन्न राज्यों में वन आवरण

वर्ग कि॰मी॰ में

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र का रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र	1997 के मूल्यांकन के अनुसार वन आवरण	1995 1997 में वन के मूल्यां- कन की तुलना में परिवर्तन	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	63814	23.2	43290	-3822	15.74
अरुणाचल प्रदेश	51540	61.54	68602	-19	81.9
असम	30708	39.15	23824	-237	30.4
बिहार	29226	16.81	26524	-37	15.3
दिल्ली	42	2.83	26	-	1.7
गोवा	1424	38.46	1252	1.5	33.9
गुजरात	19393	9.89	12578	+258	6.4
हरियाणा	1673	3.78	604	+1	1.4
हिमाचल प्रदेश	35407	63.6	12521	+20	22.5
जम्मू व कश्मीर	20182	9.08	20440	+7	9.2
कर्नाटक	38724	20.19	32403	+21	16.9
केरल	11221	28.87	10334	-2	26.6
मध्य प्रदेश	154497	34.84	131195	-3969	29.6
महाराष्ट्र	63842	20.75	46143	-2300	15
मणिपुर	15154	67.87	17418	-140	78
मेघालय	9496	42.34	15657	-57	69.8
मिजोरम	15935	75.59	18775	-199	89.1
नागालैंड	8629	52.04	14221	-70	85.8
उड़ीसा	57184	36.73	46941	-166	30.1
पंजाब	2901	5.76	1387	-45	2.8
सिक्किम	2650	37.34	3129	+2	44.1
तमिलनाडु	22628	17.4	17064	+19	13.1
त्रिपुरा	6292	60.01	5546	+8	52.9

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	51663	17.54	33994	+8	11.5
पश्चिम बंगाल	11879	13.38	8349	+73	9.4
अंडमान व निकोबार	7171	86.93	7613	-2	92.3
चण्डीगढ़	31	27.19	7	-	6.1
दादरा एवं नगर हवेली	203	41.34	204	-	41.5
दमन और दीव	उ०न०	उ०न०	3	-	2.7
कुल :	765310	23.28	633397	-5482	19.27

उ०न० - उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के बीच धन का बंटवारा

3019. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने बौद्धिक सम्पदा का लाइसेंस प्रदान करने और आर एंड डी और एस एंड टी सेवाओं के ठेकों से वसूल हुए धन को । अप्रैल, 1994 से अपने कर्मचारियों के बीच बांटने के निर्णय की सूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 से 1996-97 की अवधि के लिए वर्षवार कितनी राशि को बाह्य रोकड़ प्रवाह और प्रयोगशाला आरक्षित निधि लेखाशीर्षों के अन्तर्गत रखा गया और उक्त अनुसंधान परिषद के मुख्यालय सहित परिषद की प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान के वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को कितनी धनराशि का वितरण किया गया;

(ग) क्या प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान की प्रयोगशाला आरक्षित निधि की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रयोगशाला आरक्षित निधि (एलआरएफ) के तहत संचालन प्रयोगशाला की गतिविधियों का अंग होता है तथा जब कभी भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दल द्वारा किसी प्रयोगशाला/संस्थान की लेखा परीक्षा की जाती है तो यह संचालन भी लेखा परीक्षाधीन होता है।

विवरण

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

बाह्य नकद प्रवाह का सृजन प्रयोगशाला आरक्षित निधि तथा आविष्कारक का बौद्धिक शुल्क, रॉयल्टी आदि का हिस्सा

(रुपये लाखों में)

प्रयोगशालाओं के नाम	बाह्य नकदी प्रवाह (ईसीएफ)			प्रयोगशाला आरक्षित			वर्ष के दौरान वितरित धनराशि				वर्ष के दौरान वितरित धनराशि				वर्ष के दौरान वितरित धनराशि			
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95				1995-96				1996-97			
							वैज्ञा.	तक.	प्रशा.	योग	वैज्ञा.	तक.	प्रशा.	योग	वैज्ञा.	तक.	प्रशा.	योग
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. सीएसआरआई	230.745	253.368	203.976	74.490	173.961	153.237	20.137	11.484	3.582	35.203	13.163	3.893	1.383	18.439	20.623	10.130	3.246	33.999
2. सीएसएमसीआरआई	177.292	375.345	427.180	95.036	54.736	117.591			0.870	0.670					0.781	0.625	0.460	1.866
3. सीडीआरआई	583.406	539.961	686.935	175.326	234.325	282.008									24.507	17.531	4.938	46.976
4. सीएफआरआई	95.188	131.828	213.096	35.509	29.319	25.985	2.666	0.954	0.038	3.658	2.056	1.100	0.301	3.457	2.856	1.752	0.336	4.944
5. सीरी	313.265	399.916	313.799	5.213	45.087	53.079	0.257			0.257	0.122			0.122	0.446			0.446
6. सीबीटी	526.654	468.452	297.300	35.598	29.626	36.644												
7. सीएफआरआई	103.754	224.438	355.461	57.076	158.809	240.590	2.924	1.025	0.209	4.158	2.268	0.806	0.257	3.331				
8. सीएमटीआरआई	191.092	665.948	729.070	89.162	145.870	252.193	2.624	1.056	0.759	4.439	0.219	0.037	0.117	0.373	1.546	1.028	0.495	3.069
9. सीबीआरआई	96.084	119.181	171.118	39.729	53.812	69.856	0.302	0.230		0.532					0.200	0.230		0.430
10. सीमैप	61.796	69.079	132.988	87.008	137.171	166.773												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.	[illegible]	200.053	502.846	464.908	66.339	102.209	160.271	2.446	0.487	0.165	3.098					10.758	4.383	0.605	15.746
12.	[illegible]	318.273	282.605	411.739	118.736	183.942	210.004	0.365	0.236	0.130	0.731								
13.	[illegible]	552.961	431.281	542.789	89.380	71.895	49.082	15.590	3.564	3.564	22.718	43.710	9.816	9.816	63.342	40.350	11.610	9.950	61.91
14.	[illegible]	114.560	140.337	152.771	42.085	50.433	67.892	6.813	2.536	0.739	10.088	7.109	2.673	0.780	10.562	9.472	3.556	1.026	14.054
15.	[illegible]	140.637	126.464	201.244	44.338	37.713	67.196												
16.	[illegible]	138.438	107.027	144.038	12.571	13.437	29.045									0.858	0.198	0.198	1.254
17.	[illegible]	80.960	188.815	245.608	16.695	11.282	20.783												
18.	[illegible]	388.831	484.297	445.080	197.153	286.328	287.769	14.617	2.964	0.186	17.767	8.671	1.943	1.379	11.993	4.691	0.699	0.422	5.812
19.	[illegible]	322.223	523.995	667.095	127.244	161.793	119.612	1.570	3.590	1.790	6.95	5.110	9.470	3.940	18.520	4.680	2.850	1.470	9.000
20.	[illegible]	136.790	178.852	125.330	34.207	37.002	45.597	0.378	0.07		0.448	0.052			0.052	0.022			0.022
21.	[illegible]	75.878	137.677	207.709	77.057	116.793	98.185					0.075	0.537	0.272	0.884	0.685	0.366	0.508	1.559
22.	[illegible]	88.335	71.958	137.292	29.130	45.365	60.480	0.065	0.062		0.127	0.684	0.316		1.000	0.829	0.260		1.089
23.	[illegible]	3861.874	4382.896	3411.130	310.279	417.258	554.287	3.548		0.887	4.435	3.928		0.982	4.910	0.234		0.059	0.293
24.	[illegible]	176.608	100.290	73.653	26.376	21.319	17.371												
25.	[illegible]	674.668	827.891	1051.953	142.689	274.792	488.682	9.604		0.120	9.724	6.845	0.289	0.349	7.483	17.163	0.349	0.333	17.845
26.	[illegible]	1065.679	1204.270	2290.047	294.461	284.283	428.588	18.962	14.474	5.705	39.141	26.611	18.711	8.457	53.779	37.221	23.616	11.316	72.153
27.	[illegible]	77.913	413.280	1108.187	38.826	48.653	148.375												
28.	[illegible]	867.486	881.863	1101.780	32.434	331.002	302.409	1.739	1.129	0.277	3.145	1.145	0.591	0.170	1.906	6.027	7.613	0.516	14.156
29.	[illegible]	78.171	72.143	48.862	12.654	7.866	7.726	0.062	0.310	0.632	1.004	0.068	0.239	0.055	0.362		0.200	0.700	0.900
30.	[illegible]	175.885	195.202	236.271	52.916	106.725	119.808	1.560	2.075	1.030	4.665	1.540	2.100	0.995	4.635	2.149	2.850	1.420	6.419
31.	[illegible]	299.518	231.300	366.337	120.284	179.969	226.879	1.025	0.051		1.076	1.340	0.620		1.960	1.200	0.150		1.350
32.	[illegible]	26.500	44.030	42.207	4.320	19.606	16.738					0.230			0.230	0.380			0.380
33.	[illegible]	7.256	275.000	223.308	206.759	39.466	63.973									0.516	0.891	0.935	2.342
34.	[illegible], [illegible]	111.438	193.484	245.086	17.301	12.644	98.273	2.060	0.470	0.480	3.010	2.584	0.249	0.609	3.442	4.339	1.868	1.384	7.591
35.	[illegible], [illegible]	163.210	237.744	168.163	23.425	9.207	50.293	4.049	0.751	0.408	5.208	5.895	0.878	0.476	7.249				
36.	[illegible], [illegible]	49.222	102.515	185.847	7.159	11.413	11.057												
37.	[illegible], [illegible]	97.272	373.406	136.987	19.000	23.722	23.836					8.355	4.348	0.341	13.044				
38.	[illegible], [illegible]	219.138	197.601	351.048	22.296	15.461	19.700												
39.	[illegible], [illegible]	125.177	180.266	202.981	46.557	117.785	133.785	7.010	2.347	1.217	10.574	7.402	2.319	1.207	10.926	8.025	2.336	1.323	11.684
40.	[illegible]	79.725	55.242	71.724	26.981	108.484	54.471	4.654	1.647	0.478	6.779	6.587	2.266	0.667	9.520	4.066	1.173	0.340	5.579
	[illegible]	13173.955	16392.093	18592.095	2847.967	4210.523	5380.213	125.027	51.512	23.066	199.605	155.769	63.201	32.553	251.523	204.624	96.264	41.980	342.868
41.	[illegible]	543.229	309.258	433.833															
	[illegible]	13717.184	16701.351	19025.928	2847.967	4210.523	5380.213	125.027	51.512	23.066	199.605	155.769	63.201	32.553	251.523	204.624	96.264	41.980	342.868

कर्नाटक में टेलीफोन और एसटीडी सुविधा

3020. श्री ए॰ सिदराजू :

श्री एच॰ जी॰ रामुलू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में, विशेषकर चामराज नगर और काप्पल क्षेत्रों में कितने गांवो में टेलीफोन और एसटीडी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) कितने गांवों में उक्त सुविधा को अभी उपलब्ध कराया जाना बाकी है;

(ग) कर्नाटक में, विशेषकर चामराज नगर और कोप्पल क्षेत्रों में वर्ष 1998-99 के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन और एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ) :

(क) कर्नाटक में, विशेषकर चामराज नगर और कोप्पल क्षेत्रों में टेलीफोन और एस टी डी सुविधायुक्त गांवों की संख्या इस प्रकार है:

विवरण	वी पी टी	एसटीडी युक्त वीपीटी
कर्नाटक सर्किल	20894	230
चामराज नगर	310	3
कोप्पल	784	20

(ख) और (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक में, विशेषकर चामराज नगर और कोप्पल क्षेत्रों में गांवों की संख्या, जहां टेलीफोन और एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है:

विवरण	कुल गांव	वीपीटी युक्त गांव	शेष	1998-99 के दौरान शामिल किए जाने वाले
कर्नाटक	27066	20894	6172	2500
चामराजनगर	446	310	136	136
कोप्पल	850	784	66	66

वी पी टी फ्रेंचाइजेज की ओर से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर एसटीडी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी बशर्ते कि वह स्थान तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों।

एम० ए० आर० आर० प्रणाली

3021. **श्री कृष्ण कुमार चौधरी :**

श्री जुआल उराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य-वार, अब तक कितने मल्टी ऐक्सेस रूरल रेडियो प्रणाली के टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में एमएआरआर प्रणाली पर लगाए गए अधिकांश ग्रामीण पीसीओ कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या एमएआरआर उपकरणों की आपूर्ति के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित विक्रेता, उपकरणों की आपूर्ति के पश्चात् सेवा प्रदान नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (च) क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कार्य

3022. **श्री महेश कनोडिया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावना का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुल निर्माण कार्य बजटगत सहायता से पूरे किए जा रहे हैं। शेष सड़क कार्यों के लिए वित्तपोषण की वैकल्पिक पद्धतियों का पता लगाया जा रहा है।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

3023. **श्री रामपाल उपाध्याय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में राजस्थान के भरतपुर जिले में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की एक्सचेंजवार क्षमता क्या है;

(ख) क्या विद्यमान एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खेदली गदसिंया गांव के लोगों को टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने का है जो लखनपुर एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां। वर्ष 1998-99 के दौरान खेदली गदसियां गांव के निवासियों को लखनपुर एक्सचेंज की बजाय बरखेड़ा टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

(ङ) और (च) खेदली गदसियां गांव बरखेड़ा टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बरखेड़ा एक्सचेंज से 2.5

कि०मी० की दूरी पर है। खेदली गदसियां गांव में कुल 4 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। उन्हें 1998-99 के दौरान बरखेड़ा टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

विवरण

भरतपुर जिले में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता/क्षमता में वृद्धि

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	1998-99 के दौरान क्षमता का नियोजित विस्तार
1	2	3	4
1.	बंदबारेथा	152	-
2.	बंसी-फारपुर	56	-
3.	बरूलीछड़	56	-
4.	बरखेड़ा	56	-
5.	बयाना	1400	152
6.	भरतपुर	7500	2000
7.	भुसावर	320	152
8.	चौकरवाड़ा	152	-
9.	डीग	1136	264
10.	देहरा	192	-
11.	धाधरेन	88	64
12.	घडौली	56	-
13.	गोपालगढ़	80	64
14.	हलेना	192	-
15.	जलूकी	152	-
16.	जेनूथर	88	64
17.	जुरहेड़ा	296	-
18.	कैथवाड़ा	40	64
19.	कामान	472	528
20.	खोह	192	64
21.	कोरेर	192	-
22.	कामा	192	-
23.	कुम्हेर	384	296
24.	लखनपुर	192	144
25.	महुआ	64	64
26.	नादही	1000	-
27.	नागर	1000	-
28.	नित्थेर	64	64
29.	पाहवी	197	-
30.	पपरेस	64	64
31.	पटाना	56	-
32.	राराह	152	-
33.	रसिया	80	64
34.	रूदावल	200	152
35.	रूप्बास	168	296
36.	सीकरी	424	576
37.	सिनैनी	80	64
38.	उच्चैन	200	296
39.	वाइर	208	61
	कुल जोड़	17588	5560

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

3024. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के वर्तमान मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गांवों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ) : (क) किसी भी स्थान पर नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना तभी बनाई जाती है जब वहां पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत मांग 10 अथवा उससे अधिक दर्ज कराई गई हो, बशर्ते कि वह स्थान अन्य एक्सचेंजों के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो।

(ख) जी, हां।

(ग) 1998-99 के दौरान मुजफ्फरपुर जिले में 4 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन

3025. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में शुरू किये गये राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मिशन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने डिजीटल ट्रंक तथा स्वचालित एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) शहरी क्षेत्रों में एसटीडी/आईएसडी सुविधायुक्त कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(घ) प्रमुख शहरों में कितनी "डायरेक्ट्री इंक्वायरी सर्विसिज" तथा कितनी "फाल्ट रिपेयर सर्विसिज" का कम्प्यूटरीकरण किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1) डिजिटल/एस॰पी॰सी॰ ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंजों की संख्या: 379 (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)

(2) आधुनिकीकृत किए गए ऑटोमैटिक एक्सचेंजों की संख्या : 8668 (1.4.1992 से 31.5.98 तक)

(ग) एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰ सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन 2,13,385 (31.3.1998 की स्थिति के अनुसार)

(घ) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार, कम्प्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा वाले कस्बों की कुल संख्या 1124 है और कम्प्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा वाले कस्बों की कुल संख्या 1064 है।

[अनुवाद]

राजमार्गों/पत्तनों के विकास के लिए धनराशि

3026. श्री वी॰ एस॰ सुधीरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़कों, राजमार्गों, पुलों और पत्तनों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने की कोई रणनीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और महापत्तनों के विकास हेतु अतिरिक्त निधियां जुटाने के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र से निधियां जुटाने के लिए मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के वित्त पोषण के लिए विदेशी सरकारों के साथ द्विपक्षीय करार करने तथा ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से संपर्क करने का भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार और महाराष्ट्र में स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र

3027. श्री प्रभात चन्द्र तिवारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्टेडियम और खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने के संबंध में बिहार और महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता अनुदान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

मणिपुर में हैवी फ्यूल पावर प्रोजेक्ट

3028. श्री था॰ चौबा सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के लिए एक 36 मेगावाट हैवी फ्यूल पावर प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस परियोजना हेतु कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) मणिपुर में 36 मे॰वा॰ भारी ईंधन विद्युत परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 1997 में प्रदान कर दिया गया है। परियोजना को वर्ष 1999 में पूरा किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) वार्षिक योजना 1998-99 अभी तैयार नहीं की गई है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना को भी अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस फाउन्डेशन

3029. श्री दादा बाबूराम परांजपे . क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 से हमारे देश में तथा देश के बाहर धार्मिक नेताओं तथा राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर सरकार द्वारा बनाए गए फाउन्डेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वर्गीय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की याद में कोई फाउन्डेशन सरकार द्वारा अब तक बनाए गए फाउन्डेशनों में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस फाउन्डेशन द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) यह सूचना रखी नहीं जाती है और इसीलिए तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) नेताजी प्रतिष्ठान की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक जोन का सृजन

3030. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने काष्ठ आधारित उद्योग के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक जोन के सृजन का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो निकटतम संरक्षित वन से समीपता, अन्तर-राज्य सीमा विवादों या अन्य महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्यों के लिए ऐसे जोनों की स्थापना के लिए निर्धारित मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार न्यायालय के आदेशों में निहित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन पहलुओं पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर किस समय तक विचार किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को पर्यावरण एवं धन मंत्रालय से सलाह मशविरा करके काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों का पता लगने के लिए औद्योगिक 'एस्टेट्स' की अधिसूचना के लिए निर्देश दिए हैं।

(ख) से (घ) न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों ने औद्योगिक एस्टेट्स की पहचान एवं विकास के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है जोकि वन संरक्षण के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3031. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी :

श्री दिनशा पटेल :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान विद्युत संयंत्रों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य बड़े पैमाने पर करने का अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अनेक कठिनाइयों को दूर लिया गया है;

(ग) राज्यवार कितने संयंत्रों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप उनकी क्षमता में कितनी बढ़ोतरी होगी; और

(ङ) इन विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु कुल कितना अतिरिक्त बजट समर्थन उपलब्ध कराया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में एक नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्यक्रम चरण-I) को आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में 34 चुने हुए केन्द्रों की 163 ताप विद्युत यूनिटों को शामिल किया गया। विभिन्न स्कीमों की कुल अनुमोदित लागत 1165/- करोड़ रुपये थी। 700 मि॰ यू॰ प्रति वर्ष के लक्षित लाभ की तुलना में 10000 मि॰ यू॰ प्रति वर्ष के अतिरिक्त उत्पादन के रूप में लाभ प्राप्त हुआ।

ताप विद्युत केन्द्रों के लिए आर एंड एम के चरण-II कार्यक्रम को आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1990-91 में आरंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2383.03 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 20869.435 मे॰वा॰ की कुल क्षमता के साथ 198 ताप विद्युत यूनिटों वाले 44 ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल किया गया।

जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए भी कार्यक्रम को तैयार किया गया था जिसमें 9653 मे॰वा॰ (210 उत्पादन यूनिटें) की कुल क्षमता वाली 55 स्कीमों को अभिज्ञात किया गया। इन स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 1493 करोड़ रुपये हैं।

(ख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई विभिन्न बाधाओं में कई राज्य बिजली बोर्डों में अपर्याप्त निधियां तथा शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण विद्युत वित्त निगम ऋण के लिए उनका पात्र न होना शामिल है।

इस संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए विभिन्न

कदमों में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा 1997-98 में भारत सरकार द्वारा विद्युत वित्त निगम को उनके कार्यक्रमों के लिए रियायती ऋण हेतु ब्याज दरों में आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ग) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने वाले राज्य-वार संयंत्रों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) आर एंड एम चरण-II (ताप विद्युत) कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात निम्नलिखित लाभों की आशा की जाती है :

1. 7864 मि०यू०/वर्ष का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन,
2. 100 मे०वा० व्यस्ततमकालीन क्षमता की वृद्धि तथा
3. 24 ताप विद्युत यूनिटों के कार्यकाल में 15-20 वर्ष तक का विस्तार।

जल विद्युत केन्द्रों के आर एंड एम कार्यक्रम के अनुमानित लाभ 2531 मे०वा०/7180 मि०यू० है।

(ङ) इस समय राज्य बिजली बोर्डों के विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं है। तथापि, त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत वित्त निगम को ब्याज आर्थिक सहायता देने के लिए 1998-99 के बजट में 370.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम, विद्युत उत्पादन और पारेषण की स्कीमों का वित्त पोषण करने के अलावा, विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण को भी शामिल करता है।

विवरण

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत विद्युत केन्द्रों की संख्या (राज्यवार)

क्र०सं०	राज्य का नाम	ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या	जल विद्युत केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	दिल्ली	2	-
2.	हरियाणा	2	-
3.	पंजाब	2	
4.	राजस्थान	1	-
5.	उत्तर प्रदेश	4	7
6.	मध्य प्रदेश	4	-
7.	गुजरात	4	1
8.	महाराष्ट्र	6	2
9.	तमिलनाडु	4	7
10.	आंध्र प्रदेश	2	4
11.	पश्चिम बंगाल	3	2
12.	बिहार	5	2
13.	उड़ीसा	-	5
14.	हिमाचल प्रदेश	-	3
15.	जम्मू और कश्मीर	-	3
16.	कर्नाटक	-	5
17.	केरल	-	4
18.	असम	5	1
19.	मेघालय	-	2
20.	त्रिपुरा	-	1
21.	मणिपुर	-	1
	जोड़	44	55

जाली विश्वविद्यालय

3032. श्री अनूप लाल यादव :

श्री सी० पी० राधाकृष्णन :

श्री सीता राम यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे जाली विश्वविद्यालयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पता लगाई गई ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिन संस्थाओं को मान्यता नहीं दी जा रही है उन सभी से 'विश्वविद्यालय' शब्द हटाने का कोई अभियान चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों में संशोधन कब तक कर लिए जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार उनकी जानकारी में 18 जाली विश्वविद्यालय हैं। इस प्रकार के जाली विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। परंतु भारतीय विश्वविद्यालय संघ

ने सूचित किया है कि ऐसे और 10 विश्वविद्यालय देश में चल रहे हैं। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लघंन करके कार्यरत जाली विश्वविद्यालयों पर नजर रखता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जाली विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी, जनता, छात्रों और उनके माता-पिता से या किसी अन्य एजेंसी से मिलती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के संगत प्रावधानों के बारे में जानकारी इस प्रकार के स्वनिर्मित/जाली विश्वविद्यालयों के प्रोत्साहकों /पदधारियों को दे दी जाती है। उन्हें 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग रोकने और डिग्री/डिप्लोमा न प्रदान करने का भी परामर्श दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों से इस प्रकार के जाली विश्वविद्यालयों के अस्तित्व/कार्य के संबंध में जांच करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति वर्ष जाली विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित करता है जिसमें छात्रों और अभिभावकों को ऐसे संस्थानों के बारे में सावधान किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में विद्यमान/कार्य कर रहे जाली विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष सेल स्थापित किया है जो ऐसे विश्वविद्यालयों के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना एकत्र करता है और सूचना प्रसारित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय सरकार गैर राज्य सरकारों के विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करता है और जाली संस्थानों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से भी अनुरोध किया है कि वे कड़ी निगरानी रखें और ऐसे संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और अन्य पीनल कानून का उल्लघंन करने के लिए दंडित करें।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 के अंतर्गत शब्द विश्वविद्यालय अथवा उसका क्षेत्रीय पर्याय केवल उन विश्वविद्यालयों के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है जिनकी स्थापना केन्द्रीय/राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से की जाती है।

(घ) और (ङ) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 23 तथा 24 में संशोधन के लिए जून, 1995 में राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया था ताकि जाली विश्वविद्यालयों की वृद्धि पर रोक लगाई जा सके तथा उन्हें दंड दिया जा सके जिन्होंने अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में सुझाये गये संशोधनों की जांच कर ली गई थी तथा विधेयक को वापिस लेने तथा नया विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। अभी विधेयक को वापिस ले लिया गया है तथा प्रस्ताव किया गया है कि संसद में एक नया विधेयक पेश किया जाये।

विवरण-I

जाली विश्वविद्यालय

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद (उ०प्र०)।
3. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०) जगतपुरी, दिल्ली।
4. वाणिज्य विश्वविद्यालय लि., दरियागंज, दिल्ली।
5. उत्तर प्रदेश भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ (उ०प्र०)।
6. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उ०प्र०)।
7. राष्ट्रीय इलेक्ट्रो कॉम्पलेक्स होमियोपैथी विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ (उ०प्र०)।
9. डी० डी० बी० संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु।
10. भारतीय शिक्षा परिषद् (उ०प्र०) मुक्त विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ०प्र०)।
11. संत जान्स विश्वविद्यालय, किसानात्तम, केरल।
12. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर।
13. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली।
14. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली।
15. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा (उ०प्र०)
16. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ०प्र०)
17. राजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर।
18. उर्दू विश्वविद्यालय, मोतिया पार्क, भोपाल।

विवरण-II

जाली विश्वविद्यालय

1. अखिल भारतीय गांधी निसारगोपचर विद्यापीठ, विजयनगर, नांदेड आवास सोसाइटी, नान्देड - 431602
2. बाइबल विश्वविद्यालय, अंबर (उत्तर आर्काट)
3. पूर्वी आर्थोडेक्स विश्वविद्यालय अंबर, (उत्तर आर्काट)
4. विज्ञान ग्लोब विश्वविद्यालय, कुमाकोनेम, तमिलनाडु
5. महात्मा गांधी निसारगोपचर विद्यापीठ गांधी भवन, कोथरूड, पुणे-411029
6. स्व-संस्कृति विश्वविद्यालय, किझनात्तम (केरल)।
7. संत रविदास विश्वविद्यालय मुमराजपुर, बुलंदशहर (उ०प्र०)
8. टेस्टाटर शोध विश्वविद्यालय, बोदी नयाकानुर, तमिलनाडु

9. न्यूजेरूशलम विश्वविद्यालय, कुथुपेरबमा, कन्नौर केरल।

10. विश्व समाज कार्य विश्वविद्यालय, पेरूम्झी, केरल।

शैक्षिक योजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन

3033. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन ब्लैकबोर्ड तथा जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ग) उक्त कार्यक्रमों के लिए जिलों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना तथा जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी तथा उपयोग की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, जिलों के चयन के वर्तमान मापदंड निम्नानुसार है :

1. राष्ट्रीय औसत के नीचे महिला साक्षरता सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले, और
2. ऐसे जिले, जहां पूर्ण साक्षरता अभियान सफल रहा है, और तदनन्तर उनमें प्रारम्भिक शिक्षा की मांग में बढ़ोतरी हुई है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना (ओ॰ बी॰) तथा जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम (डी॰ पी॰ ई॰ पी॰) के अंतर्गत जारी तथा उपयोग की गई राज्यवार धनराशि

(रुपये लाखों में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओ॰बी॰		डी॰पी॰ई॰पी॰	
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6362.04	2514.82	4669.00	2594.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	288.39	227.14		
3.	असम	7463.02	4770.03	5966.00	4496.00
4.	बिहार	6043.78	896.45	1802.00	440.00
5.	गोवा	84.20	84.20	-	-
6.	गुजरात	5261.12	491.95	1575.00	1227.00
7.	हरियाणा	221.11	196.21	6588.00	4977.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2418.97	1822.04	2653.00	1652.00
9.	जम्मू व कश्मीर	3307.86	2314.75	-	-
10.	कर्नाटक	7480.86	3393.52	733.00	9301.00
11.	केरल	1078.32	767.48	5490.00	4400.00
12.	मध्य प्रदेश	3837.89	837.84	26888.00	21641.00
13.	महाराष्ट्र	17940.44	15952.49	8557.00	7616.00
14.	मणिपुर	180.20	-	-	-
15.	मेघालय	1941.89	1941.89	-	-
16.	मिजोरम	79.38	39.86	-	-
17.	नागालैंड	188.11	7.01	-	-
18.	उड़ीसा	8994.40	7989.68	3037.00	1284.00
19.	पंजाब	933.38	799.78	-	-
20.	राजस्थान	6793.47	5491.41	50.00	-
21.	सिक्किम	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	725.00	73.72	7653.00	5695.00
23.	त्रिपुरा	344.49	159.59	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	3132.84	1008.84	5500.00	1653.00
25.	पश्चिम बंगाल	203.82	203.82	1900.00	542.00
26.	अं॰ निको॰ द्वी॰समूह	18.00	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-		-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	18.50	-	-	-
29.	दमन व दीव	20.25	-	-	-
30.	दिल्ली	286.44	113.60	-	-
31.	लक्षद्वीप	2.00	-	-	-
32.	पांडिचेरी	29.20	16.70	-	-
33.	राष्ट्रीय संघटक	-	-	2423.00	1872.00
	कुल	85679.37	52114.82	94484.00	69390.00

राष्ट्रीय पावरग्रिड का विकास

3034. श्री पी॰ आर॰ किंडिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए और राष्ट्रीय पावरग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड प्रचालन और पारेषण कंपनी में बदलने के लिए विश्व बैंक से मिलने वाले 580 मिलियन डॉलर के ऋण को अंतिम समय में रोक दिया गया है;

(ख) क्या परियोजना ऋणों को इस तरीके से मुल्तवी किया जाना राज्य बिजली बोर्डों में व्याप्त खराब स्थिति को दर्शाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विश्व बैंक को अपने निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए आग्रह करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) पावरग्रिड द्वारा 450 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक ऋण के लिए बातचीत की गई थी। इस ऋण का समुपयोजन पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में एकीकृत भार प्रेषण केन्द्रों के निर्माण, पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बीच एचबीडीसी अंत: संयोजन उड़ीसा में तलचेर के दक्षिण क्षेत्र में अंत:संयोजन से विद्युत की निकासी के लिए सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए किया जाना था। उपर्युक्त ऋण के विचारार्थ दिनांक 26.5.98 को आयोजित की जाने वाली विश्व बैंक की बैठक स्थगित कर दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त ऋण का स्थगन राज्य विद्युत बोर्डों को प्रभावित नहीं करेगा।

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों को विश्व बैंक से सहायता

3035. श्री ए॰ वेंकटेश नायक :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में तकनीकी व्यवसायिक संस्थान स्थापित करने के लिए विश्व बैंक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई;

(ग) राज्य सरकारों ने विश्व बैंक अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता हेतु किन-किन नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(घ) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से इंटरनेट सुविधा हेतु उपस्करों की खरीद करने के लिए धनराशि की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) तकनीशियन शिक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना में कर्नाटक में तीन नये पालिटेकनिकों और महाराष्ट्र में तीन पालिटेकनिकों की स्थापना शामिल है। कर्नाटक के लिए परियोजना के अंतर्गत, कुल परिव्यय 88.70 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 230 करोड़ रुपये है।

(ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र में सभी नये पालिटेकनिक स्थापित किए गए हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में दस मौजूदा पालिटेकनिकों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब नई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[हिन्दी]

(एक) कन्सलटेन्सी डवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और इसके कार्यकरण की समीक्षा।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) कन्सल्टेन्सी डवलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सल्टेन्सी डवलपमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 882/98]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 883/98]

(ख) (एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 884/98]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेटिज्म, मुंबई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमेटिज्म, मुंबई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 885/98]

(7) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेटियोरोलाजी, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेटियोरोलाजी, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 886/98]

(9) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 887/98]

(11) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जीओलाजी, देहरादून के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जीओलाजी, देहरादून के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 888/98]

(13) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पेलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 889/98]

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 890/98]

(17) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकादमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 891/98]

(19) (एक) इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 892/98]

(21) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 893/98]

(23) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 894/98]

(25) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 895/98]

(27) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नालाजी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नालाजी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 896/98]

(29) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 897/98]

(31) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 898/98]

(33) (एक) इंटरनेशनल एडवान्सड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद, के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवान्सड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद, के वर्ष 1996-97 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 899/98]

[अनुवाद]

(दो) द कास्ट एकान्टिंग रिकार्डस (साइकिल) अमेंडमेंट रूल्स, 1998 के अंतर्गत अधिसूचना।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) द कास्ट एकान्टिंग रिकार्डस (साइकिल) अमेंडमेंट रूल्स, 1998 जो 3 जून, 1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 326 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) द कास्ट एकान्टिंग रिकार्डस (कास्टिक सोडा) अमेंडमेंट रूल्स, 1998 जो 3 जून, 1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 327 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) द कास्ट एकान्टिंग रिकार्डस (मोटर व्हीकल्स) अमेंडमेंट रूल्स, 1998 जो 3 जून, 1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 328 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) द कास्ट एकान्टिंग रिकार्डस (ट्रेक्टर्स) अमेंडमेंट रूल्स, 1998 जो 3 जून, 1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 329 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 900/98]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट फार द ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 901/98]

[हिन्दी]

(तीन) प्रेस काउन्सिल आफ इंडिया के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा व्याख्यात्मक विवरण।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) प्रेस काउन्सिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 902/98]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 903/98]

[अनुवाद]

(चार) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद् (मदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी की सेवा शर्तें) विनियम, 1998, जो 22 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-62/93 आरसी आई में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 904/98]

[हिन्दी]

(पांच) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के वर्ष 1996-97 का वार्षिक

प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) सी॰पी॰आर॰ इन्वायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी॰पी॰आर॰ इन्वायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 905/98]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंटर फार इन्वायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इन्वायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 906/98]

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 907/98]

(7) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 908/98]

(9) (एक) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम, शिमला के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम, शिमला के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 909/98]

(11) (एक) औरविल फाउन्डेशन, औरविल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरविल फाउन्डेशन, औरविल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरविल फाउन्डेशन, औरविल के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 910/98]

(छः) सी॰पी॰आर॰ इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) सी॰पी॰आर॰ इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी॰पी॰आर॰ इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 911/98]

(3) (एक) सेंटर फार इन्वायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इन्वायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 912/98]

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 913/98]

[अनुवाद]

(सात) वाणिज्य पोत परिवहन नियम 1997 और 1998 के अंतर्गत अधिसूचना

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (नौपरिवहन की सुरक्षा) नियम, 1997 जो 12 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 289 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1997 जो 27 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 421 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और सायांत्रिक के लिए निगरानी के मानक) नियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 914/98]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा॰का॰नि॰ 227(अ) जो 29 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(दो) सा॰का॰नि॰ 238(अ) जो 4 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (हल्दिया गोदी परिसर) कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 278(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(चार) सा॰का॰नि॰ 279(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 280(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(छह) सा॰का॰नि॰ 281(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचिन पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(सात) सा॰का॰नि॰ 285(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कान्डला पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 312(अ) जो 5 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया था।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 169(अ) जो 3 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या और उपचार) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(दस) सा॰का॰नि॰ 182(अ) जो 13 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 187(अ) जो 17 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 282(अ) जो 29 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1998 का अनुमोदन किया गया था।

(तेरह) सा०का०नि० 80(अ) जो 20 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 2 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 398(अ) का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 915/98]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) होगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) होगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 916/98]

(ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 917/98]

(5) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 918/98]

(6) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 919/98]

(8) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 920/98]

(10) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) एक्स बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्स बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 921/98]

(ख) (एक) एक्स. बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्स. बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 922/98]

(ग) (एक) मारमुगांव डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगांव डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 923/98]

(घ) (एक) चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई का वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 924/98]

(ङ) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 925/98]

(च) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 926/98]

(छ) (एक) कोचीन डॉक लेबर बोर्ड, कोची का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन डॉक लेबर बोर्ड, कोची का वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 927/98]

(ज) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 928/98]

12.01 बजे

वित्तीय समितियां - एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मैं, "वित्तीय समितियां (1997) - एक समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।"

अपराह्न 12.01½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के॰ येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय मैं, कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1996-97) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पहला प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

(5) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (1997-98) संबंधी कृषि संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पांचवा प्रतिवेदन।

(6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह (भरतपुर) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के वर्ष 1998-99 के अनुदानों की मांगों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय की "अनुदानों की मांगें (1998-99)" के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

अड़सठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(1) परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगों के संबंध में अड़सठवां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगों के संबंध में उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगों के संबंध में सत्तरवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

इक्कतीसवां, बत्तीसवां और तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी॰ एम॰ सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मैं क्रमश: पर्यटन विभाग, नागर विमानन मंत्रालय तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का इक्कतीसवां, बत्तीसवां और तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2(1) (उन्नीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें। निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2(1) (उन्नीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें। निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं :-

"कि संस्थान के विनियम 3.1.1 और विनियम 3.1 के साथ पठित भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संपतियों और निधियों के उपयोग और प्रबंधन संबंधी योजना के खंड 9(1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संस्थान के विनियम 3.1.1 और विनियम 3.1 के साथ पठित भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संपतियों और निधियों के उपयोग और प्रबंधन संबंधी योजना के खंड 9(1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री चित्र तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री चित्र तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूअनंतपुरम अधिनियम, 1980 की धारा 5 (त्र) के साथ पठित धारा 6(2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री चित्र तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री चित्र तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूअनंतपुरम अधिनियम, 1980 की धारा 5 (त्र) के साथ पठित धारा 6(2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री चित्र तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद्

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्यों को निर्वाचित करें। निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्यों को निर्वाचित करें। निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, मैंने मूल्य वृद्धि के बारे में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय, आज आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं।..... *(व्यवधान)* आपको ज्यादा मालूम है कि आलू, प्याज और टमाटर किस भाव पर बिक रहे हैं? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी, कृपया बैठ जाइये। अब, मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को अपना मामला उठाने के लिए बुलाया है। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात समझे। सूची में लगभग 35 सदस्य हैं जिन्होंने आज शून्य काल के दौरान अपने मामले उठाने के लिए सूचना दी है। मैं बारी-बारी से उन सभी को अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है। उन्हें बोलने दें।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, इस देश का गरीब आदमी नमक के साथ रोटी खाता था लेकिन आज नमक भी महंगा हो गया है।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री प्रभुनाथ सिंह कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की चर्चा आये दिन सदन में चलती है.....(*व्यवधान*)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : अध्यक्ष महोदय, महंगाई के कारण. ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको भी अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, यदि आप अपनी बात नहीं कह रहे हो तो मैं अगले सदस्य का नाम पुकारूंगा।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात समझे ! मैं सभी सदस्यों को अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। महोदया, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शरद पवार (बारामती) : श्रीमती सूर्यकांता पाटील एक महत्वपूर्ण मामला, जो देश में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है, अर्थात् मूल्य वृद्धि का मामला उठाना चाहती हैं। हमारा अनुरोध है कि कृपया जो कुछ वह कहना चाहती हैं, उन्हें वह कहने का अवसर दिया जाये। उसके तत्काल पश्चात् यदि आप किसी अन्य सदस्य का नाम पुकारेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के तत्काल पश्चात् मैं उनका नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बिहार के लोगों को विद्युत पर बोलने का अवसर मिले या न मिले लेकिन बिहार पर सदन में आये दिन चर्चा चलती है जिसमें बिहार की कानून और व्यवस्था मुख्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में बिहार सरकार के विरुद्ध बोलने का खामियाजा हमें अपने क्षेत्र में भुगतना पड़ता है। अभी 3.7.1998 को मेरे पटना आवास पर सादे लिबास में तीन व्यक्ति गये जिन्होंने अपने आपको सी॰ आई॰ डी॰ से संबंधित बताया। वहां पर रहने वाले लोगों को धमकाया और पूछा कि मैं कहां रहता हूं। चारो तरफ उन लोगों में तहलका मच गया और इसके बाद वे लोग वहां से चले गये। चूंकि 4.7.1998 शनिवार को लोकसभा की बैठक चल रही थी, मैं पटना नहीं गया और यहां चला आया था। उसी दिन पांच पुलिसकर्मी मेरे पटना आवास पर गये तथा वहां रहने वालों को बेइज्जत और अपमानित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर इस सदन में सरकार के विरुद्ध बोलने का खामियाजा अपने संसदीय क्षेत्र में भुगतना पड़े और सरकार के विरुद्ध बोलने का खामियाजा राजधानी में भुगतना पड़े तो हम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। मैंने इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी को तीन पत्र लिखे हैं और आपको भी लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। पिछले चार वर्षों से राज्य सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है और राज्य सरकार द्वारा हमारी जान लेने के लिये तीन बार हमला किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सांसद बनने के बाद जब हम अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिये गये तो 11.4.98 को हम पर हमला किया गया जिसका एक अपराधी सरकार की पकड़ में आया। अध्यक्ष महोदय, वैसी स्थिति में हम अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इस समय बिहार मे एक विशेष व्यवस्था चली हुई है। बिहार में एस॰ पी॰ टेलीफोन या पत्र लिखकर कहा करते हैं कि आप सुरक्षित नहीं है, आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करें। हमारे साथी सांसद श्री सुशील कुमार सिंह को एस. पी. औरंगाबाद ने लिख कर सूचित किया कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपकी जान को खतरा है, इसलिये अपनी जान की सुरक्षा करने की व्यवस्था करें। इसी तरह के टेलीफोन एस॰ पी॰ छपरा और सीवान की तरफ से आ रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप सुरक्षा की व्यवस्था करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हम लोगों की जान को खतरा है तो बिहार में पुलिस यह क्यों नहीं महसूस करती। उसके बाद हम लोगों को चिट्ठी भेज दी जाती है कि आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करें। हम क्यों नाजायज हथियार लेकर और किसी का संरक्षण लेकर चलें?

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, हम कैसी व्यवस्था करें, यह हम सदन से जानना चाहेंगे। हमने आपको भी पत्र लिखकर कहा है और इसमें एक पत्र ग्रस॰ पी॰ का है। यह पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एस॰ पी॰ सांसदों को पत्र भेजते हैं। यह पत्र हम सभा पटल पर रख देते हैं। आप देखिये कि किस तरह का पत्र लिखा जा रहा है। हम इसके आदेशों को पढ़कर सुना देते हैं....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य की सुरक्षा से संबंधित मामला है। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुशील कुमार सिंह को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि 'प्राप्त सूचनाओं के आलोक में आपको सूचित करना है कि एम॰ सी॰ सी॰ प्रतिक्रियाओं द्वारा आपको लक्ष्य बनाया गया है। आग्रह है कि आप अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें एवं अतिरिक्त टुकड़ियों की आवश्यकता से अवगत कराए जाने की अपेक्षा की जाती है।' (*व्यवधान*)

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : इसमें गलत क्या है? (*व्यवधान*)

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आप सुन लीजिए। उसके बाद बोलिये। (*व्यवधान*) इस तरह मत चिल्लाओ।..... (*व्यवधान*)

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इतनी बड़ी घटना हो रही है और आप कह रहे हैं कि गलत क्या है?..... (*व्यवधान*)

श्री सत्य पाल जैन : यह मामला प्रिविलेंज कमेटी को भेजा जाना चाहिए। प्रिविलेंज कमेटी इसको एक्जामिन करे।....(*व्यवधान*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की परिस्थितियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। बिहार की राज्य सरकार के विरोधी जो सांसद हैं, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। बिहार में न जन-जीवन सुरक्षित है, न कोई जन प्रतिनिधि सुरक्षित है। राज्य सरकार द्वारा बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप भारत सरकार के गृह मंत्री को निर्देश दीजिए कि बिहार से जो सांसद जीतकर आए हैं, उनकी सुरक्षा भारत सरकार खुद करे। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।....(*व्यवधान*)

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसके अनुसार हमारी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की है? आपको यह पत्र देकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार : मुझे सलाह दी जाती है कि आप क्षेत्र में भ्रमण न करें।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : मेरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री : इनकी जान खतरे में है। इनकी बात आप सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जायें।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : एक आदमी हमारी हत्या करना चाहता है और हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठना पड़ेगा।

(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठना पड़ेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। यह उचित नहीं है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)* किसी की जिंदगी खतरे में है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में दो विधायकों की हत्या हो गई, विधान सभा में सिर्फ कंडोलेन्स प्रकट कर दिया गया। इस सदन के सदस्य भी मारे जायेंगे तो क्या यह सदन सिर्फ कंडोलेन्स मनायेगा। यहां केन्द्र सरकार मौजूद है। अध्यक्ष महोदय हम आसन से निर्देश चाहते हैं, केन्द्र सरकार इस मामले में इंटरवीन करे और इस पर आवश्यक कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, उन्हें इस पर ध्यान देने दें और उसके बारे में कुछ कहने दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानित सदस्या के पति की हत्या भी हो चुकी है और उसके बाद यहा के एक माननीय सदस्य की हत्या का प्रयास किया जा रहा है।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, मुझे माननीय सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में श्री प्रभुनाथ सिंह के पत्र सहित तीन पत्र प्राप्त हुए हैं। मैंने उन्हें माननीय गृह मंत्री को भेज दिया था। इस पर मुझे माननीय मंत्री से उत्तर प्राप्त हो गए थे। बिहार राज्य सरकार को सदस्यों की अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था। अन्य सदस्यों के मामलों के संबंध में भी मुझे उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

यह माननीय सदस्यों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर मामला है। अत: जो कुछ मैंने कहा है, उसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से कोई कुछ कहना चाहता है तो संसदीय कार्य मंत्री कह सकते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, जो यहां कहा गया है मैं निश्चित रूप से .... .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें कहने दो जो वे कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने जो अपनी भावनाएं रखी हैं, मैं उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी से बात करूंगा....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दो। कृपया उनकी बात में बाधा न डालें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं श्री सुशील कुमार सिंह और श्री प्रभुनाथ सिंह दोनों माननीय सदस्यों को सिक्यूरिटी प्रोवाइड करने के बारे में माननीय गृह मंत्री जी से बात करूंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न जो आपने उठाया है कि वहां की सी॰ आई॰ डी॰ ने आपके डेरे पर जो कुछ किया है, वह आप पर निर्भर है कि आप उस मामले को प्रीविलेज कमेटी को भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाना चाहिए। (*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, हमारा यहां आंध्र प्रदेश के संसद सदस्य श्री राज शेखर रेड्डी का मामला है इसलिए उन्हें सभी राज्यों के बारे में बात करने दो। संसद सदस्यों और उनके परिवारों की देखभाल की जानी चाहिए।.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : बिल्कुल ठीक है। (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सूर्यकांता पाटील, कृपया अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दें।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : महिलाओं को इस कदर तो मत दबाइये।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ज्यादा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्दी वाले और पुलिस वाले वहां गये थे, यह मामला प्रीविलेज कमेटी में भेज दिया जाए।.... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने के लिए श्रीमती सूर्यकांता पाटील को अनुमति प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : अध्यक्ष महोदय, फरवरी में हुए लोक सभा के चुनाव के बाद जो स्थिति आज इस देश के सामने है, 20 पहियों पर खड़ी इस सरकार ने हमसे वायदा किया था कि महंगाई कम होगी।.....(*व्यवधान*) सुनने की थोड़ी सी आत्मा रखिए।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बात में बाधा न डालें।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : इस देश में आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मजदूर आदमी रोटी के साथ नमक खाता था और नमक खाकर उसे पीने के लिए पानी मिलता था। लेकिन आज उसे पानी भी उपलब्ध नहीं है। नमक के दाम आसमान को छू रहे हैं। आलू और टमाटर, जिसे प्याज के छोंक के साथ मेरी बहनें अपने घर के आदमियों को खिलाती थीं, बढ़ती हुई मंहगाई के कारण आज टमाटर 40 रुपये किलो और प्याज 15 रुपये किलो हो गए हैं। अरहर की दाल 35 रुपये किलो हो गई है। छोंक लगाने का तेल 45 रुपये किलो हो गया है। ज्वार और गेंहू आम आदमी को मुहैया नहीं हो रहा है। सरकारी दुकानों में गरीब आदमी को जो सामान मिलता था, वह बंद हो गया है। आज गरीब आदमी जीवन जीने के लिए अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है।. ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है। कृपया उन्हें अपनी बात कहने में बाधा न डालें।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : कुछ लोगों को इस बात का बुरा जरूर लगेगा लेकिन पोखरन विस्फोट के बाद बाहर के देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो गई है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इस तरह नहीं। मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आपको सुनते हुए बुरा लगेगा, गरीब आदमी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है। बाहर से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद होने के बाद, मुद्रा स्फीति की दरें बढ़ने के बाद देश का आम आदमी अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है।

अपराह्न 12.27 बजे

(**श्री पी॰ एम॰ सईद** *पीठासीन हुए*)

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस विषय पर इस सदन में सभी को चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए और इस विषय में पूर्णरूप से चर्चा हो।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : नहीं, इस तरह नहीं। मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। वे इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। यहां क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, यहां पर मंहगाई बढ़ने का विषय उठाया गया है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमने भी सूचना दी है। वे हमारे बोलने के पश्चात् उत्तर दे सकते हैं। महोदय, उन्हें अन्य सदस्यों की बात भी सुनने दो। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं बोलने के लिए कुमारी ममता बनर्जी का नाम पुकारता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात सुनें। मैंने इसी मामले पर बोलने के लिए ममता जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम भी सरकार का एक भाग हैं। कृपया आपत्ति न उठाएं.....*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह एक ऐसा मामला जो हमने उठाया है और हम सरकार से उत्तर देने के लिए कह रहे हैं। हम विपक्ष का एक भाग हैं और विपक्ष के सदस्यों के रूप में हमने यह मामला उठाया है। वह विपक्ष का भाग नहीं है। वह सरकार का एक भाग है और वह स्वयं इस मामले को उठाना चाहती हैं। यह सही नहीं है।.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह अपनी बात कहना चाहती हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही उनका नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने यील्ड कर लिया है।....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : हमें विरोध करना पड़ेगा....*(व्यवधान)* यह लोकतंत्र नहीं है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैंने उनका नाम पुकारा है।

सभापति महोदय : श्री ए॰ सी॰ जोस, यह शून्यकाल है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान की है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रो॰ सैफुद्दीन सौज़ (बारामूला) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : शून्यकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही इनका नाम पुकारा है। आप इसपर आपत्ति नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने एक मामला उठाया है। सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

प्रो॰ सैफुद्दीन सौज़ : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.... *(व्यवधान)* यह शून्यकाल के बारे में नहीं है। यह नियम 376 के अंतर्गत सभा के कार्यवाही के संबंध में है....*(व्यवधान)* आप कृपया मेरी बात सुनें। यदि आप कोई व्यवस्था देंगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा.... *(व्यवधान)* वास्तव में यह व्यवस्था का प्रश्न है। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं। आप कृपया नियम पर ध्यान दें.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सौज़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत।

प्रो॰ सैफुद्दीन सौज़ : नियम 376 के अंतर्गत। जब कभी सभापति सभा के किसी सदस्य को बोलने के लिए कहता है तो वह सभा का कार्यवाही बन जाता है। आपने श्रीमती पाटील द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री मदन लाल खुराना का नाम पुकारा था। इसलिए श्री खुराना बोल रहे थे। वह सभा की कार्यवाही है।..... (*व्यवधान*) इसके पश्चात् कुमारी ममता बनर्जी को बोलने दें..... (*व्यवधान*) श्री खुराना बोल रहे थे.....(*व्यवधान*) श्री खुराना श्रीमती पाटील की बात का जवाब देंगे।.....(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : शून्य काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मुझे विनिर्णय देना है।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन क्या आप मुझे विनिर्णय देने की इजाजत देंगे।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं आपसे सहयोग नहीं मांग रहा हूं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं विनिर्णय देना चाहता हूं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री प्रमथेश मुखर्जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(*व्यवधान*)*

श्री तारिक अनवर : वे भी जिम्मेदार हैं.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायीकिल) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन मैं बोल रहा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(*व्यवधान*)

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप इसे तभी उठा सकते हैं जब मैं आपको इजाजत दूंगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया अब मेरा विनिर्णय सुनिए।

यह पहली बार नहीं हो रहा है। मंत्री द्वारा हस्तक्षेप के दौरान यदि एक माननीय सदस्य उसी मुद्दे पर प्रश्न पूछना चाहता है तो मंत्री बाद में उत्तर दे सकता है। मैंने उनका नाम पुकारा है अब कुमारी ममता बनर्जी प्रश्न पूछेंगी और तत्पश्चात् माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

(*व्यवधान*)

श्री के॰ करूणाकरण (तिरूअनन्तपुरम) : महोदय, मैं आपके विनिर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं एक बात कहना चाहता हूं (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

(*व्यवधान*)

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : महोदय आपने माननीय मंत्री को बुलाया है। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैंने ममता जी को बुलाया है। मैंने उन्हें बोलने की इजाजत दी है।

(*व्यवधान*)

श्री प्रमथेश मुखर्जी : नहीं श्रीमान। आपने माननीय मंत्री जी को बुलाया है। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप मेरे प्राधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं?

(*व्यवधान*)

श्री के॰ करूणाकरण : महोदय, मैं केवल आपके विचारार्थ और तदुपरांत कार्यवाही हेतु एक सुझाव दे रहा हूं। यह आज का ज्वलंत मुद्दा है। लोग इस संकट से उब चुके हैं। वे इस बात को लेकर चिंतित और विचलित हैं कि देश में क्या हो रहा है। अत: इसे सरकार के ध्यान में लाना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

महोदय, सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को किसी भी समय मंत्री से मिलने का अवसर होता है लेकिन हम इसे केवल सदन में ही उठा सकते हैं। सरकार को केवल तभी उत्तर देना है जब हम इसे उठायेंगे। अत:

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पीठासीन अधिकारी से उन सभी सदस्यों को अवसर देने का अनुरोध करता हूं जो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं और केवल तभी माननीय मंत्री को उत्तर देना चाहिए। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं ऐसा ही कर रहा हूं। कुमारी ममता बनर्जी भी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं।

(*व्यवधान*)

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, प्रश्न केवल यह है कि कुमारी ममता बनर्जी सरकार की सहयोगी हैं और वे दोनों अवसरों का लाभ नहीं उठा सकती। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : इस सभा की सदस्य होने के नाते वे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं।

(*व्यवधान*)

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, वे बाहर से सरकार का समर्थन कर रही हैं। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री जोस, आप केरल विधान सभा में अध्यक्ष थे और आप जानते हैं कि वे सरकार का हिस्सा हैं या नहीं। सबसे पहले वे इस सभा की सदस्या हैं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : अब ममता जी को सुनिए।

(*व्यवधान*)

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, श्रीमती सूर्यकांता पाटील को अपनी बात पूरी करने दीजिए। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कुमारी ममता बनर्जी पहले ही खड़ी हो चुकी हैं।

(*व्यवधान*)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : महोदय, मैं आपके निदेश के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मैं उनकी बात में व्यवधान नहीं डाल रही हूं। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं एक बात बताना चाहती हूं। ममता जी के बोलने के बाद जिन-जिन सदस्यों को इसमें हिस्सा लेना है, उन सबकी बात सुन लें, उसके बाद खुराना जी से आप कहें।

सभापति महोदय : मैं वही कर रहा हू। सारा मामला यहीं गड़बड़ कर गया। मैंने कहा था कि उनको भी बुलाऊंगा। अब कृपया सहयोग दीजिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं ....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : क्या आप उन्हें धैर्यपूर्वक सुनेंगे?

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक मैम्बर होने के नाते बोलने के लिए मौका दिया। मैं सरकार की मिनिस्ट्री की मैम्बर नहीं हूं, लेकिन हाउस की मैम्बर हूं। मुझे बहुत दुख हुआ, जब राजेश जी ने इतने सीनियर मैम्बर होते हुए भी मुझे बोलने से रोका.....(*व्यवधान*) जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे और मैंने कोई मैटर रेज किया, तो उन्होंने मुझे एलाउ किया था। मैं तब सत्ता-धारी कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। मैं कहना चाहती हूं कि मैं सरकार का सवाल करने के लिए नहीं आई हूं। मैं आम जनता की बात कहना चाहती हूं। आप दूसरी बात करते हैं, यह नहीं होना चाहिए।

यह बात सही है कि प्राइस राइज हो रहा है और इसके कई कारण हैं। आम जनता चाहती है कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार आपस में बैठकर कोई प्लान आफ एक्शन तैयार करें कि कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। दिल्ली में एक प्राइस है, कलकत्ता में दूसरी प्राइस है, मद्रास में तीसरी प्राइस है और बिहार में चौथी प्राइस है। दिल्ली में देखेंगे तो चितरंजन पार्क में एक प्राइस है और आई एन ए में एक प्राइस है। संपूर्ण स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। ओनियन की प्राइस 14 रुपए हो गई है, टमाटर की प्राइस 42 रुपये हो गई है। हरी मिर्च की प्राइस दिल्ली में 35 रुपए और कलकत्ता में 110 रुपए है। मैं आम जनता के बारे में कहना चाहती हूं। .....(*व्यवधान*) एडिबल आयल की भी कीमत बढ़ गई है। वैजिटेबल्स के भाव बढ़ गये हैं। आम आदमी पोटैटोज बायल करके कैसे खाएगा।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए। हमें उनकी बात सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा हो रहा है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री को विभिन्न राज्यों में वास्तविक स्थिति बताते हुए मूल्य वृद्धि पर वक्तव्य देना चाहिए। राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। उन्हें सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक करनी चाहिए। दूसरे प्रधान मंत्री को वक्तव्य

देना चाहिए ताकि लोगों में संदेश जाये कि मूल्य नियंत्रण में है और उन्हें नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा। मंत्री महोदय को इसे नोट करना चाहिए। यही मेरा आग्रह है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य न केवल गरीबों बल्कि उच्च मध्यम श्रेणी के लोगों की पहुंच से बाहर हो गये हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न केवल यह, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने सभी प्रकार की राशन प्रणाली, संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान सहमत हुई वस्तुओं समेत अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधे मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति करना छोड़ दिया है। कई आवश्यक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इस सबके कारण वर्तमान स्थिति पैदा हुई है।

हम ऐसे नहीं चल सकते। हमें राशन प्रणाली को जारी रखना होगा। हमें राशन दुकानों के जरिए आवश्यक वस्तुओं को आबंटन करना चाहिए। अब देश में यह पहले नम्बर की प्राथमिकता है और न कि परमाणु परीक्षण। मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम होने तक राशन की बिक्री करती रहेगी।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं केरल राज्य से हूं जहां सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी है। बाजार में सब्जियों के मूल्य इतने अधिक हो गये हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आग में घी का काम करते हुए सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है कि साधारण नमक का बाजार में भंडार नहीं रखा जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा साधारण नमक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। बाजार में साधारण नमक की कीमत एक रुपया प्रति किलोग्राम से कम थी। प्रतिबंध के बाद गरीब आदमी आयोडीन नमक को लगभग छह रुपए अथवा सात रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने पर विवश हो गया है। चिकित्सीय राय भी भिन्न है कि क्या साधारण नमक को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और क्या केवल आयोडीन नमक को ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन मुद्दों पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। उच्च न्यायालय ने भी मामले में हस्तक्षेप किया है। सरकार के इस निर्णय से गरीब आदमी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में न केवल सब्जियों के मूल्य बढ़ रहे हैं अब बाजार में साधारण नमक भी उपलब्ध नहीं है। गरीब आदमी अब आयोडीनयुक्त नमक को खरीदने को विवश है जोकि विमानों में यात्रा करने वालों को दिया जाता है। इसने केरल राज्य में एक बहुत कठिन स्थिति पैदा कर दी है। मैं सरकार से साधारण नमक पर बिक्री को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना, विशेषकर सब्जियों के मूल्यों में उच्च वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वापिस लेने और गरीब व्यक्ति को कठिनाइयों से बचाने का अनुरोध करता हूं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री : सभापति महोदय, महंगाई के बारे में जो दोनों पक्षों ने चिंता प्रकट की है, वह स्वाभाविक है। सरकार भी बताना चाहती है कि मंहगाई क्यों बढ़ रही है, यह अभी से बढ़ी है या पहले बढ़ी है। जैसे आपने नमक की बात कही, इसको आयोडाइस्ड करना किस सरकार का निर्णय है।.... *(व्यवधान)* पहले मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

मैं चाहूंगा कि इस सदन में किसी भी रूल के अंदर चर्चा हो। मैं इस बात को सभापति के ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब सारा सदन इस पर चिंतित है तब सरकार भी अपना पक्ष रख सकें।

सभापति महोदय : इसके बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी तय करे।

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदय, आपने माननीय मंत्री को उन भावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निदेश दिया है जो दोनों तरफ के सदस्यों ने व्यक्त की हैं, न की उनकी राय मांगने के लिए कि क्या मामले पर इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए अथवा नहीं। मूलत: सभा इस बारे में चिंतित है कि सरकार का वस्तुओं के मूल्य को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जोकि न केवल आम आदमी बल्कि मध्य श्रेणी के लोगों की पहुंच से भी बाहर हो गये हैं। आज यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और कहता है कि मैं केवल वही सब्जी खरीदूंगा यदि डाक्टर उसकी सलाह देते हैं। वस्तुओं के मूल्य आम आदमी की क्रय शक्ति और पहुंच से बाहर हो गये हैं।

मूलत: माननीय मंत्री को संपूर्ण सभा तथा पूरे देश को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि सरकार ने उन बिचौलियों का पक्ष नहीं लिया है जो लाभ कमा रहे हैं तथा सरकार मूल्यों को कम करने का प्रयास करेगी।

सभापति महोदय : श्री आरिफ खां, सरकार किसी भी नियम के तहत विचार विमर्श को तैयार है। इसलिए संपूर्ण तौर पर सभा इस पर चर्चा करेगी तथा सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए।

(व्यवधान)

इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को और विशेषतौर से सरकार को एक बड़े चिंतनीय विषय पर सूचना देना चाहता हूं। हमारा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। सारे देश में हर वर्ग और हर पार्टी ने समारोह किए

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। इसी 2 जुलाई को दिल्ली में स्पीकर हॉल में एक समारोह हुआ था। उस समारोह में दिल्ली का जो फ्रीडम फाइटर फोरम है उसमें हमारे नेता और फ्रीडम फाइटर पूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री देवी लाल जी का सम्मान हुआ था। उस समारोह में इस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर मौजूद थे।

सभापति महोदय : यह स्पेशल मैन्शन हैं, भाषण नहीं है, कई सदस्यों ने बोलना है।

श्री किशन सिंह सांगवान : श्री मदन लाल खुराना, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा मौजूद थे तथा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के फ्रीडम फाइटर मौजूद थे। वहां पर सारे देश के प्रेस के लोग मौजूद थे, दूरदर्शन के लोग मौजूद थे, लेकिन खेद का विषय यह है कि जिस आदमी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, दूरदर्शन ने किसी साजिश के तहत उस आदमी को नहीं दिखाया। यह स्वतंत्रता के ऊपर हमला है, फ्रीडम फाइटर की बेइज्जती है। माननीय चौधरी देवी लाल जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, राज्य सभा के सदस्य रहे हैं। उनके साथ बेइंसाफी हुई है। यह केवल चौधरी देवी लाल की नहीं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती है और इस हाउस की बेइज्जती है। आज दूरदर्शन एक दुकान बन कर रह गया है। वहां कोई स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या साजिश है? इस मामले की इन्क्वायरी होनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे मैला फाइड इनटैंशन है।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : यह बहुत गंभीर मामला है। इसका सरकार जवाब दे।

श्री किशन सिंह सांगवान : सभापति महोदय, दूरदर्शन में छोटी-छोटी खबरें आ जाती हैं और उनमें अश्लील फिल्में भी दिखायी जाती है।....(*व्यवधान*) दूरदर्शन आज दुकान बन कर रह गया है।.... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सरकार इसका ध्यान रखेगी।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : यह खबर सारे पेपर्स में छपी है लेकिन दूरदर्शन में इसे नहीं दिखाया गया। आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री कृपया इसे नोट करें और संबंधित मंत्री के ध्यान में लाएं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : यह सारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती है।....(*व्यवधान*)

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, जब से प्रसार भारती बोर्ड बना है, तब से टेलीविजन और रेडियो आटोनमस बाडी के रूप में कार्य कर रहा है। इस तरह की कई शिकायतें पहले भी आई हैं। मैं इस मामले को देखने के लिए इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकॉस्टिंग मिनिस्टर से कहूंगा।

श्री किशन सिंह सांगवान : देखने से काम नहीं चलेगा। यह एक साजिश है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री ने इसे पहले ही नोट कर लिया है। अब कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैंने श्रीमती आभा महतो को बुलाया है।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : हम इस मामले को ऐसे दबने नहीं देंगे। जिस सरकार के मंत्री ने ऐसा किया और जिस सरकार को हमने अनकंडिशनल स्पोर्ट किया.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती आभा महतो जो कुछ कह रही हैं उसके सिवाए कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित भी हैं। पिछले कई दिनों से पेपर में आ रहा है कि जादुगोड़ा से यूरेनियम चोरी हो रही है और उसकी तस्करी हो रही है। आसनसोल में दो तस्करों को पकड़ा भी गया है। उन्होंने कबूल किया कि वहां से यूरेनियम चोरी की जा रही है। वह यूरेनियम मुजफ्फरपुर होते हुए काठमांडू भेजा जाता है और वहां से पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में कांग्रेसी नेता के सीमेंट गोदाम से एक करोड़ रुपये का यूरेनियम पकड़ा गया था। यूरेनियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वह पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इसकी सी॰ बी॰ आई॰ से जांच करायी जाए। हमें शक है कि वहां का प्रबंधन भी इसमें मिला हुआ है।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : इसकी सी॰ बी॰ आई॰ से जांच करायी जाए।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती आभा महतो : यह राष्ट्र विरोधी कार्य है। मेरी मांग है कि इसकी अति शीघ्र सी॰ बी॰ आई॰ से जांच करायी जाए।

अपराह्न 1.00

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : सभापति महोदय, जैसाकि आप और इस सम्मानित सभा के अन्य सदस्य जानते हैं कि दिल्ली एक प्रदूषित शहर है। अनेक सर्वेक्षण हुए हैं जिससे पता चला है कि दिल्ली विश्व के चार अति प्रदूषित शहरों में से एक है। जब मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय में था तो हमने विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों और मुख्य मंत्री और तत्कालीन उपराज्यपाल सहित दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया था। तथा श्वेत पत्र और कार्य योजना प्रस्तुत की थी और केन्द्र सरकार ने उसका अनुमोदन किया था। अब उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की बजाय दिल्ली के उपराज्यपाल तथा स्वास्थ्य मंत्री ने दो बार वक्तव्य दिया है कि वायु प्रदूषण का फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों की बीमारी से कोई संबंध नहीं है। यह भ्रामक है इसलिए पर्यावरणविदों तथा गैर सरकारी संगठनों, विशेषकर विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा दिल्ली और अन्य स्थानों पर काफी शोर मचाया गया था।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप इस पर सरकार से क्या चाहते हैं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : महोदय, मंत्रालय द्वारा उस समय प्रस्तुत की गई कार्य योजना को क्रियान्वित करने की बजाय दिल्ली प्रशासन अब अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहा है तथा नागरिकों को भ्रमित कर रहा है कि प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है तथा प्रदूषण से नागरिकों के स्वास्थ्य के खराब होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली प्रशासन को सजग होना चाहिए जिसे पूर्व सरकार ने अनुमोदित किया था तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे भ्रामक वक्तव्य नहीं देने चाहिए। हमें न केवल दिल्ली के बल्कि भारत के सभी प्रमुख शहरों और देश के सभी गांवों में प्रदूषण का मुकाबला करना चाहिए। हमें इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त इन लोगों को दिल्ली के नागरिकों को भ्रमित नहीं करना चाहिए क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्वास संबंधी समस्याएं हैं। अत: प्रदूषण एक आपदा है और हमें इनसे लड़ना है तथा हमें उपराज्यपाल से उस वक्तव्य को वापस लेने के लिए सचेत करना है।

सभापति महोदय : प्रो॰ कुरियन।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति जी, हमने नियमानुसार नोटिस दिया है। क्या हमारे नोटिस को नोटिस नहीं माना जाता है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैंने इस सभा की कार्यवाही का संचालन करना है। मैं सभी पक्षों के सदस्यों को आमंत्रित कर रहा हूं। आपको उस टिप्पणी को वापस लेना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : इसका क्या मतलब है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आपका नाम इसमें है और यदि अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम शामिल किया है तो आपको अवसर मिलेगा लेकिन इस प्रकार नहीं। आप कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : हम लोगों ने अनुशासन के साथ नोटिस दिया है तो हमारे नोटिस को टेक अप क्यों नहीं किया जाता?

[अनुवाद]

एक सम्मानित सदस्य : महोदय, सदस्यों को भूख लग रही है।

सभापति महोदय : यदि आपको भूख लग रही है तो आप घर जा सकते हैं। मुझे भी भूख लग रही है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवलीकारा) : महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं।

एक सम्मानित सदस्य : सरकार की ओर से आपको कोई नहीं सुन रहा है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, सरकार की ओर से किसी को मुझे सुनना चाहिए। मंत्री महोदय आपस में बातचीत कर रहे हैं।

महोदय, विध्वंसकारी बाढ़ ने केरल राज्य में बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों लोग बेघर हो गये हैं। कई पशु मर गये हैं। खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। केरल राज्य सरकार ने कुछ शिविर खोले हैं। यह अधिकांश तौर पर मेरे जिले और उपनगरीय जिलों में हुआ है। मैं समझता हूं कि कुछ मौतें भी हुई हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं नहीं जानता क्यों? आमतौर पर जब ऐसी बाढ़ आती है तो सरकार एक प्रकार का वक्तव्य देती है और राज्य सरकार को प्रभावित लोगो की सहायता हेतु कुछ सहायता प्रदान करती है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक भारत सरकार के कार्यकरण का संबंध है यह बहुत ही अनियत है। मैं नहीं जानता कि वे चुप क्यों हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे कृषि मंत्री से केरल राज्य के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करें और इस सभा में नुकसान, मानव जीवन की

और अन्य चीजों की क्षति के बारे में वक्तव्य दें तथा राहत कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से केरल राज्य को सहायता भी प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति जी, लखनऊ में जो मुख्य विकास अधिकारी * .... सांसद कोटे की जो धनराशि है, उससे कार्य करने के लिए जब मैंने उनको सूची उपलब्ध कराई और एक महीने बाद उनसे पूछा कि कार्य कितनी प्रगति पर है.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : अधिकारी का नाम मेन्शन नहीं करना चाहिए। वह रिकार्ड से एक्सपंज कर दिया जाए।

श्रीमती रीना चौधरी : उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है, मैं दे दूंगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं। इस तरह से उन्होंने मुझसे बात की है। सभापति जी, सांसद कोटे की धनराशि सांसद की अनुमति से सांसद से सलाह-मशविरा करके खर्च करने के लिए है या मुख्य विकास अधिकारी को पूरा अधिकार है कि वह जैसे चाहे मनमाने ढंग से उस पैसे को खर्च कर सकता है?....(*व्यवधान*) इस तरह से उन्होंने हमसे अभद्रता की है। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।.....(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं भी कहना चाहती हूं कि यह काम ठीक से नहीं चल रहा है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : यह एक गंभीर मामला है।..... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें कुछ कहने दीजिए। कृपया बैठ जाईये।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये।

(*व्यवधान*)

श्रीमती रीना चौधरी : मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने यह कहा कि सांसदों और विधायकों की बात अधिकारी न माने। उस दिन से अधिकारी अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। कोई भी सांसदों और विधायकों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय मुख्य मंत्री के आदेश के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है और सांसद कोटे की धनराशि अगर मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से ही खर्च होनी है तो वह उसी के नाम से कर दी जाए। हमें नहीं चाहिए।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री उनकी बात का जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह जो संसद सदस्य विकास कोष का मामला है, इसमें संसद सदस्य ही जिस काम को कहेगा, वही काम होगा। जो अधिकारी हैं या जो भी मशीनरी है, चाहे पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ हो या इरीगेशन डिपार्टमेंट हो या कार्पोरेशन हो, यह एजेंसियां उसको लागू करने के लिए हैं। इसलिए आपका यह कहना कि उनको दे दिया जाए, तो क्यों उनको दे दिया जाए? यह आपका अधिकार है और आपके आदेश से होगा। आपने जो शिकायत की है, अगर आप मुझे लिखकर भिजवा दें तो आप कह रहे हैं तो उस अधिकारी के बारे में मैं निश्चित रूप से संबंधित मंत्री को लिखूंगा।....(*व्यवधान*)

श्रीमती रीना चौधरी : यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

सभापति महोदय : आप लिखकर दीजिए। वह कार्रवाई करेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने कहा है कि आप लिखकर दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड) : महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान ..... की ओर दिलाना चाहता हूं।.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, मैंने श्री गोविन्दन को बुलाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : इसी से संबंधित मामला है।.... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय . एक संबंधित मामला आएगा तो सभी संबंधित मामले ही आएंगे। एक ही मामले पर सदन नहीं चलेगा।

(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह कहा जा चुका है कि मुख्य विकास अधिकारी सत्रावधि में भी बैठक बुलाते हैं। उनको यह निर्देश जाना चाहिए कि सत्र के दौरान कोई बैठक न बुलाई जाए। जिलाधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। सत्र के दौरान बैठक बुलाकर जन-प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते हैं।.....(*व्यवधान*)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

सभापति महोदय : इस पर मिनिस्टर साहब ने अभी-अभी कहा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जो बैठक बुलाई जाती है उसमें हमारा रहना जरूरी है, लेकिन वह बैठक संसद के सैशन के दौरान बुलाई जाती है।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब ने अभी-अभी क्या बताया, क्या आपने सुना।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गोविन्दन।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पास पीठासीन अधिकारी को भी सुनने का धैर्य नहीं है।

श्री टी॰ गोविन्दन : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान यात्रियों और रेल प्राधिकारियों के बीच केरल में हो रही युद्ध जैसी स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। केरल के समाचारों में से यह रिपोर्ट आई थी कि रेलवे स्टेशन से आते -जाते यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को गालियां दीं और उन पर हमला किया। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री यह पता लगायेंगे कि यात्रियों और रेलवे स्टाफ के बीच समस्या के क्या कारण हैं।

महोदय जैसाकि आपको मालूम है कि केरल राज्य में गाड़ियां 5 से 6 घंटे के विलंब से चल रही हैं और कुछ गाड़ियां केवल अगले दिन ही पहुंच रही हैं। रेल बजट पर चर्चा के दौरान हमने इस सभा में स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी। लेकिन वही स्थिति अब भी जारी है तथा दिन प्रतिदिन बदत्तर होती जा रही है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से गाडियों की संख्या तथा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या भी बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। मैं मंत्री जी से बंगलौर से शोरनपुर तक एक नई रेलगाड़ी चलाने का भी अनुरोध करता हूं। मैं एक बार फिर माननीय रेल मंत्री से तुरंत आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान सार्वजनिक हित वाले एक गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रतिदिन पश्चिम बंगाल में भारत बंगलादेश सीमा के जरिए, विशेषकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में, सभी प्रकार की सब्जियां, मसाले और खाद्य तेल समेत सभी आवश्यक वस्तुएं जो कि आम आदमी के जीवन के लिए आवश्यक हैं....

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री चक्रवर्ती यह मामला यहां पर पहले भी आया था। हर कोई इस पर बोला और माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था। हम इस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस चर्चा के दौरान आपके पास इस मामले में बोलने के लिए काफी समय होगा।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.17 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) बुन्देलखंड क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र के अति पिछड़े व अविकसित 12 जनपदों को मिलाकर बुन्देलखंड क्षेत्र के लोग आज पीने के पानी एवं वर्ष भर रोटी के लिए मोहताज हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने अभी तक इस दिशा में मजबूत पग नहीं उठाए हैं, इस कारण इन क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो सका है। जब तक इस क्षेत्र के नौजवानों के हाथ में काम नहीं होगा, उनकी आमदनी के स्रोत नहीं होंगे, तब तक उनकी बेकारी दूर नहीं होगी और बेकारी दूर नहीं होगी तो भुखमरी होगी।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं :

1. औद्योगिक विकास के लिए ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जाये, साथ में भारी उद्योग की स्थापना हो तथा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती बिजली, करों में रियायत दी जाये, बैंकों से कम ब्याज पर ऋण की सुविधा हो एवं उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय अनुदान दिया जाये।
2. कृषि योग्य भूमि का समतलीकरण, परती भूमि को खेती योग्य बनाया जाये तथा छोटे-छोटे बांधों और तालाबों के द्वारा पानी को बांधकर सिंचाई को उपलब्ध कराना।
3. विद्युत आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए विद्युत घरों की स्थापना की जाये।

4. केन्द्रीय सरकार अपना यह उत्तरदायित्व स्वीकार करे कि तीन वर्षों में बुन्देलखंड क्षेत्र के प्रत्येक गांव एवं नगर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक पैकेज देगी।

(दो) उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बों में रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

डा॰ संजय सिंह (अमेठी) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र में ऐसे जलावन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ काटना मना है, इसलिए इस क्षेत्र में जलावन के अभाव के दूर करने हेतु कुकिंग गैस की अतिक्ति व्यवस्था की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को असुविधा है और कालाबाजारी में कुकिंग गैस खरीदने को लोग विवश हैं।

अत: मैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में अमेठी, भदोही, मुसाफिरखाना, जगदीशपुर, शुक्ल बाजार में नयी गैस एजेन्सी खोलने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं तथा इस संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में गैस की आपूर्ति हेतु सचल वैन के द्वारा कुकिंग गैस उपलब्ध कराई जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने और वहां उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम पाल सिंह (डुमरियागंज) : हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर बहुत पिछड़ा जनपद है। यहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं जिस कारण यहां के लोगों को अपनी रोजी-रोटी की तलाश में घर छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है। यहां पर एक चीनी मिल वर्ष 1991 से स्वीकृत है परंतु अभी तक नहीं लग पाई जिसके परिणामस्वरूप यहां का गन्ना दूसरे जिलों की चीनी मिलों को जाता है और समय तथा धन दोनों का नुकसान होता है। जिला नेपाल सीमा से लगे रहने के कारण यहां नेपाल से तस्करी भी होती रहती है जिस कारण नौजवान कार्य न मिलने की दशा में गलत रास्ते पर चले जाते हैं।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस जिले को उद्योग रहित घोषित करके सारी सुविधाएं तथा करों में छूट दे कर इस जिले में उद्योग लगवाएं जाएं जिससे इस जिले की गरीबी व बेरोजगारी का समाधान हो सके।

(चार) चंडीगढ़ में रह रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का चाहे वे कभी वहां आकर बसे हों, जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है, वहां पर भारी तादाद में अनुसूचित जनजाति एवम् अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं। पंजाब एवम् हरियाणा की राजधानी होने के कारण बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भाइयों के तबादले भी दूसरे प्रदेशों से चंडीगढ़ में होते रहते हैं, इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों से भी काफी परिवार पिछले 20-30 वर्षों में चंडीगढ़ आकर बसे हैं। इन लोगों को अपने बच्चों को रोजगार दिलाने एवम् स्कूलों, कालेजों में प्रवेश सहित कई मामलों के लिए 'अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र' की आवश्यकता पड़ती है। परंतु वहां का प्रशासन केन्द्र सरकार के एक सर्कुलर के आधार पर मात्र 1 नवंबर, 1966 या उससे पहले ही चंडीगढ़ में रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है। उसके बाद आकर बसे लोगों को यह प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं।

इस कारण से वहां की जनता के मन में भारी रोष है। वहां के अनुसूचित जाति के भाइयों को दर-दर धक्के खाने के बाद अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मिल नहीं पाता है उन्हें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वे इस सर्कुलर के कारण अप्रत्यक्ष रूप से वापस लिए जा रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। चंडीगढ़ क्षेत्र की लगभग सभी राजनैतिक पार्टियां एवम् अनुसूचित जाति भाइयों के विभिन्न संघ पहले ही इस सर्कुलर को वापस लिए जाने की मांग कर चुके हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस सर्कुलर को तुरंत वापस ले तथा चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दे कि वह चंडीगढ़ में रहने वाले सभी अनुसूचित जाति भाइयों को चाहे वे कभी भी चंडीगढ़ में आकर बसे हों, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करे।

[अनुवाद]

(पांच) त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल (खेड़) : महोदय, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लगभग पांच वर्ष पूर्व त्वरित नगर जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत लगभग तीस योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इन योजनाओं में से केवल नौ योजनाओं को ही अब तक केन्द्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। 1991 की जनगणना के अनुसार यह योजना 20,000 की आबादी वाले शहरों पर लागू होती है। लेकिन इस योजना के लिए इन शहरों का चयन राज्य स्तर की समिति द्वारा किया जाता है। इस योजना का खर्च केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण अनेक शहरों की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा हो गयी है। इसलिए, इस योजना का लाभ ज्यादा शहरों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से जनसंख्या की सीमा 20,000 से 50,000 बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों ने शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति की दर 70 एल॰ पी॰ सी॰ डी॰ से 100 एल॰ पी॰ सी॰ डी॰ बढ़ाने की भी मांग की है। लेकिन केन्द्र सरकार ने दोनों मांगों में से किसी को भी मंजूरी नहीं दी है। आगे, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गये शेष इक्कीस योजनाओं को मंजूरी दी जाए।

अपराह्न 2.24 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शेष योजनाओं को पूरा करने के लिए और जनसंख्या सीमा को बढ़ाने के लिए तथा अतिशीघ्र जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(छह) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण की वर्तमान नीति को जारी रखने तथा केरल राज्य को खाद्यानों का आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री टी॰ गोविन्दन (कासरगोड़) : महोदय, केरल में विगत तीस वर्षों से सुव्यवस्थित राशन प्रणाली चल रही है। केरल अत्यधिक खाद्य की कमी वाला राज्य होने के कारण प्राय: प्रत्येक परिवार अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की चावल और गेंहू पर निर्भर करता है।

गत कई वर्षों से राज्य को खाद्यानों का वार्षिक आबंटन 24,00,000 मीट्रिक टन प्राप्त हो रहा है। तथापि, जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ राज्यों का आबंटन घटकर 17.76 लाख टन रह गया (चावल का 14.76 लाख टन और गेंहू का 3 लाख टन) राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपरोक्त आबंटन पर्याप्त नहीं था और केरल सरकार ने इस मामले को विभिन्न स्तरों पर उठाया और इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने आबंटन बढ़ा दिया। गत कई महीनों से केरल को केवल 1,48,000 मीट्रिक टन चावल और लगभग 37,720 मीट्रिक टन गेंहू प्राप्त हो रहा है।

जब तक आबंटन के वर्तमान स्तर को कायम नहीं रखा जाता है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम रूप से चला पाने में कठिनाई होगी। इसीलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम आबंटन के वर्तमान स्तर को बनाए रखें। दो वर्ष के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी को हटाना और इस पर से नियंत्रण की समाप्ति का भारत सरकार का प्रस्ताव अन्य महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की यह नीति केरल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी पर ज्यादा निर्भर है। चीनी पर से नियंत्रण की समाप्ति चीनी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि कराएगा और जनता के लिए अकारण संकट उत्पन्न करेगा। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां तक चीनी के वितरण का प्रश्न है वर्तमान नीति को कायम रखा जाए और केरल राज्य के खाद्यान्न आबंटन को भी बनाए रखा जाए।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र में आमों में पाए गये 'झूमका रोग' के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीना चौधरी (मोहन लाल गंज) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मोहन लाल गंज के अंतर्गत विधान सभा मलिहाबाद प्रदेश ही नहीं वरन् पूरे देश का फल पट्टी क्षेत्र है, परंतु वहां से दिल्ली आने-जाने के लिए ट्रेन का स्टाप नहीं है, जिससे आम ले जाने की समस्या है।

विगत 15 वर्षों से मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र से आम में गुठली नहीं रहती है। आम बढ़ता नहीं है और छोटे पर भी सूख कर गिर जाता है, जिसे 'झूमका रोग' कहते हैं। इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, जिससे इसका निदान नहीं हो पा रहा है।

अत: केन्द्र से इसके लिए टीम भेजकर जांच कराई जाए। रहमान खेड़ा में केन्द्रीय मैंगो रिसर्च सेंटर है, पर वह काम नहीं कर रहा है। अत: इस ओर शीघ्र ध्यान देकर कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

(आठ) तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम कनाल परियोजना को तत्काल कार्यान्वित करने की आवश्यकता को सरकार के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। सेतुसमुद्रम परियोजना में रामेश्वरम द्वीप में एक कनाल की खुदाई और इस कनाल के द्वारा पाक स्ट्रेट को मन्नार गल्फ से जोड़ना शामिल है। यह परियोजना गत 135 वर्षों से लम्बित चली आ रही है। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कई समितियों ने इस परियोजना की सिफारिश की थी। इस योजना की अनुमानित लागत जो 1968 में 37.34 करोड़ रुपये थी 1984 में बढ़कर 282 करोड़ रुपये हो गयी है और आगे भी अवश्य ही बढ़ी होगी। यह परियोजना कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है।

यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो पश्चिमी घाट के बंदरगाहों और पूर्वी घाट के बंदरगाहों के बीच की समुद्र मार्ग से दूरी 360 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा कम जो जाएगी इसके अलावा बहुमूल्य ईंधन और समय की बचत होगी। वर्तमान समय में हल्दिया से तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट के लिए आवश्यक कोयला समुद्री जहाज द्वारा एक घुमावदार मार्ग से लाया जा रहा है। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाता है तो अकेले नौवहन निगम को ईंधन और समय की बचत द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत होगी। इसके परिणामस्वरूप यह तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की विद्युत उत्पादन की लागत को घटाने में मदद करेगा। चूंकि तूतीकोरिन संयुक्त राज्य और पूर्वीघाट के भारतीय बंदरगाहों के बीच कन्टेनर यानांतरण केन्द्र है इसीलिए विश्व कान्टेनर आपरेटर भी इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा।

मैं सरकार से इस सेतुसमुद्रम परियोजना को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री टी॰ आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : मैं भी इनके विचारों से सहमत हूं।

[हिन्दी]

(नौ) हरियाणा के सिरसा रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा॰ सुशील इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, सिरसा रेलवे स्टेशन आम यात्रियों की सुविधा के स्थान पर उनकी जान का भी जोखम बनता जा रहा है। सिरसा में प्लेटफार्म शहर की विपरीत दिशा में बना हुआ है। अत: यात्री प्लेटफार्म की तरफ न उतर कर दूसरी ओर उतरते हैं क्योंकि यही मार्ग उनके गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए सुविधाजनक है। गाड़ी से उतरते समय बगल की पटरियों पर अन्य गाड़ियां भी खड़ी और चलती रहती हैं। अत: ये यात्री जीवन को संकट में डाल कर मार्ग तय करते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अविलंब इस प्लेटफार्म की दिशा बंद की जाए ताकि कोई भी दुर्घटना होने की संभावना न रहे। साथ ही नये प्लेटफार्म की लंबाई वर्तमान प्लेटफार्म की लंबाई से कम से कम चार गुनी अधिक हो ताकि यात्री धूप, वर्षा, सर्दी से बच सकें तथा रेलगाड़ी भी प्लेटफार्म पर ही खड़ी हो सके।

[अनुवाद]

(दस) नागपुर क्षेत्र में बुनकरों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए उचित नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान नागपुर क्षेत्र में हल्बा कोसती (बुनकर) समुदाय की गंभीर समस्याओं और दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। विदर्भ में लगभग 20 लाख बुनकर धागे की आपूर्ति, ऋण सहायता, और अन्य संबंधित सुविधाओं की आपूर्ति में बुनकरों की समस्याओं की ओर सरकार के सरसरी व्यवहार से बुरी तरह प्रभावित हैं। जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं। उनकी मूलभूत समस्याओं को निरंतर नजरअंदाज करने से हताशा और परेशानी बढ़ी है तथा स्थिति विस्फोटक हो रही है।

यह खेद की बात है कि विदर्भ क्षेत्र जिसे पूर्व में भारत मानचेस्टर का दर्जा प्राप्त था अब लुप्त हो गया है। इस क्षेत्र में अधिकांश कपड़ा एकक या तो बंद हो गये हैं अथवा रूग्ण हो गये हैं जिससे हजारों हाथ बेरोजगार हो गये हैं तथा गंभीर हालात का सामना कर रहे हैं। नागपुर सहकारी सूत गिरनी, हल्बा कोसती समुदाय की सहकारिता जिसमें 1400 श्रमिक थे पिछले दो वर्ष से बंद पड़ी है और राज्य सरकार की कठोर नीतियों के कारण इसके पुनरूद्धार के प्रयास विफल रहे हैं। इस एकक में कार्यरत सभी श्रमिक तथा उनके परिवार के सभी सदस्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा उनके बच्चों की शिक्षा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसमें केन्द्र सरकार की मध्यस्थता की आवश्यकता है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बुनकरों के आर्थिक उद्धार हेतु सरकार की उद्घोषणा और संकल्प के बावजूद उनकी समस्याओं के निपटान के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसलिए, क्या मैं सरकार से नागपुर क्षेत्र में बुनकरों की लम्बे समय से लंबित समस्याओं के हल के लिए उचित निर्णय लेने का अनुरोध कर सकता हूं, इससे पहले कि इस कार्य में बहुत देर न हो जाये।

अपराह्न 2.33 बजे

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 21 और 22 पर विचार करेंगे। श्री सुरजीत सिंह बरनाला प्रस्ताव करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसाकि आपको मालूम है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवयक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण में उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम को 43 साल पहले लागू किया गया था। सरकार ने अब अधिनियम के सभी उपबंधों को अधिक प्रभावी और उचित बनाने की दृष्टि से पुनरीक्षा की है। इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान माहौल से तालमेल रखा गया है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उक्त अधिनियम में कुछ संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं आर्थिक नीतियों उदारीकरण तथा उत्पादन में सुधार और हाल ही में कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की बनावटी कमी के कारण उपभोक्ता निरंतर पीड़ित रहे हैं। असामाजिक तत्व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में अभी भी कदाचार से ग्रस्त हैं जिस कारण विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी में संलिप्त व्यक्तियों से प्रभावी रूप से निपटने तथा मामलों के शीघ्र निपटान की दृष्टि से इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों को

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

संक्षिप्त रूप से लाने का प्रयास तथा उन्हें विशेष अदालतों द्वारा मुकदमे बाजी करने का प्रस्ताव है।

दंड के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कारावास की अधिकतम अवधि को सात वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है, कि अपराधों को संक्षिप्त रूप में लिया जायेगा, कुछ मामलों में न्यूनतम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

दूसरी और ऐसी शिकायतें हैं कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को उन निम्न कार्यकर्त्ताओं द्वारा सताया जाता है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं इसे इंस्पैक्टर राज कहा जाता है। ऐसे दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से ऐसे संशोधन का प्रस्ताव किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की प्रवृष्टि, जांच अथवा जब्ती करने से पहले निम्न कार्यकर्ताओं को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के दर्जे के अधिकारी की पूर्व इजाजत लेनी होगी। पुलिस के सब इंस्पैक्टर के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। मौसम अथवा रखरखाव के कारण वास्तविक भंडारण और रिकार्ड में भंडारण के बीच अंतर हेतु कुछ भत्ते प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

उदारीकरण प्रक्रिया से तालमेल हेतु अधिनियम के अंतर्गत आटोमोबाइल के संघटकों और उपकरणों को यथाघोषित आवश्यक मद से निकालने का प्रस्ताव है। मोटर संघटकों को लाइसैंस मुक्त किया गया है तथा मोटर उद्योग अब बड़े पैमाने पर उपकरणों का उत्पादन कर रहा है।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम (1981) 31.8.1997 को निरस्त हो गया था। उसके बाद इस अधिनियम के उपबंधों को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अध्यादेश 1997 के रूप में लागू किया गया था तथा दोबारा फिर इसे आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश 1998 के रूप में लागू किया गया था। ये निरस्त हो गये हैं।

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998, 29.5.98 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने यह विधेयक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति को जांच हेतु 8.6.1998 को भेज दिया था। स्थायी समिति ने इसकी जांच की तथा अपना प्रतिवेदन लोक सभा को प्रस्तुत कर दिया है। समिति ने दो संशोधनों की सिफारिश की है और सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार किया है।

यह विधेयक आम जनता के हित में है अत: मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन देगी।

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव किया गया :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्याक 13) का निरनुमोदन करती है।"

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, यह जो बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1998 सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, यह बिल 1955 में पास हुआ था और उसके बाद 1981 में इसमें संशोधन का प्राविजन किया गया और पांच-पांच वर्ष बाद इसमें 15 वर्ष तक संशोधन किया जाता रहा। अभी मंत्री जी ने सदन के समक्ष अपने वक्तव्य के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि देश के गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह संशोधन बिल लाया गया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह संशोधन बिल व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। इसमें तीन प्रोविजन रखे गये है, जिसमें यह चाहते थे कि जिनको गलत काम करने के कारण दस बरस की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना होता था, उसमें संशोधन करके दो वर्ष की सजा कर दी गई। 25 हजार रुपए के नीचे जुर्माना करने की बात कोर्ट पर छोड़ दी गई। दूसरा संशोधन यह किया गया कि सप्लाई इंस्पैक्टर या ऊंचे पदाधिकारी व्यवसायी की दुकान पर कमी या खामी पाने के कारण जो मुकदमा करते थे, उसको अपने अधिकार में ले लिया और कहा कि दरोगा से नीचे कोई उन्हें अरैस्ट नहीं कर सकता। तीसरा फायदा व्यवसायियों के लिए यह किया है कि वह बिना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की परमिशन के किसी के स्टाक को चैक नहीं कर सकते। बिल के उद्देश्यों में लिखा है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह लाया गया है। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हों, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह बिल लाया गया है किंतु कारावास की अधिकतम अवधि सात वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर दी गई क्योंकि अब सभी अपराधों का विचारण संक्षिप्त रूप से किया जाएगा। अब यह ट्रायल भी नहीं होने देंगे। अब साधारण पूछताछ के बाद सजा दी जाएगी। पहले भी यह अध्यादेश लाया गया था लेकिन वह लैप्स हो गया। बाद में यह कमेटी को रैफर कर दिया गया। इस बिल के लैप्स होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जिस में दूसरे दलों के भी लोग थे, वे सभी इससे प्रभावित हुए हैं। बिल का यह उद्देश्य था कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में चीनी, गेंहू, तेल, डालडा और दूसरा सारा सामान ठीक ढंग से मिले लेकिन इस अध्यादेश के आने के बाद सारा सामान मंहगा हो गया। अभी मैडम ने अपने भाषण में बताया कि मटर 40 रुपए किलो, गोभी 45 रुपए किलो, आलू 18 रुपये किलो, नमक 7 रुपये किलो और गेहूं 18 रुपए किलो मिल रहा है जो कि सड़ा होता है। चावल 25 रुपए किलो मिल रहे हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में गरीब के खाने वाली चीजें बहुत मंहगी मिलती हैं। तेल 54 रुपए, डालडा 55 रुपए और टमाटर 35 रुपए किलो बिक रहे हैं। माथे के दर्द की दवा के दाम तो इनको मालूम ही होंगे। बरनाला साहब

जिन्होंने राज्य के प्रशासन को चलाया और मुख्यमंत्री भी रहे, उनको तो मालूम है कि एक-दो स्टेट्स को छोड़ कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश की थी और लिखित में भी कहा था कि इसके क्लॉज सात में संशोधन नहीं होना चाहिए चाहे वह पश्चिम बंगाल की सरकार हो, या इनके दल की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत ने भी लिख कर कहा था कि क्लॉज सात में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपने इसको नजरअंदाज करके व्यवसायिकों को फायदा पहुंचाया।

1955 में जब इस बिल को पास किया गया तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई और उस बीच में इसमें संशोधन क्यों नहीं किया गया? अब इसमें संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज आपके पास क्या साधन है? आपके पास 500 से ऊपर सारे हिन्दुस्तान में गोदाम है। उन गोदामों में जो माल रहता है, उसमें प्रोविजन है कि उसे जाकर कोई पदाधिकारी चैक करे लेकिन क्या वह चैक हो सकता है? माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वे किसी समिति को भेजकर दिखवाएं, किसी अफसर को भेजकर देखें कि क्या उसकी गिनती कोई कर सकता है जिस तरह से सिलसिलेवार बोरी रखने की परिपाटी है, जिसके लिए भारत सरकार का सर्कुलर है कि राज्य की कोई कमेटी या कोई डी०एम० या पदाधिकारी जाए तो आसानी से उसकी जांच कर ले, स्टॉक के साथ बोरों का मिलान कर ले।

अभी मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया कि अगर माल गीला हो गया है तो उसे छूट दी जा सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सिविल सप्लाइज़ के गोदामों में बोरों पर पानी छिड़का जाता है। जन-वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए गल्ला लेने की बात होती है तो पांच रुपये, सात रुपये बोरा पदाधिकारी लेते हैं। चीनी भिगोकर दी जाती है और अच्छे किस्म का गेहूं तो बाजार में बेचा जाता है और घटिया किस्म का गेहूं जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जाता है। गरीब लोगों को आप फायदा पहुंचाने की बात कहते हैं लेकिन बरनाला साहब जब मुख्य मंत्री थे तो क्या इन्होंने कभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों को चैक किया था? किसी भी दल के संसद सदस्य हों, जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, उनके सामने शिकायत आती है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में सही माल नहीं मिलता है। सही माल मिल ही नहीं सकता है क्योंकि चीनी भीगी हुई रहती है और जब माल गोदाम से उठाना पड़ता है तो गोदाम की दूरी इतनी होती है कि माल ढोने वाले ट्रांसपोर्टरों को नफा देने के लिए टेण्डर निकालकर सेलेक्टेड लोगों को लगाया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ट्रांसपोर्टरों को माल ढोने की सुविधा देना चाहते थे? पहले केन्द्रीय सरकार की नीति थी कि हर जिले में अपने गोदाम रखेंगे, नजदीक रखेंगे जिससे आसानी से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सामान अपने घर ले जाएं और दुकान में सारा सामान बेच सके, लेकिन उसकी दूरी 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 85 किलोमीटर पर है। इस पर कितना पैसा खर्च होता है, इसका ब्यौरा मंत्री महोदय सदन को देने की कृपा करें कि ट्रांसपोर्ट पर कितना रुपया प्रत्येक वर्ष आप खर्च करते हैं? प्रत्येक स्टेट में कितना खर्च करते हैं? माल तब पहुंचाते हैं जब नजदीक में जरूरत पड़ती है। अगर दिल्ली से माल जाना है तो हरियाणा पहुंचाया जाता है। अगर हरियाणा में माल पहुंचाना है तो उसे गुजरात में पहुंचा दिया जाता है और फिर जब हरियाणा में जरूरत होती है तो गुजरात से हरियाणा माल पहुंचाया जाता है। ऐसी व्यवस्था है ताकि व्यवसायियों को फायदा पहुंचे। मुझे ताज्जुब हुआ कि बरनाला साहब जैसा मंत्री इस बात की जानकारी रखते हुए भी क्यों इस तरह से बिल लाए, क्यों इस तरह का संशोधन लाए !

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब ऑर्डिनेन्स लाए, जब बिल के रूप में इसको लाए थे तो आपने सांगेपांग इस पर विचार क्यों नहीं कर लिया था? इस पर विचार कर लेते और तब हमारे सामने बिल लाते। लेकिन जो अमेण्डमेंट आपने सर्कुलेट किया है वह इस बात का सुबूत है कि आपने इसे अच्छी तरह से नहीं देखा। आप अपने विभाग के पदाधिकारियों पर निर्भर रह गए। उन्होंने जैसा बनाकर दे दिया, आपने मंत्री की हैसियत से उस पर हस्ताक्षर कर दिये। यह अच्छी बात नहीं है। आप गरीबों को मदद पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं। जिस दिन आपने 25 अप्रैल को ऑर्डिनेन्स लागू किया, उसी दिन से हिन्दुस्तान में सारा माल महंगा हो गया। आपने एक प्रोवीजन दिया है कि जो उस जिले का कलेक्टर होगा, वह रेट फिक्ट करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में सब्जी की पैदावार होती है, उसे अगर दूसरे हिस्से में ले जाना है तो उस कलेक्टर का दायरा दूसरा होता है। बिहार में रांची में मटर की पैदावार होती है और वह सामान मधुबनी और दरभंगा में जाता है। वहां का कलेक्टर क्या कर सकता है। इसको कौन ठीक करेगा? रेट कौन ठीक करेगा – रांची या दरभंगा का कलेक्टर? मेरा सभापति महोदय से अनुरोध है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए और स्वयं सरकार इस बात को कहे। यह मामूली बात नहीं है, यह छोटी बात नहीं है। यह गरीब को सताने वाली बात है। आप सड़ा हुआ गेहूं देते हैं, भीगी हुई चीनी देते हैं, कम वजन देते हैं। पदाधिकारी हर बोरे पर रुपया लेते हैं और समय पर सामान नहीं मिलता। भारत सरकार का सर्कुलर है कि जो भी जन वितरण प्रणाली की दुकान है, सी.डब्लू.सी. सीधे उसकी दुकान तक सामान पहुंचाएगी, लेकिन एक उदाहरण भी आप बता दें। क्या पंजाब में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में वे सामान पहुंचाते हैं, बिहार में पहुंचाते हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंचाते हैं, उड़ीसा में पहुंचाते हैं? वे अपने दाम पर अपनी कीमत पर सामान ले जाते हैं और जब अपनी कीमत पर ले जाते हैं और आपके पदाधिकारियों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो वह सामान ब्लैक में बेचता है और वही सामान ज्यादा दाम पर लोगों को खरीदना पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता थी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस बारे में निश्चिन्त न हों। यह

[श्री राजो सिंह]

बिल परसों आने वाला था। आपने समय ले लिया आज के लिए, और आज भी आपने जो सर्कुलेट किया है अमेण्डमेंट के लिए, वह यह साबित करता है कि आपने इसको सांगोपांग देखकर जहां आवश्यकता थी, इसे ठीक नहीं किया है। इसलिए आप एक सेलेक्ट कमेटी बनाने की घोषणा करिये, सेलेक्ट कमेटी का नाम पेश करिये, सेलेक्ट कमेटी में इस अमेण्डमेंट बिल को भेजिये और वहां से दुरुस्त होकर यह सदन में आए। अभी सत्र चल रहा है। दो-तीन दिन में सेलेक्ट कमेटी उसमें संशोधन करके आपको दे देगी फिर आप बिल लाइए और लोगों को सुविधा दिलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्सौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि.....(*व्यवधान*)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : माननीय सदस्य हमारे मित्र हैं। यह एक साथी पर दूसरे का आरोप नहीं होगा। यूनियन भी आप चलाते हैं, लेकिन यूनियन की जगह जनता का ख्याल रखकर बोलिये।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैं जनता का ख्याल रखकर बोलूंगा और आपने जो बातें कहीं, उनके संबंध में भी निवेदन करूंगा।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष संशोधन), 1981 को इन्होंने समाप्त कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष संशोधन 1981 तब लागू किया गया था जिस समय देश में सूखा था। देश की परिस्थितियों के अनुरूप खाद्यान्न आम नागरिकों को नहीं मिल रहा था और उस समय की सरकार ने, जिसमें वर्तमान विपक्ष के सदस्य थे, इन लोगों ने इसी सदन में कहा था कि यह संशोधन हम केवल पांच वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं और पांच वर्ष के लिए ही इसे लागू किया गया था। अगर ये समझते कि इस कानून की आवश्यकता स्थायी रूप से है तो उस समय ही इसे स्थायी रूप से लागू करना चाहिए था। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम उपभोक्ताओं पर ज्यादा ध्यान दें। उपभोक्ता पर ज्यादा ध्यान देने के उद्देश्य से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जो हर वस्तु के लिए है कि उसका वितरण कैसे हो, उसका स्टोरेज कैसे हो, उसमें जो घोषित वस्तुएं हैं.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत आप व्यवस्था का यह प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैं नियम 376 के अंतर्गत व्यवस्था का यह प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : आप का व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री अजीत जोगी : महोदय, इस सभा की यह परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य, जो उस विधेयक से सम्बधित स्थायी समिति का सदस्य हो जिस पर पहले ही स्थायी समिति द्वारा विचार कर लिया गया हो और जिस पर सभा में चर्चा की जा रही हो, सामान्यतया उस पर नहीं बोलता क्योंकि सम्बन्धित सदस्य को स्थायी समिति में विषय पर विस्तार से बोलने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इस सभा की यही परम्परा रही है.....(*व्यवधान*)

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, इस मामले को इस माह की 4 तारीख को उठाय गया था और सभापति ने यह व्यवस्था दी थी कि सम्बन्धित सदस्य, जो सम्बन्धित स्थायी समिति का सदस्य भी रहा हो, इस सभा का भी सदस्य होता है और इसलिए वह इस मामले को उठा सकता है। सभापति द्वारा यही व्यवस्था की गई थी.....(*व्यवधान*) सभापति द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी.....(*व्यवधान*)

श्री अजीत जोगी : मैंने वह व्यवस्था देखी है जो उस दिन दी गई थी। इसमें यह कहा गया है कि सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।.....(*व्यवधान*) इसे सामान्य दिन चर्या के मामले के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.....(*व्यवधान*) उसे नियमित कार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।.....(*व्यवधान*) हम विभिन्न स्थायी समितियों में कार्य कर रही हैं.....(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु : महोदय, उन सदस्यों, जो इस विधेयक से सम्बन्धित स्थायी समिति के सदस्य हैं, को सभा में पुनः नहीं बोलना चाहिए....(*व्यवधान*)

श्री सत्यपाल जैन : कोई रुकावट नहीं है.....(*व्यवधान*)

श्री अजीत जोगी : महोदय, भाजपा इस सभा की परम्पराओं के बारे में सभापति को हमेशा याद दिलाती रही है।.....(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु : महोदय, सम्बन्धित स्थायी समिति के सदस्य सभा में नहीं बोलते.....(*व्यवधान*)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : यह भी परिपाटी है कि सम्बन्धित स्थायी समिति के सदस्य सभा में उसी विषय पर नहीं बोलते....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : नहीं, ऐसी कोई परिपाटी नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, यही परिपाटी है और इसका पालन किया जाना चाहिए.....(*व्यवधान*)

श्री के॰ एस॰ राव (मछलीपतनम) : महोदय, श्री पी॰एम॰सईद, जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी थे, ने 4 जुलाई को यह व्यवस्था दी थी कि 'सामान्यतया' इसे दिनचर्या का मामला नहीं बनाया जा सकता।

कोई कल बोला था, कोई अब बोल रहा है और कोई कल बोलेगा, तो इसे सामान्य कार्य कैसे बनाया जा सकता है?.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यह दिनचर्या का मामला नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु : महोदय, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री मिश्रा, कृपया अपनी बात जारी रखें।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : माननीय सभापति जी, स्थायी समिति की बैठक में मैंने बहुत से बिंदु उठाये थे, यहां उसके अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने वहां खुलेआम कहा था कि मिश्र जी आप इनको सदन में रखें, मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए लागू किया गया था और वह लागू है। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए था, उसके अलावा प्रीवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, ये स्थायी समिति की चर्चा से कुछ उद्धृत नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : वे उद्धृत नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं।

(*व्यवधान*)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : यह सभा में कभी उद्धृत नहीं किया गया है.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : वे रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहे हैं।

श्री अनिल बसु : महोदय, 'सामान्यतया' का कार्य अर्थ है.... ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मिश्रा, आप अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : इसी क्रम में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार ने 76 कंट्रोल ऑर्डर लागू कर दिये हैं। इसके अलावा जितनी राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी बहुत से लाइसेंसिंग ऑर्डर, स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर लागू कर रखे हैं कि किस प्रकार से इनका व्यापार करें, ये ऑलरेडी लागू हैं और उस समय भी लागू थे, जिनके अंतर्गत हम देश में उपभोक्ताओं का संरक्षण भली प्रकार से कर रहे हैं। संशोधन किया गया था। अगर आप इसको देखें ऑलरेडी प्रीवेंशन ऑफ ब्लैकमार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1980 लागू है। इसके अंतर्गत भी जो आदमी ब्लैक कर रहा है, ब्लैकमार्केटिंग और होर्डिंग कर रहा है, उसके लिए सजाएं हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

मान्यवर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार के 76 कंट्रोल आर्डर लागू किए गए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल और लाइसेंसिंग आर्डर जारी किए गए हैं उनमें भी माल सीज करने की व्यवस्था है। अगर ट्रेडर गलती करे, कोई दूसरा व्यक्ति गलती करे, उनके लिए भी व्यवस्था है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो पी.डी.एस. की दुकानें हैं उनकी संख्या देश में केवल 10 प्रतिशत है और 90 प्रतिशत वे दुकानदार हैं जो फ्री सेल का माल बेचते हैं। इस देश में गांव-गांव, गली-गली और चौराहे-चौराहे पर जो दुकानदार देश के नागरिकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं सप्लाई करता है, उससे संबंधित कानून में छः संशोधन किए गए हैं, जिनके कारण पूरे देश में इंस्पैक्टर राज फैल गया है और उन दुकानदारों से, जो देश के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं, अवैधानिक वसूली की जा रही है। पूरे व्यापारी समाज से अवैध वसूली की जाती है। ये संशोधन जिस प्रकार से लागू किए गए - पहले कहा गया कि समरी ट्रायल होगा, दूसरे में कहा गया कि दो साल की सजा अनिवार्य और तीसरे में कहा गया कि सीजर आफ एंटायर स्टाक होगा। अगर हमारी दुकान में गुड़ है, शक्कर है, गल्ला है, तेल है, उनमें से यदि एक चीज में भी डिफरेंस है, तो पूरा माल सीज कर दिया जाएगा। अगर व्यापारी का पूरा स्टाक सीज कर दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रावीजन है – इसमें एक प्रवीजन यह है कि उस दुकानदार को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा और वह गैर-जमानती जेल होगी यानी उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकेगा।

मान्यवर, मैं पी॰डी॰एस॰ का माल बेचने वाले दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के उन 90 प्रतिशत व्यापारियों की बात कर रहा हूं जो पी॰डी॰एस॰ का माल नहीं बेचते बल्कि फ्री सेल का माल बेचते हैं। उनकी जब चैकिंग की गई, उसमें 90 प्रतिशत लोगों का माल सीज कर लिया गया। स्टाक पर हस्ताक्षर नहीं थे या एक दिन का स्टॉक नहीं मिल रहा था, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं थी, जमाखोरी नहीं पाई गई, लेकिन इंस्पेक्टर ने दुकानदार को जेल भेज दिया और उसका एंटायर स्टॉक सीज कर लिया। उस व्यापारी के ऊपर बैंक का कर्ज था, महाजन का पैसा उसकी दुकान में लगा था, बाजार की उधारी थी, लेकिन माल सीज कर के फ्री सेल का माल फेयर प्राइस की दुकान के माध्यम से

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

बेच दिया गया। ऐसी स्थिति में उस व्यापारी के पास आत्महत्या करने, जलालत की जिंदगी जीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1981 से, जब से यह कानून अस्तित्व में आया है, तब से अब तक जितने छापे मारे गए, इंसपैक्टर राज ने ऐसा भय फैलाया, व्यापारियों को भयभीत किया कि तुम्हारा सारा माल जब्त हो जाएगा, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारी जमानत नहीं होगी, आदि भय दिखाकर व्यापारियों से 5,000 से 50,000 रुपए तक अवैधानिक रूप से वसूल किए गए। व्यापारी भी इस देश का नागरिक है। जो आंकड़े मैं प्रस्तुत करने वाला हूं उन्हें देखने से आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से देश के व्यापारियों को भय दिखाया गया, उनके ऊपर रेड डाले गए और उनसे अवैध वसूली की गई। व्यापारी इस देश के उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा सेवा करने वाला नागरिक है। वह इस राष्ट्र का सच्चा देश भक्त है। 1981 में यह एक्ट लागू हुआ। 1984 में कुल 2,69,386 छापे मारे गए, 8,660 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और इतने लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जिनके ऊपर मुकदमे चले उनकी संख्या 1094 है जिनमें से किसी के ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार 1985 में 2,35,796 छापे डाले गए। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। मैं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं। 2,35,769 छापे डाले गए, 8286 लोग गिरफ्तार किए गए, 1198 लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हुए, दोषी एक भी नहीं पाया गया। इसके बाद 1986 में 1,59,673 छापे डाले गए, 6430 लोग गिरफ्तार किए गए, 830 मुकदमे कायम किए गए और उनके ऊपर कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ। 1994 में 99,877 छापे डाले गए, 2,483 गिरफ्तार किए गए, 4291 लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए गए और उसके बाद 3746 लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए गए। यह क्रम 1998 में भी चल रहा है। 1981 से आज तक बड़ी लम्बी सूची है। 1996 में 45,500 छापे डाले गए, जिसमें से 2465 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और केवल 2176 के ऊपर मुकदमें कायम हुए।

हमारे भारतीय संविधान में यह बात कही गई है कि कोई निर्दोष व्यक्ति न फसें। यह इतनी लम्बी सूची है जिसमें निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, उनको जमानत नहीं दी गई है। उनको जमानत न देकर जेल में रहने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उनके ऊपर कोई अभियोग साबित नहीं हुआ और वे छोड़ दिए गए।

आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। ये वे आंकड़े हैं जिनके द्वारा मैंने बताया कि ऐसैन्शियल कमोडिटीज एक्ट 1981 के तहत कितने छापे पड़े, कितने अपराधी पकड़े गए। हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि व्यापारी की बात मत करो, उपभोक्ता की बात करो। मैं उपभोक्ता को सर्वप्रथम मानता हूं। उपभोक्ता व्यापारी का आराध्य देवता होता है। यदि व्यापारी उपभोक्ता की सेवा समय पर, सही मूल्य में, सही वजन में माल देकर न करे तो उसकी दुकान पर उपभोक्ता नहीं आएगा और यदि उपभोक्ता नहीं आएगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। इसलिए इस देश का व्यापारी उपभोक्ता को अपना आराध्य देवता मानता है और आराध्य देवता मानकर ही उसके लिए काम करता है। इस किताब में पूरा ऐवरेज निकाला गया है। .5, .60, .80 और 2 प्रतिशत से ज्यादा व्यापारियों के यहां किसी प्रकार की कोई गलती नहीं पाई गई। समाज के हर वर्ग में कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं लेकिन हम 2 प्रतिशत व्यापारियों के लिए 98 प्रतिशत व्यापारियों को परेशान करें, 98 प्रतिशत व्यापारियों के लिए बात न करें, यह हमें वाजिब नजर नहीं आता। आप उत्तर प्रदेश से लेकर चाहे जिस प्रदेश की बात करें और केन्द्र की बात करें, आज केन्द्र से हम 7,500 करोड़ रुपये की सबसिडी दे रहे हैं। 7,500 करोड़ रुपये की सबसिडी देने के बाद हम केवल पांच दिन का भोजन दे रहे हैं। आज पूरे देश की पी॰डी॰एस॰ की दुकानों पर हम केवल पांच दिन का भोजन दे रहे हैं, पच्चीस दिन का भोजन व्यापारी दे रहा है। पी॰डी॰एस॰ की दुकानों का अभी तक क्या हाल है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि होली की शक्कर होली के बाद, ईद की शक्कर ईद के बाद बंटती रही है। जब भी पी॰डी॰एस॰ की दुकान पर उपभोक्ता जाता रहा है, वहां पर एक बोर्ड मिलता रहा है "स्टॉक समाप्त है, माल उठाने गए है।" ये उस समाज के लिए सेवाएं हैं, उस सरकार की ये सेवाएं चल रही हैं जिसके लिए आज हम कहते हैं कि उपभोक्ता की बात करें, व्यापारी की बात न करें जो रात को बारह बजे, जब जनवरी-फरवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस समय रिक्शावाला जब रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीबी कहती है कि आज रोटी नहीं बनी क्योंकि आटा नहीं था। रात को बारह बजे वह मोहल्ले के परचूनी दुकानदार के पास जाकर लाला जी को जगाता है और उनसे दो किलो आटा लाता है, पैसा नहीं होता तो उधार भी लेता है। हम उस समाज के लिए बात न सोचें जो मई-जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जब कड़ाके की लू चलती है तो वह दोपहर को बारह बजे अपनी दुकान खोलकर बैठता है और कहता है कि आप अपनी आवश्यक वस्तु लेकर जाएं। हम उसके लिए कोई चिंतन न करें। हम उस समाज के लिए कोई चिंतन न करें जो इस देश में टैक्स देकर सारी सरकारों को चलाने में सहयोग प्रदान करता है। हम उस व्यापारी समाज के लिए कोई चिंतन न करें जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियों के घाट, यतीमखाने और अस्पताल बनवाता है।

पूरे देश का सर्वेक्षण करा लिया जाये, हिन्दुस्तान के जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदी के घाट, यतीमखाने बने हैं, उनमें पत्थर किसी व्यापारी का लगा होगा, किसी नेता या किसी अधिकारी का नहीं लगा होगा। यदि नेता का पत्थर लगा होगा तो फीता काटने का लगा होगा, उसको बनवाने का नहीं लगा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी मौहल्ले में आप जायें, अगर वहां कोई लावारिश व्यक्ति मर जाये, उसके कफन की आवश्यकता हो तो वहां से नेता भी निकल जायेगा, एक रुपया कफन के लिए नहीं देगा, इस देश का अधिकारी भी वहां से निकल जायेगा, उसके कफन के लिए एक रुपया नहीं देगा। उसके

कफन के लिए इन्तजाम उस क्षेत्र का व्यापारी करेगा। आज हम कह रहे हैं कि उसके लिए यहां चिन्तन न करें, उस व्यापारी समाज को हम इंस्पैक्टर राज के हवाले कर दें।

हमारी वर्तमान सरकार रही हो या पिछली सरकारें रही हों, सब ने कहा है कि हम इंस्पैक्टर राज को समाप्त करेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो स्पेशल प्रोवीजन लाया गया था, क्या इससे देश में इंस्पैक्टर राज नहीं लगा? क्या इस देश में इंस्पैक्टर राज को खुला नंगा नाच करने का मौका नहीं दिया गया? आज हम उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, आज लाइसेंस समाप्त करने की ओर हमारे ऊपर विदेशों से प्रैशर डाला जा रहा है और हम उनकी बात मान रहे हैं और अपने देश के व्यापारियों को आज हम प्रताड़ित करते जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें चिन्तन करना पड़ेगा, उस व्यापारी समाज के लिए जो इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नदियों के घाट, यतीमखाने और अस्पताल बनवाता है, हमें उन व्यापारियों के लिए चिन्तन करना पड़ेगा, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, उनके अधिकारी की सुरक्षा करनी पड़ेगी, जो ईमानदारी के साथ व्यापार कर रहे हैं। अगर कोई बेईमानी कर रहा है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई कम तौल रहा है, उसके लिए अधिनियम लागू है, उसकी सजा है। अगर कोई मिलावट कर रहा है, उसके लिए मिलावटी अधिनियम है, उसमें सात साल की सजा है। हम उसमें कोई सुधार नहीं चाहते। अगर हम उपभोक्ताओं का संरक्षण चाहते हैं तो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सारे कानून बने हुए हैं।

इस समय केन्द्र के और प्रदेश सरकारों के 76 कंट्रोल आर्डर्स लगे हुए हैं, उनमें सुधार की कोई बात नहीं कर रहा। 1955 का जो एक्ट है, उसमें भी व्यापारी को सजा है, हम उसमें कोई सुधार की मांग नहीं कर रहे, पर यह जो आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष संशोधन एक्ट, 1981 था, इसको समाप्त कर दिया गया, मैंने अभी बधाई दी है, पर उसी के कुछ प्रोवीजन मूल रूप से इस संशोधन में ले आये गये हैं, जिससे आज भी व्यापारी समाज का उत्पीड़न होगा। आज भी देश में इंस्पैक्टर राज होगा, आज भी इस देश में उदारीकरण नहीं, व्यापारी समाज के साथ घोर अन्याय होगा और इसीलिए हमें चिन्तन करने की आवश्यकता है।

दो परसेंट, चार परसेंट हर समाज में खराब लोग हैं, हम यह नहीं कह सकते कि दो परसेंट हैं, चार परसेंट हैं, जबकि आपके एवरेज आंकड़े बता रहे हैं कि 0.5 परसेंट, 0.1 परसेंट, 0.8 परसेंट से ज्यादा व्यापारी अपराधी नहीं पाये गये तो हम 98 परसेंट व्यापारियों को, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो रात के 12 बजे भी माल की सप्लाई कर रहे हैं, जो इस देश के नागरिकों को हिमालय की चोटी पर भी सामान उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे 98 परसेंट ईमानदार व्यापारियों के लिए बिल्कुल यहां पर आंख मींच लें और उनको छोड़ दें, जैसे एक बकरी को एक शेर के सामने छोड़ दिया जाता है और शेर उसको खाने के लिए स्वतंत्र होता है। आज इस कानून के द्वारा हम व्यापारी समाज के उन लोगों को, जो ईमानदारी से इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनको इंस्पैक्टर साहब के सामने हम छोड़े जा रहे हैं कि इंस्पैक्टर जैसा मन आये, वैसा करे।

इसलिए चिन्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी और चिन्तन करने के लिए हमने यह नहीं कहा कि इसको आप लागू न करें, हमारा यह प्रस्ताव है, हमने एक संशोधन दिया है, इसमें आपने 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। जो एक बड़ा व्यापारी है, वह तो 50 हजार रुपया दे सकेगा, लेकिन जो छोटा व्यापारी है, जो परचून व्यापारी है, वह परचून व्यापारी 50 हजार रुपया नहीं दे सकेगा। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। 1981 के बाद किस प्रकार के व्यापारियों के चालान इसमें किये गये। मैं केस नम्बर सहित इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1981 से 1984 के बीच में .....(*व्यवधान*) यह पेपर है, मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं मुकदमा नंबर दे रहा हूं, आप पेपर को छोड़ दीजिए। यह दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा नम्बर डी॰ सी॰ आर॰ 36/82 है, श्री नरेन्द्र सिंह इसमें दुकानदार था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके यहां केवल 20 किलो चावल ज्यादा पाया गया। वह जेल गया, उसकी जमानत नहीं हुई, बाद में वह मुकदमे से छूट गया।

एक दूसरा केस है- 8/33, गोपाल प्रसाद गुप्ता का, जो दुकानदार था, उसके यहां रेड मारी गई और रेड में दस किलो आटा ज्यादा पाया गया, दस किलो मैदा ज्यादा पाया गया और उसने स्टाक सूची नहीं लगाई थी इसलिए उसे जेल भेजा गया। बाद में वह छूट गया। पर नॉन बेलेबल होने के कारण उसे 13 दिन जेल में रहना पड़ा। इसी तरह से 12/83 का केस है, मोहम्मद सुलेमान दुकानदार का, उसके पास 16 किलोग्राम सरसों का तेल और 40 किलोग्राम आटा ज्यादा पाया गया, उसको भी जेल भेजा गया और एक महीने की सजा हुई। इससे पता लगता है कि ये लोग कितने बड़े जमाखोर थे, कितने बड़े मुनाफाखोर थे और इनके यहां से कितना स्टाक बरामद हुआ। इसी तरह से 17/83 का केस है, इसमें श्री पीतो दुकानदार थे और उनके पास 50 किलोग्राम मसूर की दाल, 50 किलोग्राम चीनी ज्यादा पाई गई। उनको भी गिरफ्तार किया गया और जेल में रहने के बाद इनका मुकदमा छूट गया। ये सारे वैस्ट बंगाल के दीनाजपुर जिले के केस हैं। हमारे यहां 43 ऐसे छोटे-छोटे केसेज हैं। कुछ बड़े दुकानदार भी बंद किये गये हैं, उनके भी कहीं तीन बोरे तो कहीं पांच बोरे अधिक पाए जाने के केस हैं। लेकिन आप इनका अपराध देखें कि ये कितने बड़ जमाखोर थे। इसी तरह से 16/84 का केस है, इसमें श्री सुरेश चंद के पास दस पीस ब्रैड अधिक पाई गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नानबेलेबल होने के कारण उसे जेल में रहना पड़ा। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात करिए, व्यापारियों के संरक्षण की बात न करें, लेकिन हमें व्यापारी के संरक्षण की बात भी करनी चाहिए। इसलिए मैं दोनों की बात करता हूं। उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एसेंशियल कमोडीटिज एक्ट 1955 लागू किया गया है। आपने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

प्रिवेंशन आफ ब्लैकमार्केटिंग एंड होर्डिंग आफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1980 लागू कर रखा है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 76 कंट्रोल आडिट लागू कर रखे हैं और प्रदेश सरकारों ने दर्जनों कंट्रोल आर्डर, प्राइस कंट्रोल आर्डर और लाइसेंसिंग कंट्रोल आर्डर लागू कर रखे हैं। मैं उनमें से किसी को हटाने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं उनका संरक्षण करना चाहता हूं। जिनके पास दस पीस ब्रैड निकल गई और उसे जेल भेजा गया।

सभापति महोदय : मिश्र जी अब समाप्त करें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैं थोड़ी दूर में समाप्त करता हूं। मैं आपको व्यापारियों के दर्द की कहानी सुना रहा हूं।.....(*व्यवधान*)

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : व्यापारियों के साथ कहां-कहां गड़बड़ हुई है यह तो बता दिया, लेकिन उपभोक्ताओं के साथ कहां-कहां देश में गड़बड़ हुई है, इसकी भी सूची दें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप बहुत लंबे समय से शासनकाल में रहे हैं, आपको सब मालूम है। मेरे पास 31 और कैसेज की सूची है। ऐसे हजारों केस है, आपने जितने चालान किए हैं, वे सब ऐसे ही केस हैं, जिनको आपके इंस्पैक्टर ने पकड़कर जेल में बंद किया है। मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यापारी अगर ईमानदारी के साथ व्यापार करना चाहता है उसको नॉन बेलेबल आफेंस न बनाया जाए। आप विश्व में उठाकर देखें के देशद्रोही जो होते हैं, उनका मुकदमा विशेष अदालतों में चलता है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में क्या हम भामाशाह, सेठ जी, साहू जी, लाला जी को भूल गए, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। क्या हम इस देश की आजादी की लड़ाई में दादाभाई नौरोजी को भूल सकते हैं, क्या हम देश की आजादी की लड़ाई में यमुना प्रसाद बजाज, रामदास गुड़ वाले बाराबंकी और कमलापति सिंघानिया को भूल सकते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। क्या इसलिए दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा स्वतंत्र व्यापार न होकर हमें दस पीस ब्रैड के लिए जेल में भेज दिया जाएगा, क्या हम नॉन बेलेबल अपराधी होंगे और हमारा इतना बड़ा अपराध हो जाएगा कि दस पीस ब्रैड, 25 किलोग्राम चावल, पांच किलो गुड़, तीन किलो गेंहू ज्यादा रखने पर ही अपराधी माना जाएगा और हमारी जमानत नहीं होगी? आज बड़े-बड़े अपराधियों की जमानतें हो रही हैं।

उन लोगों की जमानतें हो रही हैं, जिन्होंने इस देश के धन के साथ आचार-हीनता की है, परंतु व्यापारियों की जमानत नहीं होगी। इस देश में साहूकार की जमानत नहीं होगी, जिसको पुराने जमाने में साहूकार, सेठ जी, लालाजी और भामाशाह के नाम से पुकारा जाता था। आज हम उस व्यापारी समाज की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि उपभोक्ता का संरक्षण पूरा-पूरा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आप जाये, तो दुकानों पर एक साइन बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है - 'उपभोक्ता हमारा अराध्य देवता'।

सभापति महोदय : मिश्रा जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : माननीय सभापति जी, मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार किया जाए। छोटे-छोटे व्यापारी 50-50 हजार जुर्माना नहीं दे सकते हैं। जुर्माना करिए, लेकिन इतना मत करिए।

एक व्यवस्था मैं आपको और बताना चाहता हूं। लाइसेंस आर्डर के अंतर्गत जांच हुई और यदि कमी पाई गई, तो लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाता है। व्यापारियों के लिए निलम्बन ही सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि लाइसेंस निलम्बित हुआ, तो उसका व्यापार बंद हो जाता है। परंतु दुकानदार को दुकान का किराया, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, बैंक का ब्याज, साहूकार का ब्याज, बाजार का ब्याज और कर्मचारियों को वेतन देना ही पड़ता है। उसका लाइसेंस एक साल निलम्बित रहता है, तो वह इनसोल्वैंसी के कगार पर खड़ा हो जाता है। एक सजा आप लाइसेंस आर्डर कैंसिल करके देते हैं, दूसरी सजा आप इसके अंतर्गत देते हैं और तीसरी सजा आप देते हैं कि इंस्पैक्टर को जाकर खुश करें, ताकि वह चालान न करें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसमें संशोधन लायें तथा नॉन-बेलेबल को बेलेबल बनाया जाए, क्योंकि इसके आधार पर ही इंस्पैक्टर हमारा उत्पीड़न करता है। हम उपभोक्ता के संरक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राज के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर न करें। पूर्व की सरकारों का भी इंस्पैक्टर राज की समाप्ति का नारा रहा है और हमारी वर्तमान सरकार का भी इंसपैक्टर राज की समाप्ति का नारा है। यदि आप इंसपेक्टर राज को समाप्त करना चाहते हैं, इस देश में उपभोक्ताओं का संरक्षण चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश में छोटे व्यापारियों का भी संरक्षण हो, तो मेरा सुझाव है, जैसा मैंने संशोधन भी दिया है, कि नॉन-बेलेबल वारंट को बेलेबल किया जाए। छोटे दुकानदारों की कुल पूंजी 50 हजार रुपये भी नहीं है और हम 50 हजार रुपये या 25 हजार रुपए जुर्माना करने की सोच रहे हैं। इस बारे में मैंने संशोधन दिया है कि दस हजार रुपए के स्थान पर पांच हजार रुपया जुर्माना किया जाए। इसके अलावा पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में भी जमा है, यदि लाइसेंस कैंसिल होता है, तो वह राशि भी फोरफीट हो जाएगी। इस प्रकार पांच हजार जुर्माने की राशि और पांच हजार सिक्योरिटी की राशि मिलाकर दस हजार हो जाएगी। जहां आपने 25 हजार जुर्माना किया है, उसको 10 हजार किया जाए और जहां 50 हजार जुर्माना रखा है, उसको 20 हजार किया जाए। यही इसका सबसे प्रमुख कारण है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और छोटे-छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से बरनाला जी से अनुरोध करता हूं कि नॉन-बेलेबल को बेलेबल किया जाए, ताकि इस देश के व्यापारी समाज का संरक्षण हो सके। इसके अलावा जो आपने कानून बना रखें हैं, उनमें हम आपसे छूट नहीं चाहते हैं। महोदय, वास्तव में देखा जाए, तो संरक्षण उपभोक्ता का भी नहीं हो रहा है। जब

छोटे-छोटे किसान ट्रैक्टर पर माल लेकर जाते हैं, तो अधिकारी धारा 3/7 के तहत उनको बंद कर देते हैं। मेरे पास रिकार्ड है कि कितने किसानों को इस धारा के अंतर्गत बंद किया गया है और आप चाहेंगे तो मैं सूची पटल पर रख दूंगा।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय किसानों के हित में, उपभोक्ता के हित में, व्यापारी समाज के हित में नॉन-बेलेबल वारंट को बेलेबल वारंट करने की व्यवस्था पर ध्यान देंगे और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब वित्त मंत्री ग्यारहवें वित्त आयोग के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 3.24 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 3 जुलाई 1998 को 11वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। प्रोफेसर ए० एम० खुसरो को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री एन० सी० जैन, श्री जे० सी० जेतली और डा० अमरेश बागची को आयोग के सदस्यों के रूप में और श्री टी० एन० श्रीवास्तव को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

10वें वित्त आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1994 में प्रस्तुत की थी, की सिफारिशें मार्च 2000 तक वैध हैं। 11वें वित्त आयोग को 31 दिसम्बर 1999 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिदेश दिया गया है कि ताकि इसकी सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को 1 अप्रैल 2000 से लागू किया सके।

आयोग के विचारार्थ विषयों में, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, केन्द्रीय करों की प्राप्तियों की भागीदारी और राज्यों को अनुदान सहायता शामिल है। वित्त आयोग को पहली बार संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के संदर्भ, राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिशें करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

आयोग को केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करने और अर्थोपायो का सुझाव देने के लिए अधिदेशित किया गया है जिसके द्वारा सरकारें सम्मिलित रूप से और अलग-अलग रूप से लोक वित्त की पुनर्संरचना कर सकें ताकि बजटीय संतुलन को बहाल किया जा सके और वृहद आर्थिक स्थायित्व बनाये रखा जा सके।

इसके अलावा राज्यों की ऋणग्रस्तता, आपद-राहत, मानकों के उन्नयन की आवश्यकताओं और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन आदि जैसे राज्यों के वित्तों से संबंधित आर्थिक मुद्दो की जांच करने के लिए आयोग को कहा गया है।

राज्य सरकारों के विचारों को सुनिश्चित करने के बाद आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया गया है।

राष्ट्रपति के आदेश से संबंधित राजपत्रीय अधिसूचना को उचित समय पर सदन में रखा जायेगा।

अपराह्न 3.26 बजे

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प - जारी

और

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक - जारी

सभापति महोदय : श्री बिक्रम सरकार।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ? दसवें वित्त आयोग ने विशेष रूप से कुछ सिफारिशें की थी।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं जानता हूं परंतु यहां प्रश्न यह है कि दसवें वित्त आयोग का गठन किया गया और उसने करों के बटवारे के संबंध में कुछ सिफारिशें की थी।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, इस सभा में आप किसी स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पूछ सकते। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने श्री बिक्रम सरकार को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, राज्यों में पे कमिशन लागू नहीं होता, लेकिन इसमें इन्होंने इस पे कमीशन को भी इनक्लुड किया है, यह एक अच्छी बात है। 1973 और 74 संशोधन को भी इनक्लुड किया है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डा॰ विक्रम सरकार (हावड़ा) : सभापति महोदय आपने मुझे आवश्यक वस्तु विधेयक, 1998 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आगे कुछ कहने से पूर्व मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। यह मूल अधिनियम 43 वर्ष पूर्व 1955 में पारित किया गया था और तब से देश में सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। हालांकि छोटे-छोटे कुछ संशोधन किए गए हैं और एक संशोधन 1981 में किया गया था। मैं महसूस करता हूं कि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मूल उद्देश्य, यदि मैं कहूं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखना और इन्हें उचित दामों पर जनता को उपलब्ध कराना है। परंतु गत वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की सूची का समय-समय पर विस्तार हुआ है। अत: मैं महसूस करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध में एक विस्तृत विधेयक लाया जाए जो आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण सूची का ध्यान रखेगा। और जब हम यह कहते हैं कि यह लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने का प्रश्न है तो हमें अपने देश के गरीब लोगों को ध्यान में रखना होता है।

मेरे से पूर्व बोल रहे माननीय सदस्य व्यापारियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि निर्दोष व्यापारियों को दंडित अथवा परेशान नहीं किया जाना चाहिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में हमारी मुख्य चिंता गरीब आदमी है। और संसद सदस्य तथा जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमें आम आदमी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। आज की स्थिमि में, हम पाते हैं कि सब्जियों की कीमतें, जैसाकि सुबह चर्चा की गई है। आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो गई हैं।

आम आदमी की बात तो क्या है, ये उच्च मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच से भी बाहर हो गई हैं। अत: इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ठीक है, जीवन का यह वास्तविक तथ्य है कि जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले लोग और मुनाफाखोर आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इस विषय पर रात दिन, इस सभा के बाहर और अंदर चर्चा कर रहे हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्थिति को ठीक करने में पूरी तरह असहाय हैं। अत: यह आवश्यक है कि हमें न केवल आवश्यक वस्तुओं के बारे में अपितु कानूनी पहलुओं के संबंध में भी एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि कौन-कौन से कानूनी प्रावधान होने चाहिए। मैं इस संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधान पाता हूं। मेरा इस पर कोई विरोधाभास नहीं है। वास्तव में मैं इसका समर्थन करूंगा परंतु बात यह है कि केवल इससे हमारे देश की स्थिति की समग्रता की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि पूरे देश में मुन्सिफ न्यायालयों से लेकर अनेक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। मैं पश्चिम बंगाल में जिला कलक्टर के रूप में अपने अनुभव से बता सकता हूं कि ये मामले लंबित होते जाते हैं और ऐसा माहौल उत्पन्न करते हैं कि जहां लोग, ये निर्दोष व्यापारी भी अपने को पीड़ित महसूस करते हैं। वह मंशा नहीं है परंतु इसके साथ ही साथ ऐसा माहौल, जहां आम आदमी यह महसूस करे कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने में समर्थ है, उत्पन्न करके इस स्थिति की ओर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि पूर्व जानकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए। अपने अनुभव से मैं महसूस करता हूं कि निरीक्षण अथवा जांच में अचानक और अचानक दौरे आवश्यक हैं। परंतु इसके साथ ही साथ यह निचले स्तर के निरीक्षकों के हाथों में शोषण का हथियार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इसका उस प्रकार से समर्थन किया जाए। जैसा कि मैं लंबे समय से लंबित छोटे मुकदमों के बारे में कह रहा था, जिससे उत्पीड़न का माहौल पैदा हो रहा है, हम महसूस करते हैं कि इन मामलों को शीघ्र अर्थात् तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हम यह भी पाते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के बारे में चर्चा करते समय हम समय-समय पर भूल जाते हैं कि आवश्यक चीजें क्या हैं तथा मानव उपयोग के लिए और गरीब आदमी के लिए मूल चीजें क्या हैं। अत: यह आवश्यक है, जैसाकि मैंने सुझाव दिया था, जैसा कि आज है, आज अपने देश में आम आदमी की समझबूझ के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण सूची का ध्यान रखने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ जहां तक दंड, निरीक्षण, जांच अथवा क्रियान्वयन के संबंध में कानूनी प्रावधानों का संबंध है, इन्हें भी सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। इन आधारों पर उचित प्रबंधन और निरीक्षण किया जाना चाहिए।

आज यदि हम स्थिति को देखें तो पायेंगे कि आज जनता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के प्रति उत्तेजित हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जमाखोरों, काला बाजारियों और मुनाफाखोरों को खुली छूट है और इनकी देखरेख के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। वास्तव में यद्यपि 2 प्रतिशत लोग इसमें शामिल हैं - हमें संख्या की बात नहीं करनी है - इससे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां अधिकांश धनी व्यक्ति यह धनराशि दे रहे हैं और यह धन गरीब व्यापारियों द्वारा निचले स्तर पर प्रयोग में लाया जा रहा है जहां आम आदमी उसे पूरा करता है। अत: हमें एक सुव्यवस्थित तरीके से चलना है और यह पता लगाना है कि धन कहां से आ रहा है और जमाखोरी तथा कालाबाजारी में कौन सहायता कर रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं कि काला धन इस व्यवस्था में एक भयानक भूमिका निभा रहा है और इसका एक बड़ा भाग इस सभी में जा रहा है। अत: आवश्यक वस्तुओं के संबंध में एक विस्तृत विधेयक

लाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक अधिनियम बनाना चाहिए जो आज देश के इस हालात का ध्यान रखेगा।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ और अपनी टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : सभापति महोदय, यह जो आर्डिनेंस लाया गया है इसकी तारीख 25 अप्रैल 1998 है। वर्षों से एक एक्ट चला आ रहा है, उसमें संशोधन करना क्या इतना जरूरी था कि राष्ट्रपति जी के जरिये आर्डिनेंस लाया जाए। 25 अप्रैल 1998 को यह आर्डिनेंस लागू किया गया जबकि उसके एक महीने बाद 27 मई से हमारा बजट सैशन शुरू हुआ। क्या इसे एक महीने के लिए रोका नहीं जा सकता था? हाउस को नजरअंदाज करके, संसद सदस्यों की योग्यता को सही दृष्टि से न देखकर, राष्ट्रपति जी के अधिकार का इस्तेमाल करना - यह एक पुराना रिवाज है, इस रिवाज को खत्म करना चाहिए। इसको जो नये तरीके से लाने का बंदोबस्त किया गया है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

दूसरी बात, हमारे श्याम बिहारी मिश्र जी ने हमारे देश के लोगों को और इस हाउस को गुमराह करने के लिए समूचे व्यापारी समाज को इसमें खींचा है। यहां तो समूचे व्यापारी समाज का सवाल नहीं आ रहा है बल्कि आवश्यक वस्तु के जो व्यापारी हैं उन्हीं की चर्चा हो रही है। लेकिन उन्होंने समूचे व्यापारी समाज को इसमें शामिल कर लिया है। आप न्याय कहिये या अन्याय कहिये, समूचा व्यापारी समाज इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उनको इस आर्डिनेंस के जरिये जो रिलीफ देने का बंदोबस्त किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। जैसे इसमें कहा गया है कि माइनर गलती का क्या मतलब है, हो सकती है। ठीक है, गलती जरूर हो सकती है, फिजिकल पोजीशन कुछ हो सकती है, क्लाइमेटिक पोजीशन से भी गलती हो सकती है, लेकिन गलतियों की भी कोई सीमा है, वह सीमा इसमें दी हुई नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर गलती होगी तो उसके लिए छूट मिलेगी, अगर ऐसा है तो यह सही नहीं है। इससे हम आवश्यक वस्तु लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए इसमें संशोधन करने के लिए मैं कहूंगा। इसमें कितनी परसेंट छूट हम देंगे, इसे स्पैसिफिक करना जरूरी है। मेरी इस बात पर जरूर गौर किया जाएगा, यह हम उम्मीद करते हैं। उदारीकरण की बात कही गयी है लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ उदारीकरण का क्या संबंध है, ओपन-मार्किट का क्या संबंध है, क्या यह लोगों को गुमराह करना नहीं है। आप क्या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? आप एसैंशियल कमोडिटीज को फ्री मार्किट में छोड़ देना चाहते हैं। आपने डीलाइसैंसिंग किया। लिबरलाइजेशन के नाम पर आप हर चीज को पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं? क्या एसैंशियल कमोडिटीज भी उनको देने की सोच रहे हैं? इसलिए लिबरलाइजेशन का सवाल इसके साथ जोड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो इसकी सफाई दें कि वह क्यों लिबरलाइजेशन का सवाल इसके बीच में लाए हैं?

इसमें निम्न स्तर की धंधेबाजी का भी सवाल उठाया गया है। मैं इससे सहमत हूं। यह मामला फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को न देकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया गया है। गांवों में एसैंशियल कमोडिटीज की दुकानों में हो रही धांधलियों को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करना आसान नहीं है। उसे नतीजे के तौर पर अपने आप छूट मिलेगी। इससे बचने के लिए और धांधली को बंद करने के लिए आप किसी मजिस्ट्रेट या डिप्टी मजिस्ट्रेट को यह पावर दें। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर देने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

आज सुबह सभी वस्तुएं के बढ़े हुए दामों को लेकर समूचा हाउस स्टॉर्मी हालत में पहुंच गया था। सदन की यह भावना थी कि यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों का सवाल नहीं है बल्कि उच्च मध्यम वर्ग के लोग भी जरूरत का सामान बाजार से खरीद नहीं पा रहे हैं। उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? इससे पहले जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, उसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो कि करीब 40 परसेंट हैं, उनके लिए लाल कार्ड बनाने का बंदोबस्त किया था। उन्होंने राशन की दुकानों से आधे दामों पर सामान मुहैया कराने का बंदोबस्त किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सौ दिन पूरे हो गए हैं लेकिन उसने इस काम को अधूरा छोड़ दिया। उसको पूरा करना तो दूर रहा, उसको बंद कर दिया। सरकार को हरेक जगह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन की दुकानों के जरिए आवश्यक वस्तुएं कम दाम पर देने का बंदोबस्त करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत रुपया खर्च नहीं होगा। इसके ऊपर सबसिडी के तौर पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। आप उद्योगपतियों के उद्योग बचाने पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन इस काम पर खर्च क्यों नहीं करते? आप जिन किसानों को भुगतान देते हैं क्या वे सही मायनों में किसान हैं? इसका क्या आइडैंटिफिकेशन है और क्या डैफिनेशन है? आप सभी को किसान कहते हैं। यह सही बात नहीं है। किसानी के काम से जुड़े हुए लोगों को किसान कहा जाता है, लेकिन जिनका उससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ जमीन का मालिक होने की वजह से हम उनको किसान कहते हैं और उन्हें छूट देते हैं। उनको दी जाने वाली छूट घटाकर, राशन के जरिये क्या रोजमर्रा के जरूरत के सामान को कम दाम में हर एक आदमी के पास पहुंचाने का हम बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं? संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जो काम अपने हाथ में लिया था वह पूरा नहीं हो सका, उस अधूरे काम को आपको पूरा करना चाहिए। लेकिन आप जो एक्ट लाये हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है।

अंत में सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट पर आज के हालात में

[श्री सुव्रत मुखर्जी]

एक कांप्रीहेंसिव बिल लाना जरूरी है। इसके जरिये जो छूट देने का आपने बंदोबस्त किया है, केवल उन छूटों का ही सवाल नहीं है, यदि जरूरत हो तो आप उसमें व्यापारियों को दूसरी जरूरी छूट दे सकते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ हर आदमी को उसकी जरूरत का सामान सस्ते दामों पर, बाजार से आधे दामों पर, पहुंचाने की गारंटी दे सके, इस तरह का कांप्रीहेंसिव बिल लाना जरूरी है। इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, हमारी मुश्किल यह है कि हम इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़े नहीं हुए हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उनके पिछलग्गुओं की जो सरकार है, उसकी शिकायत करने के लिए खड़े हुए हैं। हमारी शिकायत यह है कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी या पूर्व भारतीय जनसंघ ने चुनाव के मौके पर, उसके पहले और बाद में, लगातार व्यापारियों के हितों की वकालत उनके बीच में की, उनके वोट और नोट से अपनी ताकत को बढ़ाया। लेकिन जब भी उनको अवसर मिला, उनके हक में, उनके हितों की हिफाजत में, या जब पूरा समाज एकजुट खड़ा होकर, आप जानते हैं कि समाज की सारी बुराइयों की जड़, बेईमानी और भ्रष्टाचार की लूट के केन्द्र व्यापारी है, ऐसा हमला करता था तो उससे बचाव के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। हमें जब अवसर मिला, चूंकि इन्होंने कहा कि यह व्यापारियों के विरोधी हैं, पूरे हिन्दुस्तान में आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून इस संसद में लाकर हमने पास कराया, उसका अनुमोदन किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने इसका सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण कराने के बाद पूरे हिन्दुस्तान में यह कानून लागू था, हमारी सरकार के जमाने में केवल उत्तर प्रदेश था जहां इस कानून को हमने स्थगित कर दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसका पूरा सर्वेक्षण कराया। उस समय जितने व्यापारी गिरफ्तार हुए थे, जेल गये थे, यदि उस कानून के तहत श्री श्याम बिहारी मिश्र जैसे बड़े आढ़ती जेल में रहे होते, इनके ऊपर पच्चीस हजार का जुर्माना हुआ होता या इनको दस साल की सजा हुई होती तो हमारे मानने का वाजिब कारण था कि यह कानून ठीक तरह से अमल में आ रहा है या ठीक तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ छोटे, गरीब और कमजोर लोगों पर हुआ। ऐसे व्यापारियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हम प्रधान मंत्री कोष से 40 हजार, एक लाख या तीस हजार रुपये देकर जिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देते हैं, वे भी इस कानून के शिकार हो गये। अदालत में ऐसा कोई केस नहीं ठहरता लेकिन उनका उत्पीड़न होता है। इसलिए हमारी पार्टी ने इसका सर्वेक्षण कराया। हमने उत्तर प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं, किसी जायसवाल को, किसी गुप्ता जी, किसी अग्रवाल जी को या व्यापारी परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देकर इस बात की कोशिश की वह सदन के भीतर आये और उनके पक्ष को हम समझ सकें। लेकिन ये लोग किसी वाजपेयी जी को, किसी जोशी जी को, किसी मिश्रा जी को, किसी रावत जी को, किसी शुक्ला जी को सारे बड़े शहरों से टिकिट देकर लाए जहां से उन व्यापारियों को लाना चाहिए था। आपने उनके रास्ते को रोकने की भरपूर कोशिश की। इसीलिए जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, तो व्यापारी वर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन लेकर, हमारे नेता, जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे मिला, प्रधान मंत्री जी से मिला और हमने यह अनुभव किया कि जब इस देश में कंजूमर एक्ट लागू हो गया, मिलावट को रोकने के लिए कानून लागू हो गया, घटतौल को रोकने के लिए कानून लागू हो गया, तो इस आवश्यक वस्तु अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। इस स्पेशल कानून को हैंडल करने के लिए पुलिस इंसपैक्टर को दे दिया गया जिसे सब रोगों की दवा समझा जा रहा है जबकि वास्तव में वह सब रोगों की जड़ है।

महोदय, यहां कल शिकायत हो रही थी कि सी० बी० आई० सभी रोगों की जड़ का निदान है। वैसे जो भी कानून हम बनाते हैं उसका निदान क्या है, पुलिस इंसपैक्टर। हमारी राय में जितनी बेईमानी, मिलावट, घटतौली, ब्लैक मार्केटिंग, चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक काम हो रहे हैं वे पुलिस इंसपैक्टर की मिलीभगत से हो रहे हैं। हम इस बात को भी नहीं मानते कि सिर्फ व्यापारियों के कारण ही महंगाई बढ़ गई है। महंगाई जिस तरह आज बढ़ी है, वह सरकार की नीतियों के चलते बढ़ी है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने कानून बनाकर पेट्रोल डेढ़ रुपया लीटर और डीजल 60 पैसे लीटर मंहगा कर दिया। इसी प्रकार से मिट्टी के तेल के भी दाम बढ़ा दिए। हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून को स्थगित करके वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की कोशिश की और कह दिया कि जितनी भी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वे निजी व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहेंगी। ग्राम सभा पंचायत करके एक व्यक्ति को मुकर्रर करेंगी। इस प्रकार वे दुकानें ग्राम सभा की हो गईं। वह व्यक्ति जो दुकान चलाता है, ग्राम सभा का कर्मचारी हो गया। उस दुकान से जो भी चोरी होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, उसको रोकने की जिम्मेदारी पूरे गांव की होगी। हमने उन दुकानों को सहकारी संस्थाओं को दे दिया। इस प्रकार हम सरकार की नीतियों को दुरुस्त कर के महंगाई पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन इस काम को किए बिना, केवल व्यापारी इस महंगाई को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कम से कम हमारी पार्टी नहीं मानती। हमारी पार्टी की राय ऐसी नहीं है।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी, लगातार, निरंतर और प्रति दिन व्यापारियों की ओट में इस राक्षसी कानून को खत्म करने की बात कहती रही है और जब वह सत्ता में आती है, तो उस कानून को खत्म करने की बजाय, सिर्फ संशोधन पेश करती है – यह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, उनमें से एक-दो को छोड़कर, सारे संशोधन संयुक्त मोर्चा की सरकार के बनाए हुए हैं। 1955 में जब कफन को कपड़ा नहीं मिलता था, कपड़े की बेइमानी होती थी, चोरी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, तब यह कानून लागू किया गया और अब जब कपड़ा हमारे देश में

प्रचुर मात्रा में बन रहा है, लोगों को सुविधापूर्वक उपलब्ध है, फिर इस कानून को लागू रखने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से हमारे देश में गल्ले की खूब पैदावार हो रही है और गल्ले के बड़े-बड़े व्यापारी खत्म हो रहे हैं। क्योंकि गल्ले की उपज बढ़ने लगी है, फिर इस कानून को लागू रखने की क्या जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों पर एक समन्वित चर्चा की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो बात जनता के बीच में कहकर यहां आए हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और यदि आपका अमल करने का इरादा नहीं है, तो फिर भविष्य में चुनाव के जरिए नोट लेने और वोट लेने के लिए बेवकूफ बनाने का सिलसिला बंद करिए, मेरा यही आपसे आग्रह है। मिलावट और घटतौल को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से विभाग बना दिए हैं। घटतौल के लिए माप विभाग है। यदि कोई कम तौलता है, तो उसे तीन महीने से छः महीने की सजा का कानून में प्रावधान है। वह विभाग यह जांच करता है कि आपका बांट और तराजू सही होना चाहिए। यदि गलत है, तो वह पकड़ता है और दंड देता है। यदि उस विभाग के जरिए आपने अपने बाट का ठीक से नाप तोल नहीं कराया तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन उस विभाग में बेईमानी है। जो वितरण प्रणाली को संचालित करने वाला खाद्य विभाग है, उसमें बेईमानी है, पुलिस महकमें में बेईमानी है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक समन्वित विचार की आवश्यकता है। उसके लिए जो वर्तमान केन्द्रीय कानून है, उसे खत्म कर राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए व्यापारी, बेरोजगार, नौजवान, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि और कंज्यूमर फोरम के लोगों को बिठाकर, राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी आवश्यकतानुसार कानून बनाए जाएं। इसकी अपेक्षा जितने संशोधन आए हैं, हम समझते हैं कि ये व्यापारियों की आंख में धूल झोंकने वाले हैं। हमारे मित्र श्याम बिहारी मिश्र जी जब भावुकतावश बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल ये ही व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं। हम अपनी तरफ से विरोध पैदा करके उनको इस बात का अवसर देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इनका सारा व्यापारी समर्थन और उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का सिलसिला घड़ियाली आंसू बहाना है, पाखंड है, इस पाखंड को आप खत्म करें। उनको पुलिस उत्पीड़न और शासन तंत्र से मुक्त कराने के लिए नए विचार, नए कानून और नए विधेयक की आवश्यकता है, उसकी तरफ पहल करें। इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के॰ एस॰ राव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं माननीय मंत्री सरदार सुरजीत सिंह बरनाला – जिनका हम हमेशा सम्मान करते हैं – का ध्यान एक विशेष मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विशेष मामले में, मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है अथवा व्यापारियों या अफसरशाहों के विभिन्न वर्गों के दबाव में आ गये हैं। आमतौर पर, मैंने अपने राज्य में अपने बचपन से पाया है कि यह आम धारणा है कि भाजपा हमेशा से व्यापारियों का पक्ष लेती है और यह व्यापारियों की पार्टी है। जिस जल्दबाजी के साथ अध्यादेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम का सहारा लिया गया है। इससे देश में व्यापारी समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और आभार स्पष्ट झलकता है।

मैं अपना वक्तव्य उद्देश्यों और कारणों के साथ प्रारंभ करता हूं जिसे माननीय मंत्री ने स्वयं विधेयक में कहा है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विद्यमान उपबंध पर्याप्त और प्रभावशाली नहीं हैं। अतः इसका उद्देश्य मामलों को निपटाने का है, कालाबाजारी संबंधी मामलों के निपटान और कालाबाजारी में सम्मिलित व्यापारियों को बचाना है।

मूलतः अधिनियम का अभिप्राय कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना है तथा यह देखना है कि वस्तुएं, विशेषत तौर पर आवश्यक वस्तुएं आम आदमी को उपलब्ध कराई जायें। इसके स्थान पर अब वे कहते हैं कि वे कालाबाजारियों और जमाखोरों के विरुद्ध मामलों के शीघ्र निपटान हेतु इस संशोधन को लाना चाहते हैं। अनुवर्ती खंडों में भी यह बात उजागर होती है कि कैसे यह केवल व्यापारियों के लिए है।

आमतौर पर कितनी भी संख्या में पुलिस वाले इस देश में अपराध को नहीं रोक सकते जब तक कि नागरिकों के दिलों में यह डर न हो कि यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें निर्दयता से सजा दी जायेगी। सतर्कता विभाग के 10,000 लोग विभिन्न स्थानों पर जायें यदि लोगों का प्रणाली से कोई भय नहीं है तो कितनी भी संख्या में पुलिस वाले अपराध को नहीं रोक सकेंगे। अतः मानसिक तौर पर नागरिक के दिलों में डर अपराध को रोकता है न कि इस उद्देश्य हेतु लगाये गये लोगों की संख्या। यहां वे कालाबाजारियों और जमाखोरों के दिलों से डर हटाने का काम कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने उल्लेख किया है कि निम्न कार्यकर्ताओं द्वारा सता के दुरुपयोग को रोकने हेतु अधिनियम के विद्यमान उपबंध पर्याप्त और प्रभावी नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। सौपान तंत्र में यदि एक छोटे पद वाला व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करता है तो निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करने के उत्तरदायी अधिकारी को सजा हेतु एक उपबंध किया जाये। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे सजा को 7 वर्ष से 2 वर्ष करके व्यापारियों को अधिक लाभ दे रहे हैं। उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह भी उल्लेख किया है कि केवल कुछ छोटे अपराधों को छोड़कर सभी अपराध गैर जमानती होंगे। जुर्माना अधिक होगा परंतु कारावास की अधिकतम अवधि 7 वर्ष

[श्री के० एस० राव]

से घटाकर 2 वर्ष होगी। उन्होंने स्वयं ऐसा किया है। लेकिन जो संशोधन वे आज लाये हैं उसमें उन्होंने जुर्माने को 50 हजार से घटाकर 20 हजार रुपए कर दिया है। मैं यह शब्द नहीं कह रहा हूं। यह उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है। आप जुर्माने को 50 हजार रुपए से 20 हजार रुपए अथवा 10 हजार रुपए करने का संशोधन क्यों लाये? आप इस विधेयक में दिये गये अपने विचारों में हेरफेर क्यों कर कर रहे हैं? संभवत: पहले आपने सोचा होगा कि लोगों को राजी करने के लिए यह एक अच्छा तर्क होगा कि आप दंड को कम नहीं कर रहे हैं। आप दंड को कम नहीं कर रहे हैं आप केवल अनिभिज्ञ निर्दोष व्यापारियों की सजा में कमी करना चाहते हैं। देश में कितने निर्दोष व्यापारी हैं। यदि सरकार की मंशा निर्दोष व्यापारियों को बचाने की है तो सरकार किस प्रकार के निर्दोष व्यापारियों के बारे में सोच रही है। क्या वे उस व्यापारी के बारे में सोच रहे हैं जिसने हजारों लोगों को कुलहाड़ी, चाकू से दिन दहाड़े नहीं मारा है बल्कि वह व्यापारी जो गुपचुप तरीके से हजारों लोगों को मार रहा है।

हमने एक दिन 300 कपास किसान द्वारा आत्म हत्या करने पर चर्चा की थी उनका आत्म हत्या करने का क्या उद्देश्य था। उन्होंने आत्महत्या उर्वरक, कीटनाशकों में मिलावट और लाभकारी मूल्यों में भिन्नता के कारण की थी। मूल्य अलाभकारी क्यों हुए। यह व्यापारियों द्वारा कपास की जमाखोरी के कारण हुआ न कि किसानों के कारण।

आप आज इस बात की जांच कर सकते हैं कि देश में सभी किसानों ने अपना धान बेच दिया है। उन्हें 300 रुपए भी नहीं मिले लेकिन जब यह व्यापारियों के हाथों में चला गया तो कीमतें एकदम उछल गई। ऐसा ही मामला कपास का है। यह सब किसानों को उनके उत्पाद का अलाभकारी मूल्य और व्यापारी को उच्च लाभकारी मूल्य के कारण हुआ कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। जब आप इस प्रकार के व्यापारी को बचाना चाहते हैं जो हजारों लोगों को मार रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अधिनियम क्यों नहीं लाते हो जो गुस्से में आकर हत्या करता है। जब उसकी शिकायत है, उसको विशेषाधिकार, उसके मौलिक अधिकार आदि से वंचित किया जाता है। आप उसे मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप एक व्यक्ति को नक्सलवादी क्यों कहते हैं। मैं नकली नक्सलवादी के बारे में नहीं बोल रहा हूं बल्कि वास्तविक नक्सलवादी के बारे में बोल रहा हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि उनका अपने जीवन में बहुत बड़ी शिकायत रही है। आपने इस बारे मे कभी नहीं सोचा। यदि एक व्यापारी कालाबाजारी अथवा जमाखोरी करता है तो आप कहते हैं कि आप उदारीकरण के साथ चल रहे हैं। यह उदारीकरण क्या है? क्या आप इसे उदारीकरण कहेंगे यदि आवश्यक वस्तुएं आम आदमी को उपलब्ध कराने से रोकी जायें? क्या इसी उदारीकरण के बारे में हमारा देश सोच रहा है? देश बाधाओं को कम करने, विनिर्माण, उत्पादन में सुधार लाकर उदारीकरण के बारे में सोच रहा है बल्कि गरीब व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं का वितरण न करके यदि आप सोचते हैं कि यह उदारीकरण है तो महोदय, हमें ऐसा उदारीकरण नहीं चाहिए। हमें ऐसा उदारीकरण नहीं चाहिए जहां आम आदमी को उसके तुच्छ भोजन से भी रोका जाये। बरनाला जी मैं ऐसा केवल आलोचना की मंशा से नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं विपक्ष में बैठा हूं। यदि में सत्ता पक्ष में होता तब भी मैंने ऐसा ही कहा होता। महोदय, आप कृपया स्वयं सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और न कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों अथवा किसी और के द्वारा आपके सुझाए अनुसार कृपया हमारे देश के गरीब लोगों को बचाइए।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने यह कहा है कि कई व्यापारिक संगठनों ने अभ्यावेदन दिया है। महोदय, उस आम आदमी की स्थिति क्या है जो गांव में 8 वर्ष के अपने बचपन से 80 वर्ष की आयु तक सुबह तीन बजे से रात दस बजे तक कार्य करता है। आज यदि हम गांव का दौरा करते हैं तो हम पायेंगे कि उनके पास खाने को भोजन नहीं है और उसके तथा उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। हमने उस गरीब आदमी को पेंशन देने के बारे में कभी नहीं सोचा लेकिन हम उस व्यक्ति, जो दस हजार और 20 हजार रुपए प्राप्त कर रहा है, के लिए ग्यारहवें, बारहवें वित्त आयोग के बारे में सोचते हैं।

आप उदारीकरण लाने और चीजें उपलब्ध कराने के बारे में सोचते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें। मैं जानता हूं कि भारत सरकार की बदौलत आप सीजन टिकट चाहते हैं। अधिनियम पारित कर दिया गया है, संशोधन पारित कर दिया गया है क्योंकि इससे आपको सहायता मिल रही है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या है। उसकी भावना क्या है।

महोदय, आपने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसानी से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। आसानी से उपलब्धता कैसे हो सकती हैं? जब 7 साल की सजा का प्रावधान है, जब गैर-जमानत का प्रावधान है, हम देश में जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं रोक सकते। आप देश से इन सब चीजों को हटा दो और प्रत्येक चीज उपलब्ध करा दो। किस आम भावना अथवा कानूनी निष्कर्ष पर यह संभव है। यह मानवता की प्रत्येक आम भावना के खिलाफ है। इसलिए आप उद्देश्यों को बदलो। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप बहुमत अथवा सरकार में निहित शक्ति, से क्या चीज प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कृपया उन्हें बदल दो। यह उस चीज के बिल्कुल विपरीत है जो आप कर रहे हैं। कम से कम आप उद्देश्यों को बदलो अथवा कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो और इस विधेयक पर गंभीर विचार करो। इसे अगली बार ले आओ। कुछ और समय के लिए अध्यादेश को जारी रहने दो। इसमें कोई जल्दी नहीं है। मैंने देखा है कि अध्यादेश एक, दो, तीन, चार बार जारी किए जाते हैं। इस सरकार द्वारा अध्यादेश की कोई संख्या जारी की गई है। अथवा आप इसे अपनी इच्छा के कुछ चुनिंदा लोगों की समिति के पास भेज सकते हैं जो लोगों के लिए कुछ अच्छा करने पर विचार करें।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह भी लिखा है और मैं उसे उद्धृत करता हूं।

"(क) (भंडारों में थोड़ा सा अन्तर होने पर व्यापारियों की वास्तविक समस्या का समाधान करना)।"

यदि 10,000 किलोग्राम में एक किलो का थोड़ा सा अंतर है, यदि किसी छोटे अधिकारी की शरारत के कारण किसी को दंड दिया जाता है तो आप उसे दंड देने के बारे में क्यों नहीं सोचते। इस एक दंड के कारण आप सौ में से एक निर्दोष व्यापारी को देश में उदारीकृत तरीके से कालाबाजारी करने और जमाखोरी करने की अनुमति देना चाहते हैं। आप वास्तव में देश और राष्ट्र तथा लोगों और विशेषकर गरीब लोगों की किस प्रकार सहायता कर रहे हैं।

महोदय, यह अधिनियम केवल आवश्यक वस्तुओं से संबंधित है न कि प्रत्येक वस्तु से। यदि आप उन आवश्यक वस्तुओं को भी नजरअंदाज करेंगे जिनकी गरीब लोगों और इस राष्ट्र को आवश्यकता है तो केवल भगवान ही इन गरीब लोगों और राष्ट्र को बचा सकेगा। इसलिए श्री बरनालाजी मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि यदि आप गरीब लोगों के पक्ष में नहीं है तो, कम से कम कृषि समुदाय के पक्ष में तो है ही इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें। कृपया इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए। जल्दी न करें। अध्यादेश को अभी भी ऐसे समय तक क्रियान्वित और प्रभावी किया जा सकता है जब तक हम निर्णय न ले लें और इस अधिनियम में संशोधन न कर लें।

आपने यह भी कहा था और आप एक ऐसे अधिकारी जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो को तैनात करना चाहते थे। इस देश में उप-निरीक्षक को क्या प्रतिष्ठा मिली है। उप-निरीक्षक ही देश के प्रत्येक भाग में प्रत्येक अपराध कर रहा है और वही कानून को अपने हाथ में ले रहा है और निर्दोषों को दंड दे रहा है।

क्या आपके कहने का यह मतलब है कि निरीक्षक राज में ही मामलों को न्यायसंगत बनाया जा सकता है और उसे सही ढंग से न कि गलत ढंग से निपटाया जा सकता है। यदि आप यह कहते कि जिलाधीश न कि कोई और मामला बनायेगा, तो मैं समझ जाता। हम जिले में कम से कम एक आदमी पर ही निर्भर कर सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन, समाचार पत्रों, में कितने मामलें पढ़ रहे हैं कि निरीक्षक राज में बिना किसी कारण के निर्दोष व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया है, को हिरासत में लिया जा रहा है। उस पर अत्याचार किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बजाए, जिसने अपराध किया है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां उप-निरीक्षकों ने राजनीतिज्ञों के कहने पर निर्दोषों को जेल में डाल दिया है और आप देश को यह बताना चाहते हैं कि आपने उप निरीक्षकों के हाथों में शक्तियां दी हैं।

कृपया एक बार पुन: विचार कर लें। आपका अपना अनुभव भी है। अब आप सरकार में हैं। आप यहां सरकार में हो सकते हैं, आप कहीं

और सरकार में नहीं भी हो सकते। आप उप-निरीक्षक का दृष्टिकोण जानते हैं। आप मूल्यों को जानते हैं। आप जानते हैं कि वह किस तरह व्यवहार करता है, वह किस प्रकार कानून को अपने हाथों में लेता है। उससे भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि आप केवल इस प्रकार कागजों पर कारणों का उल्लेख करना चाहते हैं न कि ईमानदारी से तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं असहाय हूं। लेकिन सभा को भी इस पर विचार करना चाहिए। मेरा संपूर्ण सभा से अनुरोध है कि वह इसकी पुष्टि न करे। कृपया ऐसी धारणा न बनने दें कि यह सरकार केवल व्यापारियों के बारे में ही सोचती है। कृपया उसे छोड़ दें। मैं नहीं चाहता कि सत्तारूढ़ दल और सरकार पर कोई कलंक लगे। कम से कम इसको रोक कर आप लोगों में यह धारणा उत्पन्न कर सकते हैं कि आप केवल व्यापारियों के लिए नहीं है। मेरे माननीय साथियों ने प्रभावपूर्ण भाषण दिया है। मैं उनसे सहमत हूं।

मैं निर्दोष व्यापारियों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यदि आप केवल एक और दो के लिए ऐसा कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है। इस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे जल्दी न करें और इसको निजी प्रतिष्ठा का मामला न बनाएं कि वह किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पास करवाएगा।

आपने यह भी कहा है कि यह अपराध जमानत योग्य है तो आप हत्या को भी जमानत योग्य अपराध क्यों नहीं बनाते। इसमें उसने बड़ी चीज क्या की है। अन्यथा आप सांविधी से 'गैर-जमानती' शब्द हटा दो। यदि यह गैर-जमानत योग्य नहीं है तो गैर-जमानत योग्य क्या है। कृपया मुझे बतायें कि यदि ऐसे व्यक्ति, जो हत्याओं, हजारों निर्दोष व्यक्तियों की मौत का जिम्मेदार हो, को जमानत दे दी जाए तो कौन-सा अपराध गैर-जमानत योग्य हो सकता है। हमारा भी अपने क्षेत्रों में जन-प्रतिनिधि के रूप में यह अनुभव है कि काफी संख्या में लोग इस अधिनियम से भयभीत हैं। इसके बल पर हम कुछ मामलों पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन इस विधेयक से सभी व्यापारियों के लिए 'सभी के लिए खुला' की धारणा उत्पन्न होती है। वे राज्य में किसी की परवाह नहीं करेंगे।

आपने यह भी लिखा है कि राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है। राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और उनके द्वारा अपने अनुभवों से व्यक्त की गई दूरदर्शिता के खिलाफ होने पर भी आप यह संशोधन करना चाहते हैं और इसे सभी के लिए खुला रखना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं न केवल माननीय मंत्री बल्कि संपूर्ण सभा से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर एक बार पुन: विचार किया जाए। मैं निर्दोष व्यापारियों के खिलाफ नहीं हूं। हम इस अधिनियम में कुछ प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं ताकि निर्दोष लोगों को दंड न मिले लेकिन कृपया व्यापारियों के लिए भी यह धारणा न बनने दें कि वह कर मुक्त जा सकता है और उसे बचाने तथा कालाबाजारी करने और अत्यधिक धन कमाने की अनुमति देने के लिए सरकार उसके पीछे है चाहे कालाबाजारी करने की प्रक्रिया में कितने ही व्यक्ति क्यों न मारे जायें।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) . सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन माननीय बरनाला जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह 1955 का कानून है, जिसको बने हुए 43 वर्ष हो गए हैं और समय के अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तनों की आवश्यकता थी। मैं ऐसा मानता हूं खास कर जो भाषण इस सदन में कांग्रेस की ओर से हुए अभी समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह जी ने भी भाषण दिया तथा हमारी ओर से भी मिश्रा जी का बहुत अच्छा भाषण हुआ, इन भाषणों के सुनने से अधिकांश पक्ष के लोगों ने बरनाला जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन ही किया।

महोदय, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बार-बार कहते हैं कि यह व्यापारियों के हित के लिए हैं, आप व्यापारियों के बड़े विरोधी रहे हैं। 1955 से लेकर जब तक आप सत्ता में रहे, क्या उस दौरान इस कानून के तहत 55 मिनट के लिए भी कोई जेल में जा सका। अभी मिश्रा जी ने आंकड़े देकर बताया कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, 164 लोगों पर मुकदमे चले लेकिन सब छूट गए, एक भी आदमी को सजा नहीं मिली। आप कानून बनाते रहे, अपने लोगों को कोटा परमिट देते रहे और एक व्यक्ति पर भी कार्यवाही नहीं हुई, क्या इससे आपको शर्म और लज्जा नहीं आती और आप बरनाला जी जैसे आदमी के लिए इस तरह से बोल रहे हैं। बरनाला जी मोरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि देश के गिने चुने राष्ट्रभक्तों में उनकी गणना होती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर इस विधेयक को रखा है और काफी अनुभव के पश्चात् रखा है। छोटे-छोटे इंसपैक्टरों द्वारा दुकानदारों के घर में घुस कर रिश्वतखोरी के लिए गलत मुकदमे बनाना, चालान करना और फिर उसके बाद दस-दस साल तक उनके ऊपर मुकदमे चलाना, उनका बिना जमानत के जेलों में रहना और फिर छूट जाना, ऐसा होता था। अगर श्री बरनाला ने इसमें यह रखा है कि सात वर्ष की सजा की बजाय दो वर्ष की सजा होगी, लेकिन मुकदमा गैर जमानती होगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इससें ज्यादा और क्या बात कही जा सकती है।.....(*व्यवधान*)

श्री के० एस० राव : कृपया आप संशोधन पढ़े। "जमानत योग्य" शब्द का यहां उल्लेख है।

श्री रामानन्द सिंह : आप मेरी बात सुनिए। यह जो अमेंडमेंट लाए हैं यह नॉन-बेलेबल होगा.....(*व्यवधान*) इन्होंने यह भी कहा है कि जो माल कलेक्टर जब्त करेगा उसे वह फेयर प्राइस की दुकान से बेच सकेगा। आपके जमाने में माल जब्त होता था और गेहूं बरसात में उग आता था, बिकता ही नहीं था वह सड़ जाता था। इस अमेंडमेंट में उन्होंने कहा है कि यदि कलेक्टर माल जब्त करेगा तो उसकी फेयर प्राइस दुकान से तुरंत बिक्री होगी ताकि लोगों को असेंशियल कमोडिटीज मिल सकें इन्होंने प्रथम श्रेणी एग्जीक्यूटिव संशोधन दिया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी ही अरेस्ट कर सकता है, माल जब्त कर सकता है। अभी मिश्रा जी ने जो भाषण दिया, क्या उसका उत्तर आपके पास है कि तीन-तीन हजार व्यापारियों पर मुकदमें चलें और एक को भी सजा न हो, सब छूट जाएं। चालान प्रस्तुत करने के लिए भी इन्होंने कहा है कि सब-इंसपैक्टर से नीचे का कोई अधिकारी इसका चालान पेश नहीं कर सकेगा। इसमें यह प्रावधान है कि मुकदमा बड़ी लंबी देर तक नहीं चलेगा। समरी ट्रायल होगा और अगर समरी ट्रायल होगा तो उसको तुरंत समरी ट्रायल के बाद सजा होगी अगर वह दोबारा अपराध करे तो उसकी सजा बढ़ाई भी जाएगी, यह भी प्रावधान किया। अगर वह एक बार अपराध करने के बाद न माने उसके बाद दोबारा पकड़ा जाए तो उसको और भी ज्यादा दंड दिया जाए, इसमे यह भी प्रादधान है।

आज कम्युनिष्ट पार्टी के हमारे मित्र यहां बैठे हैं, वे भी कहते हैं कि हमारे यहां उद्योग लगाओ। लालू प्रसाद यादव हमारे मित्र समाजवादी थे, वे भी बोल रहे हैं। आज किसी भी दल की सरकार हो, वैश्वीकरण की नीति का सभी समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ तो वैश्वीकरण की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात हो रही है, खुले बाजार की बात हो रही है और दूसरी तरफ अभी हमारे मित्र मोहन सिंह जी कह रहे थे, कि यह तो भाजपा है, मुलायम सिंह ने तो खुली छूट दे रखी थी। मुलायम सिंह जी मेरे मित्र हैं, पुराने समाजवादी हैं, अभी चले गये हैं, उन्होंने तो परीक्षाओं में नकल को भी कह दिया था कि यह सब जायज है। उन्होंने क्या-क्या किया, मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं। उनके भाषण का सारांश बरनाला जी के बिल का समर्थन ही था। उन्होंने यह माना है कि व्यापारियों के साथ ज्यादती होती रही है। इंस्पेक्टर राज था और छोटे-छोटे मुकदमों में व्यापारी वर्ग को परेशान किया जाता था। बरनाला जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है यह एक सामयिक विधेयक है। पिछले 43 वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह बिल श्री बरनाला जी जैसे वरिष्ठ मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मेरा अनुरोध है कि इस पर विरोध के लिए विरोध की राजनीति करने के बजाए कांग्रेस के मेरे मित्र इसका उदारतापूर्ण समर्थन करें और बरनाला जी को बधाई दें जिससे देश के छोटे-छोटे व्यापारियों के साथ अन्याय न हो।

भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की, किसानों की, श्रमिकों की और समाज के हर वर्ग की पार्टी है। मैं खुद एक किसान हूं। सबसे पहले मंत्री जी ने उपभोक्ताओं के हित की चिंता की है। लोगों को आवश्यक वस्तु उचित मात्रा में और सही समय पर मिले, यह इस बिल का पहला उद्देश्य है। मंत्री जी ने इसमें यही बताया है। लेकिन पिछले दिनों जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहा है उसको रोक कर व्यापारियों को न्याय देने की बात इसमें कही गयी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिल का सभी पार्टी के लोग समर्थन करें। मैं बरनाला जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि वह भी इसका समर्थन करते हुए इसे निर्विरोध पारित करे तथा विरोध के लिए विरोध की राजनीति को समाप्त करे।

[अनुवाद]

प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम (बडागरा) : सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान किया गया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रारंभ में ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का एक से अधिक कारणों से विरोध करता हूं।

महोदय, यह गलत है कि इस विधेयक को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक कहा जाता है। मैं इस माननीय सभा के समक्ष यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक स्वयं-अंतर्विरोधी विधेयक है। मैं मानता हूं कि मूल विधेयक के अनेक खंडों को व्यापारी समुदाय के दवाब के कारण निकालने पर विवश होना पड़ा है और इसलिए उन्हें संशोधित किया गया है तथा संशोधनों के लिए सूचनाओं की लंबी सूची पड़ी है जो मूल विधेयक से अत्यधिक अंर्तविरोधी है।

मैं एक यह भी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं समझ नहीं सका हूं कि क्यों इस अध्यादेश को 25 अप्रैल 1998 को प्रख्यापित किया गया था। बी॰ जे॰ पी॰ की गठबंधन सरकार के 100 दिनों के शासन के दौरान अध्यादेशों की होड़ लगी हुई है और मैं समझता हूं इस शासन को 'अध्यादेश राज' कहना बेहतर है। पिछले सप्ताह और इस सप्ताह के दौरान इस सभा के समक्ष विधान द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए अनेक अध्यादेश आ रहे हैं।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस विधेयक का नाम स्वयं ही एक मिथ्या नाम है। माननीय मंत्री जी मैं पूरी तरह से निराश हूं। जब कभी आवश्यक वस्तु विधेयक के नाम पर कुछ भी किया जाता है तो हम कुछ ज्यादा प्रजातांत्रिक और आम आदमी के लिए कुछ अधिक लाभ की अपेक्षा करते हैं। अब यह भ्रांतिपूर्ण है। सामान्यत: हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी आवश्यक वस्तुओं के बारे में कहा जाता है, तो यह आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के अत्यधिक हित में होगा।

लेकिन यहां विधेयक स्वयं उन प्रस्तावों को स्पष्ट नहीं करता है जो कि न सिर्फ छोटे तथा साधारण व्यापारियों की सहायता करते हैं अपितु बड़े-बड़े व्यापारियों की सहायता करते हैं, यदि मैं इसे इन शब्दों में कहूं तो अपने पूरे भाषण में श्री मिश्र काफी प्रभावपूर्ण तरीके से व्यापारी समुदाय की तरफ से बोल रहे थे और अंत में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वे लोग आम व्यक्ति के हित के लिए भी चिंतित थे। मुझे आश्चर्य होता है कि यह विधान किस प्रकार आम व्यक्ति की सहायता करेगा। यहां बैठे मेरे किसी साथी ने कहा है कि इस विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य अंतर्विरोधी हैं।

अब हम जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी से संबंधित शीघ्र निपटाये गये मामलों का उदाहरण ही लें। मूल विधेयक में दोषी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट का प्रावधान था। इन मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है। इसका कारण है कि न्याय में विलंब जिस का अर्थ है न्याय नहीं मिलना। हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन अब, हम इस विधान में देखते हैं कि संशोधन के माध्यम से दंड को कम किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें 25000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये और 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। कारावास की अवधि को भी 7 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है।

महोदय, मैं यह नहीं सोचता हूं कि मुझे गलत समझा जाएगा यदि मैं कहूं कि सरकार काफी बड़े दबाव के कारण विवश हो गई है जो कि इस छोटे से संशोधन-पत्र जिसे अन्तिम क्षण में परिचालित किया गया है से स्पष्ट है। एक खास लोबी जो कि छोटे व्यापारियों की लोबी नहीं - बड़े व्यापारियों की लोबी मंत्रालय पर दबाव डालती रही थी और कागज में अंतर्विष्ट संशोधन उसका प्रमाण है जिसे अन्तिम समय में परिचालित किया गया है। इससे मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रारंभ से ही सरकार के अस्तित्व में आने के पहले दिन से ही, जो अब अपने कार्यकाल का 100 दिन पूरा कर चुकी है, इसकी नीतियां जन विरोधी हैं। रेलवे बजट, सामान्य बजट सभी जन विरोधी रहे हैं।

अपराह्न 4.28 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

सिर्फ इतना ही नहीं है कि सरकार चीनी पर से नियंत्रण हटाने के बारे में ही सोच रही है। यदि चीनी से नियंत्रण हटा दिया जाता है, तो मूल्य में वृद्धि निश्चित ही होगी क्योंकि चीनी एक आवश्यक वस्तु है और यह व्यापारियों को मुनाफा देगा। आज सुबह इस सभा में मूल्य वृद्धि के संबंध में शोर-शराबे जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया था। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार कम से कम एक आवश्यक वस्तु, नमक के मूल्य में वृद्धि के लिए अकेली जिम्मेदार है। साधारण नमक हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक साधन था और वह इस बी॰ जे॰ पी॰ सरकार द्वारा इस देश में पूर्वापेक्षी प्रभाव से लुप्त कर दिया गया है। इस अकेली वस्तु के लिए केरल राज्य की आम जनता को 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। फिर, इस देश के शेष भाग का क्या होगा? हमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि हम चाहे जितना नमक उपयोग करें। यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी उल्लंघन यह सरकार कर रही है। अब हम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में विवाद है, जो कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह सरकार साधारण नमक को लुप्त करके और इसके उपयोग पर रोक लगाकर इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। हमें यह अधिकार होना चाहिए कि जितना नमक हम चाहते हैं वह हमें मिले। यदि सरकार इस देश की जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है, तो पान मसाला की तरह और भी अन्य वस्तुएं हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वे इन वस्तुओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? इसका कारण यह है कि बड़े व्यापारिक घरानों, बहुउद्देशीय कंपनियों और बड़ी फर्मों का हित इसमें शामिल है।

[प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम]

साथ ही साथ, यह सरकार दिखावा कर रही है कि वे साधारण नमक जिसके लिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर लोगों के स्वास्थ्य के हित में कार्य कर रही है। यह एक शर्मनाक बात है कि यह सरकार जन-विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। इन सभी आधारों पर जिसका मैंने उल्लेख किया है, मैं इस विधेयक का अत्यंत कड़ा विरोध करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, 1955 में बनाये गये इस मूल अधिनियम का उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना था। तथापित ये उद्देश्य पूर्णत: निष्फल हो गये हैं। इस मूल अधिनियम को पारित किये जाने के समय से ही इसमें किये गये कई संशोधनों के बावजूद विधानमंडल का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

आज माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये इस विधेयक में अभियुक्त व्यापारियों को क्षमा करने और सजा तथा कारावास में कमी करने के संबंध में कुछ प्रावधान हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि उन व्यापारियों के प्रति कृपा और उदारता दर्शाना है जो देश में वर्तमान मूल्य वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसे समय में जब दिन-प्रतिदिन मूल्य बढ़ रहे हैं, जब बाजार में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं और जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, व्यापारियों पर कृपा करते हुए, और विधेयक में कुछ नम्र प्रावधान करते हुए यह सरकार का विधेयक लाई है।

क्या व्यापारी लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति करने की अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति, जमाखोरी, तस्करी और कालाबाजारी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भा॰ ज॰ पा॰ के मेरे विद्वान मित्र श्री मिश्रा व्यापारियों का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों, जो देश में वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार हैं, के मामले में बहुत ही प्रभावी ढंग से दलील पेश की है।

आज शून्य काल के दौरान मैंने सभा पटल पर बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाने का प्रयास किया था। मैं सीमा क्षेत्र का निवासी हूं। भारत-बंगलादेश सीमा और अन्य सीमाओं के साथ-साथ हर जगह सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों की मिलीभगत से कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं की तस्करी कर रहे हैं। इसीलिए बाजार में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। कुछ सीमाओं पर कुछ कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के सहयोग से कार्य करके इस राष्ट्र विरोधी कार्य में सलंग्न हैं। उन्होंने कुछ श्रमिकों को कार्य पर लगाया हुआ है और उनके माध्यम से वे सीमा क्षेत्रों में यह राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं।

मैं वर्तमान विधेयक में संस्तुत क्षमा के प्रावधान और कारावास में कमी के प्रावधान देखकर हैरान हूं। यह आश्चर्य की बात है कि भा॰ ज॰ पा॰ के कुछ मित्रों ने भी इन बेईमान व्यापारियों का पक्ष लिया है।

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कोई नहीं है। सरकार ऐसा करने का विरोध कर रही है। कुछ कालाबाजारी करने वाले, जमाखोर और व्यापारी वही कर रहे है, जो वे चाहते हैं। लोगों को राष्ट्र विरोधी एजेंसियों की दया पर छोड़ दिया गया है।

इस स्थिति को देखते हुए हम इस संशोधन को समर्थन नहीं दे सकते। क्योंकि यदि हम इस संशोधन को स्वीकार कर लेगें तो राष्ट्र को गलत संदेश जाएगा और लोग सोचेंगे कि इस विधेयक में उन लोगों, जो इस संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, के प्रति उदारता दर्शाई गई है।

मैं सभा के समक्ष यह प्रस्तुत करता हूं कि हम अत्यधिक अधिनियमों में संशोधन कर सकते हैं और अत्यधिक विधेयक पारित कर सकते हैं लेकिन वे लाभकारी होंगे या नहीं, यह उन्हें क्रियान्वित करने वाले प्राधिकरण पर निर्भर करता है। कानून को कौन क्रियान्वित करेगा? कानून को कौन निष्पादित करेगा? यह सब उन पर निर्भर करता है। यह जांच एजेंसी पर निर्भर करता है।

यह हमारा अनुभव है कि इस विधेयक को पारित किये जाने के 45 वर्षों के बाद भी कार्यकारी प्राधिकरण अथवा क्रियान्वयन प्राधिकरण इस कानून को क्रियान्वित करने में हिचकिचा रहा है अथवा उसे समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं कर रहा है। जब मामला शुरू होता है जांच एजेंसी व्यापारियों और व्यावसायियों जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जाना चाहिए, के साथ मित्रता करके समुचित रूप से जांच नहीं करती। जांच एजेंसी के कार्यों में भी कमियां और दोष है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और इस विधेयक को पारित करने से पहले उचित ध्यान देना चाहिए। यह साधारण विधेयक नहीं है। इस विधेयक में आम आदमी का हित भी शामिल है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करने में जल्दी न करें मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर एक बार पुन: विचार किया जाये और इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाये माननीय मंत्री द्वारा इस सभा के समक्ष एक विस्तृत विधेयक लाया जा सके।

मैं वर्तमान संशोधन के साथ इस विधेयक को समर्थन नहीं दे सकता और मैं वर्तमान संशोधनों का कड़ा विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक के संबंध में भारत के योग्य और महान नेता, वर्तमान खाद्य मंत्री, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जो विधेयक एवं संशोधन प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम तो मैं अपने विपक्षी दल का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन बातों को वे आज बड़े जोर-शोर

से कह रहे हैं। 1955 में जब यह मूल कानून बना और लागू हुआ उस समय यह बात सच है कि देश में कपड़े की इतनी कमी थी कि कफन के लिए भी कपड़ा ब्लैक में खरीदना पड़ता था। यह बात भी सच है कि उस समय पी॰ एल॰ 480 से लेकर खाद्यान्न व अनेक वस्तुएं विदेशों से आती थीं। हालत इतनी खराब थी कि साइकल और सुई भी विदेश से आती थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। उन दिनों जो कानून बना था, उसमें गैरजमानती का प्रावधान नहीं था। आज जब देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है बल्कि देश-विदेशों को खाद्यान्न भेज रहा है, तो यदि हमारी सरकार ने 1955 के मूल कानून के कुछ अंशों को इसमें डालने का प्रयत्न किया है, तो कोई वजह नहीं है कि आप उसका विरोध करें।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप कानून को बदल डालिए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आप कहते हैं कि कानून को बदल डालिए। मैं आपका ध्यान, आपके एक वरिष्ठ नेता के 27 मई, 1998 के वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने यह कहा है कि आवश्यक वस्तु नियमावली खत्म की जानी चाहिए। मैं सदन में नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेने की परंपरा नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उसे नेता ने कहा कि अधिनियम की कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ व्यापारियों का उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है। दो कॉलम की न्यूज है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप के नेता बाहर कुछ भाषण देते हैं और यहां कुछ देते हैं.....(*व्यवधान*) माफ कीजिए, आपको इस देश में उन परंपराओं को लागू करना चाहिए जिनका आगे आने वाली पीढ़ी अनुसरण करे।

श्री मोहन सिंह ने बड़ी हिम्मत के साथ एक बात कही। उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस एक्ट के तहत जितने भी केस पकड़े गये थे, उन्होंने उन सबकी जांच करवाई थी और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें जो छोटे-छोटे और निरपराध व्यापारी हैं, इस प्रकार के कानून का डर दिखाकर उसने पैसा ऐंठा जाता है। उनके साथ अधिकारी जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे वे गलत रास्ते पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज भी इस अधिनियम को स्थगित करके रखा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार के 76 कानून हैं। मिलावट, जमाखोरी के बारे में प्रदेश सरकारों के पास अनेक कानून हैं जिनके द्वारा वे कंट्रोल कर सकते हैं।

हमारी बहनजी ने महंगाई की बात कही। इस देश में मंहगाई बढ़ी है। जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, वह तेलों की मंहगाई है। खाद्य तेलों की महंगाई न केवल हिन्दुस्तान में बढ़ी है बल्कि दुनिया के देशों में बढ़ी है। पाम ऑयल का आज विश्व स्तर पर 40 रुपये किलो रेट हो चुका है। इस नाते यदि हिन्दुस्तान पर उसका असर होता है तो स्वाभाविक है।. ....(*व्यवधान*) लेकिन श्री मोहन सिंह ने जो बातें कहीं, छोटे-छोटे रोजगार वाले लोग, जिनकी छोटी पूंजी है, सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा हमने नवयुवकों को रोजगार देने का काम किया है। उसे इस तरह से घुमाकर कहना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल घड़ियाली आंसू बहाती है और हमने जायसवाल और अग्रवालों को बहुत सारे टिकट दिए। मैं जायसवाल होने के नाते कहना चाहता हूं कि आपने जायसवाल और अग्रवालों को टिकट जरूर दिया होगा लेकिन उनको जीतकर यहां नहीं आने दिया। आपने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, वह हम जानते हैं। मैं श्री मुलायम सिंह की उस अच्छाई के बारे में भी कहना चाहता हूं जो उन्होंने उस एक्ट को स्थगित किया। लेकिन आज की राजनीतिक कूटनीति की बात का मैं विरोध करता हूं।

इस देश के महान् नेता खाद्य मंत्री बरनाला जी मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, उनकी चादर में कोई दाग नहीं है। यदि कोई सदस्य यह कहे कि वे दबाव में हैं, प्रभाव में है तो उसे अपने दिल पर हाथ पर रखकर पूछना चाहिए। इस देश में किसी के साथ अन्याय न हो, इंस्पेक्टर राज कायम न हो, राज केवल इंस्पेक्टर करे, इसके हम विरोधी हैं। इस नाते बरनाला जी के संशोधन सहित इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हीरालाल (छपरा) : सभापति महोदय, इस सदन में बहुत देर से ऐसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर बहस चल रही है। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को सुन रहा था। हमारी बहस के दौरान भाजपा और विपक्ष की कोई आपसी लड़ाई हो, इस ढंग से हम एक दूसरे के पक्ष में दलील दे रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो 1955 में लागू हुआ, 1981 में संशोधित हुआ, आर्डिनेंस के सहारे जीता रहा, आज हम उसको नये रूप में लाना चाहते हैं। लेकिन भोजपुरी में एक अधभेसर शब्द होता है, उस अधभेसर शब्द का मतलब यह होता है कि जो मर्द भी नहीं हो, औरत भी नहीं हो, यह बिल बिल्कुल अधभेसर के रूप में आया है। इसमें सात साल किसी को सजा होनी चाहिए थी, आपने घटाकर ढाई साल कर दी। क्यों? किसी की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए थी, आपने किसी मजिस्ट्रेट से करा दी। इसी तरह से जो इंस्पैकटर से जांच होनी चाहिए थी, उसको सब इंसपैक्टर से करा दिया। पहले गैर-जमानती अपराध था, आपने जमानती करा दिया।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यदि सचमुच आप ईमानदार हैं, यदि आप सचमुच उस वर्ग के बहुत बड़े खिदमतगार है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हटा दिया, आप भी हिम्मत करके यदि सचमुच व्यापारी वर्ग की मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप तो कह ही रहे हैं कि जो इस तरह के 76 कानून हैं, इस तरह के कुकर्मो को रोक सकते हैं तो आप मदद करिये। आप बहस के दौरान कहते हैं, आप जमना लाल बजाज का नाम लेते हैं और किस-किस का, भामाशाह का नाम लेते हैं, लेकिन पता नहीं, जाने क्यों गांधी जी का नाम आपने नहीं लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह सवाल जमाखोरी का है, यह सवाल चोरी का है और चोरी में

[श्री हीरा लाल]

भी किसको सजा होनी चाहिए, कितनी सजा होनी चाहिए, इस पर बहस करके आधी मदद आप किए दे रहे हैं, आधी छोड़े दे रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि सचमुच यह कानून जरूरी नहीं है तो इस कानून को आप खत्म कराइये और यदि यह कानून जरूरी है तो जो व्यवधान है, वह रहने दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ न तो मैं बरनाला साहब का विरोधी हूं और न आपका विरोधी हूं, लेकिन देश में जिस ढंग से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जमाखोरी बढ़ रही है, उसमें इस तरह से आधी वकालत करने की कोशिश मत कीजिए। जयहिन्द।

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि व्यापारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शोषण किये बिना उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सकें। इस अधिनियम में इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमन, वितरण पर नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की व्यवस्था हो। इन प्रावधानों को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

दोषी व्यापारियों की जांच करने के लिए, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम 1981 के माध्यम से अपराधों को गैर-जमानत योग्य बनाते हुए और तुरंत मुकदमेबाजी की व्यवस्था करते हुए 1955 के इस अधिनियम को अधिक कड़ा किया गया है। इस अधिनियम को अगस्त, 1997 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम जानते हैं कि अध्यादेश प्रख्यापित किये गये थे, पुन:प्रख्यापित किये गये थे और अपने शासनकाल के 100 दिनों के अन्दर सत्तारूढ दल अथवा यह सरकार इस विधेयक को लाई है। सरकार जिस तरीके से इस विधेयक को लाई है, हर कोई कल्पना कर सकता है, हर कोई अनुमान लगा सकता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है। वे इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित करना चाहते हैं।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, जिसका उद्देश्य खाद्यानों और अन्य रोजाना जरूरत की चीजों की उपलब्धता को विनियमित करना और जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना था, के समाप्त होने के साथ-साथ मंत्रालय की विशेष रूप से अधिनियम में उल्लिखित अपराधों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को जमानत योग्य बनाने का प्रस्ताव करना चाहता है। पिछले अधिनियम में सभी अपराध गैर-जमानत योग्य थे लेकिन प्रस्तावित विधेयक के संशोधन, जैसा कि इन्हें सभा के समक्ष लाया गया है, यह दर्शाते हैं कि सभी अपराध जमानत योग्य होंगे।

इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि पहला अधिनियम अर्थात् मूल अधिनियम 1955 में लाया गया था। 25 वर्षों के बाद अपराधों को गैर-जमानत योग्य बनाने के लिए दूसरा अधिनियम लाया गया ताकि अपराधों को गंभीरता से किया जा सके। अब 15 या 16 वर्ष के पश्चात् सरकार कह रही है कि वह अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रही है ताकि उन्हें जमानत योग्य बनाया जा सके। माननीय मंत्री ने यही तर्क दिया है। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार का तर्क है? क्या यह व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए है, या आम आदमियों को? मैं यह जरूर कहूंगा कि डीलर और व्यापारी इस अधिनियम को समाप्त करना चाहते हैं। परंतु कुछ राज्य सरकारों ने इसे कुछ और वर्षों के लिए बढ़ाना चाहा। इसलिए यह अधिनियम अब अर्थात् 1997 तक आ गया है। हम जानते हैं कि सरकार के निर्णय का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न रोकना है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यदि निर्दोष व्यापारी हो तो क्या होगा। परंतु सामान्यत: हम देख रहे हैं कि वे कालाबाजारी, जमाखोरी में लिप्त हैं और कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं। हम यह सब देख रहे हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि और भी अन्य विषय हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है और केवल व्यापारिक समुदाय पर ध्यान देने से जनता के बीच गलत धारणा पनपेगी कि सरकार की मंशा केवल व्यापारियों को सहायता पहुंचाना है।

मैं, वातावरण में विविध आर्द्रता से भंडार में रखे खाद्यानों के भार में परिवर्तन का एक और प्रावधान लाना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि यहां कितनी आर्द्रता है क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्द्रता की मात्रा भी भिन्न है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार व्यापारियों को कितनी राहत दे सकती है और क्या इसकी मात्रा बताई जा सकती है अथवा नहीं। व्यापारी इसके नाम पर अधिक कालाबाजारी तथा अधिक लाभ कमाने के मौके का फायदा उठाना चाहेंगे।

कुछ प्रस्तावित संशोधन जैसे कि तलाशी तथा जांच कार्य केवल निश्चित स्तर से ऊपर के अधिकारियों द्वारा कराई जा सकती है। इस बात से ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर पर ही है। परंतु उच्च स्तर के बारे में क्या कहेंगे? यदि सभी उप-निरीक्षक भ्रष्ट हैं तो माननीय मंत्री जी दोषी अधिकारियों और दोषी उप-निरीक्षकों को दंडित करने हेतु कुछ अन्य संशोधन ला सकते थे। परंतु ऐसा करने के बजाय वे पहले ही अलग रास्ते पर जा चुके हैं। मंत्री जी ने मूल अधिनियम में अपील के प्रावधान में संशोधन किया है। जल्दी के लिए कलैक्टर के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकरण बनाने के बजाय न्यायपालिका को अपीलीय प्राधिकरण बनाने हेतु प्रावधान बनाया गया है। मैं यह जरूर कहूंगा कि ऐसा अधिनियम का व्यक्तिपरक ढंग से उपयोग करते हुए निहित स्वार्थों के बारे में शिकायतों की प्रतिक्रिया में हुआ है।

यह महसूस किया गया है कि माल की आपूर्ति में थोड़ी सी कमी होने पर व्यापारी सट्टेबाजी करते हैं। इस तरह का व्यवहार अभी भी किया जाता है। अन्य शब्दों में, मैं यह जरूर कहूंगा कि आपूर्ति

स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ हैं। इसलिए, इस स्थिति में, मैं यह जरूर कहूंगा कि अधिनियम में बदलाव लाने के किसी भी प्रस्ताव से जनता को गलतफहमी हो सकती है कि यह उपभोक्ताओं को कोई समान लाभ सुनिश्चित किए बिना व्यापारियों को सहायता प्रदान करने का उपाय है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदय, इस सदन में हमारे माननीय मंत्री, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी, ने जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में मैं कुछ बाते आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विधेयक उपभोक्ताओं को और कठिनाइयां पैदा करने वाला विधेयक है और व्यापारियों को संरक्षण एवं फायदा देने वाला बिल है। माननीय मंत्री जी ने सदन में अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि आवश्यक वस्तु पर नियंत्रण, व्यवस्था सुदृढ़ और वाजिब मूल्य होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और मिलावट आदि समस्यायें सभी जगह व्याप्त हैं। ये सब किसके माध्यम से हो रही हैं, माननीय मंत्री जी जानते हैं। लेकिन इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए आपने कोई नियम नहीं बनाया है।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं। आज शहरों और गांवों में आवश्यक वस्तु के वितरण पर काफी भेदभाव है। शहरी क्षेत्रों में यदि पांच व्यक्तियों का परिवार है, जो प्रति यूनिट दो किलो अनाज मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि आप देखें, एक परिवार में एक कार्ड बना हुआ है, तो उसको केवल दो किलो ही अनाज मिलता है। मुझे आशा है, माननीय मंत्री जी इस भेदभाव को खत्म करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले हमारे गरीब तबके के जो शोषित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको आवश्यक वस्तुयें मिल सकें, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, सदन में कुछ समय पूर्व माननीय सदस्य, श्याम बिहारी मिश्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत-सी बातें रखीं और वे तमाम व्यापारियों के हितों की बातें ही करते रहे, लेकिन उन्होंने उपभोक्ताओं के बारे में कहीं भी कोई विशेष बात नहीं की। केवल व्यापारी पक्ष के बचाव के लिए ही उन्होंने बातें कहीं।.... *(व्यवधान)* मैं बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। मैं सदन को बताना चाहूंगा, उन्होंने व्यापारियों की हिमायत की है, उनके हित में बातें कही हैं, इससे लगता है कि कहीं-न-कहीं कोई बात छिपी है, लेकिन मैं उसका विशेष तौर पर उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। अगर उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कुछ बातें कहीं होती, तो अच्छा लगता। अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार सदन में प्रस्तुत किए हैं।

आज गांव में रहने वाले 80 फीसदी लोगों के ऊपर यह देश निर्भर है, यदि सरकार द्वारा इन लोगों पर ध्यान दिया जाता है, तो सरकार को मालूम पड़ता कि उनको कितना अनाज मिलता है। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग राशन की दुकानों पर धक्का खाते हैं, तब कहीं जाकर दो-चार दिन के लिए उनके मिट्टी का तेल मिल पाता है, जिसको पूरे महीने चलाना होता है। इन लोगों को अनाज मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। वास्तव में देखा जाए, तो इस व्यवस्था का लाभ बड़े लोगों को मिल रहा है। चाहे चीनी हो, मिट्टी का तेल हो या डीजल, इसका फायदा बड़े लोगों को ही मिलता है और छोटे तथा सीमांत किसानों को नाम मात्र का लाभ मिलता है। इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि आवश्यक वस्तुयें इन गरीब तबके के लोगों को मिल सकें।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, वितरण प्रणाली में बहुत से दोष हैं, चाहे वह सहकारी समितियों के द्वारा हो या अन्य संस्थाओं के द्वारा हो। आपने देखा होगा कि इस कारण उपभोक्ताओं को सीधे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में आप कोई कारगर अधिनियम बनाएं। दूसरी बात यह है कि बाजार की अर्थव्यवस्था में आढ़तियों का दबाव बढ़ रहा है। आज पूरे उपभोक्ता आन्दोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनमानस में आक्रोश है। आढ़तियों द्वारा पूरे बाजार को नियंत्रित किया जाता है, चाहे स्टॉक की उपलब्धता हो, जमाखोरी हो या दामों के मूल्यों में उतार चढ़ाव की बात हो। आज भले ही आढ़तियों में तमाम बुराइयां हैं, पूरे बाजार में उनका नियंत्रण है। सरकार का कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है जिससे आम जनता का फायदा मिल सके।

महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि इस अधिनियम में बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें बहुत देरी लगती है। मेरा कहना है कि ऐसा अधिनियम बने कि यह कानून सब के लिए लागू हो, खास कर उपभोक्ता संरक्षण के लिए अवश्य होना चाहिए। हमारे व्यापारियों के लिए भी होना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी का नाम बार-बार इस सदन में लिया गया। श्याम बिहारी जी ने व्यापारियों के हितों में बहुत सी बातें कही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपने शासन काल में तमाम व्यापारियों के हितों के लिए काम किया, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का विरोध भी करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह क़ानून उस समय आवश्यक और ठीक था जब देश में शक्कर का क्राइसेज पैदा हुआ था, जब गेंहू का क्राइसेज पैदा हुआ था उस समय यह कानून ठीक था। कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सारे कानून में समय को देख कर परिवर्तन किया है। आप नाराज न हों मैं मुलायम जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। उन्होंने भी लोगों के उत्पीड़न को देख कर इसका क्रियान्वयन स्थगित

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

किया था। गुजरात में कांग्रेस का शासन था उन्होंने भी इसकी गाइडलाइन में चेंज किया था, जो 1982 से लागू है, किंतु मूल्यों के बढ़ते, इसकी आपूर्ति के आधार पर यह सारा काम चला है। उस समय यह आवश्यक था लेकिन इस समय देश में इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है कि इस सारे कानून को लागू रखा जाए। मैं अगर व्यापारियों का हितार्थवाद भी कर रहा हूं तो भी कोई अनुचित बात नहीं कर रहा हूं। क्या व्यापारी विदेश का नागरिक है? यदि उस व्यापारी के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो निश्चित रूप से लोकसभा में उसका प्रतिशोध करना हमारा धर्म है।

महोदय, यह कानून बहुत पुराना है और पांच वर्ष के लिए इसको बढ़ाना है। मैं इस सदन में नौवीं, दसवीं और 12वीं लोकसभा में भी रह चुका हूं। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि यह कानून कांग्रेस पार्टी ही लाई थी और आज हमें यह दोष दे रहे हैं कि हम व्यापारियों का हितार्थवाद कर रहे हैं। इन्होंने पांच-पांच वर्ष का समय बढ़ाया है। मंत्री जी ने उस सजा को निश्चित रूप से दो वर्ष करने की बात कही है और जुर्माना कम करने की जो बात कही है मैं उसका स्वागत करता हूं, परंतु इस कानून से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मिश्रा जी जो बात कह रहे थे कि जब देश में आलरेडी कानून बने हुए हैं आप उन सब को सख्ती से लागू कराएं फिर इस कानून की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है इसे खत्म करना चाहिए। अब जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, यदि मेरे ऊपर कोई ट्रक आकर चढ़ जाए और मैं मर भी जाऊं, मुझे श्रद्धांजलि भी अर्पित हो जाए तो कल मुझे मारने वाले ड्राइवर की जमानत हो जाएगी।

वह फिर से आकर कहेगा कि लो दादाजी मैंने आपको मार दिया। मुझे नहीं कहेगा, मुझे तो श्रद्धांजलि अर्पित हो जाएगी। इसलिए मोटर जैसे कानून में जब जमानत का प्रावधान है तो व्यापारियों को सजा देना ठीक नहीं है। इसलिए सजा का प्रावधान खत्म हो और उन पर जुर्माने की राशि में भी कमी हो। मैं तो कहूंगा कि ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर दोनों बातों का संशोधन हो जाता है, सजा का प्रावधान कम हो जाता है और यदि यह प्रावधान जमानती हो जाता है तो ठीक रहेगा। मेरा निवेदन है कि व्यापारियों के हित में यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० शकील अहमद : सभापति जी, नॉन-बेलेबल का मतलब यह नहीं होता है कि उसे बेल नहीं मिलेगी। नॉन-बेलेबल का मतलब यह होता है कि उसे पुलिस बेल नहीं देगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, सदन में जो सरकार द्वारा आवश्यक अधिनियम संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं तो उसका समर्थन ही करूंगा और वोटिंग होगी तो भी पक्ष में ही वोट दूंगा। लेकिन सभापति महोदय, यह संशोधन आने से मेरे मन में एक आशंका है और मैं उसको साफ-साफ आपको बताना चाहता हूं। मैंने अभी तक कहीं यह नहीं सुना या देखा है कि किसी थाने का थानेदार चोरी पर नियंत्रण न करता हो तो पूरे देश के थानेदारों के अधिकार घटा दिये जायें। अगर उनके अधिकार घटा दिये जायंगे तो चोरी की घटनाऐं बढ़ेंगी। उसी तरह से जिस तरह से इंसपैक्टर राज, इंस्पैक्टर राज का हौवा खड़ा करके उनके अधिकारों को समाप्त किया गया है और यह कहा गया है कि कार्यपालक दंडाधिकारी इसकी जांच करेंगे। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार नहीं है कि प्रखंड स्तर पर पद को सृजित करे। वह तो राज्य सरकारों का काम है, वह इस काम को करती है। जब पद राज्य सरकारें सृजित करेंगी तो पद स्थापन का काम भी राज्य सरकारें करेंगी। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कानून बनाना हमारे मन में यह शंका पैदा कर रहा है कि इससे कालाबाजारियों को छूट मिलेगी, तो उनकी शक्ति और ताकत बढ़ेगी। महंगाई की मार से गांव से शहर तक पहले ही लोग परेशान है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। हमारी पार्टी सरकार में शामिल है और हम इस बिल का समर्थन करेंगे लेकिन इस आशंका को मैं साफ- साफ आपको बताना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर वे जरा गंभीरता से विचार करें। आप इस पर विचार कीजिए, नहीं तो महंगाई की मार से लोग परेशान होंगे और देश की जनता को यह आशंका हो जाएगी कि व्यापारियों के प्रभाव में आकर तो सरकार ऐसा कानून नहीं बना रही है।

सभापति महोदय, अभी चर्चा चली है कि मुकदमें होते हैं उनमें सही ढंग से न्याय नहीं होता हो पाता है। जितने मुकदमें होते हैं सारे मुकदमें मुदाहले के पक्ष में जाते हैं और कोई सजा नहीं हो पाती है। इस पर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, आखिर यह होता क्यों है? यह व्यापारियों और आपूर्ति विभाग के आपसी मेलजोल के परिणाम के कारण होता है। इसी कारण मुकदमों में विलंब भी होता है और सरकार मुकदमें हार भी जाती है। इसलिए हमें यह कहना है कि आपके जो पदाधिकारी हैं उनको शक्ति दीजिए। अगर कोई पदाधिकारी गलती करता है तो आप उसे सजा दीजिए। लेकिन आप कानून में कोई ऐसा संशोधन मत कीजिए जिससे समाज पर महंगाई का बोझ बढ़े और कालाबाजारियों को ताकत मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। गांव से लेकर शहर तक जो पी० डी० एस० और फ्री सेल की दुकानें हैं, उनके लिए अलग-अलग कानून होना चाहिए। अभी एक ही कानून के तहत जांच और दंड की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मिलीभगत कहीं न कहीं होती है। इसलिए इसमें सोच समझ कर सुधार करना पड़ेगा। पी० डी० एस० की दुकानों में जो सामान जाता है, उसे फ्री सेल की दुकानों में बेच दिया जाता है। जिससे उपभोक्ताओं को वही सामान मंहगा मिलता है। इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन चाहता हूं। मेरा कहना है कि व्यापारी वर्ग व्यापार की

जगह ही रहना चाहिए। अगर वह किसी और जगह व्यापार करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप यह भाषण कैसे कर रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं आपके आदेश से अंतिम बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा। अगर इंस्पैक्टर कहीं धांधली करता है तो आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए कि वह डिप्टी कलैक्टर को पद:स्थापित करे। डिप्टी कलैक्टर की निगरानी में आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर नियुक्त किया जाए। व्यावसायियों को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए वे अपनी मन मर्जी कर सकें। आप इस बारे में आसान से निर्देश दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो देश के लोगों के सामने जाए और जिससे देश के लोगों को फायदा हो। इस कानून में संशोधन करके कानून को कमजोर किया गया है। सभी की यह राय है कि इस पर फिर से विचार किया जाए। इस विभाग के बरनाला जी मंत्री हैं।

किसान द्वारा पैदा की गई चीजों के जहां भंडार हैं, उनमें इस मिली-जुली सरकार ने कितने छापे मारे? कोई छापा नहीं मारा? आपने बड़े-बड़े लोगों और होर्डिंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं आज ही अपने क्षेत्र से आया हूं। वहां किसानों को आलू के दाम 300 रुपए बोरी के हिसाब से मिले जबकि यहां आलू 18 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह से वहां टमाटर 12 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन यहां पर 38 रुपए किलो मिल रहा है। आप आम जरूरत की चीजों के दाम कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप किसानों को उनके द्वारा पैदा की गई चीजों के कम दाम देते हैं। आप व्यापारियों की बड़ी तारीफ करते हैं लेकिन किसानों का शोषण करते हैं। आजाद मार्किट में व्यापारियों के पास एक लंबा झोला होता है। वे उसमें हाथ डालते हैं और अपनी मर्जी से विभिन्न चीजों के भाव तय करते हैं। आपने विभिन्न चीजों के दाम घटाने का क्या इंतजाम किया है? किसानों को फायदा होना चाहिए।

इस बिल के आठ उद्देश्य बताए गए हैं। इसे मैं समझ नहीं पाया। अभी इन्होंने भी कहा, समता पार्टी के लोगों ने भी कहा और कुछ तो कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। उनको यह भ्रम हो गया है कि यह कांग्रेस ने किया। 1955 में आप नहीं थे, आप तो 1982 में आये होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघ था और जनसंघ का काम जमाखोरों की तरफदारी करना था। आप कहते हैं कि हम जमाखोरी को खत्म करेंगे, यह आपके बस की बात नहीं है। जमाखोरी इच्छाशक्ति से खत्म होती है। मैं बरनाला जी से कहूंगा कि इस मामले में कोई रियायत न की जाए। जो व्यापारी वर्ग किसानों का शोषण करते हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप इस बिल को नये सिरे से अच्छे ढंग से बनायें, ताकि हम सबकी राय भी इसमें आ सके। चाहे तो आप इस सलेक्ट कमेटी को भेजिये, ताकि हम सब लोग इस पर विचार करके राष्ट्र का यह बता सकें कि आप एक अच्छा कानून लायें हैं। आपके 18 दल हैं, क्या देश को 18 तरफ ले जायेंगे। इसलिए आप पूरी तरह से विचार करके इसे देश के सामने लायें। इसके साथ ही मैं इस बिल का सख्त विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*** श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर)** : सभापति महोदय, मैं कन्नड़ भाषा में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : हां, आप बोल सकते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने हेतु इस विधेयक का स्वागत करता हूं। महोदय, यह उपयुक्त विधेयक है परंतु साथ ही साथ इसमें कुछ बातें है जिन्हें सही किया जाना है। उदाहरण के लिए आप उप-निरीक्षक को वस्तुएं जब्त करने की शक्ति दे रहे हैं। कन्नड़ में एक कहावत है। उसके अनुसार भेड़िये को भेड़ की रखवाली करने को कहा गया है। यदि उप निरीक्षकों को यह दायित्व दिया जाता है। तो आप उपभोक्ताओं की तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये निरीक्षक कितनी दक्षता से कार्य करते हैं। मैं समझता हूं कि इस स्थिति से निपटने हेतु उपनिरीक्षक को कहना उपयुक्त नहीं है।

वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचनी चाहिए। दुर्भाग्य से उपभोक्ता प्रत्येक चरण में ठगा जा रहा है। खाद्यान्नों का तोल करते समय उसे ठगा जाता है। इन उचित दर की दुकानों के खाद्यान्न, चीनी और अन्य वस्तुएं बहुत घटिया होती हैं। अत: सरकार के लिए यह अति आवश्यक है कि वह इस अति दायित्वपूर्ण कार्य की निगरानी हेतु कुशल, ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों को नियुक्त करे।

मैं, जमाखोरों तथा कालाबाजारी में लिप्त अन्य लोगों से उपभोक्ता वस्तुएं जब्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा खंड 6क पुरस्थापित किए जाने की सराहना करता हूं।

जमाखोरी तथा कालाबाजारी के अलावा मिलावट एक अन्य बीमारी है जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियंत्रित है।

पुराने समय में एक कानून था जिसे अंग-भंग कानून कहते थे। नि:संदेह लोकतंत्र और आधुनिकीकरण के प्रभाव में इसमें पूर्ण बदलाव आया है। इस तरह का कानून आज भी कुछ खाड़ी देशों में लागू है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो लोग मिलावट और जमाखोरी में लिप्त होते हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तभी व्यापारी तथा सार्वजनिक

---

* मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या]

वितरण प्रणाली से सम्बद्ध लोगों को सबक मिलेगा। उपभोक्ता गतिविधि को सुदृढ़ करना पड़ेगा। हमें उपभोक्ता गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु समितियों तथा संगठनों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सरकार को इन समितियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने हेतु आगे आना चाहिए। पूरे देश में सरकार को जनता विशेष रूप से उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आंदोलन के बारे में सावधान करना चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन में जनता को शिक्षित करने हेतु कालेज शुरू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। निकट भविष्य में शायद राजधानी में एक कालेज स्थापित होगा। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस प्रयोजन के लिए विदेशी सहायता (वित्तीय) उपलब्ध कराई जा रही है।

इन दिनों मिट्टी के तेल में भी मिलावट है मिट्टी के तेल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। जो लोग मिलावट में लिप्त हैं वे मूंगफली के तेल, नारियल तेल, रिफाइंड तेल आदि जैसे खाद्य तेलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे डर है कि यदि इस मर्ज को इसी तरह चलने दिया गया तो हजारों लोगों की धीरे-धीरे जान जा सकती है।

भारत सरकार को एक निष्क्रिय संस्थान नहीं होना चाहिए। मूक दर्शक की तरह चुप रहने की बजाय सरकार को देशभर में मिलावट रोकने हेतु तत्काल तथा उचित उपाय करने पड़ेंगे। सरकार को स्थिति नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को निराशा से बचाने हेतु निष्ठावान तथा अनुशासित अधिकारी नियुक्ति करने चाहिए।

मैं, यह कानून लाने के लिए माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं इस कानून को क्रियान्वित करने की याद दिलाता हूं। यदि इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तो यह बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हमारे देश में ऐसे अन्य कानून हैं जो ठंडे बस्ते में सड़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कानून जो बहुत पहले पारित हुए थे वे आज तक लागू नहीं हुए हैं। मुझे यह आशा और विश्वास है कि इस विधेयक की यह नियति नहीं होगी। अत:, मैं माननीय मंत्री श्री बरनाला जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अति महत्वपूर्ण कानून को कठोरता से लागू करें।

महोदय, इस संशोधन विधेयक, 1998 पर अपने कुछ विचार प्रकट करने हेतु मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में और संशोधन करने के लिए जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 1998 प्रस्तुत किया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। 1955 का जो एसैंशयल कमोडिटीज एक्ट था, उसको कमजोर बनाकर एक विशिष्ट वर्ग के लोगों को सहूलियत देने के लिए, शोषणकर्ताओं को बचाने के लिए इस बिल को रखा गया है, ऐसी मेरी भावना है। यहां पर हमारे एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर-शोर से कहा कि व्यापारियों के साथ बहुत ज्यादतियां की जा रही हैं, व्यापारियों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है, व्यापारियों को पुलिस राज या इंस्पेक्टर राज के जरिये बहुत सताया जा रहा है। ऐसा कहकर यह बताने की कोशिश की गई है कि केवल वे लोग ही व्यापारियों के हितैषी हैं, हमदर्द हैं और बाकी लोग व्यापारियों के विरोधी हैं। इस प्रकार का चित्र यहां पर खींचने की कोशिश की गई है, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है जबकि हम मानने वाले हैं कि वाणिज्य, उद्योग और व्यापार का विकास देश के आर्थिक विकास का आइना है। जब हम ऐसा मानने वाले हैं, तो फिर हम उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में लगे लोगों का विरोध कैसे कर सकते हैं। हम तो उन बुराईयों का विरोध करना चाहते हैं जिनकी वजह से समाज के आम आदमी का शोषण किया जाता है, उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। इसलिए जो बात यहां पर कही गई है उस बात को मैं यहां पर बड़ी प्रखरता के साथ रखना चाहता हूं। जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, वे व्यापारियों को जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और मिलावट को मौका देंगे और इस प्रकार से उनको फिर से समाज का शोषण करने के लिए खुली छूट मिलेगी, इसलिए जिस प्रकार के संशोधन इस बिल में लाए गए हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। इस बिल का मतलब है कि मिलावट, मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि बुराइयों को फिर से समाज में लाकर समाज का और उत्पीड़न शोषण करने की कोशिश यहां पर की जा रही है।

हम यह चाहते हैं कि जो ईमानदार व्यापारी हैं, छोटी-छोटी बातों के लिए व्यापारियों के साथ जो ज्यादती होती है, हर बात पुलिस को क्यों सौंपी जाती है। संशोधन बिल में यह प्रावधान किया जाए कि यदि व्यापारियों पर कोई आरोप है तो उसकी जांच करने के लिए किसी अलग एजेंसी का निर्माण किया जाएगा ताकि वह मामला पुलिस तक न पहुंचे और जिस इंस्पैक्टर राज की बात आप कर रहे हैं, उसे हम दूर रखने की कोशिश कर सकें।

आम जनता के लिए आवश्यक चीजें, उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा में यदि उपभोक्ताओं की जरूरत के समय उनको देने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई भी उपभोक्ता या आम आदमी किसी व्यापारी के विरोध में कोई कार्यवाही करेगा या उनके ऊपर कानून का डंडा चलाने की कोशिश की जाएगी। ये सारी बातें व्यापारी वर्ग पर निर्भर करती हैं। मैं जीवनावश्यक वस्तुओं की बात कर रहा हूं। आम आदमी के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, यदि व्यापारी वर्ग की तरफ से उचित मूल्य पर सही मात्रा में वे उपलब्ध न कराई जाएं तो वह ठीक नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला जो संशोधन बिल यहां पर लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। जहां तक प्रोटैक्शन की बात है, आप किसे प्रोटैक्शन देने जा रहे हैं- भ्रष्टाचार करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले और मिलावट करने वाले लोगों को। मिलावट की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जाती है, इस कानून के तहत ऐसे लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। यदि यह नहीं होगा तो ऐसे व्यापारी पैदा होंगे जो समाज

का शोषण करेंगे।.....(*व्यवधान*) जो व्यापारी ईमानदार हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हम व्यापारियों के साथी हैं, उनके विरोधी नहीं हैं। यदि वे ईमानदारी के साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि व्यापारियों के साथ बहुत जुल्म होता है, ज्यादती होती है, अन्याय होता है। यदि वे ठीक से कार्य करें तो डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो संशोधन रखे गए हैं, उनका विरोध करते हुए हम इस बिल का विरोध करते हैं। हम सदन से और मंत्री महोदय से गुजारिश करते हैं कि जो कानून 1955 में बना है, उसे और भी कठोरता से लागू करके अमल में लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी॰ एम॰ मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस अधिनियम पर बोलने का समय मिला। सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विद्यमान उपबंध उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावकारी नहीं हैं। इसका उल्लेख अधिनियम में है। इसके समर्थन में मैं धारा 6क में प्रस्तावित संशोधन का उदाहरण देना चाहता हूं। परन्तुक में कहा गया है: "बशर्ते कि, किसी आवश्यक वस्तु के मामले में जिसका खुदरा बिक्री मूल्य इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, और जिसकी बिक्री उचित दर की दुकानों पर की जा रही है, कलैक्टर उस वस्तु को बराबर वितरण और उचित दरों पर उपलब्धता के लिए उस निर्धारित मूल्य पर उचित दर की दुकानों द्वारा बिक्री का आदेश दे सकता है।"

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर और शुल्क इत्यादि इसमें शामिल किया जाना आवश्यक है। जब मैं कर्नाटक में विधान परिषद् का सदस्य था, तो बिक्री कर और स्थानीय कर इत्यादि, जो सामान्यत: राज्य सरकार द्वारा ताड़ के तेल पर लगाए जाते थे, इन करों की वसूली की गई थी। मूल्य निर्धारित करते समय, कलैक्टर इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सभा और सरकार से अनुरोध करता हूं कि या तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों और अन्य उपकरों को शामिल करने के बारे में विचार किया जाए अथवा इन्हें छोड़ दिया जाए। यह प्रावधान धारा में ही होना चाहिए।

दूसरे, आटोमोबाइल के पुर्जों को छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार, चीनी को भी इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि जब चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उसे इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाना चाहिए। एक समय जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, तो चीनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया था क्योंकि उस समय चीनी का मूल्य 4.50 रुपए प्रति किलोग्राम था। चीनी को उस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में से निकालने के बाद चीनी का मूल्य 2.00 प्रति किलो ग्राम हो गया था। इसलिए, मेरा सुझाव है कि चीनी को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाना चाहिए।

तीसरे, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल आदि मदें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। एक राज्य में लगने वाला बिक्री कर दूसरे राज्य में लगने वाले बिक्री कर से अलग होता है। कर लगाकर इन मदों के मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य अर्थात् महाराष्ट्र से कर्नाटक अथवा आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में बहुत अलग-अलग हो जाएंगे। इसलिए, मैं चाहता हूं कि इन दो मदों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ताकि इन मदों पर चार प्रतिशत से अधिक की दर पर कर न लगाया जाए। इन्हें 'घोषित वस्तुओं' के रूप में समझा जाना चाहिए।

चौथा प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए सजा देने के बारे में है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री मल्लिकार्जुनय्या ने पहले ही इस बारे में कहा है कि अधिकारी स्वयं ही सजा के हकदार हैं। इसलिए, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम को हटा दिया जाए। मैं चाहता हूं कि संविधि पुस्तक में से इस अधिनियम को हटा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

इस विधेयक को माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत करते हुए 3-4 बातें कहीं हैं। एक तो व्यापारियों को सात साल की सजा के बजाय दो साल की सजा की जाये; उनके घर में जो जांच करने इंस्पैक्टर जाते हैं, वे न घुसा करें; बगैर न्यायालय के मजिस्ट्रेट की अनुमति के इनकी जांच नहीं हो सकती, ऐसी कई रियायतें इनको देने की कोशिश की गई है। वैसे जब किसी चीज की जरूरत होती है, तभी कानून बनता है, तभी उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम इलाज करते जा रहे हैं, त्यों-त्यों बढ़ता जा रहा है। व्यापारी लोग आवश्यक वस्तुओं की ब्लैकमार्केटिंग करें और उनकी चोरबाजारी को पकड़ने के बजाय, हम कानून में संशोधन लाएं, ऐसी कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई एक पैसे का भी हेरफेर करता है तो वह दफा 420 में मुलजिम बन जाता है। किसी के घर से कोई चीज निकल जाती है तो उस पर दफा 379 लगाकर उसको मुलजिम बना दिया जाता है। अगर कोई दो रुपये की चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए तो उसको इम्प्रीजनमेंट हो जाती है। लेकिन इनके यहां से हजारों रुपये की चोरी बरामद हो जाए तो इनको रियायत दी जा रही है। इसलिए यह दो तरह का कानून नहीं होना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम उन लोगों के

[श्री मित्रसेन यादव]

लिए बनाया गया था जो गरीब हैं और अभावग्रस्त हैं। किसी भी कल्याणकारी सरकार का कर्त्तव्य और धर्म है कि अपने प्रदेश की गरीब और असमर्थ जनता को रोटी, दाल, चीनी और तेल मुहैया कराए और वह भी निर्धारित रेट पर मुहैया कराएं। उसमें यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। उसका दुरुपयोग करने वालों को आप रियायत देने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बरनाला जी कैसे इस बिल को लेकर आए हैं। उनको समझदारी से कोई बेहतर कानून लाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे-सीधे ऐसे लोगों की मदद करने जा रही है जो चोर-बाजारी करते हैं। मैं समझता हूं ऐसा आक्षेप इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने भी इसके लिए रास्ता अपनाया था और उन्होंने जो छोटे-छोटे व्यापारियों के हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती थी, उसका रास्ता निकाला था। लेकिन आप कहते हैं कि जुर्म करो तो रियायत दी जाएगी, चोरी करो तो छूट दी जाएगी, इंस्पैक्टर इनके घर में नहीं घुसेगा और न्यायालय से अनुमति ली जाएगी।

इस बिल में ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि जो सही मायनों में अभावग्रस्त हैं, जिनके लिए यह आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उनको कोई रियायत दी जा रही है। आज आप देखें मसाले में गधे की लीद मिलाई जाती है, आटे में खड़िया मिट्टी मिलाई जाती है और तेल में मोबिलआयल मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, जीवनरक्षक दवाओं की ब्लैक की जाती है और उनमें भी मिलावट की जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से कई बार हजारों लोग मारे गए हैं, उसके बाद भी इन लोगों को रियायत दी जा रही है। बरनाला साहब जैसे मंत्री से कैसे यह हो रहा है, यह हमारी समझ में नहीं आता। जिनके हाथों से हजारों लोग मारे जाते हैं, उनको आप छूट देने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस बिल को पास करने के पहले इसे संसद की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए और राज्य सरकारों की राय ली जाए। उसके बाद ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इस बिल का उद्देश्य पूरा हो सके।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, जो बिल यहां लाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के नेताओं से अलग-अलग उनकी राय इस पर जाननी चाही थी। मैंने सुझाव दिया था कि सभी दलों के नेताओं की एक जगह बैठक बुलाई जाए और इस पर आम सहमति बनाई जाए। यह मामला साधारण नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। ऐसा न हो कि मौजूदा सरकार को कल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। हम किन लोगों को राहत देने जा रहे हैं, यह भी देखा जाए। हमने इसका विरोध किया था और कहा था कि किसी के दबाव में यह काम न करें। सदन में सभी पक्ष के सदस्य जानते हैं कि आप बाजार में जाकर चीजों के दाम देख लें किस तरह से बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों की बात तकलीफदेह हो सकती है, क्योंकि हम आलोचना कर रहे हैं।

जो सर्वहारा है, जो आम जन है, जिनके लिए आपकी सोच है, समता मूलक समाज बनें, राम राज्य बने और अंतिम आदमी को आप न्याय देंगे, उसके पेट पर बड़ी भारी मार पड़ रही है। उस वर्ग और उस तबके के लोगों को देखना आपकी जिम्मेदारी है। बरनाला जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वे हम लोगों के साथ रहे हैं और किसान नेता हैं। मैं समझता हूं कि इनके हृदय में, बिल लाने से पहले और बिल लाने के बाद में, मजबूरी है और अब हम मजबूरी से निकल नहीं सकते हैं। इनके माथे पर थोप दिया गया है कि इन लोगों को जल्दी राहत दिलवाइए और किसी तरह से इनकी जान बचवायें। इस चीज के बारे में आपको सोचना चाहिए। आप जाकर देखिए, दिल्ली की मंडी में या बिहार के गांवों के बाजार में सामान की क्या हालत है। जो सबसे बढ़िया नींबू होता है, वह दिल्ली में ही रुक जाता है और बिहार में जाते-जाते सूखा हुआ कागजी नींबू पहुंचता है। हमारी पार्टी का कल स्थापना दिवस था और हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से गरीबों के लिए मार्केट बनवाया है। हम लोग वहां रुके, तो लोग दौड़े चले आए कि शायद नेता जी फल खायेंगे। फल खाना हम लोगों के लिए परहेज है। हमने कहा–बताओ, कागजी नींबू का क्या दाम है? उन्होंने बताया - एक कागजी नींबू का दाम दो रुपए हो गया है। कड़वा तेल को दूसरी जगह पर एडिबल आयल कहा जाता है। जहां से हमारे रेल मंत्री, नीतीश जी, आते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी हमारी मां बहनें जो कड़वा तेल खरीदने जाती हैं, उस समय पैसा नहीं होता था, गांव के छोटे-छोटे व्यापारी छोटे-छोटे नाप से तेल डालकर देते थे। उस शीशी में हमारी मां-बहनें रस्सी लगाकर घर में टांग देती थी। उस शीशी में तिलचट्टा घुस जाता था और कड़वा तेल चाट जाता था। इसका दाम आपके राज में 60 रुपये किलो और हो रहा है, डालडा का दाम आपके राज में 70 रुपए किलो हो रहा है, आपके राज में कपड़े का दाम देख लीजिए और आलू का दाम.....(*व्यवधान*) सुनिए.....(*व्यवधान*) महोदय, हम इनको साध नहीं सकते.....(*व्यवधान*) जब मैंने आलू का नाम लिया, ...(*व्यवधान*) यह चतुराई है.....(*व्यवधान*) 60 रुपए पसेरी आलू हैं, 70 रुपए टमाटर है और फिर प्याज का दाम, लहसुन का दाम, चावल का दाम, दाल के दाम आसमान को छू रहे हैं।....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय (श्री पी॰ एम॰ सईद) : लालू जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं तो अभी तीन मिनट में प्रवेश नहीं किया है। बीच में यह जो हो रहा है.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : चार मिनट हो गया है। पांच मिनट होने वाला है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, व्यापारी लोग बोलते हैं, ये बनिया लोग और स्वयं इंसपैक्टर इसी कानून से परेशान हैं.....(*व्यवधान*) सवाल बनिए का नहीं है। बहस में हमारी कमक्यूनिटी भी आती है। अगर यादव भी महंगा दूध बेचता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, उसको स्वयं इसी कानून में जाना पड़ेगा। इस सरकार को पता है कि जल्दी जाने वाले हैं,

तो कम से कम अपना वोट बैंक तो संभाल कर रखें। इसलिए यह बिल सजा खत्म करने के लिए लाए हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ब्लैक मार्केटियर्स को प्रतिनिधित्व करने वाला यह दल बिल लाया है, जो देश के सर्वहारा के साथ धोखा है और उसके पेट पर लात मारने वाला यह बिल है। मैं इसका विरोध करता हूं और उसके विरोध में वोट करूंगा और आप हारिएगा।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं श्री बरनाला को एक मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ मंत्री के रूप में जानता हूं। परंतु उन्होंने आज जो विधेयक प्रस्तुत किया है उससे मैं निराश हो गया हूं।

उद्देश्यों तथा कारणों के वितरण के पृष्ठ पांच पर उन्होंने कहा है कि वह उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा निम्न श्रेणी के अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकेंगे, स्टाक में थोड़ी बहुत विविधता होने पर व्यापारियों को होने वाली सामान्य कठिनाइयों का समाधान करेंगे तथा उदारीकरण के मार्ग पर बराबर चलते रहेंगे। उन्होंने बताए गए इन सभी उद्देश्यों को विफल कर दिया है।

हमारे पास कानूनों का बाहुल्य है। परंतु हम उन्हें लागू करने में असमर्थ हैं। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली में सभी बाजारों में कोई भी व्यक्ति 12% बिक्री कर का भुगतान नहीं करता है - मैंने इस बारे में कुछ तथ्य इकट्ठे किये हैं क्योंकि हमने कभी भी कानून लागू करने की आवश्यकता नहीं समझी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यद्यपि यह प्रश्न पहले भी उठाए गए हैं, मैं उन्हें उसी ढंग से नहीं दोहराऊंगा जिस ढंग से वह पहले पूछे गये हैं। माननीय मंत्री महोदय ने जेल की अवधि सात साल से घटाकर दो साल कर दी है। वह बाजार पर नियंत्रण और आपूर्ति की सुनिश्चितता चाहते हैं। परंतु दोषियों के लिए क्या सजा है?

वह निरीक्षक से छुटकारा पाना चाहते हैं परंतु उप-निरीक्षक से तो दोहरा खतरा है। हम उसके अधिकारों में सिविल प्राधिकार चाहते हैं। मैं पुलिस के विरुद्ध नहीं हूं परंतु निरीक्षकों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए गए हैं। अपनी वर्दी में उप-निरीक्षक से दोहरा खतरा होता है क्योंकि उसके पास वर्दी का तथा कानून के अंतर्गत प्राधिकार होता है। उसके पास पूर्ण प्राधिकार होते हैं। उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए, यद्यपि संपूर्ण दिल्ली दो वर्षों से इंसपैक्टर राज से छुटकारा पाना चाहती है, आप उसी राज को कायम रख रहे हैं।

खंड 4 में आपने कहा है: "केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उचित दर की दुकानों द्वारा....." हमें अवश्य ही ईमानदार होना चाहिए। उस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लड़खड़ा रही है। हमें अवश्य ही इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप इस प्रक्रिया में क्या सुधार कर रहे हैं?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे पास समय होता।

अन्ततः श्री बरनाला ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। यह बहुत अनुचित है। उन्होंने जुर्माना 10,000 रुपए से घटाकर 2000 रुपए कर दिया है। उन्होंने हर जुर्म के लिए जुर्माना घटा दिया है। जिस मामले में जुर्माना 20,000 रुपए था उसे कम करके 10,000 रुपए कर दिया गया, जहां 25,000 रुपये था उसे कम करके 10,000 कर दिया गया, जहां 50,000 रुपये जुर्माना था अब उसे कम करके 20,000 कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि श्री बरनाला पर कोई दोष न आए परंतु ऐसी अफवाहें हैं कि यह सरकार बनियों के प्रति अधिक चिन्तित है। यह उपभोक्ताओं के लिए राहत नहीं है। अपितु यह दोषियों के लिए राहत है। 'गैर-जमानती' सजा को 'जमानती' में बदल दिया गया है। अतः यह **बनियों** को राहत दी गई है। यह दोषियों के लिए राहत है। उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई।

मैं आशा करता हूं कि श्री बरनाला एक वरिष्ठ सदस्य हैं, वह इस सभा की भावना को समझते हैं और जब वह खड़े होते हैं तो उन्हें न केवल पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए अपितु उन्हें इन संशोधनों में सुधार करना चाहिए और इन्हें वापिस लेना चाहिए। मैं उन्हें पुनः इन संशोधनों को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं या फिर एक ऐसे तंत्र का पता लगाएं ताकि हम भविष्य में इस पर चर्चा कर सकें। हमें अभी जल्दी में इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : बनिया शब्द का इन्होंने जो प्रयोग किया है, इसको रिकार्ड से निकाल दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। केवल 10 मिनट शेष हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : बनिया शब्द की जगह ट्रेडर्स कर दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने माननीय मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जमाखोरों और काला बाजारियों पर जुर्माना घटाने के लिए यह हो रहा है। 25 हजार से 10 हजार, 10 हजार से 5 हजार और नॉन-बेलेबल का बेलेबल, यह क्या हो रहा है।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाएं। यह सभा इस प्रकार कैसे कार्य कर सकती है?

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : कलकत्ता में दो रुपयों में हम भोजन करते हैं....(*व्यवधान*) सभापति जी, आपके राज्य में अन्याय हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री यादव मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : महोदय, विधेयक और इसके संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गयी थी। यह मामला अत्यधिक विवादास्पद है। हम यह भी पाते हैं कि उस तरफ के माननीय सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह परिणामों से परिपूर्ण है, यह अच्छा होगा कि हम इस विधेयक पर उचित और पर्याप्त ध्यान दें। अत: हम मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए सहमत हों ताकि इसका गहन अध्ययन किया जा सके।....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा भी यही मत है। चूंकि सभी ओर से भारी विवाद और विरोध हो रहा है, अत: इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए न कि स्थायी समिति को जिसे यह निदेश दिया जाए कि वह एक निर्धारित समयावधि अर्थात् इस सत्र के दौरान या अगले सत्र के दौरान अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।.....(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं समझती हूं कि यह सही समय है। कीमतों में काफी वृद्धि हुई है और यह विधेयक भी विवादास्पद है। इस विधेयक को अब पारित किये जाने के स्थान पर इसके बारे में श्री पी. शिव शंकर और अन्य मेरे साथियों द्वारा कही गई बातों से मैं सहमत हूं। इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए ताकि हम इस विषय पर विशेष विचार कर सकें। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहती हैं?

(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हजूर, एक आर्डिनेंस लागू है।..... (*व्यवधान*) बीच में आर्डिनेंस में जो सजा लागू थी उसमें पहले से पुराने कानून में यह डिफाइन नहीं था कि कितना जुर्माना होगा। अध्यादेश में 25 हजार रुपए जुर्माना था। कमेटी ने उसे ओके किया था। 25 हजार जुर्माने को 10 हजार, फिर 10 हजार को 5 हजार किया।.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : सिलैक्ट कमेटी में भेजने के बारे में आपकी क्या राय है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरी राय है कि इसे वापस लेकर सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाए।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार न चिल्लाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आप कल लॉटरी वाले बिल को भी अपोज कर रहे थे। मुलायम सिंह जी ने इनकी धाराओं के बारे में कहा...(*व्यवधान*) हम चाहते हैं कि यह सरकार आम राय से चले। इसलिए हम चाहते हैं कि शिव शंकर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके अनुसार इसे सिलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया प्रस्ताव पेश करें।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मंत्री महोदय को यह प्रस्ताव करना है कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए।....(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी को केवल प्रस्ताव करना है। .....(*व्यवधान*)

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मंत्री जी को अब वाद-विवाद का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। (*व्यवधान*)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मंत्री जी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करें। ठीक वही किया गया है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए।"

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात पर सहमत है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाए।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : महोदय, मैंने विधेयक पेश किया था और मैं प्रसन्न हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अपील कर सकता हूं कि वे अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाओ।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : प्रवर समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम भी स्पष्ट होने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाए।

अपराह्न 6.00 बजे

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार.....(*व्यवधान*)

श्री वारकला राधाकृष्णन : इस संयुक्त समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे?

सभापति महोदय : क्या आप मुझे कार्य करने की अनुमति देंगे? मैं इस मामले में एक उल्लेख कर रहा हूं। यह अत्यधिक असामान्य स्थिति है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : रूल्स के मुताबिक अगर सैलेक्ट कमेटी की बात होगी तो दो तरह की होगी। इस सदन की समिति होगी या दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति होगी। अगर जाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात है तो यहां से यह स्पेसिफिक प्रस्ताव देना पड़ेगा कि इसके इतने सदस्य होंगे और दूसरे सदन को रैक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वह इतने मैम्बर नौमिनेट करे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि रूल्स शिथिल करते हुए स्पीकर को आथराइज कर दिया जाए कि स्पीकर साहब इसको नौमिनेट करें।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप किसी को भी सभा में बोलने नहीं देंगे। आप समय-समय पर खड़े हो जाते हैं। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : इस बिल में *

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि जैसा श्री नीतीश कुमार ने सुझाव दिया है, वैसा करना बेहतर है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : श्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। इसे अध्यक्ष पर छोड़ने के बजाय आपको कहना चाहिए कि अध्यक्ष विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके सदस्यों का नाम-निर्देशन करें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : या तो इस बिल को यहीं पेंडिंग कर दिया जाए और फार्मली रेजोल्यूशन लेकर अगले दिन मंत्री जी आएं और अगले दिन इसको अडाप्ट किया जाए। तब तक डिबेट को यहीं पर रोक दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं समझता हूं कि यह सही सुझाव है। नियम 298 में कहा गया है :

> "किसी विधेयक की प्रवर समिति के सदस्य, सभा द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब यह प्रस्ताव किया जाए कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए।"

अत: यह साथ-साथ होगा। स्वाभाविक है कि श्री नीतीश कुमार ने अन्त में जो सुझाव दिया है वह इसे टाल देना है। औपचारिक प्रस्ताव बाद में आ सकता है।

सभापति महोदय : हम इसे केवल उसी प्रकार करेंगे।

श्री ए॰ सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : यही सही प्रक्रिया है।

श्री राजेश पायलट : संसदीय कार्य मंत्री कल एक प्रस्ताव के साथ आयेंगे।

श्री नीतीश कुमार : कल माननीय मंत्री एक औपचारिक प्रस्ताव लायेंगे। अत: इसे कल तक के लिए टाल दिया जाए।

सभापति महोदय : कल सभा के सामने औपचारिक प्रस्ताव लाया जायेगा और तब हम उसी के अनुसार आगे कार्य करेंगे। यह सभा का निर्णय है तब तक मामले को लम्बित रखा जाए।

श्री टी॰ आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : सभा को स्थगित करने से पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। आज हमने इस पर काफी चर्चा की है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कल हम विदेश मंत्रालय पर चर्चा आरंभ करेंगे।

सभापति महोदय : कार्य सूची में अगली मद रेल बजट है।

श्री टी० आर० बालू : मैं समझता हूं कि कार्यसूची में परिवर्तन होगा।

सभापति महोदय : श्री बालू, मुझे खेद है। कार्य मंत्रणा समिति ने कुछ तय किया था और सभा कुछ और तय करती है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : आप रेलवे पर चर्चा का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें चर्चा आरंभ करनी चाहिए। यह आज की कार्यसूची में है।

श्री टी० आर० बालू : इसमें कोई समस्या नहीं है। हम इसे ले सकते हैं।

सभापति महोदय : अब लोक सभा मंगलवार, 7 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 जुलाई, 1998/16 आषाढ़ 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।